1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक : 5) सप्तम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 16 वां दिवस (संख्या : 13

मंगलवार

दिनांक 21 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(**श्री पूनमचन्द विश्नोई,** अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर द्वारा किये गये स्थानान्तरण

334. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला), अजमेर ने दिनांक 1-6-1980 के बाद किस-किस अध्यापक, अध्यापिका एवं कर्मचारी का स्थानान्तरण कब-कब कहां के लिये किया? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन स्थानान्तरणों के आदेशों में स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण के पूर्व अथवा बाद में किस-किस का स्थानान्तरण निरस्त अथवा संशोधित किया गया? कृपया कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कई स्थानान्तरण निरस्त करने के आधार बीमारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना रहा है? यदि हां, तो किस-किस ने किस-किस बीमारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र किस-किस चिकित्सक का इस हेतु प्रस्तुत किया?

(4) क्या यह भी सही है कि अधिकांश चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य प्रस्तुत किये गये क्योंकि स्थानान्तरण आदेशों के पूर्व इन बीमारियों से ग्रसित होने के प्रमाणपत्र अथवा इनके उपचार हेतु प्रयुक्त दवाइयों के पुनर्भरण में कोई प्रमाण विभाग में उपलब्ध नहीं है और ये प्रमाण-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) के प्रोत्साहन पर चिकित्सक विशेष से प्राप्त किये गये?

(5) क्या सरकार इन असत्य प्रमाण-पत्रों के आधार पर स्थानान्तरणों के निरस्त व संशोधन होने में हुई कथित गड़बड़ी की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

Page No 2

(2)

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), अजमेर द्वारा दिनांक 1-6-80 से दिनांक 10-9-82 तक निम्नलिखित अध्यापक, अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण जिला अजमेर, टोंक तथा सवाई-माधोपुर में किये गये। स्थानान्तरणों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

	1980-81	1981-82	1982-83
द्वितीय श्रेणी अध्यापक	154	20	25
तृतीय श्रेणी अध्यापक	242	104	15
वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक	8	22	—
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21	11	5
योग	425	157	45

(2) निरस्त/संशोधित किये गये स्थानान्तरणों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

	1980-81	1981-82	1982-83
निरस्त	35	44	3
संशोधित	36	9	1

(3) जी हां, बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी स्थानान्तरण निरस्त करने का एक कारण रहा है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

	1980-81	1981-82	1982-83
निरस्त	13	25	2

(4) राजकीय चिकित्सकों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की जाती है। इसकी जांच पुनर्भरण बिलों से भी की जानी सम्भव नहीं है क्योंकि कर्मचारी द्वारा चिकित्सा पुनर्भरण बिलों के साथ इलाज पर्ची प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है एवं चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण प्रधानाध्यापक के स्तर पर किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रोत्साहित चिकित्सा विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये हैं, यह रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता।

(5) चिकित्सा प्रमाण पत्रों की असत्यता राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आई है अत: किसी जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्थानान्तरण निरस्त करने की सूची दी है उसमें बीमारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी स्थानान्तरण निरस्त करने का कारण बताया है। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना

Page No 3

(3)

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहूंगा कि आपकी नीति के अनुसार जब कम ठहराव था तो इस हालत में स्थानान्तरण क्यों किया गया ? यह रिकार्ड से मालूम पड़ता है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि यह जो प्रमाण पत्र आये, इस तरह के चिकित्सा प्रमाण पत्र अन्य कितने अध्यापकों या प्राध्यापकों ने दे रखे हैं और क्या वह विभाग में आज भी विचाराधीन हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह तीन साल के लिए प्रश्न है। मेरे लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि 3 सालों में किन-किन अध्यापकों के कितने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त होने हैं, और उनमें से कितनों को प्राप्त हुए हैं या प्राप्त नहीं हुए हैं। और माननीय सदस्य यह मूल प्रश्न में ही पूछ लेते तो निश्चित रूप से मैं बता देता। आपने यह बात पूछी है कि कितने ट्रान्सफर्स हुए, उनमें से कितनों के निरस्त हुए, कितनों के इन तीन सालों से संशोधित हुए और कितनों के निरस्त और संशोधित उनके चिकित्सा प्रमाण पत्रों के कारण से हुए। तीनों बातें मैंने विस्तार से बता दीं। अब और माननीय सदस्य यह कहते हैं कि कितनों के चिकित्सा प्रमाण पत्र थे, उनमें से कितनों के प्राप्त हो गए और कितनों के नहीं हुए, यह तो रिकार्ड देख कर ही बताया जा सकता है। यह रिकार्ड मैं अभी लाया नहीं हूं। यह जिले का रिकार्ड है जो मेरे लिए लाना सम्भव नहीं है।

जहां तक कम ठहराव का प्रश्न है, आप स्पेसिफिक नाम देकर पूछें तो मैं आपको बाद में जरूर सूचित कर सकता हूं कि कम ठहराव के बावजूद भी ट्रान्सफर क्यों हुए। यह बात तीन सालों की है और एक नहीं कम से कम सैकड़ों अध्यापक, कनिष्ठ लिपिक और कर्मचारी हैं इसलिए हर एक के बारे में यह बताना सम्भव नहीं है कि कम ठहराव के बावजूद ट्रान्सफर क्यों हुआ। निरस्त होने का कारण दे दिया है, ट्रान्सफर होने के रीजन्स भी बता सकता हूं। और आप स्पेसिफिक पूछें तो मैं बता सकता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि खण्ड (4) में आपने कहा है, यह जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) काफी लम्बे समय से अजमेर में ही है और उनको मालूम है कि कौन बीमार है, कौन नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र दिये हैं। और एक शिक्षक या शिक्षकों का इस आधार पर हस्तानान्तरण निरस्त किया तो यह आधार सब पर लागू क्यों नहीं किया, इसकी वजह आप नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब अलग प्रश्न है। आप सूचना चाह सकते थे।

श्री कैलाश मेघवाल : आप खण्ड (4) को पढ़िये। इसमें कई स्थानान्तरण राज्यादेश से वापस निरस्त किये गये। क्या आपकी यह भी नीति है कि स्थानान्तरण हो जाय और आप राज्यादेश से निरस्त करें ?

श्री चन्दनमल बैद : आपको जो सूची दी है उसमें यह भी दिया हुआ है कि क्यों हुए हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल राज्यादेश से किये हैं। तो आपकी नीति के अनुसार जो स्थानान्तरण हुए उनके राज्यादेशों के कारण निरस्त होने के क्या कारण रहे ?

Page No 4

(4)

श्री चन्दनमल बैद : 1980-81 में नीति नहीं थी। राज्यादेश से 1981–82 और 82–83 में हुए है पीछे।

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। राज्य स्तर से ट्रान्सफर हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उसमें कार्यवाही नहीं की जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके पास स्थानान्तरणों की गड़बड़ की शिकायत आई है और क्या इस तरह की शिकायतें आई हैं कि इसमें आर्थिक दृष्टि से गड़बड़ हुई है, ले देकर सिफारिश की गयी और स्तानान्तरण निरस्त किये गये, ऐसी शिकायत आई है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है और जब शिकायत ही नहीं आई है तो जाँच का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक चिकित्सा प्रमाण–पत्रों के कारण से जो ट्रान्सफर निरस्त किये गये है उनमें भी हर केस में किसी चिकित्सक या वैद्य का प्रमाण पत्र है कि किस के द्वारा सर्टिफाइड है। यह लिस्ट मैंने दे दी है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : एक प्रश्न अजमेर का है।

श्री अध्यक्ष : अजमेर का होने से यह नहीं है कि आप पूछेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो शिक्षा अधिकारी (महिला) है वह काफी समय से इस पद पर यहां रह रही है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्यों ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं, अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं कि वह इसी पद पर रहते हुए अजमेर से रिटायर होंगी और जयपुर में जाकर रहेंगी, ऐसा वह कहती हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री भगवानदास शास्त्री : ऐसे शिक्षा जैसे मामले में आप वर्षों तक एक व्यक्ति को एक स्थान पर रखें तो उसमें सभ्यता या मर्यादा रहती है या अच्छा प्रशासन चलाने में सुविधा मिलती है ? आपके पास इसका उत्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है। यह जो जिला शिक्षा अधिकारी (महिला) है इसका नाम गीता अग्रवाल है। मैंने कई बार, जब श्री प्रभाकर जी एजुकेशन मिनिस्टर थे तब भी और श्री चन्दनमल जी को भी और मुख्य मन्त्री जी को भी मैंने कहा है। यह वहां लेडी टीचर्स की परवाह नहीं करती हैं। जो हम कहते हैं यह सुनती नहीं हैं। उनके पास से कागज छीन लेती हैं और यह अपने आपको चीफ मिनिस्टर का आदमी समझती हैं। क्या कारण है कि

(श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा)

दस साल से उनको वहीं रखा गया है। और आपने उनको नहीं हटाना है तो कम से कम उनका प्रमोशन करके ही हटा दो। हम लोग वहां पर बहुत दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन ली जाये, जिस लेडी टीचर का हस्बेंण्ड टी. बी. हास्पिटल में पड़ा था, उसके लिए मैंने इनकी बहुत रिक्वेस्ट की। ये हरेक से पैसे लेती हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा बनवाती है। अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है, इनको हटाया नहीं जाता है। हम लोग दुखी हैं, लेडी टीचर्स दुखी हैं।

श्री चन्दनमल बैद : तीन साल के ट्रान्सफर केन्सिल करने की मैंने सूची दे दी है। मैंने तीन साल की सारी लिस्ट भी देखी है और मेडिकल सर्टिफिकेट्स को भी देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तीन साल में कोई शिकायत नहीं मिली है तो मैं अनायास किसी टीचर को कैसे हटा सकता हूं !

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा : मन्त्री महोदय, देख लें, ये कौनसे राज्यादेश हैं। ये उनके खुद के आदेश हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

ग्राम गिराब व ग्राम देवी कोट में डिस्पेन्सरीज में स्टाफ का पदस्थापन

335. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के ग्राम गिराब व जिला जैसलमेर के ग्राम देवीकोट में पुनर्वास विभाग की तरफ से डिस्पेन्सरीज के भवन व रिहायशी क्वार्टस बन चुके हैं ?

(2) यदि हां, तो सरकार का वहां कब तक स्टाफ तैनात कर डिस्पेन्सरीज प्रारम्भ करने का विचार है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री सी. एल. कंवरिया) : (1) पुनर्वास विभाग की सूचना के आधार पर निर्माण कार्य करीब सम्पूर्ण होने जा रहा है।

(2) पुनर्वास विभाग से चिकित्सा विभाग को भवन उपलब्ध हो जाने व स्टाफ इत्यादि के लिये वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने के पश्चात् ही स्टाफ लगाने का कार्य सम्भव होगा।

श्री अमीन खां : मन्त्री महोदय, देवीकोट गांव में तो पुनर्वास विभाग द्वारा कार्य सम्पूर्ण हो चुका है जिसको मैंने स्वयं ने देखा है और ग्राम गिराब में बिल्डिंग का पूरा काम हो चुका है। क्या आपका पुनर्वास विभाग से एग्रीमेंट है कि उनकी बिल्डिंग बन जाने के बाद में राज्य सरकार स्टाफ की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो आप कब तक इन्तजाम करेंगे ?

श्री सी. एल. कंवरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरी सूचना के अनुसार भवन निर्माण कार्य करीब-करीब समाप्त होने जा रहा है। आपकी सूचना है कि समाप्त हो चुका है तो पुनर्वास विभाग ज्यों ही बिल्डिंग हस्तान्तरण कर देगा हम ले लेंगे, उसके बाद वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर स्टाफ लगायेंगे। एक लाख 50 हजार और 96 हजार का पुनर्वास विभाग के पास प्रावधान

Page No 6

(6)

(श्री सी०एल० कंवरिया)

है, वह ज्यों ही फण्ड दे देगा, हम इक्विपमेंट वगैरह खरीदेंगे और स्टाफ वित्तीय प्रावधान होने पर नियुक्त करेंगे।

श्री अमीन खां : जो आपने अमाउण्ट बताया है यह किसका है ?

श्री सी. एल. कंवरिया : 1 लाख 50 हजार और 96 हजार जो मैंने बताया वह मेडिसिन और इक्विपमेंट के लिए है। यह पुनर्वास विभाग ने सूचित किया है कि यह उपलब्ध होगा। ज्योंही भवन बनकर हमको हस्तान्तरित हो जायेगा यह राशि वे ट्रान्सफर करेंगे। उससे मेडिसिन और इक्विपमेंट वगैरह खरीदेंगे और स्टाफ के लिए जब वित्तीय साधन उपलब्ध कराये, जायेंगे, तब नियुक्त कर देंगे।

श्री अमीन खां : उनके पैसे भी आपके पास जमा हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास एवं उत्थान

336. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केन्द्रीय सरकार ने सन् 1980 से अब तक बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास तथा उत्थान हेतु राज्य को कितनी राशि स्वीकृत की ?

(2) 1980 से लेकर अब तक राज्य में अभी तक कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्त करवाया गया है तथा उनके पुनर्वास और जीवन-यापन हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

(3) कितने व्यक्तियों को इस अवधि में सरकारी नौकरी में लिया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) 1980–81 से अब तक 11.07 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) वर्ष 1981–82 में 36 एवं 1982–83 में 12 बन्धुआ मजदूर मुक्त करवाये गये। इनमें से समस्त को तात्कालीन आर्थिक सहायता दी जा चुकी है एवं प्राप्त सूचना के अनुसार 37 बन्धुआ का पुनर्वास किया जा चुका है जिनका विस्तृत ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

(3) भीलवाड़ा जिले से एक बन्धुआ मजदूर को सरकारी नौकरी दी जाने की सूचना प्राप्त हुई है। शेष सूचना प्राप्त की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये जो सारी सुविधायें केन्द्रीय सरकार से आती हैं क्या वास्तव में ये सब सुविधायें पुनर्वास विभाग से जीवन-यापन के लिए उनको मिल रही हैं ?

श्रीमती कमला : जो सूची आपको दी है कि किन-किन बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है और क्या-क्या जीवन-यापन के लिए साधन दिये गये हैं, वह बिलकुल सही है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसी विधान सभा क्षेत्र झालावाड़ जिले में जो बन्धुआ मजदूर की हत्या हुई, उसके बाद से न तो वहां उनकी कोई सुरक्षा की जा रही है और न ही उनको पूर्ण रूप से मुक्ति मिली है। केवल मात्र नाम के लिये जमीन अलाट की गई है, उस पर अभी तक जागीरदार लोग कब्जा किये हुए बैठे हैं। उनको मौके पर जाकर जमीन नहीं बताई जाती है और मन्त्री महोदया जो बयान कर रही हैं, वह बिलकुल असत्य है।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि यह सूचना असत्य है। मैं उनसे यह पूछना चाहूंगी कि कौनसी सूचना असत्य है और किस मायने में असत्य है ? किसी अधिकारी द्वारा क्रियान्विती में कमी रही है या क्या, स्पष्ट बतायें ? हम कार्यवाही करेंगे।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, ये बन्धुआ मजदूर किस-किस जिले के मुक्त करवाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री हरीश शर्मा : इसी से सम्बन्धित मामला है। इन्होंने कहा, मुक्त करवाये हैं, तो कौन-कौन से जिलों में करवाये हैं ?

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने जो बन्धुआ मजदूरों की संख्या दी है तो अब क्या राजस्थान में बन्धुआ मजदूर नहीं हैं ? इस प्रकार की आपके पास कोई जानकारी है ? और दूसरा इसके साथ....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री रामकंवार बैरवा : इसमें जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : इसमें जुड़ा हुआ से प्रश्न नहीं है। मैंने आपको प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी और मैंने उस पर रूलिंग दे दी।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री रामकंवार बैरवा : एक मिनट सुन लीजिये। दूसरा निवेदन है, कृषि उद्योग या अन्य स्थानों पर जो आपके बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं उनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी दे दें। क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगी ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि किन-किन जिलों से ऐसी सूचना आई है कि जहां बन्धुआ मजदूर नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया, पिछली मई-जून में कैम्पस लगाये थे और उसके बाद पावर्टी लाइन के माध्यम से भी प्रयत्न किये हैं, और जिलाधीश को बाकायदा सरक्युलर जारी किया है कि विधिवत तरीके से बतायें। एक अच्छे सीनियर कर्मचारी के साथ सहायक कर्मचारी भी दें और वह तमाम डिटेल्स भिजवायें कि आपके जिले में बन्धुआ मजदूर हैं या नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 27 जिलों में से 20 जिलों की सूचना आई है कि उनके हां बन्धुआ मजदूर नहीं हैं।

(श्रीमती कमला)

7 जिलों से सूचना आना बाकी है कि कितने बन्धुआ मजदूर हैं और कितने नहीं हैं। एक बहुत विस्तृत और निश्चित पद्धति के अनुसार आइडेन्टिफिकेशन के कार्यक्रम के बारे में पूछा गया है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय मन्त्री महोदय, एक प्रश्न इसी से सम्बन्धित मेरा भी है। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि बन्धुआ मजदूरों की परिभाषा क्या है और उसमें आपने किस प्रकार की प्रक्रिया चालू की है और इसको कैसे माना है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इसकी जो परिभाषा कायम की है वह हमने अलग से नहीं की है। पहले से जो एक्ट बना हुआ है, बन्धुआ श्रम पद्धति, उसकी परिभाषा हमने अपनाई हुई है, अलग से इसके लिए हमने कानून नहीं बनाया है। जहाँ तक उनके आइडेन्टिफिकेशन की पद्धति का सवाल है, वह मैं अभी बता चुकी हूं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें एक काल अटेन्शन भी दिया है। आप मुझे एक सप्लीमेन्ट्री पूछने की इजाजत दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि 20 जिलों की रिपोर्ट आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि 20 जिलों की रिपोर्ट में क्या टोंक जिला भी सम्मिलित है जिसकी सूचना आयी है ? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय अध्ययक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप घण्टे भर बोलेंगे। उपाध्यक्ष जी थे इसलिए पूछ रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : 24–5–82 को टोडारायसिंह में एस० पी० के अ. एक केस दर्ज हुआ। श्री सूरज मल मीणा, जो अन्त्योदय योजना में सलैक्ट हुआ था, 20 वर्ष की उसकी ऐज है, ने मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा, आपके नाम पत्र लिखा और मेरे पास भी पत्र है, उसको ग्राम पंचायत बोरवास में टोडारायसिंह का एक नारायण सेठ है....

श्रीमती कमला : यह तो विशिष्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति को आज भी नहीं छोड़ा है। उसकी मां, केला देवी मीणा, ने एस० एच० ओ० को एक दरख्वास्त दी थी लेकिन उन्होंने उसकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की। आज तक उसको नहीं छोड़ा गया और न उसको मुक्त कराया गया। इससे ज्यादा, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।
श्री हेमाराम।

श्रीमती कमला : आप मुझे दे दीजिए, मैं जांच करके कार्यवाही करूंगी।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : एक प्रश्न, अध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : इन्होंने शिकायत की है वह प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह कैसे हो पायेगा, यह तो खुद ने शिकायत की है। उस व्यक्ति के, खिलाफ लिखित शिकायत है, उस पर आप प्रश्न पूछने की इजाजत देंगे। 5 आदमियों ने शिकायत कर दी और प्रश्न मैं पूछूंगा। इसको करिये, आप।

जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

337. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामलानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है, जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर द्वारा बढ़िया शिक्षा में लाखों रुपये के घोटाले की जाँच हेतु शिक्षा मन्त्री जी को जिले के पांच विधायकों ने मांग की थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(2) क्या उक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रौढ़ शिक्षा की राशि व शिक्षा सामग्री क्रय करने में किये गये घोटाले की जाच हेतु मेरे द्वारा शिक्षा मन्त्री जी को लिखा गया पत्र मिला? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(3) क्या यह भी सही है कि जन अभाव अभियोग एव सतर्कता समिति ने भी जिला शिक्षा अधिकारी के उक्त घोटालों के बारे में जाँच की? यदि हाँ, तो क्या जाँच रिपोर्ट में उक्त अधिकारी को दोषी पाया गया? यदि हाँ, तो उसके खिलाफ उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हाँ। चार विधायकों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर के विरुद्ध शिकायत 13–4–82 को प्राप्त हुई। इस शिकायत की जाँच करने हेतु उप निदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग, जोधपुर को 14–4–82 को आदेश दिये गये। उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर की जाँच रिपोर्ट राज्य सरकार को 13–9–82 को प्राप्त हो गई है। इस जाँच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

(2) जी हाँ। शिक्षा मन्त्री महोदय को लिखा गया एक पत्र प्राप्त हुआ था तथा उस पर जांच कराने के लिए 14 मई, 1982 को आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को निर्देश दिये गये। आयुक्त, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर को जाँच करने के आदेश दिये। उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जोधपुर की जाँच रिपोर्ट 13–9–82 को प्राप्त हो गयी। इस जाँच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

(3) जी हां। जिलाधीश, बाड़मेर ने जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच उप खण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण), बाड़मेर से करायी। यह जाँच रिपोर्ट जिलाधीश से दिनांक 10–9–1982 को प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को जो इतनी जाँच रिपोर्ट्स हैं वह सारी प्राप्त हो गयीं और प्राप्त हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक

(श्री हेमाराम चौधरी)

आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आप कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित होते हैं। जाच रिपोर्ट के अनुसार उसने क्या-क्या घोटाले किये हैं, सदन में आप यह तो बताने की कृपा करें।

श्री चन्दनमल बंद : अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट 10–9–1982 को और 13–9–1982 को प्राप्त हुई हैं; उन रिपोर्टों का अध्ययन किया जा रहा है कि जो आरोप लगाये गये हैं वह साबित होते हैं या नहीं, और उनको रूल 16 के तहत चार्जशीट देनी है या रूल 17 के तहत देनी है या नहीं देनी है, मेजर पनिशमेन्ट देना है या माइनर पनिशमेन्ट देना है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : माननीय विधायकों ने लिखकर शिकायत कब की और यह रिपोर्ट जाँच की आपको कब दी ?

श्री चन्दनमल बंद : अध्यक्ष महोदय, 4 विधायकों ने शिकायत 13–4–82 को दी थी और 14–4–1982 को हमने जांच के लिए लिख दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : और फिर आपने क्या कोशिश की, 4–5 महीने तक रिपोर्ट आती है....

श्री चन्दनमल बंद : टाइम तो लग सकता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप कई वर्षों से केबिनेट के अन्दर हैं। बाड़मेर जिले के पूरे 4–5 विधायक लिख-कर दें और 5 महीने में, चूँकि प्रश्न पूछा इसलिए आपके पास रिपोर्ट आ गयी....

श्री चन्दनमल बंद : जी नहीं। प्रश्न तो मेरे पास परसों आया है लेकिन रिपोर्ट तो मेरे पास 10–9–1982 को और 13–9–1982 को ही आ गयीं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको तो चाहिए था कि आप 15 दिन में, एक महीने के अन्दर रिपोर्ट मंगाते। डिप्टी डाइरेक्टर ने लिखा है तो इतनी कार्यवाही की लेकिन इतनी लेट क्यों हुई ?

श्री चन्दनमल बंद : मैंने डिपटी डाइ-रेक्टर को नहीं बल्कि निदेशक को लिखा था। निदेशक ने डिप्टी डाइरेक्टर को लिखा और उसने जांच की, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास आ गयी है। हो सकता है, दो महीने में आ जानी चाहिए थी, चार महीने में आ गयी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप सदन में मन्त्री हैं और आपको इस बारे में सदन में जवाब देना है। मेन बात तो यह है कि वह आदमी दोषी है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि विजिलेन्स कमेटी ने भूमि रूपान्तरण अधि-कारी को जांच के लिए नियुक्त किया, उसने जांच करके विजिलेन्स कमेटी में रिपोर्ट भेज दी। आपके पास जो रिपोर्ट है वह 10 तारीख को प्राप्त हुई, उसमें जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर को दोषी पाया गया है। उसने घोटाला किया है, आप उसको बचा रहे हैं जबकि यह रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है। जब आपको मालूम पड़ गया, विधायकों ने कोई शिकायत कर दी है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

विजिलैन्स कमेटी ने उस अधिकारी को दोषी पाया है उसके बावजूद न आप उसको सस्पेण्ड कर रहे हैं, न उसका वहां से ट्रान्सफर कर रहे हैं। उसको, भूमि रूपान्तर अधिकारी ने, विजिलैन्स कमेटी ने दोषी पाया कि उसने ऐसे घोटाले किये हैं। उसके बाद भी उसने कई ट्रान्सफर कर दिये हैं, नये ट्रान्सफर किये हैं जो कि टी. वी. के मरीज थे, जिनका सफाखाने में रहना जरूरी था, उनके 2–3 के आर्डर निकाले हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप शरण देकर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या भूमि रूपान्तरण अधिकारी गलत हैं? क्या केस साबित नहीं है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, किसी भी अधिकारी को बचाने का कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अगर गलत काम करने का या भ्रष्ट काम करने का आरोप पाया जायेगा तो उसको कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके दण्डित किया जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : जब इनका कचूमर निकल जाये उसके बाद करना, इसके पहले नहीं करना।

श्री चन्दनमल बैद : हर चीज के नियम बने हुए हैं। सी. सी. ए. रूल्स हैं। उनके अनुसार ही चार्ज शीट देनी पड़ती है, उनके अनुसार ही कोई कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी . मेरा निवेदन है कि बाड़मेर जिले में 5 विधायकों ने उसके विरुद्ध 13–3–82 को शिकायत की और उसकी जांच हुई तो आरोप साबित हुए। पता हो गया कि उसके खिलाफ गम्भीर आरोप हैं, लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। जान-बूझकर उसने हमारे से रंजिश निकालने के लिए सैंकड़ों अध्यापकों के स्थानान्तरण बिना आधार के किये हैं और ऐसी जगह फेंक रहा है जो आज बेचारे इधर-उधर घूम रहे हैं। इस तरह जिला शिक्षा अधिकारी जो 5 विधायकों को इस बात से चैलेन्ज करके....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वह जिला शिक्षा अधिकारी हम विधायकों के साथ दुश्मनी निकाल रहा है और वहीं पर काम कर रहा है।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : उनको प्रोत्साहित नहीं करें। 5–5 विधायकों ने ऐसे अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें की हैं। ट्रान्सफर कर दिये हैं। इस सवाल का जवाब देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मसला हमारी जिला परिषद् में भी आया था। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में और समाज सेवा की कमेटियों में भी यह मामला उठा था। सभी प्रधान, एम. एल ए. और एम. पी. ने यह मामला उठाया था। सभी लोग कह रहे हैं कि लाखों रुपयों का घोटाला किया गया है। उसने शिक्षा संस्थाओं के अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला किया है, यही नहीं हमारे लाखों रुपये सेंक्शन्ड हैं सरकार द्वारा....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : उसमें भी घोटाला किया है। जिले के पांच-पांच विधायकों ने लिख कर शिकायत की, उस पर जांच रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है फिर भी जांच रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि उनका ट्रांसफर करने से ही उनके खिलाफ कार्यवाही पूरी हो जाएगी तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसने जुर्म किया है उसको सजा दी जाये, उसको चार्ज-शीट दी जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य। श्री धाराराम।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर के खिलाफ हमने कुछ गम्भीर आरोपों को देखते हुए शिकायत की। उनको मालूम हुआ कि पांच विधायकों ने शिकायत की है और उनकी जांच रिपोर्ट मंत्री महोदय को भेजी गई है। तो, 28–8–82 को समदड़ी में जिला विद्यालयों का एक शिक्षा मेला लगा था, काफी अध्यापक समदड़ी में आए थे। और उस समय डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर भी समदड़ी आए थे। हम सब ने मिलकर डी. डी. साहब से निवेदन किया कि हमने इनके खिलाफ शिकायत की है और जाँच रिपोर्ट भी भिजवाई है। हमारे द्वारा शिकायत करने पर इन्होंने और ज्यादा ट्रांसफर्स मास्टरों के किये हैं। मेहरबानी करके उनको उचित स्थान पर लगा दें या उन ट्रांसफर्स को निरस्त कर दें या उनके ट्रांसफर्स उचित स्थानों पर कर दें। डी. डी. साहब ने भी जब अन्धाधुन्ध ट्रांसफर्स के बारे में सुना तो उन्होंने इन्स्पेक्टर साहब को जोरदार लताड़ा और कहा कि आपने इस तरह से ट्रांसफर्स क्यों किए। तो उसने कहा कि ये प्रशासनिक कारणों से कर दिये थे। इसके बावजूद भी उन्होंने 28–8–82 के बाद 31–8–82 को सैंकड़ों मास्टरों के ट्रांसफर, डी. डी. साहब के मना करने पर भी कर दिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 28–8–82 के बाद इन्होंने ट्रांसफर किये हैं, क्या वे निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि 28–8–82 के बाद में भी उन्होंने ट्रांसफर किये हैं तो मैं उनकी सूची मंगा कर देख लूंगा और कोई नाजायज ट्रांसफर होंगे तो उनको निरस्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्यों की शिकायत पर मंत्रीजी

(श्री सम्पतराम)
ने कहा कि कार्यवाही करूंगा। यह सारा मामला सामने आ गया है। हमारे यहां प्रत्येक जिले में विजिलेंस कमेटी बनी हुई है जिसमें जन प्रतिनिधि हैं, जिलाधीश उसके अध्यक्ष हैं। जब किसी अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस कमेटी के जरिये कोई इन्क्वायरी की गई है और उसमें उस अधिकारी को दोषी पाया गया है तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए वे आधारभूत फैक्ट्स नहीं होंगे? और क्या सरकार जांच कराने के बावजूद विभागीय प्रक्रिया के द्वारा दुबारा इन्क्वायरी करा रही है? तो दो संस्थायें कैसे इन्क्वायरी करेंगी?

श्री अध्यक्ष : यह तो कर लेंगे, मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सम्परामजी ने जिसका जिक्र किया है, जांच रिपोर्ट आने के बाद चार्ज-शीट तो देनी ही पड़ेगी। सजा देने के लिए चार्ज-शीट देनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहते हैं कि विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट क्या चार्ज-शीट का आधार बन सकती है?

श्री चन्दनमल बैद : रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित होता है तो चार्ज-सीट का आधार बन सकता है। प्रश्न यह है कि चार्ज-शीट कौन सी धारा में दी जाये, यह देखना पड़ेगा। इसके पहले क्या कार्यवाही करनी है, यह भी देखना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : मान लीजिए, किसी ने शिकायत की और वह रिपोर्ट में आ गया, वह एक्शन लेने का आधार बन सकता था, फिर आपको विभागीय इन्क्वायरी करने में क्या तकलीफ है?

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास जब शिकायत आई माननीय सदस्यों की, तो मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं उसकी जांच कराता।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या आप उसको वहां से हटायेंगे? वह तो हमारी शिकायत के बावजूद गलत कार्यवाहियां कर रहा है, फिर करेगा....

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न ले लिया है, माननीय सदस्य। श्री नाथूसिंह।

पंचायत समिति, बांदीकुई के अन्तर्गत एकीकृत ग्रामीण विकास योजना से सम्बद्ध गतिविधियाँ

338. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, बांदीकुई जिला जयपुर को इस वर्ष कितनी राशि प्रदान की गई थी?

(2) क्या इस राशि का वितरण किया

(श्री नाथूसिंह)
जा चुका है ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस राशि में से कुल कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई है ?

(4) क्या इस योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं व अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) :.(1) पंचायत समिति बांदीकुई को वर्ष 1981-82 में 6.00 लाख रुपये अनुदान राशि वितरण का प्रावधान था, किसी जिला विकास अभिकरण द्वारा अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की जाती है ।

(2) वर्ष 1981-82 में पंचायत समिति, बांदीकुई में 12.88 लाख रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया गया है । यह 991 परिवारों को दी गई जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) यह समस्त राशि अनुदान की ही है । इसके अतिरिक्त 17.56 लाख रु. ऋण बैंक से उपलब्ध कराया गया ।

(4) इस सम्बन्ध में एक शिकायत श्री कमलसिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत गुढ़ालिया को 24/8 को प्राप्त हुई । इसके लिए जांच अधिकारी अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) को नियुक्त किया गया था और इन्होंने प्राथमिक जांच की है । गुढाकटला बैंक में जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक द्वारा छः व्यक्तियों को जो अनुदान दिया गया था, गलत था । अतः जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर के खाते में वापस अनुदान जमा कर दिया गया है । विस्तृत जांच जारी है ।

सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी तथा बाकी के ऋण वितरण की भी जांच कराई जा रही है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि कुल मिला कर 16-17 लाख का वहां पर घोटाला हुआ । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी है उसके अनुसार करीब 6-7 लाख केवल अनुदान में दिया गया है । अलग-अलग फेजेज में रुपया बांटा गया है....

श्रीमती कमला : मैंने यह कहा है कि 12·88 लाख रुपया है वह अनुदान का है ।

श्री नाथूसिंह : वही बता रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, यह अनुदान का रुपया उसमें नहीं है । जो अनुदान बांटा गया उसमें कितना घोटाला किया गया है, यह मैं आपको बता रहा हूं । उन्होंने कहा कि केवल छः आदमियों को गलत अनुदान बांटा गया । यह भी उन्होंने कहा कि 24/8 को शिकायतें जिलाधीश महोदय और ए. डी. एम. (डवलपमेंट) को की गई । मंत्री महोदय

(श्री नाथूसिंह)

ने जिन ए. डी. एम. (विकास) का नाम लिया है वे भी इस केस में शामिल हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कितना घोटाला हुआ है। यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसे और भी कितने घोटाले हुए हैं। जो ऋण दिया जाता है उसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। उस प्रक्रिया के अनुसार उस व्यक्ति का फिजिकल वेरीफिकेशन करना होता है। जिसको ऋण दिया जाता है उस व्यक्ति को जब ऋण दे दिया जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि, जैसे उसको पशु खरीदने के लिए ऋण दिया तो उसने पशु खरीदे या नहीं : उनका बीमा कराया जाता है। यह ऋण देना जिन-जिन व्यक्तियों के लिए दिखाया गया है....

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगी कि आप मुझ से यह पूछिये कि जिनको ऋण दिया गया है वे मौजूद हैं या नहीं। मैंने आपको निश्चित बात कही है।

श्री नाथूसिंह : मैंने प्रक्रिया बताई है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय से कि जैसे रामलाल पुत्र काल्या को चार हजार रुपऐ दिये हुए हैं लेकिन यह आदमी मौजूद ही नहीं है। इसी तरह से कल्याणसिंह पुत्र पोथा, रेवदडिया को चार हजार रुपया दिया हुआ बताया है, वह व्यक्ति इस गांव में ही नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : आपके ढाणियों में होंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, ढाणियां उस इलाके में हैं ही नहीं। इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जो भूमिहीन, लघु कृषक, सीमान्त कृषक हैं, उनको ऋण दिया जाता है। एक मोतीलाल सन आफ मूलचन्द, महाजन, अरनिया हैं। गरीबी की रेखा के नीचे इनको ले रखा है, यह महाजन एक सरपंच हैं और इनका लाखों का बिजनेस है। इनको भी गरीबी की रेखा के नीचे ले रखा है। अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक नाम इसलिये बता रहा हूं कि उस अनुदान राशि में 60 प्रतिशत अनुदान दिया ही नहीं गया है, 60 प्रतिशत खा गये। आप जांच करा लें। श्री भौंरीलाल सन आफ किशनलाल–गुढ़ाकटला के हैं। यह सर्विस में हैं, इनके तीन लड़के हैं जो सर्विस में हैं। यह कौन सी गरीबी की रेखा के नीचे हैं? सुवालाल सन आफ जौहरी ब्राह्मण, गुढ़ालिया आर. एस. ई. बी. में नौकर हैं, आप पता कर लीजिये। सुवालाल सन आफ पांचूराम शर्मा, ढोलका यह भी आर. एस. ई. बी. में नौकर हैं बांदीकुई में। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास लिस्ट है, दो व्यक्तियों को डबल लोन दिया गया है। जिन....

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते हैं। माननीय सदस्य, जिन व्यक्तियों को गलत तरीके से लोन वितरित किया गया है, कृपया मंत्री महोदय को सूची दे दें, वह उस पर जांच करवा देंगी।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्य का बहुत आभार मानती हूं कि वे कुछ ऐसे केसेज नोटिस में लाये हैं जो या तो सूची में नहीं हैं या पावर्टी लाइन की परिभाषा में नहीं आते हैं, या जिनको मिला नहीं है दूसरे को मिल गया, या जो मौजूद ही नहीं

(श्रीमती कमला)

है। यह बहुत अच्छा है। मैंने, अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों को एक किताब वितरित की है जिसमें उनसे यह अपेक्षा की है कि इस तरह की कहीं कोई गलतियां या अनियमितताएं हो रही हैं तो आप हमारे नोटिस में लाइये, हम जरूर उस पर कार्यवाही करेंगे। मैंने विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से एक पुस्तिका तैयार करवाकर दी है, विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी वितरित की है। मैं चाहूंगी, जो सूचना आप दे रहे हैं वह तो दे दीजिये बाकी पूरी सूची की मैं विस्तृत जांच करा लूंगी। किन-किन व्यक्तियों को सही मिला है या गलत मिला है, किसको मिला है, कौन मौजूद है, वह सूची आप मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मालाराम। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री नाथूसिंह : आप जांच करा रही हैं ए. डी. एम. से, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ए. डी. एम. स्वयं इस मामले में इनवाल्व्ड हैं।

श्रीमती कमला : उनका तो ट्रांसफर हो गया। दूसरे आ गये।

श्री नाथूसिंह : मैं चाहूंगा, उच्च स्तरीय एजेन्सी से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायें।

श्रीमती कमला : ए. डी. एम. का नेक्स्ट आफिसर प्रोजेक्ट आफिसर, विकास होता है। पुराने वाले मिले हुए हो सकते हैं, अब तो नये आये हैं। उनके मिले हुए होने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह भी....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

बैठ जायं। कृपया, बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : आप यहां पर उदाहरण न दें, मुझे दे दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, मैं अगला प्रश्न पुकार रहा हूं।

श्री मालाराम, श्री कैलाश मेघवाल।

नगरपालिका पीपाड़ शहर के अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें

339. श्री मालाराम (खेतड़ी) एवं श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका पीपाड़ शहर से निर्वाचित बोर्ड के कार्य प्रारम्भ कर देने के बाद से अध्यक्ष एवं विभिन्न कमेटियों के आदेशों की पालना नहीं करने की अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन

(श्री मालाराम)

शिकायतों में राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने की घटनाओं का भी उल्लेख है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन शिकायतों में जान-बूझकर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार करके नगरपालिका की आय को हानि पहुंचाने की घटनाओं का भी उल्लेख है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कर्त्तव्य विमुखता एवं हैडक्वार्टर से अकारण बिना अवकाश लिये बाहर चलेजाने की शिकायतें भी हैं ?

(5) यदि हां, तो कृपया समय समय पर की गई शिकायतों की प्रतियां मय उन पर की गई कार्यवाही विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री श्रीराम गोटेवाला) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। इनकी जांच क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जोधपुर द्वारा कराई जा रही है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जांच करा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जहां पर विरोध पक्ष के व्यक्ति नगरपालिकाओं के चेयरमैन हैं वहां पर क्या उनकी शिकायतें हैं, क्या उनकी असुविधाएं हैं, क्या समस्याएं प्रशासनिक अधिकारी पैदा करते हैं, उनके बारे में राज्य सरकार की नीति क्या है ? यह स्पष्ट करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने जी हां, जी हां, कहा। आपने पूछा यह शिकायतें आईं, मैंने कहा, जी हां। जहां तक नियम का ताल्लुक है, मैं समझता हूं, जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, उनके लिये न विरोध पक्ष है न सरकारी पक्ष। उसमें जो भी चेयरमैन बनता है, अधिशासी अधिकारी का दायित्व है कि नियमानुसार उनके आदेशों की पालना करें। जहां इस प्रकार की शिकायतें आती हैं उनकी मैं जांच करवाता हूं। जांच करने पर यदि ऐसी कोई अनियमितता हुई हो जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, उसमें पॉलिसी का सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो कमेटियां बनी हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, जान बूझकर

(18)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
ऐसा करते हैं ताकि नगरपालिकाएं नहीं चल पायें। जब उनको....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कृपया, बैठ जायं। स्थगित 6 प्रश्न हैं। आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। स्थगित प्रश्न लिये जा रहे हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 एवं 14 सितम्बर, 1982)

राजस्थान नहर पर बंधुआ मजदूर

4. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या कृषि (विशिष्ट) योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर पर ठेकेदारों द्वारा बन्धुआ मजदूरों को लगाया गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त बंधुआ मजदूरों की कितनी संख्या है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बंधुआ मजदूर ब्यावर, पुष्करगंज से भी लाकर बीकानेर के ठेकेदार श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री सन्तसिंह शेखावत ने बन्दी बनाये थे ? यदि हां, तो उसके कब्जे से बन्धुआ मजदूरों को कब तक मुक्ति दिलाई जावेगी ?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(2) जी नहीं। जब श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री सन्त सिंह शेखावत ठेकेदार के पास ब्यावर व पुष्करगंज के कोई श्रमिक राजस्थान परियोजना में कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके बन्धुआ श्रमिक होने अथवा उनकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि ब्यावर से धोखे से नौकरी के बहाने ले जाकर उसको बन्धुआ मजदूर बना रखा था ? मैं नाम बताना चाहता हूँ, नोट करिए। वह अपनी जान बचाकर भाग कर आया है। पुलिस की मदद से जान बचाई है। उसकी मां बीकानेर गई है। राधेश्याम डालूजी, रामस्वरूप चूनपचा सन आफ चम्पालाल को उम्मेदसिंह धिस्सा मारकर "तेरे को नौकरी दिलाता हूं" ले गया। उसने कहा, मैं नौकरी छोड़ूंगा। उसने कहा, नहीं छोड़ेगा। माली जाति का है वह। क्या वह बन्धुआ मजदूर बन जाये ? इसके अपने खेत हैं ब्यावर में। इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। उसके पिता फुलेरा में रेलवे कर्मचारी हैं। उन्होंने पत्र लिखा उसको छोड़ दें, यह रह नहीं सकता है। जो खुद किसान हैं, खेती करने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप कहते हैं बन्धुआ मजदूर नहीं है....

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य, उत्तर आने दें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो केस माननीय सदस्य रेफर कर

(श्रीमती कमला)

रहे हैं यह बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में नहीं आता है। बन्धुआ मजदूर उसको माना जाता है जिसके मां बाप ने उधार ले लिया और उसके पेटे उसके बेटे किसी के घर में काम करने जा रहे हों। यह तो वह नौकरी लगना चाहता होगा वह चला गया। जिस दिन मर्जी नहीं आई, उसने चाहा लौट कर चला जाय। अब उसको मारा पीटा यह केस बतायेंगे तो पता लगायेंगे लेकिन बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। श्री कनकराज मेहता।

(दिनांक 6 सितम्बर, 1982)

जीरे पर विक्रय कर

32. श्री कनक राज मेहता (सांचौर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य से बाहर जाने वाले जीरे पर 8 प्र० श० विक्रय कर की वसूली कौन सी तारिख से आरम्भ की गई व कौन सी तारीख को बन्द की गई ?

(2) उक्त कर की राशि काश्तकारों से कितनी वसूल की गई ? क्या ऐसी वसूली उचित थी ? नहीं, किस दर से वसूली की जानी चाहिए थी ?

(3) क्या सरकार दर से अधिक वसूलशुदा राशि काश्तकारों को लौटाने का इरादा रखती है ? नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक राशि लौटा दी जायेगी ?

(4) जिला जालौर में जीरे के राज्य से बाहर जाने से वर्तमान 4 प्र० श० कर से काश्तकारों से कितनी व व्यापारियों से कितनी वसूली हुई ?

(5) क्या सरकार इस सिद्धान्त से सहमत है कि जीरे पर लगाया गया कर व्यापारियों पर ही होना चाहिए न कि उत्पादकों पर ? यदि हां, तो क्या काश्तकारों पर लगा कर सरकार वापस लेने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(2) काश्तकारों से वसूली नहीं की जाती थी।

(3) जी हां।

(4) सूचना तैयार की जा रही है।

(5) काश्तकारों पर कर नहीं है।

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जैसा उन्होंने कहा कि 8 प्र० श० नहीं है। मैंने 4-5-82 को सूचित किया था कि वास्तव में काश्तकारों से टैक्स लिया जा रहा है। चार महीने तो हो गये मेरे क्षेत्र में जिस प्रकार अनधिकृत वसूलियां की जाती हैं....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य !, आपने इसका हवाला नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर आ जाय तो उनको क्या कठिनाई है। कौन सी तारीख से वसूली आरम्भ की गई और कौन सी तारीख से बन्द की गई ? या तो बता दें कि लागू ही नहीं किया गया और लागू किया गया तो कौन सी तारीख से किया गया ? इसका उत्तर आना चाहिए और काश्तकारों से कितनी राशि वसूल की गई है इसका भी उत्तर दिलवावें।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने उत्तर दिया है किन लोगों से 8 प्र० श० और किन लोगों से 4 प्र० श० वसूली की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : जिन काश्तकारों से वसूल कर लिया गया है उनको वापस लौटाया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य से बाहर जाने वाले जीरे पर 8 प्र० श० कर की वसूली कौन सी तारीख से आरम्भ की गई और कौन सी तारीख को बन्द की गई ?

श्री चन्दनमल बैद : 8 प्र० श० का तो कर ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से गलती से 8 प्र. श. वसूली कर ली गई है तो इसकी जानकारी कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लागू किया गया या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : 4 प्र. श. लागू किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन सी तारीख से ?

श्री अध्यक्ष : 8 प्र. श. तो शुरू ही नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माफ करना, अगर लगा दिया है तो भी He is not sure.

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह कहा है कि 4 प्र. श. कर और चोरी की पेनल्टी 4 प्र. श. लगाई गई है। यह अगर व्यापारी पर लगाया गया है तो वापस देने की कोई बात नहीं और अगर किसानों पर लगाया गया है तो वापस देंगे, पेनल्टी भी और टैक्स भी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार बैरवा, 56 (दिनांक 7 सितम्बर, 1982)

वाणिज्य विषय के अध्यापक

59. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न विद्यालयों में वाणिज्य विषय के अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की ?

(2) यदि हां, तो छात्रों के हित में सरकार इस कमी की पूर्ति किस प्रकार करने जा रही है और कब तक ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हंसराज शर्मा। 50। कोई जरूरी नहीं कि हरेक में पूरक प्रश्न पूछे जायें।

Page No 21

(दिनांक 7 सितम्बर, 1982)

सहकारी विभाग में नियुक्तियां

[50. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष मार्च, 1981 से मार्च, 1982 तक सहकारी विभाग में नये कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो किस-किस जिले में किस-किस स्थान पर कुल कितने आदमी नये लगाये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि नई नियुक्तियों पर सरकार का प्रतिबन्ध लगा हुआ था? यदि हां, तो क्या सहकारी विभाग पर यह प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं था? यदि प्रभावी था, तो उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन क्यों किया गया?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व नियोजन कार्यालय से सूची प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हां, तो सहकारी संस्थाओं में सन् 1981 व 1982 में जो नियुक्तियां हुईं वे नियोजन कार्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर हुईं या नहीं?

राज्य मन्त्री, सिचाई (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): (1) जी हां। 177 व्यक्तियों की नई नियुक्ति की गई थी। जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जी हां। नई नियुक्तियों पर सरकार का प्रतिबन्ध, आवश्यक। अस्थाई नियुक्ति व पदोन्नति के लिए दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त, लगा हुआ था। जो सहकारी विभाग पर भी प्रभावी था। उक्त निर्देशों के अन्तर्गत ही नियमों में दी गई प्रणाली के अनुसार नियुक्तियां की गई हैं।

(3) जी हां। सहकारी संस्थाओं में वर्ष 81-82 में जो नियुक्तियां हुई हैं वे नियोजन कार्यालय से प्राप्त सूचियों के आधार पर तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर योग्य प्रत्याशियों का चयन किया जाकर की गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हंसराज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, आपने जो नियुक्तियां कीं, उनमें 21 सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत विकलांगों और अनुसूचित जाति व जनजाति का कुछ प्रतिशत लेना अनिवार्य होगा। क्या उनमें 20 प्र. श. लिये गये हैं?

श्री गोविन्दसिंह (गुर्जर): अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूची दी है, उससे स्पष्ट है कि तदर्थ नियुक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति की 7 प्र. श. और विकलांगों की 3 प्र. श. की गई है और पेन्शन प्राप्त सैनिकों के आश्रितों की 4 प्र. श. की गई है।

श्री हंसराज शर्मा: नियुक्तियों में अनुसूचित जाति व जनजातियों और विकलांगों का कुछ प्र. श. लेना था उसके आधार पर लिए हैं? यह आपने स्वयं ने....

श्री अध्यक्ष: आप सूची देख कर यह बात कह रहे हैं, मूल प्रश्न पूछा नहीं है। आर्डर प्लीज। रिजर्वेशन के बारे में आपका इरादा होगा, तो पहले प्रश्न में कर लेते और साथ में यह भी कह दिया जा सकता था कि उस योग्यता के लेते। उपलब्ध होते हुए भी अवहेलना की गई, इसलिए जो सीधे प्रश्न में से पूरक प्रश्न निकलता हो....

श्री कैलाश मेघवाल : आपने जो टाइम कैडर में सहकारिता निरीक्षक ग्रेड II में नियुक्तियां की हैं....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : ये 113 निरीक्षक, ग्रेड II में नियुक्त किये गये हैं। यह नियुक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग और कार्मिक विभाग द्वारा की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूसिंह। 197।

(दिनांक 13 सितम्बर, 1982)

राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि

197. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980 में अब तक राज्य सरकार को केन्द्र सरकार व अन्य स्रोतों द्वारा अनुदान, सहायता एवं अन्य मदों में कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई?

(2) उनमें से कितनी राशि का किस-किस मद में किस-किस प्रकार अब तक उपयोग किया जा चुका है व कितनी राशि शेष है?

(3) गत वर्ष जयपुर में आयी बाढ़ से हुए नुकसान को ठीक करने हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी? क्या वह राशि पूर्ण रूपेण खर्च की जा चुकी है? उसमें कुल कितना कार्य किया गया है?

(4) क्या लक्ष्य के अनुसार जयपुर में सारे कार्य पूरे हो चुके हैं?

वित्तमंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को एक महीने के लिए स्थगित करने के लिए निवेदन किया था 10 तारीख को, क्योंकि विभागों से सूचना मंगवानी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। आर्डर प्लीज। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

(दिनांक 15 सितम्बर, 1982)

राजस्थान नहर क्षेत्र में खालों के निर्माण में त्रुटि

243. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में खालों के गलत निर्माण के कारण किसानों से खालों की कीमत वसूली स्थगित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि किसानों की इच्छा के विपरीत खालों का गलत निर्माण किया गया जिससे खेतों में पानी नहीं जाता परन्तु किसानों से उन खालों का मूल्य वसूल किया गया है और किया जा रहा है?

(3) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करवा कर किसानों को इस अन्याय से मुक्त करायेगी?

(4) क्या यह सही है कि विभागीय जांच के अनुसार 34 खालें दोषपूर्ण बने हैं और उनसे खेतों में पानी नहीं जा सकता?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। माह अगस्त, 1982 में।

(2) जी नहीं। किसानों से उन्हीं खालों की लागत वसूल की जाती है तथा की जा

(श्रीमती कमला)

रही है जहां कार्य पूर्ण हो चुका है। जिन खालों का कार्य दोषयुक्त होता है उन्हें पूर्ण नहीं माना जाता।

(3) जी हां इस सम्बन्ध में क्षेत्रवार निष्पक्ष जांच समितियों का गठन कर दिया गया है जिसके संयोजक जिला विस्तार अधिकारी हैं एवं सदस्य सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं सम्बन्धित सरपंच हैं।

(4) 17 खालों में बड़ी और 197 में सामान्य खामी पाई गई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इस प्रकार की शिकायतें आपके पास आती हैं, उन शिकायतों को दूर करने की कोई समयावधि आपने तय की है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में इस बारे में बहुत शिकायतें अधिकारियों के पास भी और हमारे पास भी आई उनके सम्बन्ध में जो मुख्य अभियन्ता आर० सी० पी०, बीकानेर हैं उन्होंने जांच का कार्य प्रारम्भ किया। हमारे पास जो शिकायतें आई उनको भी हमने उन्हें भेजा। अप्रेल, 1982 में उन्होंने तमाम एप्लीकेशन की जांच प्रारम्भ की। शिकायतें जो आई, 704 कुल उस समय आई उनमें से 504 शिकायतें अलग-अलग जगह की प्राप्त हुई। उनमें से कुछ शिकायतें ऐसी थीं जो सामान्य रिपेयर या मेन्टेनेन्स से सम्बन्धित थीं, 318 ऐसी शिकायतें थी। विभाग द्वारा, जैसे ही शिकायतें आई जांच हुई, तुरन्त देखकर उनकी मेन्टेनेन्स, रिपेयर वगैरह कर दी गई। अब तक जो जांच की गई है उसके हिसाब से 184 खालों में मेजर खराबियां हैं जिनमें से 17 में बड़ी खराबियां हैं और 167 में कुछ सामान्य खराबियां है। इनके बाबत में जब अभी मन्त्री मण्डल राजस्थान नहर पर गया था तो उसने इन तमाम मामलों को डिस्कस किया और उसके बाद निर्णय लिया गया कि इन खालों के बारे में अक्टूबर तक मुख्य अभियन्ता पूरी जांच-पड़ताल करलें कि वास्तव में कितने ऐसे खाले हैं जिनको दुबारा बनाना जरूरी होगा, कितने ऐसे हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट्स हैं जिनको सही करना जरूरी है और उनके ऊपर कितनी धनराशि लगेगी। यह धनराशि काश्तकार से न लेकर राज्य सरकार देगी जिससे कि यह कार्य सम्पादित किया जा सके। अक्टूबर में यह जांच पूरी हो जायेगी। अब तक जो जांच रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्थिति मैंने बताई है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो अधिकारी यह लिख कर दे दें कि शिकायतें हैं ही नहीं। मेरे पास यह आयुक्त क्षेत्रीय विभाग, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर का पत्र है, उन्होंने स्वीकार किया है कि खालों में बहुत बड़ी गलतियां हैं। यह 15-7-1982 का है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिकायत नहीं आ रही हैं इस कारण वहां इस प्रकार से वसूली हो रही है। खालों की वसूली हो रही है क्या मन्त्री महोदय खालों की वसूली रूकवायेंगी और इनके पेटे जो उधार लिया गया....

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, 21-9-1982 की जो लेटेस्ट पोजीशन है

(श्रीमती कमला)
वह मैं बता रही हूं। उसके मुताबिक जो कार्यवाही अपेक्षित है, वह हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी इण्डिविजुअल केस में ऐसा लगेगा कि खाला पूर्व नहीं है, डिफेक्टिव है और उसको रिकवरी का नोटिस आ गया है तो उसको हम व्यक्तिशः देख सकते हैं और रिकवरी रोकी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर कृपया, अन्य किसी माध्यम से उठावें। आर्डर प्लीज। कृपया, बिराज जायें। समय न लें। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : केवल एक प्रश्न

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर। समय ले रहे हैं। आसन पैरों पर है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप उससे वसूली कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें।

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठ जाय। प्रश्न काल समाप्त हो गया। कृपया, बैठ जाय इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठावें।

श्री देवीसिंह भाटी : अन्य कौन-सा तरीका है?

श्री अध्यक्ष : कई तरीके हैं। कृपया, बैठ जाय।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी (बाड़मेर) की प्राथमिक शालायें

350. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बाड़मेर की पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं सिणधरी क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओं में छात्र संख्या एवं अध्यापकों की संख्या क्या-क्या है? कृपया स्कूल वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में उक्त पाठशालाओं में अध्यापकों की संख्या कम है? यदि हां, तो कितनी कितनी?

(3) क्या राज्य सरकार अध्यापकों की इस कमी को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

(4) क्या राज्य सरकार ट्राइबल एरिया की तरह रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती जिले बाड़मेर के लिए अध्यापकों के पद 40 छात्र पर एक के बजाय 20 छात्र पर एक अध्यापक एवं प्रत्येक पाठशाला में कम से

(श्री हेमाराम चौधरी)
कम एक अध्यापक के पद की स्वीकृति पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 30–9–81 की स्थिति अनुसार पंचायत समिति सिणधारी में स्वीकृत 80 प्राथमिक शालायें हैं जिनमें 4464 छात्र अध्ययन कर रहे थे। इन पाठशालाओं के लिये 93 अध्यापकों के पद स्वीकृत है। स्कूल वार सूचना एकत्र की जा रही है।

(2) पंचायत समिति धोरीमन्ना में 93 स्वीकृत प्राथमिक शालायें हैं। जिनमें 4858 छात्र अध्ययन कर रहे थे। इन पाठशालाओं के लिए 106 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। स्कूल वार सूचना एकत्रित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 1:49 के माप दण्ड से पंचायत समिति सिणधरी में 41 एवं धोरीमन्ना में 33 अध्यापकों के पद कम हैं।

(3) राज्य सरकार के निर्णयानुसार शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के अतिरिक्त नवीन पद सृजित किये जा रहे हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर अतिरिक्त अध्यापकों के पदों का आवंटन कर दिया जावेगा।

(4) एक पाठशाला में कम से कम एक अध्यापक का पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। 20 छात्रों पर एक अध्यापक देने का प्रश्न विचारधीन नहीं है। 1·49 के मापदण्ड से भी 30-9-81 की छात्र संख्या के आधार पर राज्य में लगभग 5500 अध्यापकों की कमी है। फिलहाल इस कमी की पूर्ति करने की ओर ही राज्य सरकार का ध्यान है। राज्य के वित्तीय साधनों को देखते हुए 20 छात्रों पर एक अध्यापक देना संभव नहीं है।

राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं में अध्यापक

351. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं में सुयोग्य अध्यापकों के अभाव में वहां का शिक्षा स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पद स्थापित किये जाने के उपरांत भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य अध्यापक जाना पसन्द नहीं करते जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालायें प्रायः बन्द के समान हो चुकी हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं और इन में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कुछ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उनकी नई नियुक्ति है तो निरस्त करदी जाती है और वरिष्ठतानुसार आगे वाले अध्यापकों की नियुक्ति दे दी जाती हैं। यदि वह विभागीय कार्यरत अध्यापक हो तो, उनको भेजने के प्रयास किये जाते हैं तथा यह प्रयास किये जाते हैं कि पाठशाला बन्द न हो।

ग्रामीण क्षेत्रों की शालाओं में बहुद्देश्यीय विषय

352. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक पाठशालाओं में सभी संकाय के विषयों की शिक्षा का अभाव होने से वहां के विद्यार्थियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की पाठशालाओं में सभी संकायों जैसे विज्ञान, जीव विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, कला के विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसमें कितनी धन राशि व्यय होगी और कितने अध्यापकों की और नियुक्ति करनी पड़ेगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में सभी संकायों के विषय पढ़ाये जाना सम्भव नहीं है। विद्यालयों में संकाय आवश्यकता तथा वित्तीय साधनों की उपलब्धि को ध्यान में रख कर खोले जाते हैं।

(2) सन् 1982-83 में राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों में 200 नये विषय खोलने का निर्णय लिया है। व्यय का अनुमान तैयार किया जा रहा है।

राज्य के पशु चिकित्सा केन्द्र

358. श्री भगवानदास डोसी (चौहटन) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कुल कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं ? जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राज्य में 357 पशु चिकित्सालय 210 पशु औषधालय एवं 120 पशु स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं, जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राज्य के कन्या विद्यालय

354. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कन्या पाठशालाओं की संख्या क्या है और उनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठशालायें कितनी कितनी हैं ?

(2) उक्त पाठशालाओं में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की पाठशालाओं का अनुपात क्या है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में कन्या पाठशालाओं की संख्या 1998 हैं, जिनमें से 1032 प्राथमिक, 608 उच्च प्राथमिक, 276 माध्यमिक व 82 उच्च माध्यमिक पाठशालायें हैं।

(2) शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को पाठशालाओं में 1:1.4 का अनुपात है।

तहसील सांगानेर व चाकसू (जयपुर) में नवीन विषय के स्कूल

355. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में सांगानेर व चाकसू तहसील में कितने नये विषय, नये सैक्सन (विषयवार) और नये स्कूल कौन-कौनसे स्तर के कहां-कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राजकीय स्कूल, लूनियावास, तहसील सांगानेर को क्रमोन्नत करने की मांग वर्ष 1980 से निरन्तर चली आ रही है ? क्या क्षेत्र लूनियावास मांडा योजना के अन्तर्गत भी है ?

(3) यदि हां, तो उक्त स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं और इसे अब कब तक क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सांगानेर व चाकसू पंचायत समिति में 80-81, 81-82 तथा 82-83 में जितने नये विषय खोले गये और नये विद्यालय स्वीकृत किये उनकी सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(2) जी हां।

(3) नये माध्यमिक विद्यालय खोलते समय राज्य सरकार छात्र संख्या, भवन की उपलब्धता, स्थानीय मांग तथा विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर निर्णय लेती है। सत्र 1982-83 में राज्य सरकार का कोई भी नया माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर व्यय

356. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ और इसका क्या प्रयोजन है ?

(2) इस कार्यक्रम पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय हो रहा है तथा इसकी उपलब्धि लक्ष्यों की तुलना में कितने प्रतिशत रही ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम व्यापक रूप से 2 अक्टूबर, 1978 से शुरू हुआ।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के निम्न प्रयोजन हैं :—

(क) सामाजिक चेतना अर्थात् अज्ञानता, शोषण एवं रूढ़िवादिता के विरुद्ध जागरुकता उत्पन्न करना।

Page No 28

(शिक्षा मंत्री)

(ख) परिवार के लिए सह आर्थिक आधार पर स्रोत तैयार करना ।

(ग) विकास की प्रक्रियाओं में भागीदार बनना ।

(घ) लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान ।

(च) उपयोगी नागरिकता का निर्माण ।

(छ) आत्मनिर्भरता का बोध ।

(ज) क्रियात्मक साक्षरता एवं अंकगणित का बोध ।

(2) प्रौढ़ शिक्षा पर वर्ष वार व्यय :--

सन् 1979–80	84.05 लाख
सन् 1980–81	90.33 लाख
सन् 1981–82	108.37 लाख

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में उपलब्धि—

(क) वर्ष 1979–80 में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से स्वीकृत केन्द्रों की लक्ष्य प्राप्ति 91.15 प्रतिशत रही। केन्द्रों में नामांकन की लक्ष्य प्राप्ति 83.18 रही ।

(ख) वर्ष 1980–81 में स्वीकृत केन्द्रों की लक्ष्य प्राप्ति 82.37 प्रतिशत रही । नामांकन की लक्ष्य प्राप्ति 74.28 प्रतिशत रही ।

(ग) वर्ष 1981–82 में स्वीकृत केन्द्रों की लक्ष्य प्राप्ति 89.52 प्रतिशत रही । नामांकन की लक्ष्य प्राप्ति 79.46 प्रतिशत रही ।

तहसील सांगानेर एवं चाकसू में विभिन्न विद्यालय

358. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर की सांगानेर व चाकसू तहसीलों में कितने-कितने प्राइमरी, मिडिल, सैकेन्ड्री एवं हायर सैकण्ड्री स्कूल हैं ?

(2) उक्त स्कूलों में से कितने सरकारी भवन में चल रहे हैं और कितने किराये के भवनों में ? किराये के भवन में चलने वाले स्कूल का किराया सरकार द्वारा कितना-कितना दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सांगानेर व चाकसू तहसील में विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार हैं :—

विद्यालय	सांगानेर	चाकसू	योग
प्राथमिक	87	87	174
उ०प्रा० विद्यालय	20	16	36
माध्यमिक	6	8	14
उ०मा० विद्यालय	2	—	—

(2) निम्नलिखित विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं :—

क्रम सं०	विद्यालय का नाम	किराया
(1)	राज. प्रा. वि. सांगानेर	75/- रु. प्रति माह
(2)	राज. बालिका उ० प्रा० वि० सांगानेर	35/- रु. प्रति माह

(शिक्षा मंत्री)

(3) (i)	रा० बालिका मा० वि० चाकसू	180/- रु. प्रति माह
(ii)	रा० बालिका उ० प्रा० वि० चाकसू	,,
(4)	राज० बालिका उ० प्रा० वि० वाटिका	420/- रु. वार्षिक

शेष सभी विद्यालय राजकीय भवनों व जन सहयोग से बनवाये गये भवनों में चलते हैं।

राज्य के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में आयोग/समिति का गठन

359. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अब तक कितने आयोग या समिति का कब-कब गठन किया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उन आयोगों ने अपनी रिपोर्टस् सरकार को कब-कब प्रस्तुत की? कृपया रिपोर्टस् की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इन रिपोर्टस् में की गई सिफारिशों को लागू किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इनको लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 1972 से वर्ष 1980 के मध्य में राजस्थान में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित गठित जांच आयोगों एवं राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) (क) जांच आयोग की रिपोर्टस् निम्न प्रकार से प्राप्त हुई।

(अ) राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जगत नारायण रिपोर्ट जनवरी, 1970 में प्राप्त हुई।

(ब) जोधपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित गट्टानी कमीशन की रिपोर्ट सितम्बर, 1976 में प्राप्त हुई।

(स) उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एस. सी. सिंह आयोग की रिपोर्ट जून, 1976 में प्राप्त हुई।

(द) श्री गोपाललाल शर्मा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति, जोकि जोधपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है, की रिपोर्ट अभी तक अपेक्षित है।

(अ) (ब) व (स) पर अंकित आयोगों की रिपोर्ट की प्रतियां व चित्र, विधान सभा को विधान सभा पुस्तकालय में रखने हेतु भेज दी गई हैं।

(ख) उच्च शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित समितियां राज्य सरकार द्वारा गठित की गई हैं :—

(1) मंडल समिति—मई, 1971 में रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(2) श्रीमाली समिति—जून, 1974 में रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(3) माथुर समिति—अक्टूबर, 1980 में रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(3) इन जांच आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कार्य-

(शिक्षा मंत्री)

वाही की जा रही है तथा समितियों की सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य की विभिन्न शिक्षण संस्थायें

360 श्री भगवानदास डोसी(चौहटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश में कुल कितनी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थाएं हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

प्रदेश में कुल 22480 प्राथमिक, 5197 उच्च प्राथमिक, 1977 माध्यमिक एवं 505 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इनकी जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)।

राजकीय माणिक्य लाल वर्मा कॉलेज, भीलवाड़ा

361. **श्री बन्सीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार भीलवाड़ा राजकीय माणिक्य लाल वर्मा कालेज में साइन्स के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एक और नया सेक्शन खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या राज्य सरकार भीलवाड़ा के महिला महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

उत्तर

(1) माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा में प्रथम वर्ष विज्ञान में 3 वर्ग स्वीकृत हैं, वर्तमान सत्र में 45 प्रतिशत तक अंक वाले 211 छात्रों को प्रथम वर्ष विज्ञान में प्रवेश दिया जा चुका है तथा 5 प्रतिशत अनुतीर्ण छात्रों के हिसाब से 21 अनुतीर्ण छात्रों को भी स्वीकृत 3 वर्गों में ही समायोजित किये जाने हेतु प्राचार्य को निर्देश दे दिये हैं। प्राचार्य की रिपोर्ट के अनुसार 40% से 45% के बीच के नौ फार्म पेन्डिग हैं। प्रवेश नियमों के अनुसार प्रथम वर्ष विज्ञान में अतिरिक्त वर्ग उसी अवस्था में खोला जाता है जबकि प्रवेश लेने वाले छात्रों का प्राप्तांक 45% से अधिक हो। यदि स्वीकृत वर्ग में स्थान रिक्त हो तो 40% अंक प्राप्त छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है। अतः अतिरिक्त वर्ग खोलने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा में स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय खोलने की मांग है। वर्तमान सत्र में राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय खोलते समय इस मांग पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

जिला सवाई माधोपुर की स्कूलों में संस्कृत विषय

362. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में सैकेण्डरी तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों में किस-किस स्कूल में संस्कृत ऐच्छिक विषय पढ़ाये जाते हैं ? ऐसे विद्यालयों में वर्ष 1981-82 में संस्कृत पाठी छात्रों की संख्या क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर के महाविद्यालयों में ऐच्छिक विषय संस्कृत पढ़ाई जाने की व्यवस्था है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कहां-कहां है ? और उनमें वर्ष 1981-82 में संस्कृत पाठी कितने छात्र थे और अब यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि गत वर्ष भी सवाई माधोपुर महाविद्यालयों में संस्कृत ऐच्छिक विषय की व्यवस्था की मांग की गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या विचार किया गया है ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में जिन सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूलों में संस्कृत विषय ऐच्छिक के रूप में पढ़ाया जाता है उनकी तथा सम्बन्धित विद्यालयों में सन् 1981-82 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जिला सवाई माधोपुर में राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी में ऐच्छिक विषय संस्कृत पढ़ाये जाने की व्यवस्था है। सन् 1981-82 में इस महाविद्यालय में ऐच्छिक संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 56 थी।

(3) गत वर्ष राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर व करौली में संस्कृत ऐच्छिक विषय खोलने की मांग की गई थी परन्तु तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा वित्तीय संकोच को दृष्टि में रखते हुए यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ। सन् 1982-83 में राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर में संस्कृत विषय खोलने की मांग प्राप्त हुई है तथा राज्य सरकार इस वर्ष नये विषय खोलते समय इस मांग पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

शिक्षा विभाग द्वारा खादी वस्त्रों की खरीद

363. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग ने लाखों रुपये की खादी के ऊनी कपड़े एवं सूती स्कूली टाट पट्टी प्रदाय करने का आदेश जयपुर के ही बड़े भण्डार को दिया है ?

(2) यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय खादी बोर्ड यूनियन के महामन्त्री श्री आर. एन. त्रिपाठी द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
तार देकर इस घपले की जांच करने के लिए कहा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। स्कूलों के लिये टाट पट्टी खरीदने के लिए आदेश निदेशक, खादी ग्रामोद्योग कमीशन हीराबाग, जयपुर को दिये गये थे अन्य किसी भण्डार को नहीं। ऊनी कपड़ों के खरीद के लिए कोई आदेश नहीं दिये गए।

(2) शिक्षा विभाग में महामंत्री राष्ट्रीय खादी बोर्ड यूनियन का कोई तार प्राप्त नहीं हुआ। अतः जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पाली जिले की हायर सेकण्डरी स्कूल

364. श्री भेरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने हायर सैकण्डरी स्कूल हैं ? कृपया पंचायत समिति-वार स्कूलों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ?

(2) क्या सरकार की इस वर्ष पाली जिले में नये हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कितनी व कहां कहां ?

(3) क्या राज्य सरकार खारची व सुमेरपुर विधान सभाई क्षेत्रों में, जहां एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं हैं, इस वर्ष एक एक हायर सैकण्डरी स्कूल पंचायत समिति मुख्यालय पर व एक एक अन्य प्रमुख गांव में खोलने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले में 15 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। शहरी व ग्रामीण हायर सैकण्डरी स्कूलों की सूची सदन के पटल पर रखा दी गई है।

(2) सन् 1982-83 में राज्य सरकार ने राज्य में 100 नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है।

(3) सन् 1982-83 में नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलते समय उन पंचायत समिति मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों को प्राथमिकता देंगे जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

जयपुर जिले के लिये तृतीय श्रेणी के उर्दू विषय के अध्यापकों के पद

365. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पिछले शिक्षा सत्र के दौरान जयपुर जिले के लिए तृतीय श्रेणी उर्दू अध्यापकों के लगभग 26 पद सृजित किये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 9 माह का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् अभी तक उन नवीन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(श्री मालाराम)

(2) राज्य सरकार भविष्य में कब तक इन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को नियुक्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पिछले शिक्षा सत्र में तृतीय श्रेणी उर्दू अध्यापकों का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया था।

(2) उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं किये गए थे। अतः नियुक्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

टोंक जिले में नवीन प्राथमिक शालायें खोलने का प्रस्ताव

366. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार का इस शैक्षणिक सत्र में टोंक जिले में कुल कितनी प्राथमिक शालाएँ खोलने का विचार है।

(2) प्राथमिक शालायें कौन कौन से ग्राम में खोलने हेतु प्रस्तावित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस जिले की किस किस प्राथमिक शाला को उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करने का इरादा है ?

उत्तर

(1) सन् 1982-83 में राज्य सरकार का प्राथमिक शालायें खोलने का विचार नहीं है।

(2) सन् 1982-83 में प्राथमिक शालायें खोलने के प्रस्ताव नहीं मागे गये हैं।

(3) सन् 1982–83 में राज्य सरकार 100 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 200 नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेगी। इन विद्यालयों को खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा सम्बन्धित विद्यालयों के गुणावगुण के आधार पर किया जावेगा।

नाथद्वारा राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र

367. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि उयदपुर जिले के निजी प्रशिक्षणार्थियों को स्नातकोत्तर परीक्षा देने भीलवाड़ा अथवा चित्तौड़गढ़ जाना पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सन् 1982-83 से नाथद्वारा राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के निजी छात्रों के लिए परीक्षा केन्द्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नाथद्वारा कॉलेज को

Page No 34

(34)

(शिक्षा मंत्री)

परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने से उदयपुर जिले के निजी परीक्षार्थी स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु भीलवाड़ा एवं चितौड़गढ़ जाते रहे हैं।

(2) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय से नाथद्वारा महाविद्यालय को नियमित एवं स्वयंपाठी छात्रों (एम. ए. एवं एम कॉम.) के लिए 1983 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र बना दिया है।

प्राथमिक शालाओं में खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

368. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1979–80 में प्रथम बालिका उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका में विज्ञापनों की राशि कितनी, किसने प्राप्त की तथा उसका क्या उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) सन् 1979-80 में, राज्य स्तर पर बालिका उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिता का कोई आयोजन नहीं किया गया और न ही कोई स्मारिका प्रकाशित की गई अतः विज्ञापनों से राशि प्राप्त करने एवं व्यय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मारवाड़ जंक्शन में अध्यापकों की कमी

369. श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची) एवं **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जेतारण) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन (जिला पाली) में विषयवार व छात्रों की संख्यानुसार कितने अध्यापकों की कमी है एवं यह कमी कितने समय से चली आ रही है ?

(2) क्या यह सही है कि किन्हीं विषयों के अध्यापकों की कमी से गत दो वर्षों से माध्यमिक कक्षाओं का परीक्षाफल उक्त विद्यालय में गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष ?

(3) अध्यापकों की कमी से छात्रों की शिक्षा पर सीधा असर हो रहा है अतः विभाग इस विद्यालय में अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु क्या उपाय करने जा रहा है ?

उत्तर

(1) राजकीय माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ जंक्शन में विषयवार तथा छात्रों की संख्या के अनुसार कोई कमी नहीं चली आ रही है।

(2) जी नहीं। वर्ष 80-81 की तुलना में वर्ष 81–82 का परीक्षाफल काफी ऊंचा रहा है।

(3) विषयाध्यापकों की कोई कमी नहीं है। तृतीय वेतन श्रृंखला में सामान्य

(शिक्षा मंत्री)

अध्यापकों के 3 पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्तियां की गई थीं, परन्तु अध्यापकों ने कार्यभार नहीं सम्भाला। अब पुनः पदों को भरा जा रहा है।

विद्यार्थियों का रेगिंग

370. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जेतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाविद्यालयों में नये प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों का रेगिंग किया जाता है?

(2) क्या राज्य सरकार रेगिंग को उचित समझती है? यदि नहीं, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था करना चाहती है?

उत्तर

(1) जोधपुर विश्वविद्यालय के अभियान्त्रिकी संकाय में रेगिंग की कुछेक घटनाएं घटी है किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन के तात्कालिक कदम लेने के कारण रेगिंग की घटनाएं बिलकुल रुक गई राज्य के अन्य किसी विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में नये प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के साथ रेगिंग की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में सभी विश्वविद्यालों एवं महाविद्यालयों को इस तथाकथित प्रवृत्ति को रोकने हेतु निर्देश दे दिए हैं।

शराब बन्दी खतम करने से राज्य को आय

371. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या वित्त (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब से राजस्थान में शराब बन्दी खत्म की है राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो आज तक राज्य को कितनी आय हुई?

(2) अवैध शराब कितने स्थानों पर पकड़ी गयी है? जिलेवाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी समाप्त करने से आबकारी आय में वृद्धि हुई है। राज्य में दिनांक 1–4–80 से पूर्ण मद्यनिषेध लागू करने से वर्ष 1980–81 में 13.46 करोड़ की आय हुई थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11–8–81 को मद्यनिषेध समाप्त कर दिया गया, जिससे अप्रेल, 81 से अगस्त, 81 तक 8.42 करोड़ एवं सितम्बर, 81 से मार्च, 82 तक 25.28 करोड़ की आय हुई है, कुल आय रु० 33.70 करोड़ हुई इस प्रकार वर्ष 1980–81 से 1981–82 में 20.24 करोड़ की वृद्धि हुई।

(2) शराब बन्दी दि. 11–8–81 से समाप्त घोषित करने के पश्चात् राज्य में अवैध शराब निर्माण व परिवहन के दौरान जिलों के विभिन्न स्थानो से जो शराब पकड़ी गई है उसकी जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। यह सूचना

Page No 36

(39)

(वित्त आबकारी मंत्री)

शराबबंदी समाप्ति 11–8–81 से 31–7–82 तक की संकलित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें,)

राज्य सरकार का घाटा और ओवर ड्राफ्ट

372. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष के बजट में कितनी धनराशि के घाटे का अनुमान लगाया गया था और राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कितना ओवर ड्राफ्ट लिया गया था ?

(2) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 30 जून, 82 व 30 जून, 82 को राज्य सरकार का घाटा और ओवर ड्राफ्ट कितना कितना रहा ?

उत्तर

(1) वित्तमंत्री के बजट भाषण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में 50.33 करोड़ के घाटे को कर प्रस्ताव और खर्च में कमी के प्रस्ताव तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले करों के अंश में वृद्धि के फलस्वरूप कुल मिलाकर 14.49 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत में बदल जाने का अनुमान लगाया गया था। राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में रिजर्व बैंक के साथ 283.46 करोड़ का समायोजित ओवर-ड्राफ्ट 12.00 करोड़ के मार्गोपाय अग्रिम को सम्मिलित करते हुये था।

(2) प्रति वर्ष जून माह के अन्त में रिजर्व बैंक के साथ राज्य सरकार के चालू खाते में जो भी ओवर-ड्राफ्ट होता है का चुकारा करना अनिवार्य होने के कारण दिनांक 30–6–81 व 30–6–82 को राज्य सरकार के खाते में कोई ओवर-ड्राफ्ट नहीं था।

टौंक महाविद्यालय में एल. एल. बी. की कक्षायें

373. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टौंक स्थिति राजकीय महाविद्यालय में एल. एल. बी. की कक्षायें चलती हैं?

(2) यदि नहीं, तो सरकार अब तक इस महाविद्यालय में एल. एल. बी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बार कौंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली का यह सुझाव है कि वर्तमान में चल रहे किसी भी महाविद्यालय में विधि संकाय प्रारम्भ नहीं किया जावे। यदि विधि की कक्षायें प्रारम्भ करनी है तो अलग से विधि महाविद्यालय खोले जावें।

अलवर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालतों में विचाराधीन मामले

374. श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर डिस्ट्रिक्ट जज और अलवर में स्थित दो अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज की अदालतों में कितने कितने सिविल व क्रिमिनल के मामले विचाराधीन हैं ?

(2) अलवर जिले में किशनगढ़ में कार्यरत एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में सिविल और क्रिमीनल के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर बार का एक प्रतिनिधि मण्डल (डेपुटेशन) कुछ समय पहले मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिला और यह निवेदन किया कि अलवर जिले का आधे से भी ज्यादा कार्य किशनगढ़ एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में है जबकि अलवर शहर की तीनों अपील अदालतों में बहुत कम कार्य है ? यदि हां, तो इस कार्य के समतुल्य विभाजन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 30-6-82 तक जिला अलवर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

अदालत का नाम	फौजदारी	सिविल
1. जिला एवं सत्र न्यायालय अलवर	296	774
2. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नं. 1 अलवर।	82	522
3. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 2 अलवर।	65	359

(2) दिनांक 30-6-82 तक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशनगढ़ बास के न्यायालय में 554 फौजदारी मुकदमें और 411 दिवानी मुकदमें विचाराधीन थे।

(3) जी हां, यह सही है कि अलवर बार का एक प्रतिनिधि मण्डल मुख्य न्यायाधिपति महोदय से मिला था परन्तु चूंकि अलवर स्थित न्यायालयों में कार्य अत्याधिक होने से इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जाकर स्थिति यथावत रखी गयी है।

तहसील स्तर पर मुन्सिफ न्यायालय हेतु मापदण्ड

375. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील स्तर पर मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने का क्या मापदण्ड है ?

(2) बाड़मेर जिले में मुन्सिफ न्यायालय स्तर पर कितने कितने मुकदमें 31 जुलाई, 1982 तक विचाराधीन पड़े हुये हैं ? तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या तहसील चौहटन में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने के लिये निर्धारित मापदण्ड तैयार हुआ है ?

उत्तर

(1) तहसील स्तर पर मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने के लिये उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, आवागमन के साधन, न्यायालय भवन, आवासीय सुविधा, लोक-अप की व्यवस्था उस क्षेत्र से उद्‌भूत प्रकरणों की औसत निकटवर्ती न्यायालयों की दूरी आदि इन सब बातों को दृष्टिगत रखकर राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लेती है।

(2) बाड़मेर जिले में मुंसिफ न्यायालय स्तर पर 31 जुलाई, 1982 तक निम्नलिखित मुकदमें विचाराधीन पड़े थे :–

सिविल	फौजदारी
580	3352

तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समझौता अधिकारी की नियुक्ति

376. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कितने समझौता अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ?

(2) समझौता अधिकारियों के वर्ष 1981 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उनका निपटारा कैसे हुआ ? प्रत्येक शिकायत व निपटारे का विवरण समझौता अधिकारी वाइज सदन की मेज पर रखें।

(3) समझौता अधिकारियों द्वारा वर्ष 1981 से आज तक कितने वार्ता प्रतिवेदन सरकार को श्रमिकों के पक्ष में भेजे गये तथा इनमें से कितने असफल वार्ता प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा न्याय निर्णय हेतु सौंपे गये ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान के लिए 53 समझौता अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

(2) वर्ष 1981 में प्राप्त शिकायतें एवं उनके निपटारे का विवरण निम्न प्रकार है :—

कुल प्राप्त शिकायतें—	4004
1. हक में	738
2. समाप्त समझे गये	1,796
3. स्थानान्तरित किए गए (समझौता वार्ता में)	1,433
4. योग	3,967

समझौता अधिकारी वाइज प्रत्येक शिकायत व निपटारे की पृथक से सूचना बहुत लम्बी है अतः तुरन्त उपलब्ध करा सकना सम्भव नहीं है।

(3) समस्त समझौता अधिकारियों द्वारा जनवरी, 1981 से अगस्त, 1982

(श्रम मंत्री)

तक 573 मामले समझौता के रूप में एवं 1530 मामले असफल प्रतिवेदन के रूप में भेजे गये हैं। 917 मामले न्याय निर्णय हेतु श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों को रेफर किये गये तथा 405 मामले नोन-रेफर किये गए। शेष विचाराधीन हैं।

मारवाड़ जंक्शन में मुन्सिफ न्यायालय खोलना

377. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली के सोजत शहर में कितने न्यायालय स्थापित हैं एवं कौन-कौन से हैं ?

(2) क्या सरकार संविधान के अनुसार सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु एक मुन्सिफ न्यायालय तहसील मारवाड़ जंक्शन पर खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार सोजत के दो न्यायालयों में से एक मारवाड़ जंक्शन स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पाली के सोजत शहर में निम्न दो न्यायालय स्थापित हैं :—

1. मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सोजत

2. अपर सिविल न्यायाधीश पाली मुख्यालय, सोजत अस्थायी 12-ए धारा के अन्तर्गत।

(2) संविधान के अनुसार राज्य सरकार सस्ता व सुलभ न्याय जनता को उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध तो है किन्तु वर्तमान में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण तहसील मारवाड़ जंक्शन पर मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने में असमर्थ है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में किसी भी न्यायालय को सोजत से मारवाड़ जंक्शन स्थानान्तरण करने का माननीय उच्च न्यायालय का प्रस्ताव नहीं है।

वर्कमेंन्स कम्पन् सेशन एक्ट के तहत मुकद्मे

378. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 10 वर्ष में राजस्थान में वर्कमेंन्स् कम्पन् सेशन एक्ट के तहत कितने मुकद्मे दायर किये गए ?

(2) दायर मुकद्मों में से निर्णीत मुकदमों पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु कितने केसेज पी. डी. आर. में कब से विचारधीन हैं ?

(3) क्या सरकार कमिश्नर वर्कमेन कम्पन सेशन को पी. डी, आर एक्ट के अन्तर्गत रिकवरी की शक्तियां प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) 2610

(2) 33 मामले

1 मामला वर्ष 1971 से
2 मामले वर्ष 1976 से
3 " " 1978 से
7 " " 1979 से
9 " " 1980 से
4 " " 1981 से
7 " " 1982 से

(3) जी नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों के वेतन की जांच हेतु नियुक्त निरीक्षक

379. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 5 को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या योजना अमल में लाई गई है ?

(2) क्या इस सूत्र के अनुसार नियुक्त निरीक्षकों के लिए की गई निरीक्षणों की संख्या निश्चित की गई है ?

(3) क्या निश्चित संख्या में निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये गए और इन निरीक्षणों में कितने मामले कम वेतन देने से सम्बन्धित प्रकाश में आये व कितने क्लेम प्रस्तुत किये गये व निपटाये गये ?

(4) राज्य सरकार के कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिलता है या नहीं इसका निरीक्षण करने के लिए कितने निरीक्षक नियुक्त किये हैं व निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के समय कोई सुरक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) सूत्र 5 को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विभाग के श्रम निरीक्षकों को तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं। राज्य में कार्यरत सभी विकास अधिकारियों तथा प्रसार अधिकारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा वेतन भुगतान अधिनियम के तहत क्रमशः प्राधिकारी व निरीक्षक नियुक्त किये हुए हैं। इनके द्वारा भी इस सूत्र का प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(2) विभाग में नियुक्त निरीक्षकों के लिए कृषि में नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में निरीक्षण करने हेतु निरीक्षणों की संख्या निश्चित कर दी गई हैं।

(3) जी नहीं। कई कठिनाइयों के कारण निरीक्षकों द्वारा निश्चित संख्या में निरीक्षण संभव नहीं हो पा रहे हैं। जनवरी, 1982 से जुलाई, 1982 तक हुए निरीक्षणों में कम वेतन देने से सम्बन्धित 3 मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत कर दिये गए हैं जो विचाराधीन हैं।

(4) राज्य सरकार ने श्रम विभाग में नियुक्त सभी श्रम निरीक्षक तथा सभी प्रसार अधिकारी, कृषि कार्य में लगे श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत

(श्रम मंत्री)

श्रम निरीक्षक नियुक्त किये हुए हैं। निरीक्षकों को निरीक्षण के समय कोई सुरक्षा सुविधा देने पर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फसल बीमा लागू करना

380. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने फसल बीमा लागू करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितने खेतों की फसलों का बीमा किया जा चुका है?

(2) उक्त बीमा किये जाने की क्या प्रक्रिया है और क्या नियम है? कृपया नियमों की प्रकिया सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या इस वर्ष जल के अभाव में जयपुर जिले में फसलें खराब हो गई हैं? यदि हां, तो कितने काश्तकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभांवित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन अभी तक फसल बीमा योजना लागू नहीं की गई।

(2) बीमा किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित भारतीय साधारण बीमा निगम, बम्बई से प्राप्त प्रस्तावों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) फसल बीमा योजना अभी लागू नहीं हुई है। अतः काश्तकारों को लाभांवित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के गोदामों से कुएं खोदने के बदले गेहूं का वितरण

381. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) एवं **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या विशिष्ट योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के गोदामों में वर्ष 1982 के जुलाई माह तक काश्तकारों को कुए खोदने के बदले देने के लिए कितना गेहूं था?

(2) एक कुए की खुदाई पर कितनी मात्रा में गेहूं दिया जाता है एवं पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन द्वारा कितनी मात्रा दी गई?

(3) क्या यह सही है कि गोदाम में तखमीने से ज्यादा गेहूं बचाकर रखा गया था व प्रवर्तन अधिकारी-सोजत द्वारा जांच के दौरान पकड़ा गया?

(4) इसमें कौन-कौन दोषी पाये गए व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(5) इस प्रकरण में लिपिक हरिकृष्ण शर्मा व विकास अधिकारी द्वारा जो बयान दिये गए हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 300 क्विन्टल गेहूं पंचायत समिति को प्राप्त हुआ था,

(विशिष्ट योजना मंत्री)

(2) कुए की खुदाई हेतु नये कुए के लिए 10 क्विन्टल गेहूं और पुराने कुए की खुदाई के लिए 6 क्विन्टल गेहूं दिया जाता है। पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन द्वारा 28 व्यक्तियों को प्रथम किस्त एवं 15 को द्वितीय किस्त प्रति किस्त 5 क्विन्टल कुल 215 क्विन्टल दिया गया।

(3) इसमें प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई थी, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जांच की गई थी। जांच के दौरान 70 किलो 900 ग्राम अधिक गेहूं पाया गया था।

(4) इसमें अभी जांच कार्यवाही ही चल रही है।

(5) जांच समाप्त होने से पूर्व किसी बयान की प्रतिलिपि दिया जाना न्याय हित में न होगा।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद (चित्तौड़गढ़) द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्ताव

382. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की क्या करेंगे :—

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ ने वर्ष 1980-81, 81-82 व 82-83 में नये एनीकट निर्माण, एनीकट मरम्मत, नये तालाब, तालाब मरम्मत के लिये राज्य सरकार को कितने प्रस्ताव भेजे थे ?

(2) राज्य सरकार ने किस-किस वर्ष किन-किन कार्यों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर राशि का आवंटन किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ ने वर्ष 1980-81, 81-82 में नये एनीकट निर्माण, एनीकट मरम्मत, नये तालाब, तालाब मरम्मत के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए उनकी सूची परिशिष्ट 'क' व 'ख' में संलग्न है।

(2) वर्षवार एवं कार्यवार पंचायत समिति द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व स्वीकृत राशि के आवंटन की सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)।

पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण

833. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या पशु पालन एवं कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों से पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण में विज्ञान एवं कला संकाय दोनों प्रकार के छात्रों को प्रवेश देकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों में से विज्ञान संकाय के छात्रों को राज्य सेवा में ले लिया गया है तथा कला संकाय वालों को नहीं लिया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने छात्र हैं जिनके

श्री नाथूराम अहारी)

कला संकाय विषय होने से उन्हें राज्य सेवा में नहीं लिया गया है ? यदि कला संकाय के छात्रों को राज्य सेवा में नहीं लेना था तो इनका प्रशिक्षण हेतु चयन क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पशु पालन विद्यालय, उदयपुर के परिगणित विद्यालय के अलावा अन्य किसी पशु पालन विद्यालय में विज्ञान संकाय के छात्रों के अलावा किसी अन्य विषय के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पशु पालन विद्यालय, उदयपुर में पिछले वर्षों में विज्ञान संकाय के छात्रों के (परिगणित क्षेत्रों में) न मिलने के कारण स्वायत्त शासन संस्थाओं के आश्वासन पर प्रवेश दे दिया गया था।

(2) राजस्थान पशु पालन अधीनस्थ सेवा नियमों के अनुसार पशुधन सहायकों के पद के लिए विज्ञान संकाय की योग्यता होना अनिवार्य है। और जिन प्रशिक्षित छात्रों के पास नियमानुसार योग्यता/शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र थे उन्हें सेवा में ले लिया गया है। विज्ञान संकाय के अलावा प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या 80 है जिन्हें कि नियमानुसार पशुधन सहायकों के पदों पर नियुक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं। जहां तक प्रशिक्षित छात्रों को पशुधन सहायक के पद पर नियुक्तियां प्रदान कराने का प्रश्न है उसके लिए पशुपालन विभाग नियमानुसार अनुबन्धित नहीं है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को अवश्य ही पशुधन सहायक के पद पर विभाग में सेवा में रखा ही जायेगा।

शंकर ज्वार बीज का क्रय

384. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)
श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :
क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए कितने क्विंटल शंकर ज्वार का बीज क्रय किया गया ? यह बीज किस-किस फर्म से क्रय किया गया ?

(2) गत वर्ष का शंकर ज्वार का कितना बीज राज्य बीज निगम के पास शेष था ?

(3) इस खरीफ में शंकर ज्वार का कितना बीज बेचा गया तथा कितना शेष रहा ?

(4) क्या यह सच है कि बीज निगम द्वारा विक्रय किये गये शंकर ज्वार के कम अंकुरित होने की आम शिकायत है ?

(5) यह शंकर ज्वार का बीज कितने प्रतिशत अंकुरण के आधार पर क्रय किया गया था ?

(6) राज्य बीज निगम के शंकर ज्वार के कितने नमूने प्रयोगशाला द्वारा सब-स्टैण्डर्ड घोषित किये गये ? ये नमूने किस लाट नम्बर के थे तथा यह बीज कितने क्विंटल था ? कितने प्रतिशत अंकुरण के आधार पर यह खरीदा गया था ?

उत्तर

(1) इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए राज्य बीज निगम ने 4401.60 क्विंटल

(कृषि मंत्री)

शंकर ज्वार का बीज क्रय किया। यह बीज निम्न स्रोतों से क्रय किया गया :—

(1) राज्य सुपीरियर सीड्स श्रीकालाहस्ती =2547.39 क्विटल

(2) विजय सीड्स जालना =990.09 ,,

(3) कृषिदान सीड्स, जालना=500.01 ,,

(4) बीज उत्पादकों से =364.11 ,,

(2) गत वर्ष का 476.94 क्विटल शंकर ज्वार का बीज राज्य बीज निगम के पास शेष था।

(3) इस वर्ष खरीफ में राज्य बीज निगम ने 1511.88 क्विटल शंकर ज्वार का बीज बेचा तथा 3366.76 क्विटल बीज शेष रहा।

(4) जी नहीं। यह आम शिकायत नहीं है। केवल कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों से इसकी शिकायत प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध विस्तृत जांच की जा रही है।

(6) यह शंकर ज्वार का बीज न्यूनतम 75 प्रतिशत अंकुरण के आधार पर खरीदा गया था।

(6) शंकर ज्वार के नमूने कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच हेतु प्रयोगशाला में भेजे गए थे। विभाग से प्राप्त सूचनानुसार केवल 2 नमूने लाट नं० 0572 व 2721 के अमानक घोषित किये गये थे। इन दोनों लाट्स की मात्रा क्रमश: 114.24 व 15.89 क्विटल थी तथा क्रय करते समय इनकी अंकुरण क्षमता 77 प्रतिशत व 81 प्रतिशत थी।

उदयपुर नगर की सब्जी मण्डी

385. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर में सब्जी मंडी अन्यत्र बनाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस स्थान पर व अब तक उसके लिए भूमि अवाप्ति की क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सब्जी मण्डी हेतु भूमि अवाप्त हो गई ? यदि नहीं, तो कब तक हो जायेगी एवं निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्तावित भूमि शहर कोट पुराना शिवाजी नगर के पास खसरा नं० 2512 में 25 बीघा 14 बिस्वा है। इस भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है।

(2) जी नहीं। भूमि अवाप्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही किये जाते समय कुछ प्राप्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु जिलाधीश उदयपुर से वस्तुस्थिति की जांच कराई जा रही है। आपत्तियां का निराकरण होने पर ही भूमि अवाप्त हो सकेगी एवं कब्जा प्राप्त हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

Page No 45

(45)

पाली जिले के सादड़ी ग्राम में पौधशाला

386. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) **श्री शिवदानसिंह राठोड़** (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को फलों के पौधे उपलब्ध कराने हेतु पाली जिले के सादड़ी ग्राम में एक पौधशाला बनी हुई है ? यदि हां, तो इस पर सन् 1975 से कितना-कितना स्टाफ रहा तथा प्रति वर्ष स्टाफ व अन्य मजदूरी वगैरह पर कितना खर्च हुआ ? सूची कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(2) सन् 1975 से आज तक प्रति वर्ष कितने पौधे इस नर्सरी के द्वारा तैयार किये गये थे ? उससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(3) क्या सरकार ग्राम बोरनी तहसील खारची में, जहां ग्राम पंचायत ने 5 बीघे जमीन उपलब्ध करादी है, नर्सरी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक लगा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सन् 1975 से प्रति वर्ष सादड़ी पौधशाला पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण एवं प्रति वर्ष कर्मचारियों पर एवं मजदूरी आदि पर हुए कार्य का विवरण संलग्न है ।

(2) सन् 1975 से अगस्त 1982 तक नर्सरी द्वारा तैयार किये गये पौधे तथा उनसे प्राप्त राशि का विवरण संलग्न है ।

कृषि विभाग को ग्राम पंचायत ने ग्राम बोरनाड़ी में कोई जमीन अभी तक नर्सरी लगाने हेतु हस्तांतरित नहीं की है । इस वर्ष नई नर्सरी लगाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

लाखेरी स्थित अस्पताल

387. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी गांव की 30 हजार की आबादी व आस पास के गांवों की 50 हजार की आबादी के चिकित्सार्थ एकमात्र अस्पताल लाखेरी में है ? यह अस्पताल किस श्रेणी का है व इसमें कितनी शय्यायें व अन्य साधन सरकार द्वारा दिये गये हैं ? इसमें बीमारों पर दवा एवं अन्य व्यवस्था का वार्षिक खर्च क्या है ? गत तीन वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में एक भी लेडी डॉक्टर नहीं है और दूसरी जगह लेडी डॉक्टर की तनख्वाह लाखेरी से दी जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस अस्पताल में स्टाफ नर्स तक भी नहीं भेजी जाती जिससे क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव व अन्य बीमारियों में कठिनाइयों का सामना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो इस अस्पताल की उपेक्षा कब तक की जाती रहेगी ?

उत्तर

(1) लाखेरी कस्बे में एक डिस्पेन्सरी है। लाखेरी के आस-पास लाखेरी डिस्पेन्सरी के अतिरिक्त दो डिस्पेन्सरी एवं एक एड-पोस्ट जो क्रमश: तहसील नैनवा, बड़ा खेड़ा तहसील केशवरायपाटन एवं एडपोस्ट ग्राम अनेटा तहसील नैनवा में कार्यरत है। डिस्पेन्सरी में कोई रोगी शैयायें स्वीकृत नहीं है। बीमारों पर गत तीन वर्षों में हुये खर्चे का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(2) महिला चिकित्सक के अभाव में पुरुष चिकित्सक पदस्थापित है। किसी अन्य महिला चिकित्सक का वेतन लाखेरी से नहीं दिया जा रहा है।

(3) लाखेरी डिस्पेन्सरी में स्टाफ नर्स का कोई पद स्वीकृत नहीं है। वहाँ दो पद प्रसाविका के स्वीकृत हैं जो महिलाओं के प्रसव व अन्य बीमारियों के उपचार के लिये शिक्षित होती हैं। अत: उपेक्षा करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954

388. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 समस्त राज्य में लागू है ? अगर नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस अधिनियम को समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में लागू करने का विचार कर रही है ?

(2) क्या वर्तमान में राज्य के समस्त क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों के नमूने लेने हेतु पर्याप्त खाद्य निरीक्षक लगे हुए हैं ?

(3) क्या वर्तमान खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम के तहत निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार करने को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

(2) जहां पर यह एक्ट लागू है वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

(3) जी हां। 311 स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के उपाय

389. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार के पास क्या उपाय हैं ? गत दो माह में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु कितने नमूने लिए गये है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) क्या सरकार के पास प्रत्येक जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने का कोई संसाधन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 राज्य में नोटिफाइड क्षेत्र में लागू है । 251 नमूने लिए गये । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(2) जी नहीं । खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच हेतु राज्य में 12 प्रयोग शालायें हैं जो पर्याप्त है ।

उदयपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसीपल के विरुद्ध ज्ञापन

390. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि उदयपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल श्री जे. पी. सेठी के विरुद्ध अप्रेल सन् 1982 में मेडिकल कॉलेज उदयपुर के कई विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों की ओर से एक ज्ञापन मुख्य मन्त्रीजी को पेश किया गया था ? यदि हाँ, तो इस ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

कुछ डाक्टरों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया था । प्रशासनिक कारणों से 15 जुलाई, 1982 के आदेश द्वारा डा० सेठी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

391. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्णयानुसार हर पंचायत समिति में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं दो डिस्पेन्सरी होनी चाहिए ?

(2) क्या पंचायत समिति खमनोर में दो डिस्पेन्सरियां हैं ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस पंचायत समिति में दूसरी डिस्पेन्सरी कब तक खोल देगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ ।

(2) जी नहीं । योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने तथा डिस्पेन्सरी हेतु उपयुक्त भवन एवं आवास गृह उपलब्ध कराने के ठोस प्रस्ताव आने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

मलेरिया सर्वेलेंस की वरिष्ठता सूची

392. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय (मलेरिया) के आदेश संख्या जी इ एन सीनियोरिटी लिस्ट। एम. एन. डब्ल्यू ।80।20568,2062 दि. 12-11-80 एवं दिनांक 26-11-80 द्वारा मलेरिया सर्वेलेंस की सीनियोरिटी लिस्ट जारी की गई थी ? यदि हाँ, तो लिस्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त लिस्ट में कुछ मलेरिया सर्वेलेंस की नियुक्ति तिथि 9-5-61 दर्शायी गई है जबकि उक्त कर्मचारी की नियुक्ति तिथि 10-10-60 है ? यदि हाँ, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त लिस्ट के आधार पर उक्त कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता भी अधिक होने के बावजूद भी उनसे जूनियरों की पदोन्नति कर दी गई है ? यदि हाँ, तो उक्त कर्मचारी की पदोन्नति क्यों रोकी गई है ?

(4) क्या सरकार उक्त लिस्ट को ठीक करके उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उप वैद्यों की पदोन्नति

393. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेद विभाग में ऐसे कितने उप वैद्य हैं जिन्होंने कई वर्षों से वैद्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा वैद्य की समस्त योग्यताएं हैं फिर भी उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार प्रशिक्षित उप वैद्यों को पदोन्नत करना चाहती है ?

उत्तर

(1) विभाग की जानकारी के अनुसार कोई भी नर्स/कम्पाउण्डर राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक व प्राकृतिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के अंतर्गत वैद्य पद की निर्धारित योग्यता नहीं रखता है। इन नियमों में वैद्य ग्रेड–II पद पर शत प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान है, न कि कम्पाउण्डर के पद से पदोन्नति का। अतएव पदोन्नति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) चूंकि नियमों में पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है, अतः पदोन्नत नहीं किया जा सकता।

बाड़मेर जिले के स्वास्थ्य केन्द्र

394. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के छोटे-छोटे कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? कृपया पंचायत समितिवार संख्या बतावें ?

(2) इन स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिन पर न कोई डाक्टर ही है और न कम्पाउण्डर व नर्स ?

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(3) क्या इन रिक्त स्थानों पर उन कम्पाउण्डरों का लगा दिया जायेगा जो इस वर्ष अक्टूबर में प्रथम बार मेल नर्सिंग ट्रेनिंग बाड़मेर से पास होकर निकलेंगे ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में पंचायत समिति-वार स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेन्सरी/एडपोस्टों की कुल संख्या निम्न प्रकार से है:—

पंचायत समिति	संख्या
1. बाड़मेर	6
2. शिव	4
3. चौहटन	5
4. धोरीमन्ना	3
5. बालोतरा	8
6. बायतु	4
7. सिन्दरी	3
8. सिवाणा	6

(2) निम्न स्वास्थ्य केन्द्रों (चिकित्सा संस्थाओं) में डाक्टर, कम्पाउण्डर, नर्स वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं:—

डिस्पेन्सरी

1. शिव
2. दाखा
3. थोब
4. भाखासर

एडपोस्ट :

1. सोभला
2. तरातरा
3. पादरू
4. बाछड़ाऊ

(3) नियमानुसार प्रक्रिया की जावेगी।

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सी. ए. एस. डाक्टर्स के पदोन्नति के अवसर

395. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले सी. ए. एस. डाक्टर्स को जिन्होंने आपथेल्मोलोजी, पेडियाट्रिक्स आर्थोपिडिक्स, गायनाकलोजी आदि में विशेष योग्यता प्राप्त की है, उनके सेवाकाल में पदोन्नति के क्या अवसर उपलब्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारशों के बावजूद इन विषयों की विशेष योग्यता प्राप्त डाक्टर्स को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ?

(3) क्या सिविल असिस्टेन्ट्स सर्जन एसोसियेशन द्वारा राज्य सरकार को कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस रूल्स, 1963 में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ऐसे सी. ए. एस. डाक्टर जिन्होंने आपथोलोमोलोजी पेडियाट्रिक्स आर्थोपिडिक्स एवं गायनाकलोजी आदि विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, कनिष्ठ विशेषज्ञ और वरिष्ठ विशेषज्ञ के पदों पर पदो-

(चिकित्सा मन्त्री)

न्नति नहीं पा सकते हैं उनको पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा नियमों में आवश्यक संशोधन विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार ने मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विस रूल्स, 1963 में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की है और संशोधन किये जाने हेतु ज्ञापन मन्त्री मण्डल को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संशोधन से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर की भांति ही पदोन्नति के अवसर सुलभ हो सकेंगे।

(3) जी हाँ। शेष प्रश्न का उत्तर प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दिया जा चुका है।

जैसलमेर जिले के आयुर्वेद औषधालय

396. **श्री चन्द्रवीरसिंह** (जैसलमेर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) जैसलमेर जिले में कितने स्वीकृत वैद्यों के पद हैं तथा इन पदों में से कितने पद रिक्त हैं व कब से ? कृपया ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में 24 आयुर्वेदिक औषधालय एवं 1 चल चिकित्सालय संचालित हैं जिनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट–1 पर प्रस्तुत है।

(2) इस जिले में वैद्यों के 26 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

बस्सी व चाकसू के आयुर्वेदिक औषधालय

397. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की बस्सी एवं चाकसू तहसील में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत कर्मचारियों के वर्ष 1980–81 में एवं 1981–82 में वेतन एवं भत्तों के रूप तथा अन्य प्रशासनिक खर्चे के रूप में कितनी राशि व्यय की गयी ? औषधालयवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) वर्ष 1980–81 व 81–82 में इन औषधालयों पर दवाई के रूप में कितनी कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण वर्ष एवं औषधालयवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बस्सी व चाकसू तहसील में 22 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं, जिनकी तहसीलवार सूची संलग्न हैं। (परिशिष्ट–I)

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

(2) वेतन एवं भत्तों के रूप में औषधालयवार व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट में अंकित है। अन्य प्रशासनिक खर्चे का ब्यौरा औषधालयवार दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि यह व्यय पूरे जिले के लिए एक मुश्त किया जाता है।

(3) इन वर्षों में औषधालयोंवाइज दवाई के रूप में व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न प्रस्तुत है। (परिशिष्ट–I)

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

उप स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ का अभाव

398. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में 15 अगस्त, 1982 तक ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरीज़ एडपोस्ट एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां कोई स्टाफ नहीं है। इनमें से कितने ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा कितने शहरी क्षेत्रों में? कृपया भरतपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें 15 अगस्त, 1982 तक?

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, में कितने डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स, नर्सेज एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी है तथा इसके क्या कारण हैं?

(3) 15 अगस्त, 1982 तक राज्य में कितने डाक्टर्स बेरोजगार हैं, इसके क्या कारण हैं?

(4) राज्य में कितना स्टाफ ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिनियुक्ति पर शहरी क्षेत्रों में लगा रखा है। कृपया भरतपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें? शहरों में प्रतिनियुक्ति के कारण राज्य में कितनी डिस्पेन्सरीज, एडपोस्ट एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में बिना स्टाफ हो गये हैं? कृपया भरतपुर जिले की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 15 अगस्त, 1982 तक 352 उपकेन्द्र, 6 डिस्पेन्सरी एवं 4 एडपोस्ट ऐसे हैं जहां कोई स्टाफ नहीं है। इनमें से एक एडपोस्ट को छोड़कर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में है। भरतपुर जिले की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 15 अगस्त, 1982 तक राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 418 डाक्टर, 616 कम्पाउन्डर्स, 714 नर्सेज एवं 543 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी थी। कमी के कारण निम्न प्रकार है:—

1. डाक्टर : तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा चयनित डाक्टर उपलब्ध न होने से।

2. कम्पाउण्डर एवं नर्सेज : प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध न होने से।

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : पदों को भरने पर समस्त विभागों की भांति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी प्रतिबन्ध होने से।

Page No 52

(52)

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) बेरोजगार डाक्टरों का ब्यौरा विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है।

(4) राज्य में कुल 109 कर्मचारी विभिन्न पदों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है, भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से 29 प्रसाविकाओं को शहरी क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है। शहरों में प्रतिनियुक्ति के कारण राज्य में केवल 25 उपकेन्द्र बिना स्टाफ के हो गये हैं। भरतपुर जिले की सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

जल महल (जयपुर) के विकास की योजना

399. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर में जल महल के विकास की क्या योजनाएं हैं ? कृपया ब्ल्यू प्रिंट सदन के पटल पर रखें।

(2) ये योजनायें कब तक क्रियान्वित कर दी जावेंगी।

(3) उक्त योजना का कुल कितना बजट है तथा अब तक कितना व्यय किस किस मद में किया जा चुका है ? कृपया विवरण सदन की पटल पर रखें।

(4) क्या यह सच है कि भंग नगर विकास प्रन्यास द्वारा प्रकाशित बुकलेट तथा मानचित्र में जलमहल स्थित प्राइवेट भूमि को चिन्हित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त योजना का सही मानचित्र बनाया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) योजना की क्रियान्विति में क्या बाधा आ रही है ?

उत्तर

(1) जल महल विकास की योजना बनाई जा रही हैं। ब्ल्यू प्रिन्ट तदुपरान्त तैयार किया जायेगा।

(2) योजना पूर्ण होने पर क्रियान्विति कर दी जायगी।

(3) योजना पूर्ण होने पर कुल बजट व मद के बारे में निर्णय लिया जायेगा। वैसे अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण से करीब 1 लाख रु० मिट्टी के बांध पर खर्च किया गया है।

(4) चिन्हित नहीं किया गया है। मौके की स्थिति का सर्वे कराया जाकर योजना बनाई जाती है। इसमें भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी जानकारी नहीं दर्शाई जाती है।

(5) योजना बनाई जा रही है, इसलिये क्रियान्विति में बाधा का प्रश्न नहीं है।

बीकानेर नगर परिषद् के अन्तर्गत अतिक्रमणों का नियमन

400. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर परिषद् के अन्तर्गत जनवरी, 1981 से 1982 तक तत्कालीन गंगाशहर व भीनाशहर नगरपालिका क्षेत्र में सन् 1971 से पूर्व के अनधिकृत अतिक्रमणों को नियमित कर दिया गया है? भूखण्डों की संख्या सूची व मालिक का नाम, पता, कितनी भूमि, कितनी रकम लेकर नियमित की गई, ऐसे विवरण सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त नियमन में कितने व्यक्तियों का हस्तान्तरण विलेख पंजीवद्ध करवाया गया है तथा कितने पंजीकरण कराने बाकी हैं? कृपया नाम, पता सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कुल 56 व्यक्तियों का विक्रय विलेख पंजीकरण कराया गया है तथा 35 का पंजीकरण कराना बाकी है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)।

बीकानेर जिले में कमजोर वर्ग की आवासीय समस्या

401. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्प आय वर्ग की आवासीय समस्या को हल करने के सम्बन्ध में सरकार के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार हिन्दुस्तान शहरी विकास निगम (हुडको) के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को निर्मित भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। बीकानेर जिले के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति जन जाति एवं अल्प आय वर्ग की आवासीय समस्या को हल करने के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास बीकानेर के पास निम्न योजना विचाराधीन है :—

मुक्ता प्रसाद नगर योजना में 100 भवनों का अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्माण।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास हुडको के माध्यम से ऋण प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों को निर्मित भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है।

(अ) मुक्ता प्रसाद नगर योजना में 100 भवनों का अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्माण।

(ब) मुक्ता प्रसाद योजना में इस कार्य हेतु भूमि उपनिवेशन विभाग से नगर विकास न्यास, बीकानेर को हस्तांतरित करने की कार्यवाही विचाराधीन है। भूमि

Page No 54

(54)

(नगर आयोजना मंत्री)

ट्रांसफर होने पर तथा हुड़को से ऋण उपलब्ध होने पर 6 माह की अवधि में भवन उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

पत्रकारों को भूखण्डों का आवंटन

402. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने पत्रकारों को भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो आवंटित व्यक्ति को जमीन देने का आधार क्या होगा?

(2) पत्रकारों को कब तक भूखण्ड आवंटन कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां, पत्रकारों को भूखण्ड आवंटन करने सम्बन्धी निमम बन रहे हैं।

(2) नियम बनने पर ही कार्यवाही अतिशीघ्र पूरी की जायेगी।

तत्कालीन जयपुर नगर विकास न्यास की सेक्टर नं० 1 योजना के लिए अवाप्त कृषि भूमि

403. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तत्कालीन जयपुर नगर विकास न्यास की सेक्टर नं० 1 योजना के लिए लगभग नौ हजार बीघा कृषि भूमि को अवाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने नगर विकास अधिनियम की धारा 52 (2) के तहत दिनांक 8-10-1979 को नोटिस जारी किया और जिसकी अधिसूचना 10 अक्टूबर, 1979 राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास, जयपुर ने आपत्तियों की सुनवाई कर सन् 1980 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर धारा 52 (1) में नोटिस जारी करने हेतु निवेदन किया था?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने धारा 52 (1) का नोटिस जारी नहीं किया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह नोटिस जारी नहीं किया जिससे भूमि मालिकों ने अपनी भूमि को गृह निर्माण समितियों को बेच दिया था या गृह निर्माण समितियों को कमीशन देकर उन्होंने भूखण्ड काट कर इन भूखण्डों का विक्रय कर दिया है?

(5) क्या यह सही है कि इस भूमि में अधिकांश ऐसी भूमि है जो बेरी कमीशन की जांच के अनुसार राज्य सरकार की है?

(6) क्या राज्य सरकार इस घपले की न्यायिक जांच करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मामला विचाराधीन है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। आयोग ने मामलों के गुणों-अवगुणों के आधार पर ही निर्णय किये हैं व प्रत्येक मामलों में अलग-अलग तथ्य (फाइन्डिंग्स) व सिफारिश (रिकमंडेशन्स) की है न कि अधिकांश भूमि राज्य सरकार की बताई गई है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता है।

छोटे नगरों के समुचित विकास की योजना

404. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के निर्माण एवं अब आवासन मण्डल की छोटे नगरों का समुचित विकास करने की कोई योजना है? क्या इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान के कोई नगर विकास के लिए चयनित किये गये हैं? यदि हां, तो वे कौन कौन से नगर हैं तथा उनके विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं और इस कार्य पर अब तक अलग-अलग कितना व्यय हो चुका है।

उत्तर

जी हां, केन्द्रीय सरकार के निर्माण एवं आवासन विभाग की छोटे एवं मध्यम नगरों के विकास की योजना है। राजस्थान में निम्न नगर इस योजना के अन्तर्गत चयनित किये गये हैं :—

1–पाली, 2–सीकर, 3–भीलवाड़ा, 4–नाथद्वारा, 5–बारां, 6–सुमेरपुर, 7–चूरू, 8–गंगानगर, 9–बाड़मेर, 10–जैसलमेर, 11–चित्तौड़गढ़,

इन नगरों में बनाई गई योजनाएं एवं उन पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

1. पाली :—

अ–गांधी नगर (रोटरी नगर)	रु. 11,19,832·50 पैसे
ब–व्यावसायिक केन्द्र स्टेशन रोड	रु. 84,078·00
स–पुरुषार्थी नगर (सिन्धी कालोनी)	—

2. सीकर :—

अ–शास्त्री नगर (आवासीय योजना)	इन सभी योजनाओं पर अब तक
ब–देवीपुरा (आवासीय योजना)	12, 90, 841·37 रु. व्यय किये गये हैं।
स–बसन्त बिहारी (आवासीय योजना)	—
द–शास्त्री बाजार (व्यावसायिक योजना)	

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

3. भीलवाड़ा

अ–डॉ. राधाकृष्णन कॉलोनी (आवासीय)	30,71,000·00
ब–बापू नगर (आवासीय योजना)	6,17,000·00
स–ट्रान्सपोर्ट मार्केट नगर	4,12,000·00

4. नाथद्वारा

अ–नेशनल हाइवे न. 8 (आवासीय योजना)	रु. 25,000·00
ब–तेलियों का तालाब ,,	रु. 120,000·00
स–लोधाघाटी योजना ,,	रु. 10,000·00
द–बस स्टेण्ड से तेलियों (सड़क योजना) का तालाब।	रु. 48,000/–
ध–बस स्टेण्ड से मन्दिर श्रीनाथजी	—
न–लिंक रोड़ यादव बस्ती (सड़क योजना)	रु. 25,600/–
प–शॉपिंग सेन्टर (नेशनल हाइवे न. 8)	—

5. बारां (कोटा)

अ–रावल जी का चौक के पास की योजना (आवासीय)	—
ब–रेलवे स्टेशन के सामने की योजना (व्यावसायिक)	रु. 72,000/–
स–पुरानी गाड़ी अड्डा की योजना (व्यावसायिक)	रु. 12,000/–

6. सुमेरपुर

अ–आवासीय योजना हाइवे नं. 8 (मन्डी रोड)	—
ब–ट्रक ट्रान्सपोर्ट मार्केट योजना (व्यावसायिक एवं आवासीय योजना)	रु. 8,75,789·10 पैं.

7. चूरू

अ–सैनिक बस्ती भाग–3 (आवासीय)	इन योजनाओं पर अब तक
ब–इन्दिरा कालोनी ,,	20,72,000·00 रुपये
स–वूलन मिल के पीछे की योजना ,,	व्यय किये जा चुके हैं।
द–बस स्टैण्ड योजना (व्यावसायिक)	
ध–जौहरी सागर टैंक	

8. गंगानगर

अ–जवाहर नगर (आवासीय)	इन योजनाओं पर कुल
ब–बस स्टैण्ड योजना ,,	रु. 25,60,681/–व्यय
स–लिंक रोड निर्माण योजना	किया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

9. बाड़मेर

अ–महावीर नगर फेज–2 (आवासीय)	—
ब–शॉपिंग सेन्टर महावीर नगर फेज–1 (व्यावसायिक)	रु. 8,74,000/-

10. जैसलमेर

अ–इन्दिरा कालोनी (आवासीय योजना)	—
ब–गांधी नगर विस्तार योजना ,,	—
स–रेलवे स्टेशन के सामने की योजना (व्यावसायिक)	—
द–डिब्बा पाड़ा क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना	—

11. चित्तौड़गढ़

अ–पुलिस लाइन के पास योजना (आवासीय)	इन चारों योजनाओं में जल व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को 10 लाख रु. जमा करवाये गये हैं।
ब–सैक्टर नं. 2 गांधी नगर ,,	
स–सैक्टर नं. 5 गांधी नगर ,,	
द–रेलवे स्टेशन के पास योजना नं. 7 (व्यावसायिक)	

नगर परिषद् अजमेर द्वारा किराये पर लिये ट्रकों के ट्रिप्स की जांच

405. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उप परीक्षक निधि अंकेक्षण विभाग ने नगर परिषद अजमेर द्वारा किराये पर लिये गये ट्रकों के ट्रिप्स की जाँच की थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस जाँच में नगर परिषद् अजमेर द्वारा 1979-80 में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में एक ट्रक द्वारा एक भी ट्रिप नहीं करने के बावजूद लगभग 60 ट्रिप का किराया वसूली का घोटाला भी सामने आया ?

(3) यदि हां, तो इसके लिए कौन कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं। वर्ष 1979-80 में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में ट्रकों के ट्रिप्स

Page No 58

(58)

(स्वायत्त शासन मंत्री)
जैसी कोई शिकायत नहीं मिली है। केवल वर्ष 1978-79 में मिट्टी उठाने बाबत आडिट ने आक्षेप किया।

(3) वर्ष 1979-80 में किसी के दोषी होने की कोई शिकायत नहीं है। 1978-79 से सम्बन्धित किए गए आक्षेप के बारे में प्रशासक, नगर परिषद्, अजमेर को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है।

नगर परिषद् अजमेर द्वारा पोस्ट पार्सलों पर चुंगी वसूली का निर्णय

407. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर द्वारा गत दिनांक 24-7-1982 से पोस्ट पार्सलों पर चुंगी वसूली का निर्णय लेकर लागू कर दिया गया है? यदि हां, तो निर्णय (आदेश) की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इस निर्णय की स्वीकृति राज्य सरकार से ली गई है और क्या राज्य सरकार निर्वाचित परिषद् के अभाव में मनोनीत प्रशासक द्वारा नये चुंगी लगाने के निर्णय को उचित मानती है?

(3) क्या यह भी सही है कि पोस्ट पार्सलों पर चुंगी नहीं वसूल करने का निर्णय करीब पाँच वर्ष पूर्व नगर परिषद् अजमेर द्वारा ही लिया गया था? यदि हां, तो उस निर्णय की प्रति एवं उस निर्णय लेने के कारणों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) नगर परिषद् अजमेर को पूर्व में पोस्ट पार्सलों पर चुंगी बन्द करने के पहले के एक साल की कितनी आय हुई थी?

(5) दिनांक 24-7-1982 से दिनांक 24-8-1982 तक कितनी पार्सलों पर कितनी चुंगी वसूल हुई है?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्णय नगर परिषद् का नहीं है। राजकीय आदेश दिनांक 16-6-81 के अनुसार पोस्ट पार्सलों पर दिनांक 24-7-82 से अजमेर में चुंगी वसूल करना प्रारम्भ किया गया।

(2) निर्णय राज्य सरकार का ही है इसलिए स्वीकृति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निर्णय प्रशासक का नहीं है।

(3) जी नहीं। सन् 1967 के चुंगी अनुसूची के अनुसार पोस्ट पार्सल पर चुंगी नहीं ली जाती थी।

(4) नगर परिषद् की सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 1966-67 में 8037.64 पैसे की आय हुई थी।

दिनांक 24-7-82 से 24-8-82 तक नगर परिषद् अजमेर की सूचना के अनुसार 2848.67 पैसे की आय हुई है।

नगर विकास न्यास अजमेर व जोधपुर के अध्यक्ष

408. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री

Page No 59

(59)

(श्री भगवान दास शास्त्री)

यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास अजमेर व जोधपुर के वर्तमान न्यास के जन प्रतिनिधि अध्यक्षों ने नियुक्ति से आज तक कितनी धनराशि तनख्वाह के रूप में प्राप्त की ? सूची मय राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वाहनों की सुविधायें भी अध्यक्षों एवं अधिकारियों को प्राप्त है ? यदि हां, तो जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 तक पैट्रोल के कुल खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त न्यासों को उचित कार्यवाही एवं नगर सौन्दर्यकरण के नाम पर सरकार ने विशेष धनराशि प्रदान की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर व जोधपुर के वर्तमान न्यास जन प्रतिनिधि अध्यक्षों ने नियुक्ति से अब तक क्रमशः रुपये 14,500 एवं रु. 14,866.67 प्राप्त किये हैं।

(2) जी हां। जुलाई 1981 से अगस्त 1982 तक पैट्रोल का कुल खर्चा नगर विकास न्यास, अजमेर व जोधपुर द्वारा क्रमशः रुपये 26,057.21 एवं 80,776.18 का हुआ है।

(3) जी नहीं। न्यास अपने स्रोतों से ही यह खर्चा करते हैं।

न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति

409. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की श्याम नगर योजना में किन-किन व्यक्तियों ने भवन बना लिये हैं ? कृपया तालिका प्लाट नम्बर सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त श्याम नगर योजना की भूमि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति ने किस-किस व्यक्ति से कब खरीदी और इसका खसरा नं. क्या-क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की अवाप्ति के लिये नगर विकास अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी हुआ था ? यदि हां, तो कब और इस अवाप्ति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की सूचना के अनुसार समिति ने खसरा नम्बर 285 से 292, 316, 281, 327/1, ग्राम सोडाला एवं खसरा नं. 95/2 ग्राम मदरामपुरा की भूमि निम्न खातेदारों से निम्न दिनांक को क्रय की :—

Page No 60

(६०)

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

नाम खातेदार	पंजीयन दि.
1. लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र श्री कल्याण बक्श	2 जुलाई, 1970
2. मनफूल बाई पुत्री कल्याण बक्श	28 जुलाई, 1970
3. हरी शंकर यादव पुत्र कल्याण बक्श	31 जुलाई, 1970
	11 मार्च, 1971
4. कस्तूर बाई	24 सितम्बर, 1970
5, मदन गोपाल पुत्र हरीशंकर	4 अगस्त, 1978
6. विजय कृष्ण पुत्र लक्ष्मीनारायण	22 दिसम्बर, 1978
7. हरी सिंह पुत्र सवाई सिंह	6 नवम्बर, 1974
8. मनमोहन सिंह पुत्र अमुर सिंह	4 सितम्बर, 1974

(3) जी हां। अवाप्ति संबंधी नोटिस राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 52 (2) के तहत राजस्थान राजपत्र में दिनांक 10-10-79 को प्रकाशित हुआ था। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नगर सुधार नियम, 1959 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

यू. एन. डी. पी. द्वारा आयोजित 'लो कॉस्ट सेनिटेशन' विषयक सम्मेलन

410. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 1982 से उदयपुर में आयोजित "लो कॉस्ट सेनिटेशन" विषय पर त्रिदिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन ने मुख्य-मुख्य क्या-क्या निर्णय लिये ? क्या इस विषय पर समयबद्ध कोई कार्यक्रम बनाया गया ?

(2) क्या ऐसे किन्हीं निर्णयों अथवा कार्यक्रमों द्वारा मानव के सिर पर मैला ढोने का अभिशाप समाप्त हो पायेगा ? यदि हां, तो कितने समय में, और कितनी धनराशि का इन कार्यक्रमों पर राजस्थान राज्य में व्यय होने का अनुमान है ? क्या उक्त राशि उपलब्ध कराये जाने के लिये किसी व्यवस्था अथवा प्रबन्ध की रूप रेखा तैयार की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु इसमें लिये गये निर्णयों के बारे में निर्माण एव आवासन मंत्रालय भारत सरकार से अभी तक विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

(2) अभी इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्राप्त नहीं हो सका है।

नगरपालिका मण्डावा (झुन्झुनू) को नालियों के लिये अनुदान

411. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका मण्डावा (झुन्झुनू) को नालियां बनाने के लिये इस वर्ष कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया है ?

(2) स्वीकृत अनुदान के तहत कस्बे के किस-किस वार्ड में नालियों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है और उन पर कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) नालियों के निर्माण कार्य हेतु क्या टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे। यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा टेण्डर भरे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि नालियों का निर्माण केवल मात्र बाजार में ही किया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन वार्डों में नालियों का निर्माण किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इसवर्ष 1982-83 में नगरपालिका, मण्डावा को नालियां बनाने का राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष अनुदान नहीं दिया गया है।

(2) जी नहीं। विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है। नगरपालिका ने अपने स्वयं के विकास कोष से वार्ड नं. 4 व मुख्य बाजार में नालियों के निर्माण पर कुल 27732–22 पैसे व्यय किये हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। नगरपालिका ने विभागीय स्तर पर ही कार्य करवाया था इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा टेण्डर भरने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। मेन बाजार में गढ़ के दरवाजे से बैंक आफ बड़ौदा के कार्यालय भवन तक नाली निर्माण के साथ आम बाजार का गन्दा पानी निकास हेतु वार्ड नम्बर 4 में भी नालियों का निर्माण कराया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

मेहतर मजदूर संघ का कार्यालय

412. श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा मेहतर मजदूर संघ का कार्यालय जलेबी चौक, जयपुर में बना कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्यालय के निर्माण पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

(2) जिस भूमि पर यह कार्यालय बनाया गया है उस भूमि पर मालिकाना हक किसका है ? क्या यह निर्माण वैध है ?

Page No 62

(62)

(श्री उम्मेद सिंह)

(3) इस संस्था के भवन का निर्माण नगर परिषद् जयपुर ने किस आधार पर करवाया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद् ने बनाकर नहीं दिया। मेहतर मजदूर संघ से दिनांक 25-6-82 को हुए समझौते के अनुसार अस्थायी कमरा एग्रो इन्डस्ट्रीज से बना बनाया कमरा रु. 13029-50 पं. में क्रय कर दिया गया है।

(2) जिस भूमि पर अस्थाई कमरा बना है वह सरकारी भूमि है।

(3) राजस्थान मेहतर मजदूर संघ के साथ दि. 25-6-82 को उनकी मांगों पर विचार विमर्श के दौरान हुए समझौते के आधार पर ही नगर परिषद् द्वारा यह बना बनाया कमरा रखवाया गया है।

जयपुर स्थित महारानी गायत्री मार्केट

413. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर स्थिति महारानी गायत्री मार्केट नगर परिषद् के क्षेत्र में आता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बाजार की सारी फुटपाथ खाली मैदान व सड़कें दुकानदारों ने नाजायज तरीके से घेर रखी हैं ?

(3) क्या नगर परिषद् ने अनेक बार इस नाजायज कब्जे को हटाने का प्रयत्न किया है ? यदि हां, तो फिर भी अनाधिकृत कब्जे क्यों बने हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस बाजार में फुटपाथ व सड़क पर किये गये अतिक्रमणों को समय-समय पर हटाया जाता रहा है।

(3) बार-बार सड़क व फुटपाथों पर किये गये अतिक्रमण को नगर परिषद् द्वारा हटाया जाता रहा है।

उदयपुर नगर विकास न्यास के बजट में भोज की राशि

414. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर न्यास, उदयपुर के बजट में भोज हेतु रकम रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नगर न्यास ने भोज के कार्यक्रम आयोजित किये ? यदि हां, तो कब-कब एवं उस पर कितना-कितना धन खर्च हुआ ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार उपरोक्त व्यय को नियम विरुद्ध मानती है ? यदि हां, तो उसके लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

Page No 63

(63)

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर विकास न्यास, उदयपुर के आय-व्यय वर्ष 82-83 में रुपये 25,000/- अध्यक्ष महोदय के डिस्क्रिशन पर रखे गये हैं जिसके अन्तर्गत भोज आदि पर व्यय किया गया है।

(2) जी हां। वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नगर न्यास ने निम्न तिथियों को भोज के कार्यक्रम आयोजित किये जिस पर उनके सामने अंकित राशि व्यय की गई :-

तिथि	राशि
8.1.82	2,781/-
18.4.82	789/-
23.4.82	1,500/- अग्रिम दी गई राशि।
2.6.82	2,374/-
25.6.82	1'280/-
10.7.82	1,152.50
28.8.82	1,500/- अग्रिम दी गई राशि।

(3) इसके लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है, जिसके तहत ऐसे व्यय को अनियमित माना जा सके।

क्रय-विक्रय सहकारी संघ, जयपुर

415. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि क्रय-विक्रय सहकारी संघ, जयपुर गत कई वर्षों से हानि में है ? यदि हां, तो हानि के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1975 से 1982 की अवधि का ऑडिट उक्त संघ का हुआ तथा उसमें गम्भीर अनियमितताएं पायी गयीं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या गबन के मामले भी पाये गये ? यदि हां, तो उनमें कितनी राशि का गबन हुआ तथा क्या दोषी व्यक्तियों से राशि वसूल की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) क्रय-विक्रय सहकारी संघ, जयपुर की वर्ष 74-75 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 30-6-75 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संघ के सन्तुलन चित्र के अनुसार 2, 70, 058.58 का लाभ दर्शाया गया है। अगले वर्ष में अनआडिटेड आँकड़ों के अनुसार वर्षवार हानि-लाभ का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाभ (लाखों रु. में)	हानि (लाखों में)
74-75	2.10	—
75-76	3.18	—
76-77	5.47	—
77-78	6.07	—
78-79	12.44	—
79-80	—	6.44
80-81	—	0.12
	29.26	6.56

(सहकारिता मंत्री)

अधिक संस्थापन व्यय होने के कारण वर्ष 79-80, 80-81 में हानि हुई है।

(2) यह सही है कि संघ का कानकरेन्ट ऑडिट हो रहा है, किन्तु अन्तिम लेखे उपलब्ध न होने के कारण ऑडिट रिपोर्ट नहीं बन सकी है। समवर्ती अंकेक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के तहत जांच की जा रही है।

यह सही है कि कानकरेन्ट आडिट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा संघ की राशि का गबन किया गया है :—

क्र. स. नाम	राशि	वर्ष
1. श्री रामस्वरूप भू. पू. केशि.	12683.28	74-75
2. श्री दामोदरलाल ,,	3405.95	,,
3. लक्ष्मणराम झुन्झुनू डिपो	7255.00	,,
4. बोदुराम मै. भादरा डिपो	69500.00	78-79
5. राजेन्द्रसिंह भू. स्टोर कीपर	8824.92	,,
	101669.37	

(3) उपरोक्त राशि के लिए विभाग द्वारा राज. सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसमें से अभी कोई राशि वसूल नहीं हुई है क्योंकि अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

निवाई (टौंक) मार्केटिंग सोसायटी के गोदाम

416. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सहकारिता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों में निवाई (टौंक) मार्केटिंग सोसायटी का गोदाम लाखों रुपये के घोटाले के पश्चात् बन्द पड़ा है ? इसके कारण स्थानीय नागरिकों को मार्केटिंग सोसायटी की सुविधा से वंचित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार मार्केटिंग सोसायटी निवाई में गबन करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) जी हां, समिति अवसायन में लाये जाने एवं अवसायक को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने के कारण गोदाम बन्द है। फिर भी स्थानीय नागरिकों को टौंक क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. की शाखा निवाई से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(सहकारिता राज्य मन्त्री)

(2) हां समिति का रिकार्ड उपलब्ध होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) समिति से अवसायक द्वारा रिकार्ड प्राप्त करने हेतु एम. एम. कोर्ट निवाई में दिनांक 13-7-77 को मामला प्रस्तुत किया गया। एम. एम. कोर्ट ने दिनांक 28-2-81 को समिति के व्यवस्थापक श्री भगवान दास टोडवाल पर रु. 400/- जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर दो माह का साधारण कारावास का फैसला दिया गया। जुर्माना के 400/- रुपये जमा करा दिये हैं। उक्त फैसलों की अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अजमेर जिले में सहकारी बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

417. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर जिले में जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 तक सहकारी बैंकों द्वारा कितना और किस-किस को ऋण प्रदान किया गया? कृपया नाम व सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इस ऋण की स्वीकृति के क्या आधार रहे हैं? यह सुनिश्चित करने की क्या प्रक्रिया है कि जरूरतमन्द लोगों को ऋण दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक अजमेर, केकड़ी ब्यावर व अजमेर अरबन को-ओपरेटिव बैंक लि०, अजमेर द्वारा जुलाई, 81 से अगस्त 82 तक जो राशि अपने सदस्यों को वितरित की है उसकी सूची संलग्न है।

(2) उक्त बैंक के उद्देश्य निर्धारित हैं। यह बैंक रिजर्व बैंक की निर्धारित ऋण नीति के अनुसार अपने जरूरतमन्द सदस्य से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ऋण देते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजकीय प्राथमिक शाला कटराथल (सीकर)

418. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक शाला कटराथल (सीकर) ग्राम पंचायत दौलतपुरा राजस्व सीमा में आती है, जो कई वर्षों से चल रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शाला का नाम परिवर्तन कर राजकीय प्राथमिक शाला, दौलतपुरा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। लेकिन वर्तमान में इस प्राथमिक शाला का नाम परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायत राताकोट तहसील केकड़ी के विरुद्ध आरोप

419. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत राताकोट तहसील केकड़ी (अजमेर) के सरपंच के विरुद्ध उसी ग्राम पंचायत के दो वार्ड पंचों ने अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सोलह आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-1-82 को प्रस्तुत किया था ?

(2) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) इस मामले में प्रारम्भिक जांच करवाई गई जिसमें सरपंच के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाये गये। फिर भी कार्यों का मूल्यांकन पंचायत समिति भिनाय के ओवरसियर से करवाया जा रहा है। यदि मूल्यांकन में सरपंच दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत दुर्गावास (अजमेर) के सरपंच के विरुद्ध शिकायत

420. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री विरदा सरपंच ग्राम पंचायत दुर्गावास पं. स. जवाजा (अजमेर) के विरुद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रामावास में निर्मित सड़क में भ्रष्टाचार करने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा पंचायत समिति जवाजा में की गई थी।

(2) क्या यह भी सही है कि उस शिकायत की पंचायत समिति जवाजा के सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की गई थी और जांच रिपोर्ट में शिकायत सही होना पाया था ? यदि हां, तो यह शिकायत कब हुई, उस पर जांच कब की गई और अब तक जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। शिकायत की प्रारम्भिक जांच कराई गई। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। शिकायत दिनांक 31-5-82 को प्राप्त हुई। जिस पर जांच दिनांक 5-7-82 को की गई। श्रमिकों को कम भुगतान की गई राशि रु० 1320) पंचायत कोष में 26-4-82 को जमा करा दी गई। श्रमिकों को भुगतान करने हेतु विकास अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत अतीतमण्ड (अजमेर) के सरपंच के विरुद्ध आरोप

421. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री अमर चन्द सरपंच, ग्राम पंचायत अतीत मण्ड

(श्री कैलाश मेघवाल)

पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना के तहत अनाज के दुरुपयोग की जिलाधीश अजमेर को शिकायत हुई और उन शिकायतों के समर्थन में सात व्यक्तियों के शपथ पत्र भी जिलाधीश के सामने प्रस्तुत किये थे ?

(2) यदि हां, तो शिकायतों की प्रतियां मय शपथ पत्रों की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

(3) इन शिकायतों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत के समर्थन में 11 व्यक्तियों के शपथ पत्र प्राप्त हुए न कि सात व्यक्तियों के।

(2) शिकायत पत्र एवं शपथ पत्र की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) शिकायतों की जांच उप जिला विकास अधिकारी से कराई गई। शिकायतें निर्माण कार्यों से सम्बन्धित होने के कारण सहायक अभियन्ता (सी. डी.) से कार्यों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने एवं सरपंच के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(शपथ पत्र के लिए परिशिष्ट 23 देखें)

पंचायत समिति भिण्डर के पंच

422. श्री कमलेन्द्र सिंह (वलभनगर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति भिण्डर की पंचायत सारंगपुर (कानोडा) के कितने पंचों ने निर्वाचित होने के बाद अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है ?

(2) क्या सरकार ने राजस्थान पंचायत निर्वाचन नियम, 1953 की धारा 17 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही की है ?

(3) सरकार इन स्थानों को कब तक रिक्त घोषित कर देगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, भिण्डर की पंचायत सारंगपुरा (कानोड़) के निम्नलिखित पांच पंचों ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है:–

1. श्री हजारी पिता बिरमाजी जाट
2. श्री बेरीसाल पिता चमन सिंह (चैनपुरिया)
3. केशर सिंह पिता देवी सिंह (जसवन्तपुरा)
4. श्री जयसिंह पिता केशरसिंह (अचलाणा)
5. श्रीमती दाकी पति पुरा चमार (सारंगपुरा)

सरपंच ने शपथ दिलाना चाहा परन्तु इन्होंने लेने से इन्कार कर दिया।

(2) पंचों के नाम का गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है अतः अभी शपथ के लिए समय उपलब्ध है क्योंकि राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत चुनाव नियम, 1960 के नियम 63 सहपठित धारा 14

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

के अनुसार गजट में नाम प्रकाशित होने के तीन माह के अन्दर शपथ दिलाने का प्रावधान है। यदि वे पंच शपथ लेना चाहेंगे तो दिलादी जावेगी।

(3) यदि इनके द्वारा शपथ ले ली गई तो पद रिक्त घोषित करने का प्रश्न ही नहीं है अन्यथा पद रिक्त घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी।

भीलवाड़ा के जिला प्रमुख को सरकारी जीप

423. श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सामुदायिक विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1981–82 तथा 1982-83 में जिला भीलवाड़ा के जिला प्रमुख ने सरकारी जीपों से 31 अगस्त, 1982 तक कहां कहां यात्रायें कीं और ये यात्रायें किन किन कारणों से की गई ? इन दौरों पर कितना खर्चा आया, कृपया सूची सहित बतावें ?

(2) जिला प्रमुख द्वारा की गई उक्त यात्राओं पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) वर्ष 81–82 तथा 82–83 में जिला प्रमुख भीलवाड़ा को दिनांक 7-1-82 एवं 31-8-82 के बीच जिला पूल से उपलब्ध कराई गई जीप तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा आवंटित कार द्वारा की गई यात्राओं तथा इन यात्राओं के प्रयोजन का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। इन यात्राओं पर कुल व्यय 26,251–93 पैसे हुआ है।

व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	व्यय
1–1981–82 (दि० 7–1–82 से 31–3–82 तक)	8,989–65
2–1982–83 (दि० 1–4–82 से 15–7–82)	12,803–85
3–दि० 16–7–82 से 31–8–82 तक	4,158–43

वर्ष 82–83 के माह मई, 82 में जिला प्रमुख भीलवाड़ा द्वारा माह फरवरी और मार्च में की गई यात्राओं का यात्रा भत्ता 300–00 रु० चुकाये गये हैं। इसके अतिरिक्त यात्राओं पर कोई व्यय नहीं हुआ है। इस प्रकार कुल व्यय 26,251–93 पैसा हुआ है।

(2) वर्ष 81–82 एवं 82–83 में दिनांक 31–8–82 तक की गई यात्राओं पर कुल 26,251–93 पैसे की धनराशि व्यय हुई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

पंचायत समिति सांगोद (कोटा) द्वारा निर्माण कार्य

424. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में गत एक वर्ष में पंचायत समिति सांगोद में किस किस मद से क्या क्या निर्माण कार्य कहां कहां कितनी कितनी धनराशि के विभाग द्वारा करवाये गये ?

(2) यह कार्य किन किन ठेकेदारों के माध्यमों से करवाये व कितनी कितनी धनराश किन किनको देय है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांगोद में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में निर्माण कार्य एवं उन पर की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्यों की संख्या	व्यय की गई राशि
1	2	3	4
1.	खरंजा निर्माण	2	5.575·36
2.	पुलिया निर्माण	2	9,089·07
3.	चरागाह	1	3,296·00
4.	पंचायत भवन निर्माण	2	8,731·05
5.	कूप मरम्मत एवं गहरा कराना (पेयजल व्यवस्था)	21	66,543·45
6.	नया कूप निर्माण तथा पानी की टंकी निर्माण (पेय जल व्यवस्था हेतु	24	2,95,258·02
7.	एनीकट निर्माण	2	1,56,915·13
8.	शाला भवन निर्माण	15	1,21,762·98
	योग	69	6,67,171·06

(2) ये समस्त कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही करवाये गये हैं, किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं करवाये गये। इन कार्यों के पेट पंचायतों द्वारा जो राशि का भुगतान किया जाना शेष है उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या	भुगतान करना शेष है
1.	किशनपुरा	4	9207·20
2.	जास्पाहेड़ी	1	2000·00
3.	धूलेट	4	5696·95
4.	दीगोद	2	1490-90
5.	मामोर	2	2769-60
6.	हिगोनियां	2	4194-85
7.	लजानियां	3	5984-00
8.	सावनमादो	2	3992-00
9.	खजूरना	1	1000-00
10.	जौरीनाकला	1	120-00
11.	भारुकलां	1	1963-85
12.	देवली	1	38-00
13.	होली	1	498-00
	योग	25	38,955-35

(ब) श्रमिकों को भुगतान करना शेष है :–

(पंचायत राज मंत्री)

क्र.सं.	नाम पंचायत	राशि जो मजदूरों को भुगतान करना शेष है
1.	विनोद खुर्द	314-50
2.	लबानिया	307-12
3.	हिगोनियां	367-20
4.	खजूरना	21360-99
	योग	3349-81

(स) श्रमिकों को आंशिक रूप से भुगतान करना शेष है :–

क्र. सं.	नाम पंचायत	राशि जो भुगतान करनी शेष है
1.	किशनपुरा	50-00
2.	ललानियां	51-04
3.	जोरीनाकलां	8-45
4.	जयापरकलां	21-00
5.	विनोदखुर्द	588-60
6.	लटूरी	537-00
7.	कुराई	94-76
8.	मोरूकलां	69-00
9.	दीगोद	261-85
10.	बास्पाहेड़ी	120-00
11.	खजूरी	142-50
12.	मामोर	462-12
13.	घूलेट	14-00
14.	कुन्दनपुर	2136-55
15.	खंजूरना	637-00
	योग	5,193-87

पशुपालन विद्यालय, उदयपुर

425. **श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या कृषि एवं पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशुपालन विद्यालय, उदयपुर से 1980–81 व 81–82 में कितने कितने छात्रों ने प्रशिक्षण लिया ? वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन विद्यार्थियों को शैक्षणिक योग्यता जो प्रवेश हेतु चाहिये, उसमें छूट दी जा रही है ?

(3) क्या वर्ष 1980–81 व 81–82 में उत्तीर्ण हुये छात्रों को राज्य सेवा में ले लिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ?

(4) क्या सरकार शेष प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को राज्य सेवा में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त विद्यालय में प्रशिक्षणार्थियों के लिये छात्रावास की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार छात्रावास की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पशुपालन विद्यालय, उदयपुर में 80–81 व 81–82 में क्रमशः 50, 50 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) अभी नहीं। नियमों में संशोधन होने के बाद सम्भव होगा

(कृषि एवं पशुपालन मन्त्री)

(3) वर्ष 80–81 में उत्तीर्ण हुए अभ्यार्थी, जो निधारित योग्यता पूर्ण करते थे, उन 22 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गयी है। 81–82 के सत्र वालों की नियुक्ति देना शेष है।

(4) राज्य सरकार द्वारा पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति जारी किये जाने पर ही राज्य सेवा में नियुक्ति देना सम्भव हो सकेगा।

(5) जी नहीं।

धन की उपलब्धि पर ही विचार किया जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

पशु प्रजनन केन्द्र कुम्हरे

426. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : **क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) पशु प्रजनन केन्द्र कुम्हरे जिला भरतपुर के अधीन कितनी भूमि है तथा यहां औसत कितना चारा पैदा होता है ? क्या यह सही कि इस केन्द्र के पास पर्याप्त से अधिक भूमि होने के बावजूद इसे चारा खरीदना पड़ता है ? क्या यह भी सही है कि फार्म पर उत्पादित चारा बाजार भाव से भी काफी महंगा पड़ता है ?

(2) क्या यह सही कि पशु चारे के लिए आलू खरीदे गये हैं ? क्या आलू पशु चारे के उपयोग में लाये जाते हैं ?

(3) क्या यह सही कि गत 20 जून, 1982 को केन्द्र के दूध की सप्लाई की बोली 1.81 पैसे प्रतिलीटर लगी थी फिर भी 1.30 पैसे के भाव पर दूध बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि केन्द्र की गायों को टी. बी. हो रही है, फिर भी उनका दूध सप्लाई किया जा रहा है ?

(5) क्या इस केन्द्र के बारे में आडिट आक्षेपों की पूर्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया आक्षेपों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पशु प्रजजन कुम्हरे के अधीन 923 एकड़ भूमि उपलब्ध है। यहां पर गत तीन वर्षों के आधार पर औसत चारा हरा 7374 क्विन्टल एवं सूखा चारा 1820 क्विन्टल चारा रहा इसके अलावा 400 एकड़ भूमि चरागाह पशु चराने हेतु उपलब्ध रही है।

जी नहीं।

परन्तु दैवी प्रकोप होने पर चारा क्रय किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

जी हां।

20 जून 82 को दूध सप्लाई की कोई बोली नहीं हुई।

दुग्ध सप्लाई राज्यादेशानुसार भरतपुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ को 30.00 रुपये

Page No 72

(72)

(पशु पालन मन्त्री)

किलो के आधार पर सप्लाई किया जाता है।

(4) केन्द्र की 83 गायों में से 14 गायें क्षय रोग के परीक्षण में पोजिटिव पायी गयी।

ऐसी गायों का दुग्ध उबालकर ही प्रयोग में लाया जाता है।

(5) इस केन्द्र पर प्रति दो तीन वर्ष के अन्तराल से आडिट होती रहती है। तथा उसके आक्षेपों की पूर्ति भी, यथा समय की जाती है।

बाड़मेर जिले के बालोतरा सब डिवीजन में कालेज

427. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : **क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--**

क्या बाड़मेर जिले के बालोतरा सब डिवीजन हैड क्वार्टर से 60 मील दूरी पर कोई कालेज है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में जन सहयोग द्वारा भवन बनाने पर कालेज खोलेगी ?

उत्तर

बाड़मेर जिले में केवल बाड़मेर मुख्यालय पर ही एक राजकीय महाविद्यालय है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने नये राजकीय महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं रखा है।

जीरे, रायड़े के निर्यात पर टैक्स

428. **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल) : **क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1982 से किसानों द्वारा उत्पादित जीरे, रायड़े के निर्यात पर टैक्स की जो छूट थी उसे समाप्त कर जीरे व रायड़े के निर्यात पर किसानों के माल पर भी 4 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया ?

(2) उक्त टैक्स के लगाने से कितने रुपये की आय का अनुमान लगाया गया था और मार्च, 1982 से अब तक कितना टैक्स राजकीय कोष में जमा हुआ ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर लगाने से जितनी आय की अपेक्षा की गई थी वह पूरी नहीं हो सकी ? क्या ऐसी सूरत में राज्य सरकार इस टैक्स को समाप्त करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) प्रश्न नहीं उठता

(3) प्रश्न नहीं उठता।

जालौर जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालय में पी. टी. आई. के पद

429. **श्री कनकराज मेहता** (सांचोर) : **क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(श्री कनकराज मेहता)

जालौर जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय में पी. टी. आई. के कितने पद कहां कहां स्वीकृत हैं ? इनमें से किस किस स्थान पर पद रिक्त हैं व वे कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

जालौर जिले में पी. टी. आई. के एक-एक पद–(1) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गांधी नगर, जालौर

(2) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कचहरी रोड, भीनमाल

(3) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सदर बाजार, भीनमाल में स्वीकृत हैं। किसी भी विद्यालय में पी. टी. आई. का पद रिक्त नहीं है। अतः इनको भरे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी द्वारा लघु कृषक प्रमाण-पत्र

430. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या विशिष्ट योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति बड़ी सादड़ी ने श्री जुल्फकार अहमद पिता श्री सरकार खांजी मुसलमान निवासी बड़ी सादड़ी को लघु कृषक होने का प्रमाण पत्र दिनांक 28-7-82 को दियेा था।

(2) यदि हां, तो इस प्रमाण पत्र को देने के आधार या मापदण्ड क्या रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री जुल्फकार अहमद एडवोकेट हैं और उनके व उनके परिवार के पास कृषि एवं अकृषि की बहुत अधिक जमीन है, जिससे वे लघु कृषक की परिभाषा में नहीं आते ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विकास अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार के प्रमाण-पत्र पर 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि असिंचित क्षेत्र इनके पास होना बताया था व विकास अधिकारी द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र में इनकी कुल वार्षिक आय 3000/– रु० व कुल सदस्य संख्या 6 बताई है। जिसमें इनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 5000/– रु० होती है जो कि निर्धारित 700/- रु० की सीमा रेखा से कम है।

(3) इनके पास 7 बीघा 9 बिस्वा असिंचित भूमि है जबकि इस जिले में लघु कृषक की जमीन की सीमा रेखा 8·75 बीघा है। अन्य धन्धा क्या है व आमदनी क्या है, इसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है। अभी जांच न हो तब तक अनुदान वितरित नहीं किया जावे इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।

नगर परिषद् अलवर के अधिकारी द्वारा गबन

431. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) व
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अलवर में एक अधिकारी द्वारा 80,000 रु.

(श्री मालाराम)

का गबन, तीन बार में अर्थात प्रथम बार रु. 40,000/- दूसरी बार रुपये 20,000/- एवं तीसरी बार रुपये 20,000/- किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट के दौरान इस गबन का पता लगा और इसमें एक अधिकारी को उत्तरदायी माना है ?

(3) गबन के इन मामलों से सम्बन्धित आडिट रिपोर्ट की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह गबन कुछेक कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा किया हुआ पाया गया है जिसकी राशि 83,227·64 पैसे है।

(2) जी हां। परन्तु गबन का उत्तर-दायित्व निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर डाला गया है :—

राजस्व अधिकारी—

1. श्री रामशरण शर्मा
2. श्री सम्पतराम कोठारी
3. श्री दुर्गाप्रसाद मित्तल
4. श्री हनुमान प्रसाद सैनी

आयुक्त—

5. श्री भगवान सहाय पारीक
6. श्री रामशरण शर्मा
7. श्री रामगोपाल व्यास
8. श्री बी. पी. शर्मा

लेखाकार—

9. श्री रामनिवास चौधरी

कैशियर—

10. श्री गोरधन लाल वर्मा
11. श्री मदनलाल वर्मा
12. श्री हरिगोपाल सैन

कनिष्ठ लिपिक—

श्री श्यामसुन्दर गुप्ता

(3) आडिट रिपोर्ट की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

माध्यमिक विद्यालय कावरा के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिकायत

432. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कावरा उप खण्ड ब्यावर के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शाला में विलम्ब से आने व जल्दी चले जाने से उत्पन्न प्रशासनिक शिथिलता से शिक्षा का स्तर गिरने एवं आन्तरिक अव्यवस्था की गांव वालों व छात्रों की ओर से शिकायतें की गई थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कावरा उप खण्ड ब्यावर के प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण हेतु गत सत्र में ग्राम कावरा के ग्रामवासियों एवं शाला छात्रों ने हड़ताल की थी और जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर ने इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

सत्र में उनका स्थानान्तरण करने का आश्वासन दिया था ?

(3) यदि हां, तो शिकायतों की जांच कब की गई, उसके क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत कावरा द्वारा शिकायत की गई थी।

(2) प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण हेतु कोई हड़ताल नहीं हुई। प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाता है, अतः जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण करने के आश्वासन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) शिकायत की जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, राजस्थान जयपुर की कार्यवाही पंजिका

433. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन, राजस्थान, जयपुर के कार्यवाही पंजिका के क्रमांक 3490 दिनांक 22-8-68 पर श्री भवानी शंकर जोशी, 4558 दिनांक 22-8-68 पर श्री मदन लाल गुप्ता, 4373 दिनांक 24-8-68 पर श्री असगर अली एवं 4983 दिनांक 24-8 68 पर श्री राधेश्याम को "बी." श्रेणी के वैद्य पंजीबद्ध सूचीबद्ध कर उनको प्रमाण पत्र जारी किये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी कार्यवाही पंजिका के क्रम संख्या 3490 दिनांक 22-8 68 पर श्री बजरंग लाल, 4558 दिनांक 18-6-60 पर श्री एक्स, 4373 दिनांक 29-6-59 पर श्री घनश्याम मिश्र एवं 4983 दिनांक 23-3-62 पर श्री रामसरन मिश्र को "बी" श्रेणी के वैद्य पंजीबद्ध कर प्रमाण पत्र पूर्व में ही जारी किये जा चुके थे ?

(3) यदि हां, तो एक ही कार्यवाही पंजिका के एक ही क्रमांक पर दो-दो लोगों को अलग-अलग तारीखों में प्रमाण पत्र जारी करने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कार्यवाही पंजिका के क्रम संख्या 3490 दिनांक 13-2-68 पर श्री बजरंग लाल भारद्वाज, 4558 दिनांक 18-6-60 पर हरिराम शर्मा, 4373 दि. 29-6-59 पर श्री घनश्याम मिश्र को वैद्य पंजीबद्ध किये जाकर प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। पंजीयन संख्या 4983 दिनांक 23-3-62 पर श्री रामाश्रय मिश्र का वैद्य 'बी' श्रेणी पंजीबद्ध कर प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(3) राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 8 (3) आयुर्वेद 68, दिनांक 10-10-68

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

के द्वारा अनुभव के आधार पर पंजीयन बनाना बन्द कर दिया था तथा पंजीयन एवं सूचीबद्ध के पंजिकाओं में तत्कालीन उप सचिव एवं अनुभागाधिकारी चिकित्सक एवं जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर ने हस्ताक्षर कर मोहर लगा दी थी जिससे इन हस्ताक्षरों के आगे और पंजीयन या सूचीबद्ध नहीं किये जा सके। परन्तु बोर्ड के कतिपय कर्मचारियों द्वारा अनियमित पंजीयन व सूचीबद्ध किये गए थे। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक शाला मण्डावा, झुन्झुनू

434. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक शाला, (निजी अनुदान प्राप्त), मण्डावा झुंझुनू के वरिष्ठ अध्यापक श्री बजरंगलाल धाभाई की सेवा निवृत्ति गैर कानूनी हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि संयुक्त निदेशक तथा जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में श्री धाभाई को निर्दोष पाया गया है ? दोनों जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायें।

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षा आयुक्त के आदेश (अपील 1977) निदेशक के दिये निर्णयों जुलाई, 1977 व फरवरी, 1980 में श्री धाभाई को पुनः सेवा में लेने का उल्लेख है ? उक्त तीनों आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह भी सही है कि शिक्षा मंत्री ने निदेशक के निर्णय पर एकतरफा आदेश स्थगन आदेश अगस्त, 1980 में दिया ? यदि हां, तो इसका क्या आधार था ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्था की प्रबन्धक कमेटी अनुदान नियमों के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त संस्था को अनुदान क्यों दे रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त संस्था में प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय कर लिया था ? यदि हां, तो फिर प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(1) सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावा के वरिष्ठ-अध्यापक श्री बजरंग लाल धाभाई की सेवाएं 29-11-73 को निलम्बन के पश्चात् दिनांक 13-8-74 को संस्था द्वारा समाप्त कर दी गयी थीं। संस्था की अपील निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के पास विचाराधीन है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट चिन्ह 'क' एवं 'ख' पर उपलब्ध है।

(3) जी, हां। आदेशों की प्रति चिन्ह 'ग', 'घ' पर उपलब्ध है। अपील 77 के बजाय अप्रेल, 77 के राज्य सरकार के आदेश हैं। जुलाई, 1977 का निदेश क

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा कोई आदेश दिया जाना पाया नहीं जाता।

(4) संस्था में कार्यरत अध्यापकगण को वेतन न मिलने के कारण, अध्यापकगणों के आन्दोलनात्मक रुख को एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान न हो इस कारण सरकार ने यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किए।

(5) राजस्थान अनुदान नियम 1963 के नियम 3 (5) के अनुसार संस्था की प्रबन्ध कमेटी गठित नहीं है लेकिन राजस्थान अनुदान नियम 1, 3 (iii) के नीचे टिप्पणी 2 क अनुसार वे संस्थाएं 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या अन्य कोई एक्ट के अन्तर्गत, रजिस्टर्ड हो, अनुदान की पात्र हैं। राज्य सरकार ने अध्यापक एवं कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई न हो, इसलिए संस्था का अनुदान चालू रखा गया।

(6) जी नहीं।

(जांच प्रतिवेदन के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 10 सितम्बर, 1982)

नये विधान सभा भवन निर्माण की योजना

119. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर में नया विधान सभा भवन बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा व भवन कहां बनाया जायेगा? कृपया भूमि के खसरा नम्बर सहित विधान सभा भवन बनने वाली जमीन का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रस्तावित भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जे किये हैं? यदि हां, तो उनकी सूची व सम्बन्धित भवन निर्माण सहकारी समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) भवन लाल कोठी योजना में सवाई मानसिंह स्टेडियम के पास बनाया जाना प्रस्तावित है। भूखण्ड की चारदिवारी के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। कब्जे में ली गई भूमि का खसरा नम्बर ग्राम भोजपुरा मय चक सुदर्शनपुरा 207 मिन, 208 मिन, 209 मिन, 210 मिन, 211 मिन, 212 मिन, 220 मिन, 261 मिन, 263 मिन, 264 मिन, 265 मिन, 266, 266/520, 267/521, 267/522, 268, 269, 270, 271, 272, 273 मिन, 274 मिन, 275, 276 मिन, 284 मिन, 295 मिन, 296 मिन, है। भवन के लिए प्रस्तावित भूमि का नक्शा सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(विधि मंत्री)

(3) मामला न्यायालय में चल रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें)।

(दिनांक 15-9-82)

ग्राम पंचायत घिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन की शिकायत

253. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री महादेव यादव, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत घिनोई पं. सं. गोविन्दगढ़ जिला जयपुर के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना में गेहूं के वितरण में घोटाले व गबन करने की शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों को की गई थीं? यदि हां, तो उसके विरुद्ध की गई जांच के क्या परिणाम रहे और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य शिकायतों में एक शिकायत स्वयं के ट्रैक्टर एवं रिश्तेदारों के लड्ढों से पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों के लिए पत्थर डलवाने के सम्बन्ध में भी की गई थी? यदि हां, तो पद के दुरुपयोग करने के बारे में इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री यादव द्वारा ग्राम पंचायत से और चारों गांवों के निवासियों से खुरें तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु जनसहयोग के रूप में राशि एकत्रित की गई और उक्त कार्य में पंचायत के सीमेन्ट का उपयोग किया गया? इन अनियमितताओं के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उपरोक्त समस्त शिकायतों की अब पुनः तत्काल जांच कराना चाहेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिला स्तर पर कराई गई थी किन्तु सम्बन्धित जांच पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से उसकी तलाश की जा रही है। पत्रावली के उपलब्ध होने पर परिणाम से अवगत करा दिया जावेगा।

(2) जी हां, जांच कराई गई थी। किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो सकी।

(3) जी हां, जांच कराई गई थी किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो सकी।

(4) जी हां, पुनः जांच किये जाने हेतु जिलाधीश द्वारा आदेश दे दिये गये हैं।

(दिनांक 15-9-82)

राज्य सरकार को नियम बनाने की प्रदत्त शक्ति

246. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में लागू ऐसे कितने कानून केन्द्रीय एवं राजस्थान के हैं, जिनके

(श्री कैलाश मेघवाल)
अन्तर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गयी है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इनमें से ऐसे कितने कानून हैं, जिनके बनाये गये नियम सदन के पटल पर नहीं रखे जाने का प्रावधान है तथा ऐसे कितने कानून हैं जिनके अन्तर्गत बनाये गये नियम सदन के पटल पर रखे जाते हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार जिन कानूनों के अन्तर्गत नियम सदन के पटल पर नहीं रखे जाते उन्हें संशोधित कर नियमों को सदन के पटल पर रखने का प्रावधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान के 121 (सूची नं. 1 व 2) तथा केन्द्र के 80 (सूची नं. 3) अधिनियम हैं जिनमें राज्य को नियम बनाने की शक्ति है। सूची नं. 1, 2 एवं 3 संलग्न है ।

(2) रास्थान के 121 अधिनियमों में से 54 अधिनियम ऐसे हैं जिनके अन्तर्गत सदन में नियमों के रखने का प्रावधान है (सूची नं. 1) तथा 57 अधिनियम ऐसे हैं जिनके नियम सम्बन्धी प्रावधान इस बारे म चुप (Silent) हैं (सूची नं. 2) परन्तु किसी भी अधिनियम में नियमों को सदन में नहीं रखे जाने के प्रावधान नहीं है तथा प्रायः सभी नियम सदन के पटल पर रखे जाते हैं। केन्द्र के 80 अधिनियमों (सूची नं. 3) में से कुछ अधिनियमों को छोड़कर किसी में भी नियमों को सदन में रखे जाने का प्रावधान नहीं है ।

चूंकि राज्य सरकार द्वारा राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये लगभग सभी नियम सदन के पटल पर रखे जाते हैं इसलिये संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

(3) केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन राज्य सरकार तथा राज्य विधान मण्डल की शक्ति से बाहर है और विशेषतः ऐसे अधिनियमों में जो कि संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची के अन्तर्गत बनाये जाते हैं और ऐसे नियमों में भी राज्य विधान मण्डल को कोई संशोधन, उपान्तरण आदि को करने की शक्ति नहीं होती तथा ऐसा प्रावधान कर नियमों को सदन के पटल पर रखना एक मात्र औपचारिकता ही होगी ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने से पूर्व में एक अध्यक्षीय व्यवस्था सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं ।

हमारी कार्य सूची के अनुसार आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु काफी वक्तव्य 6–7 सरकार की ओर से मैंने, रखे हैं। यह भी माननीय सदस्य जानते हैं कि स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देते समय यदि में उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता हूं तो उस स्थिति में भी माननीय सदस्यों को उन प्रस्तावों

(श्री अध्यक्ष)
के बारे में एक-दो मिनट बोलने का अवसर देता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया आज कार्य सूची काफी लम्बी है इसलिये आज कुछ विशेष व्यवस्था दी जा रही है। आप कह सब को रहे हैं, वह नहीं कह रहा हूं।

आज जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन सबको सरकार से जानकारी लेने के लिए न भेज कर जो मैंने उपयोगी विषय समझे है उनको सरकार के पास विधान सभा की ओर से आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

दूसरा, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव, जो आज प्राप्त हुए हैं, को अस्वीकार कर दिया गया है, उन माननीय सदस्यों को में दो-दो मिनट का समय दूंगा। पूर्व में यह परम्परा थी, माननीय सदस्य कह देते कि मेरा एक पुराना स्थगन प्रस्ताव है, जवाब आने में देरी हो रही है अतः अस्वीकार कर के तत्काल उनको बोलने की इजाजत दे दी जाये। वह भी मैं करता था लेकिन आज जैसा मैंने निवेदन किया, काफी लम्बी सूची है इसलिये आज इस तरह की व्यवस्था नहीं की जायेगी। जिन माननीय सदस्यों ने आज अथवा कल सवेरे के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव दिये है केवल उनको मैंने यदि अस्वीकार कर दिया है तो यहां दो दो मिनट बोलने की इजाजत होगी। उसके पश्चात् ध्यान 'आकर्षण प्रस्ताव आदि आदि पर चर्चा 1-30 बजे समाप्त हो जायेगी। इसलिये मैं माननीय सदस्यों, खास तौर से उन माननीय सदस्यों, जिनके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अथवा अन्य प्रस्तावों पर वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था की है, से निवेदन करूंगा कि वह कृपया समय का पूरा ध्यान रखें। अधिक से अधिक मैं 1.30 बजे तक का समय दे सकता हूं। बहुत ज्यादा आप खींचे तो दो बजे तक का समय दे दूंगा इससे आगे नहीं। दो बजे निश्चित तौर पर शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। पांच बजे तक उस पर चर्चा होगी।

यह भी मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज बैठक का समय बढ़ाना पड़ेगा शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर पांच बजे तक यदि चर्चा समाप्त नहीं होती है तो अगले सत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ट्राइब्सकमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा चालू रहेगी। आगे उस पर बहस हो सकेगी।

पांच बजे के पश्चात् जो विचारणीय विधेयक है, उस पर विचार प्रारंभ होगा। यह माननीय सदस्यों से निवेदन है, आप जानते हैं कि शासन की ओर से सुविधा दी जाती है नियमों में ढील दी जा कर ताकि अधिक से अधिक उपयोगी विषय इस सदन के समक्ष आ जायें, इसी भावना से मैंने कार्य किया है। जहां माननीय सदस्यों के हित में नियमों में छूट देना आवश्यक है, माननीय सदस्य ने मांग कर ली तो मैंने सदैव छूट देने के पक्ष में निर्णय लिया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से विशेष तौर से विनती करूंगा कि आज सहयोग प्रदान करें। हो सकता है, आपके विषय बहुत महत्वपूर्ण हो, मैं जानता हूं, कई माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, मेरी इच्छा थी कि उन माननीय सदस्यों को अवसर देता, किसी

(श्री अध्यक्ष)

न किसी रूप में मैंने आश्वासन भी दे दिया लेकिन आश्वासन की पूर्ति कहां तक होती है यह तो आप जानते हैं। जो त्रुटि हमारे यहां पर रह गई है, इसके लिये क्षमा चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा, यह दुर्भाग्य रहा मेरा कि पहले जब भी सदन की बैठकें हुईं, जिस दिन अनिश्चितकाल के लिये विधान सभा की बैठक स्थगित हुई उस दिन खास तौर से कुछ न कुछ कटुता पैदा हुई। तो मेरे ख्याल से अब माननीय सदस्य उस परिस्थिति को....

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): आप तय कर लेंगे तो नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष: इसलिये खास तौर से डेढ़ बजे तक सब तरह की चर्चाएं समाप्त हो जायें।

मंत्री वक्तव्य दे दे उसके बाद एक दो प्रश्न पूछ लें।

श्री भैरोंसिह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपकी उसी व्यवस्था के अनुसार हम सब मिलकर आपको सहयोग देंगे लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है और मैं चाहूंगा कि आप उस बात का इस सदन में स्पष्टीकरण करें। आज के तीन दिन पहले फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था और वे अपना आसन छोड़कर यहां आकर बैठ गये थे उस समय हम सबने विश्वास दिलाया था कि इस प्रश्न के ऊपर सदन में चर्चा होगी, आप आसन पर बैठे थे आपको भी ध्यान होगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे दल के सदस्यों ने विरोधी पक्ष के अन्य सदस्यों ने महादेव सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कई बार निवेदन किया है। यह महादेव सिंह की गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं है, सारे व्यवहार का, व्यवस्था का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। आपसे जानकारी चाहता हूँ, जब छोटी सी चोरी के मामले पर चर्चा हो सकती है, मारपीट के मामले पर चर्चा हो सकती है, छोटी सी छोटी घटना पर चर्चा हो सकती है तो वह कौनसी मजबूरियां आपके सामने आयीं जिनके कारण इतने महत्वपूर्ण प्रकरण को यहां पर नहीं लाया जा सका? इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि इसमें कोई मैंने अपना मत बना लिया हो ऐसी कोई बात नहीं है, वक्तव्य नहीं दिलाने जैसी कोई बात नहीं सोची। फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप और एक दो अन्य नेता यदि बैठना चाहेंगे तो आज यथा सम्भव कोई समय निकाल कर विचार कर लेंगे। तत्काल कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकेगा। अपन इस पर बात कर लेंगे। मेरी यह कोशिश रहेगी कि कि इस पर आज कोई वक्तव्य आ जाये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया, बैठ जायें। मैंने आससे समय की भीख मांग ली है तो फिर क्या रह जाता है।

श्री राजबहादुर : ऐसे शब्द अध्यक्ष को नहीं कहने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय मैंने पूर्व में........

श्री अध्यक्ष : यह तो निवेदन किया था मैंने कि सभी स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जैसे हम सदैव सूचना मंगवाते थे उसके बजाय आज एक नयी व्यवस्था की गयी है कि उनमें से कुछ को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री वंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर भीलवाड़ा नगर की सीमा में कुछ बस्तियों में जिन नागरिकों को भूखण्ड आवंटित किये गये थे, उन्हें अभी तक कब्जा नहीं दिये जाने के विषय में,

(2) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की अनेक कच्ची बस्तियों को तत्काल शिफ्ट किये जाने के नोटिस दिये गये हैं, के विषय में,

(3) श्री नाथूसिह, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने से उनकी फसलें नष्ट होने के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं । माननीय सदस्य पूर्व परम्परा के अनुसार इन पर दो दो मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं ।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और इन्हें सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है—

(1) श्री हरीश शर्मा—राजस्थान राज्य विभिन्न सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं को सम्मिलित करके एक कर देने के विषय में,

(2) श्री यदुनाथ सिंह–पचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के शिक्षकों के भारी स्थानान्तरण के विषय में,

(3) श्री बालचन्द्र आर्यवीर–झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में डाक्टरों के पद रिक्त होने के विषय में,

(4) श्री रामकंवार बैरवा—जयपुर से सवाई माधोपुर व टोडारायसिंह जाने वाली रेलवे लाइन पर सांगानेर के पास बनी पुलिया के नीचे होने से नागरिकों को असुविधा के विषय में,

(5) सर्व श्री दाऊदयाल जोशी व जीतमल जैन--जहरीली शराब पीने से भरतपुर में दुर्गा कोली की मृत्यु हो जाने के विषय में,

(6) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया— जिला सवाई माधोपुर की पंचायत खण्डार के कई काश्तकारों को वन विभाग की शिकायतों पर थाने में बुलाकर बन्द कर देने के विषय में,

(7) श्री हीरालाल आर्य—राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां डिपो की व्यवस्था ठीक न होने के विषय में,

(8) श्री चाव खां–राजस्थान में राज्य सेवा की प्रवेश आयु को 28 वर्ष से बढ़ा कर 30 वर्ष कर देने की मांग के विषय में,

(9) श्री महाराम चौधरी—राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय सीवसर, पांचोड़ी और गुडा भगवानदास में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां न मिलने के सम्बन्ध में,

(10) श्री गुलाबचन्द कटारिया—भूतपूर्व खनिज राज्य मन्त्री एवं विधायक की नाबालिग बेटियों के विवाह के विषय में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दे देने के विषय में,

(11) श्री महावीर प्रसाद–सन् 1972 में आई बाढ़ के कारण ग्राम खेडल्या तहसील टोंक की बाढ़ में आई हुए जमीन को पुनः आवंटित कर देने के विषय में,

(12) सर्वश्री कैलाश मेघवाल व मेघराज तावड़–विधायक श्री विष्णु वजारी द्वारा अजमेर में पुलिस के एक सिपाही के साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में,

(13) श्री छीतरलाल आर्य—पुलिस अधीक्षक, कोटा द्वारा चौथमल नामक कांस्टेबल को सेवा से पृथक कर देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

व्यवधान

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, बोलने की इजाजत तो दें। मैंने पूर्व में....

श्री अध्यक्ष : यही तो मैंने निवेदन किया था पूर्व में कि सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जैसे हम सदैव सूचना मंगवाते रहे हैं, आज एक नई व्यवस्था की गई है कि उनमें से कुछ को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है। अभी मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। केवल जिन तीन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर कर दिये हैं वे ही बोल सकेंगे....

श्री चांव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है....

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। आपने जो सुझाव दिया है, कठिनाई बताई है मैं राज्य सरकार के पास उसको अपनी सिफारिश के साथ भेज रहा हूँ।

श्री चांव खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई फैसला कैसे होगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर

महोदय, यह केवल डाक्टर का पद रिक्त होने ...

श्री अध्यक्ष : फिर वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया है कि अब इस पर चर्चा नहीं होगी। कृपया समय की बचत करें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, आर्डर। अगर कोई बात है तो उसके बारे में मुझ से मिलें, यथा सम्भव जो कुछ हो सकता है, करने की कोशिश करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, 15-15 दिन तक जवाब नहीं आता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सयस्य, कृपया, बैठ जाइये। मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ। मैंने पूर्व में ही यह व्यवस्था दे दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने बार-बार निवेदन किया है ऐसा महत्वपूर्ण मसला है, राजस्थान नहर का मामला है। अध्यक्ष महोदय, महत्व का मामला है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। फिर वही बात शुरू हो गई। सभी गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय हैं। अनिश्चितकाल के लिए विधान सभा की बैठक स्थगित हो जायेगी तो फिर कोई गम्भीर नहीं रहेगा....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर है....

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है, लेकिन आज समय का अभाव है। बैठ जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा ; अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य की मृत्यु हो गयी है ऐसा समाचार आज अखबारों में आया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद घटना के बारे में हमारे चिवालय में जानकारी लेने का एक तरीका है। आप बैठ जाइये, यह घटना मैंने भी पढ़ ली है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पिछली बार यह व्यवस्था दी गई थी कि इस प्रकार की घटना की जानकारी तुरन्त ही इस सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय....

श्री अध्यक्ष ; अभी भी आ सकती है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। झालावाड़ जिले में डाक्टर का एक पद रिक्त है....

श्री अध्यक्ष : फिर इतना कुछ मैंने आपकी सेवा में व्यर्थ ही निवेदन किया।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : डाक्टर के पद को नहीं भरे जाने से जनता में रोष है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : 15 दिन में भी एक का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : यह शिकायत बाद में कर लें। यदि किन्हीं माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों

(श्री ग्रध्यक्ष)

पर सूचना देने में सरकार की ग्रोर से विलम्ब हुग्रा तो ग्रपने पास काफी समय है, विचार कर लेंगे, एक महीने तक ग्रगर सूचना नहीं दी है, यदि ग्राज तक भी उसकी सूचना हमें नहीं मिली है, माननीय सदस्य, इसके बारे में तो राज्य सरकार से इस मामले में बात कर लूंगा। इस तरह से ढील नहीं रहेगी, यह मैं ग्रापको ग्राश्वासन देना चाहता हूं। ग्रब ग्राप कृपया....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) ; माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, विधायक के द्वारा कांस्टेबल को....

श्री ग्रध्यक्ष ; फिर वही वात, । ग्रार्डर प्लीज ।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रधिकारियों ग्रौर पुलिस के साथ इस तरह का व्यवहार....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं घण्टा डेढ़ घण्टे का समय इसलिए चाहता था, कि स्थगन प्रस्ताव के बाद वक्तव्य, जो ग्राने हैं, ग्रा जाये। ग्राप कृपया बोलने दीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में जब से म्यूनिसिपिल कौंसिल बनी है उसमें कुछ रूरल एरिया के गांव सम्मिलित किये गये उन गांवों की जो पंचायतें पूर्व में थीं उनमें कुछ प्लाट ग्रलाट किये गये जैसे ग्राड़न पंचायत में सुखाड़िया नगर के नाम से कुछ प्लाट ग्रलाट किये गये। इसी तरह से वांसल में कुछ प्लाट ग्रलाट किये गये, नौखमपुरा में भी प्लाट ग्रलाट किये गये। यह प्लाट 10 वर्ष की ग्रवधि के लिए ग्रलाट किये गए। उन लोगों को पट्टे दे दिये गये। उनसे म्यूनिसिपल कौंसिल ने डवलपमेण्ट चार्जेज का पैसा जमा करा कर रसीदें, पट्टे भी दे दिये, लेकिन ग्राज भी विभिन्न बस्तियों में लगभग 1500 परिवार ऐसे हैं जिनको कब्जे नहीं दिये गये। कब्जे नहीं देने के कारण लोगों में उत्तेजना है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि कभी भी ग्रान्दोलनकारी स्थिति खड़ी हो सकती है। इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन ग्रौर है, सारे पेपर्स की कलेक्टर के यहां म्यूनिसिपिल कौंसिल में ग्रौर एस. डी. एम. के यहां लौटा फेरी हो रही है, इससे लोगों में भारी ग्रसन्तोष है। जब तक किसी तरह की इन लोगों की व्यवस्था नहीं की जायेगी, इनका डिस्पोजल नहीं किया जायेगा, इनको कब्जे नहीं दिये जायेंगे तब तक यह ग्रसन्तोष बना रहेगा। कब्जे नहीं देने से उनकी जमीनों पर ग्रनधिकृत कब्जे हो रहे हैं, कॉम्लीकेशन्स खड़े हो रहे हैं, कोर्ट कार्यवाहियों बढ़ रही हैं। राज्य सरकार को मेरा ग्रापके माध्यम से निवेदन है इस सम्बन्ध में कि तत्काल इन मामलों का डिस्पोजल कराया जाये। उन लोगों को विभिन्न बस्तियों में पंचायतों के माध्यम से प्लाट ग्रलाट कर दिये, उसका पैसा भी म्यूनिसिपल कौंसिल ने ले लिया लेकिन डिमार्केशन करके कब्जे नहीं दिये जा रहे हैं। मेरा ग्रापके माध्यम से निवेदन है कि कब्जे दिलाये जाये ग्रौर जो भी पेपर्स कलेक्टर, एस. डी. एम. या म्यूनिसिपल कौंसिल में हैं, उनका डिस्पोजल जल्दी हो। यहां मेरा ग्रापके माध्यम से निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : डॉ. उजला ग्ररोड़ा।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम

(श्रीमती उजला ग्ररोड़ा)

से ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहती हूं कि विभाग ने कुछ कच्ची बस्तियों को भेदभावपूर्ण तरीके से हटाने के नोटिसेज दिये हैं। उन बस्तियों को हटाने का कोई ग्रौचित्य नहीं बताया। बात तो यही थी कि जो-जो बस्तियां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में ग्राती हैं, उन्हें शिफ्ट किया जायेगा। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी, राजेन्द्र नगर बस्ती वालों को हटाने का कोई ग्रौचित्य नजर नहीं ग्राता है। जे. पी. कॉलोनी वालों को नोटिस दिया। 21 साल से बसा हुग्रा नगर है, जे. पी. कॉलोनी, इसके बाद में तेलीपाड़ा को हटाने के बजाय जो एक दीवार लगी हुई है, जो तेलीपाड़ा में छोड़ा हुग्रा किनारा है, उसको तो वहां रख दिया, लेकिन जे. पी कॉलोनी वाले व्यक्तियों को वहां से हटाने के नोटिस दिये हैं। मैं कहना चाहती हूं, यह बिलकुल गलत है। इसी तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से नायक बस्ती में किसी को हटाने की जरूरत नहीं थी। सचिवालय के पीछे वाली बस्ती ग्रशोक नगर में कोई दिक्कत नहीं थी। विनोबा मार्ग के पास वाली कच्ची बस्ती में मुख्य मन्त्री की साली महोदया मिसेज पण्डित रहती हैं, उनको हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया क्योंकि ऊंची हवेली वाली हैं। लेकिन बराबर में जो धोबीघाट है वहां गरीब लोग रहते हैं, उनको हटाने के लिए नोटिस दिये हैं। उसके पास में महाराष्ट्र मण्डल का भवन बना हुग्रा है, उसको हटाने की कोई चिन्ता नहीं है लेकिन जो कच्ची बस्ती वाले हैं उनको हटाने के नोटिस दिये गये हैं। मान्यवर ग्रध्यक्ष महोदय, बजाज नगर कच्ची बस्ती में कोई बाढ़ नहीं ग्रायी है लेकिन उन्हें नोटिस दिये हैं। लोकनायक दास कालोनी में कोई दिक्कत नही है। एक काम्प्लैक्स सा बना हुग्रा है।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मैं ग्रभी खतम कर रही हूं। लोकनायक दास कालोनी के पास राणा कालोनी हैं। राणा कालोनी तेलीपाड़ा, को तो रखा जा रहा है, केवल लोकनायक दास कालोनी को इसलिए वहां से हटाने की धमकी ग्रौर नोटिस दिये जा रहे हैं। क्योंकि मन्त्री महोदय कहते हैं कि मुझे यहां से वोट नहीं मिले शनिश्चर के मन्दिर के पास स्टेशन रोड पर कोई दिक्कत नहीं थी उस बस्ती को वहां बसाने में। मन्त्री महोदय ने ग्रापस में बातचीत कर वहां ज़मीन खरीदी है, इसलिए उन बस्ती वालों को शिफ्ट करने के नोटिस दिये है। मैं कहना चाहूंगी, पुराने पुरोहित जी के बाग में ग्रौर शिवाजी नगर में नाहरी के नाका का जो नाला है, उसके साइड में जहां पर पानी का प्रभाव नहीं ग्राता, उन लोगों को वहां से हटाने के नोटिस दिये हैं। वह लोग ग्रांदोलित होकर नीचे बैठे हैं, दुखी हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मान्यवर, यह भेदभाव तो नहीं चल सकता है। ग्रन्य जो कच्ची बस्तियां नाले के सहारे हैं उन्हें शिफ्ट करने की बात थी। मुरलीपुरा बसाना है, इसलिए कई बस्तियों को उठाकर वहां पर फेंक दिया जाए।

Page No 87

(87)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मुरलीपुरा में एक ही रसोई है, उसी में लैट्रिन है । और मुरलीपुरा में जायेगा कौन ? इस तरह के गलत काम मन्त्री महोदय ने किये हैं ।....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या ।....

श्रीमती उजला अरोड़ा : रेट 3 रुपये के बजाए 5 रुपये कर दी 5 रुपये से 50 रुपये तक लिये जा रहे हैं। कहां का न्याय है ? मैं दो बातें और कहकर मेरी बात समाप्त करती हूँ । लोकनायक दास कालोनी के चारों ओर की बस्तियों का नियमन किया जा रहा है, केवल लोकनायक दास कालोनी को यह कहकर कि आप ने वोट नहीं दिये, हटाने की बात कही जा रही है । अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। आप इसमें इन्टरफियरेंस करें, इस तरह से लोगों को तंग न किया जाए । भावना तो यह थी कि जो जहां है, उसको वहीं बसाया जायेगा, सड़क दी जायेगी, पानी दिया जायेगा, बिजली दी जायेगी । लेकिन यह कहकर कि गरीब को छप्पर, और छप्पर भी टीले पर उन सबको....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या, कृपया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्या । मूल समस्या की ओर आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक बस्ती क्योंकि मन्त्री महोदय खरीद रहे हैं, इसलिए शिफ्ट करो । मान्यवर, एक बस्ती के पास मुख्य मन्त्री महोदय की साली रहती हैं, उन्हें गरीब आदमी बुरे लगते हैं इसलिए शिफ्ट करो । एक बस्ती ने इन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए शिफ्ट करो । तो....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, यह नहीं चलना चाहिए

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लोग सरकार को बख्शेंगे नहीं । मैं कहना चाहूंगी, इस भेदभाव....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या....

- **श्रीमती उजला अरोड़ा** : मन्त्री महोदय आ गये हैं, मैं कहना चाहूंगी, इस तरह से काम मत करो वरना आपको गरीब की हाय लगेगी । यह कह कर मैं आपकी बात समाप्त करती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह । माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । माननीय, बैठे-बैठे बातें नहीं करें ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की गम्भीर समस्या है । इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय,

(श्री नाथूसिंह)

बार बार राजस्थान के कई भागों में किसानों के द्वारा प्रदर्शन, आन्दोलन किये जा रहे हैं, फिर भी बिजली नहीं मिल रही है। बरसात पहले ही पूरी हुई नहीं, बरसात नहीं होने के कारण कई क्षेत्रों में अकाल की भयंकर स्थिति पैदा हो गयी है। जहां पर बिजली लगी हुई है, वहां लोग अपनी खेती को बिजली के माध्यम से बचा लेना चाहते हैं लेकिन सरकार उनको बिजली नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, इसका मेन कारण यह है कि बिजली यहां पर जनरेट नहीं की जा रही है। जो जनरेशन कैपेसिटी है....

श्री अध्यक्ष : अब आप कैपेसटी, जनरेशन, उसके लिए योजनायें बनाने पर मत जाइये। अल्पकाल के अन्दर जो फर्माना है, वह कहें।

श्री नाथूसिंह : वही कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो गयी है कि गांवों में बिजली थोड़ी देर के लिए आती है और फिर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चली जाती है। कई जगह तो बिजली आती ही नहीं। पावर कम आता है जिससे किसानों की मोटर जल जाती है। एक तरफ बिजली नहीं मिलती है, दूसरी तरफ मोटर नयी खरीदकर लानी पड़ती है, ठीक करानी पड़ती है, अध्यक्ष महोदय, उसका खर्चा भी सरकार उनको नहीं देती है। किसान के ऊपर दोहरा बोझ पड़ रहा है। एक मोटर जलने का नुकसान होता है, दूसरा बिजली कुओं पर लगायी गयी है, उसमें जो उसकी पूंजी लगी है उसका उपयोग नहीं होता है, तीसरा, उसका नुकसान हो जाता है, फसलें जल जाती हैं, इंजन लगा नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मुख्य रूप से आज बिजली की विकट समस्या है। 36 प्रतिशत हाइएरट लीकेज राजस्थान में है जो कहीं नहीं है। यहां 36 प्रतिशत लीकेज होता है। अध्यक्ष महोदय, '40 प्रतिशत....

श्री अध्यक्ष : बिजली के बजट पर, बिजली के आय व्ययक पर चर्चा होनी चाहिए। उस पर इतना पर्सेन्ट लाइन लास होता है, यह सब विस्तृत प्रश्न है। उसके साथ आपने चाहा था, आपके क्षेत्र की जो शिकायतें हैं....

श्री नाथूसिंह : वह बता दीं।

इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि 1976 में जिन किसानों ने बिजली लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे और पैसे भी जमा करा दिये थे उन किसानों को आज तक बिजली के कनेक्शन नहीं दिये जा रहे है, कई जगहों पर गांव में बिजली लगी हुई थी वहां उनका कुछ काम भी कम्पलीट है फिर भी उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि आज बिजली की समस्या है। 15 दिन बाद वैसे भी किसानों को बिजली की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस समय फसल सूख सकती है इसलिये फसल को बचाने के लिये यदि आवश्यकता हो, तो जितने भी आपके उद्योग हैं, हो सकता है कि 15 दिन के लिये आपको उन्हें बन्द भी करना पड़े, तो कर दीजिये, अध्यक्ष महोदय,

(श्री नाथूसिंह)

80 प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है: गांवों में निवास करती है खेती ही उनका जीवन आधार है, उनका रोजगार है उसको बचाने के लिये आवश्यक व्यवस्था करावें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

सभापति, जनलेखा समिति 1982-83 के प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री शोभाराम (सभापति, जनलेखा समिति) : मैं, अध्यक्ष महोदय, जनलेखा समिति, 1982–83 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि गंगानगर में अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज किया गया....

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। निरस्त किया गया, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। आप मुझे सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय द्वारा अपने बेटे की बहू से बलात्कार किया गया और बाद में उसे मार दिया गया। वहां का प्रशासन उसे संरक्षण दे रहा है, फायर ब्रिगेड बुलाया गया लेकिन वहां पर आग नहीं लगी थी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्या, बैठ जायं। किसी का नाम न लें, अंकित न हो,

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है। आप व्यर्थ में सदन का समय ले रही हैं, माननीय सदस्या। कृपया बैठ जायं। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, बैठ जायं। व्यर्थ में समय ले रही हैं। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर हैं। नियमों का ध्यान रखिये। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। सभापति, जनलेखा समिति।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आन ए पाइन्ट आॅफ आर्डर।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न उठाना बड़ा मुश्किल होता है। बैठ जायं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : समिति का प्रतिवेदन तो उपस्थापित हो जाने दीजिये, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरे पाइन्ट ऑफ आर्डर को अनवेलिड कर रहे हैं। बिजनेस शुरू होने से पहले पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं कर रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गंगा थियेटर के बारे में....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने दीजिये।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति का छठा व सातवां प्रतिवेदन

श्री शोभाराम (सभापति, जनलेखा समिति) : मैं, अध्यक्ष महोदय, जन लेखा समिति, 1982–83 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) वर्ष 1975–76 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, अकाल सहायता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्थान नहर परियोजना, और चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभागों विषयक मामलों पर समिति का छठा प्रतिवेदन,

(2) वर्ष 1975-76 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट राजस्थान जल मण्डल से सम्बन्धित मामलों पर समिति का सातवां प्रतिवेदन।

प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, गंगा थियेटर के बारे में....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से वक्तव्य होने के बाद लघु चर्चा आदि विषय 1.30 बजे समाप्त हो जायेंगे इसलिए कृपया समय का ध्यान रखिये। यदि स्पष्टीकरण के तौर पर निवेदन करना चाहें तो ही बोलने का कष्ट करें, अन्यथा नही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री का ध्यान तो हम आकर्षित करेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह कह दें कि मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर शहर स्थित गंगा थियेटर को बिना पूर्व शर्त निर्धारित किये एक निजी फर्म को किफायती रेट में देने से राजकोष को हानि

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अर्न्गत आकर्षित करना चाहता हूं, बीकानेर शहर स्थित गंगा थियेटर को बिना पूर्व शर्तें निर्धारित किये

(श्री नाथूसिंह)

"एक निजी फर्म को किफायती रेट में देने से राजकोष को हानि के सम्बन्ध में।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : मान्यवर, बीकानेर का गंगा थियेटर, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, 1 अगस्त, 1958 को 5 साल की लीज पर मैसर्स बाला बक्श आनन्द राज एण्ड कम्पनी नामक साझेदारी फर्म को दिया गया था। साझेदारी दिनांक 12-6-1961 को टूट गई और उसके बाद सिनेमा की लीज आनन्दराज के नाम पर पुरानी शर्तों पर ही चलती रही। सन् 1962 में श्री आनन्द राज ने इस सिनेमा हाल को मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को सब लीज पर दे दिया और तब से यह इसी फर्म के कब्जे में रहा। 5 साल खतम होने पर 1 अगस्त, 1963 को एक साल के लिए यह लीज मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी के नाम पर और बढ़ा दी गई। लीज की समाप्ति पर जिलाधीश, बीकानेर ने राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज (इवेक्शन आफ अनआथोराइज्ड ओक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1964 के अन्तर्गत मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिसका फैसला दिनांक 27 अगस्त, 1968 को सरकार के पक्ष में हुआ। इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील में बरकरार रखा, परन्तु 18 जुलाई, 1974 को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कि सरकार ने सितम्बर, 1970 तक का किराया वसूल किया है, नीचे की अदालतों के फैसले को खारिज कर दिया, इसके तुरन्त बाद 1975 में राज्य सरकार ने आनन्दराज एण्ड कम्पनी को और उसके वारिसों को टिनेन्सी के टर्मिनेशन का फिर नोटिस दिया और कहा कि ये टिनेन्सी 31 जनवरी, 1977 को समाप्त मानी जाय। इसके उपरान्त 29 जून, 1979 को दुबारा राज्य सरकार ने एस्टेट आफिसर की कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दिया कि मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी एवं उसके वारिसों तथा सिनेमा के मैनेजर से सिनेमा का थियेटर खाली करवाया जाय और उसकी भूमि, फिटिंग व मशीन समेत वापस सरकार को दी जाय। साथ ही यह भी प्रार्थना की गयी कि किराया, जो दिनांक 1-2-1975 से प्रतिपक्ष गण ने अदा नहीं किया है तथा नोटिस के बाद जो जायदाद का कब्जा रखा है उसके उपयोग व उपभोग का हर्जाना कुल 1,72,900 रु. दिलाये जावें। यह वाद अभी सक्षम अदालत में विचाराधीन है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी या अन्य साझेदारियों से गंगा थियेटर की लीज समाप्त होने पर थियेटर को खाली करवाने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। राज्य सरकार ने एस्टेट आफिसर, जयपुर के यहां जो मुकदमा दायर किया है उसमें मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी के अलावा मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को भी पक्षकार बनाया गया है।

राज्य सरकार ने 30 जनवरी, 1980 को पंचनामा भरवाकर इस थियेटर को मय सामान आदि के अपने कब्जे में ले लिया था परन्तु उच्च न्यायालय के 12 नवम्बर, 80 के निर्णयानुसार राज्य सरकार को पुनः इसका कब्जा सामान

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सहित मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को देना माना है परन्तु कब्जा देने का अर्थ किसी प्रकार की लीज पर थियेटर को देने का नहीं है और न ही राज्य सरकार ने लीज पर यह थियेटर दिया है। चूंकि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस थियेटर का कब्जा मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को देना पड़ा और यह महसूस किया गया कि सन् 1979 में पब्लिक प्रिमिसेज (इवेक्शन आफ अनआथोराइज्ड आक्यूपेन्ट्स) एक्ट, 1964 के अन्तर्गत जो मुकदमा दायर किया है उसके फैसले में समय लगेगा और तब तक बीकानेर की जनता को मनोरंजन से मुक्त रहना पड़ेगा तथा राज्य सरकार को भी लाखों रुपयों के मनोरंजन कर की हानि होगी, यह फैसला किया कि मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को सिनेमा चलाने के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र दे दिया जाय। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी ने उच्च न्यायालय में अपील की जो कि इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई क्योंकि सिनेमा हाउस का कब्जा मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी के पास है उसको अनुज्ञापत्र देने में कोई नुकसान नहीं है तथापि अगर यह सिनेमा लीज पर नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान होता रहेगा।

(12.42 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस प्रकार सिनेमा के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र देने का निर्णय तो उच्च न्यायालय ने भी वैध माना है। इस फैसले के पहले किराया 3325/–महीना था, यह बहुत कम था इसलिए यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी इसका कार्मशियल रेन्ट दे। यह किराया 20300/–16 अप्रेल, 1979 से निर्धारित किया गया, जो पार्टी देने को तैयार है। यही शर्त मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी के के ऊपर लगाई गई है व जनता को सहूलियत प्रदान करने के लिए है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शर्तों में मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को लीज की अवधि बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

अत: राज्य सरकार के इस निर्णय से मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुँचा है। इसके विपरीत राज्य सरकार को बढ़े हुए किराये तथा मनोरंजन कर से लाभ ही हो रहा है। एस्टेट आफिसर के कोर्ट में फैसला होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया, यह थियेटर करीब 1961 से उस एक कम्पनी के पास था और वह अभी भी सब-लीज पर है। चन्द्रा एण्ड कम्पनी को सब लीज पर दिया है, आनन्दराज एण्ड कम्पनी ने। उपाध्यक्ष महोदय, उसके पश्चात् कई बार कोशिश की गई। एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से, क्या यह सिनेमा थियेटर या जो कोई भी राजस्थान सरकार की प्रॉपर्टी होती है, यह गंगा थियेटर राजस्थान सरकार की प्रॉपर्टी है, इस

(श्री नाथूसिंह)

प्रॉपर्टी को विना टेन्डर के किसी भी पार्टी को दिया जा सकता है ? टेन्डर में जो ऊंची बोली लगाता है उसको लीज पर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, न तो टेन्डर इन्वाइट किये गये, न बोली लगाई गई और वैसे ही कम्पनी को दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, 18 जुलाई, 1974 को इनके विरुद्ध हाई कोर्ट से फैसला हुआ। उसके बाद से 31 जनवरी, 77 तक दो साल तक सरकार मौन रही कुछ नही किया। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आज की स्थिति है 1980 के बाद केवल एस्टेट आफिसर अभी जैसा बताया आपने 81 में, मुझे ये करेक्ट करेंगे....

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ लें। मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने समय सीमा दो बजे तक निर्धारित की है, प्रश्न पूछ लें। I will reply.

श्री नाथू सिंह : मैं प्रश्न कर रहा हूं। मैंने पूछा है, क्या कार्यवाही हुई। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। I know it।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुल मिलाकर दो बजे तक।

श्री नाथूसिंह : आज, उपाध्यक्ष महोदय, 20300 रु. महीना में आपने उसे मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को दे रखा है। आपने कहा कि 1970 में आपके खिलाफ इसलिए निर्णय आया कि 1970 तक किराया वसूल कर लिया है। इस आधार पर हारना पड़ा। अब भी इसको वीस हजार रुपये महीने में उनको दे दिया, जैसा इन्होंने सब-लीज पर पहले दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न इस समय यह है कि 40000 रु. महीने में लेने के लिए पार्टी को 20 हजार रुपये महीने में उसको दे दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री नाथूसिंह : भाषण नहीं दे रहा हूं। फैक्ट्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, करोड़ों रुपयों का राजस्थान सरकार को नुकसान हो रहा है। पांच सिनेमा राजस्थान सरकार के इस समय हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पांचों सिनेमाओं को किन किन लोगों को क्यों दिया गया ? विना टेन्डर के दिये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक ही पार्टी को दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रा एन्ड कम्पनी को दिया हुआ है। चन्द्रा एण्ड कम्पनी को इसलिए दिया हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान सरकार के मन्त्रिमण्डल में एक मन्त्री हैं उनके वे रिलेटिव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट का निर्णय मेरे पास है। इस निर्णय में हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाय। कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, क्या राजस्थान सरकार तय नहीं कर सकती ? उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम नहीं करेंगे। उनको कभी तो जबर्दस्ती भगा दिया जाता है कभी वापस काबिज

(श्री नाथूसिंह)

करवा दिया जाता है, कभी कोई लेकूना छोड़ दिया जाता है। यह लेकूना इसलिए छोड़ा जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, एक लेकूना छोड़कर दो साल तक उसको वापस छोड़ दिया जाता है। पहले तो निर्णय कर दिया इसलिए इनको हटाया नहीं जा सकता है, दुबारा एक एप्लीकेशन टिकाई और आपने एक साल के लिए लीज बढ़ा दी। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक सिनेमा गंगा थियेटर में केवल 20 हजार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है इस तरह के पांच सिनेमा हैं। जयपुर का रामप्रकाश सिनेमा किसको दे रखा है? उपाध्यक्ष महोदय, राम प्रकाश किस हिसाब से दे रखा है, किसको दे रखा है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इसमें मेरा निवेदन यही है मन्त्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, यह चन्द्रा एण्ड कम्पनी, जो कि कानूनी रूप से उसको रख नहीं सकती, से आप कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कितने दिन में कब्जा ले लेंगे? पहला तो यह जिसने बिना टेण्डर के सिनेमा दिया है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा, 1974 से 77 के बीच में क्यों नहीं कार्यवाही की? तीसरा मेरा प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इतना तो राजस्थान सरकार को नुकसान हुआ है वह कैसे पूरा करेंगे? पांच सिनेमा हैं। उपाध्यक्ष महोयय, फैक्ट्री इण्डस्ट्री सरकार चला सकती है लेकिन यह सिनेमा सरकार नहीं चला सकती। यह कहती है....

श्री उपाध्यक्ष : लाइन पर आते आते आप बहक गये हैं।

श्री नाथूसिंह : इसलिए मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या राज्य सरकार इन सिनेमाओं को चलाने का काम अपने हाथ में लेगी? इसके लिए एक डिप्टी सैक्रेटरी नियुक्त किया जावे। इससे आपकी इनकम होगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार इन सिनेमाओं को अपने हाथ में लेगी?

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : मैं क्वेश्चन कर देता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि लीज कौन से सन् में राज्य सरकार ने किस पार्टी को दी? ऑक्शन में दी या लीज पर दिया? नम्बर वन। क्या यह लीज सबलेट हुई? अगर सबलेट हुई, तो कौन सी पार्टी ने किस पार्टी को दी? क्या वह सबलेट कानून पर आधारित थी? नम्बर दो। नम्बर तीन यह है, साहब, क्या यह सिनेमा राज्य सरकार द्वारा वापस लेने की कार्यवाही करने पर सिनेमा बन्द हो गया था और उस पर सरकारी ताला लगा दिया गया था? अगर ताला लगा गया था तो हाई कोर्ट से जो डिसीजन आया उसके अनुसार यह कम्पनी उसको वापस ले सकती थी? चौथा क्वेश्चन मेरा यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लीज जिस तरीके जिस हिसाब से दी है इसको देने के पहले क्या राज्य सरकार के पास थियेटर खाली कराने की कार्यवाही पेण्डिंग है? अगर पेण्डिंग है तो क्या वह इस कार्यवाही को उचित समझती है, यह आपने जो लीज दी है इसको आप उचित समझते है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवी सिंह !

Page No 95

(95)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं तो एक ही स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जिस वक्त गंगा थियेटर का निर्माण हुआ स्वर्गीय नरेश गंगासिंह जी बीकानेर ने इसको बनाया था। उसके निर्माण करने बाद में यह शर्त जोड़ी गई थी कि इसकी जो भी राशि हमें मिलेगी वह सारी राशि पी. बी. एम. हॉस्पिटल बीकानेर में लगाई जायेगी ? तो क्या यह सही है कि यह राशि पी. बी. एम. हास्पिटल के कोष में न जाकर राजकोष में जमा होती है ? दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : जो जमा होता है वह राजकीय कोष में होता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : हां हां, तो वह नहीं जाता है, राजकोष को नुकसान....

(व्यवधान)

जब उसको अधिकार नहीं था सबलेट करने का, उसके उपरान्त भी आपने चन्द्रा एण्ड कम्पनी को किस आधार पर दिया ? क्या ऐसे कारण थे ? क्या राज्य सरकार को ऐसे अधिकार थे ? उसके उपरान्त क्या यह सही है कि आपको दूसरी कम्पनियों की इससे ज्यादा ऑफर आई थी ? आपको 20 से 30 हजार रुपये तक की ऑफर आई, फिर इसी पार्टी, जो कि सबलेट की की हुई थी, को देने के क्या कारण थे ? कृपया, इसके कारण आप बताये ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, यह किस्सा 1958 में शुरू हुआ था। 1958 में सबसे पहले मैसर्स वाला बख्श आनन्द राज की साझेदारी की फर्म थी। सन् 1958 के अन्दर उनको लीज पर यह सिनेमा दिया गया। सब्सीक्वेंटली इनकी जो पार्टनरशिप थी वह समाप्त हुई। पार्टनरशिप समाप्त होने के बाद आनन्द राज एण्ड कम्पनी के हिस्से में यह सिनेमा आया। सब्सीक्वेंटली इसको सबलेट किया मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को। यह माननीय सदस्य ने पूछा है, यह सबलेटिंग हुआ 1961 के बाद। 1961 में सबलेटिंग की कार्यवाही शुरू हुई। उस वक्त इसका तीन हजार, तीन सौ रुपये के करीब किराया था। यह भी सही है जो आपने कहा कि यह आक्शन के द्वारा ही किराया निर्धारित किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अब जो मूल प्रश्न है इसके अन्दर, उसके खिलाफ सरकार ने 1979 के अन्दर उसको खाली करने के लिए इस्तगासा दायर किया। 20 जनवरी, 1980 को कलेक्टर बीकानेर ने सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका कब्जा ले लिया, फिजिकल कब्जा ले लिया। उसके बाद 12-11-80 को राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया जिसके तहत राज्य सरकार को जो भी कसंर्ड पार्टी बनायी गयी थी उसके अन्दर यह 12-11-80 को इस बात का आदेश दिया कि आपकी कार्यवाही इल्लीगल है, उसको अवैध करार करते हुए मय सामान के पजेशन देने का आदेश गंगा थियेटर का मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को दिया। मय सामान के इसका फिजिकल पजेशन दे दिया 8-1-81 को। अब सवाल यह आता है कि जब मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी को पजेशन दे दिया गया उस प्रापर्टी का और जो सरकार की कार्यवाही थी जिलाधीश बीकानेर की उस कार्यवाही को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इल्लीगल माना गया। मैं समझता हूं इसमें कोई फैक्ट्स के बारे में कोई डिस्प्यूट है नहीं। जब उनको उसका कब्जा दे दिया गया तो उन्होंने अस्थायी लाइसेंस के लिए एप्लाई किया क्योंकि सरकार उनसे कब्जा तो वापस ले नहीं सकती थी, पांच साल से सिनेमा बन्द था और सरकार के पास कोई चारा नहीं था कि इसको पी. डब्ल्यू. डी. असेस्ड रेंट के ऊपर किराये पर दे दिया जाये। जब आनन्द राज एण्ड कम्पनी को पता लगा कि सरकार इनको अस्थायी लाइसेंस देने जा रही है तो आनन्द राज एण्ड कम्पनी ने हाई कोर्ट के अन्दर एक दावा और फाइल कर दिया कि चन्द्रा एण्ड कम्पनी को जो अस्थायी लाइसेंस दिया जा रहा है सिनेमा चलाने का, वह नहीं दिया जाये। हाई कोर्ट ने आनन्द राज एण्ड कम्पनी के इस कंटेंशन को स्वीकार नहीं किया और उनकी जो रिट थी या जो भी इस्तगासा हाईकोर्ट में दिया था उसको खारिज कर दिया। चन्द्रा एण्ड कम्पनी के कंटेंशन को भी स्वीकार नहीं किया। क्योंकि कब्जा चन्द्रा एण्ड कम्पनी का था, इसलिए उन्होंने आनन्द राज एण्ड कम्पनी का कंटेंशन नहीं माना। जहां तक सवाल है,

(12. 55 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जैसा कि बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा किसी ने 40 हजार रुपये का ऑफर किया। मैंने पूरी पत्रावली देखी, और मैंने जानकरी जो अधिकारियों से प्राप्त की, आनन्द राज एण्ड कम्पनी ने 18 हजार रुपये का ऑफर किया था कि हम इस गंगा थियेटर का 18000/– रुपये किराया देंगे। यह तो खाली किराये तक सीमित है। चूंकि हाई कोर्ट ने तो स्वीकार नहीं किया, हाई कोर्ट ने मान लिया, तो पी. डब्ल्यू. डी. से असेस कराकर राज्य सरकार के सामने दो ही तो विकल्प थे या तो इस सिनेमा को चालू करवाती या बन्द रहने देती। तो बन्द रखने में, श्रीमान्, नुकसान था कि पिछले पांच साल से.........

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, संक्षेप में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बन्द करने से बिल्डिंग की हालत खस्ता हो रही थी। मनोरंजन कर के रूप में, जो मुझे सूचना दी गई है, जून, 1981 से मार्च, 1982 तक राज्य सरकार को 7,21,000/– रुपये प्राप्त हुए और 20,300/– रुपये की दर से राज्य सरकार को करीब दो लाख तैंतालीस हजार रुपया राज्य सरकार को प्राप्त होगा। तो यह तो सिर्फ हमको नौ महीने में प्राप्त हुआ है एन्टरटेनमेंट टैक्स। सरकार को बन्द रखने में कोई लाभ नहीं था। सरकार को उसको किराये पर देने के बाद करीब 12 या 14 लाख रुपये के बीच में किराये और मनोरंजन कर के रूप में आमदनी होगी। बीकानेर के अन्दर सिनेमा भी कम हैं इस बात को ध्यान में रखकर इसका उनको अस्थायी लाइसेंस दिया गया। लीज आज की तारीख तक नहीं दी गई है। आज भी हमारा इस्तगासा स्टेंड करता है कोर्ट के अन्दर, इसलिए इसको अस्थायी तौर से चलाने की इजाजत दी गई है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अब आगे चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : इससे सम्बन्धित जो फाइल है, फाइल नम्बर 9168 विचाराधीन है। उसमें जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्या आप उनकी जांच करवायेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने उसको पढ़ लिया है, श्रीमन्।

श्री दुलाराम : राजस्थान के अन्दर तीन सिनेमा राज्य सरकार के पास हैं। एक बीकानेर में, एक जयपुर में रामप्रकाश और एक अलवर में। दो बन्द पड़े हुए हैं। एक तो आपको नुकसान हो रहा है। 7 लाख और कितने रुपये बता दिये। तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि जो दो सिनेमा बन्द पड़े हुए हैं उनसे सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : रायसिंह नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है रामप्रकाश सिनेमा और राज्य सरकार के अन्य सिनेमाओं के बारे में इस समय मुझे उनकी कोई जानकारी नहीं है, श्रीमन्। अगर उनमें कानूनी कोई बाधा उत्पन्न न हो तो हम उनको निश्चित रूप से चलायेंगे। राजकोष को लाभ होगा उससे।

अलवर में कोठी जनवासा से लगी जमीन पर निहित स्वार्थी लोगों द्वारा जबरन कब्जा

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री जीतमल जैन। नियम 131 के अन्तर्गत अलवर कोठी जनवासा से लगी जमीन पर निहित स्वार्थी लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत अलवर में कोठी जनवासा के साथ जो जमीन लगी हुई है, जिसको निहित स्वार्थी लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया है उसके बारे में और मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह राज्य मन्त्री,) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से वक्तव्य दे रहा हूं :

अलवर के भूतपूर्व महाराजा की इन्वेन्ट्री के अनुसार जनवासा कोठी सरकार की सम्पत्ति है परन्तु इसका उपयोग जूनियर महारानी, जो अब जूनियर मांजी साहिबा हैं, के जीवित रहने की अवधि के दौरान करने का प्रावधान है। इस कोठी के चारों ओर एक अहाता खिंचा हुआ है। कोठी जनवासा के परिसर में स्थित जमीन का रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा है। इस जमीन में से जिस जमीन का झगड़ा है अर्थात् जिसका बेचान आदि हुआ है उसकी सूचना निम्न प्रकार है :—

(1) खसरा नं० 209–2 बिस्वा,
खसरा नं० 213–1 बिस्वा
खसरा नं० 214–1 बिस्वा
खसरा नं० 215–2 बिस्वा,
खसरा नं० 216–1 बिस्वा,
खसरा नं० 218–14 बिस्वा
कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इस जमीन का बेचान वजरिये रजिस्टर्ड बेनामा मांजी साहिबा द्वारा श्री घनश्याम सिंह को कर दिया गया।

(2) खसरा नं० 217–6 बीघा 6 बिस्वा। मांजी साहिबा ने इस भूमि के बाबत श्री घनश्याम सिंह को इकवाली डिक्री अपने खिलाफ करा ली। इसके फलस्वरूप नामान्तरकरण श्री घनश्याम सिंह के नाम हो गया।

(3) खसरा नं० 217/317–2 बिस्वा इसका खातेदारी हक श्री तेजसिंह भूतपूर्व नरेश के नाम हो गया।

उपरोक्त अनधिकृत बेचान आदि का कुल रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा है। इसके अतिरिक्त शेष भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) खसरा नं.
211/6 बिस्वा
गैर मुमकिन सड़क

(2) खसरा नं.
212/7 बिस्वा
गैर मुमकिन आबादी महकमा इंजीनियरिंग पी. डब्ल्यू. डी.

(3) खसरा नं
210/2 बिस्वा
गैर मुमकिन चाह

(4) खसरा नं.
201/5 बिस्वा
बंजड़ अव्वल

(5) खसरा नं.
169/4 बीघा
गैर मुमकिन सड़क

(6) खसरा नं.
169/439/444
बिस्वा बंजड़ अव्वल

(7) खसरा नं
203/7 बिस्वा
गैर मुमकिन कोठी
इन्द्रासन महकमा

(8) खसरा नं.
206/1 बिस्वा
गैर मुमकिन सड़क सरिसका बागात

(9) खसरा नं.
207/18 बिस्वा
गैर मुमकिन कोठी इन्द्रासन

जिस जमीन का बेचान हुआ है उसके सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई है :—

(1) अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजकीय अभिभाषक से परामर्श कर सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के आदेश प्रदान कर दिये गए हैं।

(2) सहायक कलेक्टर के आदेश। डिक्री के विरुद्ध राजस्व मण्डल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत रेफरेंस किये जाने की कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) श्री तेजसिंह भूतपूर्व नरेश के नाम 2 बिस्वा रकबे की खातेदारी हक किस प्रकार हो गई है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश अलवर द्वारा जांच की जा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में विधि विभाग की राय ली गई है और विधि विभाग ने राय व्यक्त की है कि संविधान की धारा 363 के अनुसार इस प्रकार के मामले जो संविधान लागू होने से पूर्व के हैं, वे न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं तथा राय व्यक्त की है कि संविधान की धारा 143 के अन्तर्गत भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह मामला

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तदनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय को यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा रहा है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित कदम और उठाये गये हैं—

(1) तहसीलदार अलवर द्वारा कोठी जनवासा के अहाते के अन्दर हो रहे अवैध निर्माण को दिनांक 17-4-81 को रुकवा दिया है एवं वर्तमान में अवैध निर्माण कार्य रुके हुए हैं।

(2) अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं तहसीलदार अलवर को लगातार निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

(3) जिन अधिकारियों द्वारा सरकार के हितों को नजर अन्दाज किया गया उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किये जा चुके हैं और शीघ्र ही कार्मिक विभाग को प्रेषित किए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : काफी विस्तृत सूचना आ गई है। आपको कहीं कोई स्पष्टीकरण मांगना हो तो कहिए।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुसूचित जातियों व जनजातियों के आयुक्त के 26वें प्रतिवेदन पर विचार

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : पाइंट आफ आर्डर। आज की कार्यवाही में रखा है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के आयुक्त की 26वीं रिपोर्ट पर बहस।

श्री अध्यक्ष : सुना नहीं मैंने।

श्री दुलाराम : किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मिली नहीं आज ?

श्री दुलाराम : मिली नहीं। इसको रखा भी है एण्ड में, एक करोड़ जनता का दुःख दर्द हम सुनाना चाहते हैं........

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था कर दी थी कि प्रश्नकाल के पश्चात् इस पर डेढ़ बजे जल्दी से जल्दी और देर से देर दो बजे चर्चा प्रारम्भ की जायेगी। इसे पीछे नहीं रखा है।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : रिपोर्ट ही नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : विषय आने दीजिए। जब वह आये तब कहिये। पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था हो रही है उसके बाद में आप प्रश्न उठायेंगे तो मैं.......

(व्यवधान)

बीच में जब दूसरा कार्य हो रहा है....

श्री दुलाराम : पहले वह कार्य करें मुझे एतराज नहीं लेकिन हमारा निवेदन है कि बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आप अनुसूचित जाति के नाम से सब कुछ बातें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब बातें उस वक्त सुन लेंगे जब विचारार्थ आयेगी।

श्री दुलाराम : आप सुनेंगे वह तो हमें आशा है।

श्री अध्यक्ष : मैं मालूम कर लूंगा जो आपने बात कही है। पहले यह कार्य हो जाय उसके बाद जब प्रस्ताव आए कि इसको विचारार्थ लिया जाय उस समय....

श्री दुलाराम : हम तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मामले में थोड़े ही पिछड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस समय आप कह देना।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट्सव शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : हमारे पास कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं। मैं तो यहां आपकी सेवा करता रहता हूं।

श्री छोगाराम बकोलिया : रिपोर्ट की कापियां सरकार के पास नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में बाधा न डालें। कृपया बैठ जाइए। मैंने यह निवेदन कर दिया कि जब यह विषय आए उस समय आप फर्मायेंगे तब परिस्थितियों पर विचार कर लेंगे। बीच में विचार नहीं हो सकता। रिपोर्ट आई है या नहीं, क्या स्थिति है आपने फर्मा दिया। दो बजे सभी प्रश्नों पर विचार होगा।

एक माननीय सदस्य : सरकार टालना चाहती है।

अलवर में कोठी अनवासा से लगी जमीन पर निहित स्वार्थी लोगों द्वारा जबरन कब्जा

श्री जीतमल जैन : इसी प्रकार से प्रेम कुन्ज नाम की एक कोठी है। भूतपूर्व प्रधान श्री रघुवीर सिंह ने अपने नाम उस जमीन पर कोठी करवा ली है।

श्री अध्यक्ष : ये सब के सब आ चुके हैं। इसमें त्रुटि रह गई हो, जो आपके ध्यान में हो उस ओर ध्यान आकर्षित कर लें। इस पर कोई विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

आर्डर होने से कुछ नहीं होता है।

(श्री अध्यक्ष)

वक्तव्य उन्होंने दे दिया है जनवासा कोठी कहाँ है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अलवर में।

श्री अध्यक्ष : कौनसी जगह है? मैं तो अलवर में रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : छोटी माजी वहां रहती है। उन्होंने 7 बीघा के परकोटा पर कब्जा कर लिया। उसकी मरम्मत सरकार सारी कराती आई है। सरकारी अधिकारियों की नासमझी के कारण से या गैर जिम्मेदाराना रुख के कारण....

श्री अध्यक्ष : वह कह दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हरियाणा के निवासी को बेच दिया है। प्लाट्स काट काट करके बेच रही हैं। सरकार कार्यवाही करे, मुख्य बात यह है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चार्ज शीट दे रहे हैं, मैंने कह दिया।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। वेरी वेतन आयोग पर वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

लीबिया की एक कम्पनी में संविदा के आधार राजस्थान के कुछ नागरिकों के लीबिया जाने पर कम्पनी द्वारा करार का उल्लंघन

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : आज वक्तव्य है मुख्य मन्त्री का वह पहले दे देता हूं, वेरी आयोग का बाद में ले लें। श्री घनश्याम तिवाड़ी का है लीबिया के बारे में, वह दे देता हूं उसके बाद में वह ले लें।

श्री अध्यक्ष : जी।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आ रहा है, वह भी टाइप हो रहा है।

भारत से कोई भी व्यक्ति जब विदेश में जाना चाहता है, चाहे रोजगार या अन्य प्रयोजन हेतु तो सर्व प्रथम उसे क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से पारपत्र प्राप्त करना होता है। इसके उपरान्त उसे दिल्ली स्थित उस देश के दूतावास से विजा प्राप्त करना होता है। जिस विदेश में भारतीय नागरिक जाते हैं, वहां उनकी समस्याओं की देखभाल भारतीय राजदूत करता है। जब कभी कोई भारतीय विदेश में संकट में पड़ जाता है तो भारतीय राजदूत उसकी आवश्यक सहायता करता है। यदि धनाभाव के कारण स्वदेश

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लौटने में कठिनाई हो तो उसे वापस लौटने का किराया देकर वापस स्वदेश भेजने की व्यवस्था की जाती है। इस संबन्ध में व्यय की गई राशि की स्वदेश लौटने पर वसूली कर ली जाती है। विदेशों से इस प्रकार स्वदेश लौटने वालों की संख्या गत वर्षों में लगभग 150 रही है।

माननीय सदस्य ने जिस समस्या का उल्लेख अपने स्थगन प्रस्ताव में किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिबिया की किसी कम्पनी से किये गये करार पर राजस्थान के कुछ नागरिक लिबिया गए थे और अब उस कम्पनी ने उन के साथ किए गए करार तोड़ कर उन व्यक्तियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए हैं। स्थगन प्रस्ताव में यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में वे व्यक्ति स्वदेश वापस लौटना चाहते हैं या सम्बन्धित कम्पनी से किए गए करार को क्रियान्वित कराना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमान, वास्तव में यह एक मानवीय समस्या है। सरकार भी यह चाहती है कि विदेशों में राजस्थानियों पर किसी प्रकार के संकट का तुरन्त निराकरण हो। इस संबंध में सरकार की ओर से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को शीघ्र निवेदन कर समस्या का सन्तोषजनक हल निकालने का आग्रह किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलने खड़ा ही हुआ हूं। मैं एक पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पत्र पढ़ने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। आप तथ्य ही बता दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 740 नागरिक अलजिमियां एग्जीक्यूटिव कम्पनी ट्रिपोली लीबिया में है। उनके साथ जो करार हुआ था उस करार की प्रति मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव के साथ लगा दी है। उस पत्र को मन्त्रीजी चाहते हैं तो उसकी कापी मैं देने को तैयार हूँ। आज भी वह मेरे पास है। दूसरा. मेरा निवेदन यह है कि हमारा विदेश मन्त्रालय और हमारे विदेश मन्त्रालय के जो अधिकारी ट्रिपोली में हैं उनका एक सर्टिफिकेट भी चार लाइन का मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं :

'To whom it may concern—This is to certify that Mr. Balu Ram holding pass port No. L–800104 issued at Delhi on 20.7.77 who was employed at Al-Musha-Al-slamia for excavating, engineering and contracts, Tripoli, has not given return ticket by the employer.'

अध्यक्ष महोदय, यह 740 व्यक्तियों में से 60 के हस्ताक्षर किये हुए पत्र मेरे पास हैं उनमें उन्होंने जिक्र किया है कि हम सीकर और झुंझुनू जिले के हैं। 740 नागरिक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यहां पर 12 महीने से हैं। न तो कहीं जा सकते हैं और न हमारे पास कोई भोजन की व्यवस्था है। हम लोग जब हमारे भारतीय दूतावास के अधिकारी के पास गये तो उन्होंने वहां के अधिकारियों को कहा कि आप इनके भोजन की व्यवस्था करें और इन्हें भोजन के लिए पैसे दें। लेकिन अब इस कम्पनी ने हमको भोजन के पैसे देना बन्द कर दिया है। उन्होंने इस पत्र के अन्दर मुझे लिखा है कि कैसी विडम्बना है कि हमें भारत के होकर भी हमारे भारतीय दूतावास के अधिकारी, जो कि हमारे वतन के हैं, जिनके द्वारा हमारी सुरक्षा की आशा की जाती है, के द्वारा प्रताड़ना मिलती है। इन अधिकारियों की नजर में हम कुछ भी नहीं हैं। आज हम वतन से दूर हैं। हमारे भारत के वापसी के टिकट की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर वह हो जाए तो हम अपना नश्वर शरीर लेकर स्वदेश लौटें। यह वास्तविकता है आप हमारे यहां पूछें कि क्या हमें वीसा इसलिये दिया गया था कि हमें बजाय सुविधा के भूख, पत्थरों की मार, धमकियां और अन्याय मिले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप तो यह निवेदन करें कि हमारी राजस्थान सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर इनकी समस्या को निपटाने की कोशिश करे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : निपटाने की कोशिश करे। साथ में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार और केरल की सरकार ने अपनी एजेन्सियों के द्वारा लोगों को बाहर भेजने की व्यवस्था की है उसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सरकार भी कोई व्यवस्था करे। साथ ही राजस्थान से जो लोग बाहर जाने वाले हों उनकी इस प्रकार की सुरक्षा करे ताकि वहां पर जाने के बाद उन लोगों के साथ अन्याय नहीं हो सके और उन लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अलावा एक मिनट में और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार ने लेबर कान्ट्रेक्ट रूल की व्यवस्था की है जिसके तहत लेबर बाहर जाती है उसी प्रकार राजस्थान में भी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जो आप जुबानी कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। आप कोई योजना इसके लिए बना कर मुख्य मन्त्रीजी से बात करें और चर्चा करें जिससे कि इस समस्या का कोई हल निकाला जा सके। उन्हें यह भी बतावें कि किस प्रकार दूसरे राज्यों ने इसके लिए क्या व्यवस्था की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 740 व्यक्ति हैं जो कि आज वहां पर बन्धुआ मजदूर की तरह बन्द हैं। मेरा निवेदन है कि उनको भारत वापस आने के लिए शीघ्रातिशीघ्र टिकट दिलाने की व्यवस्था की जाये। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके लिए व्यवस्था करें ताकि वह लोग अपने घर आ सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह मेरे इलाके के लोगों का सवाल है । मेरे इलाके झुंझुनू जिले के हजारों लोग वहां पर गए हुए हैं । वहां से रोजाना सैंकड़ों पत्र इस प्रकार के आते हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से लोग पहले तो एजेन्टों के द्वारा ठगे जाते हैं, वह लोग 12-12, 15-15 हजार रुपये इनसे ले लेते हैं फिर यह लोग किसी को नेपाल भिजवा देते हैं किसी को बैंकाक पुगा देते हैं । वह लोग वहां पर जाकर परेशान होते हैं और वहां से वापस नहीं आ सकते हैं । एक उदाहरण लीबिया का आपके सामने आ गया पर ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और उन व्यक्तियों को मुक्ति दिलावे । उन लोगों को सरकारी खर्चे से वापस यहां पर बुलाने की व्यवस्था करे ।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आइन्दा के लिए हमारी राजस्थान सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे हमारे राजस्थान के नागरिकों को इस तरह से नहीं लूटा जा सके और सरकारी एजेन्सी के द्वारा ही उनको भेजा जाये । वहां पर कान्ट्रेक्ट होना चाहिये कोई इंडिविजुअल आदमी के माध्यम से नहीं भेजा जाय बल्कि सरकारी एजेन्सी के माध्यम से भेजा जाय ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां पर बताया है उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके पास जो भी जानकारी पत्र वगैरह इस सम्बन्ध में हो.....,

श्री अध्यक्ष : सीकर और फतेहपुर दोनों के बहुत से लोग हैं वहां पर ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाँ, सीकर और फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य के पास जो भी जानकारी हो वह कृपया मुझे देवें ताकि हमें उसके माध्यम से भारत सरकार से पत्राचार करने में मदद मिले । जो भी इस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं उसको निकालने की कोशिश करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : कला व सांस्कृतिक राज्य मन्त्री ।

बेरी वेतन आयोग की सिफारिशें

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर ।

श्री अध्यक्ष : पहले बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बेरी वेतन आयोग ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिनांक 15-9-81 को प्रस्तुत किया था । राज्य सरकार ने उसकी समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तीन सदस्यीय सचिवों की समिति 1-10-81 को गठित की थी जिसके सदस्य सर्व श्री एल. एन. गुप्ता, वित्त सचिव सतीश कुमार, • सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा श्री गणपतराय, विशिष्ठ शासन सचिव,

(श्री चन्दनमल वैद)

कार्मिक विभाग थे। वेतन आयोग का प्रतिवेदन 6 जिल्दों में था जिसमें 2040 पृष्ठ थे। सचिवीय समिति ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर प्रतिवेदन दिनांक 27-1-82 को प्रस्तुत किया और इस सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल ज्ञापन तैयार कर मामला 12-2-82 को मन्त्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। मन्त्रिमण्डल द्वारा अभी इस मामले पर विचार ही किया जा रहा था कि राज्य कर्मचारियों ने दिनांक 18-3-82 से राज्य व्यापी आम हड़ताल प्रारम्भ कर दी। हड़ताल के दौरान कर्मचारी महासंघ और राज्य सरकार के मध्य दिनांक 9-4-82 को समझौता हुआ। समझौते में निम्नांकित बिन्दु सम्मिलित थे।

1) राज्य कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान निर्धारित किए जायं। इन प्रस्तावित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के लिए 1-9-81 को प्राप्त हो रहे वर्तमान मूल वेतन (बेसिक में) का पांच प्रतिशत, जो न्यूनतम रु. 30 से लेकर अधिकतम 75 रुपये होगा, जोड़कर वेतन निर्धारण किया जावेगा एवं इस प्रकार आंकी गई राशि में 1-7-80 को प्राप्त हो रहे महंगाई भत्ता जोड़ने के पश्चात् नये वेतनमान में अगली स्टेज पर वेतन निर्धारित किया जावेगा।

2) **मकान किराया भत्ता**—वर्तमान में 28 नगरों के जिला मुख्यालयों पर पदस्थापित राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे मकान किराया भत्ते की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावे। उपरोक्त 28 नगरों के अलावा राज्य के अन्य नगरपालिका शहरों-कस्बों में प्रत्येक कर्मचारी को रुपये 20 प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता दे दिया जावे और जो कर्मचारी जिला मुख्यालयों और नगरपालिका कस्बों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पदस्थापित हैं उन्हें रुपये दस प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता दे दिया जावे। इस मद में वर्ष 82–83 में कुल 4 करोड़ से अधिक की राशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि यह व्यय वास्तविक तकमीने लगाते समय बढ़ता हो तो नगरपालिका कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में दिये जाने वाले मकान किराया भत्ते में तद्नुसार कमी की जा सकेगी।

3) राज्य कर्मचारियों को वेरी आयोग की सिफारिशों के अनुसार साइकिल अलाउन्स दिनांक 1-4-82 से दिया जायेगा।

4) **महंगाई भत्ता**—महंगाई भत्ते की चार किश्तें जो 1-8-81, 1-10-81, 1-11-81 तथा 1-1-82 से राज्य कर्मचारियों को देय हो गयी हैं, स्वीकृत की जायेंगी।

5) हड़ताल की अवधि, जिसके दौरान राज्य कर्मचारी अनुपस्थित रहे, अवकाश स्वीकृत कर नियमित की जायेगी।

समझौते के अनुसार उसकी क्रियान्विति पर वर्ष 1982-83 में 30 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जानी है। राज्य सरकार ने समझौते के बिन्दु 3, 4, 5 की क्रियान्विति कर दी है और आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। बिन्दु संख्या एक व दो का जहाँ तक सम्बन्ध है यह मामले मन्त्रिमण्डल ने अपनी आज्ञा संख्या 137/82, दिनांक

(श्री चन्दनमल बैद)

29-6-82 द्वारा मन्त्रिमण्डलीय उप समिति को सौंपने का निर्णय लिया और आदेश संख्या प 3(1) म.म./82, दिनांक 7-7-82 द्वारा मन्त्रिमण्डलीय उप समिति सर्व श्री परसराम मदेरणा, राजस्व मन्त्री, चन्दनमल बैद, वित्त मन्त्री तथा श्री बृजसुन्दर शर्मा, विधि मन्त्री की सदस्यता में गठित कर दी है। मन्त्रिमण्डलीय उप समिति अपनी रिपोर्ट मन्त्रिमण्डल के समक्ष अन्तिम निर्णयार्थ प्रस्तुत करेगी।

मन्त्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा वेरी वेतन आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मन्त्रिमण्डलीय उप समिति की दो बैठकें दिनांक 31-3-82 एवं 4-9-82 को आयोजित की जा चुकी हैं तथा तीसरी बैठक, जो दिनांक 7-9-82 को विधान सभा सचिवालय स्थित मुख्य मन्त्रीजी के कक्ष में आयोजित की जानी थी, विधि मन्त्रीजी के सदन में व्यस्त रहने के कारण आयोजित न हो सकी। मन्त्रिमण्डलीय उप समिति, जो उक्त उद्देश्य के लिए गठित की गई है, अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही मन्त्रिमण्डल के समक्ष अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत कर देगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी। यह तो अल्प अवधि का था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, यह आप लक्ष्मण रेखा मत खींचिये। यह कर्मचारियों का मामला है। लोग बाहर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : बेशक कर्मचारियों का मामला है। यह मामला और भी किसी से सम्बन्धित हो सकता है। जितना समय है उसी के अनुसार विचार होगा।

(व्यवधान)

अब आप चाहें कि इस पर सारे दिन बहस हो वह नहीं हो सकती है क्योंकि इस पर तो आप दिन भर चर्चा करते रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दिन भर चर्चा कैसे करेंगे। यहां पर दिन भर भी चर्चा होती है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको 20 मिनट का समय दे देता हूं। 20 मिनट में सभी तथ्य सामने ले आयें। 20 मिनट।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : यह चार लाख कर्मचारियों का मसला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, समय कम है। मैं 20 मिनट का समय देता हूं। 1 बजकर 20 मिनट हुए हैं। यह तो स्थगन प्रस्ताव के ऊपर वक्तव्य दिलाया गया है। असीमित चर्चा तो इस पर हो नहीं सकती, अल्पावधि में करनी होगी। आप जो बातें हैं मुद्दे की वह कह दीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि मांग क्रमांक 3, 4 और 5, जो माननीय मुख्य मन्त्रीजी की उपस्थित में सारे मन्त्रिमण्डल के सदस्य और संघर्ष समिति के सभी लोगों ने तय की थी, के बारे में आदेश प्रसारित कर दिए हैं। मैं एक सवाल तो मन्त्री महोदय से यह

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पूछना चाहूंगा कि यह आदेश मांग क्रमांक 3, 4 और 5 के आदेश कब प्रसारित कर दिए हैं ? और इनकी क्रियान्विति आपके आदेशों के अनुसार कब शुरू हो गयी है ? एक प्रश्न ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह जिस प्रकार का भी समझौता हुआ उसके पहले एक बड़ा बवण्डर राजस्थान में खड़ा हुआ, माननीय मुख्य मन्त्री जी की पहल पर उनको बुलाया गया, आपस में चर्चा हुई । पांचों मांगों का पत्र उनके सिगनेचर से आपके और हमारे सामने है । माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि मांग क्रमांक 1 वेतनमान का सवाल है और और मांग क्रमांक 2 में मकान किराया भत्ते का सवाल है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि स्पेसिफिक बात और कमिटमेन्ट मुख्य मन्त्रीजी का हो गया । केवल इतना था कि यह केलकुलेट कर लेते कि 1982-83 में 4 करोड़ से ज्यादा इस पर खर्चा होगा या नहीं होगा । अब मन्त्रिमण्डल की सब कमेटी बनाकर उसके हाथों में यह मामला सौंप दिया । उसकी एक मीटिंग हो गयी, दूसरी मीटिंग हो गयी, तीसरी के वक्त माननीय विधि मन्त्री व्यस्त हो गए, चौथी के मुख्य मंत्री वक्त दिल्ली चले जायेंगे और पांचवीं के वक्त और कोई बात हो जायेगी । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कि उनका स्पेशल कमिटमेन्ट है मकान भत्ते के बारे में । मैं आपसे पूछना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : यह समझौता जिन बिन्दुओं पर हुआ है उन बिन्दुओं पर कह दीजिए । उन्होंने वक्तव्य दिया है इस समझौते के बारे में उस पर इस तरह से विरोध में बोलना आप शुरू न करें । आप यह बता दीजिए कि यह जो शर्तें उन्होंने कबूल की थीं उसको उन्होंने तोड़ा है । आप बीच में नाराज होकर भाषण शुरू कर देते हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाराज नहीं हूं । वह नाराज होने को तैयार हो जायेंगे अगर मैं मांगों पर चर्चा शुरू कर दूं तो । मैं तो केवल मांग संख्या 1, 2, 3 और 4 पर कहना चाहता हूं । बिलकुल ठीक बात है । मांग क्रमांक 2 है, मैं पढ़ रहा हूं :

'कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता राज्य भर में इस अनुसार दिया जायेगा, 28 नगरों में जैसे दिया जा रहा है वैसे ही दिया जायेगा । उपरोक्त 28 नगरों के अलावा राज्य की अन्य नगरपालिकाओं में प्रति कर्मचारी को 20 रुपया प्रति माह, इनको छोड़कर जितने क्षेत्र हैं उसमें 10 रुपया प्रतिमाह ।'

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस पर मत्रिमण्डल की कमेटी के निर्णय लेने की क्या आवश्यकता पड़ गयी, यह एक सवाल है स्पेसिफिक । मैं तो शार्ट में कह रहा था, जैसा आपने कहा था । मैं कहना चाहता हूं, मांग क्रमांक 1 में वेतनमान का सवाल है । आपने हस्ताक्षर कर दिये हैं । "राज्य कर्मचारियों के लिए नये वेतनमान निर्धारित किये जायेंगे । इन प्रस्तावित वेतनमानों में वेतन निर्धारण के लिए 1-9-81 को प्राप्त हो रहे वर्तमान मूल वेतन का 5 पर्सेन्ट, जो न्यूनतम रु. 30 और अधिकतम

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

75 रुपये होगा, जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा एवं इस प्रकार आंकी गयी राशि पर दिनांक 1-7-80 को प्राप्त हो रहे मंहगाई भत्ता जोड़ने के पश्चात् नये वेतनमान में अगली स्टेज पर वेतन निर्धारित कर दिया जायेगा।'....

श्री अध्यक्ष : यह तो इन्होंने कहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन्होंने कहा कि इसके लिए हमने मंत्रिमण्डल की कमेटी बैठा दी। मैं पूछना चाहता हूं हो क्या रहा है। एक थोड़ा सा आफिशियल केलकुलेशन का सवाल है। वित्त मंत्री जी बहुत योग्य हैं, उनका स्टाफ बहुत योग्य है। केलकुलेट करा दीजिए। और आदेश प्रसारित करा दीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पांचों मांगों पर तो चर्चा कर ली किन्तु जो कर्मचारी भुगतभोगी हैं जिनके बारे में स्पेशल रूप से मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको मैं आपके सामने पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसमें लिखा है :

'आन्दोलन की अवधि में जिन कर्मचारियों को हड़ताल के कारण सेवा मुक्त किया है अथवा निलम्बित किया है एवं पदावनत किया है उनकी सेवामुक्ति, निलम्बन और पदावनति के आदेश वापस लिये जायेंगे।'

मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबके आदेश वापस हो गए? मैं इसी प्रकार से पूछना चाहता हूं। लिखा गया है :

'कर्मचारी आन्दोलन की अवधि में जिन पर और केसेज चल रहे थे लूट पाट के उनके ऊपर पुर्नविचार किया जायेगा।'

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बार समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद में रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जो मांगें स्वीकृत की थीं उनका पालन कब किया? यह 3, 4 और 5 मांगें हैं। कौन सा पैसा उन कर्मचारियों के पास पहुंच गया? असन्तोष और बढ़ रहा है। फिर आन्दोलन शुरू होगा। शिक्षक संघ और दूसरे कर्मचारियों का धरना होगा। वह इस प्रकार की आज मांग कर रहे हैं। तो आप चार लाख कर्मचारियों को आन्दोलन में फिर क्यों झोंक रहे हैं, माननीय मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य,

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि It was a commitment of a Chief Minister before all members of the Sangharsh Samiti उसके बाद आवश्यक तो यह था कि उपरोक्त जो चार पांच शर्तें मानी थीं उनके अनुसार आप आदेश प्रसारित कर देते। आदेश प्रसारित नहीं किये।

एक बात अन्त में कह कर मेरी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने लिखा है, जिनको निकाला था बाहर, जिनके बारे में आर्डर दिये थे क्या उनके आदेश प्रसारित कर दिये! सैक्रेटेरियट तो सोया हुआ है, वित्त मंत्री जी भी सोये हुए हैं, सब लोग

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सोये हुए हैं, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और चार लाख लोगों को फिर आन्दोलन की भट्टी में झोंकने की प्रक्रिया वित्त मंत्रीजी चला रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी के सामने कौन सी मजबूरी है उनका कमिटमेन्ट है It is a commitment before all. यह सारा आपने पढ़कर सुनाया है····

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : जो विरोधी दल के नेता की है वही इनकी है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी आपके हैं, गुड़विल आपका बनेगी। ऐसा नहीं हो जैसा कि आर० एस० ई० बी० में हो गया····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिए ना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विषयान्तर नहीं हो रहा हूं। मैं कर्मचारियों की बात कहना चाह रहा हूं। यहां आर. एस ई. बी. के मंत्री महोदय ने कह दिया कि नहीं नहीं जायेंगे फोर्थ क्लास, तो हाई कोर्ट में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान सरकार के खिलाफ लोग हाई कोर्ट में जाते हैं यह ही है इनकी इज्जत। इस प्रकार की प्रक्रिया मत चलने दीजिए। कमिटमेन्ट किया है उसको पूरा कीजिए।

श्री अध्यक्ष : जो मुद्दे थे आपके उप-नेता महोदय ने सदन के समक्ष रख दिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : केवल दो प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह सारी चर्चा मेरे स्थगन प्रस्ताव पर है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर जो वक्तव्य होता है। उसके पश्चात् चर्चा नहीं होती है। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए स्पष्टीकरण हेतु एक दो माननीय सदस्यों को अवसर दिया जाता है। भाषण नहीं हो। समय का अभाव है।....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों के साथ उनके बीच खड़े हो कर अपनी फोटो खिंचवायी। जितने भी कर्मचारी प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकर आपने सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए आपने तमाम मांगों को मान लीं। बेरी आयोग के प्रतिवेदन के

(श्री मेघराज तावड़)
बारे में यह विश्वास दिलाया हम बहुत जल्दी आपकी मांगों को मान लेंगे और जो जो केस हैं उनको विथड्रा कर लेंगे। क्या आपने उनको विथड्रा कर लिया ?

दूसरी बात यह है कि बेरी आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर कर्मचारियों को वेतनमान क्यों नहीं देते हैं। उस पर मंत्रिमण्डल की बैठक में विचार करने का क्या औचित्य है। क्या इसको लिंग-आन करके राज्य कर्मचारियों को फिर से आन्दोलन में उतारना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि राज्य कर्मचारियों के साथ एक कमिटमेन्ट करने के बाद में उसको टालने के लिये मंत्रिमण्डल की बैठक का बहाना लेना क्या उनके साथ विश्वासघात नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, 16 अगस्त, 1982 को माननीय मुख्य सचिव, श्री वली साहब ने यह वक्तव्य दिया कि राज्य कर्मचारियों की समस्त मांगों पर एक माह के अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा। इस वक्तव्य के आधार पर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था 17 सितम्बर को एक महीने 3 दिन बाद। मेरा निवेदन करना यह है कि मुख्य सचिव का वक्तव्य था कि समस्त मामलों पर निर्णय ले लिया जायेगा तो क्या समस्त मांगें पूरी हो गयीं ? प्रथम जो मांग थी वेतन की क्या वह पूरी हो गयी ? वेतन की बात को छोड़कर जो मुख्य मांगें थीं वह सारी मागें उलझी पड़ी हैं, महंगाई की मार से कर्मचारी परेशान हैं। क्या राज्य सरकार मंत्रिमण्डलीय समिति में ले जाकर सारे मामलों को सुलझा देगी ? कृपया इस बात को स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कृपा करके इस बात को स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि बेरी आयोग के प्रतिवेदन के विषय में आपका भाषण निराशा जनक है। जब कि बजट में आलरेडी प्रावधान किया हुआ है, श्रीमन्, आश्चय यह है कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि हमारी वित्तीय स्थिति खराब है इसलिये पैसा देने में इस समय असमर्थ है। बजट भाषण में कहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : संक्षेप में ही कह रहा हूं।

आपने इस बात की बजट में व्यवस्था कर रखी है और कहा है कि महंगाई भत्ते की किश्तें, वेतन आयोग की सिफारिश एवं शहरी भत्ते की बढ़ोतरी के कारण इतने रुपये बढ़ गये है। बजट में 20 प्रतिशत बढ़ा कर प्रावधान रखा हुआ है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आलरेडी । कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखकर बजट में पेश किया था फिर भी नकारात्मक उत्तर के कारण राज्य को नुकसान हुआ ।

दूसरा यह है कि 9 अप्रेल के दिन जब हड़ताल समाप्त हो गई तो फिर आपने 10 और 11 को कैसे ट्रीट किया । उनकी ड्यूटी 12 तारीख से क्यों मानी । 10–11 तारीख को क्या राज्य सरकार ने अपनी नीति के अनुसार हड़ताल घोषित रखी । उन लोगों को ड्यूटी पर 12 तारीख से माना है जबकि वे लोग 9 तारीख को ही हड़ताल तोड़ चुके थे । तो जवाब दीजिये 10 और 11 तारीख सरकारी हड़ताल की थी या क्या । दो बातें बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

मुख्य मंत्री महोदय ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वेरी वेतन आयोग के प्रश्न को लेकर यहां पर चर्चा हुई उसमें मेरे और कर्मचारी नेताओं के बीच में जो समझौता हुआ उसका जिक्र किया गया है । सारे प्रकरण की वस्तु स्थिति वित्त मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यहां पर बता दी । मैं समझता हूं बहुत स्पष्ट है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

एक-दो प्रश्न कोटा से आने वाले माननीय सदस्य श्री ललित किशोर जी ने उठाये उनका मैं यहां निराकरण करना उचित समझता हूं । आपने कहा कि मकान किराया का खास तौर से उसमें जिक्र है कि 28 नगरों में रहने वाले कर्मचारियों को कोई भी नया मकान किराया नहीं बढ़ाया जायगा बाकी म्यूनिसिपल टाउन्स में 20 रु० के हिसाब से दिया जायगा, म्यूनिसिपल टाउन्स के अलावा जितनी भी जगह हैं उनमें 10) रु० के हिसाब से मकान किराया दिया जायगा उसमें क्या देरी है और उसे मंत्रिमण्डल की उप समिति के पास क्यों भेजा गया । मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि उसके कम्प्यूटेशन के लिये वित्त विभाग में यह मसला पड़ा हुआ था उसका करीब करीब कम्प्यूटेशन हो चुका है और समझौते के अनुसार मकान किराया देने के आदेश 1 अक्टूबर से पहले प्रसारित कर दिये जायेंगे ।

दूसरा प्रश्न किया उसमें वेतनमानों के निर्धारण और महंगाई भत्ते को, मैं समझता हूं, कनफ्यूज किया जा रहा है । वेतनमानों के निर्धारण के सम्बन्ध में आपको बताना चाहता हूं कि इतने अधिक रिप्रेजेन्टेशन, सैंकड़ों की संख्या में रिप्रेजेन्टेशन आये हैं, आप एनोमोली कह दीजिये, कुछ भी संज्ञा दे दीजिये इसके कारण सैंकड़ों रिप्रेजेन्टेशन आये हैं । पहले उन पर एक उप समिति ने विचार किया । उसके बाद उसको देखने के लिए एक मंत्रिमण्डल की उप समिति का निर्माण किया गया, गठन किया गया । उसकी तीन बैठकें, जैसा वित्त मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा, हो चुकी हैं । उसमें इतनी काम्पलेक्सिटीज हैं कि उसकी जांच करना बहुत जरूरी है । हमने एक आधार निश्चित कर दिया,

(श्री शिवचरण माथुर)

मिनिमम 30) रु. और मैक्सिमम 75) रु. जोड़ कर वेतन का निर्धारण होगा। लेकिन एनोमोलीज जो अलग-अलग माध्यमों से आई हैं उनका बहुत डिटेल में जाकर, विस्तार से परीक्षण करना बहुत जरूरी है। मंत्रिमण्डल की उप समिति उन पर विचार कर रही है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनका बहुत शीघ्रता करके निपटारा करना चाहते है। उन पर मंत्रिमण्डल की उप समिति की रिपोर्ट आ जाय, फिर मंत्रिमण्डल फैसला करके इस प्रकरण को भी निपटाना चाहता है। मैं समझता हूं वेतनमान के निर्धारण के सम्बन्ध में और जो महंगाई भत्ते पर जो समझौते का प्रश्न था उसको कनफ्यूज नहीं किया जाना चाहिये। जहां तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते को देने का और बाकी का उनके भविष्य निधि में समायोजित करने का प्रश्न है, जो समझौते में तय हुआ था उसके निश्चित रूप से आदेश प्रसारित कर दिये गये है।

साइकिल अलाउन्स देने के आदेश 23–4–82 को प्रसारित कर दिये गये हैं। 12) रु. से 15) रु. तक अलाउन्स बढ़ाया है उसके 1–4–82 को आर्डर प्रसारित कर दिये गये हैं। चार इन्स्टालमेंट डी. ए. के हैं 1–1–81, 1–10–81, 1–11–81 और 1–1–82 जो ड्यू थे उनके आदेश 20–4–82 को प्रसारित कर दिये हैं। जो शर्ते तय हुई थीं उनमें केवल वेतन मान निर्धारण करने के सिवाय करीब करीब सभी मांगों की क्रियान्विति हो चुकी है। इसलिये मैं समझता हूं बहुत बड़ा सवाल जो यहां उठाने की चेष्टा की, उसमें यह बात रह नहीं जाती है।

हमारे कर्मचारियों के साथ में मधुर सम्बन्ध है। अगर उनकी मांगों को हमने कोई दृष्टिकोण से देखा है तो वह आर्थिक कठिनाई के सन्दर्भ में ही देखा है। बाकी बहुत मधुर सम्बन्ध रहे हैं और आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे।

उदयपुर में पिछोला झील का राष्ट्रीय स्मारक जग मन्दिर

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी। उदयपुर में पिछोला झील के राष्ट्रीय स्मारक जग मन्दिर के बारे में वक्तव्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यह सारा का सारा मामला न्यायालय में चल रहा है—सब जुडिस है। यहां पर चर्चा होने से उस पर बहुत असर पड़ सकता है इसलिमें मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न की चर्चा यहां नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : सब-जुडिस है क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज करने वाला था, यह मामला सब-जुडिस है इसलिये इसकी यहां चर्चा न की जाय।

श्री अध्यक्ष : आपको कैसे मालूम हो गया कि सब-जुडिस है ?

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इस पर, अध्यक्ष महोदय, कोई स्टेटमेंट दिया तो अच्छा नहीं

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

रहेगा इसलिये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको यहां न लिया जाय ।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सब-जुडिस जितना हो सकता है मामला, वह तो प्रापर्टी को ओनरशिप के के बारे में है, किसकी है और किसकी नहीं है । जहां तक पुरातत्व विभाग की बात है....

श्री अध्यक्ष : उस पर तो आपके विचार सुन लूंगा ।

श्री राज बहादुर : मेरे विचार सुन लीजिये और जरूर सुन लीजिये । अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में तो यह मामला सब-जुडिस नहीं हो सकता । सब-जुडिस क्या चीज है । Protection of Government Premises Act के अन्तर्गत कोई चीज है वह चीज तो अलग है लेकिन यहां जो सवाल मैंने उठाया है वह है एक प्रसिद्ध पुरातत्व की....

(व्यवधान)

पुरातत्व को इम्पार्टेन्स के लिये सारे हाउस को और माननीय मंत्री महोदय को Annals of Mewar by Colonel Todd का एक पोर्शन मैं पढ़ कर सुना देता हूं—"Khoorum and Mohabat Khan compelled to seek refuge in Odipoor. In this asylum he remained undisturbed, apartments in the palace were assigned to him, but his followers, little respecting Rajput prejudices, the island became his residence on which sumptuous device was raised. × × × adorned with a lofty dome crowned with the Crescent. The interior was decorated with mosaic in onyx, cornelian, jaspers and agates...."

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टाइम खराब हो रहा है....

श्री राजबहादुर : वेल्यूएबल मोन्यूमेंट है, उसका विरोध करना कहां तक उचित है ?

All this was declared protected monument by the erstwhile Udaipur Government and it was repeatedly declared a protected monument by no less a Government than the one headed by my friend, Shri Bhairon Singh Shekhawat on 13th January, 1979. There is no question of sub-judice about this property. It is a protected monument.

यह मुझे बता दें महोदय इस केस को सब-जुडिस कह कर टाल रहे हैं, अगर यह प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट था तो किस कायदे से ? कैसे होटल कार्पोरेशन को बेचा गया है, आई. टी. डी. सी. को बेचा गया है ? मैं थोड़ा सी मिसाल दूंगा आपको, कैसे मंदिर मस्जिद क्या-क्या चीजें डेस्ट्राय कर दी है । दो मुगल गार्डन जो बने हुए थे वह डेस्ट्राय कर दिये गये, फव्वारे डेस्ट्राय कर दिये गये, बारादरी डेस्ट्राय कर दी गयी,

(श्री राजबहादुर)

मस्जिद को भी शुमार कर दिया गया, बेर मिट्टी कर दिया गया, कपूर बाबा के मजार को भी डेस्ट्राय कर दिया गया। इसके अलावा जो प्रोपर्टी चोरी हुई है, उसकी कीमत मिल नहीं सकती, तीन मंजीले महल के ऊपर जो सोने का चढ़ा हुआ जो क्रिसेन्ट था, चांद था, वह हटा दिया गया। कहां गया वह ? भित्ती चित्र और अन्य चित्र, जो अब मिल नहीं सकते जो उपलब्ध नहीं हैं, को ले गये। कपूर बाबा के गोलक का फण्ड ले गये। कपूर बाबा के यहां एक अलभ्य चित्र लगा हुआ था, वह ले गये। कपूर बाबा को हिन्दू लोग चांदी और सोना चढ़ाते थे, उसका कुछ पता नहीं है। शाहजहां ने अपना आखिरी वक्त वहां गुजारा, शाहजहां सारी उम्र वहां रहा, उसकी सारी चीजें चली जायं और इनके कान पर जूं नहीं रेंगे, यह सोते रहें, यह कहां तक ठीक है। सब-जुडिस की आड़ लेकर ट्रस्ट को हटायें नहीं। सब-जुडिस है तो पहले कोर्ट का फैसला हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : पहले तो स्थगन, प्रस्ताव था। अब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप ध्यान आकर्षित कर दीजिए।

श्री राजबहादुर : मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट्स को इस तरह से....

श्री अध्यक्ष : तभी तो मैं अर्ज कर रहा हूं वक्तव्य तो मन्त्रीजी ने सब-जुडिस कह कर टाल दिया। अब क्या है, वह आप फर्मा रहे हैं, मतलब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री राज बहादुर : सब-जुडिस है तो क्या है वह आप फर्मायें। मैं जानना चाहता हूं कि होटल बनवाना, सब चीजें तुड़वाना कहां तक मुनासिब है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री राजबहादुर : ये सारी लगी हुई चीजें क्यों ले गये हैं ? मैं रिकार्डेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी है, मेवाड़ के गजेटियर ने लिखी है उसके आधार पर आपकी गवर्नमेन्ट ने इसको प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट डिक्लेयर किया, 13 जनवरी, 1979 को उसके पहले उदयपुर रियासत में भी यह प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट था। इसका कोई स्टेट प्रापर्टी में हवाला नहीं है, इसका कोई पर्सनल प्रापर्टी में हवाला नहीं है। इसका हवाला प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट में है। मैं विनती करूंगा कि आप किस प्रकार से इन सारी चीजों को दोबारा स्टोर करेंगे या बर्बाद होने देंगे कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा। इसकी सम्पत्ति एक एक तस्वीर लाख लाख रुपये की है बल्कि 10–10, 15–15 लाख की हो सकती है, एक एक चीज। नक्काशी के किवाड़ थे, सोने के चित्र थे, सभी....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। श्री मेघराज तावड़।

श्री राज बहादुर : मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य को कैसे निभायेगी ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस में ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : हां, ज्यादा डिटेल में जाओ ही मत आप।

श्री मेघराज तावड़ : यह गम्भीर मामला है, अध्यक्ष महोयय, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो महाराणा हिन्दू विश्व परिषद् के अध्यक्ष हैं वह किस बात से हिन्दू विश्व परिषद् के अध्यक्ष हो सकते हैं जब उन्होंने शिवजी के मन्दिर को नहीं बचाया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नक्शा सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं, इस साइड में जितना पोर्शन है वह अभी प्रोटेक्टेड बचा हुआ है। बाकि इसके अन्दर जैसा माननीय राज बहादुर जी ने बताया, मकबरा भी तोड़ दिया गया, शिव मन्दिर को भी तोड़ दिया गया, फव्वारे की जगह भी तोड़ दी गयी है। यह ऐतिहासिक स्थान हैं। गवर्नेन्ट ने 1975 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसके बाद भी नया अॉल्ट्रेशन कैसे हुआ इस बिल्डिंग में? यह मैटर सब-जुडिस होने की बात कहते हैं. वह प्राइवेट जागरूक नागरिक बलवन्तसिंह मेहता ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार कहां सोयी हुई थी? मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं या तो सरकार जानबूझ कर उनको प्रोटेक्शन दे रही है या सरकार का हाथ है उसमें। अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि वह सूची कहां है? क्या यह महाराणा की प्रापर्टी है? महाराणा की क्या है; स्टेट प्रापर्टी है, क्या मन्त्री महोदय, वह सूची सदन के पटल पर रखने की कोशिश करेंगे। मैं आरोप लगाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र सिह जी भाटी जब उदयपुर गये उसके बाद से यह आल्ट्रेशन शुरू हुआ है. तोड़-फोड़ शुरू हुई है। मेरा साफ आरोप है, जैसा माननीय तिवाड़ी जी कह रहे थे कि सब-जुडिस है इसलिए नहीं बताना चाहिए, मैं माननीय तिवाड़ी जी से कहना चाहता हूं, आप इनके वकील हो सकते हैं, भूतपूर्व महाराणा के कोर्ट में हो सकते हैं, लेकिन सदन में नहीं हो सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हो सकता हूं। मैं उनका समर्थक हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाये, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : मुझे तो, अध्यक्ष महोदय, यही कहना है सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही करके इसको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो आज मालूम हुआ, धन्यवाद। सही दिशा पर आये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्र सिह भाटी : तिवाड़ी जी को, तो अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाने की आदत तो बहुत है, इनको यह पता नहीं है कि ओनरशिप किसकी है। ओनरशिप महाराणा साहब की नहीं है, किसी और प्राइवेट कम्पनी की है।

श्री मेघराज तावड़ : महाराणा ने टाटा को दिया, टाटा ने टोबको कम्पनी को दिया है, यह मुझे मालूम है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप बैठिये। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सूचना देना चाह रहा हूं। माननीय राज बहादुर जी को पता नहीं होगा एस० डी० ओ० की कोर्ट का नहीं है, एक्चुअली रिट पिटीशन 170/82 जो फाइल हुई थी, जोधपुर में उसके तहत यह सब-जुडिस है।

श्री अध्यक्ष : सब इस पर चर्चा....

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक क्वेश्चन है कि जो संविधान था, मेवाड़ गवर्नमेंट का, यह सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्या उसको मानी है और उसी के आधार पर प्रोपर्टी मानी है। यह कह कर इस केस को टाल दिया कि यह लागू नहीं था तो यह केस हुआ। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट को आपने केस नहीं किया, क्या यह बात भी सही है?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेवाड़ कान्सटीट्यूशन की बात कर रहे है सन 47 की, उसके बाद में सन् 50 में आ गया, सन् 55 में के० एम० मुन्शी की बात कह रहे हैं। कोई और रेफरेन्स में इन प्रापर्टीज की कोई चर्चा हुई नहीं। उसके बाद में सन् 62 में यह प्रापर्टी महाराणा ने किसी कम्पनी को सेल कर दी, राजस्थान सरकार ने सन् 79 में एक नोटिफिकेशन निकाला इसको प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट घोषित करने के लिए। उस नोटिफिकेशन के अगेन्स्ट यह प्राइवेट कन्सर्न हाई कोर्ट में चला गया। अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में उन्होंने ठेठ से लेकर ठेठ तक प्रापर्टी का जिक्र किया। हाई कोर्ट से उसमें नोटिस दे दिया गया। अब, श्रीमान्, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, माननीय सदस्य आप थोड़ी रेस्पान्सिबिलिटी से, थोड़ी गम्भीरता से आरोप लगायें, अगर लगायें तो।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या लिस्ट प्रापर्टी की आपके पास है? अगर है तो सदन के पटल पर रखी जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कोई जरूरत नहीं है।

श्री राज बहादुर : स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ताल्लुक है, हमारा वास्ता है। स्टेट गवर्नमेंट आन्सरेबल है। मैं तो स्टेट गवर्नमेन्ट से पूछना चाहता हूं कि प्रोटेक्टेड प्रापर्टी एक हेरिटेज है कन्ट्री की, नेशन की उसको प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट डिक्लेयर कर दिया। उसकी सेल होटल कार्पोरेशन को हुई या किसी को हो गई, उसके प्रोटेक्शन के लिये कुछ भी करने को तैयार है सरकार? रिट पिटीशन गयी What steps are you taking to reclaim the property, to restore the property and to preserve the property?

ऐसा करिये जो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेन्ट डिक्लेयर किये हैं। ऐसा कह दीजिए कि अनालाइज कर दिये, ऐसा कह दीजिए How did you recognise the transfer? what authority had the Maharana to transfer the pro-

(श्री राज बहादुर)

perty ? He had no autnority whatsoever.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके मन्त्री काल में ट्रान्सफर हुआ है।

श्री अध्यक्ष : विवाद का विषय नहीं बनायें इसको, माननीय सदस्य, इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायें। मन्त्री जी, यदि आप कुछ संक्षेप में कहना चाहें, तो कह दीजिए। आर्डर प्लीज। कृपया इसको विवाद का विषय नहीं बनायें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री राज बहादुर : What are you doing to protect this ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, What am I doing to Protect it. My Government will protect all important archaelogical monuments to the best of our ability, No. one. Number two, माननीय राजबहादुर जी को शायद पता नहीं भी होगा कि जिस एस० डी० ओ० के आर्डर का यह रेफरेन्स दे रहे हैं कि एक सिटीजन ने, बलवन्त सिंह जी मेहता ने एस० डी० ओ० कोर्ट में सन् 1980 में पिटीशन में यह मामला उठाया था, स्टेट आफिसर ने उस समय कुछ दिया था निर्णय, उसका 4 अप्रेल, 1982 में जजमेन्ट आया है। अध्यक्ष महोदय, जजमेंट मेरी गवर्नमेंट को कन्सर्न करता है, उस जजमेंट को श्री माननीय सदस्य पढ़ें तो उसमें जग मन्दिर का विवरण भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा खतम हुई।

श्री राज बहादुर : मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने फिर कहा था, आपने कहा था कि इसका····

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, let me complete.

श्री अध्यक्ष : मैं इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : इनका करेक्टर तो सामने आ ही गया····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री राज बहादुर : On a point of personal explanation····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आसन पैरों पर है। कृपया पहले मेरी बात सुनिये····

श्री राज बहादुर : I beseech the chair....

श्री अध्यक्ष : पहले आप बिराज जाइये।

वैसे तो माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य, दोनों ही माननीय सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

काफी दिनों से उत्सुक थे कि इस पर कुछ वक्तव्य वगैरह दिलाया जावे। वक्तव्य की मैंने व्यवस्था की। उस व्यवस्था के बावजूद सब-जुडिस मैटर होने के कारण वक्तव्य नहीं दिलाया जा सका। फिर भी मैंने आपको एक विशेष सुविधा प्रदान की कि इसमें कुछ कहना चाहें तो आप वह दें। आपने बात फर्मा दी। मन्त्री महोदय जी को भी जो कुछ कहना था वह कह दिया, फिर आपने कह दिया। मेरा नम्र निवेदन है कि अब इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जावे। अन्य किसी तरीके से....

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : जो बात कही गई है वह गलत है। सिर्फ रिकार्ड ठीक कराने के लिए कहना चाहता हूं। आपने यह बात....

श्री अध्यक्ष : आपकी यह बात रिकार्ड हो गई कि वह बात गलत है, आपने कही वह....

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई। समय का अभाव है इसलिए मेरा अनुरोध है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य से अनुरोध कर दूं। कृपया विराज जायें।

(व्यवधान)

उदयपुर स्थित हिरण मगरी, नगर विकास न्यास की भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा

राज्य मन्त्री उदयपुर स्थित हिरण मगरी नगर विकास न्यास की भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल आफ....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, स्वयत्त शासन) : सैक्टर अ-4 में भगवान महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में चन्द प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जो जांच हेतु सम्बन्धित अधिकारी को भेजे गये थे।

इस सम्बन्ध में भगवान महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति के मन्त्री की ओर से श्री प्रदीप पालीवाल, एडवोकेट ने धारा 188 राजस्थान टिनेंसी एक्ट स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दिनांक 27 मई, 82 को उप जिलाधीश, उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट भी प्रस्तुत किया। जिस पर उप जिलाधीश गिर्वा (उदयपुर) द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 82 को निर्णय किया। निर्णय में उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयन

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

दिनांक, 27 जनवरी 75 को होना एवं दिनांक 15 मई, 74 के बाद कृषि भूमि के सम्बन्ध में पंजीयन करने का बैन (रोक) होने से समिति के पंजीयन को निरस्त कराने एवं सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध डिसीपलीनरी एक्शन लेने का सुझाव दिया। तथाकथित भूमि के सम्बन्धित 11 नामान्तरण खोले, उन्हें सी० अवैध बताते हुए धारा 82 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत रेफरेन्स कर निरस्त कराने का सुझाव दिया। साथ ही नामान्तरण अवैध खोलने व निरीक्षक को गलती होने एवं गलत प्रमाणित करने से सम्बन्धित पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक व सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही कराने के सुझाव दिये हैं। साथ ही उप पंजीयक, उदयपुर विभाग को लिखे जाने की सिफारिश की है एवं अवैधानिक रूप से किये गये पंजीयन को निरस्त कराने की अनुशंसा की है। भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही स्थगित की गई तथा जिन व्यक्तियों ने विक्रय पत्रों के पंजीयन के विक्रेता के पहचान की गलत साक्षी दी, उनके विरुद्ध धारा 420 ता० ही (आई. पी. व आई. पी. सी. की कार्यवाही कराने का सुझाव दिया है तथा जिस भूमि का नगर विकास प्रन्यास द्वारा मुआवजा देना शेष है, उन्हें शीघ्र भुगतान कराने के भी सुझाव दिये हैं।

नगर विकास न्यास द्वारा तथा कथित आराजी नम्बर 309 रकबा 39 बीघा 9 बिस्वा पूर्व में अवाप्त की गई उसमें से 20 बीघा भूमि का मुआवजा संबन्धित खातेदारान को 20 दिसम्बर, 58 को चुका दिया गया किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि हस्तान्तरण को अमल बरामद नहीं होने से यही भूमि पुनः समिति के सदस्यों द्वारा क्रय की गई है, विक्रय पत्रों में क्रेताओं की जाति व निवास स्थान का पूर्ण विवरण नहीं देकर हाल उदयपुर लिखा गया है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन क्रेता प्रभावशाली व्यक्ति है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच कराई जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार सम्बन्धित, सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, उप पंजीयक, उदयपुर व गलत साक्षी देने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जानी है, जिसके लिए अतिरिक्त जिलाधीश, उदयपुर को अलग-अलग बिन्दुवार विस्तृत जांच कर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं। चूंकि इस प्रकरण में काफी कानूनी मुद्दे शामिल हैं, नगर विकास न्यास, उदयपुर ने जिन व्यक्तियों को यहां भूखण्ड आवंटित किये, उन्हें भवन निर्माण करने हेतु न्याय प्रोत्साहित कर रहा है एवं अनधिकृत कब्जों को हटाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करना चाहता हूं। मैं केवल प्रश्न करना चाहता हूं।

पहला तो यह है कि 21 बीघा जमीन जो यू. आई. टी. ने लोगों को प्लाट आवंशन करके दी थी और नानक पब्लिक स्कूल को भी उसमें से छः बीघा जमीन दी थी, क्या वही जमीन है?

श्री अध्यक्ष : आपकी सब बातें इन्होंने स्वीकार कर लीं। कुछ अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही वगैरह कर रहे हैं। सब बातें आ गई हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें हैं। इसमें से एक को रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि इन्होंने जो बातें कही हैं उनमें से एक एक बात को भी रिपीट नहीं करूंगा। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उनका उत्तर दे दें।

पहला प्रश्न तो मेरा यह था कि आपने कुछ लोगों को जमीन आवंटन की थी और गुरु नानक पब्लिक स्कूल को भी जमीन दी हुई थी उसी पर लोगों ने कब्जा किया था।

दूसरा क्या यह सच है कि भगवान महावीर गृह निर्माण समिति ने जिन लोगों से भूमि खरीदना बताया उसमें से सात लोग, पन्ना, रूड़ा, भगवाना, भक्ता, हासिया, खेड़ा और रत्ना, आलरेडी मर चुके थे? इस संसार में ही नहीं हैं, उनकी रजिस्ट्री हुई है, श्रीमान। ये भी यह बतायें कि क्या ये सात लोग मर चुके थे? इन लोगों द्वारा खरीदी बताई जमीन की भी भगवान महावीर गृह निर्माण समिति के लोगों ने रजिस्ट्री अपने नाम कराई।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या रजिस्ट्रार, जो स्वयं एक पार्टी है, का भी एक प्लाट है? उसने रजिस्ट्री के 70 हजार रुपयों का सरकार को नुकसान दिया है? यह एस. डी. ओ. के फैसले में है। क्या उसने दिया है या नहीं?

चौथा प्रश्न है जितने भी नामांतरण खोले गए उन सभी में, श्रीमान, आपको आश्चर्य होगा, हर रजिस्ट्री में नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, स्थान, पता सब होते हैं, लेकिन यह अनोखी रजिस्ट्री है उसमें से किसी में भी जाति, नाम, पता सही नहीं है, नाम पते भी गलत दर्ज किये गये हैं। ये प्रभावी लोग हैं, उन्होंने इस बात को छुपा करके वहाँ के सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री अपने नाम करा ली।

पांचवां प्रश्न, क्या कानून के तहत एस. टी. की जमीन को एस. टी. वाले ही खरीद सकते हैं? इसमें अधिकांश एस. टी. के जो लोग हैं उनके आगे तो आपने मीणा लिख दिया लेकिन बाकी लोग हैं उन सब की कोई जाति नहीं लिखी। क्या यह रजिस्ट्री वेलिड थी? फिर एस. डी. ओ. का निर्णय 26-8 को हो गया, श्रीमान। आप कह रहे हैं कि हम कार्यवाही कर रहे है। चार दिन के बाद एक महीना हो जाएगा, आपने उनका कब्जा क्यों खतम नहीं कराया? श्रीमान, यही नहीं, सच यह है कि इस पर कई सांसदों, विधायकों ने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस पर कब्जा कर रखा है। आखिर, श्रीमान....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कई सांसद, कई माननीय सदस्य जो इस समय भी यहाँ पर बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्री जयनारायण रोत ने अपनी पत्नी सूर्यकान्ता के नाम से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य। मैं इस तरह के आरोप लगाने की इजाजत नही दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : विधायक नानालाल ने अपने पुत्र अभयकुमार के नाम से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जमीन ले रखी है। यही नहीं, जो बहुत बातें कहते हैं महाराणा के विधायक मेघराजजी ने भी कब्जा कर रखा है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं भी उस सोसायटी में हूँ, मेरा नाम भी है। मैं छाती खोल कर कहता हूँ कि मैं उस सोसायटी का सदस्य था सन् 75 में जब यू. आई. टी. में बाबू था। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्य इस मसले को यहां लाए हैं वह केवल इसलिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने निवास के लिए, सिर ढकने को कहीं जमीन नहीं ले सकें। आज जो हरिजनों और आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के हमदर्द बनते हैं और हरिजनों की बात करते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। समय का अभाव है।

श्री मेघराज तावड़ : हरिजन और आदिवासी इन बस्तियों में नहीं रह सकें इसलिए यह षड़यन्त्र कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अपने आपको सी. पी. आई. का मैम्बर बताते है और कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार को जिताते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी की गाड़ी में बैठ कर 8 मई को मोके पर गए....

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं चैलेंज करता हूँ, कोइ भी माननीय सदस्य अगर बिकने वालों में है तो वह आप लोगों में हैं। मैं बिकने वाला नही हूँ। मैंने तो मुख्य मन्त्री को रोक कर कहा था कि यह जमीन हमारी है, यह आदिवासियों ने सोसायटी बना कर प्लाट काटे है। हमने मुख्य मन्त्री को रोक कर कहा था, उनकी गाड़ी में जाकर कहा था। यह मेरा कर्त्तव्य है....

(व्यवधान)

भैरोंसिंह जी हेलिकाप्टर में बैठ कर छबड़ा जा सकते हैं और मेरे लिये इस तरह की बात करते है। मैं मुख्य मंत्री की कार में बैठ कर गया यह बताने के लिये कि वह जमीन हमारी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आज इन लोगों को डर क्यों है। हरिजनों और आदिवासियों के नाम पर हमेशा तालियां पीटते हैं, हमेशा नकली आंसू बहाते हैं। हरिजनों और आदिवासियों ने अपने प्लाट काटे हैं।

(श्री मेघराज तावड़)
हरिजनों और आदिवासियों ने अपनी जमीन ली है। वह कौनसी जमीन है, वह घाटे की जमीन है ...

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यू. आई. टी. की जमीन पर नाजायज कब्जा प्रभावी लोग और ये लोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड : इनका असली स्वरूप सामने आ गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हरिजनों और आदिवासियों की बात करने वालों का करेक्टर सामने आ गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह प्रभावी लोग (व्यवधान) है सारे के सारे। यह एस. डी. ओ. का फैसला हुआ पिछले महीने, तब सरकार को पता लगा, उसके बाद भी यह सरकार मौन बैठी है। कल जो बात कही थी एम. एल. ए. बिक गये या नहीं बिक गये इसका यह भी एक सबूत है। इस तरह से कांग्रेस के लोग एम. एल. ए. को खरीद कर अपने पक्ष में करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हम लोग बिकने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री मेघराज तावड़ : समस्या उलझाते हैं जो जनता की सेवा करने की बात कर रहे हैं केवल इसलिये कर रहे हैं, उस धरती में हरिजन और आदिवासी रह नहीं सकें। आदिवासी लोग हैं इसलिये नहीं रह सके।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आर्डर। चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा....

श्री मेघराज तावड़ : कम्युनिस्ट पार्टी कभी बिकने वाली नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का करेक्टर है।

(व्यवधान)

यह तुम्हारा करेक्टर है जो बगावत करते हैं....

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : खो दिया। अपना ईमान बेच दिया, उसका क्या करेक्टर हो सकता है। और कोई....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : मैं अकेला 101 के बराबर हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से व्यवस्था चाहूंगा। वह

(श्री नन्दलाल मीणा)

कानून बता दें। किस कानून के आधार पर 6 आदिवासियों की जमीन यू. आई. टी. ने एक्वायर की....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एक मिसाल होगी ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री मेघराज तावड : आदिवासियों के सिवाय, हरिजनों के सिवाय, खटीकों के सिवाय कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

पर्याप्त चर्चा हो गयी। माननीय सदस्य कृपया।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री नन्दलाल मीणा : × × ×

श्री मेघराज तावड : यह बिल्कुल गलत कहते है। मैं मुख्य मन्त्री से मिलने नहीं गया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर, आर्डर।

श्री महाराम चौधरी।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कटारियाजी ने अभी कहा था, सरकार हरिजनों को खरीदकर....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड : यह बेबुनियाद है। मैं 1975 में जब यू. आई. टी. में बाबू था तब से मैम्बर हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी, मैं नाम पुकार रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : यह उस पार्टी के मैम्बर हैं जो इन्दिरा गांधी की पिछलग्गू है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह 1975 की नहीं 1982 की जमीन खरीदी हुई है।

श्री छोगाराम बकोलिया : कटारिया जी ने कहा, राज्य सरकार हरिजनों को खरीदकर और अपने पक्ष में करती है, यह निराधार है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : एक विषय केवल बच गया है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आर्डर। माननीय सदस्या, 152 में से 125 लोगों ने शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीनें ली हैं, मालूम है आपको ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका बहुत सहयोग रहा. इतने सारे स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर वक्तव्य हो चुके हैं। अब एक अंतिम विषय बचा है। 5–10 मिनट का समय है। कृपया धैर्य रखिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) अध्यक्ष महोदय, सहयोग आपका भी बहुत है। हमारी आपस में लड़ाई होती है, आप भी कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं।

नियम 295 में उठाया गया प्रश्न
लिमका की बोतल में कीड़ा

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो तीन बार बोलने की कोशिश की। रूल 295 के तहत मैंने आपको सूचना दी थी। मैं कहना चाहूंगी, यह वह लिमका की बोतल है, जिसमें कीड़े है। इस तरह का पेय पदार्थ शहर में बिकता है जो लोगों को घातक सिद्ध होकर मार सकता है। सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं आपकी अनुमति से सदन की टेबल पर रखना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति है नहीं। आप रख दीजिये यहां पर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, पीने की चीज नहीं है, किसी को पीने मत देना। जांच करा लो इसकी।

एक माननीय सदस्य : पीने वालों को मिलती है तो आप क्यों चिंतित हैं।

आधे घण्टे की चर्चा
भेड़ व ऊन विभाग में व्याप्त अनियमितताएं

(तारांकित प्रश्न सं० 23
दिनांक 6 सितम्बर, 1982)

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, आज मैंने जब राजस्थान पत्रिका के अन्दर राजस्थान के मालपुरा के आसपास भेड़पालकों की खबर पढ़ी, 6 आदमियों को डाकुओं ने मध्य प्रदेश ले जाकर मार दिया....

श्री अध्यक्ष : आपका जो विषय है, आप उस पर बोलें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भेड़पालकों के सम्बन्ध में ही विषय है। इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को कम से कम....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक नया विषय प्रस्तुत करना चाहते हैं।

वह घटना बहुत पुरानी है। माननीय सदस्य, 6 महीने पहले की घटना है। मैंने भी पढ़ी थी। मैं भेड़पालकों का शुभचिन्तक नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। मैंने वह खबर पढ़ी लेकिन उनका अपहरण आज के चार छः महीने पूर्व हुआ था। कृपया आप अपने विषय पर आइये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र के आदमी को सिर्फ कांटा भी लग जाता है तो उसकी तो शहर में चर्चा हो जाती है। इसलिये मुझे यह....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य। विषय पर आयें अपने।

श्री महाराम चौधरी : खैर।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के भेड़ और ऊन विभाग के द्वारा कार्यक्रम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, भेड़पालकों की सुविधा के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाई गई हैं। उन योजनाओं में व्यवहारिकता नहीं होने की वजह से वह जनोपयोगी नहीं हो रही हैं।

भेड़पालकों को वास्तविक रूप में उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, भेड़ विकास कार्यक्रम पर सन् 1980–81 में 67 लाख रुपये व्यय हुए, 1981–82 में 60.77 लाख रुपये व्यय हुए, 82–83 के लिये भेड़ एवं ऊन विभाग के प्रगति विवरण में यह दिया है। सरकार की तरफ से 80 लाख का प्रावधान है। जो रुपये भेड़ विकास कार्यक्रम पर खर्च किये जा रहे हैं, उसमें भंयकर अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इन भेड़पालकों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। उसके साथ-साथ जो भारत के महालेखाकार और आपकी जन लेखा समिति की तरफ बताया गया है कि इस विभाग के अन्दर अनियमितताएं हुई हैं, उनकी भी आज तक किसी तरह की कोई पालना नहीं हुई है। अधिकारियों ने जिस कार्यक्रम के लिये जो कार्य किया उसकी कतई परवाह नहीं की। मैं आपको उदाहरण पढ़ कर के सुनाऊंगा, पूरी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो उपसंहार में लिखा हुआ है, ऊन खरीदने के अन्दर हैं, या भेड़ों के प्रजनन केन्द्र हैं, तारबंदी के कार्यक्रम हैं, या जो भेड़पालकों को अग्रिम राशि दी जानी थी वह अग्रिम राशि भेड़पालकों को ही नहीं दी।

जो रुपये अधिकारियों की मार्फत दिये गये हैं उनका भी कोई हिसाब–किताब नहीं है। आज 13-13 साल हो गये, उनकी कोई वसूली नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूं कि जो आडिट रिपोर्ट के अनुसार और लेखा समिति की तरफ से जो रिकमण्डेशंस आई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। उसके लिए यदि आप अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें तो भेड़ पालकों के साथ न्याय होगा और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है वह नहीं होगा।

(2.10 म.पू.)

श्री अहमद बक्स सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग को चलाने के लिए ऐसे अधिकारी रखे गये हैं जिनमें इस कार्य को चलाने के व्यावहारिक ज्ञान का नामो–निशान नहीं है, जिन्होंने पिछले सालों में, अपने कार्यालय में अनेक अनियमिततायें की हैं। मैंने अपने प्रश्न में भी दिया था, मैं नाम तो भूल गया, कोई कोरीडेल नस्ल के विदेशी मेढ़े का, इस तरह का स्टेट लेवल का जो हिसार में फार्म

(श्री महाराम चौधरी)
है उसमें जिस अधिकारी ने रहकर जो अनियमिततायें कीं उसकी आपके यहां शिकायत आई वह शिकायत तो भूल–चूक से इन्वर्ड हो गई कार्मिक विभाग में लेकिन शिकायत के नीचे जो आरोप पत्र था वह गायब कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई उसके खिलाफ कार्यवाही करना बन्द कर दिया। मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने लिखा है कि जिस आदमी ने शिकायत की है वह हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं बजाय इसके उस अधिकारी को कोई सजा देने की व्यवस्था करते। उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिकारी के प्रति मैं यहाँ तक कहने को तैयार हूं कि जो प्रोजेक्ट आफिसर आपके विभिन्न जगहों पर रखे गये हैं उन प्रत्येक प्रोजेक्ट आफिसर को जिस तरह से तारबंदी के कार्य के लिए चरागाह विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए फण्ड अलाट किया गया....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय यह भेड़ पालकों का विषय है। अनेक विषय आते रहते हैं लेकिन यह पश्चिमी राजस्थान के उन भेड़ पालकों के सम्बन्ध में है जिनकी कोई चिन्ता नहीं करते। जो इतने साल से कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं, उनको हम यहां उजागार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उन भेड़पालकों को तो मालूम ही नहीं होता कि हमारे लिये क्या योजनाएं, कार्यक्रम बनाये जा रहे है। आखिर इस बात की शिकायत कैसे करेंगे? मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा जो मुझे जवाब में दिया गया है, इस विभाग की तरफ से पांच जगहों में प्रजनन केन्द्र चला रहे हैं उन पांचों में भेड़ों की जन्ममृत्यु दर क्या है, उनके चारा, दाना, पानी पर कितना खर्चा हुआ है इसका यदि सही ढंग से माइनूटली विश्लेषण करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भेड पालकों की सहकारी समिति को एक मेंढा 25 हजार का पडता है। जो आप गांव की भेडों को सुधारने के लिये देते हैं उस मेंढे को वहां ले जाते हैं तो उसकी ऐसी हालत है कि व कामयाब ही नहीं होता है उसके जूंए पडी होती हैं, उसकी कोई श्रद्धा ही नहीं होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आधे घंटे की चर्चा में आप इतना समय लेंगे तो मैं दूसरों को समय कैसे दूंगा? आप दस मिनट से अधिक बोल लिये हैं, आप समाप्त कीजिये। आपका कोई राइट नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पहला राइट है मेरा। बात तो पूरी कहनी पड़ेगी। मुझे बीच बीच में टोक कर....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मेरा काम है।

श्री महाराम चौधरी : पश्चिमी राजस्थान के भेड़ पालकों का मामला है। मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस विभाग से जो इस किस्म का जवाब दिया है, उसको आप ठीक तरह से देख करके उनकी जांच कराने की घोषणा करें। जांच कराने के लिये हम यह नहीं कहते कि किन अधिकारियों से....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप

(श्री उपाध्यक्ष)

समय का ध्यान नहीं रख रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : जो विस्तार कार्यक्रम और जो चरागाह के लिये कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जितना भी तारबन्दी का कार्यक्रम है जैसे 100 हैक्टेयर जमीन पर तारबन्दी के काम को चलाने के लिये आपने काम दिया उसका मूल्यांकन करवाते तो आज की कीमत में 25-30 हजार से ज्यादा का नहीं हो सकता। उसमें आपकी बिरादरी के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत करके अनियमितताएं हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, जो फतेहपुर का फार्म है उसकी करीब 900 एकड़ जमीन है, उसमें 9 ट्यूब वैल हैं। इतनी बड़ी जमीन और इतने साधन उपलब्ध होते हुए भी वहां की भेड़ों को एक साल में सूरतगढ़ फार्म में ले जाने का 40-40 हजार रुपये खर्च आया है। क्या वे हवाई जहाज से ले गये ? हमारे पश्चिमी राजस्थान से काश्तकार गंगा के पार तक भेड़ों को चराने के लिये ले जाते है उनका खर्चा कितना आता है ? इन सब चीजों को देखना पडेगा।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा, फतेहपुर भेड़ फार्म की पूर्ण रूप से जांच करें। उसमें अनियमितताएं जो भी पाई जायं उन पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो प्रश्न के उत्तर में आपने फरमाया भाग सं० 6 में कि भेड़ों के जिस क्षेत्र में अकाल की स्थिति बन जाती है तो गंगानगर कृषि फार्म में चराने के लिये ले जाते है। मैं मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि 1981-82 और 1982-83 दो वर्षों के पूर्व कभी क्या अकाल नहीं पड़ा ? उन क्षेत्रों में इससे पूर्व क्यों नहीं ले जाई गई ? क्या उस उक्त ट्यूब वैल की व्यवस्था नहीं थी ? आज जो इतने ट्यूब वैल की व्यवस्था है उसके उपरान्त जो जोड़बीड़ बीकानेर से भेड़ें लेकर गये हैं उनकी कुल कीमत करीबन डेढ़ लाख होती है और आपने खर्चा कर दिया 40 हजार, आधी कीमत। क्या लाने ले जाने मे इस प्रकार खर्च करते हैं ? फतेहपुर फार्म की यह स्थिति है तो मेरा निवेदन है कि जब आपने ट्यूब वैल खोद रखे हैं, चरागाह का विकास कर रहे है तो क्या आवश्यकता पड़ी गंगानगर कृषि फार्म में ले जाने की ?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन करना चाहूंगा आप जो तारबंदी कर रहे हैं जोड़बीड़ फार्म बीकानेर में। क्या आज के दिन वहां सही रूप से तार मौजूद हैं ? नहीं हैं। इसका आपको कारण जानना होगा। उसकी वजह से फार्म कामयाब हो सकता है वरना कभी नहीं हो सकता। तारबन्दी जगह जगह टूटी पड़ी रहती है। उसकी रिपेयर के लिये बार बार खर्चा

(श्री देवीसिंह भाटी)
किया जाता है। इससे बाहर का पशुधन फार्म में चला जाता है। इससे भेड़ों के चरागाह विकसित नहीं हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने यह जो फार्म कायम कर रखे हैं, मुझे आप यह बताएंगे, बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में किसी एक भी ग्रामीण को यह पता है कि आप उन्नत किस्म की मेंढें या भेड़ वहां सप्लाई कर रहे है? किसी गांव में दिये हैं आपने? बताएंगे मुझे? कहीं नहीं दिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय। लाखों, करोड़ों रुपये अब तक खर्च हो गये हैं। सन् 1952 से लेकर 1974–75 तक जोधपुर, फतेहपुर में जो फार्म कायम किये गये हैं, जिस उद्देश्य को लेकर यह फार्म कायम किये गये थे उससे कहीं भी भेड़ पालकों को फायदा नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़े बताऊंगा तो आपको पता लगेगा, उनकी मोर्टेलिटी क्या है। इतना ही निवेदन करूंगा कि वहां पर चरागाह हैं, वहां पर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था है, वहां पर डाक्टर्स हैं, वहां पर कम्पाउण्डर्स हैं फिर भी मोर्टेलिटी बढ़ती क्यों जाती है? इसका क्या कारण है। आज जो भेड़ पालक हैं, जो स्वयं भेड़ पालते हैं उनके यहां भी इतनी नहीं होती है जब कि आपके वहां पर पशु चिकित्सा सुविधा है, डाक्टर्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : रिपीट नहीं करें।

श्री देवीसिंह भाटी : रिपीट नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजकोष में पहले ही घाटा चल रहा है। यह सरकार पहले ही घाटे में चल रही है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि भेड़ प्रजनन फार्म जो आपने कायम कर रखे हैं आप कृपया उनको समाप्त कर दीजिये। उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है, उसके कारण टैक्स जनता पर लग रहा है, और वह व्यर्थ जा रहा है। इनका जो उद्देश्य था वह पूर्ण नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच करवाई जाये कि भेड पालकों को क्या लाभ मिल रहा है और क्या उससे राजस्थान को फायदा होने वाला है? एक कमेठी गठित करके जांच की जाये...

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, इसका उत्तर दें।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : मेरी कांस्टीट्यूएंसी से ताल्लुक रखता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं। आप बैठ जाइये।

जिन लोगों ने आधे घंटे की चर्चा में हिस्सा लेने के लिये नाम दिये हैं उनके नाम पुकारूंगा। समय का अभाव है, माननीय सदस्य, आप जवाब आने दीजिये।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, भेड़ व उन) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सारे भारत वर्ष की करीब एक करोड़ भेड़ें मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, करीब डेढ़ लाख किलोग्राम ऊन....

श्री उपाध्यक्ष : भेड़ें क्यों मर जाती हैं यह बताइये ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपको ही वकालत कर रहा हूं....

आप बाधा न डालें।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। अंकित न हो।...

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नियमों का पालन कराना है, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : × × ×

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, करीब 1·50 लाख किलोग्राम ऊन हमें इन भेड़ों से प्राप्त होती है जो कि सारे देश का 45 प्रतिशत बनती है। करीब 30 लाख भेड़ें हम विदेश को निर्यात करते हैं। अभी कुछ सवाल माननीय सदस्य, महारामजी ने भेड़ों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहला उन्होंने यह सवाल किया कि यह प्रोग्राम अनुपयोगी है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन फार्मों का जो उद्देश्य....

(व्यवधान)

पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया है मैं उसको पुनः आपके सामने दोहराना चाहता हूं

फार्म का उद्देश्य....

(व्यवधान)

ठीक है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, श्री महारामजी ने कुछ अनियमितताओं के बारे में महालेखाकार, जनलेखा समिति की रिपोर्ट का यहां पर हवाला दिया है। यह रिपोर्ट इसी सत्र में मुझे प्राप्त हुई है। जहां तक अनियमितताओं का सवाल है जब भी कोई इस प्रकार की शिकायत आती है उसकी बराबर जांच की जाती है। एक शिकायत का उन्होंने खास तौर से हवाला दिया कि जोइंट डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत चल रही है। जैसे ही इनका प्रश्न प्राप्त हुआ, यह शिकायत मुख्य मंत्रीजी को की गई थी, उस शिकायत के ऊपर शिकायत कर्ता को बुलाया गया लेकिन दुर्भाग्य से जिस नाम से शिकायत की गई है वह व्यक्ति काफी कोशिश करने के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैंने पुनः आदेश दिया कि जो तथ्य शिकायत में दिये गये हैं, उन तथ्यों की जानकारी की जाये, जांच की जाये।

इसी प्रकार एक आरोप यह भी लगाया गया, उपाध्यक्ष महोदय, जो जोइंट डायरेक्टर है वह पहले हल्की पोस्ट पर, हिसार हरियाणा में लगे हुए थे। उनको

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)
वहां जोइंट डायरेक्टर बना दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जोइंट डायरेक्टर की पोस्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जिस तरह का कायदा है, एडवरटाइज करके भरी गई है। उन्होंने इस पद के लायक आदमी हमें चुन कर दिया, उसकी हमने नियुक्ति की है।

उपाध्यक्ष महोदय, चारा और पानी के सम्बन्ध में भी एक सवाल किया गया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि चारे और पानी के लिये एक निश्चित मात्रा निर्धारित की हुई है। उसके अनुसार जो बाहर के जानवर हैं मेंढे उनको डाई वाटर ढाई किलोग्राम, ग्रीन वाटर एक किलोग्राम और 0.6 किलोग्राम कन्सन्ट्रेट दूध देना पड़ता है। इसी प्रकार से जो फीमेल है डाई वाटर 1.5 किलोग्राम, ग्रीन वाटर एक किलोग्राम और कन्सन्ट्रेट 0.2 किलोग्राम देना पड़ता है। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, जो विदेशी मेमने हैं, जो 103 और 204 दिन के जो हो जाते हैं उनको केवल कन्सन्ट्रेट 0.2 किलोग्राम, 3 से 6 और 4 से 12 पर 0.35, 6 से 13 और 13 से 18 पर 0.250 किलोग्राम हम आहार देते हैं। यदि इन आहारों की उपेक्षा करके जो मापदण्ड निश्चित किया गया है उससे यदि कम या ज्यादा दिया गया तो मैं उसकी भी जांच करवा लूंगा।

एक माननीय सदस्य : यह जांच रिपोर्ट कब आयेगी ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अगले सत्र में आपके सामने आयेगी।

श्री महाराम चौधरी : आप सब में जांच करा कर रिपोर्ट दे दें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री त्रिलोकसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव था महादेव सिंह वाला क्या हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें।

इतनी व्यवस्था सुधारने, पीने के पानी की, चारे की और बाड़े में रखने की सारी व्यवस्था होने के बावजूद डैथ रेट ज्यादा है क्या ? कम है या इसमें कमी हो रही है या बढ़ रही है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो एडल्ट्स की डैथ रेट है गत 10 सालों की उसमें जयपुर का जो फार्म है, उपाध्यक्ष महोदय, 10 सालों का बताऊं या फिर 80–81 का ही बताऊं।

80–81 में जयपुर में 4.9 रही, चित्तौड़गढ़ में 54.5 रही....

श्री उपाध्यक्ष : बीकानेर की पूछ रहे हैं ये तो।

श्री महाराम चौधरी : बीकानेर की क्या है ?

श्री चेतराम मीणा : 21.8

श्री देवीसिंह भाटी : 1974–75 में यह 2 प्रतिशत थी और 80–81 में यह 21.8 हो गयी है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुधारने की व्यवस्था

(श्री उपाध्यक्ष)

कर देंगे। अब आप बैठ जाइये। आप भी बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा विषय महत्वपूर्ण नहीं है

(व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा : मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि जो रसियन मेंढे हैं, उनमें जो आर्टिफिसियल........

(व्यवधान)

मंत्री उत्तर देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। बैठ जाइये। आप उत्तर देना चाहते हैं? उत्तर देना अभी बाकी है क्या?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ। आपने बताया कि उस साल में विदेशी मेंढें आये थे, भेड़े आयी थीं तो उनकी डैथ रेट कम थी लेकिन जब यहां आकर रहने लगी तो आप स्टेटमेंट देख लें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको यहां की जलवायु सूट नहीं करती है इसलिये प्रतिशत बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कमिश्नर के प्रतिवेदन पर विचार।

श्री चेतराम मीणा।

श्री त्रिलोक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महादेव सिंह के मामले में क्या हुआ

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह ही....

श्री उपाध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। आपको मौका मिल गया तो फिर आप बार बार पूछते हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आसन से यह व्यवस्था हुयी है कि....

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

शासकीय वक्तव्य
श्री महादेवसिंह सदस्य,
विधान सभा की
गिरफ्तारी

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, भेड़ वाला विषय तो समाप्त हो गया है। माननीय सदस्य जिस प्रश्न के ऊपर उत्तेजित हैं, उस पर अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि यह सारी कार्यवाही पूरी होने पर महादेव सिंह के काण्ड पर सरकार को वक्तव्य देने के लिये कहा जायेगा। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सरकार वक्तव्य देने वाली हैं या नहीं, कोई वक्तव्य दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : वही तो समझ में नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को सूचित कर रहा हूँ........

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कह रहा हूँ कि उत्तर दें। लूटा जा रहा है पूरे राजस्थान को, अगर हमारा उद्देश्य पूरा नही होता है तो इस फार्म को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। बाधा न डालें माननीय सदस्य

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। आपका वक्तव्य अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठ जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि थोड़ी देर में इस पर विचार विमर्श करके इसका जवाब दिया जायेगा तब तक मैं अनुसूचित जाति व जन जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार प्रारम्भ कराता हूँ।

श्री चेतराम मीणा ।

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य सचेतक यहीं पर हैं........

श्री देवीसिंह भाटी : शासन की ओर से पांच छः बार आश्वासन दिया जा चुका है फिर भी, अभी और आश्वासन ही दिया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : इसको पांच छः दिनों से टाला जा रहा है, यह वक्तव्य दिलाया जाय।

(व्यवधान)

टालमटोल करके यह निकम्मी और नालायक सरकार भाग जाना चाहती है....

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री त्रिलोक सिंह)

(व्यवधान)

उन्हें कहना पड़ेगा कि वक्तव्य होगा या नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य । अंकित नहीं हो ।

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

व्यवस्था का प्रश्न

अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयुक्त के प्रतिवेदन की प्रतियों का माननीय सदस्यों को वितरण

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : पाइन्ट आफ आर्डर ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल भी यह पाइन्ट आफ आर्डर उठा कर यह निवेदन किया गया था कि राजस्थान विधान सभा के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रतिवेदन 1979–80 को पेश किया जाय । किसी भी माननीय सदस्य को उसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई है । मेरा आपसे निवेदन है कि हमको उस रिपोर्ट की प्रति ही प्राप्त नहीं हुयी है । अब तक हम उसको पढ़ नहीं सके हैं तो बहस किस बात पर होगी, राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा ....

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा (राज्य मन्त्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि एस. सी. और एस. टी. के कमिश्नर की रिपोर्ट है वह संविधान के प्रावधान के अन्तर्गत आती है । संविधान के आर्टिकल 338 में प्रोविजन दिया हुआ है वह निवेदन करना चाहता हूं :

338. (1) There shall be a Special officer for the scheduled castes and scheduled tribes to be appointed by the President.

(2) It shall be the duty of the Special officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the scheduled castes and scheduled tribes under this Constitution and to report to the President....।।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इससे क्या मतलब है। हम तो यह कहकर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है । यह प्रश्न है ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर यह तो नहीं है ।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो रिपोर्ट को वितरित करने की बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप आर्टिकल 338 को रेफर कर रहे हैं ना, मैं समझ गया....

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

एक माननीय सदस्य : अगर रिपोर्ट ही नहीं होगी तो बहस किस बात की होगी।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को बोलने दें पहले।

श्री दुलाराम : यह इनसे कौन पूछ रहा है कि किसने उस आयोग को बनाया, किस आर्टिकल के तहत वह काम करता है। इसकी तो चर्चा ही नहीं है। किसी ने भी नियुक्त किया हो राष्ट्रपति ने या भारत सरकार ने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो प्रतिवेदन की प्रति मिलनी चाहिए।

श्री यदुनाथ सिंह : जब जिस रिपोर्ट पर चर्चा करनी है वही नहीं है तो फिर हम चर्चा किस पर करेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, आपको भी मौका दूंगा। पहले मन्त्री महोदय को बात पूरी कर लेने दें।

श्री चेतराम मीणा : "and report to the President upon the working of those safeguards..."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या है? इससे क्या होगा? रिपोर्ट ही नहीं है तो बहस किस पर होगी। यह तो हमने भी पढ़ लिया है। क्यों सदन का समय खराब कर रहे हैं। Why are you wasting the time of the House?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। आप भी बैठिए।

आफिस से मुझे जानकारी प्राप्त हुयी है कि गवर्नमेंट ने केवल 25 कापी दी थी जो कि पार्टी वाइज डिस्ट्रिब्यूट की जा चुकी है....

एक माननीय सदस्य : यह तो गलत है....

श्री उपाध्यक्ष : चाहे गलत हो चाहे सही, आप पूरी बात सुन लें।

श्री यदुनाथ सिंह : हम इस सदन के सदस्य पहले हैं इस नाते हमको रिपोर्ट मिलनी चाहिए। पार्टी क्या होती है। अगर किसी सदस्य की पार्टी के नेता से अनबन हो तो वह कहां से पढ़ेगा उसको....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आपके पास कापी है?

श्री दुलाराम : मेरे पास नहीं है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है।

एक माननीय सदस्य : हमारे पास कोई इत्तला नहीं है, बिना....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जाइये। पहले उनको....

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान के बारे में रिपोर्ट दी गयी है, उसमें राजस्थान के अलग-अलग पोर्शन की सचिवालय या विभाग, शिड्यूल्ड कास्ट विभाग से कापियां करा कर, उपलब्ध करायें। अन्यथा कैसे बहस होगी....

श्री उपाध्यक्ष : नयी बात क्या कह रहे हैं ? आप वही बात जो माननीय....

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार को खतरा है। सरकार इस पर सीरियसली चर्चा नहीं करना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सब माननीय सदस्यों को यह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। इसका मुख्य कारण यह है कि पेमेंट पे मिलने वाली रिपोर्ट है। एनी वे, हमको, डिपार्टमेंट को शुरू से मिलती रही हैं, मंगाते रहे हैं, डिस्ट्रिब्यूट करते रहे हैं। यह हमारी गलती हुई है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, मेरा यह निवेदन है कि इसको आप पोस्टपोन कर दें, अगले सत्र में पूरे एक दिन इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं नहीं, बार-बार टाल रहे हैं। उस पर बहुत वर्षों से चर्चा नहीं हुई। 10 साल से शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट को आप टाल रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, क्यों भागना चाहते हो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कापियां हमको उपलब्ध नहीं हो सकी थीं।

श्री यदुनाथ सिंह : किसकी जिम्मेदारी है ? क्यों नहीं हो सकी ? यह सरकार क्या करती है ? सब कापियां उपलब्ध हो जाती हैं, शिड्यल्ड कास्ट की नहीं होती।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपको खुद को उपलब्ध हो गयी, मैम्बरों को नहीं उपलब्ध करायी जा रही हैं। आपके खजाने में पैसा नहीं है क्या ? आप तो कह रहे हो, ओवर ड्राफ्ट खतम हो गया है। अब कह रहे हो, पैसा नहीं है। यह कोई तरीका है। सचेतक महोदय बात कैसी कह रहे हैं, जिम्मेदारी से बात नहीं कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्रीमान्, ठीक है, कापियां तमाम माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं करायी गयी....

एक माननीय सदस्य : आपने अभी व्यवस्था दी थी, कापियां उपलब्ध कराने की। माननीय खेतसिंह जी सफाई दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं उपलब्ध करायी गयी हैं, यह बात सही है, तमाम मैम्बरों को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर अगर कोई मैम्बर बोलना चाहे तो बोलें यह कन्टीन्यू रहेगा अगले सत्र में। कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। you are welcome.

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, इस कार्य सूची में लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त 26 वीं रिपोर्ट वर्ष 1978-79, जहां तक इसका राजस्थान से सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जायेगा। हम क्या विचार करें, आप फर्मा दो। हम किस पर विचार प्रकट करें। कम से कम रिपोर्ट को पढ़ लेते तो भी संतुष्ट होते....

श्री उपाध्यक्ष : All right, इसको पोस्टपोन किया जाता है।

(व्यवधान)

आप बोलते नहीं। अब भी बोलना चाहें तो बोलिए।

श्री यदुनाथ सिंह : अब भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बोलना है आपको ?

श्री दुलाराम : आसन की रूलिंग के बाद बोलना, नहीं बोलना क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : वह बोलना चाहें तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री दुलाराम : हमें यह आपत्ति है कि रिपोर्ट को पढ़ लें तो हमारे दिमाग तो बना लेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ लेना। नैक्स्ट टाइम में तैयार होकर आइये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आप देखेंगे, तो इसमें लिखा हुआ है, 26 वीं रिपोर्ट....

(व्यवधान)

एक मिनट बोल लूं। आपके पक्ष में ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है, 26 वीं रिपोर्ट 1978-79। यह कोई ताजा रिपोर्ट नहीं है कि 81-82 की रिपोर्ट मिल गयी या 80-81 की रिपोर्ट मिल गयी। यह 4 वर्ष पुरानी रिपोर्ट है मेरी करीब करीब सभी पढ़ी हुई हैं। आज के सन्दर्भ में 1978-79 की रिपोर्ट की कोई रेलेवेन्सी नहीं है। आज की रेलेवेन्सी में न आंकड़े सही हैं, न सुझाव सही हैं, न उसमें घटनायें हैं। यह 4 वर्ष पुरानी है। रिपोर्ट अप-टू-डेट पेश होनी चाहिए हाउस में। अप-टू-डेट रिपोर्ट सरकार ने पेश नहीं की है। उसके लिए खेतसिंहजी ने खेद प्रकट किया है, मैं समझता हूं, माननीय सदस्य उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मन्त्री श्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, खेतसिंहजी ने बात कही, रिपोर्ट की कॉपी अवेलेबल न होने के लिये खेद प्रकट किया है। कॉपी यहां यहां नहीं छपती, लोक सभा में छपी है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, I have Corrected it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, हरिजन व आदिवासियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट है। जैसा माननीय खेतसिंहजी ने कहा 25 कापियां बांटी हैं। आखिर उस रिपोर्ट को कई लोगों ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रात को पढ़ा होगा। वह यदि बोलना चाहें तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो सदस्य उसको देखकर बोलना चाहें, उनको नैक्स्ट टाइम में मौका दें दें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था दे दी है मैंने।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार करने की बात है, यह बात ठीक है। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, रिपोर्ट हमने नहीं देखी कि हमारे लिए क्या इसमें सिफारिश है। इस सरकार ने सिफारिशों के मुताबिक क्या किया, क्या नहीं किया, यह उसको देखने से पता चलेगा। यह भी बात ठीक है कि यह रिपोर्ट आज तक की प्रगति, उसके बाद में सिफारिश, सहित हमको मिलनी चाहिए। एक निवेदन यह है कि रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ? ऐसा न हो कि आगे भी वह टाइम पर न मिले और उसको ठीक ढंग से स्टडी नहीं कर सकें। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। बैठ जाइए। टाइम से पहले आपको मिलेगी।

शासकीय वक्तव्य

श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महादेव सिंह एम. एल. ए. की गिरफ्तारी का क्या हुआ ? उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ। सरकारी जवाब का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम कंवार बैरवा।

श्री त्रिलोक सिंह : पहले मैं बोल रहा हूं, महादेवसिंह की गिरफ्तारी का....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है, फिर भी आप बोलने लगे।

मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप राग दूसरी गा रहे हो। कृपया यह बताइये, आपको अनुमति दी है, बोलने की, खड़े हो गये। राम कंवार बैरवा।

श्री त्रिलोक सिंह : अनुमति क्या है। मेरा प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव को रखने के लिए भी नियम हैं....

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष मोहदय, आसन ने सदन को यह विश्वास दिलाया था कि महादेव सिंह, विधायक की गिरफ्तारी की गयी है, उसके बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए बात आपने उठायी है, अभी आ रही है। उसका जवाब....

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था दे दी गयी है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा गम्भीर मामला है। एक विधायक की गिरफ्तारी का मामला है, झूठा मामला है। पुलिस गिरफ्तार करे उसके बाद आसन जब हमको, इस सदन को विश्वास दिला दे कि इस सत्र में इसका उत्तर दिलाया जायेगा ...

श्री उपाध्यक्ष : दिलाया जायेगा, आप विराज जाइये।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकांबमार बैरवा।

(व्यवधान)

श्री मोदी, कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक सिंह, कृपया बैठ जाइये ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन को सूचित कर रहा हूँ। कृपया विराजिये, आसन पैरों पर है और आप खड़े हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह जी, क्या कहना चाहते है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, विधायक महादेवसिंह के बारे में आज ही स्टेटमेन्ट दे दिया जायगा।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : टाइम बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाइम बता दें....

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ही जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक के पास हो जाने के बाद दे दिया जायगा।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार विधेयक पास कराकर भाग जाना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ने अभी मुझे अपने चेम्बर में बुलाकर यह आदेश दिया कि इसके बारे में आज ही स्टेटमेन्ट दिया जायगा।

अनेक माननीय सदस्य : कब तक दे दिया जायगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य आज ही दिला दिया जायगा।

(व्यवधान)

वक्तव्य तैयार हो रहा है। आखिर तैयार करने में टाइम तो लगता ही है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। बैठ जायं। आज ही स्टेटमेन्ट दे दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री भेरूंसिंह गुर्जर : क्या विधायक मार खाने के लिये हैं ? क्या विधायक जल जाने के लिये हैं ? सरकार वक्तव्य देने को तैयार है तो क्यों नहीं दे रही है। सरकार जे. डी. ए. को पास कराकर भाग जाना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो,

श्री भेरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री दुलाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में भी यह चल रहा है श्री विष्णु प्रकाश बजारी के साथ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है।

श्री भेरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सदस्य हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, आज विधायकों को पीटा जा रहा है क्या वह मार खाने के लिये हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार वक्तव्य नहीं दे रही है। क्या आप इस सदन को अनुमति देंगे कि जिन माननीय सदस्य के साथ यह घटना घटी है उन सदस्य को हम सुन लें।

अनेक माननीय सदस्य : हां, यह ठीक है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था सुनिये,

(व्यवधान)

सरकार का वक्तव्य आने के बाद जिनके

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

साथ दुर्व्यवहार हुआ है उन माननीय सदस्य को भी पूरा मौका दिया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकरण पर साढ़े पांच बजे अपना वक्तव्य दूंगा ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जे. डी. ए. से पहले दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं देख रहा हूँ, कई माननीय सदस्य कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । मैं उनके साथ कोई रियायत करने वाला नहीं हूँ ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : 5 बजे सरकार की तरफ से बयान आयेगा ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : पाबन्दी नहीं है उनको बोलने दीजिये अभी आ जायगा, सदन का समय खराब न करिये ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सहयोग दीजिये कृपया । श्री रामकंवार बैरवा ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री भैरूंसिंह गुर्जर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जायं । श्री भैरूंसिंह गुर्जर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : 5 बजे देंगे, जब तक आप अपनी बात नहीं सुना देंगे तब तक हाउस की कार्यवाही जारी रखी जायगी ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये, कृपया ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया मेरी बात सुनिये । माननीय सदस्य कृपया ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप से बात नहीं करूंगा । कृपया विराजिये । मैं आपके साथ कोई रियायत नहीं करूंगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ....

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि पांच बजे वक्तव्य दिया जायगा।

अनेक माननीय सदस्य : साढ़े पांच बजे रखा है। 4 बजे रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : 5 बजे वक्तव्य देंगे उसके बाद आप लोगों को बोलने का पूरा मौका दिया जायगा। जब तक चाहेंगे सदन की कार्यवाही जारी रखी जायगी जिस समय तक आप चाहेंगे उस समय तक, उस वक्त तक के लिए जारी रहेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : जो कुछ घटित हुआ एक सदस्य के साथ वह....

(व्यवधान)

जे. डी. ए. बाद में लिया जा सकता है,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है अब आप बैठ जाइये कृपया।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्यसूची में दिये गये विषयों के क्रम सम्बन्धी व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में थोड़ा सा अगर स्पष्टीकरण कर दें तो सारा संकट दूर हो जायगा। माननीय सदस्यों को वहम है कि ज्यों ही जे. डी. ए. का विधेयक पास होगा सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह व्यवस्था दे दें कि अभी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के समाप्त होते ही श्री महादेवसिंहजी के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जायगा। उस वक्तव्य पर चर्चा खत्म होते ही जे. डी. ए. को ले लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने बड़ी चतुराई से अपना वक्तव्य दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कई माननीय सदस्यों की मान्यता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं मिली है और यह कहते हैं कि दो घंटे में डिसक्शन नहीं होगा इसके लिए पूरा दिन चाहिये और इसको बहुत सीरिय-

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सली लें। मेरा निवेदन है कि यह रिपोर्ट तो पोस्टपोन कर दी जाय, जे. डी. ए. का कानून शुरू कर दिया जाय और इस कानून के बीच में....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : और इसके बाद आप भाग जायं। यह क्या तरीका है, भाई ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जे. डी. ए. के दरमियान ही स्टेटमेन्ट दे दिया जाय।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूँ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय बार बार अपनी रूलिंग बदलते जायं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने एक रूलिंग दे दी कि शिड्यूल्ड, कास्ट्स ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट पर चर्चा हो जाय और आपने श्री रामकंवार बैरवा का नाम भी पुकार लिया....

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए।

अब वह यह चाहते हैं कि आप अपनी व्यवस्था बदल दें, दुलारामजी के व्यवस्था के प्रश्न पर ही व्यवस्था दी थी।

श्री दुलाराम : आपने कहा इसलिए, मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं बदली।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कहा या किसी ने कहा....

श्री दुलाराम : आपने बदलवाई, इन्होंने नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने कहा या किसी ने लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने....

श्री उपाध्यक्ष : बोलने वालों को अनुमति मैंने दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आता है कि उस रिपोर्ट पर तो चर्चा होती रहे। जिस समय भी सरकार उत्तर तैयार कर ले उसी समय रिपोर्ट पर चर्चा बन्द कर दी जाय और सरकार का वक्तव्य ले लिया जाय। यह व्यवस्था कर दी जाय तो सारा संकट दूर हो जायगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा तो यह निवेदन था कि पांच बजे निश्चित तौर से स्टेटमेन्ट दे दिया जायेगा। एक बात। दूसरी बात मैंने आपसे निवेदन की कि ज्यादातर माननीय सदस्य, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलांग करते हैं, की मान्यता है कि इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिये। दो घण्टे में क्या डिस्कशन होगा। तीन बजे हो जाता है तो पांच बजे आप डिस्कशन समाप्त करना चाहते हैं। दो घण्टे में क्या डिस्कशन होगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पूरे दिन इसको लिया जाय और

(खेतसिंह राठौड़)

अच्छी तरह से इसको डिस्कस करें। जे. डी. ए. का बिल तैयार है।

श्री उपाध्यक्ष अमेण्डमेन्ट आपके तैयार हो गये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेन्ट तैयार हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय न मालूम किस आधार पर कह रहे हैं। अभी-अभी मेरे से बातचीत हुई जो आपस में जिन धाराओं में संशोधन करने की बात तय हुई व सारे संशोधन हमको मिलेंगे, मिलने के बाद जे. डी. ए. बिल को लिया जायगा। अभी 15 मिनट पहले स्वायत्त शासन मन्त्रीजी मुझे कह कर गये हैं कि इस समय शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी की रिपोर्ट ले ली जाय तब तक वह सब तैयार हो जायेंगे और उनकी कापी जो माननीय सदस्यों को दी जा सकती है वह दे दी जाय। मेरी समझ में नहीं आता, यह सरकार है या क्या है। एक मन्त्री हमसे यह आश्वासन लेकर गये कि जे. डी. ए. बिल बाद में लिया जाय....

(व्यवधान)

तीन दिन की बैठक में कुछ निर्णय हुआ उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए उसको संशोधित रूप में सब के सामने लाना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, यह निश्चित बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस समय तक तो इस पर चर्चा होती रहे। जिस समय माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करें, उस पर विचार शुरू हो जाये। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बीच में श्री महादेव सिंह का प्रकरण है वह जरूर आना चाहिए। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी तो जे. डी. ए. के कानून को पास करवायेंगे और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जायेगी। ऐसा लगता है कि महादेव सिंह की गिरफ्तारी के प्रकरण को यह सदन के समक्ष लाना नहीं चाहते। इनकी हिम्मत नहीं है महादेव सिंह की गिरफ्तारी करने की बात को स्पष्ट करने की। यदि होती तो 10 दिन पहले जब विधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई उसी दिन महादेव सिंह के सम्बन्ध में कह दिया जाता। यह किसी प्रकार से बचना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कल जिस प्रकार अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था देकर इतिहास बनाया उसी प्रकार आप सदन में महादेव सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जे. डी. ए. के बिल से पहले सरकार को इस पर वक्तव्य देने का आदेश दें। मैं समझता हूँ आपके द्वारा हमारे अधिकारों का संरक्षण होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जो कह रहे हैं, सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्यमन्त्री, स्वायत्त शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मेरे पास इंगलिश में अमेंडमेंट पड़े हैं, हिन्दी में उनका

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

अनुवाद हो रहा है। हिन्दी में मेरे पास उनमें से काफी धाराओं के ऊपर अमेंडमेंट आ चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वैसे तो आपने जो तीन दिन पहले व्यवस्था दी थी पहले भी व्यवस्थायें दी हुई हैं कि मेरे को मौखिक संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन जब बैठ कर सारी बात तय हो चुकी है उसके बाद मैंने कहा है कि मैं अंग्रेजी में डिस्ट्रिब्यूट करने की स्थिति में हूं, हिन्दी में दोहराऊंगा। मैं समझता हूँ कि सब माननीय सदस्य अंग्रेजी की हिन्दी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी, आपको पता नहीं कि डिस्ट्रिब्यूशन हमारा सैक्रेटेरियेट करता है आप नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं डिस्ट्रिब्यूट करने की बात निवेदन नहीं कर रहा हूँ। सभी विरोधी दलों के माननीय सदस्य तब मौजूद थे, उनके साथ बैठकर यह बात तय हो गई थी कि हम एक-एक कापी दे देंगे, उनको हिन्दी की कापी भिजवायेंगे। मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्यों की भावनायें हैं उनके अनुसार सदन में हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दे दिया है कि आप महादेव सिंह की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य चाहते हैं, वह निश्चित रूप से दे दिया जायेगा। मैं यही अनुरोध कर रहा हूं जो बातें तय हो चुकी हैं अगर, उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति दें तो उनको ले लिया जाये।

श्रीमती उजला अरोडा : मन्त्री महोदय को इस बात की क्षमा मांगनी चाहिये कि उन्होंने कहा वह स्वयं डिस्ट्रिब्यूट करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह चाहते हैं कि एस. सी. और एस. टी. की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो क्योंकि उस चर्चा के खत्म होते ही महादेवसिंह की गिरफ्तारी के संबध में वक्तव्य देना पड़ेगा। जे. डी. ए. बिल पर चर्चा शुरू कर दें ताकि बिना व्यवधान के जे. डी. ए. का कानून पास करवा दें। आप बता दीजिये कि पांच बजे वक्तव्य दिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे वक्तव्य दे दिया जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो बिराजो।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष के निर्णय के पूर्व समाचार पत्रों को उसका प्रसारण

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अध्यक्ष महोदय के सामने पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने की अनुमति चाही थी। मुझे रेगुलर बिजनेस लेने के पूर्व पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने दीजिए। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि सारा बिजनेस, सब कुछ समाप्त हो जाये उसके बाद लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, समाचार जगत नामक अखबार में छपा है, कांग्रेस (आई) के विधायकों ने विशेषाधिकार का मामला उठाया। अंग्रेजी मासिक में माथुर जी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कांग्रेस (आई) के 12 विधायकों द्वारा अंग्रेजी मासिक 'प्रोब' के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रश्न का प्रस्ताव पेश किया जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सब्जेक्ट कहां से आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विशेषाधिकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का प्रस्ताव आपके सामने है या नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष के सामने है, वह विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के सामने कोई भी विशेषाधिकार का प्रस्ताव हो जब तक अध्यक्ष महोदय का निर्णय नहीं होता उस समय तक उसको प्रेस में रिलीज नहीं किया जाता है। ऐसी इस सदन में एक नहीं, कई बार की व्यवस्था हो चुकी है। जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार का समाचार दिया है उन्होंने विशेषाधिकार का तो उल्लघंन किया ही है, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा खतरा जो है वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। हमने भी बिहार प्रेस बिल के बारे में चर्चा की, हम सदन में भाषण करते हैं वह अखबार में छपते हैं, हम पर भी सरकारी पक्ष की ओर से आरोप लगाये जाते हैं हम भी सरकारी पक्ष पर आरोप लगाते हैं, वह समाचार पत्रों में छपते हैं। यदि कोई उस आरोप के आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में प्रस्तुत कर दे तो बिहार ने प्रेस बिल के द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता अवरुद्ध कर दी और यहां पर विशेषाधिकार के द्वारा प्रेस की स्वतत्रता का हनन किया जायेगा। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय माथुर साहब के सम्बन्ध में लिखा है, केवल माथुर जी के बारे में ही नहीं कई मन्त्रियों के बारे में लिखा है; माधवसिंह सोलंकी, भजनलाल जी के बारे में लिखा है। यही नहीं, अर्जुनसिंह, मध्य प्रदेश के बारे में लिखा है। जे. बी. पटनायक, उड़ीसा, गुण्डूराव, कर्नाटक, जगन्नाथ मिश्र, बिहार के बारे में लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर यह समझते हैं कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पूरी बात तो सुन लीजिये।

अगर ऐसे विशेषाधिकार के प्रस्ताव सारी विधान सभाओं में लाये गये तो प्रेस की स्वतन्त्रता तो आपने बिना कानून के कुण्ठित कर दी। इस सम्बन्ध के अन्दर रूल्स को भी देख लीजिये। विधान सभा में कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसको इस प्रकार से कहीं नहीं रखा जाता। आप उसको डिस्पोज-आफ करिये, आप विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना चाहते हैं तो करिये, अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो करिये, लेकिन प्रेस के ऊपर तलवार लटकायें विधान सभा की व्यवस्था के द्वारा तलवार लटकायी जाये मैं इसका विरोध करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि बिना प्रेस बिल के प्रेस को कुण्ठित करने की जो कार्यवाही कर रहे हैं उसका विरोध होना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिए। पाइन्ट आफ आर्डर आपने उठाया वह उसी मसले पर उठाया जा सकता है जो सदन के सामने हो। आपने जो बात कही है पाइन्ट आफ आर्डर उठाने की मैं उसको निरस्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महो-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दय, मैं आपकी समझ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर उसी मसले पर होता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर किस मसले पर होता है, मैं जानता हूँ।

This is a question of my privilege and I can raise it. You can not thrust it out like this. It is a question of my privilege.

श्री उपाध्यक्ष : A point of order can only be raised on a matter at issue.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : If my privileges are....

श्री उपाध्यक्ष : No point of privilege can be raised through a point of order.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It is a question of my privilege.

श्री उपाध्यक्ष : There is no question.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं। यदि मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं पाइंट आफ आर्डर रेज करके प्रश्न उठा सकता हूं। कोई नहीं रोक सकता।

(व्यवधान)

आप पाइंट आफ आर्डर रेज करने के अधिकार को भी सुनना नहीं चाहते, उपाध्यक्ष महोदय। आप चाहते क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नई बात करिये। आपने जो बात उठाई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं मैं यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी।

अगर हाउस अनुमति दे दे तो जे.डी.ए. का मामला....

(व्यवधान)

क्या आप....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : where are the amendments, sir ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं।

जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्ल्ड ट्राइब्स के बाबत कमिश्नर की रिपोर्ट है उस पर आप बोलना चाहेंगे या जे. डी. ए. के मामले पर ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : No

श्री उपाध्यक्ष : जे. डी. ए. का बिल ले लिया जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष)

अनेक माननीय सदस्य : No

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Where are the amendments ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहेंगे ? श्री बैरवाजी बोलेंगे ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की छब्बीसवीं रिपोर्ट पर विचार

श्री चेतराम (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : मेरा प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव मूव कर रहे हैं ।

श्री दुलाराम : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : मूव कर दीजिये ।

श्री दुलाराम : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, मेरा निवेदन है....

(व्यवधान)

•श्रीमती उजला अरोड़ा : जब कभी अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का मामला आता है तो डिस्टर्ब किया जाता है ।

श्री दुलाराम : पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष : एक मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं उस पर पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ?

श्री दुलाराम : सुनिये तो सही । पाइन्ट आफ आर्डर सही नहीं हो तो आप रिजेक्ट कर देना । मेरा बोलने का राइट है, आप रिजेक्ट या मंजूर कर सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष : Please carry out.

श्री दुलाराम : आपने थोड़ी देर पहले व्यवस्था दी है कि इसको आगमी सत्र में लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है । जो बोलना चाहें उनको भी अनुमति दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप महसूस करें कि 10 सदस्य बोलेंगे, 140 सदस्य नहीं बोलेंगे, यह कौनसी व्यवस्था है ? आप चाहे रिपोर्ट साया करा दें, आप अभी रिपोर्ट दिलवा दें हमें एतराज नहीं है । आप रिपोर्ट की व्यवस्था करा दें, हमें कोई एतराज नहीं । आप आज रिपोर्ट दिलवा दीजिये, हमें एतराज नहीं । लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपने व्यवस्था दी है उसको एक मिनट में ही चेंज करेंगे तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी कमजोरी है इसलिये रिपोर्ट पेश नहीं करते ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य ।

श्री दुलाराम : हम घपले खोलना चाहते हैं । जो जनता पार्टी ने किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थिति इसलिये उत्पन्न हो गई कि तमाम माननीय सदस्यों को इसकी प्रति नहीं मिल पाई....

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

Please, माननीय सदस्य, जब आसन पैरों पर है तो बीच में टोकाटोकी न किया करें।

ये कापियां आती हैं भारत सरकार से। भारत सरकार से आये या राज्य सरकार उसको छपाकर सप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सही है कि तमाम सदस्यों को उसकी कापी नहीं मिली। इसलिये यह कहा गया कि जिन माननीय सदस्यों को कापी नहीं मिली वे बोलना चाहें तो इसको कन्टीन्यू रखें अगले सत्र तक। साथ में जिन माननीय सदस्य के पास कापी है या जो बोलना चाहें उनको अनुमति दे दी है।

श्री दुलाराम : आप रिपोर्ट को पास कैसे करवायेंगे ?

(व्यवधान)

जब रिकार्ड ही नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह रिपोर्ट पास नहीं हुआ करती है। यह रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाती है, ओनली।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : हम कौनसी रिपोर्ट पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे ?

श्री नाथूसिंह : आप उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइए, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : बैठ तो जाऊंगा क्योंकि आपने व्यवस्था दे दी। ये चार आदमी बोलना चाहेंगे, और बोलना नहीं चाहते....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो मैंने व्यवस्था दे दी उस पर कुछ कहने की बात नहीं है। श्री बैरवा बोलेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, कल आसन की ओर से कहा गया था कि रात को आपको कापी मिल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां प्रस्ताव आने दीजिये कृपया।

श्री भैरूंलाल मीणा : बिलकुल गलत हो जाएगा। आधे सदस्य बोलेंगे आधे बोल नहीं पायेंगे।

एक माननीय सदस्य : अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के विरुद्ध क्या षड़यंत्र कर रहे हैं ? यह षड़यंत्र अनुसूचित जातियों के खिलाफ कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले तो सुन लीजिये, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय श्री देवीसिंह। प्रस्ताव आने दो।

(व्यवधान)

मंत्री संसदीय मामलात क्या कह रहे हैं,

(श्री उपाध्यक्ष)

सुन लीजिये। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (मंत्री संसदीय कार्य) : अभी सदन के सम्मुख कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, प्रस्ताव भी पेश नहीं किया गया। जब रिपोर्ट पेश करेंगे तभी जाकर बहस शुरू होगी। अभी सदन के सामने कोई रिपोर्ट नहीं है जिस पर बहस की जाय।

श्री यदुनाथ सिंह : रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की ? आपको जिम्मेदारी थी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले उनकी बात तो सुन लीजिये, क्या कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : यह रिपोर्ट स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Please let the proposal come. प्रस्ताव आने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : चैलेंज किया जा रहा है।

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न बाद में रखना, पहले उनको बोलने दें।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की छब्बीसवीं रिपोर्ट वर्ष 1978-79, जहां तक उसका राजस्थान से सम्बन्ध है, पर विचार किया जाय।

श्री दुलाराम : अब ले लो।

(व्यवधान)

अब बोलो हमें क्या एतराज है ?

एक माननीय सदस्य : कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, किस पर चर्चा की जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी है, आपने सुन ली है। फिर आप जान बूझकर बाधा डालेंगे, यह गलत चीज है। व्यवस्था दी हुई है, आप बोलिये।

श्री रामकंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, जब आज की कार्यसूची में आ गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट पर बहस हो रही है....

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : रिपोर्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री रामकंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की समझदारी पर मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है। जब अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों की रिपोर्ट के बारे में छप गया कार्यसूची में फिर भी हरिजन सदस्यों को यह कहा गया है कि रिपोर्ट नहीं आई है। मेरा निवेदन है कि चाहे भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं आयी फिर भी हमारे प्रदेश में

(श्री रामकंवार बैरवा)

हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको यहां रखा जा सकता है। माननीय सदस्य दुलाराम जी को इस सरकार ने खुश कर दिया इसलिये वह इस कार्य को अटका रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के बारे में चाहे भारत सरकार से रिपोर्ट आई हो, चाहे नहीं आई हो पर हमारी वर्तमान सरकार के शासन में जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे लोगों का शोषण हो रहा है और जो पीडित हैं वह इस सरकार द्वारा ग्रसित है इसलिये सरकार उन मामलों को छुपाना चाहती है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्यों, जो हरिजन है, को शर्म नहीं आती है। दूसरे लोग बोलते हैं वह तो कोई बात नहीं है लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका निजी स्वार्थ छुपा हुआ है वह इस भ्रष्ट सरकार से चिपके हुए हैं और भ्रष्ट सरकार के अड़ोस पड़ोस में पडे हुए हैं। इनको शर्म नहीं आती है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट को नहीं लेने दे रहे हैं।

श्री दुलाराम : यह 77 से 79 की रिपोर्ट है इस पर शर्म आ रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह रिपोर्ट कोई दुलाराम पर नहीं बनी और नहीं माननीय सदस्य पर बनी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : बीच-बीच में नहीं बोलें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत करने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। आप बैठ जाइये।

श्री मेघराज तावड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष वाले मदद नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य, दुलारामजी बार बार खड़े हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; यह क्या हो रहा है, सदन की गरिमा को बनाये रखें। आप इसको लाइटली टेक अप नहीं करें। बैठ जायें, कृपया।

श्री राम कंवार बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं समझता हूं कि बाद में हाउस के सारे माननीय सदस्य इस बात के लिए खेद प्रकट करेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट भारत सरकार से नहीं आई। उपाध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट वहां से चाहे आई या नहीं आई लेकिन अपने प्रदेश की अपनी इस बारे में रिपोर्ट तो होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर आज जो अत्याचार हो रहे हैं चाहे

(श्री राम कंवार बैरवा)

वह छुआछूत के बारे में हो, चाहे वह बरात नहीं निकालने देने के बारे में हो, चाहे वह हरिजनों की जमीन के बारे में हो, हर प्रदेश की सरकार को इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करके सरकार हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके आंकड़े सदन के सामने नहीं आने देना चाहती है। ऐसी व्यवस्था कर रही है कि यह समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रहे।

यह मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नोलेज के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं, दिनांक 16-9-82 को हसनपुरा बस्ती, जो जयपुर के रेलवे स्टेशन के पास मेघवालों की एक कच्ची बस्ती है, के 10-15 मेघवाल मेरे पास आये और उन्होंने मुझे आकर कहा कि उनके पड़ोस में किशनलाल मीणा, डी. आई. जी. पी. का मकान है। उन डी. आई. जी. पुलिस की जो जमीन है वह चार फीट नीचे है और मेघवालों की बस्ती की जमीन चार फीट ऊंची है। किशनलाल डी. आई. जी. पुलिस उन लोगों को काफी दिनों से यह कह रहा था कि तुम लोग मेरी जमीन पर बस जाओ और मैं तुम्हारी जमीन पर अपना बंगला बनाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जब वह लोग नहीं माने, मेघवाल बस्ती की दो विधवा औरतें, जो उसके घर पर काम करती हैं, के भाई-भतीजों और अन्य रिश्तेदारों को उसने पुलिस थाना सदर में टेलीफोन करके कम से कम 40 दफा बन्द करवा दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी दिनांक 16-9-82 को दुर्गालाल मेघवाल को उसने चार रोज तक थाने में बन्द करा दिया। डी. आई. जी. के टेलीफोन पर ऐसा हुआ। वह लोग मेरे पास आये और उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से थानेदार सदर ने उन लोगों को बन्द कर रखा है। मैंने उस थानेदार को टेलीफोन किया। तकदीर से वह थानेदार मुझे वहां फोन पर मिल गया, उसने कहा कि आप उन लोगों को मेरे पास भेज दीजिये, मैं उनको छोड़ देता हूं। उसके बाद में उस थानेदार ने डी. आई. जी. को फोन किया कि एक एम. एल. ए. साहब का फोन आया था। उपाध्यक्ष महोदय, वह थानेदार उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करके उन लोगों को हथकड़ी लगाकर दिनांक 17-9-82 को कोर्ट नम्बर दो में ले गया और वहां पर उनकी जमानत हुई।

श्री बुलाकी दास कल्ला : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं। आप तो रिपोर्ट पर बोले।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मीणा के खिलाफ में ही बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहे।

श्री राम कंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दुर्गालाल आदमी है वह बलाई जाति का है, वह शराब नहीं पीता है और न ही कोई गैर चाल-चलन का आदमी है, उसके पांच बच्चे हैं और उसके वृद्ध माता-पिता हैं उसको डी. आई. जी. आतंकित

(श्री राम कंवार बैरवा)

करते हैं, बस्ती के लोग उनके आतंक से से भयभीत हो रहे हैं। उन लोगों को ये नाना प्रकार से कष्ट दे रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ फर्जी केस बनवा कर फंसा रहे हैं। अभी 11 नम्बर के कोर्ट में एक केस चल रहा है और इसके पहले तीन केस फर्जी उन लोगों के खिलाफ में चलाये थे। मेरा यह निवेदन है कि पिछले दो वर्षों से ये डी. आई. जी. उन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस सारे केस की जांच करवाये और जांच कराकर जो सदर थाने में थानेदार हैं उसको सस्पैन्ड करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरह बोल रहे हैं। आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट पर अपना डिस्कशन करें। उसके बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव हो, तो दें।

श्री राम कंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में जो तथ्य हैं वही मैं आपको बताऊंगा। मेरा निवेदन है कि अभी हमारे अखिल भारतीय शोषित वर्ग समाज कल्याण के अध्यक्ष, श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री जयपुर आये थे। मुझे भी उन्होंने बुलाया था। दिनांक 16-9 और 17-9 को मुझे वहां लेजा कर सारी बातें बताई।

मेरा आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि वर्तमान सरकार में जो अत्याचार हरिजनों के ऊपर हो रहा है और जगह-जगह पर अत्याचार किये जा रहे हैं उसको समाप्त किया जावे। इसके अलावा जयपुर कलेक्टर साम्भर के एस. डी. एम. हैं एवं तहसीलदार हैं उन लोगों का तो एक गिरोह है। जिन हरिजनों को सन् 1959 में जमीन अलाट की गयी थीं........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुझाव दें।

(3.37 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

श्री राम कंवार बैरवा : सहकारी समितियों के मध्यम से वह गिरोह बनाकर साधन सम्पन्न लोगों से पैसे लेकर सारी जमीनों को अलॉट करना चाहते हैं और उन्होंने तो, सभापति महोदया, अलॉटमेन्ट करने की तारीख भी तय कर दी। उसको हम लोगों ने दौड़-भाग करके बड़ी मुश्किल से कैंसिल करवाई है। मेरी जहां तक जानकारी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहकारिता के माध्यम से सन् 59 जिसको आज 15–20 वर्ष हो गये हैं, में यह जमीनें अलॉट की गयी थीं उनको व्यक्तिगत खातेदारी राइट पर जमीन दें ताकि वह लोग उन जमीनों का विकास कर सकें, कुओं का निर्माण कर सके तथा उसके ऋण ले सके। इस तरह से मेरा निवेदन है कि हमने इसके लिए कई बार सरकार से निवेदन किया मगर सरकार का कहना है कि जिन लोगों को सहकारी समितियों

(श्री राम कंवार बैरवा)

के माध्यम से जमीनें अलॉट की गयी थीं उनको खातेदारी राइट्स नहीं मिल सकते हैं।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि अगर सरकार के ऐसे नियम हैं और उन नियमों में भी अगर कोई संशोधन करना पड़े तो सरकार को चाहिए कि उन नियमों में संशोधन करे। क्योंकि वह लोग 1959-60 से वहां पर काबिज हैं। उन लोगों को वह जमीन काश्त करने के लिए दी गयी थी और आज उनको 20–25 साल होने को आये हैं उनको व्यक्तिगत खातेदारी राइट दिया जावे।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर जो आज अन्याय हो रहा है, अभी भरतपुर में काण्ड हुआ उसमें भी सभी हरिजन लोग ही शिकार हुए हैं और यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है, सरकार उन्हीं पर दोष मढ रही है। वहां पर जिन लोगों को फंसाया गया है और जो जेल में बन्द हैं वह जाटव लोग है इसी प्रकार कोर्ट में जैसी कल यहां चर्चा हो रही थी कि हुकमचन्द बैरवा को फंसाया जा रहा है। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आजकल एक बात और हो गयी है कि जहां कहीं भी थोड़े बहुत अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के लोग जागरूक होते हैं। उनको वहां के सामाजिक तत्व के लोग आपस में लड़वा देते हैं, उनको मुकदमों में फंसा देते है और फिर उनको जेल के सिकंजों में फांसते है जिससे कि उनको काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के लिए जो भारत सरकार ने कोटा रिजर्व कर रखा है वह भी नौकरियों में पूरा नहीं है और उस कोटे को भरने का सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। राज्य सरकार ने विधान सभा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की एक कमेटी बना रखी है उस कमेटी का यह कर्त्तव्य है है कि वह अनेक विभागों में जाकर इनका कोटा देखे। अगर कोटा पूरा नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा उस कोटे को पूरा करवाया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय, वर्तमान में जो अनुसूचित जाति की कमेटी बनी हुई है वह भी इतनी कामयाब नहीं रही। मेम्बर्स ने कोई रुचि नहीं ली क्योंकि मेम्बर्स की हाजिरी तो लग ही जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट को विशेष रूप से नहीं देखा गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं हो जाये विभाग में तब तक दूसरे लोगों की भर्ती नहीं की जाये। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों का नौकरियों में प्रमोशन भी रुका पड़ा है। एक विभाग से दूसरे विभाग में भी लोग जाते हैं तो सब बड़े-बड़े आफिसर्स की सिफारिशों से चले जाते हैं। अनुसूचित जाति के लोग इसके शिकार होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और उनको अच्छे डिपार्टमेंट नहीं देते हैं। इस तरह से यह सारी बातें हैं।

(श्री राम कंवार बैरवा)

छुआछूत के बारे में भी मंत्री महोदय जवाब देंगे कि छुआछूत के एक वर्ष में कितने केसेज हुए और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई। अभी सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने एक मामला बीलवाल का उठाया था। बीलवाल की मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। वहां अनुसूचित जातियों का पचास घरों का मोहल्ला है। बाजार में होकर एक गली है जिसमें कोई वाहन नहीं जा सकता है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की कोई बारात आती है तो दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बाजार से गुजरता है। असामाजिक तत्वों ने जो सेठजी का मकान है रास्ता रोकने के लिए दीवार उठाई है। सेठजी के मन में ऐसी कोई बुरी भावना नहीं थी कि इन लोगों का रास्ता रोका जाये लेकिन असामाजिक तत्व हरिजन के दूल्हे को घोड़ी पर बैठे नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कोई दीवार हो, तो उधर से नहीं गुजरे इस मंशा से उन असामाजिक तत्वों ने भड़का कर दीवार खड़ी करवा दी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : जरा समय का ध्यान रखें।

श्री राम कंवार बैरवा : मैं तो अभी शुरू ही हुआ हूं।

इस तरह से, सभापति महोदया, यह सारी अनुसूचित जातियों की समस्यायें है।

आज बीस सूत्री कार्यक्रम की दुहाई देते हैं लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि कितने लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीनें दी गयीं और कितने लोगों को कब्जा दिया गया ? जिन लोगों का अपना कब्जा है और जिनके पास खातेदारी राइट्स हैं, जमीन का पर्चा है वह भी राजस्थान में 10 पर्सेन्ट हरिजन इसके शिकार हो रहे हैं और जो साधन सम्पन्न लोग हैं वह जमीन नहीं बोने दे रहे हैं। इस प्रकार की खोज करवायें और उन लोगों के जितने भी पैन्डिंग मामले हैं चाहे तहसीलदार के यहां हों या एस. डी. एम. के यहां हों, जहां कहीं भी हों उनका निपटारा सरकार करवाये।

सभापति महोदय, भारत सरकार और राज्य सरकार का पुलिस विभाग हो या रेवेन्यू का हो या दूसरे और डिपार्टमेंट हों, जिला अधिकारी की तरफ से समय पर तहसील और थानों को यह निर्देश मिलते रहें कि आपके क्षेत्र में यदि गरीब लोगों को सताया गया तो उसकी आपकी जिम्मेदारी ठहराई जायेगी और आपको उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। इस प्रकार के निर्देश सरकार समय-समय पर देती रहे तो यह कभी नहीं हो सकता है कि नीचे के आफिसर उनकी बात नहीं मानें। लेकिन सभापति, महोदया, आज तो नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाबी बनी हुई है। उस लाबी द्वारा अगर कोई भी सच्चाई है उसको तहसील में से निकाला जाये तो उसको एस. डी. एम. के लेवल पर दबा दिया जाता है और वहां से निकाला जाये तो उसको जिलाधीश के कार्यालय में दबा दिया जाता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं

(श्री राम कंवार बैरवा)

है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि कि अनुसूचित जाति के लोग भी अब यह महसूस करने लगे हैं कि हमने बड़ी मूर्खता की है जो कांग्रेस को 33-34 वर्षों तक वोट देते रहे। ऊंट के मुंह में जीरे का जितना भी काम नहीं हुआ।

सभापति महोदया, यहां के बैठे हुए सदस्य यह महसूस करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का बहुत विकास हो गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हाउस से कि आज गांवों में, प्रत्येक गांव में अन्य लोगों के पास, किसी के पास दस ट्रैक्टर हैं, किसी के पास 20 हैं और किसी के पास 25 हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के पास आपको कोई ट्रैक्टर नजर आया ? न उनके पास ट्रैक्टर हैं, न साधन सम्पन्न हैं। रिजर्वेशन की से संविधान में जो व्यवस्था रखी गयी है उसके माध्यम से विधान सभा और लोक सभा में कुछ, चन्द चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि आज भी हिन्दुस्तान में वही छुआछूत की व्यवस्था और वही पुरानी व्यवस्था बनी हुई है। जिस दिन यह रिजर्वेशन समाप्त हो जायेगा उस दिन कोई भी अनुसूचित जाति के लोग विधान सभा या लोक सभा में नजर नहीं आयेंगे। यह लोगों का मनोबल है। मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि 'आपके ऑफिसर हों या आप हों, इस चीज को हल्के फुल्के ढंग से लेते हैं। जैसे आज मैं गृह मन्त्री जी के पास मेघवाल समाज का मामला लेकर गया तो दुर्गालाल, जिसको बेकानून दस दफा चार–चार रोज बन्द रखा और तीन दफा केस खारिज हो गया, के बच्चों को देख नहीं पाये, उनके बूढ़े मां–बाप सब बैठे हुए थे लेकिन उन्होंने एक ही मिनट में कहा कि जो भी करेंगे कर लेंगे। इस तरह से तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी मामले को हल्के-फुल्के ढंग से लेंगे, तो आपके जल्दी बिस्तर गोल हो जायेंगे। हिन्दुस्तान की जनता व्यवस्था बदलना अब सीख गयी है। इस–लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे विधायक हों या साधारण नाग–रिक हों अनुसूचित जाति के लोगों की समस्या उतनी ही गहराई से आपको लेनी चाहिए। ठीक है वास्तविकता का पता लगाइये, और उसमें कमी है, तो शिकायत लेकर आने वाला ही उसकी भी और शिकायत करने वाला है उसको भी आप कह सकते हैं कि आपकी शिकायत सही है। मैं इतना ही आपकी कृपा से कहकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

सरकार से मैं फिर कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों का जगह–जगह जहां कहीं भी हो बैंकों के ऋण में शोषण हो रहा है, छुआछूत में शोषण हो रहा है, जमीन के पट्टे मौजूद हैं उसका उनको कब्जा नहीं मिल रहा है और नौकरियों में भी उसका शोषण हो रहा है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। यह सारी बातें हैं। इन सब बातों की सरकार देखरेख रखे और देख रेख रखकर कुछ मामले निपटायेगी, तो अनुसूचित जाति के लोगों की सरकार

(श्री रामकंवार बैरवा)

के प्रति सद्भावना बनी रहेगी वरना धीरे-धीरे वह असन्तुष्ट होते जा रहे हैं और वह आज यह कहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी एक कागज का पुलन्दा ही बनाकर भेज देती हैं राज्य सरकार के पास वह कागज का पुलन्दा पुलन्दा ही बना रह जाता है और हमारे लिए कोई कार्य नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, कोई रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो उन गरीब जाति के लोगों की आप अवश्य मदद करें और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में सक्षम रहें। यही कह कर मैं स्थान गृहण करता हूं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी लोग बोलने वाले हैं इसलिए मैं समय सीमा 7 मिनट की तय कर देती हूं बोलने के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदया, थोड़े समय में रिपोर्ट पूरी नहीं होगी, सही, बातें आयेंगी नहीं।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। आपका समय आयेगा तो आपको अवसर दे दिया जायेगा।

श्री मेघराज तावड़ : समय बांधने से तो हमारा मकसद कोई हल नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री मेघराज तावड़ : बिजनेस बढ़ा दीजिए लेकिन समय बांधने से हम अपनी बात पूरी नहीं कह सकते।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं कांग्रेस (आई) के जिन माननीय सदस्यों ने मण्डल कमीशन की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, उसके लिये राज्य सरकार से मांग की है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट हमें मिले उनको मैं बधाई देता हूं।

कमीशन की रिपोर्ट आई, सरकार नहीं चाहती थी कि राजस्थान में निवास करने वाले हरिजन भाई और आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में कोई विस्तार से विचार हो। सभापति महोदया, नव ज्योति अखबार जो 26 जून, 1982 का है उसमें कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्यों ने मुख्य मन्त्री से जो चाहा है उसका विवरण मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। आयोग का गठन हो जाने से आयोग की सिफारिशें आने तक आरक्षण के मुद्दे को टालना आसान हो गया। मुख्य मन्त्री, शिव चरण माथुर के ध्यान में करीब पच्चीस विधायकों और अन्य पिछड़े वर्ग महासंघ के प्रतिनिधियों ने यह मांग उठाई कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई सुविधा मिली हुई नहीं है। तब मुख्य मन्त्री अन्य राज्य की सुविधाओं की जानकारी मंगाने का आश्वासन देकर चुप्पी साध गये। अब जब कि वी० पी० मण्डल आयोग की रिपोर्ट लोक सभा में पेश हो चुकी है और अन्य राज्यों में दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी

(श्री नन्दलाल मीणा)

मिल चुकी है, तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि वह बी०पी० मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में पहल करे ताकि लम्बे अरसे तक जो राजस्थान इस मामले में सबसे पीछे रहा उस की पूर्ति हो सके और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ न्याय किया जा सके।

सभापति महोदया, आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों के साथ-साथ जो लम्बे अर्से से हिन्दुस्तान में निवास करते हैं, उनके बारे में चिन्ता करे। जो आर्थिक व सामाजिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं उनको भी ये सब वैधानिक सुविधायें मिलें ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के साथ आयें। लेकिन, सभापति महोदया, कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य और शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्यों को आयोग की रिपोर्ट और उसके लिये सरकार की क्या रीति-नीति अब तक रही है, सरकार उसके लिए क्या कदम उठाना चाहती है वह मैं बताना चाहता हूं। मेरी मान्यता है कि इससे सरकार की नीयत साफ जाहिर होती है कि वह शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हितार्थ न सोचना चाहती है, न कुछ करना चाहती है और न ही मण्डल कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं उनको कार्य रूप में परिणत करना चाहती है।

सभापति महोदया, राजस्थान के 1 करोड़ 20 लाख शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में आते हैं। उस इलाके की बात करता हूं जहां राजस्थान में माही परियोजना का निर्माण हुआ, कडाना डेम का निर्माण हुआ। इसके साथ राजस्थान के माही बजाज सागर व गुजरात में बहने वाली नदी पर बांध बना यहां यह प्रश्न सदैव उठाया जाता रहा है कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिले में कितने लोग कडाना से प्रभावित हुए, कितने माही से प्रभावित हुए, कितने बेघरबार हो गये, सरकार ने उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की ? यह सारे प्रश्न थे जो सभापति महोदय, आज भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माही बजाज सागर बांध बनने से पहले और अब क्या स्थिति बनी है। सभापति महोदया, माही के डूब में कुल 17710 हेक्टेयर जमीन आई, 4400 आदिवासी इससे प्रभावित हुए और, सभापति महोदया, जिले के 5200 कृषक प्रभावित हुए जिसमें गैर आदिवासी 540 हैं। सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं बिहार का आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बिहार सरकार ने बड़ी-बड़ी योजनायें, मध्यम योजनायें जो सारे आदिवासी इलाकों में बनाई, उन योजनाओं के विरोध में बिहार के आदिवासियों ने एक अलख जगा दी, सारे बिहार में एक आन्दोलन चलाया कि हमारे इलाके में बड़ी-बड़ी वृहत योजनायें न बनाई जायं, इससे कृषि भूमि खतम होती है और वनों के माध्यम से अपनी रोजी रोटी उपार्जित करने के साधन थे वह सब डूब में जाने से बेकार हो जाते हैं। इस तरह राजस्थान इन बातों की वजह से काफी पिछड़ा रह गया है। सभापति महोदया, यही हुआ राजस्थान के लगभग

(श्री नन्दलाल मीणा)

50 प्रतिशत आदिवासी प्रभावित हुए। प्रभावित होने वाले लोगों के बारे में सरकार को यह सोचना चाहिए था कि उनके लिए जमीन की कोई समुचित व्यवस्था करती, उनके रहने के लिए मकान की कोई व्यवस्था करती लेकिन, सभापति महोदया, ऐसा नहीं हुआ। आपने कहा प्रतापगढ़ क्षेत्र में देवगढ़ और घरियावाद तहसील के बारे में कि जिस प्रकार बांसवाड़ा में लोग माही से प्रभावित हुए, कड़ाना से प्रभावित हुए, वह सब प्रतापगढ़ की देवगढ़ और घरियावाद तहसील में बस गये।

सभापति महोदया, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि वह क्यों बसे। सभापति महोदया, 25.5 प्रतिशत लोगों को मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 4751 लोगों में से 1340 लोगों को राजस्थान की सरकार ने न तो जमीन दी, न उनका कोई पुनर्वास किया और न कोई झौपड़ी बनाने के लिए उनको किसी प्रकार का साधन दिया। सभापति महोदया, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेव जोशी ने उन लोगों को इस आश्वासन के साथ बसाया था कि भविष्य में उनके सारे मसले को रेगुलेराइज करा दिये जायेंगे।

सभापति महोदया, जनता पार्टी का शासन आया और हमने उनके बारे में गंभीरता से सोचा। सोचने के बाद उन लोगों को प्रतापगढ़ और घरियावद के आस पास के इलाकों में बसाया। पर दुर्भाग्य है, सभापति महोदया, मुझे लज्जा आती है कि इस सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने उनके भी कपड़े जला दिये और भूख से बिलखते-मरते लोगों को गांव से बाहर निकाल दिया। आज वह रोजी-रोटी के लिये बरबाद हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके बच्चों का पढ़ने का कोई ठिकाना नहीं, उनके बच्चे छत के नीचे सिर छिपायें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनके मवेशी कहां चरे, उसका कोई इन्तजाम नहीं है, उनके बच्चे राबड़ी कहां खाये, उसका भी इन्तजाम नहीं है, आज सरकार इस बात पर आमादा है कि उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जाय। पाली में श्रीमती गांधी, जो भारत के प्रधान मन्त्री हैं,ने भी इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारा दुर्भाग्य है इस बात का कि राजस्थान सरकार में दो मन्त्री हैं–एक जन जाति विभाग के मन्त्री हैं और एक वन विभाग के मन्त्री हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : दो मिनट और बोल लीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : महत्वपूर्ण है, सभापति महोदया।

श्री सभापति : महत्वपूर्ण सबका है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, इस प्रकार इन लोगों को 1974 में जो आवंटित करना चाहिये था, 1974 के बाद 1982 हो गया अभी भी राजस्थान सरकार ने माही डूब में आये हुए लोगों को नहीं बसाया है। फिर आपके अधिकारियों ने इनके लिये एक दिक्कत और पैदा कर दी। विभाग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

इन लोगों ने सन् 77 के बाद में कब्जा किया है। सभापति महोदया, उनके पास सब प्रमाण है। वह जगलात और पंचायत समितियों की भूमि पर काबिज थे, जो आज भी एक प्रमाण है। वहां से उठ कर उन्होंने अपना मकान, तिबारा सब कुछ पंचायत समिति डूंगरपुर और चितौड़ में बसाया, यह सब उनके पास आज भी प्रमाण है। इसके साथ-साथ और निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया, यह दिया तले अन्धेरा हो रहा है।

सभापति महोदया, कडाना से प्रभावित लगभग 10912 लोग डूब अथवा बेग वाटर से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित सरकार का जो समझौता हुआ था, उसमें यह था कि कड़ाना बान्ध से जो प्रभावित होंगे। उनका गुजरात सरकार भरण-पोषण करेगी। सभापति महोदया, राजस्थान सरकार ने जो लोग प्रभावित हुए उनका मुरावजा ले लिया, जो लोग मेरे, उनका मुआवजा ले लिया, मवेशियों का मुआवजा ले लिया, सभापति महोदया, जो आदिवासी देवरा में रहे, यहां तक कि उनका भी मुआवजा ले लिया। आज, सभापति महोदया, लगभग 585 लोग, जो घरियावद इलाके में पड़े हुए हैं, एक पिछड़े समाज की तरह अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनके ठहरने का कोई इन्तजाम नहीं किया, न उनको कोई कृषि भूमि दी, न अवासीय भू-खण्ड दिये यहां तक कि, सभापति महोदया, जो आदिवासी अपने जेवर बेचकर पैसे लाये थे, उसको भी नोंच खाया। सभापति महोदया, ऐसी हालत जिस राज्य में होती हो, उस राज्य की क्या कल्पना की जा सकती है और वह राज्य शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कैसे भला कर सकता है। सभापति महोदया, सिंचाई के छोटे-छोटे बान्ध और एनीकट्स बने, तालाब बने, सभापति महोदया, आप भी उदयपुर के देवगढ़ जिले से पधारती हैं- आबू रोड पर देखा होगा, पानी की कल-कल करती नदियां बहती हैं परन्तु वहां के आदिवासी लोगों के खेत में पानी नहीं है, उनके लिये इस राज्य सरकार में कोई योजना नहीं बन सकती है। राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी, मन्त्री श्री भीखा भाई, श्रीमती कमला और श्री दौलत राम, इन्होंने सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा का विकास किया है। यह नहीं चाहते कि आदिवासियों का विकास हो।

आदिवासियों के विकास में जब असमानता पैदा की जायगी, आदिवासियों के विकास में अगर राजनीति सामने लायी जायेगी, सभापति महोदया, इससे ज्यादा देश की दुर्दशा और क्या हो सकती है। गरीब तबका, एक जो शरीर है, सभापति महोदया, और शरीर में मान लो उसकी कोई भुजा मोटी हो जाय या जांघ मोटी हो जाय, सभापति महोदया, तो उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। स्वस्थ तभी कहा जा सकता है कि सारे शरीर से स्वस्थ हो। समाज का वह कमजोर वर्ग एक तरफ सागवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और गोगुन्दा की लिट्रेसी

(श्री नन्दलाल मीणा)

में इस प्रकार असमानता करते हुए रखा जाय, सभापति महोदया, लम्बे समय से जब तक ढाई वर्ष तक हमारे पास चार्ज था, जनता पार्टी के शासन में इस असमानत को दूर करने का प्रयास किया। मैं यह बात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ तहसील की 10 लघु सिंचाई की परियोजनाएं राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन हैं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि राजस्थान के मन्त्री इस प्रकार का जवाब दें कि प्रतापगढ़ तहसील चूंकि ट्राइबल सब प्लान में है परन्तु उसके एक गांव हमजाखेड़ी में आदिवासियों की आबादी ज्यादा नहीं है इसलिए ट्राइबल सब प्लान का पैसा नहीं मिल सकता। इस प्रकार का अगर आर्गुमेन्ट सरकार करेगी तो हम यह कह सकते है कि उनके दिमाग का दिवाला निकल चुका है।

उदयपुर हो, बांसवाड़ा हो, उदयपुर जिले की 7 तहसील हों, आबू रोड हो, यह सारा ट्राइबल सब प्लान एरिया में है, उसमें नगरपालिका भी आती है, जहां शत प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। परन्तु वहां पर किसी योजना को या इलाके को राजनैतिक भेदभाव के आधार पर अगर टाला जाता है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय के बारे में शासन इस प्रकार की व्यवस्था करे, इनको यह सीख दें, ये चन्द दिनों के मेहमान हैं, जनता सड़कों पर इनको निपटेगी। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारे यहां पर जनता शासन के दौरान इस बात की व्यवस्था की थी, ट्राइबल सब प्लान में जो भी प्लान लगेंगे, चाहे लघु उद्योग हों, चाहे बड़ा उद्योग हों, उस उद्योग में डवलपमेन्ट चार्जेज जो भी लगेंगे, जनजाति विकास विभाग उस डवलपमैन्ट चार्जेज को वहन करेगा। क्यों वहन करेगा, उसके पीछे जनजाति विभाग की यह इच्छा थी, सभापति महोदया, यदि कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग में 50 पर्सेन्ट से अधिक आदिवासियों को रोजगार देगा, उस व्यक्ति को डवलपमेन्ट चार्जेज दिये जायेंगे। सभापति महोदया, मैं जन-जाति विकास मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूँ कि आपने कितने उद्योगपतियों को इस प्रकार का डवलपमैन्ट चार्जेज दिये, और अगर दिये तो क्या डूंगरपुर और बांसवाड़ा में लगने वाले उद्योगों पर डवलपमेन्ट चार्जेज दिये हैं। क्या वहां आपके किसी अधिकारी ने जाकर देखा है कि वहां पर 50 प्रतिशत से अधिक लोग शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रोजगार में लगे हैं या नहीं। लेकिन मन्त्री महोदय को फुरसत नहीं? वह पी. डब्ल्यू. डी. के हेर फेर में लगे हुए हैं, आज एक करोड़ 20 लाख आदिवासी इनके मुंह की ओर ताकते हैं। ढाई वर्ष हो गये एक भी जनजाति विकास विभाग की बैठक नहीं हुई। सभापति महोदया, इससे शर्मनाक बात हमारे लिए और क्या हो सकती है।

मैं दूसरी बात आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग....

श्री भैरूसिंह गुर्जर : हमारे मन्त्री महोदय पर आप हेर-फेर का आरोप नहीं लगा सकते ?

श्री नन्दलाल मीणा : नहीं लगाएंगे। सभापति महोदया, आप भी लम्बे समय से इस सदन की सदस्या हैं, समाज कल्याण विभाग द्वारा शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के शैक्षणिक उत्थान के लिए छात्रावास चलते थे, परन्तु 18 जनवरी, 1982 को जब श्री चेतराम जी समाज कल्याण विभाग के मन्त्री बने, इन्होंने व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। आमूल चूल परिवर्तन करने का कारण इन्होंने यह बताया कि राजस्थान में शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जो पढ़ते हैं, 10 से 11 तक, उनको जो भोजन सामग्री, लेखन सामग्री मिलती है उनमें अधिकतर छात्रावास चोरियां करते हैं। चोरी की शंका का निवारण कैसे हो, इसके लिए इन्होंने आमूल चूल परिवर्तन की व्यवस्था की, उस व्यवस्था में आज आये दिन आप देख रही होंगी कि किस प्रकार हर तीसरे दिन लोग चोरियां कर रहे हैं। जो पहले नहीं हो रही थीं उससे अधिक हो रही हैं। जो छात्रावासों में लड़के लाभान्वित हो रहे थे, इस आमूल-चूल परिवर्तन की व्यवस्था, जिसको यह व्यवस्थित व्यवस्था कहते हैं, में मैं कह सकता हूं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्टस के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के दरवाजे बन्द करने की व्यवस्था है। इन्होंने यह साबित कर दिया है कि कांग्रेसी हुकूमत शिड्यूल्ड ट्राइब्स के और शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चों की अब स्कूल के दरवाजे तक पहुँचने में मदद नहीं कर सकती बल्कि उनके दरवाजे को रोकना चाहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में 175 राजकीय छात्रावास हैं और इसी तरह से 120 अनुदानित छात्रावास हैं। इस तरह से राजस्थान में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 6140 विद्यार्थी, शिड्यूल्ड कास्ट्स के 6052 विद्यार्थी और 199 विद्यार्थी डिनोटिफाइड ट्राइब्स के पढ़ते थे। सभापति महोदया, इन्होंने नयी व्यवस्था में क्या किया कि जो 295 छात्रावास चल रहे थे, जिसमें जिस जाति का छात्रावास है जैसे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास हैं, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था थी कि वहां 20 पर्सेंट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को रखा जाय और जहां पर मान लो शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्रावास हैं, वहां पर 20 पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को रखा जाय। इन्होंने इस वर्ष जुलाई, 82 से नया कानून बनाया कि 20 पर्सेन्ट पिछड़े वर्गों, जो बीस सूत्री कार्यक्रम या पिछड़े को पहले में आये को भी लिया जाय। हमें बड़ी खुशी है, सरकार की नीति अच्छी है, उन लोगों को भी छात्रावस की सुविधा मिलनी चाहिए। शिक्षा उनको मिले, हमें इस बात का तो एतराज नहीं, हमें इस की खुशी हो रही है कि सरकार ने यह किया है परन्तु एक यह बात निवेदन करना चाहता हूं....

एक माननीय सदस्य : आपको खुशी हो सकती है, आपकी जनता पार्टी की सरकार को तो नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा टोकें नहीं। बात पूरी करने दें।

श्री नंदलाल मीणा : हमने तो 1 वर्ष में 1600 छात्रा संख्या राजस्थान में बढ़ाई है, माननीय सदस्य, हमारी बात छोड़ दो। तुमने अगर 10 भी बढ़ायी हो, तो बता दो कि हमने एक साल में 82 से 92 की संख्या बढ़ायी।

मैं, सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान में विद्यार्थियों के पेट में अगर भरपेट भोजन हो, उनको पर्याप्त लेखन और पाठन सामग्री मिले, अगर शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थियों को मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके मुकाबले में स्तर बने। उस स्तर के लिए सरकार ने सुविधा की व्यवस्था की थी परन्तु सरकार ने इस वर्ष क्या किया ? मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 82 के पहले जो राजस्थान में स्कूल थे, उसका अनुमानित व्यय प्रति छात्र 123 रुपये मासिक किया जाता था जिसमें नाश्ता, आटा, दाल, सब्जी, मसाले, लकड़ी आदि सभी खाद्य सामग्री, और जूता, मोजा, कपड़े, साबुन और विशेष भोजन इस प्रकार से सारी व्यवस्था करके 162 रुपये प्रति छात्र व्यय किया जा रहा था। सभापति महोदय, इस प्रकार एक छात्र पर प्रतिमाह 285.10 रुपये खर्च किये जा रहे थे परन्तु 1 जनवरी, 82 से इन्होंने कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 80 रुपये और 9 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए 85 रुपये सिर्फ का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदय को एडवाइजरी कौन्सिल में निवेदन किया था कि खाने की सामग्री भले ही कम कर दो, उसमें कटौती कर दो परन्तु बच्चे के पास पठन सामग्री, लेखन सामग्री नहीं होगी, बच्चे के पास पहनने के जूते, प्रोपर ड्रेस अगर नहीं होगी तो जब वह क्लास में किसी राजपूत के बच्चे या महाजन के बच्चे के पास बैठेगा तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स और क्लास का बच्चा क्या सोचेगा ? उसके दिमाग में हीन भावना पैदा होगी। वह सोचेगा कि मेरे मां-बाप के कुकर्म थे जिसकी वजह से मुझे आज हेय दृष्टि से देखा जाता है। वह अपने आपमें गिल्टी अनुभव करेगा। विद्यार्थियों में इस प्रकार की हेय भावना पैदा हो, वह गिल्टी कांशस फील करें और शिक्षा से अपने दिमाग को और अधिक विकसित नहीं कर सकें, इसलिए माननीय मन्त्री महोदय ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैंने कहा था, बढ़ा दो। यह नहीं माने, बजट प्रोविजन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कितने बड़े-बड़े आई. ए. एस. अधिकारियों की, नये-नये समाज कल्याण के अधिकारियों की पोस्टें क्रिएट कीं ? उस गरीब बालक के कपड़े पहनने का इन्तजाम आप नहीं कर सकते। इस प्रकार मैं आपको कह सकता हूं कि एक विद्यार्थी पर प्रति वर्ष 1353 रुपये जो खर्च होते थे वहाँ पर अब यह सरकार प्रति छात्र 720 रुपये खर्च करती है।

(व्यवधान)

यही नहीं, सभापति महोदया, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम चालू की जिसका नाम "समाज कल्याण क्षेत्रीय परियोजना" आंगन वाडी था। गत विधान सभा सत्र में भी मैंने

(श्री नन्दलाल मीणा)

इस बारे में प्रश्न किया था कि बांसवाड़ा जिले की गढ़ी की आंगनवाड़ी में किस प्रकार से अधिकारियों ने आंगनवाड़ी में सेवारत वहिनों के साथ सलूक किया। यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। आज जो राजस्थान की लगभग 29 आंगनवाड़ियां चल रही हैं उनमें आपने अधिकांश में अपाइन्टमेंट नहीं दिया। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्टस की आर.एस.एल. की पालना नहीं हुई और अधिकारी लोग इस फिराक में लगे हुए हैं कि अपने चहेतों को, अपने परिचितों को, अपने सम्बन्धियों को वहां पर लगाया जावे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभापति महोदया, आपकी कांस्टीट्यूएंसी के दूर-दराज गांवों में अध्यापक क्यों नहीं जाते, डॉक्टर क्यों नहीं जाते, वहां का ग्राम सेवक क्यों नहीं टिकता, पटवारी के अलावा दूसरे व्यक्ति क्यों नहीं टिकते ? उसके पीछे एक ही कारण है कि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि उन लोगों के पास, यदि उन लोगों को नहीं लगाकर दूसरे वाहर के लगाये गए छोटे कर्मचारी को लगा देंगे। छोटे कर्मचारी हैं, पचास, साठ, अस्सी, नब्वे रुपये वाले इन लोगों को वहां पर लगायेंगे लेकिन अधिकारी नहीं लगायेंगे। उनको लगाया गया तो उस इलाके का काम सफल नहीं होगा।

सभापति महोदया, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज भी उनकी नियुक्तियां बाकी हैं। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग उस इलाके में भारी संख्या में वेरोजगार घूम रहे हैं। मंत्री महोदय क्या आश्वस्त कर सकते हैं सदन को कि उस इलाके में शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लगाया जायेगा।

सभापति महोदया, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार बजट के आवंटन में पक्षपात अपनाया जाता है। सभापति महोदया, आई. डी. टी. पी. योजना के अन्तर्गत सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य सी. पी. आई. से हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कुछ दूसरी पार्टियों से हैं ट्राइबल सब प्लान एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग-अलग बजट का आवंटन किया गया। बांसवाड़ा को वर्ष 81-82 में 28.84 करोड़ का आवंटन किया गया जब कि 6.55 लाख वहां की पोपुलेशन है। डूंगरपुर को 7.17 करोड़ का आवंटन किया गया जब कि 5.50 लाख वहां की आबादी है। उदयपुर को सिर्फ 12.42 करोड़ दिया गया जब कि 7.09 लाख लाख वहां की पोपुलेशन है। सभापति महोदया, चित्तौड़गढ़ को 1.82 करोड़ का आवंटन किया गया है जब कि डेढ़ लाख की वहां की पोपुलेशन है। सिरोही को 1.25 दिया गया जबकि 49 हजार की वहा की पोपुलेशन है। आबू रोड का, सभापति महोदया, इसमें भी अलग-अलग वर्गीकरण किया है। एवरेज हमने निकाला पोपुलेशन के आधार पर। एवरेज के आधार पर यह पाया कि बासवाड़ा को प्रति व्यक्ति 44 रुपया दिया गया, डूंगरपुर जिले को प्रति व्यक्ति 13) रु० दिया गया, उदयपुर को प्रति व्यक्ति 17) रु० दिया गया, चित्तौड़गढ़ को प्रति व्यक्ति 12) रु० दिया गया है, सिरोही को, सभापति महोदया

(श्री नन्दलाल मीणा)

20) रु० दिया गया है, यह भेद किस बात का है ? यह भेद, सभापति महोदया, मुझे ऐसा लगता है………

(व्यवधान)

आवंटित तो कर दिया परन्तु खर्चा कितना हुआ। सभापति महोदया, 80-81 में 84.88 पर्सेन्ट खर्चा हुआ। अक्टूबर तक 81-82 में 20.80 हुआ था जब कि जनता पार्टी के शासन में 93·44 पर्सेन्ट, 79-80 में 98.5 पर्सेन्ट और 78-79 में 99.19 पर्सेन्ट। यह मैं इसलिए आप से कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, सरकार में बैठने वाले लोगों की नीयत क्या है ? नीयत साफ झलकती है, सभापति महोदया।

एक और निवेदन कर देना चाहता हूं, सभापति महोदया, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भेड़ पालन उनका पेशा है। राजस्थान के इस ट्राइबल सब प्लान एरिया में आदिवासी खेती करता है, खेतिहर मजदूर हैं और उसके साथ-साथ पशु पालक भी हैं। सुखाड़िया जी के टाइम पर उदयपुर सम्भाग में भेड़ और ऊन विभाग के कार्यालय खोले गए। आदिवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया था प्रसार केन्द्रों के माध्यम से कि उस इलाके के आदिवासी लोग भेड़ पालें, उनके ऊन की बिक्री हो, उनके मांस की बिक्री हो। आपने देखा होगा इस दृष्टि से सारे मारवाड़ का इलाका है, सभापति महोदया, उन सब की रोजी का साधन यही है। जनता पार्टी के शासन के दौरान हमने कुछ सैंटर्स डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में खोले। सभापति महोदया, चार सैंटर उसमें से बन्द कर दिये। मेरा स्थगन प्रस्ताव था परन्तु उनका यह कहना है कि जनजाति विकास विभाग के आयुक्त महोदय ने कटौती करके यह कह दिया कि वहां पर भेड़ें नहीं हैं। सभापति महोदया, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि आदिवासियों के विकास के लिए बनने वाली योजना में आदिवासियों को रोजी कैसे मिले, आदिवासी के घर पर दोनों वक्त चूल्हा कैसे जले, इनकी व्यवस्था जब सरकार ने की, जनता शासन ने की और मोहनलाल जी सुखाड़िया जब चीफ मिनिस्टर थे तब की, जन जाति विकास मंत्री ने एक बात में उसको काट दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्या राजस्थान के इन आदिवासियों के लिए, मंत्री महोदय, आपने भारत सरकार को कोई योजना बनाकर प्रस्तुत की ? अगर की तो क्या भारत सरकार ने अस्वीकार कर दी। आपके लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। आपके ढाई वर्ष के शासन में आदिवासी इलाके के विकास के लिए एक भी योजना नहीं बनी। परिणामस्वरूप भारत सरकार से आपको मांग संख्या 30 के अन्तर्गत पैसा आता रहा, उसकी कृपा पर जिन्दा होते रहे, जीते रहे और आदिवासियों को आपने महरूम कर रखा है।

सभापति महोदया, आदिवासी और जंगल आज बहुत बड़ा अहम् सवाल है। जगलात और आदिवासियों का सम्बन्ध चोली दामन का है। सभापति महोदया, मैं वह पत्र आपको सुनाना चाहता हूँ जो इसी राजस्थान विधान सभा के सदस्य, जो बागीदोरा से आये हैं,

(श्री नन्दलाल मीणा)
जंगलात की समस्याओं के समाधान के बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्री और सम्बन्धित मंत्री से बार-बार सम्पर्क साधा, समय-समय पर उन्होंने पत्र व्यवहार किया, क्षेत्र की जनता से मिले परन्तु निराश होकर सरकार के बारे में अपनी टिप्पणी देते है वह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं :

"श्री माननीय मुख्य मंत्री जी,
राजस्थान सरकार, जयपुर
विषय : दुख भरी बातों का निवेदन ।

जनता ने विधान सभा के लिए विधायकों को कई आशाएं रखकर वोट दिये थे वह आशायें मिट्टी में मिल गयीं । मत्रियों और सरकार के आदेशों का पालन कर्मचारी नहीं करते हैं । मैंने देखा सैक्रेटेरिएट में कई फाइलें क्लर्क दवा रखते हैं कारण इसका क्या है, समझ में नहीं आता । भूमिहीन तथा माही और कड़ाना डूब क्षेत्र के किसानों को मार-मार कर वन विभाग वालों ने बेदखल किया । वह लोग ग्राम कमलाकुडी, चौतरिया, बड़ीलाख, कालाखेत तहसील प्रतापगढ़ के लोग दो माह से धूप में पड़े हुए हैं, आपने उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं की है । कई बार यह काश्तकार जयपुर आये, बात नहीं सुनी गयी । श्री वन मंत्री जी से निवेदन किया तो कहा कि मुझे इन्दिरा जी ने डन्डा दिया है, डंडा मार-मार कर भगाये जायेंगे । अकाल की समस्या के बारे में मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, कोई ध्यान में नहीं लिया है ।

हम गरीब किसानों की बात को लेकर आपके पास आते हैं तो कई घन्टों तक बैठे रहना पड़ता है. चपरासी मिलने नहीं देते हैं । फोन से बात करते हैं तो आपके लिपिक फोन उठाकर हमारा नाम पूछते हैं । फोन वापस रख देते हैं, बात नहीं कराते हैं ।

उपरोक्त कई तरह की समस्यायें हैं, विधान सभा क्षेत्र में हमारा घूमना बिलकुल बन्द हो गया है । मेरी समझ में यह आता है कि आप बड़े-बड़े नेताओं का आपस में मन मुटाव है जिससे गरीब जनता का नुकसान हो रहा है और हम बीच में लटक रहे हैं ।

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ में जिन किसानों को बेदखल किया गया है, वापस उन्हें मकानों में रहने और खरीफ फसल की काश्त करने का आदेश दे सकते हैं या नहीं अविलम्ब मुझे लिखने का कष्ट करें ।"

सभापति महोदया, यह विधान सभा के कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, सत्तापक्ष के हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम उनसे क्या आशा कर सकते है । राजस्थान में आदिवासियों पर अत्याचार हों और अत्याचारों की शिकायत हम उनके सामने रखें और ये सुन लें ? सभापति महोदया, राजस्थान के सबसे अधिक है, माही के डूब में गए, कडागा की डूब में गए जो लोग आज आपने देखा होगा कि उन हरिजनों और आदिवादियों की जमीनों पर सवर्ण लोगों के कब्जे बराबर बनते जा रहे हैं । कहीं डरा-धमका कर उनको बेदखल किया जा रहा है, कहीं डण्डे के बलबूते पर उनको

(श्री नन्दलाल मीणा)

हटाया जा रहा रहा है, कहीं गोलियों के बलबूते पर उनको बेदखल किया जा रहा है। सभापति महोदय, ऐसे लोग, भूखे व्यक्ति क्या करते? उन्होंने जंगलों की शरण ली। जंगलों की लकड़ी के माध्यम से अगर उनकी उदर पूर्ति हो सकती, वह करना प्रारम्भ किया। जब लकड़ियाँ कट गई, जंगल वीरान हो गए, सभापति महोदया, उस भूमि पर उन लोगों ने काश्त करना शुरू किया। सभापति महोदया, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उनकी दशा क्या कर रखी है। उनके खिलाफ केस बनाए गए। वन विभाग ने केस बनाए। नियमानुसार बनाए मुझे उसमें कोई चीज की तकलीफ नहीं है। परन्तु आज हमें उस गहराई में जाना होगा। जनजाति विकास विभाग और राजस्थान सरकार को गम्भीरतापूर्वक इस बात को सोचना होगा कि राजस्थान के आदिवासियों ने उन जंगलात की भूमि पर कब्जा क्यों किया? क्या इसके पीछे कारण यह नहीं है कि उनकी भूमि को सवर्णों ने छीन लिया। रहननामे के नाम पर छीन लिया, विकास के नाम पर छीन लिया, झूठी रजिस्ट्री के नाम पर छीन लिया और इसलिए भी छीन लिया कि यदि उनकी जमीन पर दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, अगर वह वहां पर गया तो उनका कत्लेआम कर दिया जाय, सभापति महोदय। ऐसी स्थिति उदयपुर सम्भाग में आए दिन पढ़ने को मिलती है। मैं तो उस इलाके से आया हूँ। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से उन लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे किये जाते हैं। सभापति महोदया, उदयपुर.......

श्री सभापति : आधा घण्टे से अधिक हो गया, समाप्त कर दें अब आप।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, मुझे निवेदन करना है वन विभाग के कई मसले सरकार के पास विचाराधीन हैं। उदयपुर के अन्दर 1735, चित्तौड़ में 1564, बांसवाड़ा में 11620। सभापति महोदय, आश्चर्य है इस बात का (अश्रव्य) में 852 और सिरोही में 450 मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। सभापति महोदय, जिसकी रोटी का जुगाड़ नहीं, वह अगर बांदलवाड़ा में रहता है तो किस प्रकार बांसवाड़ा पहुंचेगा? वह अगर फलासिया में में रहता है तो किस प्रकार वहां पहुंचेगा? अगर सागवाड़ा के पास गलियाकोट के इलाके में रहता है तो वह किस प्रकार डूंगरपुर पहुंचेगा? सभापति महोदया, इन गरीब आदिवासियों को सरकार इन चक्रव्यूहों के माध्यम से गरीब बना रही है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सरकार इस प्रकार की व्यवस्था उनके लिए वहां पर करे जैसे जनता शासन के दौरान गांवों गांवों में वोट डलाये गए थे, उस प्रकार चौपायों पर पहुंचने की व्यवस्था करे। उसके आधार पर उस केस को निपटाये। सभापति महोदया, आश्रम स्कूल चल रहे है। सरकार ने तो व्यवस्था कर दी। राजकीय छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलते हैं, सभापति महोदया, वह पंचायत समिति के इलाके में चलते हैं तो पंचायत समिति को स्थानांतरित कर दिये गए और जो आश्रम स्कूल चलाते हैं उनको शिक्षा विभाग देखता है।

Page No 167

(श्री नन्दलाल मीणा)

सभापति महोदय, हमने इस दृष्टिकोण से जनता शासन के दौरान 11 आश्रम स्कूल ट्राइबल सब प्लान एरिया में खोले थे। उनकी बिल्डिंग बनीं, बच्चों के लिए पानी की सुविधा हो, उसके लिए वहां पर हैण्ड पम्प बने। आबू रोड के पास, आबू रोड तहसील में मीन तलेटी गांव में हमारी कमेटी गई थी। हमें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं पढ़ते। उनको आश्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता है। उनकी फर्जी हाजरियां दिखाई जाती हैं और खर्चा उठा लिया जाता है। मेरा आपसे यही कहना है कि इन आश्रम स्कूलों की व्यवस्था सुधारी जाय। उनमें जो पैसा दें उनमें भेदभाव नहीं बरता जाय। सभापति महोदया, उदयपुर में आपने देखा होगा....

(व्यवधान)

महाराणा साहब ने वनवासी छात्रावास बनाये। वनवासी छात्रावास प्रतापनगर में भी थे। आपने कभी विजिट भी किया होगा वहां पर। वनवासी छात्रावास दो नेताओं के दल और समाज के दल के बीच में इस तरह पिस रहे है कि वहां अध्ययन करने वाले 50 छात्र इस साल प्रवेश से वंचित हो गए। सभापति महोदया, मैं चाहता हूं, मंत्री महोदय, जिन आदिम जाति सेवा संघ ने छात्रावास बन्द किये हैं, गांधी आश्रम भी कई छात्रावास बन्द करने जा रहा है, जिन-जिन छात्रावास, में जिन-जिन संस्थाओं ने अपनी दुकानें लगा रखी थीं; आप देखिये अनुदान कम करके 80 और 85 का.......

(व्यवधान)

बना करके उनकी जो दुकानें बन्द की हैं, उन छात्रावासों को समाज कल्याण विभाग अपने हाथ में ले और उन विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाकर लाभान्वित करे। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, हजारों की तादाद में आपको गलत संख्या बताई छात्रावासों और छात्रवृत्तियों की। सभापति महोदया, मैं एक वैधानिक बात कहना चाहता हूं, मैंने गत सत्र में एक स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए एक मंत्रणा परिषद होगी। उस मंत्रणा परिषद का मन्त्री होगा, उप मन्त्री उसका उपाध्यक्ष होगा, उसकी सदस्य संख्या तीस से अधिक नहीं होगी और उसके 20 पर्सेन्ट सदस्य राजस्थान की विधान सभा के होंगे। यह वैधानिक बात है, सभापति महोदया, आज ढाई वर्ष हो गये। राजस्थान की इस निकम्मी हुकुमत ने, आदिवासियों का आमूल चूल परिवर्तन की बात कहने वालों ने, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिए जिस मंत्रणा परिषद के माध्यम से विचार होना चाहिए था, सभापति महोदय, एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। इससे बढ़ कर हमारे लिए और शर्मनाक बात क्या हो सकती है।

सभापति महोदया, अभी-अभी एक और बात जो हमारे सामने आई है वह यह है कि आदिवासियों की क्या हालत बनती है। मैं वह संख्या भी बताना चाहता हूं। मेरे पास पास सारे आंकड़े हैं। यह पोषाकें

(श्री नन्दलाल मीणा)

वालकों को, छोटी क्लास के वालकों को विभाग द्वारा, डी. पी. ए. पी. द्वारा, जिला विकास अभिकरण द्वारा वितरित की जाती हैं। सभापति महोदया, ट्राइबल सब प्लान एरिया के लिए जो पोषाकें वितरण कीं उसके बारे में किस प्रकार का मजाक हुआ वह बताना चाहता हूं। सभापति महोदया, बांसवाड़ा में 80–81 में 9423 बालक पढ़ते थे, जिसमें 9789 पोषाकें दे दी। यह इतने बालक कहां से आ गये? इसी तरह सभापति महोदया, उदयपुर में 19468 बालकों ने प्रवेश लिया था। उसमें से 21511 को पोषाकें दे दीं। डूंगरपुर में 17756 पढ़ते थे और पोषाकें दी 30566 विद्यार्थियों को। उन्हें यह पोषाकें किसने पहनायीं? मंत्री महोदय आप पहनते हैं या किसी अध्यापक ने पहन लीं। यह एक बात है। आदिवासियों के नाम पर जो पैसा आ रहा है उसमें भारी लीकेज है। उसको आपको देखना पड़ेगा। आप यह सोच ले, उसका क्रेडिट आप तक सीमित रहे, वह सम्भव नहीं है। आदिवासियों को राष्ट्र स्तर पर उठाने की सोचो। आदिवासियों के नाम पर जो पैसा राज्य सरकार और भारत सरकार आपको दे रही है उसमें जो लीकेज हो रहा है, मन्त्री महोदय, यह सिर्फ आपकी कमजोरी की वजह से है। इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। सभापति महोदया, आपने देखा होगा डूंगरपुर में नारू की भयंकर बीमारी है, आबू रोड में कई लोग मर गये। सभापति महोदया, हैल्थ मन्त्री जी वहीं थे।

(व्यवधान)

परन्तु मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, सभापति महोदया, कई अर्से से

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : चालीस मिनट होने आये। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : बस एक ही महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नाथूसिंह : एक ही सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति : फिर भी चालीस मिनट बहुत होते हैं। बहुत लोगों को बोलना है।

श्री दुलाराम : आपका सारा प्रेम उमड़ गया। आप तो बड़ा हल्ला मचा रहे थे।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदया, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं यह सरकार, मन्त्री और अधिकारी आदिवासियों के लिए कितने सावधान हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में कुछ लोग मर गये, हैजा, उल्टी और आंत्रशोथ से। जिला बांसवाड़ा में मर गये छोटी सरवन में, डूंगरपुर में सागवाड़ा में मरे कलां मेडतियां में, मन्त्री महोदय वहाँ किसी प्रकार का कम्पन्सेशन नहीं दिया गया। गरीब आदिवासी मरता है, चाहे वह गोली से मरता है, चाहे पुलिस का शिकार बनता है, चाहे किसी और रोग का शिकार बनता है, मुख्य मन्त्री के कोष से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। परन्तु दूसरे इलाके में यदि किसी प्रकार का छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री के खजाने से 12 हजार तक आर्थिक सहायता दी जाती है। यह उन

(श्री नन्दलाल मीणा)

लोगों के सोचने की बात है, सभापति महोदया, आज तक इन लोगों ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, सभापति महोदया यह चाहूंगा कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में भारी संख्या में डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स और नर्सेज के पद रिक्त हैं। बेचारे 20–20, 25–25 मील से खाट पर गांव के आदिवासी मरीज जब किसी डाक्टर के पास किसी डिस्पेन्सरी में पहुंचते हैं, जब डाक्टर्स नहीं मिलते हैं तो सिसकियां लेते मर जाते हैं, दम तोड़ लेते हैं। उनके मासूम बच्चे इस बात के लिए बिलखते रहते हैं, काश ! मेरी मां या मेरे बाप को एक इंजेक्शन मिल जाता तो अपने को रोटी मिल जाती। सभापति महोदया, इस निकम्मी हुकूमत ने अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। जो डाक्टर्स वहां पर थे उनको शहरों में लगा दिया।

सभापति महोदय, बिजली के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारी यह मंशा होनी चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, हमें कुछ तो कहना पड़ेगा। इसलिए कहना पड़ेगा कि सारी स्कीम (व्यवधान) मेरी प्रतापगढ़ तहसील में सारी स्कीम 152 पंचायत समिति के स्वीकृत हो गई (व्यवधान)। सभापति महोदया, दो साल हो गये। मुझे बड़ा आश्चर्य है ग्रामीण विद्युतीकरण द्वारा उनको पैसा मिल गया, पोस्ट क्रियेट कर दीं। मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि दो साल होने के बावजूद सरकार ने बिजली नहीं लगायी। आज तक गांव के किसान चाहते हैं, गांव का गरीब आदिवासी चाहता है, गांव के गरीब व्यापारी चाहते हैं कि हम गांवों में उद्योग लगायें, उद्योग के माध्यम से न केवल उनको बल्कि परोक्ष रूप से दूसरे लोगों को लाभ मिले। उनको बिजली नहीं देना चाहते। सभापति महोदया, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 20 अगस्त को श्रद्धेय माननीय शिवचरण जी माथुर का प्रतापगढ़ का दौरा हुआ। प्रतापगढ़ की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेवाड़ का मुख्य मन्त्री हमारे यहां पहली बार आ रहा है। उनका स्वागत करना चाहिए। आपने, सभापति महोदया, सुना होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, और ज्यों ही धौलपुर में इस बात की चर्चा चली कि धौलपुर को जिला बनाया जाएगा, बारां को जिला बनाया जायगा, उसके अलावा सांभर को जिला बनाया जातगा, दौसा को जिला बनाया जाएगा, यही आवाज प्रतापगढ़ से उठी। गांव के किसान, गांव के गरीब से लेकर के शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक आशा लगाये में बैठे थे कि प्रतापगढ़ रियासत के जमाने में भी जिला था, पहली बार मेवाड़ का मुख्य मन्त्री बना है, हमारी भी कोई सुनेगाहम उनके सामने मांग करेंगे। परन्तु मुझे कहना पड़ेगा, सभापति महोदया, उन्होंने इस बात को को इस रूप में टाल दिया कि इस पर हम विचार करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं मन्त्री महोदय से मांग करूंगा, प्रतापगढ़ के जो खास-खास

(श्री नन्दलाल मीणा)

आदिवासी इलाके हैं, उनके साथ-साथ बांसवाड़ा जिले का जो क्षेत्र है उसको भी जिला बनाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिला क्यों बने इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, धौलपुर जिला बनाया, भरतपुर को अलग किया उसके बाद डूंगरपुर को जिला बनाया, आज उनकी क्या स्थिति है? अगर राजसमन्द को जिला बनाया जाय तो वह क्या प्रगति करेगा ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दो मिनट का समय और दें।

श्री सभापति : आप रिपोर्ट पर नहीं बोल रहे हैं। काफी बोल चुके हैं। अब आप मेहरबानी करके बैठिये। जिलों की बात फिर लीजियेगा।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री महोदय। हमने इस बात को वर्क आउट किया था कि आदिवासी इलाके में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों, गरीब और अनपढ़ किसानों में सहकारिता के नाम पर जो झूठा कर्जा बांटा गया वह एक-एक जिले में 40-50 लाख रुपया है। प्रतापगढ़ में 40 लाख रुपया है, बांसवाड़ा में एक करोड़ के करीब होगा, डूंगरपुर में 75 लाख के करीब होगा। उन गरीब आदिवासियों पर कुर्कियां हो रही हैं, जबरन वसूली हो रही है। सभापति महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है। आबू रोड के पास में एक गरीब आदिवासी गिरासिया को कर्जा देने गये, वह नहीं माना तो उसको जबरन पकड़ कर लाये, उसको मार-मार कर उसके हाथ तोड़ दिये। जब पुलिस में रिपोर्ट कराने गये तो रिपोर्ट नहीं लिखी। जब आबू शहर में पहुंचा तो डाक्टरों ने पट्टी बांधने से इन्कार कर दिया। इस दरमियान अनुसूचित जाति, जन जाति के सचिव वहां पहुंचे, उनके सामने वह रोया तब उन्होंने उसकी व्यवस्था की। इस प्रकार राजस्थान में, खास कर आदिवासी इलाकों में सहकारिता के नाम पर गरीब आदिवासियों को फंसाया जा रहा है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

क्या राजस्थान की सरकार और सहकारिता विभाग उन गरिबों, जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक पैसा नहीं लिया, और आदिवासियों को सहकारिता के चंगुल से बचा कर, जिन लोगों ने झूठे अंगूठे करा कर कर्जा उन पर मांडा है उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती ?

श्री हरलाल मीणा : भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बनाये गये हैं प्रतापगढ़ में उनको सब जानते हैं अच्छी तरह से—

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा सीधा सवाल है, कांग्रेस के पुराने एम. एल. ए. हैं।

(श्री नन्दलाल मीणा)

उनकी मौसी का लड़का है, एक समाज ने चित्तौड़गढ़ जिले में बेचारे शिड्यूल्ड ट्राइब के आदमी को चेयरमेन बनाया उसको हटा दिया। फिर एक पाटीदार को चेयरमेन बनाया। वह बराबर आदिवासियों को झूठे इंजन के नाम पर, इंजिनों के कर्ज देने के नाम पर करोड़ों रुपये बटोर रहा है। आज भी उसके घर पर आदिवासियों के दल इंजन भाग रहे है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा, आदिवासियों के बारे में आप परिवर्तन की बात करते हैं। मुख्य मन्त्री जी बेचारे ऐसे दृष्टिकोण के आधार पर हमें गुजरात की तरफ चेंज करना चाहते हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति छिपी हुई नहीं है....

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, एक सवाल और।

(4·34 म. प.)

(श्री अहमदबक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पीठसीन)

रोजगार कार्यालय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एस. सी., एस. टी. के आरक्षण के बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं। 12 प्र. श. का जो आरक्षण है उसकी पालना नहीं हुई। सीधी भर्तियों में कोई महकमा राजस्थान का ऐसा नहीं है जिसमें एस. सी., एस. टी. के कोटे में से 5 प्र. श. भी नियुक्तियां की गई हों। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा—आप जे. डी. ए. का कानून तो ले लाये, क्या आप राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार का कानून लायेंगे ताकि उनको न्याय के कठघरे में खड़ा कर दिया जाये? क्या इस प्रकार का कानून ला सकते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो झूठे आंसू पोंछना है, पार्टी और राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता में आदिवासियों से वोट लेने की बातें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत देर हो गई आपको बोलते हुए। समाप्त कीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट मण्डल कमीशन ने एस. टी. के बारे में दी है और माननीय खेतसिंह जी द्वारा हम को दी गई है। यह किसी भी कांग्रेस (आई) के सदस्य को चाहिए, तो मैं दे सकता हूं। इसका अध्ययन करें। आप मन्त्री जी, उसी वर्ग के सदस्य है। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस वर्ग के बारे में सोचें और सरकार की नीतियों को लागू करायें। मण्डल कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं सरकार को उन्हें आप लागू करने के लिए कब तक कार्यवाही कर पायेंगे इसके लिए हमें आश्वस्त करें।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अपोजीशन पार्टी के एक-एक माननीय सदस्य को इसकी एक-एक कापी दी गई। अपनी सारी बातें कहें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है मगर हां पक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं उनके पास कोई कापी नहीं है।

(व्यवधान)

दूसरा मेरा निवेदन है कि कास्ट्स और ट्राइब्स के मामले में किसी पार्टी का प्रश्न

(श्री दुलाराम)

तो है नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तब तक आप इसको स्थगित कर दे और चाहें आगामी सत्र में विचार करने के लिए रख दें।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय जिनके पास रिपोर्ट हैं उनको तो बोलने का अवसर दें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सी. पी. जोशी और श्री भैरूलाल मीणा के नाम दिये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देखता हूं। माननीय दुलाराम जी ने जो प्रश्न उठाया उसके मुतल्लिक जवाब है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के दफ्तर में कुछ कापियां गई थीं लेकिन फिर भी दूसरे सत्र में जब यह सवाल आयेगा तो नये सिरे से इस पर चर्चा होगी।

श्री सी. पी. जोशी।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : I know yours T. D. A. very well. उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं इस बात को जानता था कि बोलने के लिए मैं खड़ा होऊंगा, तो माननीय सदस्य टोकेंगे कि ट्राइबल्स पर क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं विजयी होकर आया हूं, जहां महाराणा प्रताप का हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जहां आदिवासी रहते हैं वह टी- डी. ए. (ट्राइबल डवलमन्ट एरिया) की योजना से वंचित हैं। इसलिए रिपोर्ट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो माननीय सदस्य विजयी होकर आये हैं, जिन विधान क्षेत्रों में एस. सी., एस. टी. का बहुमत है उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, उनकी समस्याओं को बार-बार उठाते हैं और मांग करते हैं कि उनका निराकरण हो लेकिन जिन विधान सभा क्षेत्रों से हम जीत कर आये हैं, वहां रहने वाले जो आदिवासी हैं, जो स्केटर्ड पापुलेशन है, जिनका पापुलेशन क्राइटेरिया बना हुआ है भारत सरकार का कि 10 हजार का क्लस्टर बनना चाहिये। यह जो दूसरा कम्पोनेट पूरा होना चाहिये वह पूरा नहीं हो रहा है और यह लोग 100–50 की बस्तियों में, पचायतों में निवास कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी चाहें अनुसूचित जाति के हों या चाहे जन जाति के हों उनको टी. डी. ए. की व्यवस्था का बिलकुल लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टी. डी. ए. का जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें 10 हजार का क्लस्टर बनना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जिन विधान सभा क्षेत्रों में स्केटर्ड पापुलेशन है उनको निश्चित रूप से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय भारत सरकार से इस बात का निवेदन करें कि इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को सुधारने के लिए हम इस योजना के कम्पोनेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ मैं टी. डी. ए. की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो इसकी फंक्शनिंग है लेम्प और पेक, जिसके माध्यम से जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके जीवन को सुधारने के लिए, लार्ज एरिया मल्टी पर्पज

(श्री सी. पी. जोशी)

सोसायटी और प्राइमरी एग्रीकल्चर को-आपरेटिव सोसायटी है । इन दोनों के माध्यम से इनको धन्धा कराना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद मन्त्री महोदय, को इस लेम्प और पेक की गतिविधियों का ज्ञान नहीं होगा लेकिन जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं और जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा हूं, मैं उस टी. डी. ए की फंक्शनिंग के बारे में डिटेल में जानता हूं ।

यह हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य कि इस टी. डी. ए. के बोर्ड के अन्दर आपके 11 आई. ए. एस. आफिसर्स हैं, जिस बोर्ड के अन्दर 6 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हों, डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज मैम्बर हो, फाइनेन्स सैक्रेटरी मैम्बर हो, उसमें चार ट्राइवल. मैम्बर्स को रख दें और यह आशा करें कि टी. डी. ए. के माध्यम से उस गरीब का उत्थान हो सकेगा, मैं बिलकुल इस आइडिया को नहीं मानता हूं । मेरा बेसिक फण्डामेन्टल आब्जेक्शन है कि जिन लोगों को उस मिट्टी से प्यार नहीं है, जो आदिवासियों की संस्कृति को नहीं जानते हैं, उन आदमियों को आपने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की गवर्निंग कौन्सिल में मेजोरिटी में रख दिया और आपने निर्णय करने का, इम्प्लीमेंट करने का, श्रीमती इन्दरा गांधी और कांग्रेस की रीति-नीति को इम्प्लीमेंट करने की सारी जिम्मेदारी इन आफिसरों पर छोड़ दी और वह सब मौज उड़ा रहे हैं इन आदिवासियों के नाम से । लेम्प और पैक के माध्यम से जितने घोटाले हो रहे हैं, उनकी तरफ अगर ध्यान न दें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने यह कहा है कि टी. डी. ए. के अन्तर्गत जितनी भी एक्टीविटीज होंगी, चाहे प्रोक्योरमेंट की हो, चाहे ऋण की हो, चाहे अन्य किसी तरह की गतिबिधियां हों, वह सारी गतिविधियां लेम्प और पैक के माध्यम से होंगी । को-आपरेटिव सोसाइटीज वहां आपरेट नहीं करेगी । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर हसेंगे, आश्चर्य करेंगे कि इस राजस्थान सरकार के को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के सैकेटरी इस टी. डी. ए. के मैम्बर हैं और वह यह कहे कि वहां पर को-आपरेटिव सोसाइटी काम करेगी और टी. डी. ए. भी काम करेगी । आज हालत यह है कि टी. डी. ए. बनने के बाद को-आपरेटिव विभाग और जनजाति विभाग के बीच में यह फैसला नहीं हो पाया है कि वहां को-आपरेटिव सोसाइटी काम करेगी या लेम्प काम करेगा । भारत सरकार और तत्कालीन बोर्ड का फैसला होने के बाद आज यह हकीकत है कि वहां लेम्प भी काम कर रहा है और को-आपरेटिव सोसाइटी भी काम कर रही है ।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो यह जो आपका डुप्लीकेट वर्क है, यह शायद सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को मालूम नही होगा, जो बैंक है, जो अपना कोआपरेटिव बैंक है, जिनकी सोसायटी बनी है, उनका लोनिंग का सिस्टम बड़ा अजीब है । आप दस लाख रुपये, पचास लाख रुपये का लोन एडवान्स में शो कर देते हैं और उसको वापस क्रेडिट में लेते हैं और बताते हैं कि हमने इतने आदमी को लोनिंग कर दी और इतने

(श्री सी. पी. जोशी)

एडवान्स की रिकवरी कर ली। यह जो मायाजाल है इस राजस्थान के अन्दर और भारत सरकार के अन्दर, इस मायाजाल के अन्दर, उस गरीब आदमी का उत्थान नहीं हो रहा है।

इसलिए हम चाहते हैं कि टी. डी. ए. का जो हमारा फंक्शनिंग है, जिसके आधार पर आदिवासियों का भला हो, तो आपको निश्चित तौर पर टी. डी. ए. के अन्दर को-आपरेटिव के बाद जो आपकी लोन की गतिविधियां हैं, उसके तहत क्रेडिट और डेबिट, जितना प्रोक्योरमेंट है, खरीदना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शायद मन्त्री महोदय को अवश्य जानकारी होगी कि फारेस्ट का जितना प्रोडक्ट होता है उनके प्रोक्योरमेंट के मोनोपोली राइट्स रिजर्व कर रखी हैं टी. डी. ए. के पास। मुझे आज भी कहते हुए दुःख होता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि आपका फारेस्ट डिपार्टमेंट टी. डी. ए. से रायल्टी लेता है। इसके बाद उसने आदिवासियों पर कन्डीशन डाल रखी है कि वह सारा प्रोक्योरमेंट और सैल टी. डी. ए. को करेंगे और टी. डी. ए. फारेस्ट डिपार्टमेंट को रायल्टी जमा करायेगी। गुजरात के अन्दर, महाराष्ट्र के अन्दर और आन्ध्र प्रदेश के अन्दर जो टी. डी. ए. बनी हुई है, वहाँ पर सरकार निर्णय ने किया है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट को टी. डी. ए. द्वारा रायल्टी नहीं देनी पड़ेगी। वहां के सुपरविजन और विजिलेन्स के लिए जितना खर्चा देना पड़ेगा वह डिपार्टमेंट वहन करेगा।

यह राजस्थान का दुर्भाग्य रहा कि प्रोक्योरमेंट के राइट आपने टी. डी. ए. को दे दिये और उनका विजिलेन्स, कार्य करने के जो केसेज बनेंगे वह अधिकार टी. डी. ए. को नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्डीशन डाल दें कि गोंद, धोली मूसली, महुवा का भी काम टी. डी. ए. करेगी परन्तु इसका जो अवैध धन्धा हो रहा है, उसको रोकने के लिए टी. डी. ए. के पास अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि टी. डी. ए. के अन्दर दोहरी व्यवस्था करके, एक तरफ हम अधिकार न देकर जो दूसरे आदमी हैं, जिन्होंने धन्धा कर रखा है, उनको खुली छूट दे रहे हैं कि वह महुवा को प्रोक्योर करके बाहर भेज दें, धोली मूसली को प्रोक्योर कर के बाहर भेज दें, गोंद को बाहर भेज दें। यह दोहरी व्यवस्था है। इसलिए इस राजस्थान में टी. डी. ए. से उत्थान की जितनी हम आशा करते हैं, उतना उत्थान नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निश्चित तौर से यह कहना चाहूंगा कि टी. डी. ए. का जो फंक्शनिंग है और भारत सरकार की जो नीति और मंशा थी, उस मंशा के अनुरूप यदि राजस्थान का टी. डी. ए. जो काम कर रहा है, उसको हम इतना अधिकार दें कि वह इस एक्टीविटी को पूरा कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस लेम्प और पेक में एक बड़ी अच्छी बात कर रखी है। आज लेम्प और पेक में जो मैनेजर है, उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी की तनख्वाह

(श्री सी. पी. जोशी)

300 रुपये पर मन्थ है, वहीं पांच हजार रुपये से ज्यादा कमा रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जो सीमेंन्ट और शुगर आदिवासियों को मिलती है, वह वहां पर लेम्प्स के नाम पर मिलती है। उसका आदिवासियों के खाते में क्रेडिट और डेबिट का सिस्टम नहीं है। इसलिए लेम्प का मैनेजर जो लिख दे कि मैंने 100 बोरी सीमेंट अमुक आदमी को चीनी दी, उसका वेरीफिकेशन कौन करता है। इसका मतलब यह है कि लेम्प का मैनेजर जितना प्रोक्योरमेंट टी. डी. ए. का उठा रहा है उसका 75 पर्सेन्ट माल, उपाध्यक्ष महोदय, मार्केट में ब्लेक हो रहा है और रजिस्टर में यह कर रखा है कि आदिवासियों को सीमेंट मिल रही है, शुगर मिल रही है।

उपपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि वे इसकी जांच कर लें कि उदयपुर जिले के अन्दर जितने आदिवासी हैं उनमें एक पर्सेन्ट आदिवासियों के पक्के मकान हैं, तो मैं समझूंगा कि वह सीमेंट को काम में ला रहे हैं। जब आदिवासियों के मकान पक्के नहीं हैं, मकान कच्चे हैं तो सीमेंट आखिर में कहां जा रही है। यह इस बात का द्योतक है कि लेम्प और पेक का जो फंक्शनिंग है वह फंक्शनिंग वीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत इन्ट्रेस्टिंग बात है। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि उदयपुर जिले के जो आदिवासी हैं वह मगरा खोद कर खेत बनाते हैं। उनके पास लैण्ड होल्डिंग दो बीघा से ज्यादा नहीं है। आपके रजिस्टर में शो कर रखा है कि उसको हम ने 50 बोरी फर्टीलाइजर दिया है। उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी बतावे कि दो बीघा के अन्दर कितना फर्टीलाइजर चाहिए। लेकिन आपके सोसाइटी के माध्यम से रजिस्टर में शो कर के अमुक अमुक को इतना फर्टीलाइजर दिया, इतनी सब्सिडी दे रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी को फर्टीलाइजर नहीं मिलता है लेकिन सब्सिडी का पैसा भी वह उठा लेते हैं। वह सारा फर्टीलाइजर आज ब्लेक में बिक रहा है। अब हमें यहां पर घोषणा कर दे कि टी. डी. ए. के माध्यम से बड़ा उत्थान हो रहा है, गरीबी की रेखा के ऊपर एक नयी क्लास डवलप हो गई है, उससे उस क्लास का कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सरकारी सुविधाएं, श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति है, जो इन आदिवासियों को सुविधाएं देने का कन्सेप्ट है, उस कन्सेप्ट का मिस मैनेजमेन्ट कर के वह लोग अपने को वेल ऑफ कर रहे हैं। यह नयी क्लास टी. डी. ए. के माध्यम से डवलप हो रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका जो फंक्शनिंग है, यदि आप यह नियम बना लें कि जो लेम्प का मैनेजर है, जो रजिस्टर मेन्टेन करता है, उसका वेरीफिकेशन करने का अधिकार वहां के सरपंच को हो, वहां की पंचायत समिति के प्रधान को हो, वहां के एम. एल. ए. को हो, तो आपका एक चैक लग जायेगा इस करप्शन को रोकने का। लेकिन यह कभी हो पायेगा या नहीं, इसमें मुझे डॉउट है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, टी. डी. ए. बनने के बाद, जब यह शुरू हुई तब 80

(श्री सी. पी जोशी)

पर्सेन्ट था लेकिन आज भी 40 पर्सेन्ट से अधिक आदमी आपके डेपूटेशन पर हैं। पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट से तनख्वाह उठा रहे हैं। इसके अलावा डिपार्टमेन्ट से 20 पर्सेन्ट और अलाउन्स उठा रहे हैं। अब डिपार्टमेंट और टी. डी. ए. हुआ क्या, उपाध्यक्ष महोदय, इसके एस्टेब्लिशमेन्ट का जो एक्सपेन्डीचर हुआ है उसकी रिपोर्ट आप उठा कर देखें, आप देख कर हसेंगे कि डे–बाइ–डे यह कितना बढ़ता जा रहा है। इसका रिटर्न क्या मिल रहा है। इसलिए मेरी अपनी निश्चित तौर पर मान्यता है कि यदि हम चाहते हैं कि टी डी. ए. से विकास हो, आप, उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य करेंगे, उदयपुर जिले के अन्दर केवल मात्र कालेज कहा है, गवर्नमेन्ट कालेज, विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए उदयपुर म्युनिसिपैलिटी के एरिया में एक कालेज है नाथद्वारा में और सारे इन्टीरियर एरिया में, सात विधान सभा क्षेत्र, जो ट्राइबल्ल एरिया के हैं, में एक भी डिग्री कालेज नहीं है, आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय. यदि हम इस टी. डी. ए, जिसका डिफरेन्ट फक्शनिंग है जिसमें केवल अलोकेशन आफ फण्ड है, चाहे एजूकेशन का हो, चाहे हैल्थ हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे चाहे पी. एच. ई. डी. हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, के माध्यम से उस पैसे का पूरा उपयोग जिस काम के लिए तो हुआ है उसके लिये करे तब निश्चित तौर पर जो हमारा कन्सेप्ट है, उसको पूरा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी बात कहने के बाद में सोच समझ कर शिड्यूल्ड कास्टस के बारे में एक सेन्टेन्स नहीं बोल रहा हूं इसका कारण यह है कि शिड्यूल्ड कास्टस के बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। उनकी वेलफेयर एक्टीविटीज के लिए अभी पिछले दो साल में राजस्थान सरकार ने एक कम्पोनेन्ट प्लान की स्कीम लागू की थी। अब, उपाध्यक्ष महोदय, कम्पोनेन्ट प्लान, का एक्जीक्यूशन और उसका जो इन्वेस्टमेन्ट हुआ है, उसका फिजीकल अचीवमेन्ट आप उठा कर देख लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक मात्र ज्ञान है कि पिछली बार मार्च के महीने में जो आपका कम्पोनेन्ट प्लान के आधार पर उदयपुर जिले में जितना पैसा उद्योग में बांटना चाहिए था उतना नही मिल पाया है। इसलिए मैं यह जानते हुए कि शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं हूं और यह हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि यह मान कर चलते हैं कि शिड्यूल्ड कास्टस को शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी समझता है, माइनोरिटीज को माइनोरिटी का आदमी समझता है, इसलिए हम तो आउट कास्ट हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के आदमी जिनकी हाउस में अपनी वाइस नहीं है, के लिये राजस्थान के वेलफेयर डवलपमेन्ट की दृष्टि से विचार चेन्ज करना चाहिए, जिससे उनको इस योजना का लाभ मिले अन्त में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक ही निवेयन करना चाहता हूँ भगवान के लिए आप केवल यह न देखें ट्राइबल एरिया

(श्री सी पी. जोशी)

की माली हालत कैसी है, अगर आप सवाई माधोपुर और उददपुर को एक ही मांगे तो यह उदयपुर के आदिवासियों के साथ अन्याय होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल वेलफेयर के साथ उनका क्या स्टेटस है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय कार्य सूची की समाप्ति तक बढ़ाया गया।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के छब्बीसवें प्रतिवेदन पर विचार

श्री गोपाल पचेरवाल : इसके बाद में वह वक्तव्य दिया जायेगा। संक्षेप में, माननीय सदस्य ? फिर आपको मौका मिल जायेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : संक्षेप में ही कहूंगा। अभी थोड़ी देर में कह दूंगा। समय का फायदा उठाना चाहिए। आप जब घण्टी बजायेंगे तभी बन्द कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम आज उस रिपोर्ट पर बहस करने जा रहे हैं जो कई वर्षों बाद हम को चर्चा करने को प्राप्त हुयी है, चर्चा उस रिपोर्ट पर करने जा रहे हैं जो बहुत पुरानी है। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि सरकार की तरफ से प्रत्येक माननीय सदस्य को यह रिपोर्ट पेश की जाती। अभी अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम की बात होती तो लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता। लेकिन यह सरकार पिछड़े वर्ग की कितनी हितैषी है, उसकी पिछड़े वर्ग के प्रति कितनी सहानुभूति है, यह इससे प्रकट होता है। सरकार का उनकी ओर ध्यान नहीं है। अभी श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम का कोई लिट्रेचर होता या मुख्य मन्त्री के बीस संकल्पों की कोई बात होती, तो लाखों की तादात में प्रतियां छपकर आ जातीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम किसी से क्या कहें। मैं आपको दिल्ली–जयपुर के बीच में छोड़-कर जयपुर लाना चाहता हूं और एक तालिका पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, पार्लियामेंट की बात करूं जैसा कि अभी जोशी जी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कहीं कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ब्राह्मण हूं। यह समाज की संरचना है, धार्मिक पुजारियों ने कुछ इस प्रकार को व्यवस्था कायम कर दी है जिससे कि आज हम ग्रसित हैं और हमको यह सब भुगतना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान देश के शासन की ओर ले जाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की लोकसभा में ब्राह्मण कितने हैं, हम उन गरीबों की बात करने जा रहे हैं, हम उस पिछड़े वर्ग की बात करने जा रहे है जो राजनैतिक दृष्टि से उपेक्षित है, जो धार्मिक दृष्टि में उपेक्षित है, जो सामा-

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जिक दृष्टि से उपेक्षित है, गवर्नमेन्ट की दृष्टि से उपेक्षित है, हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो दलित है और उस वर्ग की बात हम वहां करते हैं जहां कि बहुमत उन लोगों का है जो शोषित है, जो कि हमेशा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था से ग्रसित रहे हैं। हमको उनके बीच में बैठ कर चर्चा करनी पड़ती है, चिल्लाना पड़ता है, तो मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कोई सार नहीं है, हम चर्चा कर लेंगे, अखबार में नाम आ जायेगा, रिपोर्ट बन कर तैयार हो जायेगी, उससे होगा क्या। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की लोकसभा में सन् 52 में 173 ब्राह्मण मैम्बर थे, सन् 57 में 223 थे, 62 में 210, 67 में 192, 71 में 178 और 77 में 136 और आज 190 मैम्बर ब्राह्मण है। देश में वर्चस्व इन लोगों का है जो कि हमको लूटने में आगे रहे है....

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : विधान सभा में कितने हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह : यहां भी बढ़ते जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें। बैठे-बैठे बातें नहीं।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह आंकड़े हमारी विधान सभा के नहीं हैं। यह पार्लियामेन्ट के हैं। घबराइये मत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही तो एक बात समझ में आती है कि बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य के मन की बात कही तो वह तिलमिला उठे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बाधा नहीं डालें माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो आपका नाम भी नहीं लेना चाहता। मुझे तो आपका नाम लेते ही बुखार हो गया है, मैं तो नफरत करता हूं। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समय कम है माननीय सदस्य, कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप ध्यान से सुनें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा की स्थिति बताना चाहता हूं। 52 में 70, 57 में 128, 60 में 115, 64 में 102, 68 में 104, 70 में 113, 74 में 112, 78 में 84 और आज 89 सदस्य ब्राह्मण हैं राज्य सभा में। उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम इस तरह की चर्चा करें, जहां पर पिछड़े वर्ग के लोगों के हित के लिए सवाल उठे, जहां पर उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनाये जाते हैं, तो वहां पर क्या कानून बनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो उस वर्ग से आते हैं जिसके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो कि हमारे साथ किया जाता है। आपकी और हमारी सामाजिक स्थिति एक सी है। इसको आप गम्भीरता से सोचें कि किस तरह के कानून बनाये

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जाते हैं। आपको तो होटल में जाने का तो अधिकार है मुझे तो वह भी नहीं है, मेरी जाति को तो वह भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गांवों में चमार के साथ और भंगी के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वही हालत गरीब मुसलमान के साथ की जाती है, यह बात तो आप भी महसूस करते होंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार के कुछ अधिकारियों की बात बताता हूं। केन्द्रीय सरकार के प्रशासानिक अधिकारी 81 तक की जो सूचना मेरे पास है, राज्यपाल और उप राज्यपाल कुल 27 में से 13 ब्राह्मण हैं........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात के आंकड़े नहीं होंगे कि जेलों में कितने ब्राह्मण हैं ?

श्री गोपाल पचेरवाल : वह आप बतायेंगे, साहब।

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, श्रम) : हमारी जेल का आई. जी. भी ब्राह्मण है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन जेल के अन्दर कितने है ?

श्री दिनेश डांगी : वहां भी बहुत हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार गरीबों के संरक्षण की बात करती है, वहां पर ब्राह्मणों की संख्या राज्यपालों में 50 प्रतिशत है। श्रीमान्, राज्यपालों और उप राज्यपालों के सचिव 24 में से 13 ब्राह्मण है यानि 54 प्रतिशत, राज्यों के मुख्य सचिव 26 में से 14 ब्राह्मण हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल में कैबिनेट मंत्री 12 में से 10 ब्राह्मण, और कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों के 49 निजी सचिवों में से 34 याने 70 प्रतिशत, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव व उनके समकक्ष अधिकारी 500 में से 370 याने 62 प्रतिशत और उपकुलपति हैं 98 में से 50 याने 51 प्रतिशत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश 16 में से 9 याने कि 56 प्रतिशत, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 330 में से 166 याने 50 प्रतिशत।

श्री शिवराम शर्मा : और कोई ?

श्री गोपाल पचेरवाल : अगर आपको कोई परेशान हो रही है तो डाक्टर को बुला दूं।

श्री यदुनाथसिंह : यह पांच प्रतिशत लोग सारे देश पर छाये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाधा नहीं डालें। बैठे बैठे रिमार्क्स नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह कांग्रेस पार्टी है या ब्राह्मण पार्टी है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सब जगह मौजूद है। आप में हैं, इनमें हैं, इधर हैं उधर हैं।

श्री राम प्रसाद (रूपवास) : जनता पार्टी में कितने थे उनका भी तो प्रतिशत बतायें ?

कितने आपके यहां मंत्री थे, कितने

(श्री रामप्रसाद)

आपके यहाँ पर अधिकारी थे........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिना अनुमति के नहीं।

एक माननीय सदस्य : आपकी अनुमति तो अन्डरस्टुड है।

श्री गोपाल पचेरवाल : यह तो आप पहाड़िया जी से पूछें लड्ढा साहब, यह बात तो आप अपने पहाड़िया जी से पूछो।

श्री रामप्रसाद : राजस्थान विधान सभा में एक एस. सी. का डिप्टी मिनिस्टर था। आपके जनता पार्टी राज में तो वह भी नहीं था।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ की बात है, बुद्धि की बात है।

श्री दुलाराम : अब बोलो, इसका नाम लड्ढा है लड्ढा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुयी। पांच तक बजे का वायदा है उसको हम पूरा करेंगे। यह अब नेक्स्टसैशक में ली जायेगी। अब गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे लग रहा है कि आप भी ब्राह्मणों में हो गये हैं। मेरे पास थोड़ी सी राजस्थान की सूचना है वह भी बता दूं........

श्री उपाध्यक्ष : आपको हम तब भी बोलने की अनुमति दे देंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनटका समय और दिया जाय।

श्री यदुनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, छोटे वर्ग के हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ।

श्री शिवराम शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आंकड़े....

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर दखल नहीं देते तो अब तक खतम कर देते।

श्री गोपाल पचेरवाल : हाँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही ब्राह्मण अकेले नहीं हो, और भी हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के हमारे जो समाज कल्याण मंत्री है, वह बैठे हैं, गृह राज्य मंत्री जी भी बैठे हैं, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अभी एक माननीय विधायक ने जनता राज की बात कही थी, मैं जनता राज की बात बताना चाहता हूं। श्रीमान्, 5 सितम्बर, 1979 को राजस्थान सरकार ने डी. पी. सी. बैठायी, उसमें हमने राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियुक्त किया। श्रीमान्, यह लिस्ट है 29 आदमियों की, इसमें कुछ शिड्यूल्ड

Page No 181

(181)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कास्ट्स के पुलिस आफिसर थे, यह बात हमारे, माननीय कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, उनको बता रहा हूं ...:

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि हमारे डी. पी. की. में कितने पुलिस अधिकारियों को रखा लेकिन अब माथुर साहब के राज में 28 अगस्त, 81 को कन्फर्म किया गया है, श्रीमान्, 21 आदमियों को कन्फर्म किया गया है, एक भी आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स का नहीं लिया गया। मैं आपको बता सकता हूं, हमारे टाइम में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को लिया गया है, जनता पार्टी राज में लिया गया लेकिन माथुर साहब की सरकार में एक भी शिड्यल्ड कास्ट्स के आदमी को....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नहीं लिया गया उसका। मेरे पास........

(सम-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, यह आगमी सत्र में नये सिरे से शुरू किया जायेगा। उस वक्त आप फिर बोल लेना।

माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब सही बात बोलने जा रहा हूँ, तो आप मुझे रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य। आर्डर। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। आप नहीं कहने देना चाहते, शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात, मै कहना चाहता हूं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के साथ अन्याय किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं हाउस से पूछ लेता हूं, आपको टाइम दिया जाये या नही।

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार से पूछ कर आप टाइम देंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे कहा था कि 5 बजे राज्य मंत्री बयान देंगे, उस वक्त तक के लिए आपको बोलने की अनुमति है। 5 बज गए हैं और आप इन्सिस्ट कर रहे हैं। आपको आइन्दा बोलने का मौका दिया जायेगा।

राज्य मंत्री जी।

शासकीय वक्तव्य

श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री) : मान्यवर, आपकी अनुमति से।

श्री रघुनाथ सिंह, हैड कांस्टेबल, थाना खण्डेला की रिपोर्ट 21-7-82 तक थाना खण्डेला में अभियोग संख्या 61/82,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
धारा 307, 364 और 367 आई. पी. सी. के अन्तर्गत पंजीकृत कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। श्री रघुनाथ सिंह ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि श्री महादेव सिंह, सदस्य, राजस्थान विधान सभा में 11 बजे थाने पर आये और अपने निजी काम से पंचायत समिति, खण्डेला चलने को कहा, उस पर वह उनकी जीप में बैठकर उनके साथ रवाना हुआ, लेकिन जब जीप पंचायत समिति, खण्डेला की ओर न जाकर पंचायत समिति श्री माधोपुर की ओर जाने लगी तो उसे कुछ शक हुआ। उस पर उसने श्री महादेव सिंह से आग्रह किया कि वह जीप से नीचे उतार दें। रिपोर्ट में रघुनाथ सिंह ने यह भी आरोप लगाया, उनके इस आग्रह पर श्री महादेव सिंह ने उसे धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया और ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका और पीछे की ओर चलाते हुए जीप के दोनों पहिए उसके दोनों पैरों पर चढ़ा दिये। अपनी रिपोर्ट में उसने यह भी आरोप लगाया कि श्री महादेव सिंह श्री रतन लाल भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध पंजीबद्ध अभियोगों के बारे में उससे रुष्ट थे इस कारण उसे जान से मारने की नीयत से यह कार्य किया गया। पुलिस द्वारा श्री रघुनाथ सिंह, हैड कांस्टेबल का नीम का थाना के अस्पताल में डाक्टरी मुआयना कराया गया और प्रथम दृष्टया में पुलिस द्वारा अपराध बनना पाया जाने पर दिनांक 22-7-82 को श्री महादेव सिंह को गिरफ्तार पर दिनांक 23-7-82 को न्यायालय में रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया। इस पर न्यायालय ने दि. 28-7-82 तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखे जाने के आदेश दिये।

इस सम्बन्ध में जब कुछ विधायक व अन्य व्यक्ति माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले और उन्हें बल देकर कहा कि महादेव सिंह को पुलिस ने बदले की भावना से गिरफ्तार किया है और उनका मेडिकल एक्जामिनेशन भी गलत हुआ है तब राज्य सरकार के आदेशानुसार जयपुर स्थित एस. एम. एस. अस्पताल के तीन वरिष्ठ डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड दिनांक 24-7-82 को गठित किया गया। मेडिकल बोर्ड को यह भी निर्देश दिया गया कि वह तुरन्त सीकर जाकर श्री रघुनाथ सिंह का मेडिकल मुआयना करे। तदनुसार मेडिकल बोर्ड उसी दिन सीकर गया और श्री रघुनाथ सिंह का मेडिकल एक्जामिनेशन किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में एवं चिकित्साधिकारी नीम का थाना की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चोटों के बारे में विरोधाभास है।

मुन्सिफ एवं जुडिशियल जुमजिस्ट्रेट नीम का थाना द्वारा जमानत लिए जाने पर सत्र न्यायाधीश सीकर के समक्ष श्री महादेव सिंह की ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ लेकिन सत्र न्यायाधीश ने भी जमानत अस्वीकार कर दी। इसके पश्चात् 5-8-82 को श्री महादेव सिंह की जमानत उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। श्रीमान्, इस घटना की जांच राज्य अपराध शाखा से कराई जावे अथवा सी. बी. आई. से, इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं राज्य मंत्री जी से जानकारी करना चाहूंगा।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

महादेव सिंह के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने के पहले रघुनाथ सिंह या अन्य कांस्टेबल के अलावा पुलिस के पास और भी किसी प्रकार का कोई गवाह था या नहीं था, जिस गवाह को इन्डिपेण्डेंट कहा जा सके और यह भी कहा जा सके, कि पुलिस का कर्मचारी नहीं है? क्या महादेव सिंह को गिरफ्तार करने से पूर्व इस इस प्रकार की इंडिपेंडेंट-विटनेस केस डायरी में रिकार्ड की गयी? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने और खास तौर से मुख्य मंत्री जी ने श्री खेतसिंह जी व दो अन्य विधायकों की एक समिति नियुक्त की, जिस समिति ने मुख्य मंत्री जी को आकर जानकारी दी कि महादेव सिंह के मामले में पुलिस की एक्सेस है, पुलिस ने महादेव सिंह के साथ ज्यादती की? क्या यह सही है कि उस समय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि इस मामले की जांच सी. बी. आई. से करायी जायेगी?

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से भी जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि महादेव सिंह की गिरफ्तारी करने से पूर्व डी. आई. जी. ने राज्य मंत्री से पूछा और राज्य मंत्री जी ने जोधपुर हाउस में मुख्य मंत्री जी से टेलीफोन करके पूछा, खण्डेला से इस प्रकार की जानकारी आयी है, इस जानकारी के आधार पर महादेव सिंह को गिरफ्तार पुलिस करना चाहती है, इनको क्या कहा जाये? अन्तिम क्वेश्चन यह होगा कि क्या यह सही है कि जिस दिन घटना हुई, उस घटना के दिन महादेव सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया व घटना के दूसरे दिन महादेव सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि जिस समय नीम का थाना से डी. आई. जी. के सामने प्रश्न आया कि महादेव सिंह ने गोविन्दगढ़ के थानेदार की थाने में जाकर पिटाई की है, उसका बदल किस प्रकार से लेना है तब नीम का थाना में केस कनकाक्ट किया गया, कनकाक्शन के आधार पर खण्डेला के अन्दर केस रजिस्टर किया गया और उसके बाद में महादेव सिंह को गिरफ्तार किया गया? मैं इन्हीं बातों की जानकारी करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले एक बात का उत्तर आ जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने प्रश्न किया है कि कांस्टेबल की गवाही के और गवाह नहीं है। दूसरा प्रश्न जो विरोधी दल के नेता महोदय द्वारा किया गया डी. आई. जी. के बारे में वह सारी स्टोरी मनगढंत है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है.........

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : विधायक गिरफ्तार हो रहा है और आपको जानकारी नहीं है.........

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 22 तारीख को प्रातःकाल उदयपुर गया था। ईद मिलन के सिलसिले में मुख्य मंत्री महोदय ने सभी मिनिस्टर्स को अलग-अलग जिले में भेजा था उस सिलसिले में 22 तारीख को मोर्निंग फ्लाइट से उदयपुर गया था। चूंकि 23 तारीख को ईद थी इसलिए

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक दिन पहले जाना लाजमी था क्योंकि प्रातः 9.00 बजे ईद की नमाज अदा होती है, इसलिए एक रोज पहले मैं वहां चला गया था ईद मिलन समारोह में भाग लेने के लिये। डी. आई. जी. ने इस बारे में मुझसे पूछताछ की या मैंने कोई उन्हें इन्स्ट्रक्शन दिये यह बात, जो विरोध पक्ष के नेता महोदय ने कही है, बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं जानकारी करना चाहता था। एफ. आई. आर. में जो बात कभी लिखी नहीं जाती वह बात लिखी गई इसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय आप यह जानते हैं कानून मुख्य मंत्री जी के लिए, विरोधी दल के नेता के लिए या सदन के अन्य किसी सदस्य के लिए एक ही प्रकार का है। यदि मैं कोई अपराध करता हूं तो मुझे कोई विशेष प्रकार का अधिकार हो या किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार हो, आई. पी. सी. में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने बहुत से ऐसे मामले देखे होंगे लेकिन ऐसा मामला नहीं देखा होगा जो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। एफ. आई. आर. का लास्ट पोर्शन। एफ. आई. आर. के लास्ट पोर्शन में लिखा है, "मजबूर रिपोर्ट व मुआयना मंजूरी के जुल्म दफा 307, 364, 367 का गठित होना पाया जाता है क्योंकि मामला एक विधायक से सम्बन्धित है अतः मैं एस. एच. ओ., सी. आई. मजबून को हमला लेकर वाकिये रेबरी व खिदमत श्रीमान् सी. ओ. नीम का थाना रवाना हुआ। निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी सी. आई. एस. डी. गणपत लाल एस. एच. ओ. खण्डेला"।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा। यदि मैंने एक हैड कान्स्टेबल के या किसी भी व्यक्ति को मारने के इरादे से जीप के नीचे दबाया हो, अटेम्प्ट टू मर्डर का अगर मैंने अपराध किया हो उसमें रेवरी लेने की क्या आवश्यकता है? किस बात की एडवाइस लेना चाहते थे? क्या आई. पी. सी. का इन्टरप्रिटेशन वह नहीं कर सकता था? आई. पी. सी. की पर्टीक्यूलर धारा कौन-सी लगाई जाय, इसका उसे ज्ञान नहीं था। क्या इसलिए रेबरी लेने के लिए नीम का थाना गये? क्या यह सही है कि रेबरी लेने के लिए जिस समय नीम का थाना गये उस समय वहां पर एस. पी. और डी. आई. जी. दोनों थे? वहां पर रेबरी का प्रश्न नहीं था, प्रश्न केवल यही था कि महादेव सिंह से बदला लेने के लिए गिरफ्तार किया जाय। यह प्रश्न वहां आया, इस चीज को आप मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि एफ. आई. आर. में इस बात का संकेत किया गया है, रेवरी लेने के लिए गए। महादेवसिंह के खिलाफ जिस समय गोविन्दगढ़ में कोई केस बनता है उस समय रेबरी नहीं ली जाय, महादेव सिंह के खिलाफ और कोई मुकदमा हो तो उसमें रेवरी नहीं ली जाय, और कोई विधायक के खिलाफ मुकदमा बनता हो तो उसमें रेबरी नहीं ली जाय लेकिन महादेव सिंह के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया था इसलिये रेवरी लेने की व्यवस्था करनी पड़ी, रेवरी लेने की आवश्यकता हुई। रेवरी ली डी. आई. जी. से, रेवरी ली एस. पी. से और दोनों ने मिलकर गोविन्दगढ़ में महादेव सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया गया उसके आधार पर बदला लेने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, महादेव सिंह को गिरफ्तार किया गया है, यह बात मैं नहीं कहता, उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में जो जमानत लेने की एप्लीकेशन पेश हुई, हाई कोर्ट का जजमेन्ट आपने देखा होगा, उस जजमेन्ट में हाई कोर्ट ने स्वयं ने कहा है—

"It can not be disputed that all the injuries sustained by the victim are on the lower part of the legs."

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक कामनसेन्स की बात करता हूं। इस सदन के कोई मेरे से दुगने शरीर वाले गाड़ी चला लें, गाड़ी एक हाथ से चला लें और मुझे बराबर बैठाकर गाड़ी से धक्का दे दें तो मैं समझूं कि महादेव सिंह की गिरफ्तारी वाजिब है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक कभी नहीं देखा होगा। एक व्यक्ति गाड़ी भी चला रहा है, दोनों हाथों से, स्टेयरिंग उसके हाथ में है, स्टेयरिंग के पास में दो सीट होती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी नजदीक बैठा है उस नजदीक बैठे आदमी के धक्का दे दे। है कोई ताकतवर ऐसा गामा पहलवान। मुझे तो आज की विधान सभा में कोई दीखता नहीं गामा पहलवान, जो इस तरह पकड़कर गाड़ी भी चला ले और उसको फेंक दे।

एक माननीय सदस्य : ये है गामा पहलवान।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आप पहलवान साहब खड़े हो जाओ। आपको भी देख लें, कैसे गामा पहलवान है। देख यह लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगायें, आपने कभी रघुनाथसिंह को देखा होगा, वह रघुनाथसिंह को नहीं फेंक सकते, अब उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय·······

श्री उपाध्यक्ष : चालान पेश हो गया क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चालान तो पेश नहीं हुआ, चालान होने के बाद तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं सब जुडिस मैटर्स में बोलता नहीं, चालान नहीं हुआ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरा आरोप क्या है, उसको धक्का देने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चला दी। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बहुत गाड़ी मैं भी चलाता हूं। लेकिन मेरी गाड़ी के पीछे कोई आदमी आ जाय इनमें से कोई पहलवान, दो पहिये मुझे निकालने दे और फिर वह भागकर थाने में चला जाय। फिर तो टांग वहीं रह जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, चलने की आवश्यकता नहीं होगी। बल्कि कोई स्ट्रेचर पर उठा कर ले जायेगा। अब दो बातें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिलकुल सरासर असत्य मालूम होती है, गाड़ी से धक्का देकर पटक दिया और धक्का देने के बाद गाड़ी पीछे लेकर दो बार व्हील उसके पैरों पर चला दिये, उपाध्यक्ष महोदय, पैरों पर दिये और इन्जरी किस प्रकार की है, उसके लिए हाई कोर्ट कहती है कि·······

"It can not be disputed that all the injuries sustained by the victim are on the lower part of the legs and all of them are simple."

जीप निकलती है सिम्पल इन्जरी होती है, भगवान जाने क्या लोहे की हड्डियां थीं पैरों में जो जीप निकलने के बाद भी टूटी नहीं, मोच नहीं आई केवल चमड़ी के ऊपर थोड़े एम्ब्रेजन्स हो गये लोअर पार्ट में, वह लोअर पार्ट नहीं, पैरों के लोअर पार्ट की कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि—

"By no stretch of imagination it can be said that the principal witness, who is a police officer and who is injured himself, can be tampered with. There is no danger of the accused absconding from Rajasthan" आगे इस तरह से कह कर उन्होने जमानत ले ली। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, तमाशा क्या हुआ ? अपराध क्या हुआ ? महादेवसिंह के बारे में मैं आज कह सकता हूँ, खण्डेला गया नहीं हूँ लेकिन मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि महादेव सिंह शाम के 7 बजे के बाद खण्डेला में थे, जितनी एविडेन्स आपको लेनी हो मैं एविडेंस देने को तैयार हूँ, जिस समय का वकुआ बताया गया है उस समय महादेवसिंह नहीं था, महादेवसिंह खण्डेला में नहीं गया,

अध्यक्ष महोदय, एक विधायक के खिलाफ पुलिस बदला लेने की भावना से यदि इस प्रकार का केस रजिस्टर करती है, तो मुख्य मन्त्री जी, मैं समझता हूँ कि आपकी कोई नीयत खराब है। मैं आपकी नीयत पर किसी प्रकार सन्देह करूं लेकिन आपको बार बार आगाह करना चाहता हूँ, कि आप पुलिस के चंगुल में जिस तरह से फंसते जा रहे हैं खुद तो फसेंगे ही लेकिन हमारा भी सत्यानाश करवायेंगे। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जो डराया जा रहा है बार बार कि गोविन्दगढ़ के थानेदार की पिटाई कर दी इसलिए पुलिस में बहुत बड़ा रोष है। यदि महादेव सिंह को छोड़ दिया गया, महादेवसिंह के खिलाफ कोई सख्ती नहीं की गई तो पुलिस बगावत कर देगी, बगावत के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है; कोई पुलिस बगावत नहीं करेगी। पुलिस की समस्याओं का समाधान करते जाओ पुलिस हथियार नहीं उठायेगी, समस्याओं के बारे में हम समाधान नहीं करेंगे, तो पुलिस में कुछ न कुछ विद्रोह हो सकता है, पुलिस में कोई न कोई मांग हो सकती है उठ सकते हैं, सब कुछ है लेकिन लोगों की गिरफ्तारी होती जाय और हम इसलिए डरते जायं कि पुलिस वाले इसको बुरा मानेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सोच लें, मैं भी सोच लूं और यह सदन भी सोच ले आखिर इसका

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

बुरा नतीजा क्या होगा ? इन घटनाओं की यदि पुनरावृत्ति इसी प्रकार होती रही तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहूँगा, मुख्य मंत्री जी, आपकी शान इसमें है, आपका बड़प्पन इसमें है। आप केवल महादेवसिंह के नेता नहीं हैं, सदन के नेता हैं। केवल सदन के नेता नहीं सदन के नेता के रूप में आप राजस्थान के नेता हैं— राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी आपकी है। आपका बड़प्पन समझूंगा कि आप हाउस में खड़े होकर कह दें कि महादेवसिंह की गिरफ्तारी गलत ढंग से हुई है और महादेवसिंह को जिन लोगों ने गिरफ्तार किया है उन लोगों को सजा दी जायगी किसी प्रकार के इन्वेस्टीगेशन की की आवश्यकता नहीं है। केस बिल्कुल झूठा है, झूठ को झूठ के रूप में मान कर यदि चलें, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि सदन की शान बढ़ेगी, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन जिस प्रकार से खराब हो रही है उसके सुधार होने में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्रीजी से चाहता हूं कि वह स्वयं बतायें, उपाध्यक्ष महोदय, हालत तो महादेवसिंह की खराब हुई है लेकिन हालत खेतसिंह जी की भी खराब कर दी है, रिपोर्ट दी इन्होंने। बड़े जोश में गये, दो विधायक थे, सूर्यकुमार जी थे मेरे ख्याल से एक और तीसरे कौन-थे, तकीउद्दीन ! तीन की रिपोर्ट आई, अखबारों में छपा, मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि उसके साथ ज्यादाती हुई है। उसके बाद में उसकी सुनवाई किसने की ? किसी ने नहीं की। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। महादेव सिंह की इज्जत खराब कर दी। उसकी इज्जत खराब करने के साथ साथ अपने मुख्य सचेतक की भी इज्जत खराब कर दी, उनकी रिपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई काग्नीजेंस नहीं लिया, कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा यह होता, महादेवसिंह, जिनके साथ घटना हुई, मैं समझता हूं सदन उनको भी सुन ले। लेकिन सब कुछ रखने के बाद श्री महादेवसिंहजी यह बतावें कि वास्तविकता क्या है उनके साथ किसी प्रकार से न्याय हुआ, किस प्रकार से अन्याय हुआ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ घटना घटी है उसकी निन्दा करता हूँ, मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न घटें, इसकी व्यवस्था करें और श्री महादेवसिंहजी की जिस प्रकार से आपने मानहानि की है, विधायक के पद की गरिमा को जिस प्रकार से घटाया है उसके लिये आप हाउस में खड़े होकर खेद प्रकट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक इन्फार्मेशन देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेरे साथ भी कल पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट....

एक माननीय सदस्य : इनको बाहर लेने पुलिस खड़ी है।

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : मैं एक इन्फार्मेशन देना चाहूंगा, कल मेरे साथ भी इसी प्रकार की झूठी रिपोर्ट पुलिस अजमेर ने दर्ज कर कार्यवाही की....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : That is not the dispute, यह मामला सदन के सामने नहीं है। आप विराजिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : मैं इन्फार्मेशन तो दे सकता हूं, साहब।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बजारी कह रहे थे, पुलिस ने मेरे साथ ऐसी हरकत की है। इसलिए यह सभी के साथ हो सकती है। इसलिये इनको सुना जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह जानकारी मिली है कि पुलिस बाहर खड़ी है। उनको बोलने देना चाहिये पता लग जाय, असलियत क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : I am not guided by any individual.

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे खिलाफ भी पुलिस ने....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना अपना मामला मत उठायें।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि जो 307, 364 और 367 में एफ. आई. आर. लॉज हुई और 22.7.82 को श्री महादेवसिंहजी को गिरफ्तार किया और 23/7 को उन्होंने न्यायालय में पेश किया रिमाण्ड के लिए। मंत्री महोदय, मेरे तीन क्वेश्चन का जवाब दे दें, क्या आप यह महसूस करते हैं कि श्री महादेवसिंह जी ने चोरी या डकैती की जिसका माल पुलिस को बरामद करना था इसके लिए रिमाण्ड लिया है ? अगर उनसे कोई बरामदगी बाकी नहीं थी तो क्या पुलिस ने श्री मेहादेवसिंहजी से रंजिश निकालने के लिए सात दिन तक केवल इसलिए कि थाने में बिठा कर बेइज्जती की जाय रिमाण्ड लिया ? नम्बर-1। नम्बर-2, क्या 22/7/82 को राजस्थान पुलिस के डी.आई.जी. बलवन्तसिंह जी, नाम नहीं लेना चाहिए, जयपुर रेन्ज ने रंजिश निकालने के लिए श्री महादेवसिंह जी को गिरफ्तार करवाया ? इन तीनों बातों जवाब दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह राज्य मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि जिस तरह से महादेवसिंह जी की गिरफ्तारी हुई, आपको क्या इसकी जानकारी है कि तीन सौ पुलिस के सिपाही,

(श्री मोहन लाल मोदी)

जिस वक्त यह भूमि विकास बैंक की मीटिंग में थे, ने चारों तरफ से उनको घेर लिया ? कई उसमें डीवाई. एस. पी., कई थानेदार मौजूद थे और इन्वेस्टीगेशन आफिसर स्वयं वहां मौजूद नहीं था और वहां के ए. एस. पी. चौहान ने इनको वहां गिरफ्तार किया, क्या आपको यह जानकारी है ? और 4 बजे गिरफ्तारी की और 7 बजे गिरफ्तारी दर्ज की गई है, क्या यह भी आपकी जानकारी में है ? दूसरी बात एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो डी. आई. जी. जयपुर रेन्ज के उस समय थे, उनके बारे में एक पुरानी घटना निवेदन करना चाहूंगा कि 64 के अन्दर यही डी.आई.जी. महोदय भीलवाड़ा में एडीशनल एस. पी. थे । उस वक्त की एक घटना मैं आपके सामने निवेदन करना चाह रहा हूं और ऐसी घटना को देखते हुए जो आदी हैं इस तरह के उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं । सन् 64 की 18 मार्च को यह राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही है जिसमें यह स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ है इस बात का कि भीलवाड़ा के अन्दर दो वकीलों और 15-20 लोगों को वहां थाने में बुलाकर पीटा गया । इसके बारे में यहां विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ उस वक्त सारे माननीय सदस्यों ने यह चाहा कि वहां के थानेदार को, वहां एडीशनल एस. पी. जो मौजूद थे इन सबको सस्पेण्ड किया जाय । इस मांग के बाद यहां बहुत डिस्कशन होने के बाद विधान सभा में, पहले थानेदार को सस्पेण्ड किया गया और इसके बाद में एडीशनल एस. पी., जो उस वक्त यहां डी.आई.जी. थे, को सस्पेण्ड नहीं किया । इसके बारे में फिर विधान सभा में शोर हुआ तब यह जा करके इस तारीख को यह विधान सभा की कार्यवाही के अन्दर मौजूद है, उनको सस्पेण्ड किया जा कर के विधान सभा के माननीय सदस्यों को सन्तोष दिलाया । यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह इस तरह से 21 मार्च की कार्यवाही है जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं - सरकार की ओर से जैसी कि मुझे सूचना मिली है ए. एस. पी. को सस्पेण्ड करने का निश्चय सरकार ने लिया है । मैं समझता हूं इससे माननीय सदस्यों की काफी बड़ी मांग स्वीकार हो गई । तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं इस मामले में एस. पी. की हिम्मत नहीं है वह उसको गिरफ्तार करवाये, डिप्टी एस. पी. की हिम्मत नहीं है कि एक विधायक को इस तरह से गिरफ्तार करे इसमें उच्चाधिकारियों की जिस किसी की भी है, मैं तो जहां तक समझता हूं कि डी.आई.जी. के इशारे पर, डी.आई.जी. के आदेश से यह गिरफ्तारी हुई है । जब माननीय राज्य मन्त्री महोदय को यह जानकारी नहीं माननीय मुख्य मन्त्री जी को जानकारी नहीं तो इसके आदेश देने वाले अधिकारी को इस हाउस के अन्दर आप यह अनाउन्स करें कि डी.वाई. एस. पी. जो इन्वेस्टीगेटिंग आथोरिटी है और डी.आई.जी. जिन्होंने आदेश दिया है, आप सदन को विश्वास दिलायें कि उनको सस्पेण्ड कर दिया गया है यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न । क्या मन्त्री

(श्री मेघराज तावड़)

महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे, किसी भी सांसद या एम. एल. ए. को....

(व्यवधान)

एक मिनट बोलने दें।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को प्रश्न पूछना है

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब महादेव सिंह जी की गिरफ्तारी हुई उस समय मैं भी वहां पर मौजूद था। महादेव सिंह जी भूमि विकास बैंक की मीटिंग में थे। जब मुझे यह मालूम हुआ कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो मैं वहां पर गया। मैंने जब वहां सारा वातावरण देखा जैसे उस बैंक के चारों ओर 300 आदमी, तीन चार डी.वाई. एस. पी. दस सब-इन्सपेक्टर इस तरह से घेर रखे थे जिस तरह से बहुत बड़ा डकैत पकड़ने के लिए बैंक की बिल्डिंग को घेर रखा हो। जब मैंने वहां जो ए. एस. पी. हैं उनसे यह पूछा कि भई क्या बात है, क्या कैसे है, किस तरह से यह वारदात हुई ? उन्होंने कहा है कि हमको कोई मालूम नहीं है हम सिर्फ इनको गिरफ्तार करेंगे। मैंने उनसे यह भी कहा कि महादेवसिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए इतने आर. ए.सी. के जवानों की क्या जरूरत है। दो-तीन डीवाई. एस. पी. वहां के दस थानेदार इनकी क्या आवश्यकता थी एक दो आदमी भी इनको गिरफ्तार कर सकते थे। इसलिए जो किया गया वह महज इसलिए किया गया कि एक विधायक की प्रतिष्ठा गिराने के लिए और यह दिखाने के लिए कि हम सुपरमैन हैं हम जो करते हैं वह शो करने के लिए कि लोग इससे भयभीत हों, भयभीत करके हम एम. एल. ए. को गिरफ्तार कर सकते हैं तो साधारण आदमी की क्या बात है इसलिए यह किया है।

(व्यवधान)

वहां एस. पी. से जब इस बात के लिए पूछा क्या बात हुई ? कभी यह बात हो नहीं सकती कि कोई आदमी जीप में बैठ-कर दूसरे आदमी को गिरा भी दे। उसको मारने की नीयत से किया है, आपने 307 का केस रजिस्टर किया है। ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, 6 बजे महादेवसिंह जी थाने में आये थे और थाने में उनके और हेड कान्स्टेबल से आपस में तकरार हो गई। तकरार होने से उनको मारने के लिए महादेव सिंह जी ले गये। महादेवसिंहजी 6 बजे आये उनसे तकरार हुई, आपस में बोलचाल हुई और फिर 11 बजे हैड कान्स्टेबल साहब उनके साथ जीप में बैठकर चले गये, उस समय मोहब्बत हो गई वापस। यह सारी मनगढ़न्त बात थी और यह जो किया गया इसका बैकग्राउण्ड यह था कि गोविन्दगढ़ की घटना को लेकर यह दिखाने के लिए किया गया था कि हम जो करते हैं कोई आदमी नहीं बोले कि हम जो कुछ करते हैं, चाहे न्याय करें, चाहे अन्याय करें, हम ठीक करते हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय उनको सस्पेण्ड किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिये। मेरा यही निवेदन है।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिन पाइन्ट क्वेश्चन हैं मैं आपके माध्यम से दो तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा । जरा गौर से सुनना, साहब, जैसा विपक्ष के नेताजी ने भी प्रश्न किया था, प्रश्न के साथ मैं निवेदन करूंगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री छोगाराम बकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, रघुनाथ सिंह को एम. एल. ए. साहब ने अपने हाथ से उठा कर फेन के माफिक पीछे धकेला था क्योंकि स्टेटमेंट में यह दिया गया है कि महादेव सिंह ने पीछे धकेल दिया तो क्या चलती हुई गाड़ी में हाथ उठाकर, हाथ लम्बा करके नीचे धकेला ? इस का खाका कोई मुझे बतावें । किस तरह से उनको आगे पीछे लेकर हाथ से नीचे धकेला और उसके ऊपर गाड़ी बेक लेकर गाड़ी चला दी । तो मै यह चाहता हूं कि क्या उसके पास कोई वीटो पावर आ गई थी या हाथ लम्बा करने की कला आ गई थी कि उन्होंने उठाकर खिलोने के माफिक फेंक दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपचन्द ।

श्री दीपचंद (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने मुख्य मन्त्री और सरकार से दो बात कहना चाहता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने माननीय सदस्य के साथ जो घटना घटी उसकी जानकरी सभी माननीय सदस्यों ने दी है, विपक्ष के नेता ने भी अपनी जानकारी दी है । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह तो सत्य और अहिंसा का पुजारी और गरीब महादेव ही था जिसकी पुलिस इतने अत्याचार और जुल्म करके इस तरह मान-मर्यादा और इज्जत ली हैं । उसकी जगह यदि मैं होता तो पुलिस को मजा चखा देता । मैंने मेरे मिलने वाले पुलिस के दोस्त से कहा जिस तरह महादेव को गिरफ्तार करके तुमने जेल में रखा है उस तरह दीपचन्द को रखो । मैं जेल में होता तो बाहर के बदमाशों से बीमारी मिटा देता । माननीय उपाध्यक्ष जी, महादेव कोई खतरा नहीं हैं और हमारे माननीय सदस्य कोई खतरा नहीं हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक स्वतन्त्रता सेनानी हूं, मैंने देश की आजादी के संग्राम में 1945-46 में भाग लिया था, मैंने जेल काटी है, मैंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया है । मैं माननीय सदस्यों को एक बात से आगाह करना चाहता हूँ, लोकतन्त्र और जनतन्त्र में सभी माननीय सदस्य देश का, और राष्ट्र का निर्माण करते हैं । अगर पुलिस के कर्मचारियों पर काबू नहीं किया तो यह प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र को तोड़कर चकनाचूर कर देंगे । देश की आजादी के लिए हजारों-लाखों आदमी शहीद हुए हैं, देश की आजादी को बचाना है, प्रजातन्त्र को कायम रखना है, तो मैं हमारे मुख्य मन्त्री जी श्री माथुर जी से प्रार्थना करूंगा कि इस देश व राष्ट्र को बचाने के लिए, महादेवसिंह को बचाने के लिए नहीं, दीप चन्द को बचाने के लिए नहीं, भैरोंसिह शेखावत को बचाने के लिए नहीं, राष्ट्र को बचाने के लिए इन पर काबू पाइये । काबू में नहीं आते हैं तो मैं भी विधायक हूं,

Page No 192

(192)

(श्री दीप चन्द)

कांग्रेस (आई) का विधायक हूं मैं सभी माननीय सदस्यों से कहता हूं, मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करता हुं कि सात दिन के लिए मुझे मुख्य मन्त्री बना दीजिए और फिर देखिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री महादेवसिंह विधायक के बारे में जो राज्य मन्त्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, इसी सिलसीले में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मुझे, श्री तकीउद्दीन और श्री सूर्यकुमार जी को मौके पर इसलिए भेजा कि आप वस्तु स्थिति मालूम करके यहां आये। हम तीनों यहां से सीकर गये, सीकर से खण्डेला गये और वहां से नीम का थाना गये। हमने तीनों स्थानों पर जनता के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से यात की वहां के स्थानीय एम. एल. एज. और जो कोई रिप्रेजेंटेटिव थे उन से बात की, वहां के अधिकारी, कलेक्टर, एस. पी. और उनके मातहत आफिसरों से बात की और नीम का थाना जेल में जाकर श्री महादेव सिंह जी से बात की। हम जिस नतीजे पर पहुंचे थे, उसकी रिपोर्ट हमने भी मुख्य मन्त्री जी को दे दी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि 307 का केस श्री महादेव सिंह के खिलाफ बनाया गया है वह बिलकुल जानबूझ कर के एक विधायक की इज्जत लेने के लिए बनाया गया है। आज जो स्टेटमेंट इन्होंने पढ़ कर सुनाया, मुझे ज्यादा समय लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि विरोधी दल के नेता ने साफ कहा, मैं भी इसी ओपिनियन का हूँ, यदि जीप के टायर किसी के पैरों के ऊपर से निकल जायें और फिर वह उठ कर वहां से भाग जाये और उनको मामूली खरोंच आये, यह बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए यह सारी स्टोरी बनाई हुई है। हमने श्री महादेवसिंह से जेल में जाकर बातचीत की। उन्होंने भी यही बात हमसे कही कि उनकी गोविन्द गढ़ में थानेदार से बोलचाल हुई थी और उस पर उन्होंने वहां पर थानेदार से यह कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट करूंगा और आपके खिलाफ एक्शन लिवाने की कोशिश करूंगा। तब से ही पुलिस के और उनके अनेक गांठ बंध गई थी। इसमें बड़े अधिकारियों का भी हाथ है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यह सारा केस श्री महादेव सिंह के खिलाफ बनाया गया है, इसमें पुलिस की भर्त्सना करनी चाहिये। उन्होंने सही रूप में सही केस नहीं बनाया, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज इंवेस्टीगेशन चल रहा है, इस बारे में मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं कह सकता कि इंवेस्टीगेशन में क्या होगा, लेकिन इंवेस्टीगेशन निश्चित तौर पर निष्पक्ष होना चाहिये, किसी ऐसी निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा होना चाहिये जिससे तथ्य सामने आयें। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेवसिंह अगर बोलना चाहें तो....

एक माननीय सदस्य : पहले उनको बोलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह ।

श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : सबसे पहले तो मैं गोविन्द गढ़ की घटना को लेकर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री यदुनाथसिंह : सुनो भई, मैं दो तीन प्रश्न करना चाहूंगा । सबसे पहले तो यह कि महादेवसिंह जी की जो घटना गोविन्दगढ़ की घटना से जोड़ कर, थानेदार की पिटाई की घटना से जोड़ कर बनायी जा रही है, क्या यह सही है कि उस थानेदार ने एक एस. सी. के आदमी को मार कर डाल दिया था जंगल में ? इस बात को स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने भी स्वीकार किया है । दूसरा, महादेव सिंह की गिरफ्तारी की गई क्या उसके बारे में वहां की पुलिस ने सरकार से या राज्य मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री से पूछा था ? तीसरा, वहां पर क्या तीन-चार सौ आदमी गये थे ? क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आई थी, सी. आई. डी. की या सीक्यारिटी की कि महादेवसिंह के गिरफ्तार करने से लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है जिससे फोर्स की जरूरत है ? चौथा, खेतसिंह जी की रिपोर्ट तो उन्होंने बता दी । पांचवा, मेडिकल रिपोर्ट और जो वहाँ की एम. एल. आर थी उसमें क्या विरोधाभास है आपस में ? एक बात और मैं पूछना चाहता हूं पुलिस ने जो रिमाण्ड लिया उस रिमांड लेने का आधार क्या था ? उसने किस आधार पर रिमांड किया ? आप इसका स्पष्टीकरण करवायें ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : जैसा कि रघुनाथ सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जीप पैरों के ऊपर से निकल गई और....

श्री उपाध्यक्ष : जो बात कही है उसको दोहरायें नहीं ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : वही बात कह रहा हुं । उसने रिपोर्ट दी कि मेरे साथ में ऐसा वाकया हुआ

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एकमिनट, मेरी बात सुन लें आप । उसने जो रिपोर्ट लिखाई कि मेरे साथ ऐसा वाक्या हुआ तो कोई ऐसी बात थी क्या केस दर्ज हो । रिपोर्ट आ गई, वहां की लोकल मेडिकल रिपोर्ट उसने हिसाब से उन्होंने देखा नहीं कि 307 का केस बना या नहीं बना, फिर भी 307 सैक्शन को कायम रखा । आज तक किसी आफिसर ने जानने की कोशिश की कि 307 का केस बनाया है, 307 का मतलब है अटेम्प्टर टू मर्डर । इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर था ही नहीं । 307 हटने के बाद न तो सी.जे.एम. से बेल के हिसाब से रुकावट नहीं होती थी । पुलिस ने अपना हथियार कायम करने के लिए 307 का केस दर्ज कर दिया । आज केवल 307 सैक्शन को हटाया गया । अगर ऐसा

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

मालूम है कि झूठा मुकदमा बनाया है तो पुलिस आफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं शक्ति से इम्मीजिएट एक्शन लेकर करके, उनको सस्पेण्ड करके आगे कार्यवाही शुरू की जाती है, वरना तो कोई कार्यवाही होने का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की, इस सदन की और यहां पर आने वाले सभी माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा पर एक बहुत ही बड़ा आघात पहुंचा है। मैं मुख्यमन्त्री को आगाह करना चाहूंगा कि यह एक ऐसी कड़ी शुरू हो गई है जिसका दूसरा शिकार माननीय श्री विष्णु बजारी होंगे जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. लोज हो चुकी है। इसके लिए अगर सरकार कदम उठाने में असमर्थ है तो हम सदन में आने वाले माननीय सदस्य माननीय दीपचन्द के नेतृत्व में वही कदम उठायेंगे जिसको सरकार नहीं उठा पाई है। इतना गम्भीर सवाल है और सरकार लचर जवाब देकर संतुष्ट हो गई ? यह बहुत ही गलत चीज है इसके लिए जो पुलिस के ऊपर डी. आई. जी. महोदय है वास्तव में मेन कलप्रिट वही हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। एस. पी. सीकर को मैं जानता हूं, एडीशनल एस. पी. को जानता हूं, डीवाई. एस. पी. को जानता हूं, वे कुछ नहीं हैं। इस पिक्चर के पीछे तत्कालीन डी. आई. जी. हैं। उनके खिलाफ कदम उठाने में अगर आप असमर्थ हैं तो वैसा कहिए ताकि आपकी छवि स्पष्ट हो कि आप विधायकों की बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं।

मैं आपको आगाह करता हूं कि विष्णु बजारी पर दूसरा हमला होगा निश्चित रूप से। इसलिए सरकार को कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए और इसमें किसी बात की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे सदन का समर्थन प्राप्त है, फिर क्यों नहीं करते ? बहुत गम्भीर मसला है, सरकार को पुनर्विचार करके निश्चित रूप से कठोर कदम उठाने चाहिए।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, काफी लोगों ने इस पर चर्चा की है। मैं तो एक बात ही बताना चाहता हूं। कांग्रेसी विधायक पिटे, उस पर कार्यवाही नहीं हो तो फिर हरिजनों की सुनवाई कब होगी ? इसलिए मैं यह आपके द्वारा मुख्य मन्त्री से कहना चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। विधायक दल के मुख्य सचेतक और दो विधायकों ने जाकर पता लगाया। राजस्थान के कितने आदमी, गांव-गांव में हरिजन कुटते होंगे, उनकी तो आकर रिपोर्ट कौन देगा ? इस पर भी कार्यवाही न करें तो पुलिस गरीब हरिजनों को ले बैठेगी दे गड़ागड़, दे गड़ागड़। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए, यही कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा बात नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगी, श्रीमती मल्होत्रा।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री से जानना

(श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा)

चाहती हूं कि क्या इस डी. आई. जी. के खिलाफ आपके पास कोई लैटर डी.एस.पी. डालचन्द ने दिया है, जिसमें है कि हमारे देश की नेता इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा इस डी. आई. जी. बलवन्त सिंह ने तो क्या यह हमारे विधायकों को छोड़ेंगे? इन्होंने सुन्दर कांड में हमारी नेता और स्वर्गीय संजय गांधी को फंसाने की बहुत कोशिश की थी। क्या मुख्य मन्त्री बता सकते हैं कि क्या यह बात ठीक है? सच है? जो हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी को नहीं छोड़ सकते तो हम एम. एल. एज. क्या हैं उनके सामने? मुख्य मन्त्री इसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, यह सोचने की बात है। हमारी नेता को ही नहीं छोड़ा तो इसके खिलाफ क्या करेंगे? जब मुख्य मन्त्री महोदय ने डालचन्द डी. एस. पी. को एक साल का एक्सटेन्शन देने के लिए लिखा यह जब बलवन्त सिंह को मालूम पड़ा कि इनको एक साल का और एक्सटेन्शन मिल जायेगा तो उन्होंने किसी बहाने उनकी फाइल दबा दी ताकि उनका केस, डी.आई. जी. का केस बाहर नहीं खुले सुन्दर कांड के मामले में, क्योंकि डालचन्द को इन्होंने जबरदस्ती यह कहा था कि आप इंदिरा जी और संजय जी के खिलाफ बयान दीजिए जो डालचन्द ने नहीं माना। उन बेचारों को रिवार्ड मिलना चाहिये था। डालचंद, जो डी. एस. पी. थे, को कुछ नहीं मिला और इनको आज तक किसी भी रेंज में नहीं लगाया। इस डी. आई. जी. को हमारे मुख्य मन्त्री जी ने आखिर जयपुर रेन्ज में लगा दिया। यह इनको हमारी नेता व हमारे स्वर्गीय संजय गांधी के खिलाफ काम करने का रिवार्ड मिला है? मैं मुख्य मन्त्री से प्रार्थना करती हूं कि जैसे भी हो इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए ताकि आगे भी विधायकों के खिलाफ ये ऐसा काम न करें।

श्री उपाध्यक्ष : गृह राज्य मंत्री उत्तर देंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मुझे भाषण नहीं करना है, मुझे दो प्रश्न पूछने हैं।

(व्यवधान)

श्री देव दत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सारी घटना को सुन कर बहुत ज्यादा अफसोस है। जितनी पुलिस ने कार्यवाही की है मुख्य मन्त्री को बिल्कुल अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने गलती की है और उसके लिए सजा तजवीज करनी चाहिए। यदि मुझे पूरी स्वतन्त्रता है तो मैं यही कहूंगा कि वह मजिस्टेट भी सही नहीं था जिसने वहां जाकर मौका देखा और फिर जमानत नहीं ली। उसके खिलाफ भी यदि हम कुछ कर सकते हैं तो वह भी करना चाहिए। यह एक सालीटरी केस था जिसमें मजिस्ट्रेट ने वहां जाकर मौका देखा और फिर इस तरह की बातें लिखीं कि इस तरह की वारदात हुई है। मैं समझता हूं, यह बिलकुल गलत बात थी, उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मजिस्टेट के खिलाफ तो हाई कोर्ट करेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक प्रश्न जो दबा हुआ रह गया है, अभी भी सदन के सामने नहीं आया वह प्रश्न करना चाहूंगा। मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह यह कांड हुआ उसका डाक्टरी मुआयना नहीं कराया तो क्या पास में थोई, श्री माधोपुर और रास्ते में कान्वटी, ये तीन और अस्पताल नहीं थे जहां डाक्टरी मुआयना कराया जाता ? उन सब को छोड़ कर पुलिस द्वारा स्पेशली सीकर ले जाकर पर्टीक्यूलर डाक्टर के द्वारा डाक्टरी मुआयना कराने का क्या मतलब था ? नीम का थाना में कराने का क्या मतलब था ? क्या उस डाक्टर, जिसने इसका मुआयना किया वहां जिले के एस.पी. जिले के कलेक्टर से जाकर कहा कि इसके फ्रेक्चर है ही नहीं तो मैं कैसे लिखूं ? तो उन्होंने कहा, हम फ्रेक्चर कर देंगे तुम फ्रेक्चर लिख दो। यह तैयारी थी कि यदि डाक्टर मजूर कर लेता तो उसको फ्रेक्चर करके बताया जाता कि हड्डी टूट गई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज : इनका उत्तर आना बहुत जरूरी है ताकि मालूम पड़े कि पुलिस की मन्शा क्या थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : पहले मुझे बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में बोल दीजिए।

श्री त्रिलोक सिंह : दो चार मिनट का सवाल है। इस सदन की इज्जत का, सवाल है सदन के सदस्यों की हिफाजत का सवाल है। अगर ऐसा हो सकता है कि बराये नाम डेमोक्रसी में जिनको जनता ने यहां चुन कर भेजा है उनको पुलिस चाहे जहां एक डाकू की तरह पकड़ कर, पीट पीट कर जेल में और पुलिस कस्टडी में रगड़ सकती है तो फिर अवाम की क्या खैरियत ? फिर जन साधारण का क्या होगा ? कुल कथा क्या है ? सबसे पहले मैंने तय किया, जब महादेव सिंह को गिरफ्तार किया तो उससे पहले मुझे पुलिस के एक जिम्मेदार डीवाई. एस.पी. ने बताया कि आपके महादेव सिंह के साथ हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, क्या करोगे ? वह गंदा शब्द में सदन में नहीं कह सकता। वह बहुत गंदा शब्द था कि महादेव सिंह के साथ हम यह करेंगे। उसके बाद जब मैंने पता लगाया कि महादेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो मैंने पूछा कि वह कहां है तो बताया कि कोतवाली में है। जब कोतवाली मै गया तो मुझे बताया कि पुलिस लाइन में है। तो मै सबसे पहले महादेव सिंह से मिलने के लिए पुलिस

(श्री त्रिलोक सिंह)

लाइन में गया।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वहां पर पुलिस वालों ने जाने से रोका, मेरी गाड़ी को रोका तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मैं एम. एल. ए. हूं मुझे जाने दीजिये तो मुझे अन्दर जाने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जाकर जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि महादेवसिंह को पुलिस इस प्रकार घेर कर बैठे थे जैसे कोई डाकू छविराम, डाकू लाखन बैठा हो। मैंने पूछा कि भाई यह क्या तमाशा? मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों कर रखा है? यह तो जनता का प्रतिनिधि है, यह तो जनता का चुनिन्दा व्यक्ति है, एक एम. एल. ए. है, यह कोई भाग थोड़े ही जायेगा। आपने इसको इस तरह क्यों पकड़ रखा है। यह तो यहीं पर रहता है पुलिस चाहे जब उसको बुला सकती है। वहां पर मुझे मालूम हुआ कि श्री महादेवसिंह दो दिन पहले एक किसी गरीब आदमी की हिफाजत करने के लिये थाने में गया था गोविन्दगढ़ के।

उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द गढ़ के थानेदार ने सीकर के एक जिम्मेदार व्यक्ति को जो कहा वह शब्द मैं आपको यहां पर कहना नहीं चाहता हूं, वह बहुत ही गन्दे शब्द थे। ऐसे गन्दे शब्दों का प्रयोग उसने तमाम एम. एल. एज. और एम. पी. तथा हमारे मिनिस्टर्स के लिये किया। उसने कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं सब को रखता हूं। यह तो एम. एल. ए. हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ता। मैं मुख्य मन्त्रीजी को भी नहीं छोड़ता। वह तो, उपाध्यक्ष महोदय, शराब में धुत था। उस पुलिस वाले को उठ उठ कर कह रहा था। उसकी बहुत हालत खराब हो गयी थी। जो घायल पुलिस वाला था, जिसको जानबूझ कर घायल बनाया गया। उस को वहां से ले जाया गया। उस दिन मैं एक काम से सीकर गया हुआ था। वहां पर मैंने जाकर देखा कि बाहर हो हल्ला हो रहा है। मैंने वहां जाकर पूछा कि भाई, यह क्या तमाशा है? मैंने वहां के एस. पी. साहब से पूछा कि यह क्या तमाशा है? मैंने उनसे कहा कि यह क्या तमाशा है इसका जवाब कौन देगा? पुलिस वालों ने कहा, कामरेड साहब, आप देखना कि क्या होता है। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जयपुर के पुलिस वाले भी हैं। उनका मतलब यह था कि जयपुर के डी. आई. जी. पी. साहब उनके साथ हैं। उनका ही यह षड्यन्त्र था। उनका ही यह प्लान था कि किस प्रकार इसको फंसाया जाय।

सीकर के क्लेक्टर और एस. पी. ने नीम के थाने में जाकर डाक्टर से बातचीत की। उस डाक्टर से कहा कि तुम डरो मत। हम राज करने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम डरते क्यों हो? तुम्हें किस बात का डर है? तो डाक्टर ने कहा कि फ्रेक्चर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम इसका फ्रेक्चर जबरदस्ती लिख दो। उसने कहा है कि मैं नहीं लिखूंगा तो पुलिस वाले ने उसकी गोली मारने का कहा। उसने ऐसी बात कही कि क्या तुम्हें नौकरी नहीं करनी है? क्या तुम्हें डाक्टरी नहीं करनी है। वह गरीब क्या करता। उसकी तो

(श्री त्रिलोक सिंह)

असली पोल खुल गयी जब सीकर में आकर बातों का पता चला। यहां से दो कांग्रेस के एम. एल. एज. और खेतसिंह जी साहब मुख्य सचेतक कांग्रेस पार्टी वहां गये। वहां पर मुझसे खेतसिंह जी साहब मिले। उन्होंने मुझे पूछा, कामरेड साहब, क्या बात है? हकीकत क्या है? मैंने उनसे कहा कि यह पुलिस राज है, यह तो पुलिस की नादिरशाही है। यहां पर आपका राज नहीं है यहां पर तो पुलिस का राज है। यहां तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। यह तो एम. एल. ए. और जनता का प्रतिनिधि है, किसी को भी कुछ करने की हिम्मत नहीं है। जो भी है वह अपनी ही हिम्मत के भरोसे है। आपके राज के भरोसे कोई भी जिन्दा नहीं रह सकता है। उसके बाद में मैं जयपुर में आया। यहां पर हमारी कमेटी के मैम्बर्स से बात की और दूसरे लोगों से भी बातचीत की। उन्हें भी बताया कि क्या हुआ था। खेतसिंह जी ने मुझे यह बताया कि आप इतने बेजार क्यों हो रहे हो, कामरेड साहब, मैं मुख्य मन्त्रीजी से मिलता हूं। जो वहां पर पुलिस अधिकारी है उसके, खिलाफ सख्त एक्शन लिया जायेगा और किसी को भी माफ नहीं किया जायेगा। मैं इस उम्मीद में था कि कोई न कोई एक्शन जरूर होगा पर ऐसा नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा मुख्य सचेतक यह कहता है तो फिर क्या बात है कि एक्शन नहीं हुआ। बाद में तमाम नाटक मुझे पता पड़ा कि यह सब जनता को दिखाने के लिये किया गया। कांग्रेस की हुकूमत को बदनाम करने के लिये यह नाटक किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी एम. एल. ए. के खिलाफ में हुआ है, ऐसी कभी किसी मिनिस्टर के खिलाफ में भी हो सकता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो ऐसा सोचा था कि सभी को बर्खास्त किया जायेगा। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। पर जब मैंने अदालत का नोट देखा तो मुझे मालूम हुआ कि क्या हो रहा है, उसका डाकू की तरह रिमान्ड लिया गया और रिमान्ड लेकर जनता के एक प्रतिनिधि को जेल में 20 दिन तक पड़ा रखा। आज सभी जानते हैं कि महादेवसिंह निर्दोष है। उसका दोष तो सिर्फ यह है कि वह थाने तक लोगों की शिकायतें लेकर जाता था। उसका दोष यही था। आज स्थिति ऐसी हो गयी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, आज स्थिति ऐसे बन गयी है कि एम एल. ए. अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता है। इस प्रकार कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस सदन की गरिमा बचाने के लिये, इस सदन की इज्जत बचाने के लिये और एम. एल. एज. की इज्जत बचाने के लिये, एम. एल. एज. के प्रिविलेजेज को बचाने के लिये हमें सदन में यह फैसला लेना है कि क्या एक्शन हमें लेना है। मैं इसलिये मुख्य मन्त्रीजी से यह मांग करता हूं कि अविलम्ब उस बलवन्तसिंह से लेकर सीकर के थानेदार, एस. पी., डी वाई. एस. पी. तथा डाक्टर को बर्खास्त करने की इस सदन में घोषणा की जाय। अगर ऐसा नहीं

(श्री त्रिलोक सिंह)

होगा तो फिर क्या होगा ? आज भय जनता में बना हुआ है, भय छाया हुआ है। एम. एल एज. को अपने कर्तव्य को करने से रोका जायेगा । अभी यहां पर सुन्दरलालजी ने कहा, वह सच्ची बात कही कि एम. एल. ए., वह भी रूलिंग पार्टी के एम.एल.ए. के साथ अगर यह हो सकता है तो गरीब की औकात ही क्या है। इस स्थिति में लोगों का जी ना कैसे होगा। इसलिये यह मेरी अविलम्ब मांग है कि जिन आदमियों ने इस कान्ड में भाग लिया उन सभी को आज हीं बर्खास्त किया जाय, इसकी घोषणा की जाय और उनके खिलाफ में सख्त एक्शन लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब माननीय गृह मन्त्रीजी दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, काफी बहस हो गयी। मुख्य मन्त्री जी खड़े हो गये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, please.

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, दोषी लोगों को जेल के सींकचों में बन्द किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया शान्त रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि यह घटना बहुत समय पहले घटी है, यह मसला तो सितम्बर के पहले हफ्ते में ही इस सदन में आ जाना चाहिये था। इस पर तो पहले दिन ही बहस हो जानी चाहिये थी लेकिन आज दिन तक इस विषय पर कोई बहस नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप शान्त रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बाहर से सरकार से लगातार निवेदन किया जाता रहा, सरकार से यह कहा गया कि महादेवसिंह एम. एल. ए, की गिरफ्तारी के मामले में वक्तव्य दे। माननीय सदस्य, जो फतेहपुर से आने वाले है, ने तो यहां एक झगड़ा भी लगाया था, पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यहां पर कुछ भी नहीं किया गया। सरकार का कर्तव्य था कि इस पर वक्तव्य देना चाहिये था। आज भी सरकार की मंशा इसको टालने की थी। यह तो विपक्ष के नेता महोदय ने स्टेटमेन्ट देने के लिये बाध्य किया इसलिये आपने स्टेटमेन्ट दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी आपके सामने, सरकार के सामने कि सदस्यों की मांग पर स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

(श्री उपाध्यक्ष)

यह लास्ट स्पीकर हैं । आप दो मिनट बोल लें ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कोशिश की कि हम इस पर नहीं बोले । वास्तव में इतनी गम्भीर मामला है कि हमारी आत्मा को रोक नहीं सकते । प्रश्न कोई दो तीन दिन पहले का होता तो हम शायद बात नहीं करते क्योंकि उसकी जानकारी हमें मिलती नहीं । जब तक जानकारी हमें नहीं मिलती तब तक हमें ऐसी बात तक नहीं कहनी चाहिए जो न्याय प्रिय नहीं हो और जिसकी जांच नहीं हो चुकी हो । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो काण्ड हुआ इतने दिन पहले, यह काण्ड भी कोई मामूली नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी माननीय सदस्य के एक्सीडेन्ट से कोई मौत हो जाती या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती तो उसके अन्दर कोई तथ्य मालूम करने होते । यह तो एक ऐसा मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विधायक को झूठा फंसाया गया है, सारा मामला ही झूठा बनाया गया है । पुलिस ने अपनी ताकत से राजस्थान की जनता में भय पैदा करने के लिए, अपनी ताकत बताने के लिए सारा प्लान किया । हमारी सरकार और हमारे गृह राज्य मन्त्री ने यहां पर स्टेटमेन्ट दिया, मैं समझता हूं, किसी तरह से वह उपयुक्त नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं कि एक माननीय सदस्य को कितने ही दिनों तक रिमाण्ड में रखा । उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, आप वकालत करते हैं, आप जानते हैं कि एक्सीडेन्ट होने के बाद भी उसी वक्त गाड़ी और आदमी की जमानत हो जाती है लेकिन यहां हाल देखिए कि जुडिशियरी तक जाकर 15–20 दिन तक जमनत नहीं हुई । इससे बड़ी और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप या हमारी सरकार, प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले लोग इस बात से डरते हैं कि वहां पर विद्रोह हो जायेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्रोह पुलिस में हो जायेगा लेकिन आप यह नहीं सोचते कि करोड़ों आदमियों के दिमाग में विद्रोह हो गया तो इनका पता ही नहीं पड़ेगा । हमारे सामने मिलिट्री थी, पुलिस थी और सारी व्यवस्था थी लेकिन हमारे देश के लोगों के अन्दर इतनी ताकत थी कि जिन अंग्रेजों का सूरज अस्त नहीं होता था उनको यहां की जनता ने उखाड़ फेंका । तो क्या मजाल है कि प्रजातन्त्र के अन्दर लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती हो जाये । मुझे दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे नेता महोदय सदन में मौजूद हैं और गृह राज्य मन्त्री जी ने आज इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है । इनको मालूम था कि हमारे तीन माननीय सदस्य इसके लिए वहां गये थे और उन्होंने रिपोर्ट दी है । हमारे डाक्टरों ने रिपोर्ट दी है । फिर कौन से तथ्य बाकी रह गए ? इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे सदन की भावना को समझें, जनता की भावना को समझें अन्यथा जो अन्याय पुलिस के अधिकारियों ने किया है । इसका

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मुकाबला आगे जनता करेगी। आपका फर्ज है कि इस सदन की भावना को समझते हुए जो अधिकारी इसमें दोषी थे, जिन्होंने प्लान करके इस मामले को बनाया उन सब को सस्पेण्ड किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय विधायक श्री महादेव सिंह के साथ जो घटना हुई उसको लेकर यहां पर कुछ चर्चा हुई। मुझे खेद है कि एक विधायक के साथ इस प्रकार की घटना हुई। मैं अपनी बात कहूं उसके पहले एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी गरिमा हम सब लोगों की गरिमा और सम्मान है। उनके साथ में यदि कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो उसके साथ में सख्त से सख्त कार्यवाही करने का प्रश्न उठता है।

यह जो घटना के तथ्य यहां पर विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने रखे और जो बातें एफ. आई. आर. के सम्बन्ध में और घटना को लेकर माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह घटना घटी उस समय में यहां नहीं था, दिल्ली था 30 तारीख को। जब मैं वापस आया, ईद के दिन मुझे यह बात मालूम पड़ी तो सबसे पहली बात तो मैंने इस बात का एतराज लिया कि एक विधायक के साथ में ऐसी घटना हो जाये और उसकी जानकारी मुझे नहीं दी जाये। यह एक अजीब तरह की बात और आश्चर्य वाली बात थी। मैंने तुरन्त हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को काफी कहा। मैंने उसी समय यह कोशिश की कि हमारी विधान सभा के जो हमारे चीफ व्हिप हैं उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी का एक दल जाये और मौके पर जाकर देखे, यह देखने की चेष्टा करे कि आखिर तथ्य क्या हैं। क्योंकि हमारी पार्टी के विधायक का सवाल था इसलिए हमने अपने तौर से जांच करवाना ज्यादा अच्छा समझा। जो घटना के प्रारम्भिक तथ्य सामने आये थे और जिस प्रकार की बात जीप को लेकर उसको गिराने वाली बात थी, साधारण तौर से ऐसा नहीं समझा जा सकता कि ऐसी रिपोर्ट आ सकती है। मुझे तो ताज्जुब हुआ और मैंने एक अच्छे विशेषज्ञों का बोर्ड बैठाने वाली बात तय की। यहां के अच्छे एक्सपर्ट सज्जन को, एक आर्थोपेडिक सर्जन को वहां भेजा उस मेडिकल बोर्ड में। उन्होंने भी जांच के बाद जो तथ्य हमारे सामने रखे उसमें काफी विरोधाभास मिला। इस प्रकार का वक्तव्य यहां भी दिया गया।

इसके बारे में जैसा मैंने कहा कि मैं 30 तारीख को आया था उसके पहले सारी घटना हुई। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने उनको बरी नहीं किया। सैशन्स जज के सामने भी पेश किया गया, उन्होंने भी बरी नहीं किया और अन्त में हाई कोर्ट में उनकी जमानत हुई। यह सारी बातें हैं। मैं आपसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने एक

(श्री शिवचरण माथुर)

बात कही कि पुलिस के खिलाफ अगर उन्होंने ज्यादती भी की है तो कोई कार्यवाही करने में हिचकिचाते हैं कि हमें पुलिस के विद्रोह का डर है। मैं बहुत स्पष्ट रूप के कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात से सरकार को डरने का प्रश्न नहीं उठता है। आज कोई भी पुलिस अधिकारी यदि गलती से कोई काम करता है तो हम केवल इस बात से डर कर कि उसमें पुलिस विद्रोह हो जाने वाली बात है कार्यवाही करने से नहीं हिंचकिचाते। किसी के दिमाग में यह बात हो, यह बात सरकार के दिमाग में बिलकुल नहीं है और इसका कोई ताल्लुक भी नही है।

मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हमारी पुलिस की व्यवस्था के साथ, पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध रहे हैं और उसके आधार पर उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। इस घटना से पुलिस की ज्यादती का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस बात में किसी को भी बीच में लाने का सवाल नहीं उठता। यदि पुलिस अधिकारी इस घटना के सम्बन्ध में दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाने वाली बात है लेकिन एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक विधायक का प्रश्न सामने है इसलिए और भी ज्यादा जरूरी होता है कि हम इस बात की एकदम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करवायें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने आ जाए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं हुआ।

श्री शिवचरण माथुर : जब यह बात सामने आने वाली बात थी तो मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसकी जांच किसी बड़ी एजेन्सी से कराओ जिसमें बड़े निष्पक्ष लोग हों। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग बिलकुल निष्पक्ष एक हाइएस्ट एजेन्सी से जो पुलिस की जांच हो सकती है उसकी जांच में विश्वास रखते हैं....

अनेक माननीय सदस्य : पुलिस से नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मानवीय सदस्य, आर्डर प्लीज। इन्टरप्शन नहीं होंगे।

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर पुलिस के कुछ अधिकारियों के कन्डक्ट की बात भी सामने आई कि पुलिस के अधिकारियों ने विशेष रूप से दिलचस्पी लेकर इस केस को बिगाड़ने की बात कही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस के अधिकारियों के कन्डक्ट की जांच सेपरेटली करवा ली जायेगी ताकि मालूम पड़ सके। किसी तरह से उन्होंने इस केस को बिगाड़ने की दृष्टि से गलत कन्डक्ट किया तो उसकी बहुत सीनियर आफिसर से जांच करवायेंगे। पूरी तरह से जांच करने के बाद ही हम कुछ सोचो, इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये।

श्री शिव चरण माथुर : मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक और आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ और जोर के साथ कहना चाहता हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच कराकर जो भी पुलिस अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त हम कार्यवाही करने की बात करेंगे। यह मेरा यहां पर आपके सामने कहने का मतलब है, घोषणा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह पार्लिटिकल स्टेटमेंट था।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह पोलिटिकल स्टेटमेंट है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डी. जी. आई. और एस. पी. को सस्पेन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच कौन-सी बाकी रही है अब।

(व्यवधान)

सारे दल सदन के मान रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नेता महोदय ने जो फर्माया, मैं सिर्फ एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूं। बार-बार विपक्ष के नेता महोदय मुख्य मंत्री की ओर ध्यान देते हुए फर्मा रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ लेकिन यह पुलिस फोर्स वही है जिसको मैंने खुद ने सन् 1978 में आपकी नगरी में अच्छी तरह से देखा था जब श्री विपक्ष के नेता महोदय मुख्य मंत्री थे। उस समय मैं सदन का सदस्य तो नहीं था लेकिन मेरे पिताजी विपक्ष के नेता के साथ सन् 1952 में इसी सदन के सदन थे। उपाध्यक्ष महोदय, आज इसी सदन में ऐसे भी पुलिस आफिसर बैठे हैं जो उस समय वहां डी. आई. जी. की रैंक होल्ड करते थे, 4 मार्च, 1978 की घटना, 5 मार्च को मैं आता हूं दिल्ली से वापस यहां जोधपुर तो विपक्ष के नेता के उसी फोर्स से गुमराह होकर मेरी गिरफ्तारी करवा दी। यह तो भगवान की दया से कोर्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस देखती है मेरी गिरफ्तारी के कारण मैं सैशन कोर्ट से छूटा, डिस्चार्ज हुआ। इनके साथ मेरे पिताजी सदस्य थे, इसी सदन के। मेरे पिताजी पर 201 में बिलकुल झूठा मामला लगाया गया, मुख्य सचेतक यहां नहीं है 201 के मामले में मुझे टेठ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। यह वही फोर्स है जिसके तहत हम सख्त से सख्त कार्यवाही

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

करना उचित समझते है और करनी भी चाहिये···।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सन् 1978 में तो क्या हुआ, मुझे याद नहीं है, मैं इतना बता दूँ कि इस समय सरकार आपके हाथ में है। जिन लोगों ने आपको बे-बुनियाद रूप से गिरफ्तार किया उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आप भी स्वतन्त्र हैं और मुख्य मंत्री जी भी स्वतन्त्र हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ आप भी राजस्थान में दो वर्ष से मंत्रिमण्डल में हैं। आपने उन लोगों के खिलाफ, उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि मामला खुल गया तो इसके रहस्य कुछ और भी खुल जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा कहां समाप्त हुई। राजनैतिक भाषण हुआ है अभी तो मुख्य मंत्री जी का। किस एजेन्सी से इन्क्वायरी होगी, कुछ भी नहीं बताया गया। अभी तक तो पोलिटिकल भाषण हुआ है। किससे जांच करवायेंगे, एजेन्सी कौन-सी होगी····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई।

श्री यदुनाथ सिंह : मुख्य मंत्री जी का भाषण हो गया और चर्चा समाप्त हो गई।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास शास्त्री : पुलिस से घबरा गए ये लोग। मैं कहता हूँ कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है। सता पक्ष के एम. एल. ए. के साथ यह हाल है तो फिर विपक्ष का क्या हाल होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं, इस सदन में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसने पुलिस की कार्यवाही की निन्दा नहीं की हो। मैं ऐसा समझता हूं एक विधायक ने पुलिस की निन्दा नहीं की और वह केवल मुख्य मंत्री जी हैं। 199 में से केवल एक राज्य मंत्री जी को भी छोड़ दीजिए, 198 विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि बोल रहे हैं, और बोलने वाले हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन दो के अलावा कोई नही है जिसने महादेव सिंह की गिरफ्तारी की निन्दा नहीं की हो, पुलिस को कन्डेम नहीं किया हो। एक मुख्य मंत्री जी ने और एक उनके राज्य मंत्री जी ने सदन का का अपमान किया है, सदन की कद्र नहीं की·······

(व्यवधान)

दो एक तरफ और सारा सदन एक तरफ है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इस तरह नहीं चलेगा, उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण तो

श्री यदुनाथ सिंह)
आना चाहिए –एजेन्सी क्या होगी, कौन करेगा इन्क्वायरी, क्या पुलिस जांच करेगी।

(व्यवधान)

सदन सन्तुष्ट नहीं है। सदन सन्तुष्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री यदुनाथ सिंह : × × ×

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री त्रिलोक सिंह : × × ×

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री यदुनाथ सिंह : इस तरह नहीं चलेगी, किसी भी हालत में नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : कार्यवाही में बाधा न डालिये, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : मानीय अध्यक्ष महोदय, सदन की इच्छा है कि मुख्य मंत्री जी इस पुलिस के खिलाफ कुछ एक्शन लें। वरना राजस्थान विधान सभा के सदस्य अपने क्षेत्र में जायेंगे तो वह एक सिपाही से ही नहीं डरेंगे वल्कि उसके लड़के से भी डरेंगे हाउस चाहता है, हाउस की मंशा है उसके खिलाफ एक्शन हो और एक्शन भी हो वह नियमानुसार हो। हाउस ने सारी सारी प्रोसीडिंग मुख्य मंत्री जी के सामने रख दी है। आप एक राज्य मंत्री के दवाव में आकर स्टेटमेंट देंगे तो यह प्रेस में जायेगा और प्रेस में जाने के बाद सरकार की छवि निखर नहीं सकती है, ऐसा मेरा मानना है, उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, आसन से मेरा निवेदन है, मैं आसन से निवेदन करता हूँ, इस समय राजस्थान के 200 विधायक आपसे सुरक्षा चाहते हैं, आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं कि उस थानेदार के खिलाफ, उस डी. वाई. एस पी. के खिलाफ, उस एस. पी. के खिलाफ और उस डी. आई. जी. के खिलाफ राज्य सरकार को बाध्य कीजिए एक्शन लेने के लिए। यही मेरा राज्य सरकार से निवेदन है।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों का सम्मान और गौरव मेरा सम्मान है....

श्री भगवान दास शास्त्री : राजस्थान आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं जो भी बात कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, अगर उसने किसी विधायक के साथ इस प्रकार की बात की है........

(व्यवधान)

आप सुनिये।..

श्री दुलाराम : अगर, मगर क्या है इसमें।

(व्यवधान)

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह विश्नोई : सभी विधायक इस बात को कह रहे हैं कि इसको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी अपनी बात खतम कर दें पहले।

माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं.......

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हम नहीं चाहते हैं कि आप खड़े होकर बार-बार कोई बात कहें। आपकी बात फाइनल होती है। सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं सदन के नेता से, क्या उस पुलिस के साथ जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहते हैं जिसने महादेव सिंह को 16 दिन तक रखा.......

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहते हैं ? पूरा सदन क्रोधित है, पूरा सदन संरक्षण चाह रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी जेल हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं सुरक्षित नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं आप।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बोलना आप।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा विनम्र निवेदन है, यह आसन भी सुरक्षित नहीं है।

श्री दुलाराम : आज राजस्थान के सारे विधायक एक निर्णय पर पहुँचे हैं। इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दुलाराम : × × ×

श्री अमरा राम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी पहले अपनी बात समाप्त कर लें उसके बाद....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सवाल है। मैं मुख्य मंत्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : उस पर अनुमति मैं नहीं दूंगा।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मुख्य मंत्री जी से....

श्री उपाध्यक्ष : पहले अपनी बात कह दें उसके बाद बात कर लें। उनकी बात समाप्त होने के बाद आप कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा मुख्य मंत्री जी से एक सवाल है। क्या मुख्य मंत्री जी सदन की भावनाओं के आधार पर अभी तक कन्विन्स नहीं हुए हैं कि श्री महादेव सिंह की गिरफ्तारी में पुलिस ने ज्यादती की है? क्या मुख्य मंत्री जी अभी तक कन्विन्स नहीं हुए हैं कि महादेव सिंह के साथ पुलिस ने अन्याय किया है, झूठा मुकदमा बनाया है और झूठे मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया है?

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना के तथ्य हैं और जो भावनाएं यहां पर प्रकट की गयी हैं, उनसे कन्विन्स होते हुए भी आखिर....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात सुनिये।

श्री शिवचरण माथुर : कार्यवाही करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस इन्क्वायरी को वहां का कोई अधिकारी प्रभावित नहीं करें इसलिए इस केस से सम्बन्धित अधिकारियों को वहां से बदल दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या मतलब हुआ बदलने का।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है। आप एक सैकण्ड बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। सदन की भावना को....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक सैकण्ड के लिए आप सुन तो लें।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : सदन आश्वस्त है कि महादेवसिंह के साथ अन्याय हुआ है, यह सारा सदन डिप्यूट करता है; पुलिस ने ज्यादती की है, उसके खिलाफ साजिश की है, इसलिए सदन यह निर्णय ले कि आज उनको सस्पेण्ड किया जाय। जो भावना मुख्य मंत्री जी व्यक्त कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करायेंगे लेकिन जांच से पूर्व उनका सस्पेन्शन जरूरी होना चाहिए। हाउस यह चाहता है फिर सस्पेन्शन के आदेश आज क्यों नहीं हो रहे हैं; आज मुख्य मंत्री जी क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं; सिर्फ छोटी सी बात है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सदन की सम्पूर्ण भावनाओं को आसन सहित सदन के नेता जान चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री हरिसिंह)

महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं, सदन के नेता को सदन की भावनाओं की जब जानकारी मिल चुकी है और सदन यह चाहता है कि जिन लोगों ने फाल्स एण्ड फैब्रीकेट केस बनाकर महादेव सिंह जी के खिलाफ कार्यवाही की, वह कहानी मनगढ़न्त और झूठी है। फिर उनके खिलाफ यहां सदन में किसी प्रकार की कोई स्पष्ट सजा देने के लिए घोषणा नहीं करते तो क्या यह सदन यह इन्फरेन्स को मानने के लिए स्वतन्त्र है कि यह सब कुछ राज्य सरकार के मन्त्रियों के द्वारा, उनके निर्देश के द्वारा राजनैतिक बदले की भावना से किया गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मामला बहुत गम्भीर है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवदान सिंह।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं मैं तो गांव का आदमी हूं ज्यादा पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूं, लीपा-पोती मुझे आती नहीं है, चिकनी-चुपड़ी बात करना आता नहीं है। महादेव सिंह के मामले में जांच करने हमारे मुख्य सचेतक महोदय गये, उन्होंने यह माना है कि झूठा महादेव सिंह को फंसाया गया है। मेडिकल बोर्ड जो एस. एम. एस. से गया, उन्होंने कहा है कि उसको चोट नहीं थी इस प्रकार का हो नहीं सकता। हाई कोर्ट के जजेज ने यह माना है कि इस प्रकार की इसमें कार्यवाही की गयी। हमारे नेता महोदय फर्मा रहे हैं कि इसमें कार्यवाही की जायेगी। मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि महादेव सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद 20 दिन के बाद जब बेल एप्लीकेशन हुई थी, उस वक्त भी गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल ने यह कहा था कि इनकी जमानत मंजूर नहीं की जाय। तो यह इस प्रकार चलता रहा, 20 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसकी वजह है कि आज हाउस में इतना रोष है सरे आम। इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि महादेव सिंह को झूठा गिरफ्तार किया गया। यह बिल्कुल साफ है कि महादेव सिंह को पुलिस ने कान्सप्रेसी करके गिरफ्तार किया गया। मैं तो यह कहूंगा कि इसमें आई. जी. तक का हाथ था। हम 8-10 विधायक आई. जी. से मिले थे और आई. जी. फिर भी यही कह रहे थे कि महादेव सिंह का जैसा आचार कोई भी करेंगे पुलिस के साथ तो उनको गिरफ्तार किया जायेगा। यह आई. जी. सिंघवी ने हम 10 एम. एल. ए. को कहा था। तो आई. जी. से जितने एम. एल. ए. हैं उनको आप अभी भी इन्सल्ट कराना चाहते हैं। आप निलम्बित कीजिये और उसके बाद जांच करिये। आप राजस्थान कैनाल पर पधारे थे और प्राइमा-फेसी चार्जेज के आधार पर वहां के अधिकारियों को निलम्बित किया गया था, ऐसे पचासों उदाहरण हैं कि प्राइमा फेसी चार्जेज

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

पर निलम्बित किया जाता है। तो इसलिये डी. आई. जी. को क्यों नहीं निलम्बित किया जा रहा है। उसे आज ही निलम्बित किया जाय। माननीय नेता महोदय यह घोषणा करें कि इस प्रकार के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको कोई संरक्षण नहीं दिया जायेगा क्योंकि सारे प्राइमा फेसी तथ्य आपके सामने आ गये, प्राइमा फेसी बात आपके सामने आ गई। आपको खुद को संतोष है कि इस प्रकार से महादेव सिंह को झूठा फंसाया गया है तो आप उनको निलम्बित करके फिर जांच करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरों सिंह।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं और जैसा माहौल बना है....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हमारे मुख्य मन्त्री जी को माननीय मुख्य सचेतक जी श्री खेत सिंह जी और दो अन्य विधायकों की बात पर विश्वास नहीं है? क्या हमारे मुख्य सचेतक जी को जो उन्होंने मेडिकल बोर्ड भेजा था उसी की बात पर विश्वास नहीं है? फिर मुख्य मन्त्री जी संकोच क्यों कर रहे हैं सदन में घोषणा करने में? उनको निलम्बित कर दें। मुख्य मन्त्री जी, आपकी इज्जत में चार चांद लगेंगे, आप घोषणा कर दें इस बात की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि सारे सदन में इस बात को लेकर गम्भीर रोष है। मैं सारे सदन की ओर से कहना चाहता हूं आज विधान सभा का सत्र खतम हो रहा है लेकिन हम सभी लोग तब तक अपने क्षेत्र में नहीं जायेंगे जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता कि मुख्य मन्त्री जी उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कर रहे हैं? नम्बर दो, मुख्य मन्त्री जी आप घोषणा नहीं करते हैं तो कहीं ऐसी मजबूरी न आ पड़े कि सत्ता पक्ष के विधायकों को बायकाट करना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आज ही घोषणा कीजिए और यह बताइये कि कौन कौन से पुलिस अधिकारियों का निलम्बन आज ही कर रहे हैं, आज का आज ही आदेश दे रहे हैं? अगर आप नहीं करेंगे तो हम यहां पर प्रस्ताव लायेंगे और प्रस्ताव लाकर अपनी बात मंजूर करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान हो तो निलम्बन करे....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाइये।

श्री अमराराम चौधरी : और सेवा नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं हो तो नहीं करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इस विषय पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, इस घटना का विषद् विवेचन किया है और इस घटना पर जिस प्रकार से यहां सदन में बहस हुई उससे ऐसी स्थिति बनी है कि जैसे नौकरशाही बनाम लोक-

(211)

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

शाही की सैद्धान्तिक लड़ाई यहां पर हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ है तब से लोकशाही का जन्म हुआ और इस जन्म के बाद लोकशाही पग दर पग आगे बढ़ती जा रही है। परन्तु लोकशाही की शक्ति का स्रोत नीचे से आता है, यानि आम जनता उस की शक्ति का स्रोत है इसलिये यह आवश्यक है कि लोकशाही अपनी शक्ति के स्रोत की सुरक्षा रखे यानि आम जनता की सुरक्षा रखे। परन्तु इसके ठीक विपरीत नौकरशाही की शक्ति का स्रोत ऊपर से होता है। नौकरशाही में ऊपर से आदेश मिलने के बाद कुछ नहीं देखा जाता। ऊपर से क्या आदेश दिया उसके आधार पर उसकी पालना की जाती है। मुझे कई ऐसे पुलिस अफसरों से हुक्म दिलायें और एक मिनट में आप चाहें वह एक सैकण्ड में कर देंगे। हम जानते हैं कि चाहे मंत्री हों, मुख्य मंत्री हों लेकिन एक सब इन्सपेक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि एक सब इन्सपेक्टर की सी. आर. लिखता है वह उसका एस.पी लिखता है इसलिये यदि हमारा एस. पी. हमको बुला कर कह दे कि इस मिनिस्टर को गिरफ्तार करके बाजार में घुमाना है तो चाहे बाद में कुछ भी हो, हम मन्त्री को हथकड़ी डाल कर घुमाने की स्थिति में हैं। इस प्रकार की धारणा, आम धारणा नौकरशाही के दिमाग में है। इसलिये यह महादेवसिंह जी की ही बात नहीं है बल्कि नौकरशाही और लोकशाही की यह एक परीक्षा का काल है कि क्या हिन्दुस्तान में प्रतिष्ठा लोकशाही की रहेगी या नौकरशाही की। इसलिये मुख्य मन्त्रीजी जो लोकशाही के बहुत बड़े समर्थक हैं, जो समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े प्रवक्ता रहे हैं और मैं मानता हूं कि उनके दिल में लोकशाही के प्रति बड़ा दर्द है और वे शायद गले तक आ गई बात कहना चाहते हैं परन्तु क्या कारण है कि समझ में नहीं बैठता, निर्णय लेने में थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार एक लड़का, जिसको मां बाप ने दया करके बड़ा किया है, मां बाप के प्रति वफादार भी है परन्तु उसके सामने उसकी बीबी आती है और वह बीबी अपने सास-ससुर के साथ अन्याय करती है तो कई बार पति अपनी बीबी का कुछ लिहाज करके कुछ कम बोलने की बात सोचता है। मैं समझता हूं कि यह नौकरशाही जनता की नौकर है। महीने के महीने जनता के खजाने से पैसा पाने वाला आदमी चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो परन्तु वह जनता का नौकर है। जनता के नुमायन्दे इस बात को सच कहते हैं और जनता के नुमायन्दों ने इस विषय पर इतना विषद् विवेचन, इतना विषद् दिग्दर्शन किया है इसके आधार पर माननीय मुख्य मन्त्री जी के गले में जो बात है, मैं समझता हूं कि उनको बेहिचक कहनी चाहिये। उनको किसी प्रकार से नौकरशाही के दबाव में आकर या किसी लिहाज-मुरब्बत में आकर अपनी बात को कण्ठ में न रख करके बाहर कहना चाहिये और उचित निर्णय उनको लेना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको फिर बार बार बोलना पड़ेगा। आप पहले बोल चुके हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया....

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना की बहुत कद्र करता हूं और वही भावना मेरी भी है जो आपकी है। कहीं कोई अन्तर नहीं है लेकिन केवल काम करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी भावना सदन को मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : उनका तो अपना एक दूसरा स्वार्थ है....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यहां कोई राजनैतिक बात नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : मैं बहुत नम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं किसी को बचाने का, किसी को शील्ड करने का इरादा नहीं है बल्कि सख्त से सख्त कार्यवाही दोषी अधिकारियों के खिलाफ करने का इरादा है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : कब करेंगे? इतने दिन हो गए, साहब।

श्री शिवचरण माथुर : सवाल यह है कि दो मुद्दे यहां सामने है। एक विधायक का मामला है। एक निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा घटना के बारे में जांच की जानी चाहिये। दूसरी बात है, पुलिस अधिकारियों के कण्डक्ट के बारे में जांच की जानी चाहिये। ये दो मुद्दे हमारे सामने हैं। मैंने दोनों के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट बात कही है। निष्पक्ष एजेंसी से इस घटना की जांच करवाई जायेगी और पुलिस अधिकारियों के कण्डक्ट के बारे में आपको हो सकता है कि किसी पुलिस अधिकारी के बारे में संदेह हो सकता है कि पुलिस का अधिकारी अपने किसी अधिकारी को बचाने की चेष्टा करेगा।

(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस के अधिकारियों की कण्डक्ट की जांच मैं चैयरमेन बोर्ड आफ रेवेन्यू के द्वारा करवा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे क्या होगा।

श्री बनवारीलाल : वह एस. पी. का तो तबादला कर सकते हैं आज ही।

श्री शिवचरण माथुर : और उनमें यदि किसी को दोषी पाया गया तो उसको सस्पेंड भी किया जावेगा और उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी। मेरा यही कहना है।

श्री यदुनाथ सिंह : सत्ता दल के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे दोषी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मन्त्री जी के वक्तव्य के बाद....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक सवाल है मेरा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक सवाल है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय सदस्य।

(6.36 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य मन्त्री जी, आपको अपनी कायरता के लिए इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : No, point of order.

श्री अध्यक्ष : शांत रहें, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत गम्भीर मसला चल रहा है उसमें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जावें, माननीय सदस्य। पाइन्ट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप चेम्बर में सुन रहे होंगे, बहुत गम्भीर बात है। मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की कि मैं इसकी जांच कराऊंगा........

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो होगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। क्या कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि पाइन्ट आफ आर्डर है, इस पर व्यवस्था से दे दूंगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह तो बतायें कि पाइन्ट आफ आर्डर किस विषय पर है।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर किसी विषय पर भी हो सकता है।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो पता चल गया कि पुलिस से डरते हैं। पुलिस से सब डरते हैं। अभी कह रहे थे कि पुलिस मनमानी करती है........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना यह थी कि मुख्य मंत्री किसी भी एक्शन की घोषणा यहां करते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने चेयरमैन बोर्ड आफ रेवेन्यू से जांच कराने की बात कही, ठीक है, बहुत खुशी की बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे दूंगा। आप पाइन्ट आफ आर्डर से चाहते क्या हैं ?

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन सर्वोपरि है, राजस्थान विधान सभा का सदन सर्वोपरि है। सदन में जब इस बात पर बहस हो गई। उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया, मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया, इसके बाद....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सब सुन रहा हूं।

श्री यदुनाथसिंह : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अब पुलिस यह देखेगी कि राजस्थान विधान सभा उनके खिलाफ कदम नहीं उठा सकी तो आगे इस सरकार की कार्यवाही और करेगी। इसलिए उनके खिलाफ प्रभावशाली एक्शन होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है। आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य ने एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। जब पूरी विधान सभा ने कोई बात कह दी फिर भी पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं कर सके, ऐसी बात नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विधान सभा बहुत बड़ी चीज है। जैसे यह अधिकारी दोषी हैं वैसे सैकड़ों हजारों अधिकारी हैं इस प्रदेश के अन्दर विधान सभा अपना मत, अपना मंतव्य प्रकट कर देती है उसके बाद में यह सरकार के समझने की बात है कि क्या कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझ कहां रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्स, आप स्वयं भी मुख्य मंत्री रहे हैं। आप भी शासन की मर्यादाओं को जानते हैं। यहां पर इस सदन के एक माननीय सदस्य का प्रश्न है। यह सदन एक एक्सक्लूजिव संस्था है, यहां पर अपन ही बैठ सकते हैं, यहां पर बैठने के अपन ही अधिकारी हैं, अपन को ही अधिकार है यहां विचार प्रकट करने का। सदन किसी काम का भार एक और संस्था के ऊपर डाल देता है, एक और संस्था है, एक और कमेटी समझ लीजिये, जिसको केबिनेट बोलते हैं, वह हमारी कामदार है, वह हमारी तरफ से काम करती है, एक्जीक्यूट करती है। जब हमने बात कह दी, यह तो है नहीं सदन के सामने केबिनेट वापस न आये। जैसी कहावत है इनको तो वापस आना पड़ेगा। आज सत्रावसान हो जायगा। तो उससे क्या हो जायगा। माननीय सदस्यों ने जिन शब्दों के अन्दर बात कही है, माननीय सदस्यों की उस बात को, मैं समझता हूं, केबिनेट ने समझा है। किसी को सस्पेन्ड करने या नहीं करने जैसे एक छोटे मसले का निर्णय अपन यहां कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कामदारों पर ही यह छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष : इसलिये विनम्र शब्दों में निवेदन है जो कुछ भी भर्त्सना हो सकती थी, वह कर दी। जितने कड़े शब्दों में कहा जाना चाहिये था अपन ने कह दिया। अपन देखते हैं कुछ समय तक कि क्या कार्यवाही होती है। उसके पश्चात् सरकार को फिर अपने सामने आना पड़ेगा, पहले ही दिन यह प्रश्न लेंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जावे।

अब विधायी कार्य हाथ में लिया जाय।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं होगी।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार
जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982

खण्ड 2। खण्ड 2 में संशोधन आया है, प्रभारी मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 पर पुनर्विचार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर पुनर्विचार किया जावे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानून बना रहे हैं आप। खण्ड 2 पहले पास हो चुका। आप उसमें संसोधन ला रहे हैं तो हाउस....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसलिये पुनर्विचार के लिये अनुरोध किया है।

श्री अध्यक्ष : आप कोई रास्ता सुझा दें उसी को मान लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वही रास्ता बता रहा हूं। जो अमेंडमेंट ला रहे हैं वह इस रूप में नहीं लाया जाये। खण्ड 2 इस सदन ने पास कर दिया। यह संशोधन अब ला रहे हैं तो यह कहें हाउस में फलां तारीख को पारित खण्ड 2 में अमुक प्रकार का संशोधन किया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : यही बात कही है इन्होंने कि खण्ड 2 पर पुनर्विचार किया जावे। अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी ने यही बात कही है, खण्ड 2 को रिओपन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : यही प्रार्थना की है।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने यही बात कही है कि रिओपन किया जावे, इसका मतलब यही है कि इसको रिओपन किया जावे। यही बात कही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 पर पुनर्विचार करने का जो प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : संशोधन प्रस्तुत करूं या पहले पुनर्विचार के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करूं ?

(216)

श्री अध्यक्ष : हां, पुनर्विचार का मतलब संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना ही है और पुनर्विचार किया है ।

श्री श्री राम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन खण्ड 2 में प्रस्तुत कर रहा हूं :

उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "उद्यानकर्म" के पश्चात् अभिव्यक्ति "वनोद्योग," अंतः स्थापित की जाए और अभिव्यक्ति "किन्तु इसमें भवन से संलग्न किसी भूमि का ऐसे भवन के साथ-साथ उद्यान के प्रयोजनार्थ किया जाने वाला उपयोग नहीं आता है" हटा दी जाए ।

उप खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(4)" भवन संकाय में भवनों के पुनर्निर्माण संकाय, संरचनात्मक परिवर्तन या भवनों के परिवर्तन तथा भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में हाथ में लिये गये अन्य संकाय सम्मिलित हैं;"

उप खण्ड (5) में, अभिव्यक्ति समुद्र, संकरा गड्ढा" हटा दी जाय ।

उप खण्ड (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

"(5-क)" "विकास क्षेत्र" से धारा 31 की उप-धारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें, स्कीमों, परियोजनाओं द्वारा या अन्यथा, किसी समुचित कालावधि के भीतर विकास का कार्य किया जाना प्रस्तावित है ।"

उप खण्ड (15) में शब्द "या आदेशों" हटा दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन संशोधन प्रस्तावों पर यदि कुछ बोलना चाहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है । माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं । खण्ड 2 में आपने संशोधन रखा है किन्तु पहले आपने खण्ड 2 में संशोधन रखा था । आपने इसको रिप्रोपन किया है, इस रिप्रोपन करने में पहले वाला संशोधन रह गया ।

(विराम)

श्री श्रीराम गोटेवाला : पहले मैंने कोई संशोधन नहीं रखा था खण्ड 2 में ।

श्री परसराम मदेरणा : इनका संशोधन खण्ड 4 में था ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड 3 पारित हो चुका है । उसमें कोई संशोधन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 4 ।

श्री परसराम मदेरणा : खण्ड 4 में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
संशोधन है। खण्ड 4 पर विचार ही चल रहा था उस दिन। खण्ड 4 पारित नहीं हुआ है। खण्ड 4 पर संशोधन है, प्रभारी मन्त्री जी के भी हैं और माननीय सदस्यों के भी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो पेश कर चुके हैं। खण्ड 4 में संशोधन है माननीय महावीर प्रसाद और माननीय श्री भंवरलाल शर्मा के।

श्री श्री राम गोटेवाला : पहले मैं पेश कर दूं मेरे संशोधन।

श्री अध्यक्ष : आप ही कर दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:–

खण्ड 4 के उप खण्ड (1) में (क) मद (i) में, अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य का मुख्य मन्त्री" के पश्चात् अभिव्यक्ति "या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल का कोई नाम निर्देशिती" अंतः स्थापित की जाए ;

(ख) मद (ii) में अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य के नगर विकास का प्रभारी मन्त्री" के पश्चात् अभिव्यक्ति "या राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल का कोई नामनिर्देशिती अतः स्थापित की जाए ;

(ग) मद (xvii) स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

(xvii) जयपुर जिले की जिला परिषद का जिलाप्रमुख,"

(घ) मद (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

(xviii) जयपुर रीजन में अधिकारिता रखने वाली नगरपालिका/परिषद्, जयपुर से भ नगरपालिकाओं के समस्त अध्यक्ष/प्रशासक: और

मद (xxv) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए अर्थात:-

"(xxvi) जयपुर रीजन में सम्पूर्णतः या भागतः अधिकारिता रखने वाली पंचायत समितियों के, समस्त प्रधान "

और

(xxvii) जयपुर रीजन में सम्पूर्णतः या भागतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित समस्त लोक सभा-सदस्य तथा समस्त विधान सभा-सदस्य।"

उप-खण्ड (8) में,-

(क) उप-खण्ड (8) तथा उसके प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएं, अर्थात:-

"(8) उप-धारा (1) के खण्ड (xxv) के अधीन नामनिर्देशित प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष की कालावधि होगी :-

(ख) उप-खण्ड (8) के द्वितीय परन्तुक में, शब्द "यह और कि" हटा दिये जायें।

उप खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

(9) प्राधिकरण या उसके किसी बोर्ड, समिति या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायगी कि प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किसी सदस्य का नामनिर्देशन या नियुक्ति नहीं की गई है या किसी अन्य कारणवश प्राधिकरण या ऐसे निकाय के गठन के या बैठक के समय वह अपना पद संभालने के लिये उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से सदस्य है या प्राधिकरण या ऐसे

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

निकाय के किन्हीं सदस्यों के पदों की एक या अधिक रिक्तियां हैं।"

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद।

श्री भंवरलाल शर्मा।

[खण्ड 4 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : उप-खण्ड (1) में मद संख्या (xxv) के पश्चात् एक नवीन मद संख्या निम्न प्रकार जोड़ा जाय, अर्थात :–

" (xxvi) जिला प्रमुख, जयपुर।"

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

श्री श्रीराम गोटेवाला, प्रभारी मंत्री, द्वारा खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के भाग (क) द्वारा प्रस्तावित मद (xvii) के स्थान पर निम्न मद प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात :-

"(xvii) जयपुर जिला के संसद सदस्य एवं जयपुर रीजन में आने वाले सभी विधान सभा के सदस्य;"

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

श्री श्रीराम गोटेवाला, प्रभारी मंत्री द्वारा खण्ड 4 के उप-खण्ड (1) के भाग (ख) व (ग) द्वारा प्रस्तावित मद (xviii) व (xxv) के स्थान पर क्रमशः निम्न मद प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात :-

" (xviii) नगरपालिका/परिषद, जयपुर से भिन्न ऐसी नगरपालिकाओं जिनकी अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के सभी अध्यक्ष;" तथा

["(xxv) ऐसी पंचायत समितियों जिनकी पूर्ण या आंशिक अधिकारिता जयपुर रीजन में हो, के सभी प्रधान"]

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन मैंने पेश कर दिया इसलिए वापस लेने की इजाजत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय श्री हरिसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की इजाजत दी जाय-?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिसिंह : मैं वास लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): इन्होंने जो अमेंडमेंट दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, पहले कह दिया जाये....

श्री अध्यक्ष : हां।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री महावीर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वापस नहीं, स्वीकार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : तो फिर ऐसा है कि सम्पूर्ण रूप से उन्होंने संशोधन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह आ जायगा यदि हाउस की स्वीकृति नहीं होगी तो यह तो आटोमेटिकली गिर जायगा। फिर उनका संशोधन प्रस्ताव रह जायगा।

श्री अध्यक्ष : इसलिये कह रहा हूं वापस लेने की अनुमति....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वापस नहीं लेना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री महावीर प्रसाद जैन व श्री भंवर लाल शर्मा ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री भैरोंसिह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्रीमती विद्या पाठक व श्री भंवर लाल शर्मा ने प्रस्तुत किया हैं उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकार)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री नाथूसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 4 में श्री कैलाश मेघवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकार)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 4 में श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 । श्री नाथूसिह, श्री घनश्याम तिवाड़ी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।

(श्री अध्यक्ष)

श्री भैरोंसिह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक।

[खण्ड 5 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

उप खण्ड (1) प्रथम पंक्ति में "छह" के स्थान पर "प्रति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 5 में श्री नाथूसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में से जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रस्ताव सुश्री पुष्पा जैन ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री कैलाश मेघवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्रीमती विद्या पाठक ने खण्ड 5 में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड-6।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक साथ ही नाम ले लीजिये। मैं समय बचाने के लिये कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं उन सब को मूव किया हुआ माना जाय। चारों ने एक ही अमेण्डमेंट दिया है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष को हिस्सेदार बनाना अच्छी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मैंने निवेदन कर दिया। हमारे सब के नाम एक साथ ले लें।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 6 में चार माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव हैं।

[खण्ड 6 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

उप खण्ड (2) में शब्द "तो यह प्रश्न राज्य सरकार को विनिश्चय शब्द के लिये भेजा जायगा" के स्थान पर शब्द "तो यह प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत किसी न्यायाधीश को विनिश्चय के लिये भेजा जायेगा" प्रतिस्थापित किया जायेगा।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7। प्रभारी मंत्री जी और अन्य माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव।

(6·50 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 7 में मैं निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

(1) उप खण्ड (1) में, मद (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1–क) सचिव, नगरीय विकास तथा आवासन या उसका प्रतिनिधि जो उप सचिव की रैंक के नीचे का न हो,

(1-ख) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण (जो समिति का सदस्य सचिव होगा); और

(2) उपखण्ड (2) में मद (iii) में शब्द "दक्षतापूर्ण" हटा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह, श्री घनश्याम तिवाड़ी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

No। श्री भैरोंसिंह शेखावत। No।

Page No 221

(श्री उपाध्यक्ष)

सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ।

[खण्ड 7 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

उप-खण्ड (i) के भाग (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित नया भाग जोड़ा जाये :—

(xiv) जयपुर रीजन के अन्तर्गत आने वाले सभी विधायक ।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

(I) उपखण्ड (i) में,–

(क) भाग (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

(i) जयपुर प्राधिकरण का उपाध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा;

(i–क) जयपुर विकास आयुक्त इसका उपाध्यक्ष होगा ;

(ख) भाग (xiii) के पश्चात एक नवीन भाग जोड़ा जाय, अर्थात :—

'(xiv) जयपुर रीजन से निर्वाचित विधायक;"

(II) उप-खण्ड (2) के भाग (iii) में प्रयुक्त शब्द "दक्षतापूर्ण" को विलोपित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकार किया जाय....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खण्ड 7 का प्रश्न है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन मूव ही नहीं किया है। इसलिये उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है । उसके बाद खण्ड 7 के ऊपर श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रतिपक्ष के नेता, सुश्री पुष्पा जैन ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको हाउस के सामने रख दीजिये आप ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये ।

श्री परसराम मदेरणा : उण्ड 7 में प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसको रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने रखा है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 एज अमेण्डेड स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 8। प्रभारी मंत्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं खण्ड 8 में :

(1) उप-खण्ड (2) की मद (iii) में, अभिव्यक्ति "वित्तीय प्रबन्ध में प्रवीण" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं" प्रतिस्थापित की जाए।

(2) उप-खण्ड (4) में, अभिव्यक्ति "अपर, उप या सहायक सचिव" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपर आयुक्त और अपर सचिव" प्रतिस्थापित की जाए।

[खण्ड 8 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये—

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

(I) उप खण्ड (i) के भाग (ii) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों" प्रतिस्थापित किये जाये; तथा

(II) उप-खण्ड (4) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "जयपुर विकास आयुक्त" के स्थान पर शब्द "प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में सर्व श्री भैरोंसिह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री जी ने जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 8 में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 10 प्रभारी मंत्री जी।

224

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 10 के उपखण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

(1) प्राधिकरण ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों तथा कृत्यों के लिये जो कि प्राधिकरण के द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, समितियों का गठन कर सकेगा जिनमें समस्त सदस्य उक्त प्राधिकरण के या कुछ सदस्य प्राधिकरण के और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 11 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

खण्ड 12। प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 12 को विलोपित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 13। कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 स्वीकार किया गया।

खण्ड 14। प्रभार मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 14 में मैं निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

खण्ड 14 के उप खण्ड (2) में—

1. (क) मद में (i) के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(1–क) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण;"

(ख) मद (xi) के अन्त में आने वाले शब्द "और" को हटा दिया जाए;

(ग) मद (xii) में आने वाले विराम चिन्ह "।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और" प्रतिस्थापित की जाए, और

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(घ) इस प्रकार संशोधित मद (xii) के पश्चात, निम्नलिखित मद जोड़ी जाए, अर्थात :—

(xiii) दो व्यक्ति, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे।"

2-उप खण्ड (3) में, मद (vii) में, शब्दों "ऐसे मामलों में" के पश्चात शब्द "विनियमों के अनुसार" अन्तःस्थापित किये जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, 14 में सब क्लाज में लिखा है :

"(viii) to solicit help of the citizens and associations of repute to advise and raise funds for traffic control and traffic education;"

यह जो आप बना रहे हैं इसमें ट्रैफिक कन्ट्रोल एण्ड ट्रैफिक एजूकेशन के लिये फण्ड इकट्ठे कर देने का अधिकार दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी में पढ़ें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप अधिकार दे रहे हैं जनता से चंदा वसूल करेंगे पुलिस के लोग। यह अधिकार दे रहे हैं, यह उचित नहीं लगता है। इस पर भी विचार कर लें।

"यातातात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिये नागरिकों और ख्याति प्राप्त संस्थाओं से सलाह देने के लिये, और निधि इकटठी करने के लिये" इस को मेरा निवेदन है कि डिलीट कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस के पास चंदा इकट्ठा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि इस अधिकार के द्वारा पुलिस को चंदा इकट्ठा करने का अधिकार दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका ऐसा कोई मन्तव्य नहीं है। शायद माननीय सदस्य को गलतफहमी है। इसमें लिखा है कि "यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिए नागरिकों और ख्याति प्राप्त संस्थाओं से सलाह देने, और निधि इकट्ठा करने के लिए सहायता मांगने के लिए"। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे गलतफहमी निकाल दें, ख्याति प्राप्त संस्थाओं से कई बार निधि इकट्ठी करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत बड़े काम हैं उनमें इन छोटे मोटे काम का महत्व नहीं हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन प्रस्ताव को पारित करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि इसको कानून में देने की क्या आवश्यकता है। अगर यह लिख दिया है तो इसको निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष : I will put it to vote.

श्री भंवरलाल शर्मा : इसका दुरुपयोग होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दुरुपयोग करने वाले तो वैसे ही दुरुपयोग करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : परन्तु आप ऐसा अधिकार ही क्यों देना चाहते हैं जिससे कि दुरुपयोग होने की सम्भावना हो। इसको आप हटा भी तो सकते हैं।

श्री बृज सुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : इससे क्या फायदा होगा।

(व्यवधान)

श्री सुर्यकुमार (नैनवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस क्लाज का आप मुलाहिजा करेंगे तो क्लाज यह है कि "यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिये नागरिक और ख्याति प्राप्त संस्थाओं से सलाह देने और निधि इकट्ठी करने के लिए सहायता मांगने के लिये" इसका मतलब यह है कि यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिये ख्याति प्राप्त संस्थाओं से और नागरिकों से सलाह देने के लिए और सहायता मांगने के लिये प्रावधान है, मेरा यह कहना है कि इसमें चंदा मांगने के अधिकार की बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको पूरा नहीं पढ़ा है। केवल संस्थाओं से ही नहीं नागरिकों से भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वियड्रा कर रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिए नागरिकों से ही नहीं संस्थाओं से भी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने अमेंडमेंट तो मूव किया ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जुबानी भी तो कर सकता हूं, इसको विलोपित करने का कर सकता हूं, It is for deletion. I can orally move for deletion of a clause.

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा, उप-खण्ड (3) के मद (viii) में शब्द "निधि इकट्ठी करने के लिये सहायता मांगना" के पश्चात् शब्द "नियमों के अनुसार" जोड़ दिये जाए।

[खण्ड 14 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

उप-खण्ड (3) के भाग (vii) में शब्द "नियमों के अनुसार" शब्द 'यातायात" शब्द के पूर्व अन्तःस्थापित किया जाये।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ने पेश किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।"

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।"

(स्वीकृत)

खण्ड 14 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 15 श्री भैरोंसिंह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[खण्ड 15 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

उप-खण्ड (1) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "सलाह पर" तथा शब्द "राज्य सरकार" के मध्य शब्द "ही" प्रतिस्थापित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री भैरोंसिह शेखावत, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन, श्रीमती विद्या पाठक ने प्रस्तुत किये हैं वह स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 15 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 15 स्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :

[खण्ड 16 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

उप–खण्ड(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ऐसे प्रक्रिया" तथा चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायं" विलोपित किये जायं।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिह शेखावत, सुश्री पुष्पा जैन, श्री कैलाश मेघवाल, श्रीमती विद्या पाठक ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।"

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 16 स्वीकार किया जाय।"

खण्ड 16 स्वीकार किया गया।

खण्ड 17। प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड 17 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"खण्ड–17 में

1–शीर्षक के पश्चात् आने वाले अंक और कोष्ठक "(1)" हटा दिये जाएं।

2–मद (ग) में, शब्दों "किसी एजेन्सी द्वारा" के स्थान पर शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा" प्रतिस्थापित किए जाएं।

3–मद (ज) में अभिव्यक्ति "सम्बद्ध प्राधिकारियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विभागों और एजेन्सियों" प्रतिस्थापित किये जाएं।

4–मद (ञ) और (त) हटा दी जाएं।

5–मद संख्या (द) में अभिव्यक्ति "खुले स्थानों की व्यवस्था तथा कुएं खुदवाने या उनको बड़ा किये जाने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "और खुले स्थानों की व्यवस्था करने" प्रस्थापित की जाए।

[खण्ड 17 में निम्न संशोधन प्रस्तुत माने गये :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

भाग (प) के पश्चात् निम्नांकित भाग जोड़े जाये :–

(फ) जयपुर के पूर्व में बने मास्टर प्लान में संशोधन नहीं किये जायेंगे।

(ब) अन्य उपबन्धों के होते हुये भी व्यक्तिगत अधिभोगियों द्वारा निर्मित बस्तियों का नियमितिकरण नहीं होगा तथा गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बसाई गई नई बस्तियां जो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम से पहले निर्मित मास्टर प्लान के विपरीत होने पर नियमितिकरण नहीं करेगा।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)
उप-खण्ड : (1) के,—

(i) भाग (ज) में प्रयुक्त शब्द "तथा कृषि, उद्यान कृषि, फल कृषि, वन लगाना, दुग्ध विकास, परिवहन, संचार, स्कूल खोलना, सांस्कृतिक क्रिया कलापों के विस्तार के लिये स्कीमें तैयार करने तथा उन्हें हाथ में लिये जाने के सम्बन्ध में सम्बद्ध प्राधिकारियों को सलाह देना" को विलोपित किया जाय।

(ii) भाग (ट) को विलोपित किया जाय।

(iii) भाग (ड) की दूसरी पंक्ति से शब्द "या व्यवस्था" विलोपित किया जाय और अभिव्यक्ति "संविदा" व "करार" के मध्य शब्द "या" अन्तःस्थापित किया जाय।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

(iv) भाग (त) को विलोपित किया जाय।

(v) भाग (प) को विलोपित किया जाय।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 17 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 में जो संशोधन प्रस्ताव सर्व श्री भैरोंसिह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, कैलाश मेघवाल व सुश्री पुष्पा जैन ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 17 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड 18। प्रभारी मन्त्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 18 में निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

खण्ड 18 में-

1. उप खण्ड (2) में, शब्दों "आवेदन करेगा" के पश्चात आने वाले विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसा व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी के जरिये ऐसी अनुज्ञा के लिये आवेदन कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी उसके आवेदन-पत्र को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हो, के साथ प्राधिकरण को भेजेगा।"

2. उप-खण्ड (3) में, अभिव्यक्ति "यदि ऐसी अनुज्ञा देने से यथापूर्वोक्त साठ दिन के भीतर इन्कार नहीं किया जाये तो वह प्राधिकरण द्वारा दी हुई समझी जायेगी।" " के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" यदि ऐसी अनुज्ञा यथापूर्वोक्त साठ दिन के भीतर नहीं दी जाती है या उससे इन्कार नहीं किया जाता है तो आवेदक, प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी भी अन्य अधिकारी को वैयक्तिक रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत लिखित संसूचना के द्वारा, अनुज्ञा देने या उसे देने से इन्कार करने में हो रहे लोप या उपेक्षा की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, और यदि ऐसा लोप या उपेक्षा, ऐसी संसूचना के प्राप्त होने से तीस दिन की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि प्राधिकरण ने प्रस्तावित विकास की अनुज्ञा दे दी है और ऐसे विकास को, आवे-

Page No 229

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
दन पत्र में विनिर्दिष्ट रीति से अग्रसर किया जा सकेगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों विनियमों या आदेश के किन्हीं भी उन उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी सुधार का जिम्मा लेने या उसे कार्यान्वित करने से पहले प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा से भिन्न किसी भी मामले से सम्बन्धित है।"

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारा इसमें एक निवेदन है कि "यदि ऐसी अनुज्ञा यथापूर्वोक्त साठ दिन के भीतर नहीं दी जाती है या उससे इन्कार नहीं किया जाता है तो आवेदक, प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी भी अन्य अधिकारी को वैयक्तिक रूप से प्रस्तुत लिखित संसूचना के द्वारा, अनुज्ञा देने या उसे देने से इन्कार करने से हो रहे लोप या उपेक्षा की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगा।" आपने लिख दिया कि खुद ही आकर पेश करेगा। इन पर्सनल, खुद आये यह कोई जरूरी है ? इसमें लिख दिया है आपने कि खुद ही आकर व्यक्तिगत देना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह था कि उसका नोटिस खुद आकर दे, यह जरूरी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दे। आपने पाबन्दी लगा दी व्यक्तिगत आकर देगा। अगर मान लीजिये, वृद्ध आदमी है, 70 साल का है, मकान उसके नाम से है, He will have to come. कोई महिला है तो उसको भी आना पड़ेगा। आपको नोटिस देने के लिये व्यक्तिगत आये, इसकी क्या आवश्यकता है। आप पाबन्दी लगा दीजिये कि रजिस्टर्ड नोटिस भेजना पड़ेगा, यह तो ठीक है। व्यक्तिगत आने के लिये क्यों पाबन्द करते हो आप ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत लिखित संसूचना द्वारा....

खण्ड 18 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :–

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : उप-खण्ड (4) में, –

(1) शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "राजस्व मण्डल" प्रतिस्थापित किये जावे।

(ii) शब्द "जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा" को विलोपित किया जाये।

(iii) परन्तुक को विलोपित किया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

(i) उप-खण्ड (3) की द्वितीय एवं चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "साठ" के स्थान पर शब्द "तीस" प्रतिस्थापित किया जाय।

(ii) उप-खण्ड (4) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "विनिश्चय के विरुद्ध" एवं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

शब्द "राज्य सरकार" के मध्य शब्द "ऐसे विनिश्चय की जानकारी दिये जाने के पश्चात" अन्तः स्थापित किये जायं, शब्द "राज्य सरकार" को शब्द "न्यायिक अधिकरण "द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय एवं तृतीय पंक्ति के अन्त में प्रयुक्त शब्द "होगा" के पश्चात शब्द "किन्तु इस अवधि में वह समय शामिल नहीं होगा जो ऐसे विनिश्चय की प्रति प्राप्त करने में लगे।" जोड़े जायं।

(iii) उप-खण्ड (5) में शब्द "किसी विकास कार्य को" के पश्चात् एवं अभिव्यक्ति" गिराने, तोड़ने या हटाने" से पूर्व शब्द "निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार" अन्तस्थापित किये जाय।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री नाथूसिंह, श्री भैरोंसिह शेखावत, श्री भंवर लाल जैन....

श्री भंवर लाल शर्मा : जैन नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जैन लिखा है। मेरे पास में जो लिखा है, वही बोल रहा हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा, सुश्री पुष्पा जैन ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 18 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 18 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता था कि सारे अमेण्डमेंट्स को मूव किया हुआ जब उधर से मान लिया गया है, तो इधर से भी मूव किया हुआ मान लिया जाये। सारी भाषा पढ़ने की जरूरत नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ब्याह के गीत तो गाने ही पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हमारे मंजूर नहीं कर रहे हैं, आपके मंजूर कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : पढ़ना ठीक रहेगा।

[खण्ड 19 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

उप-खंड (2) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "डिस्ट्रिक्ट जज, जयपुर नगर" प्रतिस्थापित किया जाये तथा शब्द "और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा" को विलोपित किया जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष)
श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

उप-खंड (2) की तीसरी पंक्ति में शब्द "निदेशक के विरुद्ध" व "को अपील" के मध्य प्रयुक्त शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर "न्यायिक अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाय।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 19 में जो संसोधन श्री नाथूसिंह, श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री भंवर लाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन ने पेश किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये। प्रश्न यह है कि खंड 19 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खंड-19 स्वीकार किया गया।

खंड-20। प्रभारी मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

"20. **कतिपय मामलों में स्थानीय प्राधिकारी से उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति** (1) जहां प्राधिकरण द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों, वहां प्राधिकरण उन सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व संभाल लेगा जो उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई हों, या वह स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता के भीतर इस प्रकार विकसित क्षेत्र आता है ऐसा उत्तरदायित्व सम्भाल लेने की अपेक्षा कर सकेगा।"

(2) प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो जाए, और जहां ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सहमति नहीं हो सके वहां स्थानीय प्राधिकारी या यथास्थिति, किसी अन्य प्राधिकारी और प्राधिकरण के साथ परामर्श करके ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी अन्य सुविधाओं के लिये उपबन्ध करने की अपेक्षा भी कर सकेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय और जिनके लिये प्राधिकरण द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है।

[खण्ड 20 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

इस खण्ड की आठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "और जहां ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सहमति नहीं हुई हो वहां ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो यथा-स्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी और प्राधिकरण के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए," विलोपित किये जायं।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 20 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री भैरोंसिह शेखावत, भंवर लाल शर्मा, कैलाश मेघवाल,

Page No 232

(232)

(श्री उपाध्यक्ष)
सुश्री पुष्पा जैन ने पेश किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 20, एज अमेंडेड।

प्रश्न यह है कि खण्ड 20 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 20 संशोदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-21। प्रभारी मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड 21 में निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

खंड 21 के उप खंड (1) में,—

(क) शब्द "तथा इसे सम्बन्धित प्राधिकारी या व्यक्ति से वसूल कर सकेगा" हटा दिये जाएं, और उनके पश्चात् आये विराम-चिन्ह " : " के स्थान पर विराम चिन्ह "।" प्रतिस्थापित किया जाये, और

(ख) विद्यमान परन्तुक हटा दिया जाये।

2–उप खंड (3) में, शब्दों "निर्दिष्ट प्राधिकरणों" के स्थान पर शब्द "निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी" प्रतिस्थापित किये जायें।

[खण्ड 21 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)
श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल)
श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

उप-खण्ड (1) में प्रयुक्त परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाय :—

"परन्तु राज्य सरकार ऐसा कोई भी निर्णय करने से पूर्व व्यक्ति या प्राधिकारी को सुनने का पूरा अवसर प्रदान करेगी।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में जो संशोधन प्रस्ताव सर्व श्री भैरोंसिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा, कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन ने प्रस्तुत किये हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 में जो प्रभारी मंत्री जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 21 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 21 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खण्ड 22 को विलोपित करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-22 को स्वीकार किया जाये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 22 को विलोपित करने के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ना कह देना, हो जायेगा, अपने आप।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 को स्वीकार किया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विलोपित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ना कह देने से विलोपित हो जायेगा। ठीक है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 को विलोपित किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : स्वीकार किया जाये, यह कहेंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-22 स्वीकार किया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। क्या करवा रहे हो आप?

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष में ना कह देंगे तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय राज्य मन्त्री जी ने अमेंडमेंट मूव किया है कि इसको विलोपित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेण्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सुन लीजिये। जिस खण्ड को विलोपित करने के लिये संशोधन मूव किया जाय, उसके रिटन में होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मन्त्री ने कहा है कि विलोपित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : वह भी ठीक कह रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। सदन की प्रक्रिया यह नहीं रही है किन्तु क्लाज 12 में यह प्रक्रिया अडाप्ट कर ली है। क्योंकि पहले क्लाज 12 में यह प्रक्रिया अडाप्ट कर ली है, उसके आधार पर प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया अडाप्ट करें। क्लाज 22 में संशोधन नहीं है, वर्बली कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 22 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 23।

[खण्ड 23 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माना गया :–

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

उप-खण्ड (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये :–

"परन्तु योजना बनाते समय वर्तमान में बने जयपुर के मास्टर प्लान में परिवर्तन नहीं करेगा।"

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 23

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि श्री घनश्याम तिवाड़ी ने खण्ड 23 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 23 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खंड 23 स्वीकार किया गया।

खण्ड 24 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 24 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 24 स्वीकार किया गया।

खण्ड 25।

[खण्ड 25 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेताप्रतिपक्ष)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

खण्ड 25

(I) उप-खण्ड (1) की तीसरी पंक्ति में शब्द "ऐसे प्ररुप और रीति में" के स्थान पर शब्द "निर्धारित नियमों के अनुसार" प्रतिस्थापित किया जाये।

(II) उप-खण्ड (5) को विलोपित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 25 में श्री भैरोंसिह शेखावत, श्री भंवर लाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 25 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 25 स्वीकार किया गया।

खण्ड 26 से 30 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 से 30 तक स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 26 से 30 तक स्वीकार किये गये।

[खण्ड 31 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

Page No 235

236

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उप-खण्ड (3) के परन्तुक के पश्चात एक और परन्तुक जोड़ा जाये:-

"परन्तुक यदि ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार उक्त प्रकार से तीस दिन के भीतर नहीं किया जाय तो उसे प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा दी हुई समझी जायेगी। "

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

(i) उप-खण्ड (2) को विलोपित किया जाये।

(ii) उप-खण्ड (3) के परन्तुक भाग (i) के पश्चात भाग (i-क) निम्न प्रकार से जोड़ा जाये:-

"(i-क) किसी भी मुख्य मार्ग पर खिड़कियां तथा दरवाजे निकालने के लिए;"]

प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन ने खण्ड 31 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 31 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 31 स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 31 स्वीकार किया गया।

खण्ड 32।

श्री श्रीराम गोटेवाला (प्रभारी मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 32 के उपखण्ड (2) में शब्दों "उतना प्रतिकर देने का प्रस्ताव करेगा जितना वह उचित समझे" के स्थान पर "समुचित प्रतिकर देने का प्रस्ताव करेगा" प्रतिस्थापित किए जाएं।

[खण्ड 31 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माने गये :

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता पतिपक्ष)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

उप-खण्ड (2) की छठी पंक्ति के शब्द "ऐसे" "व" प्रतिकर" के बीच में शब्द "युक्तियुक्त" अन्तःस्थापित किया जाय।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 32 में जो संशोधन श्री भैरोंसिह शेखावत, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री कैलाश मेघवाल, सुश्री पुष्पा जैन ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 32 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय प्रभारी मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 32 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 32 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 33 ये कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 33 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

उण्ड 33 स्वीकार किया गया।

खण्ड 34। श्री प्रभारी मन्त्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 34 के उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "एक माह से कम की नहीं" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक मास से अधिक की नहीं" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 34 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्तावित स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय.

(स्वीकृत)

खण्ड 34 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 35। प्रभारी मन्त्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 35 के उपखण्ड (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थातः-

"(3) इस अध्याय में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात अनधिकृत विकाश जारी रखता है, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ किये जा सकने वाले किसी भी अभियोजन या अन्य कार्यवाहियों या कार्यवाही के अतिरिक्त किसी भी पुलिस अधिकारी से, उस व्यक्ति का जिसके द्वारा भवन का परिनिर्माण जारी रखा जाता है और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को, ऐसे समय के भीतर जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनधिकृत विकास के स्थान से हटाने की अपेक्षा करने के लिए सशक्त होगा और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यपेक्षा का तदनुसार अनुपालन करेगा। व्यक्तियों के ऐसे हटाये जाने के अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसी निर्माण-सामग्री, औजारों, आदि को अधिकृत भी कर सकेगा जिसे ऐसा व्यक्ति अनधिकृत विकास के लिये उपयोग में ला रहा था।

(4) उप-धारा (3) के अधीन के अध्यपेक्षा-आदेश का अनुपालन हो जाने के पश्चात, कोई भी व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, जो बाद में अनधिकृत विकास जारी रखते हैं, दोषसिद्धि पर, उपधारा

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) की कार्यवाही के अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 75 के अधीन दण्डनीय होंगे।

(5) ऐसे किसी भी नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जाएगा जिसे वह अनधिकृत विकास के, इस अधिनियम के अधीन बन्द किये जाने के परिणाम स्वरूप उठाये।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 35 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 35 एज अमेण्डेड स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 35 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 36। प्रभारी मन्त्री जी

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 36 के उप-खण्ड (1) के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात:—

"परन्तु खड़ी फसलों को संक्षिप्त प्रक्रिया से नहीं हटाया जाएगा और सम्बन्धित व्यक्ति को फसल काटने और एकत्र करने के लिए प्राधिकरण द्वारा छह मास से अनधिक की समुचित कालावधि अनुज्ञात की जाएगी।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 36 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 36 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 36 यथा संशोधित स्कारवी किया गया।

खण्ड 37 से 41 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 37 से 41 तक स्वीकार किये जाये ?

(स्वीकृत)

ख37 से 41 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 42। प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 42 के खण्ड (1) के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात:–

"परन्तु ग्राम आबादी परिसीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विकास स्थानीय पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा के अनुसार उस सीमा तक करना विधिपूर्ण होगा जहां तक ऐसी अनुज्ञा ऐसी प्रारूप स्कीम से संगत हो।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 42 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ी सी टाइप की गलती रह गई है। इसमें शब्द "अनुज्ञा ऐसी प्रारूप स्कीम" के बाद शब्द "अथवा स्कीम" और जोड़ दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 42 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 42 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 42 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 43 और 44 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 43 और 44 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 43 और 44 स्वीकार किये गये।

खण्ड 45। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 45 में आने वाले स्पष्टीकरण को हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 45 में जो प्रभारी मंत्री ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 45 एज़ अमेण्डेड स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 45 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

खण्ड 46 से 58 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 56 और 57 के डिलीशन का संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 46 से 55 तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 46 से 55 स्वीकार किये गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 56 विलोपित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 56 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 57 विलोपित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 57 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 58।

प्रश्न यह है कि खण्ड 58 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 58 स्वीकार किया गया।

[खण्ड 59 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माना गया :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

उप-खण्ड (1) के भाग (ङ) को विलोपित किया जाये।]

प्रश्न यह है कि खण्ड 59 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने पेश किया है वह स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 59 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 59 स्वीकार किया गया।

खण्ड 60 से 62 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 60 से 62 तक स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 60 से 62 तक स्वीकार किये गये।

[खण्ड 63 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माना गया—

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

इस खण्ड में निम्न परन्तुक जोड़ा जाये :—

"परन्तु ऋणदाता से किसी भी ऐसी शर्त पर धन उधार नहीं लिया जा सकेगा, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण की भूमि को रहन रखने अथवा नियमों के विपरीत विक्रय की शर्तें हों।"]

खण्ड 63।

प्रश्न यह है कि खण्ड 63 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्यात तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 63 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 63 स्वीकार किया गया।

खण्ड 64 से 67 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 64 से 67 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 64 से 67 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 68। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 68 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"राज्य सरकार लेखा विवरण सहित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान सभा के पटल पर रखवाएगी।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 68 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 68 एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाय।

खण्ड 68 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

खण्ड 69। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 69 के साथ दिए गए स्पष्टीकरण में, शब्दों "बेची गई है" और शब्द "तथा" के बीच में शब्द "या जो भूमि अन्यथा स्वामित्वाधीन अथवा धारित है" अन्तः स्थापित किए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 69 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 69 एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 69 यथा संशोधित किया गया।

खण्ड 70 से 73 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 70 से 73 तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 70 से 73 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 74। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 74 में शब्दों "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 74 में प्रभारी मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 74 एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 74 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

खण्ड 75। प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 75 में विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने और मिथ्या सूचना इत्यादि देने के कारण शास्ति :

उप खण्ड (क) में, अभिव्यक्ति "समन, नोटिस," हटा दी जाए।

उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :–

"(ख) इस अधिनियम के उपबन्धनों में से किसी के भी अधीन कोई विवरणी या कोई सूचना देने की अपेक्षा किए जाने पर मिथ्या विवरणी या मिथ्या सूचना देता है।

वह इतने जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा या इतनी अवधि के कारावास से जो कि तीन मास तक की हो सकेगी या दोनों से दण्डनीय होगा।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 75 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 75 एज अमेण्डेड स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 75 यथा संशोधित स्वीकार किया गया।

खण्ड 76 से 78 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 76 से 78 तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 76 से 78 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 79। प्रभारी मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 79 के उपखण्ड (1) में, शब्दों "किये जाने के सिवाय नहीं करेगा" के पश्चात् आये विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात:–

"परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसका उसकी स्वयं की सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार धारा 33 की उप-धारा (1) में यथादर्शित अनधिकृत विकास से प्रतिकूलत: प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने उक्त अनधिकृत विकास का दायित्व लिया है, इसी रीति से शिकायत भी कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी कार्यवाहियों का सम्यक् नोटिस प्राधिकरण को भी दिया जाएगा और यदि प्राधिकरण एक युक्तियुक्त कालावधि के भीतर कार्यवाही के हेतुक को हटा देता है तो न्यायालय की कार्यवाहियों का, किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही या कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिन्हें प्राधिकरण ने प्रारम्भ किया हो या उसके पश्चात् कर सकता हो, उपसमन हो जायेगा।"

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा एक सुझाव है। आपने यह अधिकार प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करता है तो वह अदालत में जाकर मामला चलवा कर सजा दिलवा सकता है। आपने लिखा है "No court inferior to that of Chief Judicial Magistrate shall try any offence punishable under this Act."

इस वक्त केवल प्राधिकरण को कम्प्लेंट लिखा सकता है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ any judicial magistrate of first class. को कम्प्लेंट करने का। मान लीजिये, चौमू में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही कर दी तो वह भी जयपुर आयेगा जब कि उसके वहां पर अदालत है। अगर यह अधिकार मजिस्ट्रेट को दे दिया तो वह व्यक्ति वहीं पर अपील कर सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जुड़ गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मजिस्ट्रेट को अधिकार दें, वरना दोनों व्यक्तियों को, पार्टियों को उस गांव में न्यायालय होते हुए भी जयपुर आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यह है कि इसे रहने दिया जाये। इसके साथ-साथ आपने तो कह दिया कि केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुनवाई करके....

श्री हीरालाल देवपुरा : At present also there are offences which are tried only by Chief Judicial Magistrates.

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको क्या फायदा मिला ? सरकार को क्या फायदा होगा ?

Page No 243

श्रीमती कमला : जब दिक्कत आयेगी तब देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा खण्ड 79 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है इसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 79 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

79 खण्ड संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 80 से 82 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 80 से 82 तक स्वीकार किये जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 80 से 82 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 83 । प्रभारी मंत्री जी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 83 के उप-खण्ड (2) में शब्दों "छह माह" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" प्रतिस्थापित किए जायं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 83 में प्रभारी मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 83 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 83 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 84 व 85 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 84 व 85 स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 84 व 85 स्वीकार किये गये।

खण्ड 86 । प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 86 के उप-खण्ड (1) में, अभिव्यक्ति "कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के या उसके अधीन के किसी आदेश या नियम या विनियम के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति" प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी, जो रैंक में उप-निरीक्षक से कम न हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसकी राय में प्राधिकरण में निहित भूमियों पर या लोक मार्गों पर अधिनियम की धारा 76 या अधिनियम के अधीन बनाए गए

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

किसी आदेश या नियम या विनियम के अधीन यथा उपबन्धित, अधिक्रमण या अनधिकृत विकास से संबंधित कोई अपराध कर रहा हो" प्रतिस्थापित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 86 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 86 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 86 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 87। प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 87 के उप-खण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात :—

"(8) अन्यथ यथा उपबन्धित के सिवाय, प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश से संसूचित किए जाने से तीस दिन के भीतर अधिकरण में अपील फाइल कर सकेगा। अपील में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके समस्त पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 87 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 87 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 87 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

[खण्ड 88 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माना गया :

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

उप-खण्ड (ख) की छठी पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "राजस्व बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा तब" को विलोपित किया जाय।]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 88 में श्री नाथूसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 88 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 88 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 89 से 92 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 89 से 92 तक स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 89 से 92 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड 93। प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उप–खण्ड (1) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात :—

"ऐसे करार के साथ नियोजक की लिखित सम्मति होगी।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 93 में प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 93 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 93 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 94 से 97 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड 94 से 97 तक स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खंड 94 से 97 तक स्वीकार किए गए।

खंड 98। प्रभारी मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 98 के उप–खंड (1) में, अभिव्यक्ति, "प्राधिकरण द्वारा जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए तक तक" हटा दी जाए।

उप–खंड (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाए, अर्थात :—

"किसी स्थानीय प्राधिकरण की ओर से किसी प्लान, स्कीम, परियोजना, या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निर्देश की क्रियान्विति किए जाने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण,"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 98 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 98 एज अमेंडेड स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड 98 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड 99।

[खण्ड 99 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माना गया :

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

(i) उप-खण्ड (1) के अन्त में प्रयुक्त शब्द "नियंत्रण की शक्ति होगी" के पश्चात् शब्द "सभी गृह निर्माण सहकारी समितियों का स्वामित्व समाप्त हो जावेगा तथा उनके अधिकार प्राधिकरण में विहित हो जावेंगे, एवं वर्तमान मास्टर प्लान के प्रावधानों के अन्तर्गत होने पर ही उनका नियमितिकरण किया जायेगा" जोड़े जायं।

(ii) उप-खण्ड (2) के बाद नवीन उप-खण्ड (3) निम्न प्रकार जोड़ा जाये, अर्थात् :—

(3) प्राधिकरण कोई नई गृह निर्माण सहकारी समिति के गठन की अनुमति नहीं देगा एवं वर्तमान में कार्यरत गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा निर्मित उप-बस्तियों का नियमितिकरण जब तक नहीं करेगा, जब तक वे वर्तमान में (विकास प्राधिकरण गठित होने से पहले) निर्मित जयपुर मास्टर प्लान के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं हो।"]

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें डिलीशन होगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 99 विलोपित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विलोपित होगा। प्रक्रिया तो वही है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 99 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 99 को विलोपित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खंड 100 से 103 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 100 से 103 स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 100 से 103 तक स्वीकार किए गए।

खण्ड 104।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 104 में एक अमेंडमेंट दिया है। इसको देने का मेरा तात्पर्य यह था कि इस खण्ड को जोड़ कर मंत्री महोदय ने इस अथोरिटी में सारी पावर्स निहित कर ली हैं और कह दिया है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। इस क्लाज को पढ़ कर उसकी कुछ

Page No 247

(248)

(श्री नाथूसिंह)

लाइन्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

"Save as otherwise provided in this Act, no civil court shall take cognigence on any matter which is required to be or may be decided by the Authority, executive committee, Jaipur Development Commissioner, Functional Board and body thereof, the Tribunal of the State Government under this Act."

उपाध्यक्ष महोदय, जो छोटी सी बोडी होगी वह जो निर्णय लेगी उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए, प्रिजुडिस होकर बोर्ड के चेयरमैन ने छोटी कमेटी बनाई; उसका चेयरमैन किसी के विरुद्ध निर्णय ले लेता है तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता। आगे देखिए :

"Save as otherwise expressly provided in this Act, an order passed or a direction given by the State Government to the Authority,"

अगर आपने आर्डर भी दे दिया तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में नहीं जा सकता "or an order passed or notice issued by the Authority under this Act shall be final and shall not be questioned in any suit or other legal proceeding."

उपाध्यक्ष महोदय, नोटिस को भी चैलेंज नहीं कर सकता, न कोर्ट में जा सकता है। इसलिए यह जो प्रवृत्ति है कोर्ट में जाने से रोकने की, यह लोकतन्त्र के जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनके विपरीत है। मान लीजिये मैलाफाइडी इन्टेंशन अथोरिटी की मालूम पड़ती हो, इस अथोरिटी को जो कन्ट्रोल करते हैं उनकी मैलाफाइडी इण्टेंशन जिसके पीछे लगती हो, प्रिजुडिस होकर कोई निर्णय ले ले तो भी कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं होगी तो वह व्यक्ति, जो इसके निर्णय से प्रभावित होगा, कहां जायगा ? किसी भी डेमोक्रेटिक कन्ट्री में इस तरह का आर्बीट्रेरी प्राविजन नहीं हो सकता। ऐसे प्राविजन पर यदि हाउस मोहर लगाएगा तो इस हाउस की इन्सल्ट होगी, डेमोक्रेटिक पैटर्न की इन्सल्ट होगी। यह हाउस किसी बोर्ड को अधिकार दे दे, आर्बीट्रेरी अधिकार दे दे कि किसी की गर्दन पर तलवार चला दे, उसके खिलाफ केवल अपील का भी अधिकार नहीं हो, तो मैं समझता हूं यह घोर अन्याय है। इसके पीछे इनकी अच्छी मन्शा नहीं लगती। इसलिए सदन से निवेदन करता हूं कि जो कोर्ट में जाने से बार किया है अथोरिटी के निर्णय के खिलाफ इसमें मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाए, यह मैं सदन से अनुरोध करता हूं। मेरा संशोधन निम्न प्रकार है :—

"(i) उप-खण्ड (1) की तृतीय पंक्ति में शब्द "प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, जयपुर विकास आयुक्त, कृत्यकारी बोर्ड, उसके किसी निकाय "व चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "या राज्य सरकार" को विलोपित किया जाये।

(ii) उप-खण्ड (2) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "या प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम

(श्री नाथूसिंह)

के अधीन पारित आदेश या जारी किया गया नोटिस" को विलोपित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर दें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति की है उस का मैं विरोध करना चाहूंगा । इसमें अभी अपने क्लाज 87 पास किया है इसके अन्तर्गत ट्रिब्यूनल की स्थापना की व्यवस्था है । इस तरह के सारे केसेज उस ट्रिब्यूनल में ले जाये जा सकेंगे । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि धारा 104 एज इट इज स्वीकार की जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री नाथू सिंह ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह कानून पास हो गया तो आप जैसे लोगों को वकालत नहीं मिलेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा प्रश्न करा लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री नाथू सिंह ने पेश किया है वह स्वीकार किया जाए ।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिवीजन ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं डिवीजन करा देता हूं ।

(मत विभाजन घंटी)

प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नाथू सिंह जी ने रखा है वह स्वीकार किया जाये ।

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं साहब, हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : मै दुबारा पढ़ देता हूं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नाथू सिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपने किसको पूछा है। आप वापस पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नाथू सिह जी प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : Ayes have it.

(व्यवधान)

श्री ईश्वर लाल सैनी : मान लिया।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर डिवीजन होना चाहये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नाथू सिह जी ने पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय।

जो माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में हो वह खड़े हो जायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : We claim division.

श्री ईश्वरलाल सैनी : No division.

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिह : हमारा तो एक ही वोट ज्यादा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : हम तो रिकार्ड पर लाना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह : हम नहीं चाहते कि लोग कहें कि घोटेवाला की छाप लग गयी।

(मत विभाजन घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 104 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय नाथू सिह ने पेश किया है वह स्वीकार किया जाय।

जो इस संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में हों वह हां पक्ष लाबी में जायं और इसके विपक्ष में हों वह ना पक्ष लाबी में जायं।

(लाबी मतदान)

अब मैं रिजल्ट अनाउन्स करता हूं :—

प्रस्ताव के पक्ष में–20

प्रस्ताव के विपक्ष में–65

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कांग्रेस के 90 विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया, बड़े ताज्जुब की बात है।

मत विभाजन

हां पक्ष

क्र.संख्या	सदस्य का नाम
1.	डा. उजला अरोड़ा
2.	श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल
3.	श्री गोपाल पचेरवाल
4.	श्री घनश्याम तिवाड़ी

क्र. संख्या	सदस्य का नाम
5.	श्री छीतरलाल आर्य
6.	श्री नाथू सिंह
7.	सुश्री पुष्पा जैन
8.	श्री फतेसिंह
9.	श्री बहादुर सिंह
10.	श्री भंवरलाल शर्मा
11.	श्री भरोसी
12.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
13.	श्री महाराम चौधरी
14.	श्री मेघराज तावड़
15.	श्री यदुनाथसिंह
16.	श्री रामकिशोर मीणा
17.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
18.	श्रीमती विद्या पाठक
19.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
20.	श्री हंसराज शर्मा

ना पक्ष

क्र संख्या	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीन खाँ
2.	श्री असलम खाँ
3.	श्री आत्माराम
4.	श्री ईश्वरलाल सैनी
5.	श्री उदयराम धाकड़
6.	श्री कनकराज मेहता
7.	श्रीमती कमला बेनीवाल
8.	श्री खेतसिंह
9.	श्री गोकुलचन्द शर्मा
10.	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर
11.	श्री घनश्याम जैन
12.	श्री घासीराम यादव
13.	श्री चेतराम
14.	श्री सी.एल. कंवरिया
15.	श्री जगतारसिंह
16.	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
17.	श्री जयकृष्ण शर्मा
18.	श्री जयदेव प्रसाद इंदोरिया
19.	श्री जीवराजसिंह राठौड़
20.	श्री तकीउद्दीन अहमद
21.	श्री दिनेश डांगी
22.	श्री दीपचन्द
23.	श्री दुलाराम
24.	श्री देवदत्त तिवाड़ी
25.	श्री देवेन्द्रसिंह
26.	श्री परसराम मोरदिया
27.	श्री परसराम मदेरणा
28.	श्री प्रद्युम्न सिंह
29.	श्री प्रभुलाल
30.	श्री बनवारी लाल
31.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
32.	श्री भरतलाल
33.	श्री भैंरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)
34.	वैद्य भैंरूलाल भारद्वाज
35.	श्री महेन्द्रसिंह
36.	श्री माणकलाल मेहता
37.	श्री माधवसिंह दीवान
38.	श्री मानसिंह देवड़ा

क. संख्या	सदस्य का नाम
39.	श्री मालूराम लेघा
40.	श्री रतनलाल ताम्बी
41.	श्री राधेश्याम (हरदयाल)
42.	श्री रामनारायण डूडी
43.	श्री रामप्रसाद
44.	श्री रामरघुनाथ चौधरी
45.	श्री राम सहाय सोनड़
46.	श्री रामसिंह विश्नोई
47.	श्री रेवतराम चौधरी
48.	श्री लक्ष्मीनारायण भांभू
49.	श्री विष्णु प्रकाश बजारी
50.	श्री शिवदानसिंह राठौड़
51.	श्री शोदानसिंह
52.	श्री शोभराज मल
53.	श्री शोभाराम
54.	श्री श्रीराम गोटेवाला
55.	श्री सुजानसिंह यादव
56.	श्री सुनीलकुमार विश्नोई
57.	श्री सुन्दरलाल
58.	श्री सुरजाराम
59.	श्री सूरजपाल सिंह
60.	श्री सूर्यकुमार
61.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
62.	श्री हर सहाय मीणा
63.	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
64.	श्री हरिसिंह (महुवा)
65.	श्री हीरालाल देवपुरा

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 104 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 104 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 105 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 105 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 105 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 106 । प्रभारी मंत्री जी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 106 के उप-खण्ड (1) में, मद (ज) में, शब्दों "आमेलित किए जायेंगे" और विराम चिन्ह ":" के बीच निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

'किन्तु उन्हें पदों पर ऐसे निबन्धनों पर आमेलित नहीं किया जाएगा जो वेतन और भत्तों के मामले में उनके लिए कम लाभप्रद हों," और मद (ट) में, शब्द "प्रश्नगत किए जाने योग्य नहीं होगी तथा" हटा दिए जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 106 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री जी पेश किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

Page No 252

(253)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 106 एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 106 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 107 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 107 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 107 स्वीकार किया गया।

अनुसूची (1) और (2)--कोई संशोधन नहीं है।

संशोधन तो आपका है नहीं कोई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संशोधन नहीं हैं तो भी डिलीशन के लिए तो बोल ही सकती हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सैक्शन 8 में उप-खण्ड (2) के मद 3 में....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी आप बाद में। अनुसूची (1) और (2) उसका है यह। आप प्रस्तावना पर पहुंच गये।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 2 में जो आपने अनुसूची जारी की है मुझे समझ में नहीं आया कि वह अनुसूची आपने किस आधार पर बनाई है। आखिर जिन गांवों और जिन कस्बों को लिया उनको लेने का आधार क्या रहा, मंत्री महोदय यह आपने स्पष्ट नहीं किया ? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगी कि आपने मर्जी आई उस गांव को ले लिया, और मर्जी आई उसको छोड़ दिया। कोई स्पेसिफिक आपने एक एरिया नीयत किया होता तो समझ में आता कि आप जयपुर का विकास करना चाहते हैं। आप कहते कि हमें आमेर तक करना है या कुण्डा तक करना है या कूकस तक करना है तो समझते कि आप जयपुर डवलपमेन्ट अथारिटी के जरिये जयपुर का विकास करना चाहते हैं। आप ने एक जेड टाइप एरिया बना दिया और मर्जी आई उस गांव को ले लिया, और मर्जी आई उसको छोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुसूची के आधार पर बताना चाहूंगी, वैसे तो आपने मेरे 100 से ज्यादा गांव लिये हैं लेकिन महज उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगी कि आपने हरमाड़ा गांव को लिया। ठीक है आप यह कहते कि जयपुर से हरमाड़ा तक लिया या रामपुरा तक लिया या जादोसर तक लिया तो समझ में आता। आपने हरमाड़ा को ले लिया लेकिन हरमाड़ा से पहले ही जोड़ला गांव आता है। चौमू रूट से इस विधान सभा के कई माननीय सदस्य गुजरते होंगे। हरमाड़ा आने से पहले जोड़ला आता है। जोड़ला को आपने छोड़ दिया। उसका जयपुर डवलपमेन्ट अथारिटी कोई विकास नहीं करेगी लेकिन हरमाड़ा का विकास करने का जोश चढ़ गया। हरमाड़ा लिया है उस तक सीधे पहुंच गये। अब मैं कहना चाहती हूं कि उस रोड पर कितने गांव छोड़ दिये, उसकी इनको कोई चिन्ता नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, गांव ले भी लेंगे तो विकास नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो यह विधेयक प्रस्तुत

(254)

(सुश्री पुष्पा जैन)

किया उसके सैक्शन 2 की जो अनुसूची दी है महज मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूं इन्होंने लिया नांगल। नांगल आमेर के बाद बताया। आमेर के बाद बताया सीधा अचरोल। सीधे अचरोल पहुंच गये जब कि बीच में गुलाता आता है, डण्ड आता है, लवाना आता है, हरि आता है उनके विकास की कोई चिन्ता नहीं है। जो रोड पर गांव थे, उनको छोड़ दिया और पहाड़ों पर जहां अनुसूचित जाति के गांव है, अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा कोई इक्के-दुक्के लोग रहते हैं वरना कोई रहता ही नहीं है, जहां अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन है जो जमीन उनकी रोजी-रोटी का महज एक माध्यम है या तो वह बकरियां चरा लेते हैं या फिर उनकी रोजी-रोटी का जरिया वह जमीन है, उस जमीन के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, न तो वे पढ़े-लिखे हैं और न दूसरा धन्धा करना जानते हैं, उनके गांवों को लेकर आखिर आप करना क्या चाहते हैं। उन गांवों को आपने ले लिया। उनकी जमीन जयपुर डवलपमेंट आथोरिटी के जरिये हथिया लेंगे तो वह लोग क्या करेंगे? बाजार में मजदूरी करेंगे। मेरी समझ में नहीं आया, आखिर किसने यह सुझाव दिया, किस तरीके से यह किया, क्यों किया गया। माननीय कमला जी, मैं आपसे जरूर उम्मीद करूंगी कि आप मंत्री महोदय को समझायेंगी। आप गांवों के बारे में जितना समझती हैं माननीय मंत्री महोदय शायद उतना नहीं समझ सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ गांवों के नाम पढ़ कर सुनना चाहूंगी नांगल, सुसावतान, लालवास, नेस्तीवास, बीर, तालेड़ा, बड़ा गांव, झगोखिया, सेवास, मायला बान्ध, जयासला, आकेड़ा, ..र, लक्ष्मीनारायणपुरा, अखयपुरा, बिशन... पुरा। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे गांव हैं जिनमें जैसा मैंने बताया, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं और जिनकी रोजी-रोटी का जरिया केवल जमीन है। ये गांव पहाड़ों पर बसे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, अभी आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप देखने गये होंगे, आप उधर से गुजरे होंगे तो निश्चित रूप से जीप से पहाड़ के ऊपर होकर गांव के अन्दर जाना पड़ा होगा। होदी राम सागर जिसे कहते हैं, मैंने अभी अखबार में पढ़ा था, होदी राम सागर पर आप कोई फिल्म बनाना चाहते हैं। उस पहाड़ी पर जो गांव बसे हुए है उनमें रहने वाले कुछ जानते नहीं, समझते नहीं। ज्यादा से ज्यादा वे अपनी जमीन जानते हैं या फिर दूध का मावा बनाकर बाजार में बेच देते है। उन लोगों के साथ जबरदस्ती आपने छेड़खानी की। कौनसा धन्धा दे देंगे आप उनकी जमीन लेकर? जमीन पर खेती के अलावा वे क्या कर सकते है। मतलब यह है कि आप अपने स्वार्थ के खातिर उनसे जमीन तो ले लेंगे किन्तु उनको कुछ पैसे देकर असहाय छोड़ देंगे। उनके बच्चे भूखे मरेंगे। क्या करेंगे आप? किस तरह से विकास करना चाहते हैं? आप स्पष्ट करते कि अनुसूचित जाति के लोगों को विकास की ओर किस प्रकार अग्रसर करना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। सैक्शन 2 में एक बात और कह दी....

(सुश्री पुष्पा जैन)

(व्यवधान)

—जयपुर रीजन से अनुसूची ए में विनिर्दिष्ट शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं के क्षेत्र अभिप्रेत है। राज्य सरकार समय समय पर राज-पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी। मंत्री महोदय, मैं आपसे जवाब चाह रही हूं। आप निश्चित रूप से जवाब यही देंगे कि हमने तो बतौर ट्रायल ले लिया है। इसमें से जो ठीक होंगे उनको ले लेंगे और जो ठीक नहीं होंगे उनको छोड़ देंगे। स्पष्ट रूप से इसमें राजनैतिक दुर्भावना नजर आती है। आप उनके साथ राजनैतिक मखौल करना चाहते हैं। आपकी जो मर्जी आई वह किया, जिस गांव ने आपका साथ दिया, जिस वोटर ने आपका साथ दिया उसके गांव को ले लिया या उससे निकाल दिया। यदि इस तरह से आप उन पर दुधारी तलवार लटकाना चाहते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सैक्शन 2 की जो अनुसूची जारी की है यह बहुत ही डेन्जरस है, खास तौर से ग्रामीण लोगों के लिये बहुत ही खतरनाक है और उनकी गर्दन पर आपने एक तलवार लटकाई है। कोई उनके विकास की आपकी मंशा नजर नहीं आती। जबरदस्ती उनको बेगारी की ओर आप धकेलना चाहते है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप बिना किसी स्वाभिमान के, बिना किसी अभिमान के बिलकुल सद्भावना के साथ इसे वापस ले लें तो बेहतर होगा, आपके हित में भी होगा और जनता के हित में भी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगी....

(व्यवधान)

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार हमारी संस्कृति को अपने कु-कृत्यों से नष्ट करना चाहती है। यह इस तरह का व्यवहार कर रही है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 80 गांव लिये हैं। इससे पहले जो गांव लिये हुए थे मास्टर प्लान के तहत जैसे जयसिंहपुरा खोर, सुमेर, जामरोली, उनमें सड़कें आदि बनाने का, विकास का कोई काम किया नहीं गया। अब और करीब 100 गांव लेने चले हैं। मैं कहना चाहती हूं यह उन गांव वालों के साथ सरासर अन्याय होगा। आपके काम करने का ढंग, आपके काम करने की गति और आपके चिन्तन की गति उन लोगों को मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुमत का जो शासन है, मैं कहना चाहूंगी कि....

श्री रामसिंह विश्नोई : अल्प मत का शासन तो कहीं भी नहीं रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको लोकतन्त्री शासन कहने में कई बार दुःख होता है। ये बहुमत का सहारा लेकर सबका गला घोंटना चाहते है। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, पहले सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था, इसके बाद अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना और फिर 66 में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना। मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहना चाहूंगी, आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं। मैं बताना चाहूंगी मानपुर सरवा के पास के गांव....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : आपका गला खराब हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम तो चाहोगे कि गला घुट जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे मेरी बात कहने दीजिये। आप एशिया गेम्स करने जा रहे है, जमुवारामगढ़ तक के गांव इन्होंने ले लिये है। बिलकुल इन्टीरियर के गांव है, अभी तक जो पहाडों से खेत काटते थे वह तो रोके नहीं गये। इससे वहां का बहुत बड़ा इलाका बरबाद हो गया है। ये सोचते हैं, विकास की इस गति से इस चिन्तन से उनका विकास कर देंगे। इन्होंने खोड के गांव वालों की जमीन छीनी है और लोगों को तंग किया गया है। यह भी नहीं रखा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जमीन का समान मुआवजा देंगे। नागपुर का मैं एक केस कोट करना चाहती हूं—नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम विट्टलदास, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मान्यवर, उसमें कहा गया है कि हम दो तरीके से नहीं सोच सकते है कि गांव की भूमि का अलग मुआवजा दें और शहरी भूमि का अलग से मुआवजा दें। मान्यवर, यह अन्याय करने पर तुले हुए हैं। लोग इसको चैलेन्ज करेंगे। यह जो विधेयक लाये हैं, यह सफल नहीं हो सकता। हां, यह जरूर है कि जन जीवन को आन्दोलित करेंगे। तरह तरह से उनकी ऐसी बरबादी करेंगे जो कहा नहीं जा सकता है।

मैं समझती हूं कि यह बहुत घातक कानून लाये हैं। यह विकास का कानून नहीं है विनाश का कानून है। मान्यवर, अगर विकास करना था तो जयपुर का विकास करना था वह तो किया नहीं, इससे विनाश अवश्य कर देंगे। मान्यवर, इन्होंने शुरू में लिखा है इसका प्रभाव जयपुर नगर के नगरीय क्षेत्रों में होगा। नगरीय क्षेत्र में विकास करने वालो, गांवों में क्यों घुसे। गांवों में घुसने का तुम्हारा अधिकार नहीं था। तुमने गांव वालों के लिये आज तक कुछ किया नहीं बल्कि उन लोगों को दुखी किया पीड़ित किया। मैं कहना चाहती हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि जो शिड्यूल आपने दिया है इसको तो छोड़ें। अगर इसे बहुमत से पास करा लेंगे तो जनता आपको धिक्कारेगी, आपके इस कानून की हिन्दी होगी, खिल्ली उड़ाई जायगी और लोग आपको भी चैन से नहीं बैठने देंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक की अनुसूची 1 व 2 को स्वीकार किया जाय?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

शिड्यूल 1 और 2 स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 1, प्रस्तावना, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि ।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि श्री धनश्याम तिवाड़ी के संशोधन को स्वीकार किया जाय ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : क्यों नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री घनश्याम तिवाड़ी का संशोधन स्वीकार किया जाय ।

(व्यवधान)

इस पर पाइन्ट आफ आर्डर होता ही नहीं है । बैठ जाइये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 1....

श्री यदुनाथ सिंह : हम बोलेंगे इस पर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तृतीय वाचन होगा ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : सदन की गरिमा को कायम रखा जाय ।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात यह यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सद्भावना के साथ आज की कार्यवाही समाप्त होनी चाहिए । यह थर्ड रीडिंग है, लोग मौलिक बात कहना चाहते हैं, उनको कहने का अवसर दीजिए । पूरे बिल पर विचार हो गया । मैं समझता हूं, जल्दबाजी न करके आप अपनी व्यवस्था दे दें कि माननीय सदस्य बोलना चाहें वह बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये । आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस बिल का तृतीय वाचन चल रहा है । मैं जरूरी समझती हूं कि इस स्टेज पर सरकार को एक बार और आगाह किया जाय कि यह बिल जनता के

Page No 257

(258)

(श्रीमती विद्या पाठक)

विरोध में है, जनता का बहुत हित करने वाला नहीं है। आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जैसा कहा, गांवों को इस प्राधिकरण के अन्तर्गत लेने में सरकार बहुत चूजी है, चूजी इसलिए मैं कह रही हूं कि कौन से गांवों को किस आधार पर लिया गया, मुझे विश्वास है कि वह राजनैतिक आधार तो नहीं हो सकते क्योंकि इन लोगों को जानकारी भी नहीं है, यह तो जनता से इतने कट आफ हैं कि इसकी जानकारी भी इनको नहीं हो सकती परन्तु निश्चित रूप से जहां जमीन अच्छी देखी गयी उसी गांव को ले लिया। इससे बहुत बड़ी हानि होने वाली है। गांव और शहर दोनों के अलग अलग तरह के विकास होते हैं। जैसा इस प्राधिकरण विधेयक में भी बताया है कि सूचनाएं, अधिसूचनाएं, जिनके द्वारा गांव वालों को सूचित करना होगा, किसी भी मुख्य, प्रमुख स्थान, जिनको यह मानेंगे, पर लटका दी जायेंगी। गांव वाले नासमझ और अनपढ़ होते हैं इसलिये उनको उस सूचना की जानकारी नहीं होने की वजह से ग्रामीण जनता की सुविधा बढ़ने के बजाय उनको असुविधा अधिक होगी। आप पंचायत भी रखेंगे और नगरपालिका भी रखेंगे। कई वार दोनों के फन्क्शन ओवर लैपिंग फंक्शन होंगे। इस बात को भी बिना सोचे आप प्राधिकरण शुरू करना चाहते हैं। इसी तरह जहां गांव का व्यक्ति इससे व्यथित होगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, पहले खण्ड 1 में संशोधन आ जाने दीजिए। फिर आप बोलिये। खण्ड 1 में संशोधन मूव करेंगे माननीय मन्त्री महोदय....

श्रीमती विद्या पाठक : तृतीय वाचन प्रारम्भ करने के वाद संशोधन मूव करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : It is putting the car before a horse.

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 में उप-खण्ड (2) में, शब्दों "जयपुर के नगरीय क्षेत्र", के स्थान पर, शब्द "जयपुर रीजन क्षेत्र" प्रतिस्थापित किए जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : रीजन क्या होता है, आपकी मन्शा क्या है ? स्पष्ट किया जाय।

[प्रस्तावना में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत माना गया—

श्री घनश्याम तिवाड़ी :

प्रस्तावना के अन्त में प्रयुक्त शब्द "उपबन्ध किया जाय" के आगे शब्द "एवं वर्तमान में निर्मित व्यक्तिगत कॉलोनियों का जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम से पूर्व बने मास्टर प्लान के अन्तर्गत नियमितिकरण तथा मास्टर प्लान के विपरीत होने पर समस्त शक्तियों को जयपुर विकास प्राधिकरण में सन्निहित किया जाय।"]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में जो संशोधन प्रस्ताव श्री घनश्याम तिवाड़ी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 में प्रभारी मन्त्री ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, उनको स्पष्ट करने दीजिए कि रीजन क्या हैं। यह अजमेर तक ले जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माइलेज स्पष्ट कीजिए, कितने माइल के दायरे को रखना चाहते हैं ? नगरीय क्षेत्र लेकर चलते हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संशोशित रूप में, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, एज अमेन्डेड, अधिनियमन सूत्र, नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ए से लेकर जेड तक संशोधन हमारे लिए हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : क्या अमेन्ड हुआ ?

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव करिये पहिले।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रही थी कि जहां यह प्राधिकरण आने के पश्चात गांव का विकास प्रभावित होगा, जहां गांवों की खेती की जमीन छिन जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी होगी वहां शहर वालों को भी इससे कम असुविधा नहीं होगी। उनको अनाज और सब्जियां प्राप्त करने में कितनी दिक्कत होगी, इसकी कल्पना तो इन लोगों को तब होगी जब इस असुविधा का सामना करना पड़ेगा। हमें आज भी आशंका है कि इन सहकारी निर्माण सोसायटियों और जमीनों के रहते हुए कोई प्लान डवलपमेन्ट यह लोग कर पाएंगे। इसमें पूरी शंका है। जहां बड़े बड़े शहरों के डवलपमेंट की दृष्टि से हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया में बड़ी बड़ी संस्थाओं को छोटा करके मैनेजेबल करने की कोशिश की जा रही है वहां हमारी राजस्थान की सरकार एक वाहियात एक्सीपेरीमेन्ट करने जा रही है। जो व्यवस्था व व चीजें छोटे स्केल पर इनसे संभल नहीं पायीं उनको मिला कर बड़े स्केल पर संभालने का एक दुस्साहस कर रहे हैं, जो जनता के हित के लिए ठीक नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगी कि हर वर्ष इसका

(श्रीमती विद्या पाठक)
प्रतिवेदन सदन में रखा जाय....

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, कृपया सुनने का कष्ट करें। एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूं जनता के हित में।

इसका बजट हर वर्ष सदन में डिस्कस होना चाहिए और इस सदन से वोट होना चाहिए, इसकी व्यवस्था भी आप करने का कष्ट करें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास....

श्रीमती उजला अरोड़ा : किसी भी माननीय सदस्य को सुझाव देने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महाराम जी बोलेंगे। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह बात सूझती नहीं है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है। हम ग्रामीण क्षेत्रों से ही जीत कर आये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के साथ मिला कर उन पर शहरीकरण को बोझा लाद रहे हैं। गांव की समस्या अलग तरह की होती है और शहरों की अलग तरह की होती है। शहर वाले गांव वालों की समझ में नहीं आते हैं और गांव वाले शहर वालों की समझ में नहीं आते हैं। इसलिए इससे एक तरह से असामन्जस्य बन जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, गांव वाले कहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, सुनिये।

श्री महाराम चौधरी : आप लोग गांव से आ गये हैं और अब गांव वालों को भूल रहे हैं। आपको यह मालूम नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : गांव वालों को शहरी बना रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : हां, शहरी बना रहे हैं। बहुमत के आधार पर हड़बड़ी के साथ सत्रावसान के टाइम पर यह विधेयक पास हो रहा है। गांव वालों को यह मालूम ही नहीं है कि हमारे लिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इस बिल को पास होने दीजिए तब उनको मालूम हो जायेगा।

एक मिनट और।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो प्रलोभन दिखेगा और शहरी क्षेत्र के विकास के नाम पर चाहे जिसकी जमीन ले लेंगे। उनके पास एकमात्र खेती करने का जो साधन है वह भी लोभ में आकर दे देंगे तो उनके पास कोई कमाई करने का साधन नहीं रहेगा। उनके पास में कमाने-खाने के लिए कोई जमीन नहीं रहेगी और उनको शहर वालों की सवारी के लिए रिक्शा चलाना पड़ेगा। रिक्शा चलाने के अलावा उनके पास में कोई काम नहीं रहेगा। इसलिए सत्तापक्ष को बहुमत के आधार पर यह बिल कतई पास नहीं करना चाहिए। एक मौका आपको और मिला है, अभी भी सोचने का वक्त है, आप सोच लीजिए। सुबह का भूला हुआ आदमी शाम

(श्री महाराम चौधरी)

को घर आ जाता है तो वह भूला हुआ नहीं समझा जाता ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री यदुनाथ सिंह ।

जयदेव प्रसाद जी वैसे ही बहुत कम बोलते हैं । पहले इनको बोल लेने दें ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, मारवाड़ी में एक कहावत है, जब शादी होती है । और दुल्हा द्वार पर आता है तो महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है—"कांकड़ आया बिराजो सा गढ़ कामणिया" तो सारी धारायें आपने पास कर दीं, अब तो संशोधित रूप में पास करना है । मैं आपके माध्यम से विपक्षी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको पास कर दो । अब कुछ रहा तो है नहीं ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो जबरदस्ती कांकड़ में आ गया है ।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : जब यह कांकड़ में आ गया है तो अब पास ही कर दो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सत्ता दल की मैजोरिटी है, इसके आधार पर चाहे जैसे तोड़-मरोड़ कर किसी भी बिल को बना देंगे । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वास्तव में, जो गांव उन्होंने लिए हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री मेघराज तावड़ : जयपुर रीजन का जो एरिया है उसका जो मास्टर प्लान बनाया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में दुःख की बात यह है कि उसमें जो आसपास के गांव लिए हैं वे अधिकतर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हैं । उन गरीबों के पास जो जमीन है वह ली जाएगी जिससे वे बेघरबार हो जायेंगे । उनको यह भी मालूम नहीं कि कितना पैसा दिया जाएगा ।

दूसरा यह है कि इसमें बू दुर्भावना की आती है । जयपुर के जो गांव लिए गए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां के गांवों से मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा वाकिफ नहीं हूं लेकिन प्राधिकरण का जो प्लान बनाया गया है यह उसकी नकल है, यह आपके पास भी आ जाएगी....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बातें नहीं करें ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री इसका भी जवाब देंगे कि यह जो मास्टर प्लान है, इसके अन्दर जो गांव

(श्री मेघराज तावड़)

है उनकी जमीन लेंगे। यह नक्शा आपके सामने है, एक तरफ तो सीधे जम्मू की तरफ जायेंगे। उधर के कितने ही गांव बीच में छोड़ दिए गए हैं। इसका कोई निश्चित दायरा नहीं है कि कितने किलोमीटर जमीन, किस स्क्वायर फीट में या स्क्वायर किलोमीटर में ली जाएगी। वह नहीं करके जिधर जहां हाथ डाला, जो जमीन इनको दिखी, जो सड़क दिखी, जो गांव दिखे उन सारे गांवों को ले लिया गया है। यह आपका नक्शा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इससे लगता है कि केवल राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति करनी है। इस कारण इन गरीब लोगों के साथ में एक भारी अन्याय होगा। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वह बहुमत में हैं इसलिये जल्दी में आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो क्राइटेरिया तय किया गया है मैं चाहूंगा, मंत्रीजी बड़े विवेक से, सहानुभूतिपूर्वक, ठण्डे दिमाग से उस पर पुनर्विचार करें और विचार करके उन्हीं गांवों को लें जिनकी प्राधिकरण को आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : मेरा तो गला बैठ रहा है, मैं तो दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक संशोधित रूप में जो पास हुआ है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करना चाहता हूं। मैं कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय हैं उन्होंने इस बिल को लाकर, इस विधेयक को लाकर गांवों के विकास के लिए उन को शहर के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है। यह भावना उनकी बहुत उत्तम है बशर्ते कि वह इन बातों का ध्यान रखें जिनका अभी तक ध्यान नहीं रखा गया है।

एक बात तो उनको मैं कहूं, हो सकता है वे व्यस्त रहे हों इसलिये इसके लिये समय नहीं दे पाये परन्तु भविष्य में ऐसा न हो जैसे नौकरशाही के भरोसे छोड़ कर इस बिल, इस विधेयक का निर्माण कराया जिसके कारण इतने बड़े-बड़े अमेंडमेंट इतनी बड़ी संख्या में लेकर आना पड़ा। यह रिकार्ड की बात होगी कि कोई मन्त्री खुद अपने बनाये हुये विधेयक को रखें और उसमें इतनी भारी संख्या में खुद संशोधन पेश करें। इसमें भूल मन्त्री जी की केवल मैं इतनी ही मानता हूं कि इन्होंने यह सारा काम नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया जिसको न यह पता है कि गांव की क्या स्थिति है और न यह पता है कि शहर की क्या स्थिति है। केवल उनके सामने जयपुर के नक्शे को बड़े रूप में बढ़ाने मात्र की बात थी। उन्होंने यह देखने की कोशिश नहीं की यह बिल या कानून बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिये जिससे लोगों को तकलीफ न हो। अन्त में फिर भी मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस बिल को देखा, मन्त्री जी ने लोगों के सुझावों के अनुसार इसमें जो अमेंडमेंट किये हैं उससे काफी गलतियां, कमियां दूर हो गईं और आज इसका संशोधित रूप सामने आया है। मन्त्री जी को एक बात और ध्यान में रखनी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

होगी कि ये जमीन बेचते रहे हैं, अब जमीनें एक्वायर करने का काम गांवों से करेंगे। मुआवजा तो रुपये में एक मुश्त में एक बार दिया जाता है वह देकर किसानों की जमीन छीन लेंगे और किसान मजदूर का रूप ले लेंगे जिससे उनकी स्थिति खतरनाक हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिन किसानों की जमीनें एक्वायर की जावें प्राधिकरण के लिये उनसे लीज के रूप में वह जमीनें ली जायं। जिस तरह से सरकार लीज के रूप में किसी को, दूसरों की जमीन देती है उसी प्रकार किसानों को नियमित रूप से लीज मनी के रूप में मुआवजा मिलता रहना चाहिये ताकि किसान एक प्रकार से भूखा पेट रह कर मजदूर बनने के लिये बाध्य नहीं हो जावे। एक तो मेरा यह सुझाव है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यद्यपि अपने नियमों में यह प्रावधान किया है कि वह किसी विशेष गांव को या इलाके को निकाल भी सकती है। मेरा सुझाव यह है कि यह नौकरशाही का नक्शा बनाया हुआ है, यह बिल्कुल बेतरीके का ही नहीं है। सरकार को चाहिये कि भविष्य में इसको साधार संशोधित करें। अगर आपको जयपुर शहर के चारों तरफ पांच मील बढ़ाना है तो चारों तरफ पांच मील बढ़ायें। अगर जरूरत हो दस मील बढ़ाने की तो दस मील चारों तरफ बढ़ायें। यह नहीं हो कि बीच बीच में बिना किसी आधार के कुछ गांवों को तो छोड़ दिया जाय और कुछ को नहीं लिया जाय। मैं सोचता हूं कि इस विधेयक में जो प्रावधान रखा गया है उसको संशोधित और ठीक करने पर विचार किया जाना चाहिये ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मन्त्री जी को यही बात कहते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : ....इस बिल का समर्थन करना चाहूंगा कि भविष्य में स्वयं जन हित का ध्यान रखें और नौकरशाही के भरोसे इस कार्य को नहीं छोड़ें। नहीं तो जैसा आप देख रहे हैं, कानून होते हुए भी आज जयपुर शहर के अन्दर चारों तरफ कोई दस हजार, पन्द्रह हजार मकान कानूनी, बेकानूनी रास्ते बे-रास्ते, नक्शे बे-नक्शे बना करके न केवल लोगों की जमीनें ले ली गई, न केवल कोआपरेटिव सोसायटियों के जरिये खूब लूट मची, न केवल इससे लोगों को काफी दिक्कतें पैदा हुई हैं बल्कि इससे एक बड़ा भारी भ्रष्टाचार भी पनपा। कुछ लोगों ने पैसे बांध दिये इन्सपेक्टरों के और मकान बनाते रहे। जिन लोगों ने पैसे नहीं दिये उनको मकान बनाने से रोक दिया गया। इस प्रकार की जो कार्यवाहियां छोटे रूप में चलीं, क्योंकि पहले मन्त्री जी ने कम ध्यान दिया उसी तरह से आगे ध्यान नहीं दिया तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी इन सारे गांवों के लिये। शहरी लोगों ने तो इन सारी स्थितियों में एडजस्ट कर लिया परन्तु इसके अन्तर्गत लिये गये जो गांव लगभग साढ़े तीन सौ की संख्या में हैं, इस प्राधिकरण का काम ठीक ढंग से कराने के लिये निश्चित रूप से और गांव बढ़ेंगे और उनकी संख्या पांच सौ के लगभग हो जायेगी तो पांच सौ गांवों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिये बहुत जरूरी है कि मन्त्री जी पूरा ध्यान

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

रखें। यही बात कहते हुये मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जे डी ए, जबरदस्ती दादागिरी अथोरिटी, इस पूरे बिल को पढ़ कर जो मैं इसको संज्ञा दे पाया हूं वह है जबरदस्ती दादागिरी अथोरिटी। इसका यही मतलब निकलता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह कल्पना की गई है कि सन् दो हजार तक जयपुर की जनसंख्या 25-30 लाख तक पहुंच जायेगी, इसके विकास के लिये हम इस अथोरिटी का निर्माण करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, असलियत में देखा जाय तो अगर जयपुर के इर्द-गिर्द 25-30 लाख की जन संख्या सन् दो हजार तक होती है तो यह प्लानिंग टोटल फेल्योर माना जाना चाहिये। क्या जरूरत है, क्या कारण है कि लोग गांव से खिंच कर शहरों की तरफ चलते आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गांव वालों को फैसेलिटी दी जायं, सर्विसेज गांवों में दी जायं, उनको वहीं पर रोजगार दिया जावे तो बहुत कम कीमत पर उन लोगों को वहीं पर रोजगार दिया जा सकता है, उनका पेट पाला जा सकता है और वह शांति से रह सकते हैं। शहर में रहने से उनकी बहुत सी समस्याएं बढ़ेंगी। जयपुर के विकास के लिये सारे गांवों से पूंजी खिच खिच कर आयेगी और यहां पर अटयाशी और ऐशो आराम में लोग जीवन व्यतीत करेंगे। लोगों के पास पूंजी इकट्ठी होती चली जायगी तो जयपुर के आस-पास जो जमीनें हैं उनको हड़पा जायेगा। उस हालत में जमीन पर जो बैठा हुआ था उसके कल रोजगार के क्या साधन होंगे, इसकी कोई व्यवस्था यह बिल नहीं करता।

इसको दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, जमीन दबाओ अथारिटी। जो गांव वाले जमीन में अन्न पैदा करते हैं उनकी जमीन को यह दबायेगा। इसमें कितने ही लेकूना छोड़ गये हैं। कल्चरल काम्पलेक्स के लिये और एलाइड्स के लिये प्रावधान किया गया है। बगीचे के लिये प्रावधान किया गया गया। सवाल यह है कि कितना बड़ा बगीचा लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के विकास के नाम पर हमारे गांवों की पूंजी और जमीन, जिससे पेट पाला जाता है, जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकता पूरी करती है, को हड़पा जायेगा। इसके अलावा कोई दूसरा अभिप्रान नहीं है। यह बिल इतनी जल्दबादी में लाया गया है, इससे जाहिर होता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसान की जमीन दबायेगा और उसको बेघर कर देगा। उनको दूसरी जगह जमीन देने की व्यवस्था नहीं है। यह कहेंगे हम उसको मुआवजा देंगे जमीन का। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आपका मकान जो बना हुआ है, उसको लेने के लिये आपको मुआवजा भले ही दे दिया जाये, दूसरी जगह बसने के लिये आपको दुगुनी कीमत, दुगुनी पूंजी लगानी पड़ेगी। तब आप बस पायेंगे। मैं सदन और खास तौर से जो गांवों से आये हैं, उनसे विशेष निवेदन करूंगा, इस तरह से आपकी जमीन को, पूंजी को गांव से शहर की तरफ खींच कर लाने की कोशिश

(श्री यदुनाथ सिंह)

की जा रही है। इस षडयंत्र को आप समझें और समझ कर इस पर विचार करें। इस तरह के किसी कानून को पास करने से, मैं तो यह निवेदन करूंगा, यह सदन बिलकुल मना कर दे। यह गांव वालों का शोषण हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। इसका टोटल प्लानिंग फेल्योर है। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढा)। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के....

श्री उपाध्यक्ष : टाइम का ध्यान रखो। थोड़ा सा टाइम है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : खाने की व्यवस्था हो गई इनकी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विवेकशून्य मन्त्रिमण्डल के अविवेकी मन्त्री महोदय द्वारा रखे गये इस काले कानून का कठोर शब्दों में घोर विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सर्व मान्य पंडित भैरूंलाल भारद्वाज ने अभी प्रशस्ति या आलोचना इस मन्त्रि मण्डल और खास तौर से माननीय नगर विकास न्यास मन्त्री महोदय की करते हुए कहा था कि इसके द्वारा इन्सपेक्टर्स को खुली छूट मिलेगी, यह मिलेगी वह मिलेगी। उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करके मैं कुछ और कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून सिर्फ इसलिए बना है कि मन्त्रिमण्डल के चन्द सदस्य और चन्द सरकारी अधिकारियों को कुछ लाभ मिले। वह लाभ क्या मिले? वह इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं, परन्तु कहने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके ऊपर व्हिप नाम का पट्टा लगा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले दम भरते हैं कि हम कृषकों के मसीहा हैं। परन्तु मन्त्रिमण्डल में बैठने वाले और 80 प्रतिशत कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले क्यों मौन बैठे हुये हैं? आज किसानों का शोषण हो रहा रहा है और किसानों की रोजी-रोटी छीनी जा रही है। वह मौन सिर्फ इसलिये बैठे हुये हैं कि इनकी पार्टी की प्रतिष्ठा जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई कानून बनता है तो वह प्रदेश की उन्नति से जुड़ा होता है। इसलिये इस सदन के सदस्यों के सामने पार्टी सर्वोपरी नहीं है। उनके सामने प्रदेश की बहबूदी और उन्नति का सवाल है। इसलिये पार्टी से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की अविवेकता का परिचय इसी से चलता है कि पता नहीं, कितने संशोधन आये और इन्होंने नीचा सिर करके उनको स्वीकार किया। यह मन्त्रिमण्डल के ऊपर लांछन है। यह इस तरीके का सवाल है कि सदन के माननीय नेता, मुख्य मन्त्रीजी को सोचना चाहिये कि इनको मंत्रिमण्डल में रखा जाय या नहीं रखा जाये। यह कोई बात नहीं है कि इस तरीके का कानून पेश कर रहे हैं जिसके अन्दर इतने संशोधन आते हैं। मेरा एक सुझाव था, अगर समय रहते इस पर विचार कर एक कमेटी बना ली जाती सदन के उन माननीय सदस्यों की जो एडवोकेट्स हैं, मन्त्री

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)
महोदय में, हो सकता है, कुछ कमी हो, कम पढ़े लिखे हैं। पर अन्य कई माननीय सदस्य पढ़े-लिखे हैं, बहुत ही विद्वान है, उनकी विद्वता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता उनसे सलाह ली जाती और इस तरह का बढ़िया कानून बनाया जाता जिसमें कोई कमी नहीं रहती। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में भी इसको किसी न किसी के द्वारा चैलेंज किया जायगा और निश्चित रूप से कोर्ट से कोई ऐसे आदेश पास होंगे कि इस कानून को छिन्न भिन्न करके इसकी धज्जियां उड़ा दी जायेंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मन्त्री महोदय कहते हैं हमने इतने ग्राम लिये हैं, पंचायत समिति, सांगानेर के गांव लिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मेरा कहना था, आपको गांव लेने थे तो क्रो फ्लाइंग डिस्टेन्स में, 10-15-20-25-30 किलोमीटर के रेडियस, एरिया में लेते। यह कोई तरीका है कि आपने यहां से चौमूं जाने वाला झोटवाड़ा ले लिया, रामपुरा डावली ले लिया और बीच में जोरड़ा छोड़ दिया। इसमें कोई भी तर्क नहीं है। इससे पता चलता है कि मन्त्री महोदय की बुद्धि-विवेक शून्य हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, उनका विवेक जाग्रत करने का मेरा दायित्व है इसलिये खड़ा हुआ हूं और मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं कि अब भी समय है, वह समझ जायें और अपने विवेक को काम में लें, इस कानून को दुबारा एक सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दें ताकि इसमें जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की इससे क्या हालत होगी, जिस तरीके से सिनेमा के पटल पर स्पष्ट चित्र दिखाई देता है उस तरीके से हमको उनकी हालत, जो भविष्य में होगी, दिखाई दे रही है। ग्रामीण कृषकों का भविष्य इस जयपुर शहर में कुली के रूप में या रिक्शा चलाने वाले के रूप में दिखाई दे रहा है। क्या बनाना चाहते हैं आप इस देश के किसान को? आप सिर्फ उसको मजदूर बनाना चाहते हैं। आपका इसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है कि उनकी उन्नति हो। अगर आप उनकी उन्नति करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों को आप ले रहे हैं उनको कम करिये। ज्यादा गांव लेने की आपकी इच्छा है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें, अपने विवेक को जाग्रत करें और इस कानून को दुबारा संशोधित रूप में लाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है....

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दें। जो खास बात है वह कह दें। कही हुई बात को मत कहना।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण का जो संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया है, संशोधित रूप में भी कुछ ऐसी खामियां छोड़ दी गई हैं जो कि बहुत घातक होंगी। उन

(श्री रामकिशोर मीणा)

पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । कुछ ऐसी धारायें हैं जिनको संशोधित नहीं किया गया है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं कुछ धाराओं के लिये यह तय किया था कि उनको डिलीट कर दिया जाये लेकिन पता नहीं किस कारण से वह विलोपित नहीं की गई । इसको पूरा पढ़ने से ज्ञात होता है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक ऐसा कल्पनी भी की है कि राष्ट्रपति शासन हो सकता है । उस समय के लिये भी इसमें संशोधित रूप में व्यवस्था कर दी गई है । लेकिन आज आम परिपाटी हो गई है कि मुख्य मन्त्री जी अगर कल हटा दिये जाते हैं तो 15 रोज तक कोई दूसरा मुख्य मन्त्री अपाइन्ट नहीं किया जाता है । इस विधेयक में जो प्रोविजन है उसके तहत जो अध्यक्ष होगा, उस अध्यक्ष को पावर हैं, अध्यक्ष उन पावर्स को एक्सर्साइज नहीं करना चाहे तो तो उपाध्यक्ष को भी डेलीगेट कर दे । उपाध्यक्ष जो एक्जीक्यूटिव का चेयरमैन होगा उसकी एक तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं हैं, एक अधिकारी होगा वह अधिकारी किसी कैडर का होगा, वह उसके आधार पर मनचाहे आदेश पास कर सकता है । जिस गांव को चाहे उसे उसके अन्तर्गत ले सकता है । इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, जो खण्ड 3 है, उसके उप खण्ड 2 में कहा गया है कि "शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा", दूसरी तरफ इसमें धारा 103 यह कहती है जब इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या बोर्ड यह समझे कि अब इसका कार्य पूर्ण हो गया है ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) आपको क्या हो रहा है । आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ ।

एक माननीय सदस्य : मैं एक मिनट में खतम कर दूंगा, उपाध्यक्ष महोदय । ये लम्बा बोलेंगे ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राधिकरण विधेयक के तृतीय चरण में चर्चा चल रही है । मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं प्रभारी मन्त्री और मुख्य मन्त्री, सदन के नेता महोदय ने विपक्ष को इतना समय दिया कि पिछले 2-3 रोज से, छुट्टी में भी और आफडे टाइम देकर क्लाज बाई क्लाज चर्चा की....

(व्यवधान)

सुन लीजिये । आप जब बोल रहे थे तो हम शांति से सुन रहे थे ।

चर्चा करने के बाद इस प्राधिकरण को जितना बढ़िया से बढ़िया बनाया जा सकता था उतना बढ़िया इसको स्वरूप दिया । उसका नतीजा यह था, उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में क्लाज बाई क्लाज चर्चा चल रही थी तो आपने देखा होगा कि विपक्ष के सभी माननीय सदस्य चुपचाप बैठे हुए थे । उनके संशोधन गिरते जा रहे थे और यह क्लाज बाई क्लाज पास किया जा रहा था । जब सारे क्लाज स्वीकार हो रहे थे उस वक्त तो बोलने की आवश्यकता नहीं समझी तो मेरी समझ में नहीं आता कि तृतीय चरण पर बोलने की क्या आवश्यकता रह गई । मेरा निवेदन है कि प्रभारी मन्त्री ने और

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

सरकार ने अधिक से अधिक अच्छा रूप देकर इसको बनाया है इसलिये इसको आप पास करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के विकास के लिये गांवों को जोड़ा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि रात को सवा नौ बजे यह कानून पास किया जा रहा है, गांव के लोग नौ, सवा नौ बजे सो जाते हैं, गांव के लोग सोये हुए है और यह काला क़ानून उन लोगों के लिये पास किया जा रहा है। उन गरीब लोगों की जमीन हड़पने के लिये काला कानून पास किया जा रहा है गांवों के विकास के नाम पर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का काला कानून रात को न पास किया जाय। गांवों के लोग सोये हुए हैं और उनके गले पर तलवार चल रही है शहर के विकास के नाम पर। यह गलत है इसलिये इसे वापस लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जयपुर प्राधिकरण बिल....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोल चुके हैं, बैठ जाइये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

मैं इस प्राधिकरण के सम्बन्ध में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह शहर के लिए प्राधिकरण है और ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्राणलेवाकरण है। जो नियमों में प्राधिकरण बनाया है वह इस आधार पर बनाया है जैसे प्रकृति का सिद्धान्त है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। शहर में रहने वाले लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र की संपूर्ण जायदाद हड़प कर अपने नगर का विकास करने की दृष्टि से ग्रामों का यह प्राणलेवाकरण बनाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह प्राधिकरण बनाया है, आपका बहुमत है, आप बना सकते है आपके पास ताकत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो गांवों के विकास, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और ग्रामों की बहबूदी की दृष्टि से सर्वप्रथम गांवों को स्थान दिया तो राजस्थान की जनता फिर भी मानेगी कि जो आपने प्राणलेवाकरण बनाया था रात को बैठ कर, वह ज्यादा फायदेमद है। जिस प्रकार बाढ़ में तो गांव बह गये और सारा पैसा शहर में लगाया, इस प्रकार यदि नीयत में खराबी है तो यह ग्रामीण जनता आपको नहीं बख्शेगी। इसलिये मेरा पुनः आग्रह है कि आप पर जब चोटें पड़ी तो आपने इसको इतना सख्त बनाया था, इतना भयंकर बनाया था कि आपने कहीं किसी को नहीं बख्शा लेकिन जो विपक्ष के हथौड़ों की

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हंसराज शर्मा)

चोटें आप पर पड़ीं, मुख्य मंत्री जी से लेकर सारे मंत्रिमण्डल पर वार हुए उन वारों से घबरा कर अपनी गलतियां को छुपाने के लिये, पर्दाफाश न हो जाने व, बातों को छुपाने के लिये आपने जो संशोधन किये हैं उसके लिये आपको बधाई है लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस संपूर्ण पैसे का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर गांवों में किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से केवल एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : यूं तो कोई अन्त नहीं होगा, माननीय सदस्य आप थोड़े समझदार हैं। इतने लोगों को मौका दे दिया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह पुस्तिका, उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे हाथ में है, राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के बारे में छपी है इसमें लिखा हुआ है कि जयपुर विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र जयपुर रीजन होगा जिसकी सीमाएं रेखा चित्र में दर्शायी गई हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रेखाओं से आच्छादित क्षेत्र है क्या यह सचमुच में जयपुर प्राधिकरण का क्षेत्र है ? क्या इस प्राधिकरण में वह सारे गांव आ रहे हैं जो आप जयपुर प्राधिकरण में ला रहे हो ? इतना सा पूछना है। यह शंका लगातार प्रकट की गई है, यह जो एरिया बताया गया है जो रेखांकन के द्वारा 335 गांवों की चर्चा की गई है वह सारे गांव इसमें नहीं आ रहे हैं। इसमें से कुछ निकाले जा सकते हैं, कुछ जोड़े जा सकते हैं और राजनैतिक रूप से यह बात कही गई है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, या तो यह जो रेखाचित्र बनाया है यह गलत है....

श्री परसराम मदेरणा : इस नक्शे का स्केल क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो किताब दे रहा हूं, स्केल देख लीजिये। मुझे कुछ नहीं कहना, हां कर दीजिये या ना कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत सारे सदस्यों ने इस जयपुर प्राधिकरण के बारे में अपने विचार जाहिर किये हैं। मैं यहां पर पूरे सदन का इस बात के लिये आभार मानता हूं कि इतना बड़ा बिल, जिसमें 107 धाराएं हैं, इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपके आदेशानुसार स्वीकृत किया जा रहा है। इसके दो वाचन हो चुके हैं और तृतीय वाचन के लिये मैंने अनुरोध किया है। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसे पारित करायेंगे।

सम्माननीय सदस्यों ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की हैं और धाराओं के संशोधन के बारे में कहा है। जो भी कुछ इस प्रकार की स्थितियां थीं जो सम्माननीय सदस्यों के मनों में आशंकाएं उत्पन्न कर रही थीं सब

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

का निवारण धाराओं में संशोधन के द्वारा किया गया है। इस बात के भी प्रयास किये गये हैं कि जहां कहीं किसी प्रकार की गलत-फहमी थी, लोकल अथोरिटी चाहे गांवों में पंचायत हों या नगरपालिकाएं हों, वह वहां पर डवलपमेंट का काम करेंगी। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है जो जे.डी.ए. को लाने के साथ ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में भेद कायम करने की बात कही है। कतई राज्य की मंशा नहीं है। हमारे राजस्थान की वर्तमान सरकार हमारे राष्ट्र की नेता इंदिरा जी के नेतृत्व में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये कृत संकल्प है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : गांव वालों को भूमिहीन कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसलिये जे.डी.ए. की व्यवस्थाओं में कहीं पर भी यह बात नहीं है कि हम कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा कर देंगे। कल्पना की गई है इस बात कि सन् 2000 तक यहां की 25 लाख की आबादी को समुचित ढंग से बसाने की, योजनाबद्ध ढंग से विकसित करने की व्यवस्थाएं की जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सारे मंत्रिमण्डल का संकल्प है जयपुर क्षेत्र के आसपास के जितने भी छोटे कस्बे हैं, जितने भी गांव है उनका समुचित रूप से विकास किया जाय, उनको सड़कों से जोड़ा जाय, नालियां, बिजली की व्यवस्था की जाय। वहां पर रहने वालों के लिये हमने कुछ धंधे-दूध डेयरी आदि के योजनाबद्ध ढंग से विकास करके चलने की बात कही है। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे सम्माननीय सदस्यों के दिल और दिमाग में अगर कोई आशंका हो तो उनको निकाल दें। कोशिश हमारी यहां पर इस बात की है कि योजनाबद्ध ढंग से इस शहर का विकास हो, राजस्थान की राजधानी, जो आपकी और हमारी सब की शान है, किस प्रकार सुन्दर हो। इस तरीके से सारी चीज की व्यवस्था कर इस बिल की धाराओं को स्वीकृत किया है, उसी प्रकार मैं आप से अनुरोध करके चलता हूं कि यहां के विकास के लिये सब का सहयोग मिलेगा। हम सब सही ढंग से आज जो जयपुर विकास प्राधिकरण का विधेयक पारित कर रहे हैं, आज मैं यह कह कर के चलना चाहता हूं कि हम इस शहर और इस शहर के क्षेत्र के साथ में जो इलाके लगे हैं उन सब का इसके अनुकूल समुचित विकास करेंगे।

माननीय चतुर्वेदी जी ने शंका जाहिर की है, मैं उन से अनुरोध करता हूं कि आज बीस साल आगे की सारी, सम्पूर्ण योजना लेकर हम चल रहे हैं, कौनसे गांव छूटते हैं और कौनसे गांव रहते हैं, अभी यह फाइनल चीज नहीं है। जहां का भी विकास किया जायेगा, यह तय किया गया है....

(व्यवधान)

आप सुनिये तो सही।

एक वृहत मास्टर प्लान बनेगा, जोनल मास्टर प्लान बनेगा, स्कीम्स बनेंगी, उनके अन्तर्गत इन सब गांवों का विकास होगा

Page No 270

(२८०)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं होगी जैसी ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले सम्माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बलबूते पर शहरी क्षेत्र को विकसित कर देंगे।

मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि हमने मुआवजा जमीन का तय करने के लिये नेगोशिएशन की बात की है।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इस विधेयक के ऊपर विचार हुआ है, इसी वातावरण में संशोधित रूप में इसे पारित करने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9·22 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 336 की सूची

झालावाड़ जिले में मुक्त कराये गये बन्धुआ मजदूरों एवं उन्हें दी गई सहायता सम्बन्धी विवरण।

क्र. सं.	बन्धुआ मजदूर व पिता का नाम व ग्राम	बन्धक रखने वाले का नाम	पुनर्वास हेतु एक मुश्त सहायता सहायता निर्वाह भत्ता	पुनर्वास हेतु कार्य में दी गई राशि: मकान निर्माण हेतु	आर्थिक कार्यक्रम सहायता	ऋण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री चम्पालाल/अमरलाल ग्राम महेशपुरा	श्री चन्द ग्राम जावर	800/-	1000/-	3870/-	–	5670/-
2.	श्री राधाकिशन/कवरलाल ग्राम जावर	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3864/-	–	5664/-
3.	श्री कन्हैयालाल/अमरा ग्राम वसखेड़ा	श्री देवकीनन्दन ग्राम जावर	800/-	1000/-	3630/-	1375/-	6805/-
4.	श्री कवरलाल/किशोर ग्राम जावर	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3474/-	–	6274/-
5.	श्री घनश्याम/देवीलाल ग्राम जावर	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3812/-	–	5612/-
6.	श्री भंवरलाल/गैंदा ग्राम पिपलोई	श्री कन्हैयालाल ग्राम जावर	800/-	1000/-	3817/-	–	5617/-
7.	श्री गुलाब चन्द/धूलीचन्द ग्राम जावर	श्री चन्द साहू ग्राम जावर	800/-	1000/-	3221/-	–	5021/-
8.	श्री काना/रामनारायण ग्राम जावर	श्री देवकीनन्दन ग्राम जावर	800/-	1000/-	2200/-	–	4000/-
9.	श्री परमानन्द/नारायण ग्राम	श्री श्री चन्द ग्राम जावर	800/-	1000/-	3480/-	–	5280/-
10.	श्री बन्शी/प्रभूलाल ग्राम जावर	श्री देवकीनन्दन ग्राम जावर	800/-	1000/-	3765/-	–	5565/-

262

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री भंवरलाल/पन्ना लाल ग्राम जावर	श्री श्रीनाथ ग्राम जावर	800/-	1000/-	2675/-	–	4475/-
12.	श्री रोडीलाल/मोतीलाल ग्राम जावर	श्री ,, ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3998/-	–	5798/-
13.	श्री राधाकिशन/श्री लाला ग्राम जावर	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3274/-	–	5074/-
14.	श्री धन्नालाल/रतीराम ग्राम जावर	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3552/-	–	5352/-
15.	श्री सुखा/अमरलाल ग्राम खजूरी बनुठ	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3448/-	1200/-	6448/-
16.	श्री नारायण/मूलचन्द ग्राम खजूरी बनेठ	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3013/-	–	4813/-
17.	श्री बीरमा/मोती ग्राम दानीपूरीया	श्री भैरूंलाल ग्राम दानीपूरीया	800/-	1000/-	3475/-	1250/-	6525/-
18.	श्री देवा/अमरा ग्राम कोटड़ा	श्री गोपालसिंह/भवानीसिंह ग्राम कोटड़ा	800/-	1000/-	2500/-	–	4000/-
19.	श्री मांगीलाल/शंकर ग्राम पूनीयारेवडी	श्री हीरा खां ग्राम छान	800/-	1000/-	3332/-	1100/-	6232/-
20.	श्री जगन्नाथ/धोला ग्राम खूरी	श्री सुल्तान खां ग्राम खूरी	800/-	1000/-	2200/-	–	4000/-
21.	श्री मांगीलाल/धूलीलाल ग्राम खजूरी	श्री श्रीनाथ ग्राम जावर	800/-	1000/-	3474 -	1225/-	6499/-
22.	श्री भैरू/धोला ग्राम खूरी	श्री सुल्तान ग्राम खूरी	800/-	1000/-	3013/-	–	4813/-
23.	श्री धूलीचन्द/रामलाल ग्राम खजूरी	श्री श्रीनाथ ग्राम जावर	800/-	1000/-	3396/-	1150/-	6346/-
24.	श्री पूरन/भीसा ग्राम खजूरी	,, ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3013/-	1533/-	6346/-
25.	श्री चन्दा/रामलाल ग्राम खजूरी	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3975/-	1250/-	7025/-
26.	श्री रामप्रताप/शंकर ग्राम खजूरी	श्री ,, ,, ,,	600/-	1000/-	3650/-	–	5250/-
27.	श्री रामप्रसाद धूलीलाल ग्राम खजूरी	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3450/-	–	5250/-
28.	श्री किशनलाल/नाथू ग्राम कटपला	श्री भागचन्द ग्राम कटपला	800/-	1000/-	3448/-	–	5248/-
29.	श्री कानूलाल/मोती ग्राम कटपला	श्री ,, ,, ,,	800/-	1000/-	3500/-	–	5300/-
30.	श्री राम भरोसे/मोतीलाल ग्राम कूकलवाड़ा	श्री रामलाल ग्राम सडाकुआ	800/-	1000/-	2200/-	–	4000/-

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	श्री किशन/विरदीलाल ग्राम धनावद	श्री अमरलाल ग्राम धनावद	800/-	1000/-	3975/-	—	5775/-
32.	श्री जगन्नाथ/धूलीलाल ग्राम धनावद	श्री कन्हैयालाल ग्राम धनावद	800/-	1000/-	3975/-	—	5775/-
33.	श्री सीताराम/माधोलाल ग्राम धनावद	श्री सुभाषचन्द ग्राम धनावद	800/-	1000--	3919/-	—	5719/-
34.	श्री मोहन/प्रभूलाल ग्राम धनावद	श्री केसरीलाल जैन ग्राम धनावद	800/-	1000/-	2200/-	—	4000/-
35.	श्री बाबूलाल/अमरलाल ग्राम गोवर्धनपुरा	श्री मंगल ग्राम बामनगांव टॉरा	800/-	1000/-	3467/-	—	5267/-
36.	श्री अमरलाल/शंकरलाल ग्राम धडोल	श्री अमरलाल ग्राम धडोल	800/-	1000/-	3945/-	—	5745/-
	योग :—		28500/-	36000/-	121540/-	11483/-	196523/-

37. भगवाड़ा जिले में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्रदान कराई गयी है।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 339 की प्रति

कार्यालय नगरपालिका, पीपाड़ शहर (राज०)

क्रमांक : न०पा०पी०/82–83/2353–255 दिनांक : 7.5.82

श्रीमान् क्षेत्रीय सहायक निर्देशक महोदय,

स्थानीय निकाय विभाग,

जोधपुर ।

विषय :–श्री जसाराम गोदारा, अधिशासी अधिकारी, न०पा०

प्रसंग :–पीपाड़ शहर द्वारा अनुशासनहीनता बाबत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि गत दो मास से जब से अध्यक्ष का चुनाव हुआ है तब से श्री जसाराम गोदारा, अधिशासी अधिकारी बराबर अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करके बराबर अनुशासनहीनता का वर्ताव कर रहे हैं, जो निम्न प्रकार से है :—

1. यह है कि कार्यालय अवधि में बराबर ड्यूटी नहीं देकर अधिकांश समय कार्यालय से बाहर बिताते हैं ।

2. यह है कि पालिका के क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे कमठों की रोक थाम हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

3. यह है कि अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने की हिदायत देने के बावजूद भी हटाने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

4. यह है किसी प्रकार का रिकार्ड मंगाने पर भी प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

5. यह है कि बोर्ड की साधारण बैठकों में पास किये गये प्रस्तावों पर अमल नही कर रहे हैं ।

6. यह है कि इनको दिये जाने वाले आदेशों की पालना नहीं होती है । एवं कई आदेश लेने से मना कर देते हैं ।

7. यह है कि चुंगी वसूली में अनियमितताएं वरती जाकर, चुंगी में बाधाएँ डालने के साथ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

8. यह है कि बिना छुट्टी लिये चले जाना व अनुपस्थित रहने का व समय पर कार्यालय में नहीं रहने का एक नियम सा बना लिया गया है ।

9. यह है कि टी.ए. बिल्स व वेतन बिल्स में दर्शाये गये यात्राओं का कोई प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया जाता है और टी. ए. बिल व वेतन उठा लिये जाते हैं, जो अवैध है।

10. यह है कि नगरपालिका की ओर से की जाने वाली यात्राओं की पूर्व स्वीकृत नहीं ली जाती है।

11. यह है कि समितियों का गठन दिनांक 2.3.82 को ही कर दिया गया था जिनको न ही तो विधिवत सूचना भेजी गई है और न ही सम्बन्धित समितियों से कोई कार्यवाही में सलाह व आदेश लिया जाता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि एक बार कार्यालय का निरीक्षण करके उपरोक्त सभी लगाये गये अनुशासनहीनता के कारणों की जांच करवाकर, अ०अ० को अनुशासन से कार्य करने हेतु पाबन्द करावें नहीं तो नगरपालिका को भारी आर्थिक नुकसान होगा व अतिक्रमण व अवैध कमठों की संख्या बढ़ती जायेगी व नगरपालिका की व्यवस्था बिगड़ने के जिम्मेदार, अ०अ० श्री जसाराम गोदारा होंगे।

ह०/
अध्यक्ष
नगरपालिका, पीपाड़शहर

कार्यालय नगरपालिका, पीपाड़शहर (राज०)

क्रमांक : न.पा.पी./82-83/317 दिनांक : 10.5.82

श्रीमान् क्षेत्रीय सहायक निदेशक,
स्वायत्त शासन विभाग,
जोधपुर।

विषय :—अधिशासी अधिकारी द्वारा कर्त्तव्य पालन में ढिलाई हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि अधिशासी अधिकारी श्री जसाराम गोदारा द्वारा नगर पालिका का कोई भी कार्य समय पर नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पालिका क्षेत्र में अवैध कमठे चल रहे हैं व अतिक्रमणों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। बार-बार कहने के बावजूद भी इस सम्बन्ध में भी अधिशासी अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है जिससे नगर पालिका के कार्य में अस्थिरता आ रही है व पालिका को निरन्तर आर्थिक नुकसान हो रहा है, बोर्ड के गठन से पूर्व भी कई कमठों पर परमिशन नियमन नहीं दिये गये हैं कई अतिक्रमणों की फाइलें अपने पास दबाकर रखली गई है मंगाने पर भी फाइलें प्रस्तुत नहीं करना व जानबूझकर अति-

Page No 276

क्रमण करने वालों को अपरोक्ष रूप से मदद की जा रही है जो कर्त्तव्य पालना नहीं है व निरन्तर अनुशासन भंग किया जा रहा है ।

कृपया इसे गम्भीर विषय समझकर आप अपना हस्तक्षेप करके अधिशासी अधिकारी को अनुशासन बद्ध से कार्यवाही करने के लिए पाबन्द करें या इसकी अविलम्ब जाँच करके अनुशासनहीनता की कार्यवाही करावें ।

ह०/
अध्यक्ष
नगर पालिका पीपाड़

1–जिलाधीश, जोधपुर
2–क्षेत्रीय सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय, जोधपुर ।

श्री जसाराम अधिशासी अधिकारी 9 जुलाई, 82 से 12 जुलाई तक अपने कार्य से अनुपस्थित हैं, जिससे नगर पालिका कार्य में बाधा आ रही है ।

अध्यक्ष
नगर पालिका पीपाड़

ह०/
अध्यक्ष
नगरपालिका पीपाड़

डिलबो,
जयपुर

श्री जसाराम अधिशासी अधिकारी 9 जुलाई, 82 से 12 जुलाई, तक अपने कार्य से अनुपस्थित हैं जिससे नगर पालिका कार्य में बाधा आ रही है ।

अध्यक्ष
नगर पालिका पीपाड़

ह०/
अध्यक्ष,
नगरपालिका पीपाड ।

268

डिलवो, जयपुर /72

अधिशासी अधिकारी जसाराम गोदारा 6 जून से 8 तक की छुट्टी लेकर गये। बाद में 21 जून तक छुट्टी बढ़ाने के आवेदन भेजते रहे और आगे पीछे किसी कर्मचारी का अधिकृत नहीं किया जिससे नगर पालिका कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं अपने कर्त्तव्य का पालन लापरवाही से कर रहे हैं।

अध्यक्ष
नगर पालिका पीपाड़

ह०/
अध्यक्ष,
नगर पालिका, पीपाड़।

4927 210/18-6

क्षेत्रीय सहायक निदेशक स्थानीय निकाय, जोधपुर
जिलाधीश, जोधपुर।

अधिशासी अधिकारी जसाराम गोदारा 6 जून से 8 जून तक की छुट्टी लेकर गये बाद में 21 जून तक छुट्टी बढ़ाने के आवेदन भेजते रहे और आगे पीछे किसी कर्मचारी को अधिकृत नहीं किया जिससे नगर पालिका कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं, अपने कर्त्तव्य का पालन लापरवाही से कर रहे हैं।

4927 दि. 18.6.82

ह०/
अध्यक्ष
नगरपालिका. पीपाड़

(269)

कार्यालय नगर पालिका पीपाड़ शहर :—

श्रीमान् क्षेत्रीय सहायक निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जोधपुर ।

विषय :—अधिशाषी अधिकारी श्री जसा राम गोदारा द्वारा जानबूझकर बोर्ड व सरकार के आज्ञाओं की अवहेलना बाबत :—

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से श्री जसा राम गोदारा अधिशाषी अधिकारी द्वारा बोर्ड व सरकार की आज्ञाओं की अवहेलना की जा रही है जो निम्न प्रकार से है :—

1. विभाग द्वारा हरिजन परिवारों के निवास भूखण्ड नियमन करने बाबत गत एक साल से बराबर सरकार के आदेश आ रहे हैं। और इस बारे में बोर्ड ने आदेश देकर कहा कि इस विषय में आपने क्या किया है। हरिजनों को भू-खण्ड क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। इस बाबत अधिशाषी अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

2. कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भूखण्ड नियमन करने बाबत कार्यवाही को शीघ्र करने को कहा गया लेकिन वो छुट्टी लेकर अपने गांव चले गये और जान-बूझकर काम में रुकावट व बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं।

3. पालिका का बजट बोर्ड द्वारा पारित हुए करीब दो माह हो चुके हैं, और अधिशाषी अधिकारी को बार-बार लिखित में देने के बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार को बजट नहीं भेजा है। पालिका क्षेत्र में चल रहे अवैध कमठे व अतिक्रमण को हटाने की किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे दिनों दिन अवैध कमठे व अतिक्रमण का काम बढता जा रहा है। अतः कार्यवाही नहीं करने से अतिक्रमण करने वाले को बढ़ावा मिल रहा है। अतः अपरोक्ष रूप से अधिशाषी अधिकारी अवैध कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

4. राम एण्ड श्याम केमिकल्स लाइमस को गलत परमिशन देकर के नगर पालिका को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जिसकी अविलम्ब विभागीय जांच करवायी जावे।

5. अध्यक्ष द्वारा कोई भी आदेश लिखित में देने पर भी नहीं लिया जाता है। डाक द्वारा भेजने पर उसकी पालना नहीं की जा रही है।

(279)

6. सरकार की तरफ से आने वाले किसी भी आदेश व पत्रों की जानकारी अधिशाषी अधिकारी द्वारा नहीं दी जाती है।

7. पालिका के रेस्ट हाउस को अपने निजी निवास के काम में ले रहे हैं। जिसे खाली करवाने बाबत बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित हो चुका है व खाली कराने के लिए कई बार नोटिस दिये जा चुके हैं। फिर भी खाली नहीं किया जा रहा है जिससे पालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

8. कर्मचारियों को यह आदेश दिया जाता है कि मेरे अलावा किसी के आदेश की पालना नहीं की जाय। ऐसा आदेश देकर उन्होंने अध्यक्ष के अधिकारों का हनन करके अपमान किया है।

9. बोर्ड द्वारा साधारण सभा की मिटिंगों की कार्यवाही की सूचना सरकार को नहीं भेजी जाती है। जिससे बोर्ड के कार्य में तकलीफ पैदा होती है। उनकी निजी सर्विस बुक मेरे द्वारा मांगने पर नहीं दी जा रही है। सर्विस बुक अवलोकन हेतु दिलाने के लिए आदेश करावें। इस प्रकार से प्रशासन को ढीला करके नगरपालिका की आय में कमी की जा रही है जिससे नगरपालिका को भारी नुकसान हो रहा है।

श्रीमान् जी से निवेदन है कि अधिशाषी अधिकारी का स्थानान्तरण करके इन सारे तथ्यों की जांच करके इनके खिलाफ अनुशासन भंग की कार्यवाही की जावे।

अध्यक्ष
नगरपालिका, पीपाड़ शहर

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिलाधीश, जोधपुर

क्रमांक : एफ 35 (6/3) सामान्य/82/ दिनांक

प्रेषित :

अधिशाषी अधिकारी,

नगरपालिका, पीपाड़ शहर।

विषय :--अनुपस्थित के संबंध में।

अध्यक्ष, नगरपालिका पीपाड़ शहर ने तार दिनांक 29/6/82 तथा 12/7/82 द्वारा अवगत कराया है कि आप क्रमशः दिनांक 26/6/82 से 28/6/82 तथा दिनांक 9/7/82 से 12/7/82 तक अनुपस्थित बिना सूचना रहे हैं, जिसके कारण कार्यालय कार्य में कार्य करने में कठिनाई होती है। अतः आप अपना

(271)

स्पष्टीकरण तीन दिन में भिजवावें कि आप बिना सूचना दिये किस कारण से अनुपस्थित रहे हैं।

ह०/
जिलाधीश, जोधपुर

क्रमांक : सम/82/6518 दिनांक : 31/7/82

प्रतिलिपि :--निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ भेजी जाती है।

ह०/-
जिलाधीश, जोधपुर

आज ही जारी हो/आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर

क्रमांक एस्टे/एम/एफ 18 (ए, जांच) डीएलबी/82/636 दिनांक : 16.9.82

क्षेत्रीय सहायक निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जोधपुर।

विषय : श्री जस्साराम गोदारा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पीपाड़ शहर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही बावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अध्यक्ष, नगरपालिका पीपाड़ शहर ने श्री जस्साराम गोदारा, अधिशासी अधिकारी द्वारा बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित नहीं करने एवं उनके द्वारा मुख्यालय से अनुपस्थित रहने बाबत आपको क्रमश: पत्र एवं तार दिये गये थे, किन्तु आप द्वारा उन पर कार्यवाही न किया जाना बताकर अध्यक्ष ने उपरोक्त पत्रों की प्रतियां संलग्न कर इस विभाग को भिजवाई हैं।

यह प्रश्न विधान सभा में माननीय सदस्य श्री मालाराम विधायक महोदय द्वारा उठाया गया है।

(281)

अतः उक्त पत्रों की प्रतियां आपको संलग्न कर लेख है कि कृपया आप इस संबंध में आवश्यक जांच कर जांच रिपोर्ट 7 दिवस के अन्दर अन्दर इस विभाग को भिजवावें तथा यह भी अवगत करावें कि आप द्वारा उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई।

संलग्न :—

ह०/–
निदेशक

सं० एस्टे/एम/एफ 18 (ए) जांच) डीएलबी/82/636–37 दिनांक 16.9.82

प्रतिलिपि :—अध्यक्ष, नगरपालिका, पीपाड़शहर को भेजकर लेख है कि आप द्वारा इस विभाग को भेजे गये विना क्रमांक एवं दि. के साथ शिकायतों पत्रों की समस्त मूल प्रतियां जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

ह०/–
निदेशक

(273)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 50 की सूची

सहकारी विभाग द्वारा मार्च, 81 से मार्च 82 तक की गई नियुक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम पद	विवरण	कुल पद जिन पर नियुक्तियां प्रदान की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ लिपिक	राज. लोक सेवा आयोग से चयनित एवं कार्मिक विभाग द्वारा आवंटित व्यक्तियों को क. लि. के पद पर	19	कोई प्रतिबन्ध नहीं था।
		तदर्थ नियुक्तियां	7	कोई प्रतिबन्ध नहीं था।
		अनुसूचित जाति जन जाति, वृतिकाधारी विकलांग,	3	,, ,,
		मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित	4	,, ,,
			33	
2.	वाहन चालक	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां प्रदान की गई	2	,, ,,
3.	च. श्रे. कर्मचारी	,, ,,	25	,, ,,
4.	स्टेज सेंटर	,, ,,	1	,, ,,
5.	वाद्यवादक	,, ,,	1	,, ,,
6.	कलाकार	,, ,,	1	,, ,,
7.	शीघ्रलिपिक ग्रेड-2	,, ,,	1	,, ,,
8.	निरीक्षक ग्रेड-2 (निरीक्षक कार्य एवं आडिट)	राज. लोक सेवा आयोग से चयनित एवं कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु आवंटित करने पर नियुक्तियां प्रदान की गई।	113	,, ,,
			177	

(279)

नोट :—उक्त नियुक्तियां नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक पं. (5) (1) कार्मिक (क-5) ग्र. प्र./80 दिनांक 28-8-81 के अनुसार ही की गई हैं।

नई नियुक्तियों की सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कनिष्ठ लिपिक	निरीक्षक ग्रेड II	शीघ्र लिपिक	ड्राईवर	अन्य
1.	टोंक	1	—	6	—	—	
2.	कोटा	3	1	6	1	1	
3.	भीलवाड़ा	4	1	5	—	—	
4.	बूंदी	2	2	3	0	0	
5.	बाड़मेर	2	—	3	—	—	
6.	नागौर	1	1	3	—	—	
7.	बीकानेर	2	3	5	—	1	
8.	चितौड़गढ़	2	—	3	—	—	
9.	सवाई माधोपुर	1	1	3	—	0	
10.	अजमेर	1	—	4	—	—	
11.	श्री गंगानगर	—	8	6	—	—	
12.	चूरू	—	3	3	—	—	
13.	बासवाड़ा	—	1	2	—	—	
14.	उदयपुर	—	2	5	—	—	
15.	झालावाड़	—	1	3	—	—	
16.	जोधपुर	—	2	3	—	—	
17.	जयपुर	6	4	11	—	—	स्टेज सैटर-1 म्यूजीशियन-1 एक्टर-1
18.	झुन्झुनू	—	1	3	—	—	
19.	अलवर	—	2	5	—	—	
20.	सीकर	—	—	4	—	—	
21.	सूरतगढ़	—	—	5	—	—	
22.	भरतपुर	—	—	6	—	—	

(275)

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिरोही	–	–	2	–	–	
24.	जालौर	–	–	4	–	–	
25.	धौलपुर	–	–	3	–	–	
26.	अनुपगढ़	–	–	3	–	–	
27.	डूंगरपुर	–	–	2	–	–	
28.	बांरा	–	–	2	–	–	
	कुल योग	25	33	113	1	2	3

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

पंचायत समिति, खण्डार के अधीन ग्राम पंचायत को प्रदत्त अनुदान

340. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पंचायत समिति, खण्डार में कितनी ग्राम पंचायतें हैं व किन-किन ग्राम पंचायतों को नये चुनाव होने के बाद कितना-कितना अनुदान पंचायत समिति द्वारा दिया गया व अन्य स्रोतों से कितना-कितना अनुदान मिला है ? कृपया ग्राम पंचायतवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

पंचायत समिति खण्डार में 29 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायत समिति खण्डार द्वारा नये पंचायत चुनाव के बाद विभिन्न पंचायतों को जो अनुदान दिया गया है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

पंचायत अनुदान

क. सं	नाम	प्र. व द्वि. किस्त	तृ. एवं च. किस्त	समग्र विकास	शिक्षाकर	लोक स्वास्थ्य	बढ़िया शिक्षा	बाढ़ग्रस्त तालाब	भाड़ा योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भूरी पहाड़ी	2340.80	—	—	—	—	3000	—	4000	701.40
2.	डूंगरी	2859.36	2859.36	—	—	—	—	—	—	—
3.	बिचपुरी गुलरान	2912.00	—	—	4500	—	—	—	—	8733,35
4.	वालेर	3024.00	—	—	2700	—	—	—	—	11927.50
5.	कुरेड़ी	2916.48	2916.48	—	2750	1550	4000	—	—	2601.50
6.	रेडावद	2570.40	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	सीगोर कला	2375.52	2375.52	—	2100	—	—	—	—	6209.32
8.	अक्षयगढ़	2503.20	2503.20	—	3600	—	4000	—	—	793.36
9.	बहरावडा कलाँ	2680.16	2680.16	—	750	2800	—	4000	—	8837.01
10.	क्यारदा कलाँ	2952.32	2952.52	—	3350	—	—	—	—	11482.08
11.	ललावड़ा	3166.24	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	गोठ बिहारी	1505.28	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	खण्डार	4802.88	—	—	—	—	—	—	—	34588.39
14.	बरनावड़ा	2711.52	—	—	—	—	—	—	—	3283.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	अनियाला	2298.24	—	—	8100	—	—	—	—	25109.00
16.	गोठड़ा	2524.48	2524.48	—	3600	3125.00	—	—	—	10427.90
17.	मेई कला	2177.28	—	—	—	—	—	—	—	2973.80
18.	गण्डावर	1939.84	1939.84	—	—	—	—	—	—	8033.60
19.	खण्डवेला	2493.12	2493.12	—	4050	—	—	—	—	5449.00
20.	बहरावड़ा खुर्द	3691.52	—	—	7500	—	—	—	—	31264 34
21.	दौलतपुरा	3503.36	3503.36	15671.47	5580	10300	4000	—	—	7003.82
22.	छारण	3749.76	—	—	—	—	—	—	—	6486.76
23.	दूमोदा	2548.00	2548.00	—	3600	—	—	—	—	—
24.	खालनाचोड	4282.88	4282.88	—	—	—	—	—	—	—
25.	पांचोलाल	3607.52	3607.52	—	6750	—	—	—	—	4225.77
26.	चितारा	2645.44	2645.44	—	4200	—	—	—	—	3038.63
27.	फलोदी	10184.16	10184.16	—	4500	—	—	—	—	7171.10
28.	लहसोड़ा	3010.56	—	—	—	—	—	—	—	6869.50
29.	डागरवाड़ा	2545.76	—	—	—	—	—	—	—	6376.18
योजनावार सूची का योग		1,41,577.92		27731.47	67630	17775	15000	4000	4000	211497.11

कुल योग—489211.50

सहकारी बाजार, जयपुर में नियुक्त अवसायक

341. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर के सहकारी बाजार (जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार) के लिए अवसायक किन-किन को कब से नियुक्त किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रारम्भ में अवसायक के कार्य हेतु लगाये गये कर्मचारी की पदोन्नति के बाद भी वही कर्मचारी अवसायक के पद पर निरन्तर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) सहकारी बाजार के अवसायक के अतिरिक्त वहां पर कौन-कौन से, किस-किस श्रेणी के कर्मचारी कब-कब से नियुक्त हैं तथा उनकी नियुक्ति किनके आदेश से हुई तथा उन्हें प्रति माह कितना-कितना वेतन दिया जाता है ?

(4) अवसायक द्वारा दिनांक 15-8-1982 तक कुल कितने ऋणों की वसूली की गई तथा वसूल शुदा रकम का किस प्रकार से उपयोग किया गया ?

उत्तर

(1) जयपुर के सहकारी बाजार (जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार) के लिये अवसायक पद पर श्री रामवल्लभ शर्मा को आदेश क्रमांक फा. 3/10/अवसायन/सोसा/उप सं./68 नं. 5729–35 दिनांक-17-10-74 से नियुक्ति किया गया है जो 17-10-74 से 12-5-77 तक पूर्ण समय तथा बाद में अब तक आंशिक (अपने कार्य के अलावा) नियुक्त है ।

(2) जी हां । इसका कारण यह है कि प्रारम्भ से ही अवसायन कार्य उनके द्वारा ही किया गया है । नये व्यक्ति को लगाने से पुराने मामलों की जानकारी होने में काफी समय व धनराशि खर्च होने की सम्भावनाएं थीं ।

(3) सहकारी बाजार के अवसायक के अतिरिक्त कोई भी अन्य कर्मचारी इस समय तथा गत 3 वर्षों में नहीं रखा गया है ।

(4) अवसायक द्वारा 15-8-82 तक कुल 1.90 लाख रुपये की ऋण आदि से वसूली की गई । इस राशि में से 1.13 लाख रुपये राज्य कोष में जमा कराया गया है, तथा 26 हजार रु. की राशि भूतपूर्व कर्मचारियों के वेतन पी. एफ. का भुगतान न्यायालय आदेश से किया, 17 हजार रु. अवशन बिक्री खर्चा, 6 हजार रुपये सेल-टैक्स का भुगतान तथा 28 हजार रु. भंडार का पुराने रेकार्ड पूर्ण कराकर आडिट कराने एवम् अवसायन कार्य तथा मुकदमों की पैरवी आदि पर व्यय किया गया ।

ग्राम राणोली (सीकर) में रहस्यमय बीमारी से मृत्यु

342. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने

(श्री भगवान दास शास्त्री)
की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले महीनों राणोली ग्राम जिला सीकर में गुर्दे की रहस्यमय बीमारी फैलने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी ?

(2) यदि हां, तो इसकी जांच किस-किस एजेंसी के मार्फत कराई गई थी तथा जांच का क्या परिणाम निकला ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को अनुदान देने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो कितने लोगों को अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञ दल को उक्त बीमारी की जांच में सफलता नहीं मिली ?

(5) क्या यह भी सही है कि महाराष्ट्र के चिकित्सा विशेषज्ञों का दल इस जिले के गांवों में जांच हेतु भेजा गया ? क्या चिकित्सकों के इस दल द्वारा उक्त बीमारी के सम्बन्ध में कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो कृपया उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले के ग्राम राणोली व ग्राम शिस्यु में रहस्यमय बीमारी इस वर्ष अप्रेल व मई महीनों में हुई थी जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें न केवल गुर्दे बल्कि शरीर के अन्य अवयव भी ग्रसित हुये थे।

(2) सर्वप्रथम राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं मलेरिया विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई। सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व चिकित्सा निदेशालय के अधिकारियों का एक संयुक्त दल प्रभावित क्षेत्र में जांच हेतु भेजा गया। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, नई दिल्ली के विशेषज्ञों एवं अलवर स्थित शाखा के विशेषज्ञों को भेजा गया। राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, पूना के विशेषज्ञों को आमन्त्रित कर इस क्षेत्र में भेजा गया। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के दल के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया। राज्य के प्लांट पेथोलोजिस्ट तथा राज्य के पशुपालन विभाग के अधिकारियों का भी इस विषय में सहयोग लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों से भी परामर्श किया गया। रोग के सही कारण क्या हो सकते हैं, इस बारे में अन्तिम निष्कर्ष निकालना अभी भी बाकी है। जांच की आगे की प्रक्रिया चल रही है।

(3) जी नहीं।

(4) इस दल द्वारा दी गई रिपोर्ट में यह पाया गया है कि यह बहु अवयव ग्रसक रोग है। कारणों की आगे जांच पूना, हैदराबाद व दिल्ली के राष्ट्रीय संस्थानों में अभी तक चल रही है,

(5) राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान, पूना, (महाराष्ट्र) के दल को जांच के लिये भेजा गया था। इस संस्थान द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(281)

प्रतिवेदन

Note submitted to the Director, regarding the outbreack near Jaipur.

As per your instructions myself and Dr. Risbud have left for Jaipur on 28th forenoon and reached Jaipur same day at 7.30 P. M. on 29th after a brief discussion with Dr. D. K Jagdev, Additional Director of Medical and Health Services, and Dr. S. R. Mehta, Snperintendent and Professor of Medicine, S. M. S. Hospital, Jaipur, regarding the outbreak. we have examined the four cases that were admitted in the hospital on 29 4 82. We have also interrogated the attendents of patients. The case sheet extracts of the cases admitted earlier and expired were also noted down and were also discussed with the attending physician.

The clinical picture of he illness is as follows :

1. Vomiting-3 to 5 times, Diarrhoea—(3 to 5 motions a day) (One patient also gave history of constipation) pain in abdomen, pain in ths lumbar region, nausea and anorexia were also present. Fever of mild to moderate degree was present in most of the cases, but only for two to three days. Within 2 to 4 days of the illness patients complained of oliguria followed by anuria or sudden anuria. Despite inperitioneal and haemodialysis patients died in 3 to 4 days. A notable feature was that the patients were conscious till the terminal stage. Two cases developed total loss of hearing and speach (about six hours before death in one case and 48 hours before death in one case.) In both these cases pupils were dialated and not responding to light. The routine haemograms were normal in most of the cases. The biochemical picture was raised urea and creatinine level and electrolyte imbalance except in two cases in whom the above biochemical markers were within normal limits. These two cases recovered fully and were discharged.

Till 4. 5. 82 seventeen cases with the above complaints were admitted to G. K. Hospital, Sikar or S. M. S. Hospital, Jaipur. Fourteen of them have expired, two have been discharged and, one case which was admitted on 3. 5. 82 is still under treatment. Blood, urine samples of four cases were collected by the hospital for virological investigations. (These samples were preserved at-20 Cin the Microbiology Dept. for some time.) Only a blood sample could be obtained from the case admitted on 3. 5. 82. All the samples are brought to Poona and will be processed. Only two postmortems were conducted so far and pieces from kidney, liver and brain have been collected in formalin as well as in Transport Medium. (Samples were collected in petri Dishes by the Microbiology Dept. and

transport medium was added when samples were handed over to us). All the samples collected from the patients will be processed for virus isolation in Infant mice and VERO and PS cell lines. A list of the samples collected is enclosed.

Field Investigations : The cases are reported from a group of 6 to 7 villages with a population of about 25,000 (1971 census) a round Sishu-Ranoli villages in Sikar district and are about 90 Km. from Jaipur on the Jaipur-Bikaner Road. All the villages affected are within 10 to 15 Kms. from Sishu-Ranoli. We have visited 15 out of the 17 cases from 30 April to 2nd May, 1980. The houses of the remaining two cases could not be visited for the following reasons. One case was admitted on 3. 5. 82 late in the evening to S. M. S. Hospital, Jaipur after our return from the field area. The other patient was staying with his brother for about 15 days before he developed the illness. His brother's village is far away from the affected area and hence a house visit could not be made.

A detailed clinical and epidemiological history was collected for the 15 cases during the house visits. History of illnesss in the family taking drugs, eating any special food items or articles was absent in all the cases. There was no history of any movement from the villages, Most of the families kept domestic animals like Buffalows, Cows, Goats, sheep and no history of illness in the animals was noted. Raw food grains of Bajra, Wheat and Barley which formed the stapled diet of these families were examined for any visible evidence of fungus or other contamination but no such evidence was seen. A total of 42 blood samples were collected from these houses. (Two blood samples from the family member of each patient and one blood sample from the neighbours of each patient.)

Many cases of gastro enteritis are recorded from these villages and the Public Health authorities are unable to say whetheir the incidence is i epidemic proportions in the absence of data for the earlier years. Some of these gastro enteritis cases are developing oliguria but respond to either oral or parentral rehydration and other routine treatment. It is difficult to correlate these cases with the cases of anuria.

On 3. 5. 82 the Director of Medical and Health Services called a meeting of our team, NICD team and the State officials to discuss the progress of the investigation. In that meeting I have opined that clinically and epidemiologically the illness is not caused by

(287)

any known viral agent. Later a similar meeting was convened by the Health Minister of Rajasthan and I gave the same opinion to the Minister also.

One hour before our departure from Jaipur on 4. 5. 82 the Additional Director of Medical and Health Services Dr D. K. Jagdev informed me that he received a massage from the affected area that there are some deaths in birds and rodents. Such deaths were not reported during our visit to the villages. As he did not have the details about these deaths, I requested him to inform us as soon as the details about the above deaths in birds and rodents are known.

Encl : 1. List of specimens collected,

2. Copy of Telegram sent to NIV Poona on 2. 5. 82 from Jaipur.

3. Copy of Telegram sent to ICMR New Delhi on 2. 5. 82 from Jaipur.

Date 6. 5. 82 Sd/-

C. V. R. Mohan Rao.
Senior Research Officer.

LIST OF SPECIMENS COLLECTED

1. Acute Serum	7	(2 sera samples belong to one case and were collected on consequtive days)
2. Urine	1	
3. C. S. F.	2	
4. Throat Swab	1	
5. Vomitus	1	
6. Postmortem Liver pieces	2	In formalin for histopathology
7. Postmortem Kidney pieces	2	and In Transport Medium for Virus isolation.
8. Postmortem Brain pieces	2	
9. Postmortem spleen pieces	2	in Transport Medium
10. Postmortem Intestine pieces	2	in Transport Medium
11. Serum from family members and neighbours of cases	42	

———

REPORT ON THE AETIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE OUTBREAK AT JAIPUR

A list of the specimens collected was already enc'osed with the initial report. All the specimens were inoculated into mice and tissue culture. No viral agent was isolated from any of the specimens. Post-mortem specimens collected from two fatal cases were inoculated in mice by making tissue suspension in diluent containing penicillin and streptomycin. Despite the most of the mice inoculated both by intracerebral (IC) and intraperitioneal (IP) routes died within 48 hours after inoculation. The mice infected with spleen and brain of one patient and liver, spleen and kidney of another patient showed sickness within three hours after inoculation, all the mice died within 24 hours.

Three types of bacterial agents have been isolated from different tissues as follows : (i) gram positive, coagulase positive staphylococci, (ii) gram negative, lactose fermenting micro organism (Alkalescens dispar) and (iii) gram negative, lactose non fermenting bacteria indentified as a species or 'Vibrio'.

These were cultured on nutrient agar and saline suspensions prepared from these cultures were inoculated into mice by IC and IP routes. The illness and death in mice was found to be the most severe in the mice given the 'Vibrio-like' bacteria. Saline suspensions of all the three types of bacteria gave positive agglutination with the acute sera collected from the patients. No agglutination was observed with the sera from normal controls. The results of the histopathology of the human specimens of liver, kidney and brain indicated the main lesions to be in the liver, which showed a centrilobular necrosis and kidney which showed haemorrhages and tubular necrosis. Histopathology of adult mice inoculated with the organisms by intravenous and intraperitioneal routes is being carried out.

It appears that the bacteria, either singly or in combination, might have been responsible for the disease. Particular severity (in mice at least) was noted with the Vibrio-like micro organism. These will be sent to the National Institute of Cholera and Enteric Diseases (NICED), Calcutta, for further identification as to the type.

Considering the acute toxic symptoms both in mice and humans, the limulus assay for toxin would be most useful.

(285)

NATIONAL INSTITUTE OF VIROLOGY
20-A, Dr. Ambedkar Road,
Post Box No. 11,
Pune-411001, India

No. 516 (01)/1-2380   8 July, 1982

Dr. B. S. Misra,
Assistant Director General (PH),
Directorate General of Health Services,
Government of India, Nirman Bhavan,
NEW DELHI-110011

Sub : Outbreak near Jaipur

Ref. : Your letter No. T. 21015/15/82-PH (CDL), dated 14 June 1982.

Sir,

This has reference to your above mentioned letter addressed to the Director General, ICMR. The work carried out on the specimens (acute sera from 5 patients and post-mortem specimens from two fatal cases) failed to incriminate any viral agent. On the other hand, we have been able to isolate some pathogenic bacteria from the post-mortem specimens (Report attached) It is quite likely that these bacteria either singly or in combination caused something resembling toxic shock syndrome.

Faithfully Yours
Sd/-
Khorshed Pavri,
Director.

Encl : Report

1. Copy together with a copy of report to the Additional Director of Medical and Health Services, Jaipur, Rajasthan.
2. Copy together with four copies of report to the Director General, ICMR, New Delhi, as per letter No. 30/17/77-(Vol. IV) ECD-I, dated 28 June/1 July, 1982 received here on 8 July.

राजस्थान सिन्टेक्स मजदूर यूनियन, डूगरपुर द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर कार्यवाही

343. श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान सिन्टेक्स मजदूर यूनियन, डूंगरपुर ने श्रीराम सिन्थेटिक्स लिमिटेड डूंगरपुर के प्रशासक के समक्ष एक 22-सूत्री मांग-पत्र दिनांक 6-7-1982 को प्रस्तुत किया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मांग पत्र में अधिकांश मांगें ऐसी हैं, जिन्हें लागू नहीं करने पर श्रम अधिकारियों को स्वतः ही कानूनी कार्यवाही कर व्यवस्थापकों को सजा दिलाने का अधिकार है ? यदि हां, तो श्रम अधिकारियों ने आज तक क्या कार्यवाही की ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस मांग-पत्र के रखने के बाद व्यवस्थापकों ने 90 श्रमिकों को विक्टेमाइज किया है और नौकरी से हटा दिया है ?

(4) क्या यह सही है कि श्रम विभाग श्रमिकों के साथ नियोजकों की बात करवाने में असफल रहा है ? यदि हां, तो आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस कारखाने में कोई स्टेण्डिंग आर्डर प्रभावित नहीं हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि 120 दिन से अधिक काम करने वाले श्रमिकों पर प्रोविडेण्ट फण्ड स्कीम लागू नहीं है ? यदि है, तो कितने श्रमिकों को इस स्कीम में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या इस कारखाने पर ई. एस. आई. स्कीम लागू नहीं है ? यदि है, तो कितने श्रमिक इससे प्रभावित हैं ?

(3) क्या इस कारखाने में श्रमिकों को वे कानूनी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं जो श्रमिकों को सामाजिक सुविधायें प्रदान करती हैं ? यदि हां, तो वे कौन-कौनसी हैं ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(9) क्या यह भी सही है कि फैक्ट्री एक्ट के तहत मिलने वाली सुविधायें भी यहां के श्रमिकों को प्राप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीराम सिन्टेक्स लि० नाम की किसी इकाई का डूंगरपुर में होने का ज्ञान सरकार को नहीं है।

(2–9) खण्ड एक के सम्बन्ध में दर्शाई गई स्थिति को देखते हुए शेष खण्डों का प्रत्युत्तर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

344. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

(1) जैसलमेर जिले में समस्त पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं ?

(2) अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कितने स्थान कितने समय से रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों के क्रमशः 24 एवं 140 स्वीकृत पद हैं।

(2) जैसलमेर जिले में पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्रमशः 17 एवं 42 पद वर्ष 1981-82 से रिक्त हैं।

नगरीय भू-सीमा कानून के तहत जयपुर शहर में अवाप्त भूमि

345. **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जेतारण)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने नगरीय भू-सीमा कानून लागू किया है ? यदि हां, तो आज तक इस कानून के तहत जयपुर शहर में कितने मामले निपटाये गये और कितनी जमीन सरकार ने अवाप्त की और कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं ? अब यह मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा नगरीय भू-सीमा के तहत जो जमीन ली गई वह गरीबों व भूमिहीन व्यक्तियों को दी गई या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर नगर में अधिनियम के अन्तर्गत 6259 विवरण पत्रों (रिटर्न्स) में से 825 मामले निपटाये गये। धारा 10 (2) में 27 मामलों में 84.0349 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की जा चुकी है। अभी भी 5434 मामले विचाराधीन हैं जिनमें सुनवाई की कार्यवाही चल रही है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए समयावधि निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती।

(2) यह विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत मंडूकरा के ग्राम खरवालिया में तालाब की खुदाई

346. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मंडूकरा के सरपंच द्वारा ग्राम खरवालिया में एक तालाब खुदवाया गया जिसके लिए 55,000 रुपये की स्वीकृति प्राप्त थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसका काम मजदूरों से नहीं करवा कर ठेके से

(श्री उम्मेदसिंह)

करवाया है जब कि काम मजदूरों द्वारा होना चाहिए था ?

(3) क्या ऐसी शिकायतें हैं कि सरपंच ने फर्जी मस्टररोल भर कर पंचायत समिति से पूरे पैसे उठा लिए हैं ? यदि हां, तो सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कृपया मजदूरों की सूची, जिनका मस्टररोल में भुगतान दिखाया गया, सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) सरपंच के विरुद्ध फर्जी मस्टररोल भरकर पैसा उठाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मजदूरों की सूची जिनको मस्टर-रोल में भुगतान किया गया, सदन के पटल पर रख दी गई है।

(289)

सूची

सहायता विभाग मस्टर रोल 452036

कार्य का नाम : ग्राम खरवालियां के गवाई नाडी की खुदाई तहसील डीडवाना जिला— नागौर। पखवाड़ा दूसरा

मस्टररोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 10 ढोने वाले 10 कुल = 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले व ढोने वाले	परिचय पत्र सं०	जोड हाजरी
1.	किशनराम पुत्र रामाराम मेघवाल 50 वर्ष खरवालिया	—	—	8
2.	सुन्दरी पत्नि मोतीराम मेघवाल 35 वर्ष खरवालिया	—	—	8
3.	लाभरी पत्नि रामूराम मेघवाल 45 वर्ष खरवालिया	—	—	8
4.	नारायणाराम पुत्र किशनाराम मेघवाल 25 वर्ष खरवालिया	—	—	8
5.	मीरा पत्नि किशनराम मेघवाल 20 वर्ष खरवालिया	—	—	8
6.	सोनधी पत्नि किशनराम भामी 25 वर्ष खरवालिया	—	—	8
7.	नाथडी पत्नि नारायणराम 20 वर्ष खरवालिया	—	—	8
8.	भाऊ राम पुत्र नाथाराम जाट 50 वर्ष खरवालिया	—	—	8
9.	जीवनराम पुत्र भाऊराम जाट वेनीवाल 19 वर्ष खरवालिया	—	—	8
10.	दुलाराम पुत्र कानाराम जाट 18 वर्ष खरवालिया	—	—	8
11.	सोवनी पुत्री कानाराम जाट 20 वर्ष खरवालिया	—	—	8
12.	सुखराम पुत्र लादुराम जाट 32 वर्ष खरवालिया	—	—	8
13,	जताराम पुत्र पुसाराम जाट 18 वर्ष खरवालिया	—	—	6

(290)

1	2	2	3	4	4
14.	भँवरी पत्नि मोहनराम जाट 25 वर्ष खरवालिया	—		—	8
15.	भारूराम पुत्र बगसाराम जाट 40 वर्ष खरवालिया	—		—	6
16.	सुवरी पत्नि भारूराम जाट 40 वर्ष खरवालिया	—		—	8
17.	जीवनराम पुत्र भारूराम जाट (बेटा) 19 वर्ष खरवालिया	—		—	8
18.	मीरवी पत्नि पेमाराम बावरी 35 वर्ष खरवालिया	—		—	6
19.	प्रेमाराम पुत्र अमराराम बावरी 40 वर्ष खरवालिया	—		—	8
20.	प्रभाती पुत्री प्रेमाराम बावरी 18 वर्ष खरवालिया	—		—	8
					154

ह०

विकास अधिकारी

पंचायत समिति डीडवाना

(291)

सहायता विभाग मस्टर रोल सं. 452037

कार्य का नाम : ग्राम खरवालिया के गवाई नाडो की खुदाई
पखवाड़ा दूसरा तहसील डीडवाना जिला—नागौर
मस्टररोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 9 (मेट) कुल = 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले व ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं०	जोड़ हाजरी
1.	भंवराराम पुत्र पुसाराम जाट 23 वर्ष मन्डु करामेट	—	—	8
2.	रामदेव पुत्र प्रेमाराम बावरी 19 वर्ष खरवालिया	—	—	8
3.	भागूराम पुत्र चोखाराम जाट 25 वर्ष खरवालिया	—	—	8
4.	आवडदान पुत्र किशनदान दरोगा 19 वर्ष खरवालिया	—	—	7
5.	सुजाराम पुत्र जोराराम जाट 50 वर्ष खरवालिया	—	—	8
6.	पूसकी पत्नि सुजाराम जाट 45 वर्ष खरवालिया	—	—	8
7.	चुनकी पुत्री सुजाराम जाट 18 वर्ष खरवालिया	—	—	8
8.	झमकुडी पत्नि मोहनराम 25 वर्ष खरवालिया	—	—	8
9.	साजन पुत्री भीवाराम 19 वर्ष खरवालिया	—	—	6
10.	ज्यानूड़ी पत्नि मगनाराम जाट 33 वर्ष खरवालिया	—	—	8
11.	रामनिवास पुत्र नारायण राम खाती 18 वर्ष खरवालिया	—	—	8
12.	पतासी पुत्र रामूराम बावरी 35 वर्ष खरवालिया	—	—	8
13.	रामदेव पुत्र भैरूराम लुहार 20 वर्ष खरवालिया	—	—	7
14.	जवरीलाल पुत्र रामदीन नाई 18 वर्ष खरवालिया	—	—	8

1	2	3	4	5
15.	जिमनडी पत्नि अर्जुनराम भावी 40 वर्ष खरवालिया	—	—	8
16.	गलकुडी पत्नि रामदीन भामी 35 वर्ष खरवालिया	—	—	8
17.	कुन्नी पुत्री खेता राम भामी 18. वर्ष खरवालिया	—	—	8
18.	झमक पत्नि दिनाराम 35 वर्ष खरवालिया	—	—	8
19.	सुमेरसिंह पुत्र आसदान चारण 16 वर्ष खरवालिया	—	—	8
20.	रुघदान पुत्र आसदान चारण 18 वर्ष खरवालिया	—	—	7
				155

ह०
विकास अधिकारी
प० स० डीडवाना।

(293)

सहायता विभाग मस्टर रोल सं. 452038

कार्य का नाम : ग्राम खरवालिया पखवाड़ा दूसरा तहसील डीडवाना (नागौर)
मस्टर रोल अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 7 ढोने वाले 13 कुल = 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले व ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1.	कानाराम पुत्र पूसाराम जाट 19 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
2.	सोवनी पत्नी भँवरा राम जाट 22 वर्ष मन्डुकर	—	—	8
3.	पूसाराम पुत्र मोवराम जाट 50 वर्ष मन्डूकरा	—	—	8
4.	धूलाराम पुत्र कानाराम जाट 25 वर्ष मन्डुराम	—	—	8
5.	रामकरणराम पुत्र कानाराम जाट 28 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
6.	गणेशाराम पुत्र पदमाराम जाट 22 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
7.	सोहनराम पुत्र बालूराम जाट 24 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
8.	मोवाराम पुत्र बालूराम जाट 33 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
9.	महनराम पुत्र बालूराम जाट 27 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
10.	नाजुड़ी पत्नी मोहनराम जाट 26 वर्ष खरवालिया	—	—	8
11.	नारायणराम पुत्र अमराराम जाट 24 वर्ष खरवालिया	—	—	8
12.	दीनाराम पुत्र हेमाराम जाट 45 वर्ष खरवालिया	—	—	8
13.	मोहनराम पुत्र दीनाराम जाट 18 वर्ष खरवालिया	—	—	8

Page No 303

1	2	3	4	5
14.	भैरूराम पुत्र गुमानाराम जाट 30 वर्ष खरवालिया	—	—	8
15.	नाराणी पत्नी भैरूलाल जाट 28 वर्ष खरवालिया	—	—	8
16.	नारायण राम पुत्र गुमानाराम जाट 20 वर्ष खरवालिया	—	—	8
17.	कमली पत्नी नारायण राम जाट 19 वर्ष खरवालिया	—	—	8
18.	दुलाराम पुत्र 35 वर्ष खरवालिया	—	—	8
19.	गोमाराम पुत्र रामरतन जाट 30 वर्ष खरवालिया	—	—	8
20.	जीवणी पत्नी गोमाराम जाट 28 वर्ष खरवालिया	—	—	8
				160

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(295)

सहायता विभाग मस्टर रोल सं. 452039

कार्य का नाम ग्राम खरवालिया के गवाई नाडी की खुदाई पखवाड़ा दूसरा तहसील डीडवाना जिला नागौर (मस्टर रोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 6 (मेट 1) ढोने वाले 13 कुल = 20

क्र. सं	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले व ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1.	कानाराम पुत्र लूणाराम दर्जी 21 वर्ष मन्डुकरा	—	—	8
2.	हीरा राम पुत्र मोतीराम जाट 18 वर्ष खरवालिया	—	—	6
3.	किसनाराम पुत्र जाराराम जाट 19 वर्ष खरवालिया	—	—	6
4.	गुलाबडी पत्नी भँवरदास साद 50 वर्ष खरवालिया	—	—	6
5.	छोटाराम पुत्र खेमाराम रेगर 19 वर्ष खरवालिया	—	—	5
6.	कमला पत्नि किसनाराम रेगर 22 वर्ष खरवालिया	—	—	5
7.	मुन्नी पुत्री खेमाराम 19 वर्ष खरवालिया	—	—	5
8.	भँवराराम पुत्र मानाराम जाट 18 वर्ष खरवालिया	—	—	5
9.	सुखली पत्नी चुनाराम भामी 40 वर्ष खरवालिया			
10.	थानाराम पुत्र कानाराम भामी 19 वर्ष खरवालिया	—	—	5
11.	रूपाराम पुत्र जालूराम जाट 30 वर्ष खरवालिया	—	—	5
12.	सुनाराम पुत्र लालूराम जाट 20 वर्ष खरवालिया	—	—	7
13.	कमला पुत्री जीवनराम खाती 18 वर्ष खरवालिया	-	-	5
14.	सीतुडी पुत्री गोरधनराम खाती 25 वर्ष खरवालिया	-	-	5

(296)

	2	3	4	
15.	कौशल्या पुत्री किशन दास दरोगा 17 वर्ष खरवालिया	–	–	6
16.	बाबूलाल पुत्र मोतीराम जोशी 20 वर्ष खरवालिया	–	–	5
17.	विमला पत्नी बजरंगलाल जोशी 20 वर्ष खरवालिया	–	–	5
18.	किशनदास पुत्र छगनदास साद 18 वर्ष खरवालिया	–	–	5
19.	प्रेमाराम पुत्र पुनाराम खाती 18 वर्ष खरवालिया	–	–	5
20.	धुली पुत्री नाथूराम खामी 18 वर्ष खरवालिया	–	–	5
				109

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

Page No 306

(297)

सहायता विभाग मस्टर रोल नं. 452040

कार्य का नाम ग्राम खरवालिया के गवाई नाडी की खुदाई पखवाड़ा दूसरा तहसील डीडवाना जिला––नागौर मस्टर रोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 6 ढोनेवाले 14 कुल 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने व ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं:	जोड़ हाजरी
1.	मांगीलाल पुत्र नाथूराम खाती 19 खरवालिया	–	–	7
2.	बाबूलाल पुत्र हजारीराम खाती 18 वर्ष ,,	–	–	6
3.	कमला पत्नी रामदेव खाती 20 वर्ष ,,	–	–	6
4.	सिरेकंवर पुत्री हजारीराम खाती 18 वर्ष ,,	–	–	6
5.	पार्वती पुत्र जसूराम खाती 18 वर्ष ,,	–	–	7
6.	सोहनराम पुत्र ललू राम जाट 20 वर्ष ,,	–	–	8
7.	रेशमी पुत्री म्रालूराम जाति जोगी 18 वर्ष ,,	–	–	5
8.	सजन पुत्री नारायण राम खाती 19 वर्ष ,,	–	–	7
9.	जडावली पुत्री कानाराम जाट 20 वर्ष ,,	–	–	6
10.	सेवाराम पुत्री पुखाराम जाट 32 वर्ष ,,	–	–	8
11.	नाथड़ी पुत्री अमरराराम जाट 18 वर्ष लेगोकीढाणी	–	–	8
12.	ज्यानकी पुत्री रामदीन जाट 19 वर्ष लेगोकीढानी	–	–	8
13.	मोवनी पुत्री जेठाराम जाट 18 वर्ष लेगोकीढाणी	–	–	8
14.	छोटूडी पत्नी चन्दाराम बावरी 40 वर्ष खरवालिया	–	–	8
15.	कमली पुत्री चन्द्राराम बावरी 18 वर्ष ,,	–	–	8
16.	केसर पत्नी मोहनराम बावरी 45 वर्ष ,,	–	–	8
17.	मलूडी पत्नी गोपाल बावरी 22 वर्ष ,,	–	–	8
18.	किसनाराम पुत्र रूपाराम बावरी 45 वर्ष ,,	–	–	8
19,	गोमाराम पुत्र किसनाराम बावरी 18 वर्ष ,,	–	–	8
20.	कंवरी पत्नि अणदाराम बावरी 45 वर्ष ,,	–	–	8
				145

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

298

सहायता विभाग मस्टर रोल 452041

कार्य का नाम ग्राम खरवालिना की गवाई नांडी की खुदाई पखवाड़ा इटास तहसील डीडवाना जिला नागौर मस्टरोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 6 ढोने वाले 14 कुल 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उप गांव	खोदने वाले व ढोने वाले	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1.	पताशी पत्नी रामदीन भांबी 35 वर्ष नावद	–	–	8
2.	प्रभुराम पुत्र पेमाराम भांबी 22 वर्ष नावद	–	–	8
3.	केसर पुत्र पेमाराम भांबी 18 वर्ष नावद	–	–	8
4.	फेफली पत्नी कामडराम भांबी 40 वर्ष नावद	–	–	8
5.	हनुमान पुत्र पदमाराम भांबी 35 वर्ष नावद	–	–	8
6.	सामरी पुत्री गिरधारी भांबी 18 वर्ष नावद	–	–	8
7.	मोहनाराम पुत्र पदमाराम जाट 18 वर्ष नावद	–	–	8
8.	रामेश्वर पुत्र हनुमान भांबी 18 वर्ष नावद	–	–	8
9.	गुलडी पुत्री मूलाराम नायक 18 वर्ष नावद	–	–	8
10	शान्ति पुत्री नानूराम नायक 19 वर्ष नावद	–	–	8
11.	विलडी पुत्री लादूराम भांबी 18 वर्ष नावद	–	–	8
12.	छोटुडी पत्नी लादूराम भांबी 45 वर्ष नावद	–	–	8
13.	रतनाराम पुत्र नानूराम भांबी 22 वर्ष नावद	–	–	8
14.	मोहनाराम पुत्र रामूराम नायक 20 वर्ष नावद	–	–	8
15.	मगना पुत्र नानकराम नायक 40 वर्ष नावद	–	–	8
16.	वालुडी पुत्री मगनाराम नायक 19 वर्ष नावद	–	–	8
17.	संतोष पुत्री सांवराराम ढोली 18 वर्ष नावद	–	–	8
18.	चांदूडी पत्नी गुमानराम नायक 20 वर्ष नावद	–	–	8
19.	आसुडी पत्नी किस्तुराराम भांबी 50 वर्ष नावद	–	–	8
20.	उगमा पुत्र मगनाराम नायक 18 वर्ष नावद	–	–	8

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

Page No 308

(2-90)

सहायता विभाग मटररोल नं० 452042

कार्य का नाम ग्राम खरवालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर की गवाई नाडी की खुदाई। मस्टररोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले ढोने वाले 13 मेट। कुल 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गाँव	खोदने वाले व ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1.	मांगीलाल पुत्र गुमाना राम जाट 23 वर्ष खरवालिया	–	–	8
2.	नाथडी पुत्र हीरा राम भांवी 18 वर्ष नावद ,,	–	–	8
3.	बानुडी पत्नी हीरा राम भांवी 40 वर्ष नावद ,,	–	–	8
4.	बरजुडी पुत्री हीरा राम भांवी 18 वर्ष नावद ,,	–	–	8
5.	हुकमाराम पुत्र कामडराम भांवी 20 वर्ष नावद ,,	–	–	8
6.	कमली पुत्री मुकनाराम भांवी 18 वर्ष नावद ,,	–	–	8
7.	भंवरी पत्नी माधूराम नायक 20 वर्ष नावद ,,	–	–	8
8.	दयालाराम पुत्र नानूराम भांवी 25 वर्ष नावद ,,	–	–	8
9.	तेजाराम पुत्र रामनारायण भांवी 40 वर्ष मण्डूकरा	–	–	8
10.	आसुडी पुत्री तेजाराम भांवी 18 वर्ष मण्डूकरा	–	–	8
11.	राधा पुत्री तेजाराम भांवी 20 वर्ष मण्डूकरा	–	–	8
12.	रामसुख पुत्री कालुपूरी (गुसाई) 21 वर्ष कल्याण पुरा	–	–	8
13.	चूनकी पत्नी सांवतराम जाट 25 वर्ष मण्डूकरा	–	–	8
14.	कमली पत्नी जीवणराम जाट 22 वर्ष मण्डूकरा	–	–	8
15.	सुखाराम पुत्र गंगाराम जाट 35 वर्ष खरवालिया	–	–	8
16.	लादूराम पुत्र परसाराम जाट 42 वर्ष खरवालिया	–	–	8
17.	मोहनाराम पुत्र परसाराम जाट 46 वर्ष खरवालिया	–	–	8
18.	रूपाराम पुत्र हरदीनाराम जाट 39 वर्ष खरवालिया	–	–	8
19.	पेफाराम पुत्र हरदीनाराम जाट 34 वर्ष खरवालिया	–	–	8
20.	कानाराम पूत्र हरदीनाराम जाट 32 वर्ष खरवालिया	–	–	8

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(300)

सहायता विभाग मस्टररोल नं. 452043

कार्य का नाम ग्राम खारवालिया की गवाई नाडी की खुदाई तहसील डीडवाना जिला नागौर मस्टररोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 7 ढोने वाले 13 कुल 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र ग्राम		खोदने वाले ढोने वाले	परिचय बच्चे पत्र संख्या	जोड़ हाजरी
1.	डालूराम पुत्र दौलाराम जाट 39 वर्ष	मण्डूकरा	–	–	8
2.	रामूडी पत्नी डालूराम जाट 35 वर्ष	,,	–	–	8
3.	जवराराम पुत्र दौलाराम जाट 23 वर्ष	,,	–	–	8
4.	बांजूडी पुत्री डालूराम जाट 18 वर्ष	,,	–	–	8
5.	संतोष पुत्री डालूराम जाट 16 वर्ष	,,	–	–	8
6.	दीपाराम पुत्र डालूराम जाट 21 वर्ष	,,	–	–	8
7.	किस्तुराराम पुत्र जगनाथराम जाट 29 वर्ष	,,	–	–	8
8.	पूसकी पत्नी किस्तुराराम जाट 25 वर्ष	,,	–	–	8
9.	अरजाराम पुत्री जगनाथराम जाट 20 वर्ष	,,	–	–	8
10.	मोवनी पत्नी लच्छीराम जाट 28 वर्ष	,,	–	–	8
11.	मगनूडी पत्नी कानाराम जाट 30 वर्ष	,,	–	–	8
12.	सुवरी पत्नी किसनाराम जाट 33 वर्ष	,,	–	–	8
13.	किसनाराम पुत्र सुखाराम जाट 35 वर्ष	,,	–	–	8
14.	गणेशाराम पुत्र सुखाराम जाट 32 वर्ष	,,	–	–	8
15.	कमली पत्नी गणेशाराम जाट 28 वर्ष	,,	–	–	8
16.	चम्पली पत्नी बालूराम जाट 24 वर्ष	,,	–	–	8
17.	दीनाराम पुत्र लिछमणराम जाट 50 वर्ष	,,	–	–	8
18.	नाथडी पत्नी दीनाराम जाट 45 वर्ष	,,	–	–	8
19.	भागीरथ पुत्र दीनाराम जाट 28 वर्ष	,,	–	–	8
20.	भंवरी पत्नी भागीरथराम जाट 23 वर्ष	,,	–	–	8

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(301)

सहायक विभाग मस्टररोल नं. 452044 कार्य का नाम ग्राम खरवालिया की गंवाई नाड़ी पखवाड़ा इटारा तहसील डीडवाना जिला नागौर

मस्टररोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 7 ढोने वाले 13 कुल 20

क्र. सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव		खोदने वाले ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1.	पुरखाराम पुत्र रामूराम जाट 52 वर्ष	मण्डूकरा	–	–	8
2.	श्रीराम पुत्र पुरखाराम जाट 25 वर्ष	,,	–	–	8
3.	खींवाराम पुत्र रामूराम जाट 39 वर्ष	,,	–	–	8
4.	चेलाराम पुत्र रामूराम जाट 45 वर्ष	,,	–	–	8
5.	जेठूड़ी पत्नी पुत्र खींवाराम जाट 35 वर्ष	,,	–	–	8
6.	चन्द्रकी पत्नी चेलाराम जाट 42 वर्ष	,,	–	–	8
7.	रामदेव पुत्र खींवाराम जाट 22 वर्ष	,,	–	–	8
8.	ज्यानकी पत्नी रामदेव राम जाट 20 वर्ष	,,	–	–	8
6.	गोरधनदास पुत्र बालदास साध 48 वर्ष	,,	–	–	8
10.	जयनारायण पुत्र बालदास साध 33 वर्ष	,,	–	–	8
11.	रूपली पत्नी राधेश्याम साध 27 वर्ष	,,	–	–	8
12.	अरजाराम पुत्र हरदीनाराम जाट 30 वर्ष	,,	–	–	8
13.	सोनकी पत्नी अरजराम जाट 28 वर्ष	,,	–	–	8
14.	रामनिवास पुत्र गोरधन साध 25 वर्ष	,,	–	–	8
15.	पाचूंडी पत्नी गोरधनराम लुहार 36 वर्ष	,,	–	–	8
16.	सोवनी पुत्री गोरधनराम लुहार 18 वर्ष	,,	–	–	8
17.	मंगाराम पुत्र अमरराराम जाट 43 वर्ष	,,	–	–	8
18.	ज्यास्ना पत्नी मेघाराम जाट 40 वर्ष	,,	–	–	8
19.	भंवरी पुत्री मेघाराम जाट 18 वर्ष	,,	–	–	8
20.	सांवतराम पुत्र अमरराराम जाट 26 वर्ष	,,	–	–	8

ह०

विकास अधिकारी

पंचायत समिति डीडवाना

(302)

सहायक विभाग मस्टररोल नं० 453945 कार्य का नाम ग्राम खरवालिया गंवाई नाडी की खुदाई पखवाड़ा इटारा

मस्टरोल में अंकित मजदूर 20 खोदने वाले 7 ढोने वाले 13 कुल 20

क्र. सं. नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1. मोहनाराम पुत्र हजारीराम जाट बगर बालिया 29 वर्ष	–	–	8
2. रामचन्द्र पुत्र दीनाराम जाट 25 वर्ष मंडूकरा	–	–	8
3. मगनूंडी पत्नी रामचन्द्र जाट 22 वर्ष ,,	–	–	8
4. जगगुराम पुत्र हजारीराम जाट 32 वर्ष बगरवालिया	–	–	8
5. सुरी पत्नी जगगुराम जाट बगरवालिया	–	–	8
6. गलकूडी पत्नी मोहनाराम जाट 26 वर्ष ,,	–	–	8
7. सुल्तानराम पुत्र सुखाराम जाट 24 ,, मण्डूकरा	–	–	8
8. ध्यानकी पत्नी सुल्तानराम जाट ,,	–	–	8
9. गणपतराम पुत्र सुखाराम जाट ,,	–	–	8
10. कमली पत्नी गणपतराम जाट 19 वर्ष ,,	–	–	8
11. बुधनाराम पुत्र हरदीनाराम जाट 22 वर्ष ,,	–	–	8
12. जेठाराम पुत्र बगसाराम जाट 50 वर्ष खरवालिया	–	–	8
13. धायी पत्नी जेठाराम जाट 43 वर्ष खरवालिया	–	–	8
14. अरजनराम पुत्र लादूराम भांवी 70 वर्ष ,,	–	–	8
15. उमाराम पुत्र अरजनराम भांवी 44 वर्ष मण्डूकरा	–	–	8
16. मंगली पत्नी उमाराम भांवी 40 वर्ष मंडूकरा	–	–	8
17. भूराराम पुत्र उमाराम भांवी 22 वर्ष ,,	–	–	8
18. पूर्णाराम पुत्र उमाराम भांवी 20 वर्ष ,,	–	–	8
19. सोवनी पुत्री उमाराम भांवी 18 वर्ष ,,	–	–	8
20. मनरूपाराम पुत्र तिलोकाराम भांवी 38 वर्ष ,,	–	–	8
			160

ह०
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(303)

सहायक विभाग मस्टररोल नं० 452109 कार्य का नाम:—खरवालिया के गंवाई नाडी को खुदाई

मस्टररोल में अंकित मजदूर 20, खोदने वाले 5, मेरा ढोने वाले 14, कुल 20

क्र. सं. नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले, ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड हाजरी
1. भंवराराम पुत्र पुसाराम जाट 23 वर्ष मंडूकरा (मेट)	—	—	15
2. तेजाराम पुत्र रामनाथ भांबी 40 वर्ष मण्डूकरा	—	—	15
3. आसुडी पुत्री तेजाराम भांबी 18 वर्ष मण्डूकरा	—	—	15
4. राधा पुत्री तेजाराम भांबी 20 वर्ष ,,	—	—	15
5. रामदेव पुत्र पेमाराम बावरी 19 वर्ष खरवालिया	—	—	15
6. मांगूराम पुत्र चोखाराम जाट 25 वर्ष ,,	—	—	15
7. आवलदान पुत्र किसनदास दरोगा 19 वर्ष ,,	—	—	15
8. सुरजाराम पुत्र जोराराम जाट 50 वर्ष ,,	—	—	15
9. पूसको पुत्री सुरजाराम जाट 45 वर्ष ,,	—	—	15
10. चूनकी पुत्री सुरजाराम जाट 18 वर्ष ,,	—	—	15
11. झमकुडी पत्नी मोहनाराम 25 वर्ष ,,	—	—	15
12. सजन पुत्री भींवाराम खाती 19 ,,	—	—	15
13. सानुडी पत्नि मगनाराम जाट 33 वर्ष ,,	—	—	15
14. रामनिवास पुत्र नारायणराम खाती 18 वर्ष ,,	—	—	15
15. पतासी पत्नि रामूराम बावरी 35 वर्ष ,,	—	—	15
16. रामदेव पुत्र भैंरूराम लुहार 20 वर्ष ,,	—	—	15
17. जंवरीलाल पुत्र रामदान नाई 18 वर्ष ,,	—	—	15
18. जीमनडी पत्नी अर्जुनराम भांबी 40 वर्ष ,,	—	—	15
19. गलकूडी पत्नी रामदीन भांबी 35 वर्ष ,,	-	-	15
20. कुम्भी पुत्री खेताराम भांबी 18 वर्ष ,,	-	-	15
			300

ह०

विकास अधिकारी

पंचायत समिति डीडवाना

304

सहायता विभाग मस्टर रोल नं० 452110

कार्य का नाम, ग्राम खरवालिया, गवाई नाड़ी की खुदाई, तहसील डीडवाना जिला नागौर, मस्टर रोल में अंकित मजदूर 20, खोदने वाले 6, ढोने वाले 14, कुल 20

क्र.सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र	जोड़ हाजरी
1.	झमकू पत्नि दीनाराम 35 वर्ष खरवालिया	–	–	15
2.	सुमेरसिंह पुत्र आसदान चारन 16 वर्ष ,,	–	–	15
3.	रुघदान पुत्र आसदान चारन 18 वर्ष ,,	–	–	15
4.	कानाराम पुत्र पुसाराम जाट 19 वर्ष मण्डूकरा	–	–	15
5.	सोपनी पत्नि भंवराराम जाट 22 वर्ष ,,	–	–	15
6.	पुसाराम पुत्र मोडाराम जाट 50 वर्ष ,,	–	–	15
7.	चूलाराम पुत्र कानाराम जाट 25 वर्ष ,,	–	–	15
8.	रामकरण पुत्र कानाराम जाट 28 वर्ष ,,	–	–	15
9.	गणेशाराम पुत्र पदमाराम जाट 22 वर्ष ,,	–	–	15
10.	सोहनराम पुत्र बालूराम जाट 24 वर्ष ,,	–	–	15
11.	गोवाराम पुत्र बालूराम जाट 33 वर्ष ,,	–	–	15
12.	मोहनाराम पुत्र बालूराम जाट 27 वर्ष ,,	–	–	15
13.	वजुड़ी पत्नि मोहनराम जाट 26 वर्ष ,,	–	–	15
14.	नारायणराम पुत्र अमराराम जाट 24 वर्ष खरवालिया	–	–	15
15.	दीनाराम पुत्र हेमाराम जाट 45 वर्ष खरवालिया (ऊंट छकड़ा पानी की टंकी)	– –	– –	15
16.	मोहनाराम पुत्र दीनाराम जाट 16 वर्ष खरवालिया	–	–	15
17.	भंवराम पुत्र गुमानाराम जाट 30 वर्ष ,,	–	–	15
18.	नाराणी पत्नि भैरूलाल जाट 28 वर्ष ,,	–	–	15
19.	नारायणराम पुत्र गुमानाराम जाट 20 वर्ष ,,	–	–	15
20.	कमली पत्नि नारायणराम जाट 19 वर्ष ,,	–	–	15
				300

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

305

सहायता विभाग मस्टर रोल नं. 452111

कार्य का नाम, ग्राम खखालिया के गंवाई नाड़ी की खुदाई मस्टर रोल में अंकित मजदूर 20, खोदने वाले 7, ढोने वाले 13, कुल 20

क्र.सं.	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	खोदने वाले ढोने वाले बच्चे	परिचय पत्र सं.	जोड़ हाजरी
1.	धूलाराम पुत्र गंगाराम जाट 35 वर्ष खखालिया	–	–	15
2.	गोमाराम पुत्र रामराव जाट 30 वर्ष ,,	–	–	15
3.	जीवणी पत्नि गोमाराम जाट 28 वर्ष ,,	–	–	15
4.	किसनाराम पुत्र रामाराम भांवी 50 वर्ष ,,	–	–	15
5.	सुन्दरी पत्नि मोतीराम भांवी 35 वर्ष ,,	–	–	15
6.	सायरो पत्नि रामूराम भांवी 45 वर्ष ,,	–	–	15
7.	नारायणराम पुत्र किसनाराम भांवी 25 वर्ष ,,	–	–	15
8.	मीरां पत्नि किसनाराम भांवी 20 वर्ष ,,	–	–	15
9.	सोनको पत्नि किसनाराम भांवी 45 वर्ष ,,	–	–	15
10.	नाथड़ी पत्नि नारायणराम 20 वर्ष ,,	–	–	15
11.	भाऊराम पुत्र नाथाराम जाट 50 वर्ष ,,	–	–	15
12.	जीवनराम पुत्र भाऊराम जाट 18 वर्ष (बेनीवाल) ,,	–	–	15
13.	दूलाराम पुत्र कानाराम जाट 18 वर्ष ,,	–	–	15
14.	सावकी पत्नि कानाराम जाट 20 वर्ष ,,	–	–	15
15.	सुखाराम पुत्र लादूराम जाट 32 वर्ष ,,	–	–	15
16.	जसाराम पुत्र पुसाराम जाट 18 वर्ष ,,	–	–	15
17.	भंवरी पत्नि मोहनाराम जाट 25 वर्ष ,,	–	–	15
18.	माऊराम पुत्र बगसाराम जाट 40 वर्ष ,,	–	–	15
19.	सुवरी पत्नि माऊराम जाट 40 वर्ष ,,	–	–	15
20.	जीवनराम पुत्र माऊराम जाट (बेड़ा) 19 वर्ष खखालिया	–	–	15
				300

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

306

सहायता विभाग

मस्टर रोल नं. 452112

कार्य का नाम :—खरबालिया तालाब

क्र.सं.	नाम वल्दियत	जाति	उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	मोहनराम पुत्र हजारीराम	जाट	29 वर्ष	मेट खरवालिया	15
2.	मोरनी पत्नि पेमाराम	बावरी	35 वर्ष	,,	15
3.	पेमाराम पुत्र अमरराम	बावरी	40 वर्ष	,,	15
4.	प्रभाती पुत्री पेमाराम	बावरी	18 वर्ष	,,	15
5.	रामचन्द्र पुत्र दीनाराम	जाट	25 वर्ष	मण्डूकरा	15
6.	भानुड़ी पत्नि रामचन्द्र	जाट	22 वर्ष	,	15
7.	जग्गूराम पुत्र हजारीराम	जाट	32 वर्ष	बगखालिया	15
8.	सुरी पत्नि जग्गूराम	जाट	28 वर्ष	,	15
9.	गलकूडी पत्नि मोहनराम	जाट	26 वर्ष	,,	15
10.	सुलतानराम पुत्र सुखराम	जाट	24 वर्ष	मण्डूकरा	15
11.	ज्यानको पत्नि सुलतानराम	जाट	21 वर्ष	,,	15
12.	गणपत पुत्र सुखराम	जाट	22 वर्ष	,,	15
13.	कमली पत्नि गणपतराम	जाट	19 वर्ष	,,	15
14.	बुधराम पुत्र हरदीनराम	जाट	22 वर्ष	,,	15
15.	जेठाराम पुत्र बगसाराम	जाट	50 वर्ष	बगखालिया	15
16.	धावी पत्नि जेठाराम	जाट	43 वर्ष	खरवालिया	15
17.	अरजनराम पुत्र लादूराम	जाट मांबी	70 वर्ष	मण्डूकरा	15
18.	ऊमाराम पुत्र अरजनराम	भांबी	43 वर्ष	,,	15
19.	मंगली पत्नि ऊमाराम	भांबी	40 वर्ष	,,	15
20.	भूराराम पुत्र ऊमाराम	भांबी	22 वर्ष	,,	15

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी

पंचायत समिति डीडवाना

(307)

सहायता विभाग

मस्टर रोल नं. 452113

कार्य का नाम—खरवालिया तालाब

क्र.सं.	नाम वल्दियत	जाति	उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	पूर्णाराम पुत्र ऊमाराम	भांबी	20 वर्ष	मण्डूकरा	15
2.	सावनी पत्नि ऊमाराम	भांबी	18 वर्ष	,,	15
3.	मनरूपाराम पुत्र तिलोकाराम	मांबी	38 वर्ष	,,	15
4.	पुरखाराम पुत्र रामूराम	जाट	52 वर्ष	,,	15
5.	श्रीराम पुत्र पुरखाराम	जाट	25 वर्ष	,,	15
6.	खिमाराम पुत्र रामूराम	जाट	39 वर्ष	,,	13
7.	चेलाराम पुत्र रामूराम	जाट	45 वर्ष	,,	14
8.	जेठुड़ी पत्नि खिमाराम	जाट	38 वर्ष	,,	15
9.	चन्द्रकी पत्नि चेलाराम	जाट	42 वर्ष	,,	15
10.	रामदेव पुत्र खिमाराम	जाट	22 वर्ष	,,	15
11.	ज्यानकी पत्नि रामदेव	जाट	20 वर्ष	,,	15
12.	गोरधन पुत्र बालदास	साद	48 वर्ष	,,	13
13.	जयनारायण पुत्र बालदास	साद	33 वर्ष	,,	15
14.	रूपली पत्नि राधेश्याम	साद	27 वर्ष	,,	15
15.	अरजाराम पुत्र हरदीनराम	जाट	30 वर्ष	,,	14
16.	सोनकी पत्नि अरजाराम	जाट	28 वर्ष	,,	13
17.	रामनिवास पुत्र गोरधन	साद	25 वर्ष	,,	15
18.	पांचुड़ी पत्नि गोरधनराम	लुहार	36 वर्ष	,,	15
19.	सौवनी पत्नि गोरधनराम	लुहार	18 वर्ष	,,	15
20.	मेगाराम पुत्र अमरराम	जाट	43 वर्ष	,,	15
					292

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, डीडवाना

308

सहायता विभाग

मस्टर रोल नं. 452114

कार्य का नाम—खिरवालिया तालाब

क्रमांक	नाम वल्दियत	जाति	उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	म्मानी पत्नि मेगाराम	जाट	40 वर्ष	मण्डूकरा	15
2.	भंवरी पुत्री मेगाराम	जाट	18 वर्ष	,,	15
3.	सांवतराम पुत्र अमरराम	जाट	26 वर्ष	,,	15
4.	डालूराम पुत्र दोलाराम	जाट	39 वर्ष	,,	15
5.	रामूड़ी पत्नि डालूराम	जाट	35 वर्ष	,,	15
6.	जबराराम पुत्र दौलाराम	जाट	23 वर्ष	,,	15
7.	बाबुडी पुत्री डालूराम	जाट	18 वर्ष	,,	15
8.	सन्तोष पुत्री डालूराम	जाट	16 वर्ष	,,	15
9.	दियाराम पुत्र डालूराम	जाट	21 वर्ष	,,	15
10.	किस्तूराराम पुत्र जगन्नाथराम	जाट	29 वर्ष	,,	15
11.	पूसको पत्नि किस्तूराराम	जाट	25 वर्ष	,,	15
12.	अरजाराम पुत्र जगन्नाथराम	जाट	20 वर्ष	,,	15
13.	मोवनी पत्नी लच्छीराम	जाट	28 वर्ष	,,	15
14.	मगनूड़ी पत्नि कानाराम	जाट	36 वर्ष	,,	15
15.	सुवरी पत्नि किसनाराम	जाट	33 वर्ष	,,	15
16.	किसनाराम पुत्र सुखाराम	जाट	35 वर्ष	,,	15
17.	गणेशराम पुत्र सुखाराम	जाट	32 वर्ष	,,	15
18.	अमलो पत्नि गणेशराम	जाट	28 वर्ष	,,	15
19.	चम्पली पत्नि बालूराम	जाट	24 वर्ष	,,	15
20.	दीनाराम पुत्र लिछमणराम	जाट	50 वर्ष	,,	15
					300

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(309)

सहायता विभाग

मस्टर रोल नं: 452115

कार्य का नाम–-खरवालिया तालाब-

क्र.सं.	नाम वल्दियत	जाति	उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	नाथड़ी पत्नि दिनाराम	जाट	45 वर्ष	मण्डूकरा	15
2.	भागीरथराम पुत्र दीनाराम	जाट	28 वर्ष	,,	15
3.	भंवरी पुत्र भागीरथराम	जाट	23 वर्ष	,,	51
4.	नाथड़ी पुत्री हीराराम	भांबी	18 वर्ष	नावद	15
5.	वाजुड़ी पत्नि हीराराम	भांबी	40 वर्ष	,,	15
6.	बरजूडी पुत्री हीराराम	भांबी	28 वर्ष	,,	15
7.	हुकमाराम पुत्र कामडराम	भांबी	20 वर्ष	,,	15
8.	कमली पुत्री हुकमाराम	भांबी	18 वर्ष	,,	15
9.	भंवरी पत्नि राधूराम	नायक	20 वर्ष	,,	15
10.	दयालाराम पुत्र नानूराम	भांबी	25 वर्ष	,,	15
11.	रामसुख पुत्र कालूपुरी	गुसाई	21 वर्ष	कल्याणपुरा	15
12.	चुनकी पत्नि सावतराम	जाट	25 वर्ष	मण्डूकरा	15
13.	कमली पत्नि जीवनराम	जाट	22 वर्ष	,,	15
14.	सुखाराम पुत्र जीगाराम	जाट	35 वर्ष	खरवालिया	15
15.	मोहनराम पुत्र परसाराम	जाट	46 वर्ष	,,	15
16.	लादूराम पुत्र परसाराम	जाट	42 वर्ष	,,	15
17.	रूपाराम पुत्र हरदीनराम	जाट	39 वर्ष	,,	15
18.	फेफाराम पुत्र हरदीनराम	जाट	34 वर्ष	,,	15
19.	कानाराम पुत्र हरदीनराम	जाट	32 वर्ष	,,	15
					300

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी

पंचायत समिति डीडवाना

सहायता विभाग

मस्टर रोल नं. 452116

कार्य का नाम—खखालिया तालाब

क्रमांक	नाम वल्दियत	जाति	उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	दलासी पत्नि रामदीन	भांवी	35 वर्ष	नावद	15
2.	प्रभूराम पुत्र मेनाराम	भांवी	22 वर्ष	,,	15
3.	केशर पुत्र पेमाराम	भांवी	18 वर्ष	,,	15
4.	फेफली पुत्री कामडराम	भांवी	40 वर्ष	,,	15
5.	हनुमानराम पुत्र पदमराम	भांवी	35 वर्ष	,,	15
6.	सायरी पत्नि गिरधारी	भांवी	18 वर्ष	,,	15
7.	रामेश्वर पुत्र हनुमानराम	भांवी	18 वर्ष	,,	15
8.	मोहनराम पुत्र पदमाराम	जाट	18 वर्ष	,,	15
9.	गुलडी पुत्री मूलाराम	नायक	18 वर्ष	,,	15
10.	शान्ति पुत्री नानूराम	नायक	19 वर्ष	,,	15
11.	बिलुडी पुत्री लादूराम	भांवी	28 वर्ष	,,	15
12.	रतनाराम पुत्र नानूराम	भांवी	22 वर्ष	,,	15
13.	छोटुडी पत्नि लादूराम	भांवी	45 वर्ष	,,	15
14.	मोहनराम पुत्र रामूराम	नायक	20 वर्ष	,,	15
15.	मगन पुत्र नानगराम	नायक	20 वर्ष	,,	15
16.	बालुडी पुत्र मगनाराम	नायक	19 वर्ष	,,	15
17.	सन्तोष पुत्री सांवराराम	ढोली	18 वर्ष	,,	15
18.	चादूडी पत्नि गुमानराम	नायक	20 वर्ष	,,	15
19.	आपुडी पत्नि किस्तूराराम	भांवी	50 वर्ष	,,	15
20.	उगका पुत्र मुगवाराम	नायक	18 वर्ष	,,	15
					300

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(317)

सहायता विभाग

कार्य का नाम : खखालिया तालाब, मस्टररोल नं० 452117

क्रमांक	नाम वल्दियत	जाति	उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	मांगीलाल पुत्र नाथूराम	खाती	19 वर्ष	खखालिया	13
2.	बाबूलाल पुत्र हजारीराम	खाती	18 ,,	,,	15
3.	कमला पत्नि रामदेव	खाती	20 ,,	,,	14
4.	सिरकंवर पुत्री हजारीराम	खाती	18 ,,	,,	15
5.	पार्वती पुत्री जसूराम	खाती	18 ,,	,,	15
6.	सोहनराम पुत्र लालूराम	जाट	20 ,,	,,	13
7.	रशमी पुत्री आसूराम	खाती	18 ,,	,,	15
8.	सजन पुत्र नारायण राम	खाती	19 ,,	,,	14
9.	जडावली पुत्री कानाराम	जाट	20 ,,	,,	15
10.	सेवाराम पुत्र पुसाराम	जाट	32 ,,	,,	13
11.	नाथड़ी पुत्री अमरराराम	जाट	18 ,,	लोगा की ढाणी	15
12.	ज्यानकी पुत्री रामदीन	जाट	19 ,,	,,	15
13.	मोवनी पुत्री जेठाराम	जाट	18 ,,	,,	15
14.	छोटूड़ी पत्नि चन्द्राराम	बावरी	40 ,,	खखालिया	14
15.	कमली पत्नि चन्द्राराम	बावरी	18 ,,	,,	15
16.	केशर पत्नि मोहनराम	बावरी	45 ,,	,,	14
17.	मलूड़ी पत्नि गोपाल	बावरी	22 ,,	,,	15
18.	किशनाराम पुत्र रूपाराम	बावरी	45 ,,	,,	15
19.	गोमाराम पुत्र किसनाराम	बावरी	18 ,,	,,	15
20.	कंवरी पत्नि अणदाराम	बावरी	45 ,,	,,	15
					290

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
पंचायत समिति डीडवाना

(322)

सहायता विभाग

कार्य का नाम : खरवालिया तालाब, मस्टररोल 452118

क्रमांक	नाम वल्दियात जाति उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1.	कानाराम पुत्र लूणाराम दर्जी 21 वर्ष	मण्डूकरा	15
2.	हीराराम पुत्र मोतीराम जाट 18 वर्ष	खरवालिया	15
3.	किसनाराम पुत्र नारायणराम जाट 19 वर्ष	,,	15
4.	गुलाबड़ी पत्नि भंवरदास साद 50 वर्ष	,,	13
5.	छोटाराम पुत्र खेमाराम रेगर 19 वर्ष	,,	15
6.	कमला पत्नि किशनराम रेगर 22 वर्ष	,,	15
7.	मुन्नी पुत्री खेमाराम रेगर 18 वर्ष	,,	15
8.	भंवरराम पुत्र मानाराम जाट 18 वर्ष	,,	15
9.	सुखली पत्नि चुनाराम भोगी 40 वर्ष	,,	15
10.	थानराम पुत्र कानाराम भोगी 19 वर्ष	,,	15
11.	रूपाराम पुत्र जालूराम जाट 30 वर्ष	,,	13
12.	सुजाराम पुत्र लालूराम जाट 20 वर्ष	,,	15
13.	कमला पुत्री जीवनराम खाती 18 वर्ष	,,	15
14.	सीलूडी पत्नि गोरधनराम खाती 25 वर्ष	,,	14
15.	कौशल्या पुत्री किशनदास दरोगा 17 वर्ष	,,	15
16.	बाबूलाल पुत्र मोतीराम जोशी 20 वर्ष	,,	13
17.	विमला पत्नि बजरंगलाल जोशी 20 वर्ष	,,	15
18.	शिम्भूदास पुत्र छगनदास साद 18 वर्ष	,,	14
19.	प्रेमाराम पुत्र चूनाराम भांबी 19 वर्ष	,,	15
20.	धूली पुत्री नाथूराम खाती 18 वर्ष	,,	14
			290

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, डीडवाना

(313)

सहायता विभाग

कार्य का नाम : खरवालिया तालाब खुदाई

मस्टर रोल सं० 452119

क्र०सं० नाम वल्दियत जाति उम्र	गांव	जोड़ हाजरी
1. कानाराम पुत्र लूणाराम दर्जी 21 वर्ष	मण्डूकरा मेट	14
2. सोवनी पुत्री उमाराम धोबी 18 वर्ष	,,	14
3. मनरूपराम पुत्र तिलोकाराम धोबी 38 वर्ष	,,	14
4. पुरखाराम पुत्र रामूराम जाट 52 वर्ष	,,	14
5. श्रीराम पुत्र पुरखाराम जाट 25 वर्ष	,,	14
6. खिवाराम पुत्र रामूराम जाट 39 वर्ष	,,	14
7. चेलाराम पुत्र रामूराम जाट 45 वर्ष	,,	14
8. जेठूडी पत्नि खिवाराम जाट 38 वर्ष	,,	14
9. चन्द्रस पत्नि चेलाराम जाट 42 वर्ष	,,	14
10. रामदेव पुत्र खिवाराम जाट 22 वर्ष	,,	14
11. जानकी पत्नि रामदेवा जाट 20 वर्ष	,,	14
12. गोरधन पुत्र बालदान साद 48 वर्ष	,,	14
13. जयनारायण पुत्र बालदान साद 33 वर्ष	,,	14
14. रूपली पत्नि राधेश्याम साद 27 वर्ष	,,	14
15. अर्जाराम पुत्र हरदीनाराम जाट 30 वर्ष	,,	14
16. सोनकी पत्नि अरजाराम जाट 28 वर्ष	,,	14
17. रामनिवास पुत्र गोरधन साद 25 वर्ष	,,	14
18. पांचुड़ी पत्नि गोरधनराम लुहार 36 वर्ष	,,	14
19. सोहनी पुत्री गोरधनराम लुहार 18 वर्ष	,,	14
20. मेगाराम पुत्र अमराराम जाट 43 वर्ष	,,	14
		275

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति,

डीडवाना

(314)

सहायता विभाग मस्टर रोल नं० 452120

कार्य का नाम—खर्खोलिया तालाब की खुदाई

क्र० सं०	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव	जोड़ हाजरी
1.	पलाली पत्नि रामदीन मांनी 35 वर्ष नावद	14
2.	प्रभूराम पुत्र पेमाराम माली 22 वर्ष नावद	14
3.	केशर पुत्र पेनाराम भांवी 18 वर्ष नावद	14
4.	फेफली पत्नि कामडराम भांवी 40 वर्ष नावद	14
5.	हनुमान राम पुत्र पदमाराम भांवी 40 वर्ष नावद	14
6.	सामरी पुत्र गिरधारी भांवी 18 वर्ष नावद	14
7.	रामेश्वर पुत्र हनुमान राम भांवी 18 वर्ष नावद	14
8.	मोहनराम पुत्र पदमाराम जाट 18 वर्ष नावद	14
9.	गुलडी पुत्री गुलाराम नायक 18 वर्ष नावद	14
10.	शान्ती पुत्री नानूराम नायक 19 वर्ष नावद	14
11.	बिलुडी पुत्री नानूराम नायक 19 वर्ष नावद	—
12.	छोटूडी पत्नि लादूराम भांवी 45 वर्ष नावद	14
13.	रतनाराम पुत्र नानूराम भांवी 23 वर्ष नावद	14
14.	मोहनराम पुत्र रामूराम नायक 20 वर्ष नावद	14
15.	मगना पुत्र नानकराम नायक 40 वर्ष नावद	14
16.	बालूडी पुत्री मगनाराम नायक 19 वर्ष नावद	14
17.	सन्तोष पुत्री सांवराराम ढोली 18 वर्ष नावद	14
18.	चांदूडी पत्नि गुमानाराम नायक 20 वर्ष नावद	14
19.	आसुडी पत्नि किस्तूराराम भांवी 52 वर्ष नावद	14
20.	उगमाराम पुत्र मगनाराम नायक 18 वर्ष नावद	14
		275

हस्ताक्षर
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, डीडवाना

(325)

सहायता विभाग मस्टर रोल नं० 452121

कार्य का नाम—खखालिया तालाब खुदाई

क्र० सं०	नाम वल्दियत जाति उम्र गांव		जोड़ हाजरी
1.	म्याना पत्नि मेगाराम जाट 40 वर्ष	मण्डूकरा	14
2.	भवरी पुत्री मेगाराम जाट 18 वर्ष	,,	14
3.	सांवलाराम पुत्र अगराराम जाट 26 वर्ष	,,	14
4.	डालूराम पुत्र दौलाराम जाट 39 वर्ष	,,	14
5.	रामूडी पत्नि डालूराम जाट 35 वर्ष	,,	14
6.	जबराराम पुत्र दौलाराम जाट	,,	14
7.	बाजूडी पुत्री डालूराम जाट 18 वर्ष	,,	14
8.	सन्तोष पुत्री डालूराम जाट 18 वर्ष	,,	14
9.	रियाराम पुत्री डालूराम जाट 21 वर्ष	,,	14
10.	किस्तूराराम पुत्र जगनाथ राम जाट 29 वर्ष	,,	14
11.	पूसकी पत्नि किस्तूराराम जाट 25 वर्ष	,,	14
12.	उरजाराम पुत्र जगनाथाराम जाट 20 वर्ष	,,	14
13.	मोवनी पत्नी लच्छीराम जाट 28 वर्ष	,,	14
14.	भगदूडी पत्नी कानाराम जाट 36 वर्ष	,,	14
15.	सुवरी पत्नी किसनाराम जाट 33 वर्ष	,,	14
16.	केसराराम पुत्र सुखाराम जाट 35 वर्ष	,,	14
17.	गणेशाराम पुत्र सुखाराम जाट 32 वर्ष	,,	14
18.	उमली पत्नी गणेशाराम जाट 28 वर्ष	,,	14
19.	चम्बली पत्नी बालूराम जाट 24 वर्ष	,,	14
20.	टिकाराम पुत्र लिछमनराम जाट 52 वर्ष	,,	14
			276

हस्ताक्षर

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, डीडवाना

ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरनडी (पाली)

347. श्री सुख लाल सेंणचा (रायपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बोरनड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति, बोरनड़ी तहसील सोजत, जिला पाली का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इस समिति का विशेष ऑडिट कराने का विचार रखती है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त समिति द्वारा पिछले 7 सालों में कर्जा वितरण व खाद बीज के वितरण में किये गये गड़बड़ घोटालों की जांच कराना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 80–81 तक का आडिट किया जा चुका है। समिति का वर्ष 81–82 का आडिट माह सितम्बर, 82 में किया जा रहा है।

(2) समिति को 7 वर्षों की आडिट रिपोर्ट में कर्जा व खाद बीज वितरण में घोटालों का कोई उल्लेख नहीं है। अतः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

बालकृष्ण विद्याभवन कांकरोली (उदयपुर)

348. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाल कृष्ण विद्या भवन, कांकरोली (उदयपुर) को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में किस सन् में लिया और किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि बालकृष्ण विद्या भवन के तत्कालीन अध्यक्ष और सरकार के बीच एक इकरारनामा हुआ जिसमें प्रस्तुत की गई मांगों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया ? यदि हां, तो किन-किन मांगों को ?

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृत मांगों में बालकृष्ण विद्या भवन, कांकरोली के प्रधानाध्यापक, श्री रामचन्द्र सनाढ्य की मेवाड़ सरकार के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर की गई सेवाओं को पेन्शन एवं अन्य प्रयोजनों हेतु मानें जाने की मांग भी सम्मिलित थी ? यदि हां, तो क्या श्री सनाढ्य को सेवा निवृत्ति के पश्चात् मेवाड़ सरकार के अन्तर्गत की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) श्री सनाढ्य राज्य सेवा से कब निवृत्त हुए और उन्हें अब तक पेन्शन नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? श्री सनाढ्य को अब कब तक पेन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी ?

(3/77)

उत्तर

(1) बालकृष्ण विद्या भवन कांकरोली जिला जयपुर को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में दिनांक 1–4–81 से लिया है। शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर एवं अध्यक्ष के बीच इकरारनामा हुआ (प्रतिलिपि संलग्न है) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

(3) जी नहीं। क्योंकि श्री रामचन्द्र सनाढ्य के नाम से, किसी शर्त का तय होना प्रतीत नहीं होता।

(4) श्री सनाढ्य की राज्य सेवा 1–4–51 से 3–9–59 तक ए० जी० ने माना है जिस पर नियमों के अनुसार पेन्शन देय नहीं होती है।

618

शर्तों व आदेश की प्रतियां

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF EDUCATION

From :- The Secretarty to the Government of Rajasthan in the Education Department, Jaipur.

To, The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

Sub :- Taking over of the Bal Krishan Vidya Bhawan (Middle School) Kankroli (Sub-District Raj-samand) Udaipur Division

No. F. 15 (91)/Edu/II/1951 Dated Jaipur, the 22nd Nov. 1951.

I am directed to convey Government sanction to the taking over of Bal Krishna Vidya Bhawan (Middle School) Kankroli (Sub-District Rajsamand) Udaipur Division, by the Department of Education, Government of Rajasthan with effect from 1.4.1951.

2. The staff of the school will be paid salaries and allowances at the existing rates with effect from 1.4.1951 and shall continue to be paid on same rates till the Government decides to sanction the Rajasthan grades for this staff.

3. Expenditure of Rs. 17,316 as Per detaitls (enclosed) on account of the salaries and allowances of staff and contingencies on the existing rates will be charges to 37-Education. C. Primary (a) Govefnment Primary School-I Boys School and will be met through reappraрriation from the provision of Rs. 700;000/- existing under head 37-Education-F-General-A Direction-5-Lump Sum provision for additional staff in the existing institution during the current year. For future the Director of Education will include provision for this school in the regular budget estimates for the coming year.

4. All assets of the school including building building, &furniture teaching appliances, play-ground, staff quarters etc.

319

shall vest in the Government of Rajasthan with effect from 1.4.1951.

sd/-

Vishnu Datt Sharma
Dy. Secrectary to the Government
of Rajasthan.

No. F 15 (91)/Edu/II/1951 dated Jaipur, the 22nd Nov, 1951.

Copy forwarded to the following for information and favour of necessary action.-

1. Three copies to the Finance Department with the request that two copies may be sent to the Accountant General Finance Deptt. and endorsements.

2. The Director of Education, Jaipur with referance to his letter No. 326/PHQ dated 10/12th Nov. 1951 with the request that the school may be immediately taken over and the execution of a regular agreement by the Managing Committee of the school embodying all the conditions mentioned in this order may please be arranged.

3. The Inspector of School, Udaipur Division, Udaipur for necessary action.

4. The Secretary, Managing Commitee of the Bal Krishna, Vidya Bhawan, Kankroli. for information.

sd/-

Vishnu Datt Sharma
(Dy Education Secetary)

I, shri Niranjan Nath Acharya, President of Bal Krishna Vidya Bhawan Samiti, with all powers vested in me by the said Samiti, to act on its behalf in the interest of its future progress and to deel with the Rajasthan Government on matters of its surrender on terms agreed upon, I do hereby agree to-

320

Surrender the above named institution with its existing staff, building and play ground to the Govt. of Rajasthan from the date on which its charge is taken over by the Government on the following terms–

1– That the Bal Krishna Vidya Bhawan should be converted into a High School in the ensuing session and its name as Bal Krishna Vidya Bhawan retained.

2– That the present staff shall be absorbed and ratained by the Govt. with their service converted terms the date. of their appointments in the Bal Krishna Vidya Bhawan so as to adjudicate at their seniority in the light of their period of services rendered to the above Insttcetion.

3– That the present Headmaster of the Institution with whom lies the credit of its progress shall be continued as Headmaster of the High School (Bal Krishna Vidya Bhawan) in the scale fixed for such office.

4– That the short break in the service record of the Headmaster so made by his voluntary withdrawl from the service of the Raj. Education Department condoned and his past service be taken to be treated as continious in the light of his representation submitted to the Government.

5– That the high school be equiped with Science Laboratory and Science as subject.

6– That the arrears of the staff be paid py the Government.

SD/-
DIRECTOR OF EDUCATION
JAIPUR

SD/-
(NIRANJAN NATH ACHARYA)
PRESIDENT
Bal Krishna Vidya Bhawan Kankroli

Jaipur
23rd may, 1951
PALIWAL/-

झालावाड़ के चिकित्सालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

349. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ के झालावाड़ शहर एवं असनावर, रामपुर, भालता, रटजाई, बकानी, खानपुर, आदि कई कस्बों के राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर्स के पद दो-दो, तीन-तीन साल से रिक्त पड़े हुये हैं जिसके कारण जनता को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायतें करने पर भी राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य में कई बेरोजगार डाक्टर्स के होते हुये भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त स्थानों पर डाक्टर्स के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ये नियुक्तियां कब तक कर दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। तदर्थ नियुक्तियां एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित चिकित्सक उपलब्ध होते ही नियुक्ति प्रदान की जाती रही है। नियुक्ति करने की प्रक्रिया निर्धारित है।

(4) नई नियुक्तियां कर पदस्थापन किया जा चुका है। केवल बकानी, एवं क्षय निवारण केन्द्र, झालावाड़ सिटी में पद खाली है जहां शीघ्र पदस्थापन करने की कार्यवाही की जा रही है।

कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर द्वारा सामान की नीलामी

350. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषि उपज मंडी समिति, खानपुर, जिला झालावाड़ के द्वारा वहां के सचिव के माध्यम से सामान नीलाम करने का नोटिस 15 जुलाई, 1982 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो नीलाम किये जाने वाले सामान की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त सूची के क्रमांक 13 पर नीलाम की जाने वाली वस्तु "राष्ट्रीय ध्वज 1" अंकित है ? यदि हां, तो क्या यह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र का अपमान नहीं है ?

(3) इस दोष के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, मंडी समिति के माध्यम से सामान नीलाम करने का

(कृषि मन्त्री)
नोटिस दिनांक 15 जुलाई, 1982 को जारी किया एवं संशोधित नोटिस 20 जुलाई, 1982 को जारी किया गया था। दोनों सूचियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। राष्ट्रीय ध्वज सूची के क्रमांक 13 पर अंकित था। मण्डी समिति, खानपुर के पत्र क्रमांक 201-209 दिनांक 20-7-82 को सूचना जारी कर अनुपयोगी सामान की सूची में राष्ट्रीय ध्वज को निकाल दिया गया था।

(3) इस प्रकरण की जांच कराई गई एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर कृषि विपणन निदेशालय द्वारा दोषी कर्मचारी, जिसने यह सूची में दर्ज किया, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा कर निलम्बित कर दिया गया है।

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति खानपुर जिला झालावाड़

क्रमांक दिनांक

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डी समिति द्वारा निम्न अनुपयोगी सामान की नीलामी दिनांक 24·7·82 को 12 बजे कार्यालय में की जायेगी। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 24·7·82 को 12 बजे नीलामी हेतु कार्यालय में उपस्थित होवें।

सामान का विवरण

क्र.स. नाम सामान	मात्रा	विशेष विवरण
1. सनमायका ट्रे	एक	
2. ट्रे टिन	एक	
3. टी ट्रे सनमायका	एक	
4. तगारियां	तीन	
5. टार्च	तीन	एक तीन सेल, एवं दो दो सेल वाले।
6. पीपा	दो	
7. ताले	पांच	
8. बंजर घण्टी	दो	
9. छाता	एक	
10. दरी।	एक	

1	2	3
11.	पंचिग मशीन	एक
12.	बरसाती कपड़ा	$2\frac{1}{2}$ मीटर
13.	राष्ट्रीय ध्वज	एक

आप शर्तें व जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

हस्ताक्षर
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर
लघु. हस्ता.
(एस. एन. मालव, सम्ब. क्लर्क)

क्रमांक :—179–184 दिनांक 15·7·82

प्रतिलिपि :—

1. मै. क्षमता आयरन स्टोर, खानपुर।
2. बद्री टीन मार्ट, खानपुर।
3. शब्बीर हुसैन बोहरा, खानपुर।
4. नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत, खानपुर।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय/मुख्य मण्डी यार्ड।

हस्ताक्षर
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
लघु. हस्ता. कानपुर
(एस. एन. मालव सम्बन्धित क्लर्क)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, खानपुर, जिला झालावाड़-राज.

क्रमांक प. स्टोर 82–83/ दिनांक

शुद्धि पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 179–84 दिनांक 15·7·82 को जारी की गयी नीलामी सूचना में क्रम संख्या 13 पर अंकित "राष्ट्रीय ध्वज" सामान को तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है।

(324)

अब उक्त दिनांक 24·7·82 को निम्नानुसार ही सामानों की नीलामी कार्यालय में सम्पादित करायी जावेगी।

क्र.स. नाम सामान	मात्रा	विशेष विवरण
1. सनमायका ट्रे	एक	
2. ट्रे टिन	एक	
3. टी ट्रे सनमायका	एक	
4. तगारियां	तीन	
5. टार्च	तीन एक तीन सेल वाली एवं शेष दो सेल वाली	
6. पीपा	दो	
7. ताले	पांच	
8. बंजरवन्टी	दो	
9. छाता	एक	
10. दरी	एक	
11. पंचिंग मशीन	एक	
12. बरसाती कपडा	2½ मीटर	

हस्ता.
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
लघु हस्ता. खानपुर
(सत्यनारायण मालव सम्बन्धित क्लर्क)

क्रमांक :—201–209 दिनांक 20·7·82

प्रतिलिपि :—

1. श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील खानपुर को उनके पत्रांक 45 दिनांक 19·7·82 के सन्दर्भ में प्रस्तुत है।
2. श्रीमान परसाधक पदाधिकारी महोदय, आरक्षी केन्द्र खानपुर।
3. मै. जनता आयरन स्टोर खानपुर/मै. बद्री टीन मार्ट खानपुर मे. शब्बीर हुसैन, खानपुर।

(325)

4. नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत खानपुर/तहसील कार्यालय प.स. खानपुर ।

5. नोटिस बोर्ड कार्यालय ।

हस्ता.
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति खानपुर
लघु हस्ता.

ग्राम पंचायत सिरसी (झोटवाड़ा) के सरपंच का चार्ज

351. **सुश्री पुष्पा जैन** (ग्रामेर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सिरसी (पंचायत समिति झोटवाड़ा) के वर्तमान सरपंच को अभी तक भूतपूर्व सरपंच द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में वर्तमान सरपंच द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित व मौखिक रूप से शिकायतें की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो अब तक चार्ज क्यों नहीं दिलवाया और अब कब तक दिला दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पंचायत को आर्थिक नुकसान होने के साथ साथ जनता का समस्त कार्य रुका हुआ है तथा भूतपूर्व सरपंच पहले से जमा धनराशि का दुरुपयोग कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां शिकायत प्राप्त हुई हैं । चार्ज के लिये राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 15/ए/3/ के अनुसार तहसीलदार को चार्ज दिलवाने हेतु जिला स्तर से लिखा गया है । शीघ्र ही चार्ज दिलवा दिया जावेगा ।

(3) जी नहीं ।

सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर मनोनीत अध्यक्षों की पदमुक्ति

352. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर मनोनीत कई अध्यक्षों को पद से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनों को ? कितने व्यक्ति अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं ? कृपया दोनों प्रकार की सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, बूंदी के अध्यक्ष, श्री कल्याणमल चन्देल को भी अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल एक मनोनीत अध्यक्ष को हटाया गया है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। राज्यादेश क्रमांक फा० 4(5) सह./81 दिनांक 12-4-82 के द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल भंग कर उसके स्थान पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है।

कार्य मुक्त किये गये मनोनीत अध्यक्षों की सूची

क्र. सं.	नाम बैंक	कार्य मुक्त मनोनीत अध्यक्ष का नाम
1.	दी बूंदी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बूंदी	श्री कल्याणमल जैन

कार्यरत मनोनीत अध्यक्षों की सूची

(अ) केन्द्रीय सहकारी बैंक :

क्र. सं.	नाम बैंक	कार्यरत मनोनीत अध्यक्ष का नाम
1.	जयपुर सैन्ट्रल को-ओ. बैंक लि.	श्री तेजपाल यादव विधायक
2.	भीलवाड़ा ,,	श्री बिहारीलाल पारीक विधायक
3.	पाली ,,	श्री सुखलाल सैंगाचा विधायक
4.	जालौर ,,	श्री माधोसिंह मैसवाड़ा विधायक
5.	टौंक ,,	श्री द्वारका प्रसाद बैरवा विधायक
6.	सीकर ,,	श्री मदन दीवान
7.	झालावाड़ ,,	श्री पृथ्वीसिंह विधायक
8.	अजमेर ,,	श्री अभ्याज महाराज विधायक
9.	गंगानगर ,,	श्री ज्ञानसिंह चौधरी विधायक
10.	सवाई माधोपुर ,,	श्री चेतराम मीणा विधायक
11.	कोटा ,,	श्री विनयकुमार भार्गव
12.	उदयपुर ,,	श्री कृष्ण त्रिवेदी
13.	चुरू ,,	श्री रेवतराम चौधरी विधायक
14.	सिरोही ,,	श्री देवीसहाय गोपालिया विधायक
15.	बीकानेर ,,	श्री सुरजाराम विधायक

(322)

1	2	3
16.	बाड़मेर सैन्ट्रल को-ओ. बैंक लि.	श्री अमराराम चौधरी विधायक
17.	बांसवाड़ा ,,	श्री पवनकुमार रोकडिया
18.	चितौडगढ़ ,,	श्री जुल्फीकार अहमद आजम
19.	जोधपुर ,,	श्री नरपतसिंह विधायक

(ब) सहकारी भूमि विकास बैंक

क्र. सं.	नाम बैंक	कार्यरत मनोनीत अध्यक्ष का नाम
1.	राज. राज्य सह. भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर	श्री रामदेवसिंह विधायक
2.	नागौर सह. भूमि विकास बैंक लि.	श्री जेठमल विधायक
3.	भीलवाड़ा ,,	श्री नाथूराम कुमावत विधायक
4.	बूंदी ,,	श्री कृष्ण गोपाल जोशी
5.	टोंक ,,	श्री चतुर्भुज विधायक
6.	झालावाड़ ,,	श्री भैरूंलाल रानीपुरिया विधायक
7.	सीकर ,,	श्री महादेव सिंह विधायक
8.	कोटा ,,	श्री कृष्ण गोपाल बाफना
9.	चूरू ,,	श्री मालूखां विधायक
10.	अजमेर ,,	श्री मुमताज मोहम्मद खां
11.	पाली ,,	श्री असलम खां विधायक
12.	सिरोही ,,	श्री भूराराम विधायक
13.	बीकानेर ,,	श्री मालुराम लेघा विधायक
14.	उदयपुर ,,	श्री भैरूंलाल मीणा
15.	चितौड़गढ़ ,,	श्री बलवन्तसिंह मुराणा
16.	केकड़ी ,,	श्री जगदीशप्रकाश पारीक
17.	हनुमानगढ़ ,,	श्री पीरुराम विधायक
18.	प्रतापगढ़ ,,	श्री ईश्वरलाल पाटीदार
19.	बालोतरा ,,	श्री अमीन खां विधायक
20.	रायसिंहनगर ,,	श्री राजाराम पुनिया
21.	बांसवाड़ा ,,	श्री मोहनलाल मेहता
22.	जयपुर ,,	श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी विधायक
23.	अलवर ,,	श्री दीन मोहम्मद विधायक
24.	जालौर ,,	श्री रतनाराम चौधरी
25.	जोधपुर ,,	श्री कल्याणसिंह

राजकीय संस्कृत कालेजेज के प्रोफेसर्स

353. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या संस्कृत कॉलेजेज में ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं कि जहां से उनका वेतन उठाया जाता है वहां वे अध्यापन कार्य नहीं करते ? यदि हां, तो दि. 1-4-1979 से 31-7-1982 तक ऐसे कितने मामले हैं और किन किन प्रोफेसर्स ने अपना वेतन जहां से उठाया वहां उन्होंने अध्यापन कार्य कितने समय किया ?

उत्तर

जी हां। ऐसे दो मामले हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वेतन प्राप्त करने का स्थान	कार्य करने का स्थान तथा कब से	दिनांक 1-4-79 से से 31-7-82 तक अध्यापन कार्य का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री वासुदेव शास्त्री प्रोफेसर	महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर	दिनांक 17-8-81 से संस्कृत निदेशालय राजस्थान, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर	380 दिन
2.	श्री रतनलाल दाधीच प्रोफेसर	राजकीय श्री गंगा शार्दूल आचार्य संस्कृत कालेज, बीकानेर	दिनांक 12-11-81 से महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर अध्यापन कार्य हेतु।	558 दिन

आबादी के आधार पर चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराने के मापदण्ड

354. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या चिकित्सा जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आबादी के हिसाब से अस्पताल डिस्पेन्सरी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एड-पोस्ट, सब-सैंटर आदि खोलने हेतु क्या नार्म्स निर्धारित है ? कृपया नार्म्स की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) अस्पताल, डिस्पेन्सरी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एड-पोस्ट, सब-सैन्टर में नार्म्स के अनुसार कितना कितना स्टाफ किस किस स्तर का पदस्थापित किया जाता है ? कृपया नार्म्स की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पंचायत समिति, टौंक क्षेत्र में उपरोक्त नार्म्स के अनुसार अस्पताल, डिस्पेन्सरी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एड पोस्ट, सब-सैन्टर आदि खोले हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार निर्धारित नार्म्स के अनुसार इस क्षेत्र में जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु डिस्पेन्सरी आदि खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कहां कहां और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रचलित नार्म्स की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "क")

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई (परिशिष्ट "ख")

(3) पंचायत समिति, टोंक क्षेत्र में स्वीकृत चिकित्सा संस्थाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट "ग")

(4) जी हां । प्रशिक्षित स्टाफ एवं समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर नये उपकेन्द्र खोले जायेंगे ।

(परिशिष्ट क)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, डिस्पेन्सरी, अस्पताल, एडपोस्ट एवं सहायक स्वास्थ्य केन्द्र (सब्सीडियरी हैल्थ सैन्टर) के खोलने के प्रचलित नाम

प्रा० स्वा० केन्द्र एवं उपकेन्द्र :—

1. पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सात उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत होने थे । पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रति दस हजार जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र सुलभ करा दिया गया । छठी पंचवर्षीय योजना काल में एक लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति क्षेत्र में जो कि जिला मुख्यालय से अधिक

से अधिक दूरी पर हो, में प्रथम चरण में दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्रम में, पूरे प्रान्त में कुल 20 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने का लक्ष्य है। जिसमें 8 आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं।

नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना काल में यू.एन.एफ.पी.ए., आदिवासी क्षेत्र एवं समन्वित बाल विकास योजना में प्रति 5 हजार जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र का लक्ष्य रखा है। शेष क्षेत्रों जैसे जैसे प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होते रहेंगे प्रतिवर्ष उपकेन्द्र खोले जाते रहेंगे जब तक कि प्रति 5 हजार की आबादी पर उपकेन्द्र सुलभ न हो जाये।

डिस्पेन्सरी एवं एडपोस्ट :—

2. डिस्पेन्सरी एवं एडपोस्ट के लिये जनता सरकार के समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो डिस्पेन्सरी व एक एडपोस्ट अथवा तीन डिस्पेन्सरी की सुविधा प्रदान की जायेगी।

अस्पताल

3. विभाग द्वारा ऐसे निर्देश दिये गये हैं कि जहां भी डिस्पेन्सरी स्वीकृत है और जन सहयोग से वार्ड एवं स्टाफ के आवास गृह एवं मुर्दाघर बना दिये जावें वहां पर उपलब्ध स्टाफ बजट से 10 पलंग की सुविधा दी जाती है। 10 अथवा इससे अधिक रोगी शैयाओं वाले चिकित्सा संस्था को "अस्पताल" कहते हैं।

सहायक स्वास्थ्य केन्द्र :—

4. 2000 तक स्वास्थ्य सब के लिए के मार्ग दर्शक नीति निर्देशन में यह दर्शाया गया है कि अन्तोगत्वा आदिवासी व रेगिस्तानी क्षेत्रों में प्रति 20 हजार जनसंख्या व अन्य क्षेत्रों में प्रति 30 हजार जनसंख्या पर एक प्रा. स्वा. केन्द्र सुलभ करना है। इस प्रक्रिया में कार्यरत डिस्पेन्सरियों को अतिरिक्त भवन व्यवस्था स्टाफ एवं बजट दे कर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा। कार्य प्रणाली में भावी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सबसीडियरी हैल्थ सैन्टर में कोई अन्तर नहीं होगा। सब्सीडियरी हैल्थ सैन्टर व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे जो ग्रामीण डिस्पेन्सरी को उच्चीकृत करके बनाये गये हैं।

(331)

(परिशिष्ट 'ख')

क्र. सं.	नाम पद	चिकित्सालय	प्रा. स्वा. के. मय ग्रामीण परिवार क.केन्द्र जो कार्यरत है।	छठी पंचवर्षीय में खुलने वाले प्रा. स्वा. के.	सब्सीडियरी हैल्थ सैन्टर	डिस्पेन्सरी 9 रोगी शैयाओं तक	एडपोस्ट	उपकेन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सी एस अनुसार	स्वीकृत रोगी शैयाओं के	2	1	1	1	–	–
2.	कम्पाउण्डर ग्रेड प्रथम	–	–	–	–	–	1 (पुरानो में)	–
3.	कम्पाउ. ग्रेड–II	–	2	1	2	2	1 नयों में	–
4.	महिला स्वा. दर्शिका	–	1	–	–	–	–	–
5.	प्रसाविका	–	2	1	2	1	1 नयों में	–
6.	नर्स मिडवाइफ	–	–	–	1	–	–	–
7.	कम्युनिटी हैल्थ आफीसर	–	–	–	1	–	–	–
8.	खण्ड शिक्षा प्रसारक	–	1	–	–	–	–	–
9.	हैल्थ एजूकेटर (स्वा. शिक्षक)	–	–	1	1	–	–	–
10.	लैब तकनीशियन	–	–	–	1	–	–	–
11.	सेनेटरी इन्सपेक्टर	1	1	–	–	–	–	–
12.	वरिष्ठ लिपिक	–	1	1	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	कनिष्ठ लिपिक	–	–	1	1	–	–	–
14.	संगणक	–	1	–	–	–	–	–
15.	वाहन चालक	–	1	–	–	–	–	–
16.	पार्ट टाइम हैल्पर	–	–	–	–	–	–	1
17.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	4	4	6	4	2	–
18.	टैक्नीशियन	–	1	–	–	–	–	–

(0)

(0) नोट :—राज्य में पुराने एडपोस्ट जो वर्ष 1970 से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं वहां कम्पाउण्डर श्रेणी प्रथम व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहीं एक या दो स्वीकृत थे ।

(परिशिष्ट 'ग')

क्र.सं. नाम संस्था		ग्राम का नाम जहां संस्था स्थापित है
1. प्रा. स्वा. केन्द्र	1	1. पिपलू
2. डिस्पेन्सरी	2	2. तोनेरा
		3. पराना
3. एडपोस्ट	1	4. अरनीया केदार
4. उपकेन्द्र	12	5. कठमाना
		6. घास
		7. मण्डावर
		8. डोडवाडी
		9. सांहेला
		10. सोनवा
		11. दाखिया
		12. बगडी
		13. छान
		14. डारडा हिन्द
		15. हथेना
		16. बमीर

पापुलराइज्ड स्कीम

355. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां)
श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में कृषि विभाग की पापुलर स्कीम को समाप्त कर इसका चार्ज उपनिदेशक कृषि विस्तार जयपुर को देना तय किया गया था ? यदि हां, तो चार्ज के दौरान स्टोर का कितना सामान चोरी चला गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) 1980-81 से पापुलराइज्ड स्कीम का चार्ज किन-किन अधिकारियों को सम्भलाया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं यह योजना दिसम्बर, 1979 में समाप्त कर दी गयी थी। चार्ज उप निदेशक कृषि, जयपुर को देने के आदेश हुए थे तथा उन के आदेश से स्टोर कीपर ने चार्ज संभाला। चार्ज के दौरान स्टोर का कोई सामान चोरी नहीं गया।

(2) चूंकि पापूलराइज्ड स्कीम दिसम्बर

Page No 343

(334)

(कृषि मन्त्री)

1979 में समाप्त हो गयी थी, अतः 80-81 से चार्ज किसी को देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतापगढ़ नगरपालिका लाइसेन्सशुदा भूमि पर निर्माण कार्य

356. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) नगरपालिका प्रतागढ़ की लाईसेन्सशुदा भूमि पर कितने लोगों ने आवासीय एवं व्यवसायिक निर्माण करवाये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रतापगढ़ की लाइसेन्सशुदा भूमि का बेचान करने पर कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है ।

(3) यदि हां, तो, विक्रय किस अधिकारी द्वारा कब किया गया और अब तक उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कुल 155 लोगों ने निर्माण करवाए हैं । सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

लाईसेंस दारान जमीन अस्थाई लाइसेंस जिन पर आवासीय । व्यावसायिक निर्माण किया हुआ है ।

क्र.	नाम लाइसेंसी	क्र.	नाम लाइसेन्सी
1	2	1	2
1.	श्री भेरूलाल गणपत राव	2.	श्री शांतिलाल । कन्हैयालाल पालीवाल
3.	श्री मोडीराम भुवानजी डग्गर	4.	श्री गिरधरलाल । मोतीलाल जनवासा
4.	श्री मनसुखलाल । जुगल किशोर तम्बोली	6.	श्री अलीमोहम्द । रजबअली बोहरा ।
7.	श्री पूनमचन्द । फूलचन्द तम्बोली	8.	श्री सुरजमल रतनलाल जैन ।
9.	श्री नन्दकिशोर बासुमचन्द नाई	10.	श्री राजेन्द्र कुमार । बसन्तलाल ।
11.	श्री श्री झमकलाल । मन्नालाल ब्राह्मण	12.	श्री नरेन्द्र मोहन । उंकारलाल व्यास
13.	श्री लक्ष्मीनारायण । प्रतापजी	14.	श्री रामचन्द्र । फमेरजी तेली
15.	श्री शिखरचन्द । बाबूलाल जैन	16.	श्री मन्नालाल । सीताराम सुथार

Page No 344

(333)

1	2	1	2
17. श्री नाथूलाल	नारायणजी कलाल	18. श्रीमती मदनकुवर बाई	सन्तोषचन्द्र जैन
19. श्री बल्देवसिंह	सुबाजी आर्य	20. श्री रामनारायण	गोपालजी लुहार
21. श्री श्री लालचन्द	खूबचन्द सिंधी	22. श्री सूरजमल	माणकलाल मालू
23. श्री कन्हैयालाल	रामप्रसाद सोनी	24. श्री कवरमल	अम्बालाल मोची
25. श्री अम्बालाल	हीरालाल भटेवरा	26. श्री गोपालसिंह	राधु जी राजपूत
27. श्री मांगीलाल	शोभाराम कुमावत	28. श्रीमति गट्टुबाई	अमृतलाल पालीवाल
29. श्री घनश्याम	फकीरचन्द सुथार	30. श्रीमति भूरीबाई	मांगी लाल जोशी
31. श्री कन्हैयालाल	रूघनाथजी भाट	32. श्री रमेशचन्द्र	गणपतलाल नाई
33. श्री गुलाबचन्द	सुखाजी धरगुण्डा	34. श्री भैरूलाल	रसबदासजी नरसिंहपुर
35. श्री कन्हैयालाल	मांगीलाल जोशी	36. श्री बसन्तलाल	उंकारजी लुहार
37. श्री जगदीश	मांगीलाल जोशी	38. श्री बगदीलाल	लछमनजी पालीवाल
39. श्री नारायणसिंह	किशोरसिंह	40. श्री झमकलाल	बद्रीलाल महेश्वरी
41. श्री पुष्करलाल	गोरधनी सुथार	42. श्री गणपतलाल	रतनलालजी राव
43. श्री पन्नालाल	घुराजी सुथार	44. श्री डाडमचन्द	रतनलालजी भाट
45. श्री जानकीलाल	नरसिंहजी लुहार	46. श्री कैलाशचन्द्र	मगनलालजी खास-गीवा
47. श्री उदयलाल	गोपीलालजी अहिर	48. श्री बाबूलाल	गोविन्दजी अहिर
49. श्री चुनीलाल	रोडाजी जाट	50. श्री रामगोपाल	रतनलालजी तेली
51. श्री हीरालाल	भैराजी माली	52. श्री मांगीलाल	लछीरामजी मीणा
53. श्री दुलीचन्द	किशनजी अहिर	54. श्री चुनीलाल	लल्लू अहिर
55. श्री बाबुलाल	लल्लू अहिर	56. श्री किशनलाल	गुलाबजी चमार
57. श्री मदनसिंह	चेनसिंहजी राजपूत	58. श्री करतारसिंह	हरसिंहजी
59. श्री मांगीलाल	झमकलाल कुमार	60 श्री रोडीलाल	मोडीलाल कलाल
61. श्री सरदारसिंह	बिहारी लाल	62. श्री शांती लाल	चेनराम जिलावट
63. श्री पन्नालाल	पुराजी सुथार	64. श्री मोहन लाल	जवाहर लाल मेलीवाल
65. श्रीमति सोहनबाई	पुष्करलालजी	66. श्री रामलाल	पुराजी भाट
67. श्री शिवशंकर	सीताराम सुथार	68. श्री गोरधन	मन्दाजी सुथार
69. श्री अजय कुमार	झमकलाल जैन	70. श्री इन्दरमल	दौलतराम पालीवाल

340

1	2	1	2
71.	श्री आशिक हुसेन । अकबर अलीवोरा	72.	श्री मोहम्द हुसेन । मोह. बक्ष करखाव
73.	श्री चन्दरमल मूलचन्दजी दोसी	74.	श्रीमति वसुलबाई । नजीरशाह
75.	श्री लल्लूप्रसाद । घासीजी यादव	76.	श्री रफिक मोहम्मद । फकीर मोहम्मद
77.	श्री उंकार । भैराजी धोबी	78.	श्री गुलाम मोहम्मद । करीमजी पिंजार
79.	श्री राधाकिशन । नानुरामजी नाई	80.	श्री धनपाल । चान्दमल सासग्या
81	श्री बाबूखां । फरीदखां	82.	श्री झमकलाल । लछमनजी अहिवासी
83.	श्रीमति बालीबाई । गोजरियाजी	84.	श्री नूरमोम्मद । करीमजी मन्सूरी
85.	श्री सुन्दरलाल । नानालालजी भीफा	86.	श्री सुरेन्द्रकुमार । मांगीलालजी सुथार
87.	श्री भैरूंलाल । घासीज भायरी	88.	श्री लक्ष्मीलाल । दीपचन्दजी मोदी
89.	श्रीमति शाणी बाई । भंवरलालजी	90.	श्री शिबनारायण । लक्ष्मीनारायण गुप्ता
91.	श्री विजयसिह । रूपनारायण सिह	92.	श्री सत्यनारायण मोहनलालजी राव
93.	श्री सोहनसिह । रूघनाथसिह	94.	श्री जोरावरसिह । रूघनाथसिह
95.	श्री शान्तिलाल । जगन्नाथ भाई	96.	श्री फैजमोहम्मद । फकीर मोहम्मद
97.	श्री धनपाल । चान्दमलजी सालग्या	98.	श्री मांगीलाल । सीतारामजी बैरागी
99.	श्री नाथुलाल । भेराजी धोबी	100.	श्री इन्दरमल । दौलतराम पालीवाल
101.	श्री नानालाल । चतुर्भुज जी सोनी	102.	श्री घुलचन्द । रामाजी कुमावत
103,	श्री दीपचन्द । प्रतापजी मोदी	104.	श्री घनश्याम । गिरधारी नाई
105,	श्री चन्दनमल । देवीचन्दजी जैन	106.	श्री भैरूंलाल । रखवदासजी नरसिह पुरा
107.	श्री नन्दराम । उम्मेदरामजी सालवी	108.	श्री बसन्तलाल । उंकारलालजी जैन
109.	श्री कन्हैयालाल । झमकलाल जैन	110.	श्री अब्दुलजी । जीवाली चौराहा
111.	श्री नन्दलाल । माणकलाल सेठिया	112.	श्री ओमप्रकाश । पन्नालाली तेली
113.	श्री मोहम्मद हुसेन । कालुजी देव	114.	श्री चेनराम । जगतमल सिंधी
115.	श्री केशरीमल । शिवलाल पालीवाल	116	श्री सलावत । जगत सिंधी
117.	श्री अर्जुन लाल । चान्दमल सिंधी	118.	श्री पुष्करलाल । पन्नालालजी सुथार

Page No 346

(337)

1	2	1	2
119.	श्री रमेशचन्द्र । मोतीलाल पालीवाल	120.	श्री नानू कल्लू हमाल
121.	श्री गेंदमल । नानालालजी पालीवाल	122.	श्री मांगीलाल । पन्नालालजी वेन
123.	श्री पन्नालाल । कानाजी तेली	124.	श्री शांतिलाल । रामप्रसाद सोनी
125.	श्री केशुराम । गमेरजी तेली	126.	श्री लक्ष्मीनारायण : मदनलाल सोनी
127.	श्री जगदीश । गोपालजी नाई	128.	श्री केशरमल । मुलचन्द जी जैन
129.	श्री मनोहरलाल । रामरतनजी नाई	130.	श्री व्यवस्थापक । महालक्ष्मीसहकारी क. वि.
131	श्री बाबूलाल ग्रमृतलाल पटवा	132.	श्री गैंदामल । किशनलालजी पालीवाल
133	श्री ग्रशोक कुमार मथरालाल शर्मा	134.	श्री जगदीश । कनीराम गूजर
135.	श्री रामगोपाल । सरगमलाल तेली	136.	श्री पुष्करलाल । रूपलाल शर्मा
137.	श्री ग्रर्जुन लाल । भुवानजी तेली	138.	श्री देवीचन्द । रूपनायजी तेली
139.	श्री मदनलाल । काळूजी नाई	140.	श्री भैरूलाल भैरूलाल सुथार
141.	श्री गणपतलाल । ताराचन्दजी टांक	142.	श्री बाबूलाल । ताराचन्दजी टांक
143.	श्री ग्रम्बालाल । चान्दमलजी डूंगरवाल	144.	श्री मनोहर लाल । भैरूलालजी बोराना
145.	श्री पारसमल । चान्दमलजी डूंगरवाल	146.	श्री कन्हैयालाल । देवीचन्द जी जैन
147.	श्री गोविन्द । पन्नालाल तेली	148.	श्री करणसिंह । रामचन्द्रजी राजपूत
149.	श्री हस्तिमल । धनपाल जैन	150.	श्री ग्ररविन्द कुमार । ग्रम्बालाल तेल
151.	श्री ग्रनिलकुमार । कान्ती लाल	152.	श्री इन्दरमल । हीरालाल मटेवरा
153.	श्री बन्सीराम । लल्लू ग्रहीर	154.	श्री प्रताप । मनीरामजी ग्रहीर
155.	श्रीमति शांती बाई । सुरेन्द्र कुमार मिस्त्री		

बाड़मेर की विभिन्न पंचायत समितियों में ग्रध्यापकों की रिक्तियां

357. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाडमेर) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की हरएक पंचायत समिति में कम से कम

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)
आठ या नौ प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें कोई भी अध्यापक कार्यरत नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं उनमें छात्र उपस्थिति पंजिका बनी हुई है। यदि हां, तो उनकी उपस्थिति कौन लेता है ? यदि नहीं, तो क्या वे प्राथमिक विद्यालय भी चालू प्राथमिक विद्यालयों में गिने जाते हैं ?

उत्तर

(1) यह आंशिक रूप से सही है। जिला बाड़मेर की निम्न पंचायत समितियों में प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापक नहीं हैं।

क्र.	नाम पं. स.	बन्द शालाओं की संख्या
1.	बाड़मेर	13
2.	शिव	19
3.	चौहटन	21
4.	सिणधरी	1
5.	बालोतरा	4
		58

(2) जी हां।

आठवें वित्त आयोग के समक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव

359. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या केन्द्र द्वारा गठित आठवें वित्त आयोग को प्रस्तुत करने हेतु राज्य की वित्तीय स्थिति का वास्तविक तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ? यदि हां, तो उसमें मोटे तौर पर क्या प्रस्ताव है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रतिवेदन में राज्य में सूखे एवं अकाल की शाश्वत समस्या रेगिस्तानी इलाकों में विकट जल समस्या के स्थायी समाधान हेतु निरन्तर होने वाले व्यय का भार केन्द्र सरकार व्यय करे ऐसी पेशकश करने का भी सरकार विचार रखती है चूंकि सीमित संसाधनों के कारण इन कार्यों पर व्यय के कारण राज्य के विकास कार्यों में रुकावट आती है ?

उत्तर

(1) आवश्यक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

(2) राज्य में सूखा एवं अकाल की स्थिति व रेगिस्तानी इलाकों में जल समस्या के स्थायी समाधान के लिए किये जाने वाले व्यय के भार को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने के विषय को प्रतिवेदन में शामिल करने पर विचार किया जायेगा।

बन्धुआ मजदूरों की पहचान

360. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या कृषि (विशिष्ट योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा बन्धुआ मजदूर को किस प्रकार परिभाषित किया गया है ?

(2) इनकी पहचान के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ?

(337)

(श्रीमती विद्या पाठक)

(3) राज्य के कितने बन्धुश्रा मजदूर प्रमुखतः कहां कहां हैं ?

उत्तर

(1) बन्धुश्रा मजदूरों के बारे में राज्य सरकार की कोई पृथक से परिभाषा नहीं हैं। बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1876 की धारा 2 क उप धारा गू,|च, व छ में "बन्धित श्रम" "बन्धित श्रमिक" एवं "बन्धित श्रम पद्धति" की परिभाषा दी हुयी है, वही परिभाषा बन्धवा श्रमिकों के सम्बन्ध में मान्य परिभाषा है। इस परिभाषा के अनुसार जब कोई लेनदार अथवा जमीदार अपने ऋण या उसके वंशज को कर्ज के बदले में श्रम करने पर मजबूर करे, अन्य जगह कार्य करने से रोके, उसके आवागमन पर प्रतिबन्ध हो अथवा लिए हुये ऋण को नहीं चुकाने के कारण उसके ब्याज के प्रतिफल के रूप में श्रम करने के लिए वाध्य किया जाये अथवा किसी रूढ़िगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में बन्धक श्रम कर रहा हो तो उसे बन्धुवा मजदूर समझा जावेगा

(2) बन्धुश्रा मजदूरों की पहचान के लिए राज्य में राजस्व अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविरों एवं एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के चयन हेतु आयोजित ग्राम सभाओं में बन्धक मजदूरों की पहचान करायी जाती है। साथ ही राज्य में बन्धुश्रा मजदूरों की पहचान करने हेतु पंचायत समिति वार विशेष दल गठित कराये जाकर भी सर्वेक्षण कराया गया है। एवं शिनाख्तगी के कार्य में जिलों में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लेने हेतु निर्देश जिलाधीशों को दिये गये हैं।

(3) राज्य में वर्ष 75-77 में 6000 बन्धुश्रा श्रमिकों की शिनाख्तगी कराई गयी थी जिनको मुक्त कराया जाकर पुनर्वासित कराया जा चुका है वर्ष 81-82 में झालावाड़ जिले में 36 बन्धुश्रा श्रमिकों की पहचान हुयी थी जिन्हें मुक्त कराया जाकर केन्द्र परिवर्तित योजना के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जा चुका है। वर्ष 82-83 में पहचान हुये उदयपुर जिले के एक बन्धुश्रा श्रमिक को मुक्त कराया जाकर उसे राज्य सेवा में नियोजित कर पुनर्वासित कर दिया गया है एवं बाड़मेर जिले में मुक्त कराये गये 11 बन्धुश्रा मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक विस्तृत योजना भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। वैसे इन मजदूरों को तात्कालिक सहायता के रूप में 500/– रु. प्रति बन्धक श्रमिक को दिये गये है।

अपीलेट न्यायाधिकरण का गठन

361. **श्री रामकिशन** (लाड़पुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि विकास निगम अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अभी तक पुनर्विचार न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब इस न्यायाधिकरण का गठन कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी, हां।

इसका मुख्य कारण यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम के अधिनियम

540

(कृषि मन्त्री)
1975 की धारा 40 के अन्तर्गत दो अधिकरणों का एक एक सदस्य राजस्व मंडल के सदस्यों में से चुना जाना था और राजस्व मंडल ने अभी तक कोई नाम प्रस्तावित नहीं किये हैं।

सामुदायिक जल कुण्ड योजना

362. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सामुदायिक जल कुण्ड योजना तैयार की गई है ?

(2) यदि हां, तो बाड़मेर जिले में किन-किन गांवों का चयन किया गया है ?

उत्तर

(1) हां, यह योजना विशिष्ट योजना संगठन द्वारा तैयार की गई थी।

(2) बाड़मेर जिले में 76 गांवों का चयन किया गया है। गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

बाड़मेर जिले के पंचायत समितिवार ग्रामों की सूची जहां जल कुण्ड बनाये जा रहे हैं

पंचायत समिति का नाम	ग्रामों का नाम
1. बाड़मेर	(1) दान्ता (2) बुकड़ (3) रामदेरिया (4) खारची (5) गागरिया (जूना गांव) (6) बूठिया (अजबानी मालानी बस्ती) (7) सुराली (8) सुआड़ा (मेगवालों की बस्ती (9) देरासर (10) खारा राठोड़ान
2. शिव	(1) रतरेडी (2) मेदूसर (लालासर स्कूल) (3) खानियानि (डोकर) (4) कोटड़ा (जूनेजा की बस्ती (5) नागरड़ा (6) मति का गोल (7) गूंगा (कुम्हारों बारानियों की ढाणी) (8) कोटड़ा (मसूजों की बस्ती) (9) बरियाड़ा (सोढों की ढाणी) (10) कोटड़ा (धोलकियों की बस्ती) (11) धारवी कला (लंगों की ढाणी) (12) नेगरदा (शरणार्थी बस्ती)
3. चौहटन	(1) रमजान की गफन (मभूते की ढाणी) (2) कुम्हारों का टीबा (3) भीलों का तला (4) तमाची की गफन (5) सादुल की गफन (6) अरबी की गफन (7) देदूसर (बिन्दानियों की ढाणी) (8) खारिया (9) रासबन्नी (10) उदीयासर (11) बिजराड़ (12) आंटीया
4. धोरीमना	(1) गांधव (रामदेवजी का मन्दिर (2) आलमसरिया (3) वोरचारणात (जोग माया का मन्दिर)

	(4) कबूली (5) लूगवा चारणान (भीलों की ढाणी) (6) बारासन
5. सिणधरी	(1) नोख (2) होडू (समदड़ों का टांका (3) रावतसर (धोनरी नाडी) (4) चवा (उवानियों की ढाणी) (5) नोसर (केरली नाडी) (6) साजन की ढाणी (7) भूका (मुसलमानों की बस्ती) (8) भोजासर (9) नाकोड़ा (बूडली की नाड़ी) (10) धने की ढाणी (11) टाकूबेरी (मेगवालों की बस्ती) (12) खारा महेचा (बडा नाड़ा) (13) सरनू
6. बायुत	अकदड़ा (2) लामुन्दरा बारठान (3) बायुत चिमनेजा (4) खारड़ा भारतसिंह (5) झाक (मेघवालों की बस्ती, (6) खोखसर (सियागों का सला (7) भुरटिया (दर्जियों का नाड़ा) (8) बायुत भीमजों (नागाणियों की ढाणी) (9) माडपुरा सानी (10) हीरा की ढाणी (11) माडपुरा बडवाला (रामनियों की ढाणी)
7. सिवाना	(1) राखी (रोजियों की ढाणी) (2) बामसीन (3) समदड़ी (खोमां नाड़ा (4) समदड़ी (भीलों की ढाणी) (5) भूति (बामसीन) बालोतरा (सड़क के पास)
8. बालोतरा	(1) धडसी का बाड़ा (2) अरावा दूदावतान (3) साजिया बाली (4) शिव नगरी (5) जानियाना (6) खारवा।

ग्राम पंचायत मम्मड़ खेड़ा (श्री गंगानगर) के सरपंच द्वारा खाला का निर्माण

363. **श्री महेन्द्र सिंह** (सांगरिया) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् 1977-78 में सरपंच ग्राम पंचायत मम्मड़ खेड़ा पंचायत समिति सार्दुलशहर जिला श्री गंगानगर ने चक न. 19 एस. डी. एस. का खाला पक्का बनवाया था ? यदि हां, तो कृपया निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखें :--

(क) चक नं. 19 एस. डी. एस. कौनसी ग्राम पंचायत में पड़ता है ?

(ख) इस खाले को पक्का बनवाने के लिये पंचायत समिति से कितना अनुदान सरपंच द्वारा लिया गया ?

उत्तर

जी हां।

(क) चक नं. 19 एस. डी. एस. ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान में है।

(ख) इस खाले को पक्का बनाने के लिए पंचायत समिति द्वारा 4500/-रु. का अनुदान सरपंच ग्राम पंचायत मम्मड़ खेड़ा को दिया गया था।

942

लोकमान्य तिलक बी. एड. कॉलेज, डबोक

364. **श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लोकमान्य तिलक बी. एड. कॉलेज, डबोक में बी. एड. में प्रवेश मेरिट के अनुसार दिया जाता है ?

(2) विभिन्न विषयों में कितने प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष प्रवेश दिया गया है ?

(3) कृपया उक्त कॉलेज में इस वर्ष प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सूची मय उनके प्रतिशत अंकों के सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) लोकमान्य तिलक बी. एड. कॉलेज, डबोक में प्रवेश उदयपुर विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिये गये हैं ।

(2) जनरल मेरिट में विभिन्न वर्गों का न्यूनतम प्रतिशत निम्न प्रकार रहा :--

कला वर्ग पुरुष	55.30
विज्ञान वर्ग पुरुष	52.03
वाणिज्य वर्ग पुरुष	60.00

(3) इस कॉलेज में इस वर्ष प्रवेश हुये विद्यार्थियों की सूची मय उनके प्रतिशत अंकों के सदन के पटल पर रख दी गई है ।

Rajasthan Vidyapeeth

LOKMANYA TILAK TEACHERS' COLLEGE

DABOK-313022 (Udaipur)

B. Ed- Admission-1982-83

Sanctioned Strength	-250	
Against Dropout	- 10	(as approved by the University)
	260	

(1) Scheduled Castes - 10
(2) Scheduled Tribes - 36
(3) Defence Personnel - 8
(4) Wards of Teacher - 13
(5) Viklang - 3
(6) Appeared Cases - 12
(7) General Quota
(i) Men Arts - 34

(ii) Women Arts - 15
(iii) Men Science - 38
(iv) Women Science - 9
(v) Commerce - 26

(8) Management Quota - 10
(9) Women Quota - 15
(10) Against Drop-outs on 5-8-82, the last date of Admission - 31

Total 260

I SCHEDULED CASTE

1.	SC/4	Ram Kishan Yadav	48.7
2.	SC/21	Fateh Lal Salvi	48.3
3.	SC/16	Jairoop Ram Garg	47
4.	SC/20	Satya Narayan	44.9
5.	SC/7	Mrs. Maya Davi Kotar	44.6
6.	SC/12	Prabhu Lal Jojawara	43
7.	SC/8	Vardhi Chand Salvi	42.4
8.	SC/14	Ratan Lal	42.2
9.	SC/15	Babu Lal Verma	41.6
10.	SC/9	Nand Lal Meghwal	40

II SCH EDULED TRIBE

1.	ST/67	Mool Chand Verma	52
2.	ST/64	Lajja Ram Rawat	49.6
3.	ST/8	Prem Nath Dodiyar	48.5
4.	ST/62	Hari Ram Meena	47.8
5.	ST/13	Devi Lal Damor	47.1
6.	ST/48	Amar Lal Meena	47
7.	ST/14	Ramesh Chandra Baranda	47
8.	ST/18	Ratan Lal Katara	46.9
9.	ST/39	Bal Deo Roat	46.7
10.	ST/17	Jagannath Meena	46.3

11.	ST/61	Om Prakash Meena	46.3
12.	ST/21	Devi Lal Meena	45.9-Left
13.	ST/38	Gokul Lal Meena	45.3-Left
14.	ST/26	Laxman Lal Roted	45.5
15.	ST/23	Amrit Lal Ghatia	45.4
16.	ST/40	Radhey Shyam Meena S/o Sh. M. L. Meena	45.4
17.	ST/51	Jagdish Chandra Meena	45.3
18.	ST/24	Manji Lal Faleja	45.2
19.	ST/19	Parmanand Bheel	45.2
20.	ST/20	Kalu Ram Katara	45.1
21.	ST/54	Gajanand Meena	44.9
22.	ST/27	Punam Chand Patel	44.8
23.	ST/59	Hari Kishan Meena	44.5
24.	ST/29	Gautam Lal Varhat	44.2
25.	ST/28	Narayan Lal Amaliya	44
26.	ST/47	Uma Shanker Meena	43.8
27.	ST/45	Dhan Raj Verma	43.5
28.	ST/30	Ganga Ram Rawat	43.2
29.	ST/56	Parmeshwar Lal Meena	43
30.	ST/34	Devi Lal Roat	42.6
31.	ST/33	Babu Lal Meena	42.6
32.	ST/31	Chiman Lal Muniya	42.6
33.	ST/46	Ram Prasad Meena	42.4
34.	ST/66	Radhey Shyam Meena S/O Shri K. L. Meena	42
35.	ST/32	Madan Lal Meena	42
36.	ST/53	Hem Raj Meena	41.7
37.	ST/35	Jayanti Lal Roat	41.7
28.	ST/44	Shiv Shanker Damor	40

III WARDS OF TEACHER

ARTS

345

1. Tw/3	Mrs. Pushpa Depura	55.6
2. Tw/49	Chunni Lal Sharma	54.6
3. Tw/4	Narendra Kumar Sharma	54
4. Tw/5	Roop Singh Deora	53
5. Tw/12	Suresh Chandra Lahoti	51
6. Tw/195	Smt. Leela Sharma	48.08

SCIENCE

1. Tw/6	Om Prakash Parasar	56.8
2. Tw/156	Jagdish Prasad Agrawal	54.8
3. Tw/7	Dalpat Singh Rathore	53.3
4. Tw/87	Ramesh Chandra Vyas	50.7
5. Tw/102	Mrs. Manjula Agrawal	48.03

COMMERCE

1. Tw/105	Bhupendra Singh Pagaria	58
2. Tw/106	Anil Kumar sharma	57

IV. DEFENCE PERSONNEL

ARTS

1. DP/31	Shokat Ali Khan	51.7
2. DP/28	Mohan Lal Gurjar	50.8
3. DP/2	Govind Singh Jhala	50
4. DP/7	Sultan Singh Rathore	47
5. DP/33	Nathu Singh Mojawat	45.9

SCIENCE

1. DP/4	Ram Niwas Jat	49.8
2. DP/3	Mukhendra Siungh	49

COMMERCE

1. DP/6	Chandra ParKash Sukhwal	59.3

V. VIKLANG

1. Vik/7	Lyaqat Ali	48
2. Vik/8	Shanker Lal Khati	46.4
3. Vik/9	Miss Sushila Dashora	43.4

VI APPEARED CASES

348

1. App.	WA/204	Miss Shshila Kumari Soni	57.08
2. ,,	WA/203	Miss Rashmi Joshi	56
3. ,,	WA/202	Mrs. Pushpa Dadheech	54.5
4. ,,	WA/201	Mrs. Aruna Mathur	54.1
5. ,,	WA/199	Miss Sandhya Doshi	52.3
6. ,,	A/701	Mahendra Kumar Sharma	44.5

SCIENCE

1. App.	Sci/177	Vijay Kumar Tandon	54.7
2. ,,	Sci/175	Rakesh Kumar Jain	45.3

COMMERCE

1. App.	Com/598	Anil Kumar Kachoiya	64.8
2. ,,	Com/604	Dinesh Kumar Ldaha	60.2
3. ,,	Com/603	Prakash Chandra Kothari	56.3
4. ,,	Com/607	Chandra Prakash Mehta	50.9

VII ARTS (MEN)

1. A/548	Ram Swaroop Sharma	64.5
2. A/5	Ashvini Kumar Pandya	61.8
3. A/67	Bhupendra Shukla	58.3
4. A/10	Ramesh Ch. Amela	57.7
5. A/13	Nirmal Kumar Dohsi	57
6. A/23	Mani Lal Joshi	56.4
7. A/448	Ashok Kumar Nagar	56.3
8. A/512	V nod Kumar Tripathi	56
9 A/14	Hari Singh	56
10 A/370	Durga Singh Chouhan	55.8
11 A/24	Mangi Lal Tak	55.6
12. A/43	Shanti Lal Sharma	55.5
13. A/29	Ramesh Chand Soni	55.5
14. A/22	Jayanti Lal Lohar	55.4
15. A/30	Gajanand sharma	55
16. A/519	Ladu Lal Sharma	54.8
17. A/498	Lalit Knmar Sanadhya	54.8
18 A/507	Nand Kishor Saini	54.7

Page No 356

19.	A/31	Ajit Kumar Rao	54.6
20.	A/373	Ramesh Kumar Vaishnav	54.6
21.	A/33	Heera Lal Kumhar	54.5
22.	A/32	Suresh Chandra Sharma	54.5
23.	A/374	Brij Mohan Suman	54.4
24.	A/36	Amrit Lal Sharma	54.2
25.	A/549	Shyam Sunder Sharma	54,2
26.	A/34	Bhagwan Lal Sharma	54.2
27.	A/375	Ram Kishan Suman	53.8
28.	A/40	Tarun Kumar Dadheech	53.8
29.	A/551	Moda Ram	53.6
30.	A/376	Surendra Singh Kothari	53.6
31.	A/41	Vishnu Dutt Tripathi	53.6
32.	A/105	Laxmi Lal Nagda	53.6
33.	A/44	Govind Vallabh Nimbark	53.4
34.	A/671	Ram Kalyan Diwakar	53.3

VIII ARTS (Women)

1.	WA/2	Mrs.	Dev Kunwar Kothari	60.8
2.	WA/192	Miss	Manju Lata Davi	56.5
3.	WA/8	Mrs.	Usha Asava	54.7
4.	WA/158	Mrs.	Manju Rani Sharma	54.6
5.	WA/10	Mrs.	Manju Lawati	54.4
6.	WA/14	Mrs.	Gunsagar Champlot	54.1
7.	WA/170	Mrs.	Nirmala Goyal	54
8.	WA/9		Sumitra Bhandari	54
9.	WA/9	Mrs.	ipika Dwivedi	53.7
10.	WA/116	Mrs.	Vimla Paliwal	53.6
11.	WA/30	Mrs.	Sushila Agrawal	53.6
12.	WA/35	Mrs.	Anuradha Sharma	53.4
13.	WA/12	Mrs.	Narbda Paliwal	53.4
14.	WA/17	Mrs.	Geeli Paliwal	52.6
15.	WA/26	Mrs.	Pushpa Mathur	52

SCEINCE (Men)

1.	Sci/1	Gopal Lal Mali	63.07
2.	Sci/5	Anil Kumar Jain	58.7
3.	Sci/126	Madan Lal	58
4.	Sci/46	Dayanand Pandya	58
5.	Sci/150	Bal Govind Gupta	57.3
6.	Sci/8	Anil Kumar jain	57
7.	Sci/9	Rajandra Prasad Sharma	55.8
8.	Sci/187	Radhey Shyam Carpenter	55.7
9.	Sci/167	Abdul Salim	55.5
10.	Sci/11	Bhanwar Singh	55.1
11.	Sci/12	Ramesh Chand Suthar	55.1
12.	Sci/13	Jayanti Lal Gandhi	55
13.	Sci/14	Balu Ram Teli	55
14.	Sci/116	Bala Ram Balodia	54.6
15.	Sci/119	Rajandra Mal Sharma	54.4
16.	Sci/118	Abid Ali Arabi	54.1
17.	Sci/19	Kunj Bihari Joshi	54.1
18.	Sci/20	Shyam Sunder Chouhan	54
19.	Sci/21	Ghanshyam Sharma	54
20.	Sci/25	Pushp Kant Pandya	53.7
21.	Sci/22	Devendra Kumar Pokharna	53.5
22.	Sci/93	Jainul Abdin Ansari	53.5
23.	Sci/125	Ashok Kumar Jain	53.5
24.	Sci/23	Abdul Kalam Belim	53.4
25.	Sci/24	Kailash Chandra Paliwal	53.3
26.	Sci/117	Deen Dayal Rathore	53.1
27.	Sci/26	Kamal Kishore Kabra	53
28.	Sci/30	Shambhoo Lal Dashora	52.8
29.	Sci/95	Narendra Singh Shakatawat	52.7
30.	Sci/29	Ranchod Patidar	52.3
31.	Sci/113	Madan Lal Nalwaya	52.2
32.	Sci/32	Malee Ram Plasaniya	52.2
33.	Sci/33	Ajay Kumar Jain	52.1
34.	Sci/34	Kailash Chandra Tatwavedi	52.1
35.	Sci/114	Mitoo Lal Jat	52.1
36.	Sci/37	Satya Narain Nagar	52.07

37. Sci/35	Ject Mal Jat	52.02
38. Sci/49	Surendra Singh	52.03

X SCIENCE (Women)

1. Sci/W-1	Mrs. Kusum Lata Ameta	66.5
2. Sci/W-22	Mrs. Parwati Verma	61
3. Sci/W-2	Mrs. Kala Karanpurai	59.8
4. Sei/W-6	Mrs. Nirmala Sharma	55.5
5. Sci/W-7	Mrs. Vimlesh Gupta	55.5
6. Sci/W-9	Miss Chandra Kala Sanadhya	53.2
7. Sci/W-11	Miss Kalpana Kothari	50
8. Sci/W-12	Mrs. Mridula Ojha	48
9. Sci/W-73	Mrs. Reeta Mehta	46.6

XI COMMERCE

1. Com/346	Subhash Chandra Agrawal	65.9
2. Com/3	Man Mal Mehta	65.5
3. Com/313	Narayan Singh Rajpurohit	64.4
4. Com/349	Harish Kumar Menariya	64.4
5. Com/7	Prakash Chandra Jain	62.6
6. Com/8	Ramesh Chandra Chauhan	62.07
7. Com/6	ViJay Kumar Naraniya	62.06
8. Com/9	Inder Lal Jain	62
9. Com/14	Man Phool Nagar	62
10. Com/10	Narendra Kumar Kachhara	61.8
11. Com/327	Nand Kishore Gupta	61.6
12. Com/316	Radha Raman Garg	61.6
13. Com/11	Ramesh Chandra Vyas	61.6
14. Com/314	Shri Pratap Sharma	61.3
15. Com/12	Ashok Kumar Paliwal	61.8
16. Com/350	Bhanwar Lal Tak	61.2
17. Com/315	Om Prakash Gupta	41.2
18. Com/319	Jawan Singh Rajorah	60.9
19. Com/565	Kanhaiya Lal Teli	60.9
20. Com/313	Narendra Kumar Sharma	60.9
21. Com/16	Shanti Lal Kothari	60.9
22. Com/34	Chatter Singh Bhati	60.7
23. Com/17	Mahi Pal Jain	60.4

24.	Com/333	Ram Prasad Ojha	60.4
25.	Com/318	Shrawan Kumar Gupta	60.2
26.	Com/317	Mohan Lal Sharma	60

XII MANAGEMENT OUOTA

1.	Com/528	Om Prakash Sharma	46.1
2.	Com/539	Charan Singh	44.8
3.	TW/45	Kailash Chandra Sharma	44.4
4.	TW/137	Dinesh Chandra Ameta	44.2
5.	Com/294	Parmeshwar Lal Shrimali	44
6.	A/352	Mahesh Chandra Shrimali	43.9
7.	A/349	Vijayraj Kumar Singh Shaktawat	43.4
8.	A/613	Udai Lal Dangi	43.1
9.	Sci/92	Satya Prakash Verma	41.6
10.	Com/264	Roop Shanker Shrimali	41

XIII WOMEN OUTA

1.	Com/120	Miss	Kalpana Bapna	52.5
2.	WA/40	Mrs.	Renu Shrimal	49.4
3.	WA/50	Mrs.	Prem Choubisa	48.5
4.	TW/189	Mrs.	Lalita Chasta	47.6
5.	WA/88	Mrs.	Shakuntala Jain	45
6.	WA/85	Mrs.	Tara Sharma	45
7.	TW/104	Mrs.	Meenaxi Shrivastava	44.5
8.	WA/93	Mrs.	Usha Paneri	44.3
9.	WA/95	Mrs.	Urmila Shukla	44.2
10.	TW/71	Mrs.	Chanchal Shrimali	44.1
11.	TW/73	Mrs.	Gayatri Devi Sharma	44
12.	TW/78	Mrs.	Kismat Chouhan	43.3
13.	WA/176	Mrs.	Hem Lata Sharma	42.6
14.	WA/111	Miss.	Kalpana Mansukhani	42
15.	TW/84	Mrs.	Usha Vyas	41.2

XIV DROP OUTE ON 5th AUGUST, 1982

1.	Com/28	Jagdish Prasad Nandwana	59.4
2.	Com/21	Virendra Prakash Pancholi	59.4
3.	Com/46	Fateh Lal Siyal	56.7

4.	Com/54	Lehru lal Jat	55
5.	Com/129	Mangi Das Sadhu	52.1
6.	Com/134	Jagdish Chandra Sahu	52
7.	A/674	Radhey Shyam Ajmera	51.9
8.	A/73	Mahaveer Prasad	51.7
9.	Com/147	Kailash Chandra Joshi	51.5
10.	A/460	Nawal Kumar Vijayvergiya	51.4
11.	Com/149	Narotam Prasad Mandawat	51.3
12.	Sci/115	Chandan Lal Rathore	51.3
13.	A/95	Babu Lal Sharma	50.9
14.	A/94	Swaroop Singh Bhati	50.9
15.	TW/122	Jeevan Singh Chundawat	50.7
16.	A/104	Girija Lal Choubisa	50.6
17.	SCi/44	Kanhaiya Lal Jain	50.6
18.	A/117	Virdhi Shanker Sharma	50.2
19.	Com/167	Ramesh Kumar Kantaliya	50.07
20.	Com/527	Om Prakash Sharma	50.06
21.	Com/236	Ashok Kumar Khatri	50
22.	A/96	Onkar Singh Chouhan	50
23.	A/364	Akhlesh Chandra Sharma	49.3
24.	A/195	Ramesh Chandra Ameta	49
25.	A/658	Ashok Kumar Verma	48.5
26.	A/574	Satya Narain Joshi	47.06
27.	A/310	Shambhu Shanker sharma	47
28.	Com/524	Mool Chand Tailor	46.6
29.	Sci/76	Suresh Kumar Vyas	46.3
30.	A/214	Ram Prakash Galav	46.1
31.	TW/134	Om Prakash Bhatt	46

Sd–
PRINCIPAL
Lokmonya, Titak Teachers' College, Dabok, UDAIPUR,

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री द्वारा विभिन्न नगर पालिकाओं का निरीक्षण

365. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणा), **श्री भंवरसिंह गुर्जर** (खारची), **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत), एवं **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) :क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जी ने पिछले एक वर्ष में अनेक नगर पालिकाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण किया ? यदि हां, तो सूचना निम्न तालिका में देने की कृपा करें :

निरीक्षण की तारीख, नाम नगर-पालिका, निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों

(352)

(श्री सूरजपाल सिंह)

को सस्पेंड या अन्य प्रशासनिक कार्यवाही करने के क्या निर्देश प्रदान किये ?

(2) कहां कहां पर क्या क्या अनियमितता पाई गई तथा किस किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) जी हां। सूचना संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग। में सूचना दे दी गई है।

"सूची"

निरीक्षण की तारीख	नगर पालिका का नाम	निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को सस्पेंड या अन्य प्रशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गए बाबत सूचना
1	2	3
1. 23-8-81	नगरपालिका देवली रोकड़ के चुंगी नाका का निरीक्षण	में पाई गई अनियमितता के कारण श्री राम दयाल सब नाकेदार एवं श्री मोहन गार्ड को निलंबित किये जाने के आदेश प्रदान किये।
2. 31-8-81	1. पाली	भवन निर्माण के मानचित्रों के अनुमोदन में विलम्ब पाये जाने के फलस्वरूप शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किये एवं कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना अवकाश पर रहने एवं मुख्यालय छोड़ने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये। निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।
,,	2. सुमेरपुर	निर्माण कार्यों में पाई गई अनियमितताओं की जांच करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये। जांच की जा चुकी है, कार्यवाही जारी है।
,,	3. रायपुर	चुंगी नाके का निरीक्षण किया एवं निरीक्षण के दौरान रोकड़ हिसाब सही पाया गया।
3. 1-9-81	1. अजमेर	भवन निर्माण के मानचित्रों की अनुमोदन प्रक्रिया के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किये।
,,	2. किशनगढ़	रुके हुये निर्माण कार्यों को शीघ्र चालू कर पूरा करने के निर्देश प्रदान किये।
,,	3. पुष्कर (अजमेर)	भवन निर्माण के विचाराधीन मामलों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। (सामान्य निर्देश) सभी पालिकाओं/परिषदों को उनकी आय में बढ़ोतरी हेतु वसूली की गति बढ़ाने एवं गृह कर की स्वत

(353)

1	2	3
		निर्धारण प्रणाली को लागू करने के निर्देश प्रदान किये। निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।
4. 21-9-81	1. चौमू (जयपुर)	1. न. पा. की भूमि पर किये कब्जों को शीघ्र नियमित करने के निर्देश प्रदान किये। 2. विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वित हेतु सी. टी. पी. से शीघ्र अनुमोदन प्राप्त कर योजनाओं की क्रियान्विति की जावे। 3. विभिन्न योजनाओं हेतु भूमि अवाप्ति के मालले का आपसी समझौतों के आधार पर मुआवजे की बाजार दर पर निर्धारण एवं भवन निर्माण के मानचित्रों का अनुमोदन शीघ्र करने के निर्देश दिये। 4. श्री अमरचन्द, ए. एस. आई., रामअवतार पादरा, नाकेदार एवं श्री हरलाल सिंह ओवरसियर की शिकायतों के फलस्वरूप स्थानान्तरण के निर्देश प्रदान किये।
5. 21-9-81	खण्डेला (सीकर)	नगर पालिका के चुंगी रजिस्टर का सही रख-रखाव रखने एवं भवन निर्माण के मानचित्रों का अनुमोदन शीघ्र करने के निर्देश प्रदान किये। निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।
6. 10-5-82	भरतपुर	1. सफाई, सड़कों व नालियों, उद्यानों व विद्युत प्रकाश की व्यवस्था और सुधारने के निर्देश। 2. राजस्व आय में वृद्धि करने का प्रयास एवं परिषद् की बचत की राशि को विकास कार्यों में व्यय करने का निर्देश। 3. भवन निर्माण के विचाराधीन मामलों का शीघ्र निस्तारण, वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग करने, निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट का अभाव नहीं होना चाहिए। 4. राजकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने पर शीघ्र कार्यवाही। 5. सूखे तहारतों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करने। 6. आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण, शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए गए। इसके फलस्वरूप

1	2	3
		दिनांक 11-5-82 को आयुक्त के पद पर श्री वी. पी. शर्मा को नियुक्त कर दिया गया एवं निर्देशों की पालना की जा रही है।
7. 1-9-82	सांगानेर (जयपुर)	1. अधिशासी अधिकारी एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों के कारण स्थानान्तरण का निर्देश। 2. कार्यालय समय में उपस्थित नहीं पाए गए के विरुद्ध कार्यवाही। 3. श्री विजयसिंह कैशियर की रोकड़ में सही हिसाब न मिलने पर उसे निलम्बित करने। 4. श्री मोहनसिंह के भूतपूर्व प्रशासक के घर पर कार्यरत होने पर इस कार्यवाही में किसका सहयोग है उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। 5. निर्देशानुसार अधिशासी अधिकारी एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के स्थानान्तरण किए जा चुके तथा श्री विजयसिंह कैशियर को निलम्बित कर दिया गया है तथा कार्यवाही जारी है।

श्री पार्श्वनाथ उम्मेद महाविद्यालय, फालना

36?. **श्री असलम खां (बाली)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाली क्षेत्र के श्री पार्श्वनाथ उम्मेद महाविद्यालय, फालना को राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कितना-कितना अनुदान दिया गया है व संस्था द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा भविष्य में फालना महाविद्यालय को अपने अधीन लेने का कोई प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या फालना महाविद्यालय में कुछ वर्षों पहले विज्ञान संकाय की कक्षायें चलाई जाती थीं ? यदि हां, तो उन कक्षाओं को क्यों बन्द किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पार्श्वनाथ उम्मेद महाविद्यालय फालना को गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से अनुदान राशि दी गयी तथा संस्था द्वारा जो राशि व्यय की जा रही है उसकी भी सूचना निम्न प्रकार है :--

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा 90 प्र. श. दिया गया अनुदान	संस्था द्वारा व्यय की गयी राशि
1979-80	3,93,576-00	4,45,487-81
1980-81	4,21,442-00	4,75,232-63
1981-82	4,73,000-00	5,50,000-00

(शिक्षा मन्त्री)

(2) जी,नहीं। संस्था द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को अभी तक नहीं भेजा है।

(3) वर्ष 70-71 में विज्ञान (गणित) विषय के साथ खोला गया था जिसमें पी. यू. सी. विज्ञान एवं प्रथम वर्ष विज्ञान की कक्षाए ही चालू की गयी थीं। छात्र संख्या 15 से कम रहने के कारण इन कक्षाओं को प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव वर्ष 1974-75 को ध्यान में रखते हुए, सत्र 1975-76 में बन्द कर दिया गया।

पंचायत समिति क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलना

367. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में 7 उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो बांसवाड़ा जिले की किन-किन पंचायत समितियों में कितने केन्द्र खोले गये? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुशलगढ़ में कुछ स्थानों पर उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर? क्या इन केन्द्रों को स्टाफ उपलब्ध करा कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या कुशलगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स रे मशीन की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक व्यवस्था की जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) जी हां, ग्राम बासूनी, उकाला तथा कोटरा में उप-केन्द्रों के भवन निर्माण कराये गये। ग्राम उकाला तथा कोटराग में उप-केन्द्रों का स्टाफ पूर्व से ही स्वीकृत एवं कार्यरत है। ग्राम बासुनी में उप-केन्द्र खोलने हेतु प्रथम चरण में भवन निर्माण कराने की योजना के अन्तर्गत भवन बनाया, गया है जो तैयार हो गया है, चालू वर्ष में स्टॉफ स्वीकृत किया जा रहा है :

(3) पंचायत समिति क्षेत्र कुशलगढ़ के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़ में एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है।

रतनगढ़ (चूरू) में कृषि उपज मण्डी टैक्स से हुई आय से विकास कार्य

368. **श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया** (रतनगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रतनगढ़ क्षेत्र से कृषि उपज मण्डी टैक्स द्वारा अगस्त, 1982 तक कितनी धनराशि वसूल की गई?

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

(2) क्या प्राप्त धनराशि में से किसानों की सुविधा हेतु विकास कार्यों में कोई धनराशि खर्च की गई? यदि हां, तो कितनी, कहां व किस रूप में और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या इस धनराशि से रतनगढ़ क्षेत्र के किसानों की सुविधा हेतु कोई विकास योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, रतनगढ़ द्वारा अगस्त, 1982 तक रु. 2,10,715.70 पैसे मण्डी शुल्क के रूप में वसूल किये गये हैं।

(2) जी हां।

रतनगढ़ मण्डी में प्रकाश व्यवस्था हेतु 5 मर्करी लैम्प्स लगवाये गये हैं। इस व्यवस्था पर रु. 1687.90 पैसे व्यय किये गये हैं।

(3) जी हां।

कृषकों हेतु जल व्यवस्था, विश्राम गृह व्यवस्था, ग्रामीण गोदाम के निर्माण एवं मण्डी प्रांगण निर्माण हेतु भूमि व्यवस्था मण्डी समिति के विचाराधीन है।

तहसील चूरु के अध्यापकों का स्थानान्तरण

369. **श्री भालू खां (चूरू)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जून, 1982 से अगस्त, 1982 तक चूरू तहसील के कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये?

(2) यह स्थानान्तरण किनके द्वारा करवाये गये तथा कहां-कहां किये गये?

(3) स्थानान्तरण करने के क्या-क्या कारण थे?

उत्तर

(1) जून, 1982 से अगस्त, 1982 तक चूरू तहसील के कुल 56 अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये।

(2) स्थानान्तरण स्वयं के प्रार्थना पर तथा प्रशासनिक कारणों से किये गये। किसी के द्वारा करवाये नहीं गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) स्थानान्तरण स्वयं प्रार्थना व प्रशासनिक दृष्टि से किये गये।

जून, 82 से 31 अगस्त तक द्वितीय वेतन श्रृंखला के किये स्थानान्तरणों की सूची (चूरू तहसील)

क्र. सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को	स्थानान्तरण का कारण		
				वरीयता	प्रशासनिक	अन्य कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मूलचन्द व्याख्याता (अंग्रेजी)	गोयनका उ.मा.वि. राजगढ़ (चूरू)	रा.उ.मा.वि. राजगढ़ (चूरू)	स्वयं की प्रार्थना पर –	–	–
2.	श्री अहमद अली मन्सूर स. अ. (उर्दू)	बागला उ.मा वि. (चूरू)	रा.मा.वि. (जावासर)	स्वयं की प्रार्थना पर		
3.	श्री भंवरलाल खीची	रा.मा.वि. दुधवा खारा	रा. गोयनका उ.मा.वि. चूरू		–	–
4.	,, मोमनराम (गणित)	हमीरवास	,,	,,	–	–
5.	,, डालूराम सरावग	सोनिया. सर पड.	रा.मा.वि. धांधू	,,	–	–
6.	,, उम्मेदसिंह राठौड़	रा.मा.वि. धांधू	गोयनका उ.मा. वि. चूरू	,,	–	–
7.	,, शेराराम पडिहार	रा.मा.वि. सात्यं	रा.उ.प्रा.वि. खासोली	,,	–	–
8.	,, गुमानसिंह स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. जोडी	रा.उ.प्रा वि. खींवासर	–	प्रशासनिक	–
9.	,, शिवकुमार प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. खींवासर	रा.उ.प्रा.वि. जोडी	–	,,	–
10.	,, शिवराजसिंह प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि. खासोली	रा.मा.वि. बीदासर	–	,,	–
11.	,, राजेन्द्रकुमार शर्मा	रा.मा.वि. पूलासर	रा.मा.वि. धांधू	–	,,	–
12.	,, चौथमल शर्मा स.अ.	रा.मा.वि. दाउदसर	रा.गोयनका उ.मा.वि. चूरू	–	,,	–
13.	,, शंकरलाल शर्मा	रा.मा.वि. भिरानी धांधू	दुधवा	–	अन्य जिले से आया	
14.	,, भागीरथसिंह	,,	झुंझुनूं जिले में गया			

1	2	3	4	5	6	7
	तृतीय वेतन शृंखला अध्यापक					
1.	श्री ओमप्रकाश शा.शि.	रा.मा.वि. ढाणी पांचेरा	रा.मा.वि. सोमासी	वरीयता	—	
2.	श्री मोहनलाल स.अ.	उ.प्रा.वि. सिरसला	उ.प्रा.वि. लाखाऊ	वरीयता	—	—
3.	,, रामचन्द्र स.अ.	उ.प्रा.वि. अजीतसर	ल्होसणा बडा	,,	—	—
4.	,, सोहनलाल तेतरवाल	उ.प्रा.वि. बूटिया	उ.प्रा.वि. भामासी	,,	—	—
5.	,, जमनाधर स.अ.	उ.प्रा.वि. नाकरासर	उ.प्रा.वि. भामासी	,,	—	—
6.	,, बिहारीलाल स.अ.	उ.प्रा.वि. रतनपुरा	उ.प्रा.वि. ल्हासणाबडा	,,	—	—
7.	,, वेरीलालसिंह स.अ.	रा.उ.प्रा.वि. भामासी	उ.प्रा.वि. लाखाऊ	वरीयता	—	—
8.	,, विश्वनाथ स.अ.	उ.प्रा.वि. गोपालपुरा	उ.प्रा.वि. ढाढर	वरीयता	—	—
9.	,, रामकरणसिंह स.अ.	उ.प्रा.वि. ढाढरिया चारनान	उ.प्रा.वि. ढाढर	,,	—	—
10.	,, लक्ष्मणसिंह	उ.प्रा.वि. नाकरासर	,, रायपुरिया	,,	—	—
11.	,, गफूर खां स.अ.	उ.प्रा.वि. सिमसिया	,, सहनाली छोटी	,,	—	—
12.	,, रामकरण स.अ.	उ.प्रा.वि. लाखाऊ	,, ढाढर	,,	—	—
13.	,, मुरारीलाल स.अ.	उ.प्रा.वि. अजीतसर	,, सहनालीछोटी	,,	—	—
14.	,, नेतराम स.अ.	उ.प्रा.वि. गाजूवास	,, ल्होसणा बडा	,,	—	—
15.	,, रामदेवसिंह स.अ.	उ.प्रा.वि. जोडी	,, नाकरासर	—	प्रशासनिक	—
16.	,, भगवानदास स.अ.	उ.प्रा.वि. लिखमादेसर	,, पीथीसर	—	,,	—
17.	,, जोधराज सोनी	रा.मा.वि. सालासर	प्रा.वि.नं.7 चूरू	—	,,	—
18.	,, रामचन्द्र स.अ.	प्रा.वि. ल्होसणा बड़ा	उ.प्रा.वि. लाखाऊ	—	,,	—
19.	,, रणजीतसिंह	ल्होसणा बडा	सिरसला	वरीयता	—	—

(359)

1 जून, 1982 से 31 अगस्त, 1982 तक विकास अधिकारी,
द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की सूची :—

क.सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को	कारण
1.	श्री अर्जुन लाल बरबड़	रा.उ.प्रा.वि. ढाढर	रा.क.उ. घांघू	प्रशासनिक
2.	श्री अर्जुन राम कसवा	रा.उ.प्रा.वि. ढाढर	रा.प्रा.वि. सहजसर	,,
3.	श्री सोहनलाल माली	रा.उ.प्रा.वि. रायपुरिया	रा.प्रा.वि. सातेड़ा	,,
4.	श्री भीमसिंह कसवा	,,	,, सहजूसर	,,
5.	श्री रामकरण सिंह	रा.प्रा.वि. चलकोई	रा.प्रा.वि. थालोड़ी	स्वेच्छा
6.	श्री रेवतमल	रा.प्रा.वि. कोडवादताल	रा.प्रा.वि. चलकोई	,,
7.	श्री श्योदानसिंह	रा.प्रा.वि. थालोडी	रा.प्रा.वि. सालासर	,,
8.	श्री गोवर्धनसिंह माकर	रा.प्रा.वि. करणपुरा	रा.प्रा.वि.लादड़िया	,,
9.	श्री विशनसिंह	रा.प्रा.वि. सातड़ा	रा.प्रा.वि. ढाणी डी, एसपुरा	,,
10.	श्री देवकरण	रा.प्रा.वि. रीड़खला	रा.प्रा.वि. सामोसी	,,
11.	श्रीमती सीता देवी	रा.प्रा.वि. सोमासी	रा.प्रा.वि. थैलासर	,,
12.	श्री कैलाश चन्द्र	रा.प्रा.वि. सोमासी	रा.प्रा.वि. रीड़खला	प्रशासनिक कारण
13.	श्री गरणपतराम	रा.प्रा.वि. धमेरी	रा.प्रा.वि. निबरिया	,,
14.	श्री मोहनलाल सूरा	रा.प्रा.वि. महरावसर	रा.प्रा.वि. रिवाया	,,
15.	श्री गोवर्धनलाल बालानी	रा.प्रा.वि. ग्रासलखेड़ी	रा.प्रा.वि. चारणवासी	,,
16.	श्री विनोद कुमार कसवा	रा.प्रा.वि., सातड़ा	रा.प्रा.वि. डावला (गाजसर)	स्वेच्छा से
17.	श्री रामप्रताप	रा.प्रा.वि. जसरासर	रा.प्रा.वि., ऊंटवालिया	स्वेच्छा से
18.	श्री भावराव	रा.प्रा.वि. ऊंटवालिया	रा.प्रा.वि. सहनालवड़ी	स्वेच्छा से
19.	सुश्री मनोहरी	रा.प्रा.वि. सातड़ा	रा.प्रा.वि. रामसरा	,,
20.	श्री रावतसिंह	रा.प्रा.वि. राममरा	रा.प्रा.वि. सातड़ा	प्रशासनिक
21.	श्री शुभकरण	रा.प्र.वि. बासजेसेका	रा.प्र.वि. लोसना छोटा	,,
22.	श्री सत्यवीर सिंह	रा.प्रा.वि. दूधमीठा	रा.प्र.वि. धमेरी	,,
23.	श्री राजेन्द्रसिंह	रा.प्रा.वि. लोहसनखेड़ा	रा.प्रा. वि. सिंहलान	,,

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र का निरीक्षण

370. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.) के आयुक्त का अपने क्षेत्र में एक वर्ष में दौरा करने की कोई निश्चित संख्या अथवा अवधि निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार राजस्थान नहर परियोजना के विकास कार्यों की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के नहर क्षेत्र में दौरे की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय विकास आयुक्त, राजस्थान नहर परियोजना (सी. ए. डी.) के लिये परियोजना क्षेत्र में भ्रमण हेतु प्रति वर्ष के लिये कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है। यद्यपि पिछले वित्तीय वर्ष में आयुक्त महोदय ने अपने क्षेत्र में 31 दिवस एवं 18 रात्रि का दौरा किया। क्षेत्रीय विकास अभिकरण में सिंचाई, कृषि आदि भिन्न भिन्न विभागों के अधिकारी कार्यरत है और उन विभागों के अपने अपने भ्रमण के मापदण्ड निर्धारित हैं। सी.ए.डी. में मापदण्ड निर्धारित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न सं. 353 की सूची

जिलेवार पशु चिकित्सा संस्थाओं की सूची

क्र.सं जिला	चिकित्सालय	औषधालय	पशु स्वास्थ्य केन्द्र
1. अजमेर	18	13	–
2. अलवर	19	13	–
3. बांसवाड़ा	9	7	–
4. बाड़मेर	9	1	15
5 भरतपुर	15	10	–
6. भीलवाड़ा	39	15	–
7. बून्दी	6	3	–
8. बीकानेर	9	3	12
9. चितौड़गढ़	17	13	–
10. चूरू	10	2	11
11. डूंगरपुर	10	5	–
12. धौलपुर	5	2	–
13. गंगानगर	22	9	5
14. जयपुर	29	21	–
15. जैसलमेर	5	4	14
16 जालौर	10	2	6
17. झालावाड़	10	4	–
18. झुन्झुनू	11	7	6
19. जोधपुर	15	4	12
20. कोटा	17	12	–
21. पाली	14	3	13
22. स. माधोपुर	12	14	–
23. सीकर	12	3	12
24. नागौर	17	6	14
25. सिरोही	8	5	–
26. टौंक	7	11	–
27. उदयपुर	22	18	–
योग	357	210	120

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची

वर्ष 1980–81, 1981–82 तथा 1982–83 में चाकसू व सांगानेर तहसील में खोले गये विद्यालयों की सूची :—

वर्ष	चाकसू तहसील	सांगानेर तहसील
1980-81		
(क) प्राथमिक विद्यालय	1. हुकशा 2. अचलपुरा 3. बरसोंडा काड़ावाला	कोई नहीं
(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालय	कोई नहीं	कोई नहीं
(ग) माध्यमिक विद्यालय	1. गरुड़वासी	कोई नहीं
1981-82		
(क) प्राथमिक विद्यालय	1. हीरापुरा 2. मालपुरिया	1. केटिया का वास (बगरू)
(ख) उच्च प्राथमिक विद्यालय	1. सिगलीया	कोई नहीं
(ग) माध्यमिक विद्यालय	कोई नहीं	कोई नहीं

टिप्पणी :—1982-83 में नये उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा नये उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में चाकसू व सांगानेर तहसील में खोले गये नये विषयों की सूची :—

वर्ष	चाकसू तहसील	सांगानेर तहसील
1980-81	राजकीय माध्यमिक विद्यालय शिवदासपुरा (वाणिज्य वर्ग)	कोई नहीं
1981-82	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कोयून (वाणिज्य वर्ग)	कोई नहीं

टिप्पणी :—1982-83 में नये विषय खोलना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न 359 की सूची

(अ) जांच आयोग

1. राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित जगत नारायण जांच आयोग जुलाई, 1977 में गठित किया गया।
2. जोधपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित गट्टानी जांच आयोग सितम्बर, 1972 में गठित किया गया।
3. उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एच. डी. सिंह आयोग जुलाई, 1977 में गठित किया गया।
4. जोधपुर विश्वविद्यालय की वित्तीय अनियमितताओं की जांच हेतु वी. सी. एल. शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति दिनांक 21-1-1980 को गठित की गई।

(ब) उच्च शिक्षा में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित समितियां

1. मेहता समिति का गठन दिसम्बर, 1968 में किया गया।
2. श्रीमाली समिति का गठन अगस्त, 1972 में किया गया।
3. माथुर समिति का गठन जनवरी, 1979 में किया गया।

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न संख्या 360 की सूची

शिक्षण संस्थाएँ (वर्ष 80–81) दिनांक 30-9-80 तक

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक			उच्च माध्यमिक			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अजमेर	831	69	900	178	40	218	73	23	96	43	11	54	1125	143	1260
2	अलवर	1177	57	1234	262	36	298	89	17	106	22	02	24	1550	112	1662
3	भरतपुर	1349	47	1396	251	36	287	96	14	110	17	03	20	1713	100	1813
4	जयपुर	1688	126	1814	442	60	502	167	32	199	44	10	54	2341	228	2569
5	झुंझुनूं	683	27	710	166	22	188	95	08	103	26	07	33	0770	064	103
6	सीकर	789	44	833	194	22	216	90	12	102	16	01	17	1089	079	1168
7	सवाई माधोपुर	1036	24	1060	206	23	229	86	09	095	15	01	16	1343	057	1400
8	टोंक	509	27	536	118	07	125	37	05	042	08	02	10	0672	041	0713
9	बीकानेर	510	38	548	108	26	134	35	09	044	13	08	21	0666	081	0747
10	चूरू	664	24	668	177	22	199	65	12	077	10	03	13	0916	001	0917
11	श्रीगंगानगर	1095	79	1174	253	31	284	95	19	114	30	04	34	1473	133	1606
12	बाड़मेर	769	12	781	134	04	138	37	03	040	05	01	06	0945	020	0965
13	जैसलमेर	289	06	295	44	03	047	14	01	015	02	01	03	3309	011	3320
14	जोधपुर	806	62	868	207	26	233	70	15	085	23	04	27	1106	107	1213
15	जालौर	525	17	542	108	12	120	30	02	032	04	01	05	0667	032	0699
16	सिरोही	328	14	342	61	09	070	25	04	029	08	01	09	0422	026	0458
17	नागौर	951	33	984	189	25	214	74	09	083	16	01	17	1230	068	1298
18	पाली	687	30	717	133	28	161	66	06	072	13	02	15	0899	066	0965
19	कोटा	1002	44	1046	223	31	254	74	18	092	17	05	22	1316	098	1414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	बून्दी	451	18	469	79	11	090	33	06	039	03	01	04	0566	036	0602
21	झालावाड़	607	13	620	112	09	121	26	11	037	06	01	07	0751	034	0785
22	बांसवाड़ा	732	22	754	129	15	144	35	04	039	09	01	10	0905	042	0947
23	भीलवाड़ा	855	70	925	196	32	228	71	11	082	17	02	19	1139	115	1254
24	डूंगरपुर	576	12	588	108	13	121	37	02	039	07	01	08	0728	68	756
25	चित्तौड़गढ़	883	35	918	177	24	201	52	07	059	14	02	16	1126	358	1194
26	उदयपुर	1656	82	1738	334	41	375	129	17	146	35	06	41	2154	146	2300
कुल योग		21448	1032	22480	4589	608	5197	1701	276	1977	423	82	505	28161	1903	30153

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न 362 की सूची

संस्कृत ऐच्छिक वाले विद्यालयों की सूची जिनमें अध्ययन होता है वर्ष 81-82

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा 11	10	9	योग छात्र
1.	रा. उ. मा. वि. सवाई माधोपुर	125	46	22	193
2.	,, गंगापुर	250	127	86	463
3.	,, हिण्डोन	97	39	25	161
4.	,, महुआ	96	72	66	234
5.	,, गुढ़ा चन्दजी	17	14	22	63
6.	,, मण्डावर	6	43	35	84
7.	,, टोडाभीम	57	42	73	172
8.	,, चौथकाबरवाड़ा	22	36	14	72
9.	,, करौली	52	20	25	97
10.	रा. मा. वि. गढ़खेड़ा	—	28	67	86
11.	,, पट्टीकला वामनवास	—	28	16	44
12.	,, पिपलाई	—	36	60	96
13.	,, लिवाली	—	41	35	76
14.	,, करीरी	—	14	14	28
15.	,, अमावरा	—	22	20	42
16.	,, मासलपुर	—	25	58	83
17.	,, पदमपुरी	—	15	23	38
18.	,, नांगलपहाड़ी	–	27	22	49
19.	,, रसीदपुर	–	35	32	67
20.	,, वालाहेड़ी	–	23	15	83
21.	,, खेड़ली गुजर	–	15	44	59
22.	,, रतनजिला	–	18	24	42
23.	,, नादौती	–	53	85	138
24.	,, वामनवास	–	41	47	88
25.	,, भनकपुरा	–	24	24	48
26.	,, महस्वा	–	9	18	27
27.	,, महावीरजी	–	18	21	39

Page No 376

३६७

1	2	3	4	5	6	7
28.	रा. मा. वि.	मोरड़ा	–	15	34	49
29.	,,	सूरोठ	–	32	52	84
30.	,,	कंजोरपुर	–	31	34	65
31.	,,	बामनवड़ौदा	–	39	49	88
32.	,,	भगवतगढ़	–	27	11	38
33.	,,	मानटाउन (स. मा.)	–	21	22	43
34.	,,	शिवाड	–	22	15	37
35.	,,	मोरड़ा	–	15	31	46
36.	,,	शेरपुरीखिलबीपुर	–	26	31	57
37.	,,	सुरवाल	–	25	28	53
38.	,,	कुडेरा	–	19	28	47
39.	,,	बौंली	–	35	41	76
40.	,,	तलावड़ा	–	19	31	50
41.	,,	मलारनां डूंगर	–	48	37	85
42.	,,	मलारना चौड़	–	28	54	83
43.	,,	पिपल्दा	–	30	42	72
44.	,,	पिपलवाड़ा	–	32	60	92
45.	,,	छोटी उदई	–	29	39	68
			722	1414	1622	3758

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न 364 की सूची

पाली जिले में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची, 1981-82

शहरी क्षेत्र—

1. राजकीय बागड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाली
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजत
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सादड़ी
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतारण
6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमाज
7. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली

ग्रामीण क्षेत्र—

8. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रानी, पंचायत समिति रानी
9. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सोजड़ रोड
10. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेवाड़ी, पंचायत समिति बाली
11. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देसूरी, पंचायत समिति देसूरी
12. समिति शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणावास पं० स० मारवाड़ जं.
13. उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरकाणा, पं० स० रानी (स. प्रा.) (रा. प्रा.)
14. उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, खिमेल, पं० स० बाली (स. प्रा.)
15. उच्च माध्यमिक विद्यालय, राणावास, पं० स० मारवाड़ जं० (,,)

(369)

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 371 की सूचना

शराब बन्दी समाप्ति 11, 8. 81 से 31. 7. 82 तक राज्य में अवैध शराब पकड़ी गई उसकी जिलेवार सूची

क्र० स०	जिले का नाम	पकड़ी गई अवैध शराब (लीटर्स में) (अवधि 11-8-81 से 31-7-82 तक)
1.	अजमेर	3139
2.	भीलवाड़ा	3249
3.	टोंक	394
4.	भरतपुर	1380
5.	अलवर	1470
6.	सवाई माधोपुर	1295
7.	जयपुर नगर	2310
8.	झुन्झुनू	3466
9.	सीकर	2159
10.	बीकानेर	485
11.	चूरू	289
12.	नागौर	757
13.	श्री गंगानगर	2105
14.	जोधपुर	898
15.	पाली	2102
16.	बाड़मेर	994
17.	कोटा	1840
18,	बून्दी	847
19.	झालावाड़	915
20.	उदयपुर	5140
21.	चित्तौड़गढ़	1035
22.	जैसलमेर	597
23.	जालौर	395
24.	सिरोही	143
25.	डूंगरपुर	446
26.	बांसवाड़ा	879
	योग—	39,329

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 375 की सूची

बाड़मेर जिले के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन दीवानी व फौजदारी मुकदमों का मानचित्र

तहसील	सी. जे. एम. बाड़मेर		मुंसिफ बालोतरा		मुंसिफ सिवाना		मुंसिफ बाड़मेर		अति० मुंसिफ बाड़मेर		जे. एम. बालोतरा		जे. एम. बाड़मेर		योग
	दीवानी	फौज०	दीवानी	फौज०	दीवानी	फौज०	दीवानी	फौज०	दीवानी	फौज०	दीवानी	फौज०	दीवानी	फौज०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
पचपदरा	28	2	249	244	–	–	–	–	–	–	–	193	–	–	716
सिवाना	3	2	–	–	61	332	–	–	–	–	–	–	–	–	398
बाड़मेर	39	203	–	11	–	–	160	350	9	208	–	102	–	512	1594
शिव	2	27	–	–	–	–	6	74	1	132	–	–	–	175	417
चौहटन	1	59	–	–	–	–	5	33	–	148	–	–	–	234	480
गुड़ामालानी	7	49	–	–	–	–	9	60	–	202	–	–	–	–	327
योग –	80	342	249	255	61	332	180	517	10	690	–	295	–	921	3932
	412		504		393		697		700		295		921		

मामलों का कुलयोग :

दीवानी 580

फौजदारी 3352

(37)

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 380 का प्रस्ताव

General Insurance Corporation of India
Pilot Crop Insurance Scheme (1978-79)
(as amended up to 27-1-82

The General Insurance Corporation of India offers to introduce from kharif 1978 Crop Season and on Pilot basis for 2-3 years, Crop Insurance as Schemes outlined hereunder in such of the States which agree to :—

(a) Participate as Co-omsurers sharing claims as well as premiums to the extent of atleast 25%;

(b) provide all necessary technical and administrative assistance particularly by furnishing accurate data of crop cutting experiments (conducted by the State Governments from time to time) as per mutually agreed time schedule and also by directing the State Revenue and Agriculture Department to provide such assistance as may be needed by GIC for work relating to these pilot schems ;

(c) accept the proposition that if the scheme has to contiaue beyond the pilot State (i. e. after 2-3 years) the State Government would take over the responsibility either directly of through appropriate institutional arrangements.

2. Pilot Crop Insurance Scheme-Salient Features :

(i) **Homogeneous Area Approach :** General Insurance Corporation's experience from 1973 to 1976 of Experimental Crop Insurance Schemes has shown that Schemes based on individnal approach would be uneconomie and unsuitable for implementation on a large scale. Hence this scheme will be based on Homogenous Area Approach. Under this approach, basic unit of area will be Taluka/Tehsil/Revenue

Circle. Premum rate as well as rate of indemnity for any given crop will be uniform for all insured farmers withing each such area whatever by their actual yields.

(ii) **Group Insurance** : In general policies will be issued in the first phase in favour of District Co-operative Banks (in areas where Co-operative Credit System is not effective they will be in favour of Commercial Banks) covering crops of their farmer memb rs. In the case of such policies GIC will not deal with farmers. The financial institutions will be responsible to pay premium to GIC and also to discharge claims paid by GIC.

(iii) **Crops** : Only one or two major food crops will by covered in each selected area in the first year. There will be no objection to cover non-food crops also, if adequate crop cutting data is available for such crops for the preceding 10 years. The insistance on 10 years data may be waived by GIC at its discretion.

(iv) **Coeverage to be crop-wise and season-wise** : There will be a separate scheme for each crop and for each season.

(v) **Selection of Area for the Pilot Schemes** : Selection of areas will be done by GIC in consultation with State Governments.

(vi) **Schemes voluntary or compulsory** : Schemes woldu eb on voluntary basis.

(vii) **Scope of cover** : All Risks which operate during the insured crop season except the following :--

(a) War and allied risks
(b) Naclear risks

(viii) **Statistical Base** Premium and Inbemnity rate for each selected crop and season in each selected area will be

(323)

determined on the basis of data of crop cutting experiments conducted by the State Governments for the preceding 10 or lesser number of years at the discreation of GIC.

(ix) **Premium and Indemnity Tables :**

(a) Calcualations made on the basis of crop cutting date in respect of Andara Pradesh, Gujarat, Mahara htra and Kerala have shown that full indemnity in the case of crop losses is not feasible since premium rates for securing full indemnity would be any where upto 30% at which rate farmers cannot affort to pay premium. Therefore, premium and indemnity tables hnve been worked out on the basis that farmer will bear a portion of loss, which is called non-indemnity-table limit, varies from 20%. On this basis there will be a number of areas where premium rate will be well within 5% and many other areas where premium from 5% to 10% of sum Insured. Premium and Indemnity Tables for all States will be worked out after receipt of complete data of crop cuttings from State Governments. It is pronosed to select for the Pilot Scheme only such areas where the non-indemnifiable limit does not exceed 40% and premium does not exceed 7½%.

(b) Indemnity to any farmer becomes payable only if the assessed yield in the insured area is less than the guaranteed yield.

(c) **Bais of indemnity** : Indemnity payable will bear the same proportion to Sum Insured which the indemnifiable shortfall in yield (maximum indemnifiable limit less actual yield as per crop cuttings) bears to the maximum indemnifiable limit.

(x) **Overall limit of liability :**

...nder all pilot schemes will be

...

(379)

limited to Rs. 12 Crores per annum. This will be achieved by limiting the total sum insured per State, per farmer and, if necessary per area also, which would ensure maximum possible spread of risks.

(b) The overall liability will be shared as under ;—

GIC's maximum limit	Rs. 9 Crores
Minimum Aggregate liability of State Governments....	Rs. 3 Crores
	Rs. 12 Crores

(c) If any State Govt. wants risks to be assumed in excess of the limits/sub-limits allotted by GIC, such excess shall be borne entirely by the State Government. Crop Insurance Fund or the State Govt's. Insurance Deptt. as the case may be.

(xi) Crop Insurance Business shall be Direct Business. No Commission will be payable on such business.

(xii) **Collaboration with other Institutions :**

(a) **State Governments :** In addition to sharing premium and losses and furnishing crop cutting data and providing technical and administrative assisstance as outlined in para 1 above State Governments should link their agricultural extension programmes with crop insurance and undertake publicity for Crop Insurance through their existing media.

(b) **District Co-operative Banks and other Financing Institutions :**

They would be responsible to pay crop insurance premium to GIC along with Crop Insurance proposals and normal credit eligibility statements and also to receive indemnities, when they become payable and credit proportionate indemnity amounts to the accounts of their insured members.

(32)

(xiii) The maximum sum insured per farmer shall not generally exceed per annum Rs. 5,000/– or 110% of crop loan, whichever is less. However, this limit may be relaxed by GIC in the case of any individual area depending upon the crop and scale of finance.

(xiv) **GIC's role in relation to Crop Insurance :**

GIC proposes to implement Pilot Schemes upto 31-3-85 only as part of its pionooring research work, aimed at devising in due course viable schemes of crop insurance which are suitable for implementation on a large scale. If these schemes are to be extended or continued, the Central/State Governments have to take them over entirely. At that stage GIC's role would be limited to providing technical experties and assistance.

परिशिष्ट 14
अतारांकित प्रश्न संख्या 382 की सूची
पंचायत समिति, प्रतापगढ़

क्र०सं०	नाम वर्ष	प्रस्ताव एनीकट नाम एनीकट नये	राशि	एनीकट मरम्मत	राशि	नाम वर्ष	नये एनीकट	स्वीकृत राशि	एनीकट मरम्मत	राशि
1.	80-81	बीलडी एनीकट	55,000	मनोहरगढ़	30,000	80-81	एनीकट सुहागपुरा	55,000	निल	
2.	,,	पनावाला ,,	56,000	एनीकट			,,	14,100		
3.	,,	खेडा ,,	60,000			,,	एनीकट सन्नोटी	30,000		
4.	,,	सन्नोटी ,,	30,000					99,100		
5.	,,	सुहागपुरा ,,	55,000							
			2,56,000		30,000	81-82	एनीकट सुहागपुरा	30,000	निल	
						,,	एनीकट सुहागपुरा	15,000		
1.	81-82	निल	—			,,	एनीकट सन्नोटी	28,000		
2.	83-84	एनीकट गोपालपुरा (सितपुरा)	1,20,000					73,000		
3.	,,	एनीकट गोपालपुरा (रठाषणा)	1,20,000							
4.	,,	एनीकट बरखेड़ा	1,20,000			82-83	निल			
5.	,,	सिगपुरिया	1,20,000						तालाब स्वीकृत	
			4,80,000			80-81	—	—	तलाई टान्डा	7,000
									,, गोपालपुरा	7,000
		तालावों के प्रस्ताव		तालाब मरम्मत					,, पानमोड़ी	7,000
									,, नावडा	7,000
1.	80-81	तालाब नये ×		तालाब कामलिया	18,000				,, घमोतर	7,000
				,, टान्डा	7,000				,, छोटी अम्बेली	7,000
				,, कालवा	15,000					
				,, ग्यासपुरा	28,000					42,000
				तलाई अरणिया	4,000					
				,, गोपालपुरा	7,000					
				,, पानमोड़ी	7,000					
				,, घमोतर	7,000					
				,, अम्बेली	7,000					
					1,00,000					
						81-82			निल	
1.	81-82	निल		निल						
2.	82-83	,,		तालाब खेरोट	5,000	82-83			निल	
				,, रजोरा	20,000	,,			निल	
				,, गन्जेर	10,000					
				,, देवगढ़ (अमरथाका)	5,000					
				,, सिद्धपुरा	5,000					
				,, अचलेश्वर	5,000					

377

परिशिष्ट "ख"

पंचायत समिति, अरनोद जिला चित्तौड़गढ़

प्रस्ताव एनीकट						स्वीकृत				
क्र० सं०	नाम वर्ष	नाम एनीकट नये	राशि	एनीकट मरम्मत	राशि	नाम वर्ष	नये एनीकट	राशि	एनकीट मरम्मत	राशि
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1.	80-81	कानड़ एनिकट नया	65,000	निल		80-81		निल		
2.	,,	हमीरपुर ,,	45,000							
3.	,,	चन्देरा ,,	60,000							
4.	,,	अम्बीरामा ,,	70,000							
			2,40,000							
1.	81-82	फतहगढ़	14,000	मचुन्डला एनीकट	1,000	81-82	वीरपुर एनीकट	10,000	मचुन्डला	850.00
2.	,,	बड़ायला	10,000	चोकली पिपली ,,	5,000		चोकली पिपली	10,000		
3.	,,	वीरपुर	11,000							
4.	,,	मसेरिया	16,000		6,000			20,000		850.00
			51,000							

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
1.	82–83	फतहगढ़	8,000	चोकली पिपली ,,	10,475	82–83			नील	
2.	,,	लंगड़िया	50,000							
3.	,,	चन्देरा	40,000							
			98,000		10,475					
		तालाबों के प्रस्ताव								
1.	80–81	नील		—	—	—			—	
2.	81–82	हीर तालाब नया	12,000							
		गोतमेश्वर घाट	14,000				वर्ष 80–82 से वर्ष 82–83 में तालाबों की स्वीकृति नहीं दी गई है।			
3.	82–83	निल								
			26,000							

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 386 का विवरण

Statement showing the year wise expenditure made for Sadri Nursery from 1975-76 to 1982 (Upto Aug. 1982)

Sl. No. 1	Year 2	Staff 3	Wages 4	Recurring 5	Non Recurring 6	Total 7
1.	1975–76	12045/–	7651/–	17173/–	—	26869/–
2.	1976–77	13352/–	5422/–	11155/–	–	29959/–
3.	1977–78	12182/–	5043/–	6834/–	7882/–	31941/–
4.	1978–79	13446/–	5510/–	12813/–	1194/–	32963/–
5.	1979–80	12863/–	5961/–	11059/–	715/–	31264/–
6.	1980–81	14045/–	8321/–	12378/–	5477/–	40221/–
7.	1981–82	16559/–	7279/–	7704/–	1118/–	32660/–
8.	1982–83 (Upto Aug 82)	7853/–	1925/–	1835/–	–	11613/–

(382)

Statement showing the year wise plant produced and the cost raceived from them during 1975-76 to 1982-83

Sl. N.	Year	Sadri Nursery No. of plant produced	account received by sale of plants
1.	1975-76	2270	840/–
2.	1976-77	7660	7234/–
3.	1977-78	8302	7302/–
4.	1978-79	9165	7134/–
5.	1979-80	9412	9173/–
6.	1980-81	7954	8535/–
7.	1981-82	6938	4862/–
8.	1982-83 (Upto Aug. '82)	2021	2574/–
	Lemon plants likely to be raised	25000	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 387 की सूची का ब्योरा

लाखेरी अस्पताल में गत तीन वर्षों का व्यय :

क्र. सं.	मद	खर्चा 1979-80	1980-81	1981-82
1.	भेषज एवं औषधियां	11,800	11,300	10,900
2.	स्टाफ का वेतन एवं भत्ता	42,000	46,200	51,900
3.	अन्य व्यय	3,300	5,100	5,800
	योग :-	57,100	62,600	68,600

(382)

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 396 की सूची

जैसलमेर जिले में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

(दिनांक 31-8-1982)

क्र.सं.	स्थान का नाम जहां आयुर्वेद औषधालय है
1.	असकन्दरा
2.	नोख
3.	नाचना
4.	खियां
5.	वड़ौदा गांव
6.	मोहनगढ़
7.	चान्दन
8.	फलसूण्ड
9.	राजमथाई
10.	रामदेवरा
11.	उजला
12.	मणीयाणा
13.	सांकड़ा
14.	माण्डवा
15.	झिझियाली
16.	खुयाला
17.	सांगड़
18.	फतेहगढ़
19.	सिहड़ार

(383)

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां आयुर्वेद औषधालय है
20.	सम
21.	रामगढ़
22.	म्याजलर
23.	जैसलमेरर
24.	पोकरण

नोट :—1. इसके अतिरिक्त जिले में एक चल चिकित्सालय संचालित है।

2. जिले में एक होम्पौथिक एवं एक यूनानी औषधालय भी संचालित है।

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 397 की सूची

जयपुर जिले की बस्सी व चाकसू तहसील में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों का विवरण और वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में वेतन एवं भत्ते तथा दवाओं के रूप में किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां औषधालय संचालित है	वेतन व भत्ते के रूप में किये गये व्यय का विवरण 1980-81	1981-82	दवाओं के रूप में किये गये व्यय का विवरण 1980-81	1981-82	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
तहसील बस्सी						
1.	कानोता	22285 = 00	28717 = 60	2494 = 25	1023 = 00	–
2.	काशीपुरा	13818 = 00	16470 = 00	816 = 55	464 = 90	–
3.	ग्वालिनी	13736 = 40	10714 = 00	2603 = 75	510 = 40	–
4.	जटवाड़ा	22583 = 00	19778 = 00	3039 = 35	1424 = 70	–
5.	तूंगा	15207 = 00	21260 = 00	3947 = 25	1278 = 50	–
6.	दनाऊकलां	16405 = 00	15407 = 64	2432 = 85	547 = 00	–
7.	देवगांव	12606 = 00	16432 = 00	2999 = 15	860 = 20	–
8.	फालियावास	18399 = 00	21087 = 00	2094 = 15	702 = 20	–
9.	बांसखो	25855 = 00	30875 = 50	3932 = 45	1168 = 00	–
10.	साम्भरियां	14232 = 00	15724 = 00	3469 = 60	716 = 16	–
11.	रोजवाड़ी	3727 = 00	17770 = 00	*	597 = 40	* नवीन स्वीकृत
	योग	178853 = 40	214235 = 74	27829 = 35	9292 = 46	

1	2	3	4	5	6	7
तहसील चाकसू						
1	कुम्हारियावास	16486 = 00	17798 = 00	1512 = 40	324 = 00	—
2.	कोथून	22378 = 00	22800 = 00	3016 = 00	1053 = 60	—
3.	कोटलावदा	19680 = 00	26211 = 00	7157 = 35	998 = 50	—
4.	खेजड़ीब्रुजुर्ग	12523 = 00	16790 = 00	2246 = 90	972 = 00	—
5.	गरुड़वासी	17274 = 00	13430 = 00	1367 = 90	174 = 65	—
6.	चन्दलाई	28835 = 00	31789 = 00	6892 = 20	1396 = 60	—
7.	टूटोली	19485 = 00	26187 = 00	3102 = 85	547 = 00	—
8.	तितरिया	22167 = 00	26187 = 00	4701 = 20	2238 = 50	—
9.	निमोडिया	12989 = 00	15190 = 00	3627 = 05	1266 = 90	—
10	रुपाहेड़ी	18558 = 00	21470 = 00	2795 = 80	715 = 50	—
11.	शिवदासपुरा	31839 = 10	32017 = 60	4142 = 65	1966 = 60	—
	योग	222214 = 10	249869 = 60	40562 = 30	11653 = 85	—
	महा योग =	401067 = 50	464105 = 34	68391 = 65	20746 = 31	—

(३८०)

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न सं. 398 की सूची

भरतपुर जिले के उप-केन्द्र जहां स्टाफ नहीं होने के बन्द हैं :—

क्र.सं.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	नाम उपकेन्द्र
1.	सेवर	माण्डोनी
	,,	तेरहलोधा
	,,	सिघावली
	,,	चिकसाना
2.	मुसावर	सलेमपुर खुर्द
3.	कुम्हेर	तमरेरे
	,,	सातरूक
4.	डीग	खोरी
	,,	डीग
5.	नगर	सेमलाकलां
	,,	ओहरी
6.	जुरहेरा	पपकरी
	,,	जुरहेरा
7.	नदबई	रोनीजा
8.	मुसावर	सलेमपुर
	,,	पथैना
	,,	मुसावर
9.	वयाना	कैंर
	,,	बहमवाद
10.	रूपवास	जेठमासी
	,,	उच्चैंन

उप-केन्द्र जहां का स्टाफ शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति होने के कारण बन्द है :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्र.सं.	नाम उप केन्द्र
कुम्हेर	1.	मटावली
,,	2.	अंवार
,,	3.	नालफेरो
डीग	4.	दांनलोटी
जुरहेरा	5.	नौनेरा
,,	6.	मण्डारा
नगर	7.	मुडली
,,	8.	भट्टपुरा
नदवई	9.	भिगोरा
मुसावर	10.	भेसीना
बयाना	11.	सेमोगर
रूपवास	12.	सिघावली
जुरहेरा	13.	सिहसन
,,	14.	पपरा
,,	15.	जुरहेरा
मुसावर	16.	समरांया
बयाना	17.	कनावर
नदवई	18.	हतरा
,,	19.	बरौलीरात
डीग	20.	डीग
सेवर	21.	ऊंचा गांव
रूपवास	22.	सिरोंद

(360)

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 400 की सूची

कार्यालय नगर परिषद, बीकानेर

जनवरी, 81 से जनवरी, 1982 तक तत्कालीन न. पा. गंगाशहर द्वारा वर्ष 1971 से पूर्व के अनधिकृत अतिक्रमण जो नियमित किये हैं उनकी सूची

क्र.सं.	मालिक का नाम व पता	क्षेत्रफल	राशि
1.	श्रीमती शांति देवी/विजय सिंह राजपूत, वार्ड नं. 13	2312	620-66
2.	श्रीमती लक्ष्मी/गोविन्द राम सुनार, वार्ड नं. 13	2312	620-66
3.	श्री सोहन लाल/गोपाला राम ब्राह्मण, वार्ड नं. 13	4394 1/2	1,314-84
4.	श्री मांगीलाल/हुकम चन्द गोलछा वार्ड नं. 7	4488	1,346-00
5.	श्री मांगीलाल/मेघराज सुराणा वार्ड नं. 7	4352	1,300-00
6.	श्री माणकराम/लाभू राम कुम्हार वार्ड नं. 6	4692	3,468-00
7.	श्री भोमाराम/थाना राम ब्राह्मण वार्ड नं. 6	2000	446-67
8.	श्री सत्यनारायण/राम चन्द्र सोनी वार्ड नं. 11	2312	620-67
9.	श्री चुन्नी लाल/गोर्धन कुम्हार वार्ड नं. 6		1,619-00
10.	श्रीमती गवरा देवी/सुरजाराम ब्राह्मण, वार्ड नं. 13	2312	620-67
11.	श्री गोपाला राम/तोकूराम ब्राह्मण वार्ड नं. 13	2312	620-66

Page No 398

1	2		3	4
12.	श्री जगदीश प्रसाद/गोपालाराम ब्राह्मण, वार्ड नं. 13		2312	620-66
13.	श्री आसूराम/परमाराम नाई, वार्ड नं. 13		2250	600-00
14.	श्री धन्ना राम/मघाराम नाई, वार्ड नं. 12		1768	858-00
15.	श्री छगन लाल/किशन लाल ब्राह्मण वार्ड नं. 7		4624	1,846-00
16.	श्री गोकुल चन्द/किशनाराम ब्राह्मण वार्ड नं. 7		4624	1,846-00
17.	श्रीमती गोरा देवी/लिखमाराम सुनार, वार्ड नं. 13		4624	1,846-00
18.	श्री इन्द्र चंद/तोलाराम नाई वार्ड नं. 13		2312	620-66
19.	श्री कृष्ण/लालू राम विश्नोई वार्ड नं. 7		4624	3,196-00
20.	श्री अनोप चंद/गंगाराम जाट वार्ड नं. 7		4624	1,846-007
21.	श्री दुलीचन्द/गंगाराम चौधरी	वार्ड नं 8	3084	1,044-66
22.	श्री काशीराम/दुलाराम ब्राह्मण	,, 7	4500	1,350-00
23.	श्रीमती कंचनदेवी/मगनलाल नाहटा	,, 13	2040	530-00
24.	श्री चोरूराम/मूलाराम नाई	,, 13	2312	620-66
25.	श्री मघाराम/मूलाराम नाई	,, 13	2312	620-66
26.	श्री हरीराम/राधाकिशन ढोली	,, 13	2312	620-67
27.	श्री चोरूराम/गेधाराम नाई	,, 13	2312	620-67
28.	श्री हड़मानाराम/गोर्धन भाटी	,, 13	4489	1,347-00
29.	श्री लालचन्द/गंगाराम नवल खां	,, 13	2312	620-66
30	श्री भूरी देवी/भैराराम ब्राह्मण	,, 13	2312	620-67
31	श्री फूसराज/खेतूलाल मन्त्री	,, 7	2312	620-6
32.	श्री बंशीलाल/बद्रीराम ब्राह्मण	,, 13	2312	620-67

1	2			3	4
33.	श्री मुणाराम/नानकराम जाट	वार्ड नं	13	498.07ग.	1,347-00
34.	श्री लक्ष्मीदेवी/रूपाराम सुनार	,,	13	4624	1,846-00
35.	श्री लिखमाराम/मधाराम नाई	,,	13	4624	3,194-00
36.	श्री पीरदान/हजारी मल सुनार	,,	7	4624	1,846-00
37.	श्री किशनलाल मधाराम नाई	,,	13	2312	620-67
38.	श्री मोडाराम/नानूराम ब्राह्मण	,,	13	1632	394-00
39.	श्री वंशीधर/गंगाराम नाई	,,	12	4624	3,196-00
40.	श्री जानी देवी/हनुमानराम ब्राह्मण	,,	7	4624	1,846-00
41.	श्री आशाराम/तोलाराम दर्जी	,,	13	4624	1,846-00
42.	श्री गवरा देवी/सुरजाराम जोशी	,,	13	2312	620-66
43.	श्री कुशलाराम/चौथाराम जोशी	,,	13	4644	3,168-00
44.	श्री लक्ष्मीनारायण/रणछोड़ ब्राह्मण	,,	7	4743.1/2	2,324-00
45.	श्री केशरी चन्द/रणछोड़ ब्राह्मण	,,	7	2591.1/2	713-81
46.	श्री चंपालाल/रणछोड़ ब्राह्मण	,,	7	4717.1/2	3,570-00
47.	श्री किशनलाल/हुकमीराम खत्री	,,	6	4624	1,846-00
48.	श्री लक्ष्मीनारायण/राधाकिशन	,,	6	1375	308-64
49.	श्री समाराम/समेलाराम विश्नोई	,,	13	4752	3,708-00
50.	श्री हनुमान/शिवनाथ नाई	,,	5	4624	1,846-00
51.	श्री गफार/गफूर नारिया	,,	6	2385	645-00
52.	श्री पूनमचन्द/रतनाराम कुम्हार	,,	6	4624	1,846-00
53.	श्री. तुलसी देवी/समेलाराम विश्नोई	,,	13	2448	666-00
54.	श्री. जसोदा देवी/भंवरलाल तापड़िया	,,	7	4352	1,300-66
55.	श्री महावीर प्रसाद/दुलाराम ब्राह्मण	,,	7	4647.37	1,334-22
56.	श्री छगन सिंह/नानूसिंह राजपूत	,,	17	2312	620-67
57.	श्री शेखरचन्द/गोपीचन्द दर्जी	,,	7	4624	3,196-00
58.	श्री हरीरामजी गोशाला	,,	13	4624	1,846-00
59.	श्री सूरजमल/लालचन्द नवलखा	,,	13	2040	530-00
60.	श्री हनुमान मल भीखमचन्द बोथरा	,,	12	4624	1,846-00
61.	श्री सुरजाराम/लाखूराम ब्राह्मण	,,	11	519.16ग	3,430-00
62.	श्री भंवर लाल/कालूराम सोनार	,,	11	2690	746-65
63.	श्री नारायण/मोटाराम ब्राह्मण	,,	13	4624	1,846-00
64.	श्री हनुमान, मोटराम ब्राह्मण	,,	13	2312	620-67
65.	श्री रामजीवण/भैरू सिंह यादव	,,	8	2312	620-67

591

1	2		3	4
66.	श्री भंवरलाल/रामनारायण बहेती	वार्ड नं. 7	4624	1,846-00
67.	श्री माणकलाल, लूणकरण बाहेती	,, 7	4624	1,846-00
68.	श्री हुकम सिंह/बिड़दसिंह राजपूत	,, 13	4624	1,846-00
69.	श्री गोरधन/सोहन लाल नाई	,, 13	2312	620-66
70.	श्री जगदीश प्रसाद/तोलाराम नाई	,, 13	2312	620-66
71.	श्री बाबूलाल, किशनाराम ब्राह्मण	,, 7	4624	1,846-00
72.	श्री. सूरजदेवी/मुन्नालाल करनाणी	,, 7	4624	1,846-00
73.	श्री भंवरी देवी, भगवान दास करनाणी	,, 7	4624	1,846-00
74.	श्री गोपीकिशन/जगन्नाथ करनाणी	,, 7	4624	1,846-00
75.	श्री कमला देवी/जमनादास चांडक	,, 7	4624	1,846-00
76.	श्री मोहनी देवी/बाबूलाल करनाणी	,, 7	4624	1,846-00
77.	श्री लक्ष्मीनारायण/रामधन बागड़ी	,, 7	4624	1.846-00
78.	श्री हरीराम/मूलाराम ब्राह्मण	,, 13	4624	1,846-00
79.	श्री दीपाराम/गणेशाराम नाई	,, 13	2312	620-66
80.	श्री वंशीलाल/गणेशाराम नाई	,, 13	2312	620-66
81.	श्री पांची देवी/भंवरलाल सिपाणी	,, 4	1632	394-00

भीनासर पालिका क्षेत्र

1.	श्री मालाराम/रूपाराम माली	वार्ड नं. 9	2173	325-95
2.	श्री भंवर लाल/हरजाराम माली	,, 9	1096	164-40
3.	श्री भेराराम/हेमाराम सुथार	,, 2	11628	3,876-00
4.	श्री नरसिंह/मंगलाराम ब्राह्मण	,, 6	6674	2,226-00
5.	श्री अमरचन्द/रावतराम सुथार	,, 4	2048	683-00
6.	श्री बुलाकीदास/जेठाराम माली	,, 3	1102.9फु.	367-50
7.	श्री. छोटादेवी/जेठाराम माली	,, 4	1374	459-00
8.	श्री हुकमाराम/रामलाल ब्राह्मण	,, 6	1244	415-00
9.	श्री घूंडी देवी/हरदास माली	,, 4	2193.9फु.	732-00
10.	श्री कालू राम/आशू राम माली	,, 8	390	174-35

ह.
आयुक्त.
नगर परिषद् बीकानेर

392

कार्यालय नगर परिषद्, बीकानेर

न.पा. क्षेत्र गंगाशहर/भीनासर में वर्ष 1971 के पूर्व के कब्जों का हस्तान्तरण विलेख करवाया गया है उनकी सूची :—

क्र.सं. 1	नाम 2	पंजीकरण करवाया जा चुका है 3
1.	श्री. शान्ति देवी विजय सिंह वार्ड नं. 13	हां
2.	श्री. लक्ष्मी देवी/गोविन्दराम सुनार वार्ड नं. 13	
3.	श्री सोहनलाल/गोपाल राम ब्राह्मण वार्ड नं. 13	
4.	श्री सत्यनारायण/रामचन्द सोनी वार्ड नं. 11	
5.	श्री चुन्नी लाल/गोर्धन कुम्हार वार्ड नं. 6	
6.	श्री धनाराम/मघाराम नाई वार्ड नं. 13	
7.	श्री छगनलाल/किशनराम ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
8.	श्री गोकुलचन्द/किशनाराम ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
9.	श्री कृष्ण/लालूराम विश्नोई वार्ड नं 7	
10.	श्री अनोपचन्द/गंगाराम चौधरी वार्ड नं 7	
11.	श्री दुलीचन्द/गंगाराम चौधरी वार्ड नं. 7	
12.	श्री काशीराम/दुलाराम ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
13.	श्री चोरूराम/मूलाराम नाई वार्ड नं. 13	
14.	श्री मघाराम/मूलाराम नाई वार्ड नं. 13	
15.	श्री हरीराम/राधाकृष्ण ढोली वार्ड नं. 13	
16.	श्री हडमानाराम/गोरधन राम भीटी वार्ड नं. 13	
17.	श्री लालचन्द/गंगाराम नवल खा वार्ड नं. 13	
18.	श्री. भूरी देवी/भैराराम ब्राह्मण वार्ड नं. 13	
19.	श्री बन्शीलाल/बद्रीराम ब्राह्मण वार्ड नं. 13	
20.	श्री मूणाराम/नानक राम जाट वार्ड नं. 13	
21.	श्री. लक्ष्मी देवी/रूपाराम सुनार वार्ड नं. 13	
22.	श्री कुशलाराम/चौथाराम जोशी, वार्ड नं. 13	
23.	श्री लक्ष्मीनारायण/रणछोड़ ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
24.	श्री केशरी चन्द/रणछोड़ ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
25.	श्री चंपालाल/रणछोड़ ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
26.	श्री हनुमान/शिवनाथ नाई, वार्ड नं. 5	
27.	श्री सूरजमल/लालचन्द नवल खा वार्ड नं 13	

393

1	2	3
28.	श्री हनुमानमल/भीखमचन्द बोथरा वार्ड नं. 12	
29.	श्री सुरजाराम/लखराम ब्राह्मण वार्ड नं 11	
30.	श्री भंवरलाल/कालूराम सुनार, वार्ड नं. 11	
31.	श्री नारायण/मोटाराम ब्राह्मण वार्ड नं. 13	
32.	श्री हड़मान/मोटाराम ब्राह्मण वार्ड नं. 13	
33.	श्री रामजीवन/भैरू सिंह यादव, वार्ड नं. 8	
34.	श्री भंवरलाल/रामनारायण बाहेती, वार्ड नं. 7	
35.	श्री माणक लाल/लूणकरण बाहेती वार्ड नं. 7	
36.	श्री हुकम सिंह/बिडदसिंह राजपूत वार्ड नं. 13	
37.	श्री जगदीश/तोलाराम नाई वार्ड नं. 13	
38.	श्री बाबूलाल किशनाराम ब्राह्मण वार्ड नं. 7	
39.	श्री. सूरज देवी/मुन्नालाल करनाणी वार्ड नं. 7	
40.	श्री. भंवरी देवी/भगवानदास करनाणी वार्ड नं. 7	
41.	श्री गोपीकिशन/जगन्नाथ करनाणी वार्ड नं. 7	
42.	श्री. कमला देवी जमनादास चांडक, वार्ड नं. 7	
43.	श्री. मोहनी देवी/बाबूलाल करनाणी वार्ड नं. 7	
44.	श्री लक्ष्मीनारायण/रामधन बागडी, वार्ड नं 7.	
45.	श्री हरीराम/मूलाराम ब्राह्मण, वार्ड नं. 13	
46.	श्री दीपाराम/गणेशाराम नाई, वार्ड नं. 13	
47.	श्री बन्शीलाल/गणेशाराम नाई वार्ड नं. 13	
48.	श्री. पांची देवी/भंवर लाल सिपाणी वार्ड नं. 4	

भीनासर, न. पा. क्षेत्र में करवाये गये हस्तान्तरण विलेख की सूची :

49.	श्री मालाराम/रूपाराम माली वार्ड नं. 9	
50.	श्री भैराराम/हेमाराम सुथार वार्ड न. 2	
51.	श्री नरसिंह राम/मंगलाराम वार्ड नं. 6	
52.	श्री अमरचन्द/रावत राम सुथार वार्ड नं. 4	
53.	श्री बुलाकी दास/जेठाराम माली वार्ड नं. 3	
54.	श्री. छोटा देवी/जेठाराम माली वार्ड नं. 4	
55.	श्री हुकमाराम/रामलाल ब्राह्मण वार्ड नं. 6	
56.	श्री. धूडी देवी/हरदास माली वार्ड नं. 4	

ह०/

आयुक्त

नगर परिषद, बीकानेर

कार्यालय नगर परिषद बीकानेर

नगरपालिका क्षेत्र गंगाशहर भीनासर में वर्ष 1971 से पूर्व के कब्जों का हस्तान्तरण विलेक नहीं कराया गया है, की सूची

क्र. सं.	नाम व पता	वार्ड
1.	श्री गफूर/गफूरीया	6
2.	,, पूनमचंद/रहकाराम कुम्हार	6
3.	श्री. तुलसी/समेलाराम विश्नोई	13
4.	,, जसोदादेवी/भंवरलाल तापड़िया	7
5.	श्री महावीर प्रसाद/दुलाराम ब्राह्मण	7
6.	,, छगनसिंह/नानूसिंह राजपूत	13
7.	,, शेखरचंद/गोपीचंद बच्छावा	7
8.	,, हरीराम गोशाला	13
9.	,, गोर्धनलाल/सोहनलाल नाई	13
10.	,, मांगीलाल/हुकमचन्द गालछा	7
11.	,, मांगीलाल/मेघराज सुराना	7
12.	,, माणकलाल/लालूराम कुम्हार	6
13.	,, मोसाराम/यादराम ब्राह्मण	6
14.	श्री. गवरादेवी/सुरजाराम ब्राह्मण	13
15.	श्री गोपालाराम/टीकूराम ब्राह्मण	13
16.	,, जगदीश/गोपालाराम ब्राह्मण	13
17.	,, आसुराम/चतरूराम नाई	13
18.	श्री. गवरादेवी/लिखमाराम सुनार	13
19.	श्री इन्दरचन्द/तोलाराम नाई	13
20.	श्री. कंचन देवी/मगनमल नाहरा	13
21.	श्री चोरूलाल/मघाराम नाई	13
22.	,, फुसराज/खेतुलाल मंत्री	7
23.	,, लिखमाराम/मघाराम नाई	13
24.	,, पीरदान/हजारीमल सुनार	7
25.	,, किशनलाल/मघाराम नाई	13
26.	,, मोडाराम/नानूराम ब्राह्मण	13

395

क्र. सं.	नाम व पता	वर्ष
27.	श्री. वशीधर/गंगाधर नाई	12
28.	श्री. जानीदेवी/हनुमानाराम ब्राह्मण	7
29.	श्री आसाराम/तोलाराम दर्जी	13
30.	श्री. गवरादेवी/सुरजाराम जोशी	13
31.	श्री किशनलाल/हुकमीराम खत्री	6
32.	,, लक्ष्मीनारायण/राधाकिशन खत्री	6
33.	,, खेमाराम/समेलाराम विश्नोई	13
34.	,, भंवरलाल/हरखाराम माली भीनासर	9
35.	,, कालूराम/आसूराम माली	8

(३८)

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची

न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की श्यामनगर योजना के निर्मित भवन की सूची विवरण सहित।

क्र.सं.	भू.सं.	सदस्य का नाम	विशेष विवरण
1.	ए-14	श्री जी. सुखाराम शर्मा	निर्मित भूखंड
2.	ए-87	श्री प्रदीप माथुर	,,
3.	एस-16	श्री पी. एन. माथुर	,,
4.	एस-3	श्री नारायण प्रकाश	,,
5.	बी-35	श्री सी. बी. माथुर	,,
6.	बी-85	श्री दीनदयाल	,,
7.	बी-82	श्री के. एस. स्वामी	,,
8.	ए-157	श्री प्रदीपकुमार चौपड़ा	,,
9.	बी-100	श्री मानसिंह महावल	,,
10.	ए-130	श्री धर्मीचन्द भंसाली	,,
11.	ए-139	श्री भंवरलाल कासीवाल	,,
12.	ए-108	श्री ओमप्रकाश शर्मा	,,
13.	एस-17	श्री के.पी. माथुर	,,
14.	ए-71	श्री जवाहरलाल गुप्ता	,,
15.	बी-194	श्रीमती रामेश्वरी गर्ग	,,
16.	बी-10	श्री महिमानन्द मेहुन्दुल	,,
17.	बी-88	श्री सुरेन्द्रसिंह जोधा	निर्माणाधीन
18.	सी-33	श्री राकेश अग्रवाल	,,
19.	ए-79	डा. सी.एस. अग्रवाल	,,
20.	ए-4	श्री प्रकाश चन्द भार्गव	,,

नोट :—भू. सं. एस-20, बी-59, ए-49 ए-31 व गैराज भी बनाए गए हैं तथा भू. सं. एस-7, एस-4, एस-19, एस-1, एस-21, बी-64, ए-61, ए-109, ए-89, ए-42, ए-146, ए-147, ए-171, सी-94 यह भूखंड बने हुए हैं और बी-62 ए-80 निर्माणाधीन हैं लेकिन इन भूखंडों के दस्तावेज सदस्यों द्वारा शाखा में उपलब्ध नहीं होने कराये जाने के फलस्वरूप किनके हैं यह बताना संभव नहीं है।

---

(397)

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 411 का विवरण

1. नगर पालिका मंडावा में वर्ष 1982–83 में नालियों के निर्माण के कार्य का विवरण :—

	खर्च
1. वार्ड नं. 4 में कुल निर्मित नाली की लम्बाई 606 फीट	7675·66
2. गेट के दरवाजे से बैंक आफ बड़ौदा तक निर्मित नाली की लम्बाई 1500 फीट	20056·56
कुल योग	27732·22

(398)

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 421 का शपथ पत्र

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,

अजमेर ।

वास्ते :—सरपंच श्री अमर चन्द जैन द्वारा भ्रष्ट तरीके अपना कर राज्य सरकार को धोखा देकर राजकीय राशि के गबन के सम्बन्ध में । ग्राम पंचायत अतीतमण्ड तहसील ब्यावर ।

महोदय,

हम निम्नलिखित ग्राम पंचायत अतीतमण्ड के निवासी आपके माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी बात, जो स्पष्टतया तथ्य व प्रमाण सहित है, पहुँचाना चाहते हैं तथा हमारे ग्राम के सरपंच श्री अमरचंद जैन द्वारा हम असहाय व गरीब लोगों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अकाल राहत जैसे जरूरी कार्य के लिये खर्च की जाने वाली धनराशि को नाजायज तरीके से हड़प कर गबन करने के कुछ मामले प्रमाण सहित पेश करते हैं तथा आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट, बेईमान सूदखोर देशद्रोही सरपंच तथा इस मामले में लिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर अविलम्ब कार्यवाही की जावे ताकि ऐसे समाज विरोधी तत्वों पर समय रहते पाबन्दी लग सके । व क्षेत्र की जनता को राहत की सांस मिल सके ।

आपकी जानकारी हेतु कुछ तथ्य यहां दिये जा रहे हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

1. यह कि प्राथमिक पाठशाला अतीतमण्ड से गेनज महाराज के मकान तक न तो अकाल राहत कार्य, न ही अन्य किसी मद में सड़कें बनाई गई किन्तु इस सड़क को बनाने के नाम से स्थानीय सरपंच ने पंचायत प्रस्ताव दिनांक 22–12–78 के अनुसार 5000 हजार रुपये स्वीकृत कर झूठे ही कार्य करना दिखाकर उक्त राशि को नाजायज तरीके से हड़प लिया है ।

2. यह कि प्रत्येक मामले में बड़ी चतुराई का परिचय देते हुए अपनी जेब गरम करने में सरपंच अपना सानी नहीं रखता इसकी जीती जागती मिसाल है अतीतमण्ड से सिगाडिया सड़क जो कभी बनी ही नहीं लेकिन सरपंच अमरचन्द जैन ने जिलाधीश की स्वीकृति आदेश संख्या 7944, दिनांक 29–12–1979 के अनुसार 16–1–79 से 31–7–79 तक का फर्जी राहत कार्य दिखाकर 14,562·00 रुपये की पूरी की पूरी राशि हजम की तथा

सफाई के लिये 4 रुपये 20 पैसे अधिक खर्च दिखाकर राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी की।

3. यह कि अतीतमण्ड स्थित रातडी रपट कार्य हेतु 19,500-00 रुपये वास्ते सामग्री एवं 1987000 रुपये वास्ते मजदूरी स्वीकृत हुए थे तथा नियमानुसार इस रपट का कार्य सीमेन्ट से होना चाहिये था किन्तु सरपंच ने नाम मात्र की सीमेन्ट का उपयोग करवाकर बाकी सीमेन्ट वापस लाकर ब्लैक में बेची तथा सीमेन्ट की जगह मिट्टी का उपयोग करवाया जो राज्य सरकार एवं क्षेत्र को जनता के साथ विश्वासघात तथा इसकी जांच करवाई जा सकती है।

4. यह कि झूठ के पैर नहीं होते, पंचायत क्षेत्र में रहने वालों ने आज तक किसी सूरा बावड़ी नामक स्थान का नाम ही नहीं सुना लेकिन सरपंच अमरचंद जैन ने सुरा बावडी से दाना का थान तक सड़क निर्माण के नाम पर 192000-00 रुपये स्वीकृत कराये हैं तथा उपरोक्त कार्य के फर्जी मस्टर रोल भर कर गलत हाजिरी कर सम्पूर्ण राशि का गबन किया है।

5. यह कि अतीतमण्ड से माडीडा सड़क जो वर्षों पूर्व बनी थी जिसकी लम्बाई करीब डेढ़ किलो मीटर लम्बी है तथा उसे बिलकुल नई सड़क बनाने के नाम पर वर्तमान सरपंच श्री अमरचन्द ने 48000/-अडतालिस हजार रुपये खर्च बताकर पूरी रकम का गबन कर एक रिकार्ड पेश किया है।

6. यह कि सिगाडिया और नून्द्री मालदेव नामक ग्राम अतीतमण्ड ग्राम पंचायत क्षेत्र में नहीं आते हैं फिर भी सरपंच ने उक्त गांवों को अपने क्षेत्र में दिखाकर सिगाडिया से नून्द्री मालदेव सम्पर्क सड़क के नाम से 5000 /-रुपये स्वीकृत करा कर 4959-80 रुपये खर्च दिखाकर क्षेत्र के लोगों तथा राज्य सरकार की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है।

7. यह कि अतीतमण्ड ब्यावर रोड़ अंग्रेजों के काल में बनी थी इस सड़क पर मनतो जाति के घर आते है जहां से नून्द्री मालदेव की प्राथमिक शाला एक किलो मीटर भी नहीं है इस सड़क पर पूर्व में पी डब्ल्यू डी ने गिट्टी डलवा दी है परन्तु फिर भी उक्त सरपंच ने 5,000/- रुपये स्वीकृत कराकर 4969·80 रुपये का फर्जी खर्च बताया है तथा अपना बचाव रखने के लिये मात्र ट्रैक्टरों से 5-7 जगह मिट्टी डलवाई। अतः आप श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त विषय में शीघ्र-अतिशीघ्र जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों व सरपंच के खिलाफ कार्यवाही करें

(400)

तथा जब तक जांच पूरी नहीं हो उक्त सरपंच श्री अमरचन्द जैन से उनके अधिकार आपने पास लेकर सुरिक्षत करने का कष्ट करें। हम आशा करते है कि हम ग्रामवासियों की उक्त कठिनाई का यथा समय निराकरण कर हमें राहत पहुँचायेंगे।

अंत पुनः आप श्रीमान् से निवेदन है कि आप अपने स्तर से अविलम्ब ही इस विषय में हस्तक्षेप कर राहत प्रदान करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

दिनांक

सधन्यवाद।

ह०

हम हैं ग्राम अतीतमण्ड के निवासी

(401)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं मूल सिंह पुत्र किशन सिंह, उम्र 27 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूँ और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूँ :--

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20–7–81 ई० का प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये है जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपत पत्र के साथ संलग्न हैं।

3. यह कि मैं शपथ कर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०
मूल सिंह

अजमेर

दिनांक 20–7–81—

सत्यापन

मैं मूलसिंह पुत्र किसनसिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यपित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करें।

अजमेर

ह०
मूलसिंह

दिनांक 20–7–81

(402)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं लक्ष्मणसिंह पुत्र अज्जासिंह, उम्र 25 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20.7.81 ई० का प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथ कर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

अजमेर

ह०
लक्ष्मणसिंह

दिनांक 20–7–81

सत्यापन

मैं लक्ष्मणसिंह पुत्र अज्जासिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है। ईश्वर सहायता करें।

अजमेर

ह०
लक्ष्मणसिंह

दिनांक 20–7–81

(405)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं हरजीसिंह पुत्र हजारी सिंह, उम्र 25 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20· 7· 81 ई० का प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०
हरजी सिंह पुत्र हजारी सिंह

अजमेर

दिनांक 20· 7· 81

सत्यापन

मैं हरजी सिंह पुत्र हजारी सिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०
हरजी सिंह पुत्र हजारी सिंह

अजमेर,

दिनांक 20· 7· 81

405

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं आनन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह, उम्र 25 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूँ :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।
2. यह कि अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20· 7· 81 ई० को प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ-पत्र दे रहा हूँ।

ह०

अजमेर आनन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह

दिनांक 20· 7· 81

सत्यापन

मैं आनन्द सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०

अजमेर आनन्द सिंह पुज नारायण सिंह

दिनांक 20· 7· 81

(405)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं नेत सिंह पुत्र माल सिंह, उम्र 60 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूँ और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूँ :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूँ और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20· 7· 81 ई० को प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र मे अंकित माने जावें एवं प्रार्थना-पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०

अजमेर नेत सिंह

दिनांक 20· 7· 81

सत्यापन

मैं नेत सिंह पुत्र माल सिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०

अजमेर नेत सिंह

दिनांक 20· 7· 81

(406)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं बहादुर सिंह पुत्र वीरम सिंह, उम्र 28 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।
2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20·7·81 ई० को प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०

अजमेर — बहादुर सिंह

दिनांक 20·7·81

सत्यापन

मैं बहादुर सिंह पुत्र वीरम सिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०

अजमेर — बहादुर सिंह

दिनांक 20·7·81

(407)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं पूनम सिंह पुत्र लाल सिंह, उम्र 45 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20. 7. 81 ई० को प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना-पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

.3 यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०

अजमेर   पूनम सिंह पुत्र लाल सिंह

दिनांक 20. 7. 81

सत्यापन

मैं पूनम सिंह पुत्र लाल सिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०

अजमेर,   पूनम सिंह पुत्र लाल सिंह

दिनाक 20. 7. 81

(408)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं रतनसिंह पुत्र सुवासिंह, उम्र 26 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20-7-81 ई० को प्रस्तुत की हैं कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना-पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूँ।

ह०
रतनसिंह

अजमेर

दिनांक 20-7-81

सत्यापन

मैं रतनसिंह पुत्र सुवासिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूँ और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०
रतनसिंह

अजमेर
दिनांक 20-7-81

(409)

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं शंकर सिंह पुत्र देवीसिंह, उम्र 30 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20–7–81 ई० को प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०
शंकरसिंह

अजमेर
दिनांक 20–7–81

सत्यापन

मैं शंकरसिंह पुत्र देवीसिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करें।

ह०
शंकरसिंह

अजमेर
दिनांक 20–7–81

410

श्रीमान जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपत्र-पत्र

मैं हजारी सिंह पुत्र घीसासिंह, उम्र 34 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर जिला, अजमेर का हूँ और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूं :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूँ और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20–7–81 ई० को प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना पत्र इस शपत्र-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथ कर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूं।

ह०
हजारी सिंह

अजमेर

दिनांक 20–7–81

सत्यापन

मैं हजारीसिंह पुत्र घीसासिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यपति करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०
हजारीसिंह

अजमेर
दिनांक 20–7–81

411

श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

शपथ-पत्र

मैं शंकरसिंह पुत्र लाडूसिंह, उम्र 30 साल, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और शपथ पूर्वक निम्न वर्णन करता हूँ :—

1. यह कि मैं गांव अतीतमण्ड का रहने वाला हूं और सरपंच अमरचन्द जैन हमारे गांव का ही है।

2. यह कि सरपंच अमरचन्द जैन के खिलाफ एक शिकायत श्रीमान् के समक्ष आज दिनांक 20–7–81 ई० का प्रस्तुत की है कि जिसके चरण सं० 1 से 7 के कथन मेरे निर्देशानुसार तहरीर किये गये हैं जो इस शपथ-पत्र में अंकित माने जावें एवं प्रार्थना-पत्र इस शपथ-पत्र के साथ संलग्न है।

3. यह कि मैं शपथकर्ता उक्त प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 से 7 के समर्थन में यह शपथ पत्र दे रहा हूँ।

ह०
शंकरसिंह

अजमेर

दिनांक 20–7–81

सत्यापन

मैं शंकरसिंह पुत्र लाडूसिंह, जाति रावत, निवासी अतीतमण्ड, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर का हूं और सहर्ष सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के चरण सं० 1 से 3 के कथन मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य हैं। ईश्वर सहायता करे।

ह०
शंकरसिंह

अजमेर
दिनांक 20–7–81

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 423 का विवरण

श्री प्रमुख, जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा निम्न प्रकार जिला पूल से यात्राएं की गई परिशिष्ट–1

दिनांक 1	समय जाने का 2	समय आने का 3	यात्रा जहां की गई 4	यात्रा का प्रयोजन 5
7-1-82	8 प्रातः	5 सांय	भीलवाड़ा से माण्डल, बनेडा, भीलवाड़ा	राज्य कार्य
8-1-82	8-30 प्रातः	5.30 सांय	भीलवाड़ा से कोटड़ी, सुवाणा, भीलवाड़ा	,,
9-1-82	7 प्रातः	5 सायं	भीलवाड़ा से आसींन्द, बदनोर, भीलवाड़ा	,,
10-1-82	9 प्रातः	11.30 रात्रि	भीलवाड़ा से नन्दराय, वेगाकाखेड़ा, रेणावास. दान्यल, गोविन्दखेड़ा, भीलवाड़ा	,,
11-1-82	8 प्रातः	6.30 सांय	भीलवाड़ा से गंगापुर, रायपुर, असीन्द, बदनोर, भीलवाड़ा	राज्य कार्य एवं पं०स० रायपुर की बैठक में
12-1-82	2 दोपहर	11.45 रात्रि	भीलवाड़ा से चित्तौड़ वापस भीलवाड़ा	राज्य कार्य
13-1-82	1.30 दोपहर	11.55 रात्रि	भीलवाड़ा से गंगापुर, रायपुर, बोराणा, कोट, भीलवाड़ा	,,
14-1-82	9 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद, जोजया, माण्डलगढ़	,,
15-1-82	11 प्रातः	10.30 रात्रि	माण्डलगढ़ से गेनोली, माण्डलगढ़, सुवाणा, दांथल, भीलवाड़ा	,,
16-1-82	7.30 प्रातः	8.30 रात्रि	भीलवाड़ा से बड़लियास, सुवाणा सिंगोली, हरणा, भीलवाड़ा	,,
17-1-82	2 दोपहर	11.45 रात्रि	भीलवाड़ा भंगरोप, हमीरगढ़, बरडोद, बीलिया, भीलवाड़ा	,,

(422)

1	2	3	4	5
23-1-82	11 प्रातः	8.30 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटडी, छापरेल, कोयल, भीलवाड़ा	राज्य कार्य
25-1-82	5.30 सांय	10.30 रात्रि	भीलवाड़ा से पुलिस लाइन, गुरला, नगर परिषद्, भीलवाड़ा	,,
26-1-82	7 प्रातः	11.45 रात्रि	भीलवाड़ा से महिला आश्रम, पुलिस लाइन, सरेरी, लीम्बिया, सांगानेर, भीलवाड़ा	,,
27-1-82	7 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा से आसीन्द, वेमाली, गंगापुर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा	राज्य कार्य एवं हमीरगढ़ में प०स० मीटिंग
28-1-82	9 प्रातः	8 रात्रि	भीलवाड़ा से शाहपुरा, जहाजपुर, भीलवाड़ा	राज्य कार्य एवं अकाल सहायता कार्यों का अवलोकन
4-2-82	8 प्रातः	5 सांय	भीलवाड़ा से सुवाणा, अगरपुरा, रूपाहेली, भीलवाड़ा	राज्य कार्य
5-2-82	9 प्रातः	10.30 रात्रि	भीलवाड़ा से मगुनगर, खजूरा, जहाजपुर, भीलवाड़ा	,,
6-2-82	11 प्रातः	8.30 रात्रि	भीलवाड़ा से मंगरोप, हमीरगढ़, बनेड़ा, भीलवाड़ा	,,
7-2-82	1 दोपहर	10.30 रात्रि	भीलवाड़ा से मेजा माण्डल, वागौर, भीलवाड़ा	,,
10-2-82	8.30 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद, त्रिवेणी, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	स्व० श्री सुखाड़िया जी के अस्थिकलश के साथ
11-2-82	8 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटडी माण्डलगढ़, सुवाणा, भीलवाड़ा	पेयजल समस्याओं के निपटाने हेतु
12-2-82	11.30 प्रातः	9 रात्रि	भीलवाड़ा से सहाड़ा भीलवाड़ा	,, ,,
14-2-82	10 प्रातः	11:30 रात्रि	भीलवाड़ा से आटूण मन्दला, कोचरिया, जारजिया, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों की प्रगति का अवलोकन तथा अन्य राज्य कार्य

1	2	3	4	5
15-2-82	1 दोपहर	2 दोपहर	भीलवाड़ा से ग्रामली शाहपुरा	अकाल राहत कार्यों की प्रगति का अवलोकन तथा अन्य राज्य कार्य
16-2-82	9 प्रातः	11-45 रात्रि	शाहपुरा से जहाजपुर, भीलवाड़ा, माण्डलगढ़ वापस भीलवाड़ा	
22-2-82	1.30 दोपहर	11-55 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ तिलस्वा, भीलवाड़ा	,,
23-2-82	8.30 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा से सवाईपुर, आकोला, गंगा का खेड़ा भीलवाड़ा	,,
24-2-82	11 प्रातः	9.30	भीलवाड़ा से सवलपुरा, भीलवाड़ा	राज्य कार्य
25-2-82	9 प्रातः	11.30 रात्रि	भीलवाड़ा से बड़ा महुआ, सरेरी, सकरिया खेड़ा, मंगरोप, भीलवाड़ा	,,
26-2-82	10 प्रातः	8 रात्रि	भीलवाड़ा से कमालपुरा, छोटा महुआ, भीलवाड़ा	,,
27-2-82	9 प्रातः	7 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	,,
28-2-82	11 प्रातः	8 रात्रि	भीलवाड़ा से आकोला बडलियास, भीलवाड़ा	,,
1-3-82	10 प्रातः	8 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद माण्डलगढ़ भीलवाड़ा	,,
2-3-82	10 प्रातः	7 रात्रि	भीलवाड़ा से शाहपुरा, आमली, भीलवाड़ा	पेयजल समस्याओं के समाधान हेतु
3-3-82	9 प्रातः	8.30 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़, बरुन्दनी, बड़लियास, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों का अवलोकन एवं पेयजल समस्या पर विचार
4-3-82	11 प्रातः	10.45 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ बिजौलिया	अकाल राहत कार्यों की प्रगति का जायजा एवं खनिज विभाग की प्लाटों की लाटरी में भाग लिया
5-3-82	9 प्रातः	7 रात्रि	भीलवाड़ा से सवाईपुर बोरखेड़ा, भीलवाड़ा	राज्य कार्य

1	2	3	4	5
7-3-82	10 प्रातः	11 प्रातः	भीलवाड़ा से शाहपुरा	फेमिन कार्य एवं अन्य विकास कार्यों के
8-3-82	8 प्रातः	10 रात्रि	शाहपुरा से भीमपुरा, नाहरसागर, शाहपुरा	,,
9-3-82	8 प्रातः	9 रात्रि	शाहपुरा सिटी	पं० स० मीटिंग एवं अन्य राज्य कार्य
10-3-82	11 प्रातः	11 रात्रि	शाहपुरा से सांगरिया, अरनिया, शाहपुरा वापस भीलवाड़ा	प० स० के फेमिन कार्य एवं पंचायत का विजिट
11-3-82	8 प्रातः	4.05 सांय	भीलवाड़ा से माण्डल भीलवाड़ा सिटी	राज्य कार्य
27-3-82			भीलवाड़ा सिटी	,,
28-3-82	10 प्रातः	10 रात्रि	भीलवाड़ा से पालडी भीलवाड़ा	,,
13-4-82	3 दोपहर	11.30 रात्रि	भीलवाड़ा से हमीरगढ़, तरूतपुरा, मंगरोप, भीलवाड़ा	मुख्य मंत्री महोदय के साथ अकाल राहत की मीटिंग एवं कार्यों का अवलोकन
14-4-82	10.30 प्रातः	9 रात्रि	भीलवाड़ा से गुरला, कारोई, सांगवा, तिलोली, कोचरिया, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्य एवं विकास कार्यों का अवलोकन
15-4-82	12.30 दोपहर	9 रात्रि	भीलवाड़ा से अम्बेडकर कालोनी, नगरपालिका	डॉ. अम्बेडकर कालोनी के उद्घाटन में उपस्थित
16-4-82	1 दोपहर	2 दोपहर	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़	राज्य कार्य
17-4-82	8 प्रातः	11 रात्रि	माण्डलगढ़ से रेडवास, सातोलकखेड़ा, काटेडी, किशनगढ़, केसरपुरा, पारोली, कोटड़ी, माण्डलगढ़	क्षेत्र के अकाल राहत कार्यों का मौका देखने एवं उनके सुधार हेतु विचार विमर्श
18-4-82	2 दोपहर	9 रात्रि	माण्डलगढ़ से सिंगोली, बरून्दनी, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	,, ,,
19-4-82	11 प्रातः	11.45 रात्रि	भीलवाड़ा से रायपुर, बोरापोर, सहाड़ा, पोटला, गंगापुर, भीलवाड़ा	पं. स. की बैठक सहाड़ा, रायपुर व सहकारिता मंत्रीजी के कार्यक्रम के साथ

415

1	2	3	4	5
20-4-82	11 प्रातः	10.30 रात्रि	भीलवाड़ा से काछोला, बामनिया, महुवा, मानपुरा, श्यामपुरा, बिजौलिया, तिलस्वा, माण्डलगढ़	अकाल राहत कार्यों का जायजा एवं विकास कार्यों का अवलोकन, जन सम्पर्क
21-4-82	9 प्रातः	1 दोपहर	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ गेनोली, मानपुरा, माण्डलगढ़	अकाल राहत कार्यों का अवलोकन पं. स. की सामान्य बैठक में भाग लिया।
22-4-92	3 दोपहर	4 दोपहर	माण्डलगढ़ से भीलवाड़ा	अन्य राज्य कार्य एवं वापसी
24-4-82	9 प्रातः	12 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटड़ी चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा	राज्य कार्य एवं पं. स. मीटिंग
25-4-82	9 प्रातः	11.45 रात्रि	भीलवाड़ा से पारोली, समदड़ीवास, आसोप, सांखडा, दातड़ा, भीलवाड़ा	राज्य कार्य, अकाल सहायता कार्यों का अवलोकन तथा अन्य विकास कार्यों का अवलोकन
26-4-82	7 प्रातः	3.30 दोपहर	भीलवाड़ा से सुवाणा, रूपाहेली, भीलवाड़ा	राज्य कार्य
27-4-82	1 दोपहर	10 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डल मेजा, भीलवाड़ा	,,
29-4-82	9 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा से खैरावाद, शाहपुरा, भीलवाड़ा	राज्य कार्य एवं पं. स. मीटिंग
30-4-82	4 प्रातः	11.45 रात्रि	भीलवाड़ा से अजमेर, वापस भीलवाड़ा	राज्य कार्य
1-5-82	8 प्रातः	10 रात्रि	भीलवाड़ा से सुवाणा बीगोद, त्रिवेणी	,,
2-5-82	7.30 प्रातः	9.30 रात्रि	त्रिवेणी से बीगोद, रूपाहेली, गोविन्दसिंह जी का खेड़ा, भीलवाड़ा	,,
3-5-82	8 प्रातः	10.30 प्रातः	भीलवाड़ा से सांगानेर गुलमण्डी	राज्य कार्य एवं आफिस कार्य
,,	12 दोपहर	11 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़ सलावटिया, धड़ौदा, हैमविलास, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	राज्य कार्य
5-5-82	6 प्रातः	2.30 दोपहर	भीलवाड़ा से हरनी महादेव कोटड़ी रासेड़, कोटड़ी, रूपाहेली, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्य तथा विकास कार्यों का अवलोकन सरलासागर का उद्घाटन

1	2		3	4	5
6-5-82	2 दोपहर	3.30 दोपहर	भीलवाड़ा से बीगोद, माण्डलगढ़		राज्य कार्य
7-5-82	8 प्रात:	4.30 सांय	माण्डलगढ़ से मानपुरा, कल्याणपुरा, माण्डलगढ़		,,
8-5-82	9.30 रात्रि	11 रात्रि	माण्डलगढ़ से बीगोद भीलवाड़ा		,, वापसी
22-5-82	8 प्रात:	5 सांय	भीलवाड़ा से सुवाणा, अगरपुरा, भीलवाड़ा		राज्य कार्य
23-5-82	9 प्रात:	6 सांय	भीलवाड़ा से खटवाड़ा, त्रिवेणी, भीलवाड़ा		,,
24-5-82	9 प्रात:	7-30 रात्रि	भीलवाड़ा सिटी		राज्य कार्य एवं मीटिंग
25-5-82	10 प्रात:	9 रात्रि	भीलवाड़ा सिटी		राज्य कार्य तथा अधि. अभि. पी. एच. ई. डी. इरिगेशन, पी. डब्ल्यू. डी. व अन्य जिला स्तरीय अधि. से सम्पर्क
2-6-82	8 प्रात:	12 रात्रि	भीलवाड़ा से अजमेर सिटी, जयपुर सिटी, अजमेर	वापस	20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में भाग लेने
4-6-82	6 सांय	9.30 रात्रि	अजमेर से भीलवाड़ा		राज्य कार्य, अधि. अभि. ड्रिलिंग से वार्ता के बाद वापसी
6-6-82	12 दोपहर	9 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद, हरणी, भीलवाड़ा		राज्य कार्य
7-6-82	10 प्रात;	9 रात्रि	भीलवाड़ा सिटी		राज्य कार्य कार्यालय में टेलीफोन से सभी जिला स्तरीय अधि. से सम्पर्क कर क्षेत्र की दिक्कतों से अवगत कराया।
8-6-82	10.30	10'45 रात्रि	भीलवाड़ा से हुरड़ा		पंच, सरपंचों की मीटिंग में।
9-6-82	7 प्रात:	3.30 दोपहर	आसीन्द, कोटड़ी, भीलवाड़ा		,, ,, ,,
10-6-82	6 प्रात:	12 दोपहर	भीलवाड़ा से गुन्दली, भीलवाड़ा		खादी बोर्ड की बैठक में
11-6-82	8 प्रात:	11 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डल, जयपुर सिटी		20 सूत्री एवं पीसीसी की बैठक में।
12-6-82	9.30 प्रात:	10.30 रात्रि	जयपुर सिटी		,, ,, ,,

1	2	3	4	5
13-6-82	11 प्रात:	7.30 रात्रि	जयपुर से अजमेर सिटी, माण्डल, भीलवाड़ा	मुख्यालय वापसी
14-6-82	9 30 प्रात;		भीलवाड़ा से शाहपुरा, जहाजपुर, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा, माण्डल, धुवाला, भीलवाड़ा	सरपंच, प्रधान के शिविर तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र का उद्घाटन।
15-6-82	11.30 प्रात:	9 रात्रि	भीलवाड़ा से आसिन्द, बदनोर, आकड़सादा, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण, पंच, सरपंच शिविर तथा अन्य राज्य कार्य
16-6-82	11 प्रात:	10 रात्रि	भीलवाड़ा से शाहपुरा, जहाजपुर, अमरगढ़, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	,, ,, ,,
18-6-82	7 प्रात:	11 रात्रि	भीलवाड़ा से बनेड़ा, रायला, हुरडा, आंगचा, कोठिया, शाहपुरा, भीलवाड़ा	,, ,, ,,
19-6-82	10 प्रात:	11 रात्रि	भीलवाड़ा से शाहपुरा, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	,, ,, ,,
20-6-82	9 प्रात:	8 रात्रि	भीलवाड़ा से बनेड़ा, सांगवा, गन्दली, भीलवाड़ा	,, ,, ,,
21-6-82	9 प्रात;	11.30 रात्रि	भीलवाड़ा से महेन्द्रगढ़, मणास, गंगापुर, भीलवाड़ा	,, ,, ,,
22-6-82	11 प्रात:	2 रात्रि	भीलवाड़ा से मण्डपिया, पोटला, गंगापुर, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण
23-6-82	10 प्रात:	3 दोपहर	भीलवाड़ा से सबलपुरा, मगरोप, भीलवाड़ा	,, ,,
25-6-82	2 दोहर	11 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डल, भीलवाड़ा	पंच सरपंच शिविर
26-6-82	7 प्रात:	3 रात्रि	भीलवाड़ा से गुलाबपुरा, भीलवाडा, माण्डलगढ़, सुवाना, सवाईपुर, बीगोद, माण्डलगढ़, काछोला, जहाजपुर, देवली, भीलवाड़ा	मुख्य मंत्री महोदय के प्रोगाम में।
27-6-82	8 प्रात:	6 सायं	भीलवाड़ा से सुवाणा, दान्थल, मगरोप, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण एवं जन-सम्पर्क समस्याओं की जानकारी हेतु
28-6-82	11 प्रात:	4 सायं	भीलवाड़ा से बनेड़ा भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण एवं अन्य राज्य कार्य

1	2		3	4	5
29-6-82	10 प्रातः	8 रात्रि	भीलवाड़ा से गुरला का रोड, सुवाणा, भीलवाड़ा		अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण एवं अन्य
30-6-82	2 दोपहर	10 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटड़ी, रोपा, पारोली, नन्दराय, बीगोद, भीलवाड़ा		राज्य कार्य
1-7-82	3 दोपहर	11.30 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डल, करेड़ा, ज्ञानगढ़, बैमाली, माण्डल, भीलवाड़ा		,, ,, ,,
2-7-82	10 प्रातः	11 रात्रि	भीलवाड़ा सिटी		जिला परिषद् बैठक एवं अन्य राज्य कार्य
3-7-82	10 प्रात	11 रात्रि	भीलवाड़ा से बिजोलिया, सलावटियां, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा		अकाल राहत कार्यों का अवलोकन एवं अन्य राज्य कार्य।
4-7-82	11 प्रातः	11.30 रात्रि	भीलवाड़ा से सुवाणा, रूपाहेली, सीदड़यास, सुरतसागर, कोटड़ी, भीलवाड़ा		,, ,, ,,
5-7-82	6 सायं	11 रात्रि	भीलवाड़ा से मण्डपिया, हमीरगढ़, तखतपुरा, भीलवाड़ा वाया खेराबाद		,, ,, ,, एवं हमीरगढ़ रोड कार्य का अवलोकन
6-7-82	6 प्रातः	3 दोपहर	भीलवाड़ा से कोटड़ी, रोमा, जहाजपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा		सरपंचों की मीटिंग एवं राज्य कार्य।
6-7-82	8 रात्रि	11 रात्रि	भीलवाड़ा से उदयपुर,		प्रधान प्रमुख सम्मेलन में भाग लेने
7-7-82			उदयपुर सर्किट हाउस		
10-7-82			ट्रेनिंग सेन्टर, प्रतिदिन		,, ,, ,,
11-7-82	9 प्रातः	1 दोपहर	उदयपुर से भीलवाड़ा		मुख्यालय वापसी

हस्ताक्षर
सचिव
जिला परिषद भीलवाड़ा

श्री प्रमुख जिला परिषद् भीलवाड़ा द्वारा निम्न प्रकार कार (जिला परिषद्) से यात्राएं की गई:—

परिशिष्ट 2

दिनांक 1	समय जाने का 2	समय आने का 3	यात्रा जहां की गई 4	यात्रा का प्रयोजन 5
16-7-82	2 दो.	8.30 रात्रि	जयपुर से भीलवाड़ा वाया अजमेर	कार अलोट होने से जयपुर से भीलवाड़ा की यात्रा।
17-7-82	7.30 प्रात:	2 दो.	भीलवाड़ा से अजमेर जयपुर	जयपुर श्री निदेशक साहब वि. एवं पं. विभाग जयपुर से पंचायती राज के क्रम में वार्ता करने।
18-7-82	11 प्रात:	6 सायं	जयपुर से भीलवाड़ा वाया अजमेर	आदरणीय सी. एम. सा. सम्बन्धित मन्त्री महोदय से वार्ता के बाद वापसी यात्रा।
19-7-82	11 ,,	4 ,,	भीलवाड़ा से समेलिया, सबलपुरा सुवाणा, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्यों का निरीक्षण।
20-7-82	10.30 प्रात:	9 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़, लाड़पुरा, माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा एवं अन्य विकास कार्यों पर चर्चा।
21-7-82	1 दो.	6 सायं	भीलवाड़ा से आरज्या, माण्डल, भीलवाड़ा	कृषि फार्म का अवलोकन एवं अन्य राज्य कार्य।
23-7-82	8 प्रात:	9 रात्रि	भीलवाड़ा से सर्किट हाउस, सबलपुरा, समेलिया, भीलवाड़ा	वनमन्त्री महोदय के साथ एवं राहत कार्यों का अवलोकन एवं अन्य पंचायतों का विजिट।
24-7-82	11 प्रात:	4 सायं	भीलवाड़ा से हरनी महादेव, सर्किट हाउस भीलवाड़ा सिटी	वन मन्त्री महोदय के साथ।
25-7-82	11.30 प्रात:	9.30 रात्रि	भीलवाड़ा से सुवाणा अगरपुरा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सांगरिया, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा।	अकाल राहत कार्यों का जायजा, पंचायत का अवलोकन, पंचायतों में कार्य जिले में एक रूपता से हों इस सम्बन्ध में चर्चा।
28-7-82	9 प्रात:	10 रात्रि	भीलवाड़ा से कोद कोटा माण्डलगढ़ भीलवाड़ा	अध्यापकों के सेमीनार में संगोष्ठी आधुनिक शिक्षा पर तथा वर्तमान में अध्यापकों

Page No 430

421

1	2	3	4	5
				की स्थिति पर विचार तथा अन्य विकास कार्य ।
29-7-82	11 प्रातः	5 सायं	भीलवाड़ा से पर, गोपालगढ़, भीलवाड़ा	अकाल राहत कार्य का तथा विकास कार्यों को पूर्ण कराने पर विचार विमर्श ।
30-7-82	10.30 प्रातः	9.50 रात्रि	भीलवाड़ा से हमीरगढ़, भीलवाड़ा वाया तकतपुरा	ग्राम हमीरगढ़ में रोड निर्माण के सम्बन्ध में मौका देखने तथा अन्य विकास कार्य ।
31-7-82	7.30 प्रातः	9.30 प्रातः	भीलवाड़ा से हरनेई, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर वापस भीलवाड़ा	डी. आ. डी. ए. के सेमीनार में भाग लेने तथा गरीबी की रेखा से नीचे के काश्तकारों को आवश्यकता के अनुरूप ऋण सम्बन्धी जानकारी हेतु ।
1-8-82	11 प्रातः	9 रात्रि	भीलवाड़ा से मण्डलगढ़ लाड़पुरा मैनाल, भीलवाड़ा	विकास कार्यों का अवलोकन एवं अकाल राहत कार्यों का जायजा लेने ।
2-8-82	10 प्रातः	4 सायं	भीलवाड़ा से सर्किट हाउस कलेक्टरी, आरज्या फार्म भीलवाड़ा	वन मन्त्री जी के साथ ।
3-8-82	2 दो.	9 सायं	भीलवाड़ा से आटूण, भीलवाड़ा	राजकार्य हेतु अकाल राहत कार्यों का अवलोकन एव सुधार हेतु विचार विमर्श ।
4-8-82	1 दो.	8 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डल धुवाला भीलवाड़ा	समग्र ग्राम धुवाला में विकास कार्यों का अवलोकन एवं डी. आर. डी. ए. की स्कीम की जानकारी ।
7-8-82	11.30 प्रातः	8 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटड़ी भीलवाड़ा	पंचायत के प्लाटों का मौका देखने एवं महाविद्यालय के छात्र सम्मेलन में ।
8-8-82	12 दो.	6 सायं	भीलवाड़ा से माण्डल, भीलवाड़ा सिटी	राज कार्य से पंचायत समिति मुख्यालय पर विकास अधिकारी एवं प्रधान जी से चर्चा कर जानकारी हेतु ।
9-8-82	10.30 प्रातः	9 रात्रि	भीलवाड़ा से सिंगोली, सवाईपुर भीलवाड़ा	सिंगोली में वाकपीठ की मीटिंग सवाईपुर में बैंक आफ बड़ोदा द्वारा ऋण वितरण ।

1	2	3	4	5
10-8-82	2 दो.	8 रात्रि	भीलवाड़ा से गवारडी, हमीरगढ़ वापस भीलवाड़ा	राज्यकार्य से फैमिन रिलीफ कार्यों का अवलोकन एवं अन्य विकास कार्यों की जानकारी हेतु ।
11-8-82	10 प्रात:	4 सायं	भीलवाड़ा से सिटी, अजमेर, जयपुर सिटी	सर्विस कार की कराने हेतु ।
12-8-82	7 प्रात:	12 दो.	जयपुर सिटी	माननीय मुख्य मन्त्री जी महोदय से सम्पर्क करने तथा अन्य विभागों से कार्य कराने के ।
13-8-82	3 दो.	9 रात्रि	जयपुर सिटी से गैराज, भीलवाड़ा वाया अजमेर	वापसी यात्रा ।
14-8-82	9 प्रात:	7 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद माण्डलगढ़, बीगोद माण्डलगढ़, भीलवाड़ा	आगनबाडी. सैन्टर समाज कल्याण ज्योति कलश, अन्य राज्य कार्य ।
15-8-82	7.30 प्रात:	1 दो.	भीलवाड़ा सिटी पुलिस लाइन कांग्रेस आफिस महिला आश्रम	15 अगस्त स्वतन्त्रता कार्यक्रमों में भाग लेने ।
16-8-82	10 प्रात:	8 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटडी भीलवाड़ा सिटी	पंचायत कोटडी की पेयजल समस्या तथा समस्याओं पर वि. अ. एवं प्रधान जी के साथ विचार विमर्श एवं सुझाव ।
17-8-82	1 दो.	6 सायं	भीलावाड़ा से पासल कोटड़ी, भीलवाड़ा	राहत कार्य एवं अन्य राज्य कार्यों का अवलोकन विकास कार्यों का जायजा ।
18-8-82	9 प्रात:	1 दो.	भीलवाड़ा से अजमेर सिटी	अधि. अभि. ट्रलिंग हैण्डपम्प तथा संचालक (सहायक) आयुर्वेद अजमेर से भीलवाड़ा जिले की समस्याओं के सम्बन्ध में वार्ता करने एवं व्यवस्था हेतु ।
19-8-82	2 दो	6 सायं	अजमेर से भीलवाड़ा	,, ,, ,,
21-8-82	8 प्रात:	2 दो.	भीलवाड़ा से बनेड़ा भीलवाड़ा	आदरणीय मुख्य मन्त्री जी साथ ।
24-8-82	11 प्रात.	10 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलगड़, मैनाल लाडपुरा, भीलवाड़ा	पं. स. के सदस्यों के क्षेत्र की समस्याओं पर विचार एवं अन्य विकास कार्यों का अवलोकन ।

1	2	3	4	5
25-8-82	9 प्रातः	3 दो.	भीलवाड़ा से मंगरोप, हरनी भीलवाड़ा सिटी	श्रीराम गोटेवाला मन्त्री महोदय के साथ ।
26-8-82	8 प्रातः	10 रात्रि	भीलवाड़ा से माण्डलमेजा, भीलवाड़ा, कोटडी समदडी बांध, भीलवाड़ा	तथा कोटडी क्षेत्र में समदड़ी बांध का मौका देखने व अन्य राज्य कार्य
27-8-83	9.30 प्रातः	6 सायं	भीलवाड़ा से माण्डलगढ़, बीगोद, भीलवाड़ा	प्रधानाध्यापकों की गोष्ठी सैमीनार में एवं अन्य राज्य कार्य ।
28-8-82	10.30 प्रातः	9 रात्रि	भीलवाड़ा से बीगोद, माण्डगढ़ भीलवाड़ा	छात्रा अध्यापिका सैमीनार एवं अभाव अभियोग की जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक ।
29-8-82	3 दो.	9 रात्रि	भीलवाड़ा से मेजा भीलवाड़ा सिटी	मेजातालाब के पानी के सम्बन्ध में विवाद के सम्बन्ध में विचार विमर्श एवं अन्य राज्य कार्य ।
20-8-82	11 प्रातः	7.30 रात्रि	भीलवाड़ा से कोटड़ी वापस भीलवाड़ा ।	विकास कार्यों का अवलोकन एवं अन्य कार्य ।
31-8-82	1 दो.	6 सायं	भीलवाड़ा से मेजा माण्डल, धुवाला, भीलवाड़ा	विकास एवं राहत कार्यों की स्थिति का अवलोकन एवं अन्य कार्य ।

ह०
सचिव
जिला परिषद् भीलवाड़ा

(424)

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 425 का विवरण

पशुपालन विद्यालय, उदयपुर में वर्ष 1980–81 में प्रशिक्षण हेतु चयन किये गये अभ्यार्थियों की सूची।

क्र.सं.	नाम चयनित प्रशिक्षणार्थी	पिता का नाम
1.	श्री थावर चन्द पारगी	श्री नान जी
2.	श्री लालजी राम डामोर	श्री दीता जी
3.	श्री किशन लाल मीणा	श्री नारायण लाल
4.	श्री रामलाल रोत	श्री हकरा जी
5.	श्री अमृत लाल मीणा	श्री मन्ना लाल
6.	श्री भंवर लाल कटारा	श्री नान जी
7.	श्री लाल जी मोजात	श्री धूला
8.	श्री कालूराम अहारी	श्री कूरा जी
9.	श्री लक्ष्मण राम डामोर	श्री नोला जी
10.	श्री धनपाल मगोरा	श्री गोतम जी
11.	श्री उदय लाल पारगी	श्री अम्बालाल
12.	श्री गटूलाल मीणा	श्री ताजु जी
13.	श्री लवजी पारगी	श्री रंगा जी
14.	श्री लक्ष्मण लाल कटारा	श्री अरजी
15.	श्री शंकर लाल डामोर	श्री नाना जी
16.	श्री जीवाराम कटारा	श्री पन्ना लाल
17.	श्री शंकर लाल कटारा	श्री कान जी
18.	श्री गंगाराम बरूडा	श्री भग जी
19.	श्री शंकर लाल भेगोरा	श्री दला जी
20.	श्री नाथ जी खेरावत	श्री मोग जी
21.	श्री रूप शंकर पारगी	श्री माण जी
22.	श्री हरिप्रसाद रोत	श्री धन जी
23.	श्री बाउवा लाल गमार	श्री भूरा
24.	श्री रामलाल रोत	श्री दला जी
25.	श्री कन्हैया लाल गरसिया	श्री रतना
26.	श्री धनराज गमेती	श्री मानाजी

Page No 434

(425)

क. सं.	नाम चयनित प्रशिक्षणार्थी	पिता का नाम
27.	श्री मालूराम डामोर	श्री हेमता जी
28.	श्री जीवाराम डामोर	श्री मगना जी
29.	श्री राजेन्द्रकुमार	श्री सुरेन्द्र कुमार
30.	श्री शंकर लाल कटारा	श्री नाथू जी
31.	श्री लच्छु राम डामोर	श्री हीरा जी
32.	श्री मन्ना लाल वहारी	श्री रूपा जी
33.	श्री पूंजी लाल	श्री नाथा जी
34.	श्री प्रभुलाल	श्री कारी लाल
35.	श्री रतन लाल मीणा	श्री रूपा जी
36.	कान्ती लाल लठा	श्री सव जी
37.	श्री हुवजी ताबियाद	श्री वीर जी
38.	श्री ख्याती लाल डामोर	श्री कालीया
39.	श्री धनराज मीणा	श्री ग्रमरा
40.	श्री मन्नालाल ग्रहारी	श्री पूना जी
41.	श्री शंकर लाल परमार	श्री डूंगर जी
42.	श्री जगदीश दायमा	श्री पूजाराम
43.	श्री मंगल चन्द	श्री उदयलाल
44.	श्री थावर चन्द	श्री दल्ला जी
45.	श्री ग्रमर लाल वोरडीया	श्री भान जी
46.	श्री सोमदत्त डामोर	श्री नाथा जी
47.	श्री मगन लाल मदात	श्री जय नारायण
48.	श्री जसवन्त सिह	श्री राम जी मीणा
49.	श्री लक्ष्मी चन्द मीणा	श्री हालीया जी
50.	श्री मोती राम यादव	श्री मगनी राम

420

पशु पालन विद्यालय, उदयपुर में पशुधन सहायक, प्रशिक्षण 1981-82 के लिये चयनित अभ्यर्थियों की सूची—

क. सं.	नाम व पिता का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	विषय
1.	श्री भरतलाल पुत्र पूंजीलाल मीणा	2-3-55	हा. सैकण्डरी	जीव विज्ञान
2.	श्री फूलजी/नाथूजी चीपेटा	5-8-61	,,	,,
3.	श्री मेघराज/अम्बालाल मीणा	16-7-62	,,	,,
4.	श्री जीवतराम/भेरू जी मीणा	1-1-61	सैकण्डरी	,,
5.	श्री दशरथकुमार/तेजपाली अहारी	5-8-59	,,	,,
6.	श्री लक्ष्मणलाल/रतनाजी भील	15-8-55	हा. सै.	,,
7.	श्री केशवलाल/नागजी मीणा	7-12-60	,,	,,
8.	श्री दुलेश्वर/बालाजी मीणा	5-5-63	सैकण्डरी	,,
9.	श्री नानालाल/नानजी मीणा	5-5-60	,,	,,
10.	श्री कन्हैयालाल/बाबजी अहारी	1-7-61	हा. सै.	,,
11.	श्री नारायणलाल/मंगलाजी गमेती	28-7-60	,,	कृषि
12.	श्री शांतिसागर/पुजीजी रोत	8-5-63	,,	गणित
13.	श्री बसंतीलाल/हीराजी मीणा	15-7-63	हा. सै.	,,
14.	श्री बापूलाल/भोमजी डोडियाल	15-2-59	सैकण्डरी	,,
15.	श्री मनजीराम/थावणा मीणा	5-6-57	,,	,,
16.	श्री पन्नालाल/धन्नाजी मीणा	30-10-64	हा. सै.	कला
17.	श्री जवाहरलाल/होमाजीमणात	5-3-61	,,	,,
18.	श्री लक्ष्मीलाल/गोतमाजी भील	11-3-59	सैकण्डरी	कला
19.	श्री कमलाशंकर/लक्ष्मणजी रोत	21-8-54	,,	,,
20.	श्री केशवलाल/रतनलालजी रोत	15-9-58	,,	,,
21.	श्री रामलाल/नानाजी गेणात	5-5-63	,,	,,
22.	श्री कारूलाल/जेताजी परमार	17-4-59	,,	,,
23.	श्री चम्पालाल/नवलाल डामोर	10-3-62	,,	,,
24.	श्री शांतिलाल/खेमाजी परमार	11-3-62	हा. सै.	,,
25.	श्री बालचन्द्र/मनजी	5-1-58	सैकण्डरी	,,
26.	श्री मणीलाल/सबजी मीणा	4-4-59	हा. सै.	,,
27.	श्री शंकरलाल/कमला मीणा	1-4-62	,,	,,

1	2	3	4	5
28.	श्री हीरालाल/चमनाजी मीणा	1-3-56	सैकण्डी	कला
29.	श्री रमणलाल/दितिया संरपोटा	18-3-63	हा. सै.	,,
30.	श्री अमृतलाल/मंगलाजी	14-10-58	,,	,,
31.	श्री लक्ष्मणलाल/सोभाराम गमेती	7-5-59	प्रथम वर्ष टीडीसी	,,
32.	श्री रामसिंह/जालमसिंह गरासिया	15-10-61	हा. सै.	,,
33.	श्री शंकरलाल/रूमसी रोत	5-1-61	,,	,,
34.	श्री जयनारायण मेनाजी मीणा	14-12-61	सैकण्डरी	,,
35.	श्री मांगीलाल/धन्नाजी मीणा	1-1-62	,,	जीव विज्ञान
36.	श्री वेलजी/मंगलाजी कटारा	15-6-65	,,	,,
37.	श्री थानूराम/पंजाबी डामोर	23-11-60	हा. सै.	,,
38.	श्री मीठालाल/पेमजी तावीयाड़	5-7-61	सैकण्डरी	गणित
39.	श्री नरेन्द्र कुमार/वागजी नीनोमा	6-8-63	हा. सै.	,,
40.	श्री लक्ष्मणलाल/कबरूजी डंडोर	14-11-63	,,	जीव विज्ञान
41.	श्री कैलाशचन्द्र पुत्र श्री मीमाजी मणात	25-10-58	हा. सै.	गणित
42.	श्री मारूतिलाल/अमरसिंह मील	28-5-62	सैकण्डरी	जीव विज्ञान
43.	श्री दीता/साउजी गरासिया	5-7-54	,,	,,
44.	श्री कबरूलाल/हवशीरामजी मीणा	25-8-60	हा. सै.	गणित
45.	श्री रमेश कुमार/धूलाजी मणात	10-11-64	सैकण्डरी	कला
46.	श्री रतनलाल/थानाजी परमार	3-4-55	,,	,,
47.	श्री चुन्नीलाल कानाजी अहारी	2-8-60	,,	,,
48.	श्री शंकरलाल/गोमाजी ननोमा	6-2-61	,,	गणित
49.	श्री गुलाबलाल/किशनाजी गरासिया	5-9-63	हा. सै.	कला
50.	श्री लक्ष्मण/अलसा जी रोत	21-9-56	सैकण्डरी	,,

(92)

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 433 जांच प्रतिवेदन

क

श्री सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा झुंझुनू की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन :—

1] प्रथम सहायक को प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में विद्यालय का चार्ज नहीं दिया जाना :–

विद्यालय का रिकार्ड अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में प्रथम सहायक को ही प्रधानाध्यापक का कार्य करने की अनुमती दी जाती रही है यह क्रम तत्कालीन प्रथम सहायक के सेवानिवृत्त होने के पूर्व तक लागू था । श्री बजरंग लाल धाभाई जब वरिष्ट बने तब वरिष्ठता के आधार पर इन्हें प्रधानाध्यापक की अनुपस्थिति में कार्यभार देना चाहिए था मगर वर्तमान प्रधानाध्यापक के कथन से यह बात स्पष्ट हुई है कि श्री धाभाई को यह अवसर इसलिए नहीं दिया गया कि यह अपने कार्य व्यवहार से प्रबन्धकारिणी समिति का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके इसकी पुष्टि में प्रबन्धकारिणी समिति के मंत्री ने इनके विरुद्ध आरोप लगाये हैं जो परिशिष्ट (क) में वर्णित हैं । श्री धाभाई निश्चित अवधि में आरोपों का उत्तर देने की कार्यवाही कर रहे हैं । ऐसा उन्होंने बतलाया है ।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के प्रधानाध्यापक की, संस्था की अनुपस्थिति अवधि में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुदान नियम 1963 शांत हैं । इस बिन्दु का निर्णय संस्था की निर्धारित नीति पर संस्था की स्वस्थ परम्पराओं पर आधारित है । आरोपों के अवलोकन से यह तो आभास होता है कि यह आरोप गंभीर नहीं हैं जिनकी वजह से असाधारण दण्ड दिया जा सके । आरोपों का उत्तर सम्बन्धित अध्यापक से प्राप्त होने पर ही वस्तु स्थिति का विश्लेषण हो सकेगा ।

2] निलम्बन कार्यवाही की वैधता :–

श्री बजरंग धाभाई वरिष्ठ अध्यापक को कार्यालय के पत्रांक 402/73-74 दिनांक 29-11-1973, जिस पर श्री एम. एल. गंगावत के हस्ताक्षर हैं तथा जिसके नीचे प्रधानाध्यापक के पद की मोहर है, निलम्बित किया गया है । निलम्बन आदेश में निम्नलिखित आरोप दर्शाये गये हैं :–

1. Delilazate naglect of duty

2. In subordination or disobedience of the order of head of the institution letter No. 385/73-74 dated 26-1-73 & 390/73-74

(क) अनुदान नियम के अपेंडिक्स 111-7 (III) के अन्तर्गत निलम्बित करने का अधिकार प्रबन्धकारिणी समिति को ही है जबकि उक्त मामले में निलम्बित प्र. अ. द्वारा किया गया है।

(ख) निलम्बित करने के पूर्व सम्बन्धित वरिष्ठ अध्यापक को नियम 4 के अपेंडिक्स 111-7 (III) के अन्तर्गत आरोपों का विवरण पत्र संस्था एवं समय अंकित करते हुए दिया जाना था जिसका लिखित जवाब कम से कम दस दिवस की अवधि में मांगे जाने का प्रावधान होता।

जवाब प्राप्त होने की दिनांक से अगर कार्यकारिणी की बैठक में विलम्ब हो रहा हो तो ऐसे समय ही अध्यापक को निलम्बित किया जा सकता था किन्तु श्री धाभाई को दिनांक 29-11-73 को निलम्बित कर दिया गया था तथा चार्ज-शीट दिनांक 10-12-1973 को दी गई जबकि उपरोक्त नियमानुसार आरोपों का उत्तर प्राप्त होने पर ही निलम्बित किया जाना चाहिए था- इस प्रकार उक्त कार्यवाही नियमों के प्रतिकूल रही।

(ग) विभागीय स्थायी आदेश 51-72 के अन्तर्गत दिनांक 2-12-1973 की स्थानीय प्रबन्ध कारिणी की बैठक की कार्यवाही, जिसमें श्री धाभाई के निलम्बन की कार्यवाही का समर्थन हुआ है, अनियमित है- क्योंकि उक्त बैठक में विभागीय प्रतिनिधि (विद्यालय निरीक्षण) उपस्थित नहीं थे।

(घ) स्थानीय प्रबन्धकारिणी समिति का गठन अनुदान नियमों के अन्तर्गत नहीं किया गया है न हीं विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त कारणों से की गई निलम्बन कार्यवाही अवैधानिक है।

(3) अनियमित नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां–

परिशिष्ट-29 के विवरण के अनुसार सत्र 72-73 एवं 73 से 30-12-1973 तक नियुक्ति एवं पदोन्नतियां किया जाना बतलाया है।

उक्त नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में विभाग के स्थाई आदेश 4/72, 6/72 4/73 में अंकित निर्देश की अवहेलना की गई है। किसी भी नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है न ही नियोजन कार्यालय से सम्पर्क किया गया। समाचार पत्रों में विज्ञापन भी नहीं कराये गये हैं। स्थाई आदेश 4/73 के अन्तर्गत संस्था को अपनी मांग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भेजी जानी चाहिए थी किन्तु विद्यालय द्वारा आदेशों की पालना नहीं की गई। स्थानीय प्रबन्ध कारिणी समिति ने अपने ही स्तर पर नियुक्तियां एवं पदोन्नति की हैं विभाग को अनुमोदन हेतु पत्र को भेजा जाना बतलाया गया है किन्तु उन पत्रों की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करवाई गईं।

उपरोक्त कारणों से समस्त नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां विभागीय स्थाई आदेशों के प्रतिकूल हैं ।

4] प्रबन्धकारिणी समिति पर समीक्षा:-

1. (क) राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के नियम 3 (5) के अपेंडिक्स 1 में निर्देशों के अन्तर्गत प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जाना नहीं पाया जाता ।

(ख) श्री सनातन धर्म पंचायत कलकत्ता प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यह विद्यालय संचालित है । सलंग्न परिशिष्ट (ग) में कलकत्ता प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम एवं जाति दर्शायी गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि समिति में एक ही जाति के दो तिहाई से ज्यादा सदस्य हैं तथा अपेंडिक्स-1 में अंकित निर्देशों की पालना नहीं होती । समिति का वैधानिक रूप से कब चुनाव हुआ उपलब्ध रिकार्ड से कोई जानकारी नहीं मिलती । पूछने पर बतलाया गया कि चुनाव की कार्यवाही कलकत्ता ही हो जाती है । मंडावा में तो सूचना आ जाती है। समिति के चुनाव कब हुए कौन कौन सदस्य निर्वाचित हुए उक्त सूचना कलकत्ता से कब प्राप्त हुई । आदि आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये न ही विभागीय अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

2. स्थानीय प्रबन्धकारिणी का गठन :—

कलकत्ता में स्थित प्रबन्धकारिणी की ओर से संस्था के संचालन हेतु मण्डावा के निवासियों में से एक स्थानीय प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया गया है ।

राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के नियम 3 (5) के अपेंडिक्स में प्रबन्धकारिणी समिति के गठन का ब्यौरा विस्तृत में दिया गया है । उक्त नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जावे । जब इस क्रम में जानकारी चाही गई तो बतलाया गया कि संस्था के मेमोरेन्डम भी आफ एसोसियेसन एण्ड रूल्स रेगुलेशन के अन्तर्गत किया गया है किन्तु उक्त मेमोरेन्डम भी उपलब्ध नहीं करवाया गया है ।

स्थानीय प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट (घ) में अंकित है जिसके अवलोकन से ज्ञातव्य है कि इस समिति का चुनाव कलकत्ता कमेटी द्वारा हुआ बतलाया गया है । किन किन सदस्यों का चुनाव हुआ कौन कौन पदाधिकारी नियुक्त हुए, लिखित में कोई सूचना विद्यालय में उपलब्ध नहीं है । विभाग को सूचना देना तो बतलाया गया है किन्तु उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई गई । विभाग में कोई अनुमोदन प्राप्त होना नहीं पाया जाता है । अपेंडिक्स 1 के उक्त नियम 4,5 व 6 के अन्तर्गत अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि विभाग के प्रतिनिधि एवं छात्रों के अभिभावक के चयन की पुष्टि उपलब्ध रिकार्ड से नहीं करवाई गई ।

(431)

उपरोक्त कारणों से स्थानीय प्रबन्धकारिणी का गठन अनुदान नियमों के अन्तर्गत किया जाना नहीं पाया जाता है ।

(5) स्थानीय प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों में विभागीय प्रतिनिधि का उपस्थित न होना

अनुदान नियम एवं विभागीय स्थाई आदेशों के अन्तर्गत समस्त आवश्यक बैठकों में विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है । संलग्न परिशिष्ट-8 के अवलोकन से ज्ञातव्य है कि विद्यालय निरीक्षक झुंझुनू किसी भी आवश्यक बैठकों में (जुलाई 73 से 22-12-73 तक) उपस्थित नहीं हुए हैं । कारण जानने हेतु सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि निम्न दिनांक की बैठकों में विद्यालय निरीक्षक, झुंझुनू को सूचना ही नहीं भेजी गई –
10/7/73 16/8/73 16/11/73

शेष बैठकों में जो सूचना भेजी गई बतलाई है उनमें बैठकों की दिनांक में 2 या 3 दिन का अन्तर तो होता है अतः यह आवश्यक नहीं कि सूचना विद्यालय निरीक्षक को समय पर प्राप्त हो जाये । द्वितीय विद्यालय निरीक्षक एवं जिला स्तरीय टूरिंग आफिसर है जिला स्तर पर बहुत आवश्यक कार्य करने होते हैं, समय के अभाव में बैठकों की दिनांकों का निश्चय विद्यालय निरीक्षक से सम्पर्क कर ही किया जाना उचित था ताकि आवश्यक बैठकों में विद्यालय निरीक्षक उपस्थित हो सकें किन्तु विद्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि समिति ने विद्यालय निरीक्षक की उपस्थित को आवश्यक नहीं समझा, सिर्फ निर्देशों की पूर्ति हेतु सूचना भेजना ही पर्याप्त समझा ।

दिनांक 2-12-73 की बैठक में श्री बजरंगलाल धामाईजी, जो कि 29-11-73 को निलम्बित किये गये थे, की कार्यवाही का अनुमोदन करवाया जाना था किन्तु उक्त बैठक में भी विद्यालय निरीक्षक की उपस्थिति उपरोक्त कारणों से होना नहीं पाया जाता है ।

(6) श्री बजरंगलाल धामाईजी के कार्यकाल का लेखा जोखा –

सम्बन्धित अध्यापक की व्यक्तिगत पंजिका एवं सेवा पुस्तिका के अवलोकन पर पूर्ण विवरण परिशिष्ट घ में दर्शाया गया है ।

अध्यापक दिनांक 18-11-1957 से इस विद्यालय में कार्यरत है तथा दिनांक 1-7-61 से द्वितीय वेतन शृंखला 80-160 में स्थाई किये हुए हैं – सत्र 1969 से 3973 – 5वर्ष का छात्रों का परीक्षाफल देखने से प्रतीत होता है कि अध्यापक के परीक्षाफल संतोषजनक से काफी ऊंचे रहे हैं ।

सन् 1973 के परीक्षाफलों में कक्षा 11 के व्यापारिक भूगोल का परीक्षा परिणाम 37.05% रहा जो आवश्यक संतोषजनक से काफी कम रहा । सन् 1973 का परीक्षाफल कम होने का कारण सम्बन्धित अध्यापक से मांगा जाता तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती । स्पष्टीकरण रिकार्ड में उपलब्ध नहींथा ।

(432)

(7) संस्था में वर्तमान गतिरोध का कारण :–

बर्तमान स्थिति में शाला का वातावरण तनावपूर्ण होता जा रहा है कुछ छात्र कक्षाओं में नहीं जा रहे हैं, कुछ अध्यापक कक्षाएं नहीं ले रहे हैं, जिनके मन में असुरक्षा की भावना उनके कथानुसार बलवती होती जा रही है। वे कभी भी दोषों से आरोपित किये जा सकते हैं।

(2) स्थानीय प्रबन्ध समिति, संस्था प्रधान के बारे में भी गांव के लोगों में अलग अलग विचारधारा पनप रही है—श्री बजरंगलाल धाभाई के बढ़ते हुये वर्चस्व को प्रबन्धकारिणी समिति चयन नहीं कर रही है। श्री धाभाई को जो आरोप दिये गये हैं वे भी संस्था के तनावपूर्ण वातावरण का बहुत बड़ा कारण बन गया है। इन सब बातों को दृष्टिगत करते हुए यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि संस्था के प्रधानाध्यापक की यह मान्यता है कि श्री बजरंगलाल धाभाई शाला के हित चिन्तन में अधिक समय न देकर गांव की अन्य प्रवृत्तियों में शक्ति व्यय करते हैं। दूसरी ओर श्री धाभाई का कथन यह है कि संस्था के प्रधान उनके हितों का ध्यान नहीं रखते।

ह०
(भंवरलाल कुरावत)
संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
मुख्यालय राज० बीकानेर

आरोप पत्र (चार्ज शीट) दिनांक 10-12-1973

(1) जान बूझकर कर्त्तव्यों की अवहेलना

आप अपने स्कूल के कर्त्तव्यों की जान बूझकर अवहेलना करते हैं जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट है :—

(क) दिनांक 26-11-1973 को आपने प्रधानाध्यापक को आपको दिये गये नोटिस संख्या 385/73-74 दिनांक 26-11-1973 के लिये चुनौती दी और तीसरे कालांश के पश्चात् कक्षायें नहीं लीं तथा शेष स्कूल समय में एन. सी. सी. के कमरे के सामने बैठे रहे।

(ख) दिनांक 5-11-1973 से 9-11-1973 तक अरेंजमेंट में लगाई गई कक्षायें नहीं लीं। इस अवधि में आप नियमित कक्षाओं में देरी से पहुँचे और मनमाने ढंग से उन्हें समय से ही पूर्व ही छोड़ दिया।

(ग) आपने पिछले सत्र 1972-73 में (1) दिनांक 21-3-1973, (2) दिनांक 14-4-1973 को अरेंजमेंट कक्षायें नहीं लीं (3) आपने मना कर दिया कि अरेंजमेंट पीरियड लेने में आप कानूनन बाध्य नहीं हैं। यह जान बूझकर कर्त्तव्यों की अवहेलना है और ग्रान्ट एण्ड नियम, 1963 के अपेंडिक्स III के एग्रीमेंट फार्म की धारा 4 के विरुद्ध है।

(घ) हर वर्ष मार्च मास में जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं और यहां परीक्षा केन्द्र पर कार्य अधिक रहता है तब भी आप स्कूल के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए छुट्टी ले लेते हैं। मार्च, 1972 में आप दिनांक 24 से 30 तक और मार्च, 1973 में दिनांक 27 से 30 तक आप छुटी पर रहे हैं।

(ङ) सत्र 1972-73 में कक्षा 11 का द्वितीय जांच के बहीखाता प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका बिना जांचे ही कार्यालय में दे दी तथा मनमाने ढंग से अंक-तालिका बना दी।

(च) दिनांक 21-10 को आपको अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11 तथा कक्षा 9 के बहीखाता के प्रश्न पत्र बनाने के लिए दिये गये थे किन्तु आपने उन्हें बनाने से इन्कार कर दिया।

(छ) आप पढ़ाई का कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। 20 वर्ष से भी आर्थिक एवं व्यापारिक भूगोल का परीक्षाफल इतना कमजोर नहीं आया है जितना 1973 की परीक्षा में। यह बात का स्पष्ट प्रमाण है।

(ज) सत्र 1972-73 में कक्षा पुस्तकालय की एक योजना चालू की गई थी उसके अन्तर्गत आपने कक्षा 9 बी ए में, जिसके आप कक्षा अध्यापक थे, यह योजना जान बूझकर लागू नहीं की, उल्टा उसका विरोध करके बाधा डालने का प्रयास किया।

(झ) आप एन. सी. सी. आफिसर के रूप में इस प्रवृत्ति (एक्टिवीटी) को समुचित रूप से नहीं सम्भालते हैं। परेड के समय उपस्थित न रहना या बिना गणवेश (यूनिफार्म) के रहना, उपस्थिति रजिस्टर को नियमित रूप से नहीं भरना आदि अनियमितताओं के लिये आपको समय समय पर दिनांक 15-12-1971 पत्रांक 229|73-74 दिनांक 27-9-1973 के द्वारा सूचित किया जाता रहा है किन्तु कोई सुधार नहीं हुआ है।

(2) प्रधानाध्यापक के आदेशों का उल्लंघन तथा अवज्ञा :–

(अ) अनेक बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद आप अवकाश के नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं। आपके प्रार्थना पत्र पर, जिनमें से कतिपय के दिनांक नीचे उल्लिखित हैं, इस आरोप के प्रमाण हैं। दिनांक 28-1-1973, 25-9-1973, 4-9-1972, 25-9-1970, दिनांक 27-9-1968।

(ब) दिनांक 25-11-1973 को बिना अनुमति लिये स्कूल प्रिमिसेज छोड़कर चले गये।

(स) दिनांक 24-11-1973 के प्रधानाध्यापक के आदेश पर हस्ताक्षर

करने से इन्कार कर दिया तथा उन्हें मानने से इन्कार किया। दिनांक 29-1-73 को बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही छुट्टी पर चले गये।

(द) दिनांक 5-11-1973 से 9-11-1973 तक कार्यवाहक प्रधानाध्यापक श्री विष्णुदत्त शर्मा के आदेशों की अवज्ञा की। उनके द्वारा प्रसारित सूचनाओं पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया तथा उन्हें छात्रों को नहीं सुनाया।

(इ) इसी अवधि, दिनांक 5-11-1973 से 9-11-1973 तक, में आपको कार्यालय से कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों ने जो पत्र दिये उन्हें लेने से भी आपने इन्कार किया।

(झ) दिनांक 20-11-1973 को आपने प्रधानाध्यापक के आदेशों को नहीं माना। कक्षायें छोड़कर एन सी सी रूम के सामने अपने अनुयायी अध्यापक श्री सोहनपाल शर्मा, श्री जीवराज सिंह, श्री भोला सिंह व श्री कुम्भाराम को साथ लेकर बठे रहे। सूचना पंजिका (नोटिस बुक) पर, जिसमें आपके लिये एक आदेश था, आपने हस्ताक्षर नहीं किये तथा अनधिकृत रूप से उस पंजिका को 2, 3 घण्टे तक अपने कब्जे में रखा और सूचना पुस्तिका को फिर भी बिना हस्ताक्षर किये लौटा दिया।

(ज) आप द्वारा प्रधानाध्यापक के नाम प्रेषित पत्रों की भाषा अधिकारियों के प्रति अवज्ञा और तिरस्कार का प्रमाण है। प्रायः सभी पत्र अनर्गल, असम्बद्ध और नामक तथ्यों से तथा अशिष्ट शब्दावली से भरे होते है। कुछेक के दिनांक नीचे उल्लिखित हैं। दिनांक 28-11-1973, 16-11-1973, 10-5-1973, 3-5-1973, 14-4-1973, 18-10-1972, 16-7-1971, 9-2-1972, 21-10-1969

(त) जनवरी, 1964 में स्कूल में हुई हड़ताल व अनुशासनहीनता में भी आपका हाथ था।

(थ) स्कूल व्यवस्था में अनुशासन बिगाड़ने के लिये आप अन्य अध्यापकों को भड़काते रहते हैं। आप स्वय तो अनुशासनहीनता करते ही हैं सर्व श्री सोहन-पाल शर्मा, श्री जीवराजसिंह, श्री कुम्भाराम व भोलासिंह को भी अपने साथ कर लेते हैं। आप और इन सबके संयुक्त हस्ताक्षरों वाले पत्र इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। वे पत्र दिनांक 22-9-1973, 3-5-1973, 25-10-1972 के हैं। दिनांक 25-11-1973 से 9-11-1973 तक की अव्यवस्था में तथा 26-11-1973 को की गई अनुशासनहीनता में भी उन्हें अपने साथ मिलाये रखा।

(3) मिथ्या आचरण :–

(435)

(क) स्कूल में लेट आकर भी आप नियमित स्कूल का समय नोट करते हैं।

(1) दिनांक 27-11-1972 को प्रार्थना समाप्ति के पश्चात् आकर भी 10-30 समय अंकित किया। (2) दिनांक 20-11-1973 को एक बार तो लेट समय 10-33 अंकित किया किन्तु दो दिन पश्चात् उनमें आपने सुधार कर 10-30 कर दिया (3) दिनांक 27-10-1972 को आप 12 बजे स्कूल पहुंचे किन्तु समय 10-30 ही अंकित किया। (4) दिनांक 17-4-1972 को आप स्कूल देरी से आये किन्तु समय 7-30 का अंकित किया जो गलत था और आप भी जानते थे कि यह गलत था।

(ख) झूठे कारण प्रायः बीमारी बताकर आप छुट्टी ले लेते हैं (1) दिनांक 8-9-1970 तथा (2) दिनांक 22-3-1971 के प्रार्थना पत्र इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

(ग) अक्टूबर, 1970 में स्थानीय नगरपालिका के चुनावों में आपने पूरा भाग लिया।

दिनांक 4-11-1970, 12-11-1970, 18-11-1970, 20-11-1970

इन तिथियों में नगरपालिका से नामीनेशन फार्म, इनकी जांच को-ऑप्शन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव एवं इनसे सम्बन्धित कार्य, आपने उक्त दिनों में छुट्टी लेकर इन चुनाव कार्यों में भाग लिया।

(घ) इस चुनाव अभियान के संचालन और प्रचार कार्य के लिये उस वर्ष एन सी सी कैम्प से भी बीमारी के बहाने आपने मुक्ति ले ली।

(ङ) हर वर्ष मार्च के महीने में स्कूल के कार्यों की परवाह न करके नगरपालिका के कार्यों के लिये, आप छुट्टी ले लेते हैं। मार्च, 1972 में दिनांक 24 से 30 तक तथा मार्च, 1973 में दिनांक 27 से 30 तक आप छुट्टी पर रहे हैं। आपके इस प्रकार इस तरह कार्यों में व्यस्त रहने से स्कूल कार्यों में बहुत हानि पहुंचती है।

उपरोक्त आरोपों को देखते हुये आपका स्कूल में अध्यापक पद पर कार्य करते रहना संस्था के हित में नहीं है क्योंकि आप संस्था के प्रधानाध्यापक की आज्ञाओं का जान-बूझकर उल्लंघन व अवहेलना करते आ रहे हैं और कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं करते हैं तथा उनकी जान-बूझकर अवहेलना करते हैं व आपका आचरण अत्यन्त मिथ्याचार पूर्ण है इसलिये आप कारण बतायें कि आपको क्यों नहीं संस्था की सेवा से मुक्त कर दिया जावे।

आप इन बिन्दुओं पर अपना जो भी लिखित स्पष्टीकरण अपने पक्ष समर्थन

430

में देना चाहें वह इस पत्र प्राप्ति के 30 दिन की अवधि में दे दें वरना आपके विरुद्ध प्रबन्ध समिति इकतरफा कार्यवाही करने को विवश होगी।

ह०/-
मन्त्री,
स्थानीय प्रबन्धकारी समिति
श्री सनातन धर्म पंचायत हायर
सैकण्डरी स्कूल मण्डावा।

प्रतिलिपि पत्र संख्या जिशिअ खझु/स्टेना/937 दिनांक 4-2-76 और से शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनु।

विषय :—श्री बजरंगलाल धाबाई को प्र.अ. श्री सनातन धर्म पंचायत उ.मा. वि. मण्डावा द्वारा गैर कानूनी तरीके से शाला से निकाले जाने के क्रम में।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक 3054 ।देव। शिक्षा। 75 दिनांक 25-11-75।

महोदय,

आपने अपने उपरोक्त पत्र द्वारा श्री बजरंगलाल धाबाई को प्र. अ. उ. मा. वि. मण्डावा द्वारा सर्विस से हटाये जाने के क्रम में पूर्ण रिपोर्ट चाही थी जो आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

सर्व प्रथम दिसंबर, 1973 में शाला वरिष्ठता का मामला चल रहा था फलस्वरूप संस्था के प्रधान ने श्री विष्णुदत शर्मा, जो पहले द्वितीय वेतन शृंखला में थे, को प्रथम वेतन शृंखला में पदोन्नत कर दिया और श्री बजरंगलाल धाबाई से उन्हें वरिष्ठ करके अपनी अनुपस्थित में शाला का चार्ज देकर उन्हें जाने लगे जबकि उससे वरिष्ठ श्री धाबाई थे। श्री धाबाई ने इस बात की शिकायत विभाग से की। निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से पत्र क्रमांक विनिझु। लेखा। अनु। 1292 दिनांक 28-8-73 और विनिझु। लेखा 3/अनु/3039 दिनांक 25-9-73 के द्वारा फैसला श्री धाबाई के पक्ष में दिया किन्तु प्र. अ. जी ने विभागीय आदेशों की अवहेलना की जिससे वातावरण में तनाव आया। उप सचिव शिक्षा विभाग जयपुर ने भी श्री धाबाई के पक्ष में निरीक्षक जी के आदेशों की पुष्टि का एक पत्र लिखा पत्रांक डी आर नं. एफ 29 (1) से जे/जी आर/बी/73 दिनांक 29-11-73) जिसमें संस्था का अनुदान रोकने की धमकी दी थी। इसी बीच श्री प्रधानाध्यापक जी ने श्री धाबाई को निलम्बित भी कर दिया। इस मामले की जांच की गई और दोनों तरफ की बातें सुनीं तथा रिकार्ड भी देखा। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री धाबाई की बात और मांग सही थी। उस समय यह बड़ा स्पष्ट था कि श्री प्र.अ. जी धाबाई से प्रिजुड्ज हैं। इसके पश्चात् श्री धाबाई को

आरोप पत्र दिया गया। श्री निदेशक जी बीकानेर ने अपने पत्र क्रमांक शिविरा/अनु/डी/17320/बी 2/91/72-73 दिनांक 30-3-74 द्वारा सूचित किया कि धाबाई का निलंबन गैर कानूनी है अतः इसे तुरन्त समाप्त किया जावे श्री प्रधानाध्यापक जी मण्डावा ने इस आदेश की भी अवहेलना की। श्री निदेशकजी बीकानेर के इस आदेश की पुष्टि श्री उप सचिव शिक्षा ने भी अपने पत्र क्रमांक डीओ नं. एफ 177/एजे/बी/74 दिनांक 19-11-74 के द्वारा पुष्टि की।

उ. मा. वि. मण्डावा की प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लिया गया जिसमें श्री धाबाई की सेवा निवृत्ति की कार्यवाही हुई थी। वहां की सारी कार्यवाही अनियमित और गैर कानूनी थी जिसका समय समय पर उक्त बैठकों में जिक्र भी किया गया और मिनट बुक्स में भी इस बात को लिखा गया। इन सबके बावजूद भी प्रधानाध्यापक श्री धाबाई को निकालने पर उतारू थे और अन्त में निकाल ही दिया। मण्डावा में यह बात खास तौर पर देखने को मिली कि प्रधानाध्यापक महोदय व कमेटी के अध्यक्ष महोदय अपने पक्ष के अलावा दूसरी किसी प्रकार की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। जब भी अनियमितताओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया तो वे नाराज होते थे।

इस संबंध में निम्न तथ्य भी आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं :—

1. कि चार्जशीट जो दी गई वह अनियमित थी और सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं दी गयी थी और वह उचित प्रोफार्मा में भी नहीं थी।

2. कि चार्जेज जो लगाये गये थे वे काफी पुराने थे और आधारहीन थे। उनमें से कुछ के सबूत प्र. अ. जी प्रस्तुत नहीं कर सके।

3. चार्ज शीट में यह कहीं पर भी व्यक्त नहीं किया गया कि श्री धाबाई आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें परन्तु बाद में विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जोर देने पर उसे थोड़े समय के लिये बुलाया गया।

4. श्री धाबाई ने मीटिंग में जो बातें अपने पक्ष में प्रस्तुत कीं उन्हें रिकार्ड भी नहीं किया गया।

5. श्री धाबाई द्वारा जो रिकार्ड मांगा गया वह नहीं दिया गया।

6. जांच के लिये जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया सिर्फ प्र. अ. की ही शिकायत पर ही सारी कार्यवाही कर दी गई थी।

7. सजा देने से पूर्व एक कारण बताओ नोटिस देना जरूरी होता है वह भी उसे नहीं दिया गया।

(438)

8. जिस मीटिंग में श्री धावाई को सेवा निवृत्त करने का निर्णय लिया गया था उसमें कोई विभागीय प्रतिनिधि नहीं था जिसका कि होना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तथा कमेटी की मीटिंगों की बातों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री धावाई को सेवानिवृत्त करने की सारी कार्यवाही प्रारंभ से ही अनियमित और गैर कानूनी थी। वे लोग कानून की परवाह व सम्मान किये बिना तथा विभागीय आदेशों को ताक में रखकर श्री धावाई को हटाने पर उतारू थे। उनकी यह मनोभावना चार्ज शीट में प्रस्तावित दण्ड का हवाला देने से स्पष्ट है। श्री धावाई के विरुद्ध कोई भी आरोप वे सिद्ध नहीं कर सके थे।

इसके पश्चात् भी इस कार्यालय के पत्र क्रमांक विनिभु /सा–1/10427 दिनांक 18-12-74 द्वारा श्री प्र. अ. को श्री निदेशक जी शिक्षा विभाग बीकानेर के पत्र क्रमांक अनु /ए2/17320/बी 2/119/72-73 दिनांक 11-12-74 के अनुसार यह आदेश दिये गये थे कि वे श्री धावाई को 15 दिन के भीतर भीतर सेवा में लेकर इस कार्यालय को सूचित करें किन्तु इसके उपरान्त भी प्र.अ. ने आदेशों की परवाह नहीं की।

इस संबंध में काफी पत्र व्यवहार हुए हैं और प्र. अ. को ही दोषी पाया गया है। अतः श्री बजरंगलाल धावाई वरिष्ठ अध्यापक श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. मण्डावा की सेवानिवृत्ति बिलकुल गैर कानूनी, आधारहीन और प्रिजुडिसियल है।

अतः जांच रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

439

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग

प. सं. एफ-7(171) शिक्षा-6/74 जयपुर, दिनांक 19 अप्रेल, 1977

प्रेषिति :—

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बिकानेर

विषय :—श्री बजरंग लाल धाभाई वरिष्ठ अध्यापक श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. मण्डावा जिला झुंझुनू की सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :—आपका पत्र स. ईडीबी/एड/ए/17320/बी-2/72-73 दिनांक 18-2-76

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार श्री बजरंग लाल धाभाई, वरिष्ठ अध्यापक श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. की सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में पूर्ण विचार करने के पश्चात् पुनः आदेश देती है :

1. कि व्यवस्थापिका श्री सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. मण्डावा की श्री बजरंगलाल धाभाई की सेवानिवृत्ति की आज्ञा 12-8-74 को निरस्त किया जाता है।
2. कि श्री धाभाई को दिनांक 29-11-73 (निलम्बन तिथि) से पूर्व पद पर पुनः सेवा में लिया जाता है।
3. कि संस्था श्री धाभाई को इस पत्र के प्राप्त करने के एक माह के अन्दर अन्दर उनको तुरन्त सेवा में लेकर एवं बकाया भुगतान करके राज्य सरकार को एवं निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को सूचित करे।
4. कि आदेश की अवहेलना श्री धाभाई को बकाया का भुगतान न करने पर अनुदान नियम, 1963 के अपेण्डिक्स-III के खण्ड-17 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,

स ही.

(जगन्नाथ सिंह मेहता)

शिक्षा आयुक्त

(449)

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

कार्यालय-आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा सनातन धर्म पंचायत उच्च माध्य. वि. मण्डावा (झुंझुनू) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका संख्या 160/77 में दिये गये निर्णय दिनांक 24-7-79 की पालना में इस प्रकरण की पुन: सुनवाई प्रारम्भ की गई। इससे पूर्व दिनांक 20-7-79, 8-11-79, 24-12-79 एवं 8-1-80 की तिथियां निर्धारित की गई थीं परन्तु निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के किसी न किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाने के कारण सामूहिक सुनवाई संभव नहीं हो सकी। पांचवीं पेशी दिनांक 4-2-80 के बजाय दिनांक 7-2-80 को निर्धारित की गयी थी। परन्तु दिनांक 5-2-80 को ही उपस्थिति हो जाने के कारण दिनांक 5-2-80 को दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुदान नियमों की निम्नांकित प्रकार से अवहेलना की गयी।

(अ) अनुदान नियम 4 (ई) में आवश्यक कारण बताओ नोटिस सेवा समाप्ति के पूर्व नहीं दिया गया।

(ब) अनुदान नियमों के परिशिष्ट III कि आइटम संख्या 10 के अन्तर्गत सेवा समाप्ति पर विचार के लिये आयोजित बैठक द्वारा पारित प्रस्तावों में पर्याप्त कारण दिये गये हैं जैसा कि प्रबन्ध समिति के सचिव के द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत बैठक की कार्यवाही विवरण पंजिका से स्पष्ट होता है।

(स) इसी परिशिष्ट III की आइटम 10 के अन्तर्गत श्री धाभाई को तीन महीने का नोटिस अथवा इस अवधि के समतुल्य वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया।

सचिव प्रबन्ध समिति का यह कथन तथ्यहीन सिद्ध होता है कि श्री धाभाई की अपील निदेशालय में अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुई थी। अभिलेखों से प्रमाणित है कि वह अपील निदेशालय में दिनांक 10-9-1974 को प्राप्त हो गयी थी। अत: सारे तथ्यों पर विचार का आदेश दिया जाता है कि

(1) सनातन धर्म पंचायत उ. मा. वि. मण्डावा की प्रबन्ध समिति द्वारा श्री बजरंग लाल धाभाई, वरिष्ठ अध्यापक की सेवा समाप्ति का आदेश दिनांक 12-8-74 का निरस्त किया जाता है।

(2) उक्त श्री धाभाई को निलम्बन तिथि से पूर्व पद पर दिनांक 29-11-73 में लिया जाता है।

(3) संस्था को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस आदेश की पालना करे एवं शिक्षक का बकाया भुगतान करे।

(4) इस आदेश की अवहेलना करने पर अनुदान नियम, 1963 के परिशिष्ट III के खण्ड (17) के अनुसार संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सही-
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

क्रमांक :—शिविरा/अनु/डी/17320/बी-2/385/72-73 राज. बीकानेर।

दिनांक 7-2-80।

(442)

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 119 की सूची

अतिक्रमणकर्ताओं की सूची ।

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी जुगल किशोर
2. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री सूरज मल
3. श्री कैलाश पुत्र श्री बद्रीनारायण
4. श्री बद्रीनारायण पुत्र बंशीधर
5. श्री सूरज मल पुत्र बंशीधर
6. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बद्रीनारायण
7. श्री रामेश्वर ।

(443)

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची

The list of the Acts of Rajasthan in with the rules making clause markes it obligatory to lay the rules on the table of House.

S. No.	Name of Act with year	Act No.
1.	The Rajasthan Habitual Offenders Act, 1953	9
2.	The Rajasthan Panchayat Act, 1953	21
3.	The Rajasthan Land Acquisition Act, 1953	24
4.	The Rajasthan Colonisation Act, 1954	27
5.	The Rajasthan Sales Tax Act, 1954	29
6.	The Rajasthan Cinemas (Regulation) Act, 1952	30
7.	The Rajasthan Tenancy Act, 1955	3
8.	The Rajasthan Entertainments and Advertisements Tax Act, 1957.	24
9.	The Rajasthan Prevention of Mrityu Bhoj Act, 1960	1
10.	The Rajasthan Land Revenue (Surcharge) Act, 1960	16
11.	The Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960	23
12.	The Rajasthan Gaushala Act, 1960	24
13.	The Rajasthan Government Electrical Undertakings (Due Recovery) Act, 1960.	34
14.	The Marwar Marriage Fund Administration Act, 1961	18
15.	The Rajasthan Monuments Archaeological Sites and Antiquities Act, 1961.	19
16.	The Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961	23
17.	The Rajasthan State Aid to Industries Act, 1961.	25
18.	The Rajasthan Kasar Bhom Adolition Act, 1961.	35
19.	The Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.	38
20.	The Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962.	12

(449)

S. No.	Name of Act With year	Act No.
21.	The Rajasthan Veterinary Practitioners Act, 1962.	1 of 1963
22.	The Rajasthan Home Guards Act, 1963.	9
23.	The Rajasthan Noises Control Act, 1963	12
24.	The Rajasthan State Cattle Fairs Act, 1963.	14
25.	The Ajmer Shamlat Committees Dissolution) Act, 1963	22
26.	The Rajasthan Money-Lenders Act, 1963.	1 of 1964
27.	The Jaipur Sud–Sadabarat Fund Administration Act, 1963	6 of 1964
28.	The Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse, Midwives Registration Act, 1963	9
29.	The Rajasthan Land Reforms anc Acquisition of Land Owners Act, 1963	11 of 1964
30.	The Rajasthan Land and Buildings Tax Act, 1964	18
31.	The Rajasthan Primary Education Act, 1964	31
32.	The Rajasthan Soil and Water Conservation Act, 1964.	1 of 1965
33.	Ths Rajasthan Public Premises (Eviction of Un-authorised Occupants) Act, 1964	2 of 1965
34.	The Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965.	13
35.	The Rajasthan Land (Restriction on Transfer) Act, 1976.	27
36.	The Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellate Tribunals) Act, 1976.	34
37.	The Rajasthan Water Supply and Sewerage Corporation Act, 1979.	15
38.	The Rajasthan Weights and Measures (Enforcement) Act, 1958.	32
39.	The Rajasthan Live-Stock Improvement Act, 1958	35
40.	The Rajasthan Animal Diseases Act, 1959	5
41.	The Nathdwara Temple Act, 1959	13
42.	The Rajasthan Passengers and Goods Taxation Act, 1959	18
43.	The Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1959	36

(445)

S. No.	Name of Act With year	Act No.
44.	The Rajasthan Requisitioning of Goods Vehicles Act. 1969	18
45.	The Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969	1 of 1970
46.	The Rajasthan Housing Board Act, 1970	4
47.	The Rajasthan Children Act, 1970	16
28.	The Rajasthan Gramdan Act, 1971	12
4?.	The Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973	9
50.	The Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973	11
51.	The Rajasthan Tendu Leaves (Regulation of Trade) Act, 1974	5
52.	The Rajasthan State Road Transport Services Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975.	11
53.	The Rajasthan Control of Goondas Act, 1975.	14
54.	The Rajasthan Land Development Corporation Act, 1975.	17

सूची नं. 2

List of Act of Rajasthan in which rules making clause do not have express provision to lay rules on the table of House

S. N.	Name of Act with year	Act No.
1.	The Rajasthan Indian Medicine Act, 1958	5
2.	The Rajasthan Minor Irrigation Works Act, 1953	12
3.	The Rajasthan Forest Act, 1959	13
4.	The Rajasthan Fisheries Act, 1953	16
5.	The Rajasthan Lands Summary Settlement Act, 1953	19
6.	The Rajasthan Agricultural Income Tax Act,1953.	23
7.	The Rajasthan Lands Special Irrigation Charges Act, 1953	25
8.	The Rajasthan Maternity Benefit Act, 1953	27
9.	The Rajasthan District Boards Act, 1954.	2
10.	The Rajasthan Bhoodan Yagan Act, 1954.	16
11.	The Rajasthan Religious Building and Places Act, 1954.	18
12.	The Rajasthan Irrigation and Drainage Act, 1954	21
13.	The Rajasthan Agricultural Lands Utilisation Act, 1954	22

(440)

S. No.	Name of Act with year	Act No.
	The Rajasthan Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1954	29
15.	The Rajasthan Local Fund Audit Act, 1954.	33
16.	The Rajasthan Premises (Requisition and Entertainments Ordinance, Act, 1949	11
17.	The Rajasthan Dramatic Performances and Entertainments Ordinance, Act, 1949.	29
18.	The Rajasthan Drugs (Control) Ordinance, 1940	11
19.	The Rajasthan Re-Settlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Ordinance, 1949.	33
20.	The Rajasthan Excise Act, 1950.	2
21.	The Rajasthan Opium Smoking Prohibitlon Act, 1950	7
22.	The Rajasthan Armed Constabulory Act, 1950.	12
23.	The Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) Act, 1950	
24.	The Rajasthan Rehabilitation Loans Act, 1951.	5
25.	The Motor Vehicles Taxation Act, 1951.	11
26.	The Rajasthan Wild Animals and Birds Protection Act,1951	12
27.	The Rajasthan Agricultural Pests and Diseases Act, 1951.	27
28.	The Rajasthan Court of Wards Act, 1951.	28
29.	The Rajasthan Requisitoning of Land (Improvement Of Agriculture) Act, 1951.	29
30.	The Rajasthan Public Demands Recovary Act, 1952	5
31.	The Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952.	6
32.	The Rajasthan Medical Act, 1952.	13
33.	The Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955.	15
34,	The Rajasthan Review and Validation of Rent Rates Act, 1955.	6
35.	The Rajasthan Jagir Decisions and Proceedings (Validation) Act, 1955.	18

1	2	3
36.	The Rajasthan Indentification of Prisoners Act, 1956	12
37.	The Rajasthan Land Revenue Act, 1956.	15
38.	The Rajasthan Public Park Act, 1956.	21
39.	The Rajasthan Escheats Regulative Act, 1956.	23
40.	The Rajasthan Regulation of Boation Act, 1956.	26
41.	The Rajasthnn Mining Settlement Act, 1956.	33
42.	The Rajasthan Contingency Fund Act, 1956.	40
43.	The Rajasthan Gazette (Raj-Patra) Act, 1956.	45
44.	The Rajasthan Agricultural Loans Act, 1956.	1
45.	The Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.	6
46.	The Rajasthan Jagirdars Debt Reduction Act, 1956.	9 or 1957
47.	The Rajasthan Vaccination Act, 1957.	17
48.	The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957.	28
49.	The Rajasthan Prisoners Act, 1960.	39
50.	The Rajasthan Scheduled Debtors (Liquidation of Indebtedness) Act, 1976.	33
51.	The Rajasthan Mica Act, 1958.	25
52.	The Rajasthan Pensions Act, 1958.	25
53.	The Rajasthan Cash Jagirs Abolition Act, 1958.	29
54.	The Rajasthan Shops and Commercial Establishment Act, 1958.	35
55.	The Rajasthan Registration of Birth, Deaths and Marriages Act, 1958.	34
56.	The Rajasthan Warehouses Act, 1958.	48
57.	The Rajasthan Suits Valuation Act, 1958.	3 or 1959
58.	The Rajasthan amindari and Biswedari Abolition Act, 1959	8
59.	The Rajasthan Disciplinary Proceedings (Summoning of Witnesses and Production or Documents) Act, 1959	25
60.	The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.	35
61.	The Rajasthan Municipalities Act, 1959.	38
62.	The Rajasthan Sub-Grants Resumption Validation Act, 1959	41
63.	The Rajasthan Public Trust Act, 1958.	42

1	2	3
64.	The Rajasthan Official Language (Supplementary Provision) Act, 1970.	19
65.	The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Special Conditions of Service) Act, 1974.	18
66.	The Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Act, 1974.	22
67.	The Rajasthan Private Electric Supply Undertaking Acquisition) Act, 1975.	24

सूची नं. 3

List of the Central Acts under which State Government has rules making power.

S. No. 1	Name of the Act with year 2	Act No. 3
1.	The Police Act, 1861	5
2.	The Press and Registration of Books Act, 1867	20
3.	The Indian Divorce Act, 1869.	4
4.	The Indian Christian Marriage Act, 1872	15
5.	The Indian Oaths Act, 1873	10
6.	The Opium Act, 1878.	1
7.	The Indian Treasure Trove Act, 1878.	6
8.	The Legal Practitioners Act, 1879.	18
9.	Transfer of Property Act, 1882.	4
10.	The Attorney Act, 1882.	7
11.	The Charitable Endowments Act, 1890.	6
12.	The Guardian and Wards Act, 1890.	8
13.	The Prisons Act, 1894	9
14.	The Code of Criminal Procedure, 1898.	
15.	The Indian Stamps Act, 1899.	2
16.	The Civil Procedure Code, 1908.	5
17.	The Indian Registration Act, 1908.	16
18.	The Indian Electricity Act, 1910.	9
19.	The Indian Lunacy Act, 1913.	4

(५५९)

1	2	3
20.	The Official Trustees Act, 1913.	2
21.	The Administrator General's Act, 1913.	3
22.	The Indian Poisons Act, 1919.	12
23.	The Provincial Insolvancy Act, 1920.	5
24.	The Cotton Transport Act, 1923.	3
25.	The Indian Boilers Act, 1923.	5
26.	The Workmen's Compensation Act, 1923.	8
27.	The Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925.	4
28.	The Cotton Ginning and Pressing Factories Act, 1925.	12
29.	The Indian Trade Unions Act, 1926.	16
30.	The Dangerous Drugs Act, 1930.	5
31.	The Indian Partnership Act, 1932,	9
32.	The Criminal Law (Amendment) Act, 1932.	
33.	The Payment of Wages Act, 1936	4
34.	The Manoeuvers, Field Firing and Artillery Practicc Act, 1938.	[5
35.	The Fmployment of Children Act, 1938.	26
36.	The Motor Vehicles Act, 1939.	4
37.	The Industrial Fmployment (Standing Orders) Act, 1946.	20
38.	The Foreigners Act, 1946	31
39.	The Industrial Disputes Act; 1947	14
40.	The Pharmacy Act, 1948	8
41.	The Minimum Wages Act, 1948	11
42.	The Dentists Act, 1948	16
43.	The Employees State Insurance Act, 1948	34
44.	The Electric (Supply) Act, 1948	54
45.	The Factories Act, 1948	63
46.	The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.	34

1	2	3
47.	Constitution of India	Article 225, 227
48.	The Preventive Dentention Act, 1950	4
49.	The Evacuee Property Act, 1950	31
50.	The Road Transport Corporation Act, 1950.	64
51.	State Financial Corporation Act, 1951.	63
52.	The Employees' Provident Eund Act and Family Pension Fund Act, 1952	19
53.	Commission of Inquiry Act, 1952.	60
54.	The Collection of Statistics Act, 1953.	29
55.	The Rajasthan Wakf Act, 1954.	29
56.	The Prevention of Food Adulteration Act, 1954.	37
57.	The Special Marriage Act, 1954.	43
58.	The Essential Commodities Act, 1955.	10
59.	The Hindu Marriage Act, 1955	25
60.	The Prisoners Attendance in Courts Act, 1955.	32
61.	The Central Salex Tax Act, 1956.	74
62.	The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls, 1956.	104
63.	The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957	67
64.	The Probation of Offenders Act, 1959.	17
65.	Advocates Act, 1961.	25
66.	The Motor Transport Workers Act, 1961.	27
67.	The Maternity Benefit Act, 1961	53
68.	The Ware-housing Corporation Act, 1962.	58
69.	The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966.	
70.	The Insecticides Act, 1968.	46

1	2	3
71.	The Registration of Births and Deaths Act, 1969.	18
72.	The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.	37
73,	The Urban Land (Ceiling & Regulation) Act, 1976.	33
74.	The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.	
75.	The Defence and Internal Security India Act, 1971.	42
76.	The Payment of Gratuity Act, 1972.	39
77.	The Wild Life (Protection) Act, 1972.	53
78.	The Code of Criminal Procedure, 1973.	2 of 1974
79.	The Water Prevention and Control of Pollution Act, 1974,	
80.	The Conse rvation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.	52